33वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

₹6,00,000 करोड़

परिसंपत्तियां
₹3,00,000 करोड़ से बढ़कर

विद्युत क्षेत्र में
आश्चर्यजनक वृद्धि एवं अविश्वसनीय एकीकरण
का वर्ष

हमारा विज़न

भारत और विदेश में विद्युत एवं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रत्येक आयामीय श्रृंखला में एक अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना।

हमारा मिशन

पीएफसी सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान होगा और इसके लिए उसका साध्य है दक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से एकीकृत स्रोतीकरण तथा सेवा प्रदान करने के साथ–साथ वहनीय और प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों में अपनी भागीदारी करना और अपने स्टेकधारकों का मूल्य संवर्धन करना; भारत एवं विदेश में विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यक्षम निवेश को बढ़ावा देना।

हम यह लक्ष्य सिद्धि कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऊर्जस्वित, समंजनीय, अग्रदृष्टा, विश्वस्त, सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन हैं, अपने स्टेकधारकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं एकनिष्ठा के कारण सदा–सर्वदा लाभप्रद एवं चिरस्थायी हैं।

विषय–सूची

भाग 01
निगमित सिंहावलोकन

04 संदर्भ सूचना
05 कार्य–निष्पादन एक नजर में
10 अध्यक्ष का वक्तव्य
16 निदेशकों का प्रोफाइल

भाग 02
निदेशक रिपोर्ट

20 निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2018-19
82 प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
86 एकीकृत रिपोर्टिंग
89 निगमित शासन पर रिपोर्ट
110 निगमित शासन संबंधी प्रमाण–पत्र
111 व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट
123 सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

भाग 03
वित्तीय विवरण

129 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
139 गैर–बैकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
140 सी एंड एजी की टिप्पणियां
141 तुलन–पत्र
142 लाभ और हानि विवरण
144 नकदी प्रवाह विवरण
216 समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
223 समेकित वित्तीय विवरणों पर सी एंड एजी की टिप्पणियां
225 समेकित तुलन–पत्र
226 समेकित लाभ और हानि विवरण
230 समेकित नकदी प्रवाह विवरण

निदेशक मंडल

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री नवीन भूषण गुप्ता
निदेशक (वित्त)

श्री प्रवीण कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों
निदेशक (परियोजना)

डॉ. अरुण कुमार वर्मा
सरकारी नामिती निदेशक

श्री सीताराम पारीक
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती गौरी चौधरी
स्वतंत्र निदेशक

श्री आर.सी. मिश्रा
स्वतंत्र निदेशक

वरिष्ठ प्रबंधन

(31.07.2019 तक)

श्री बीरेन्द्र कुमार
सी वी ओ

श्रीमती पलका साहनी, आईएएस
कार्यपालक निदेशक

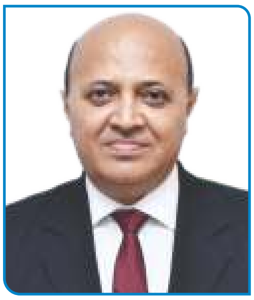

श्री दिनेश विज
कार्यपालक निदेशक

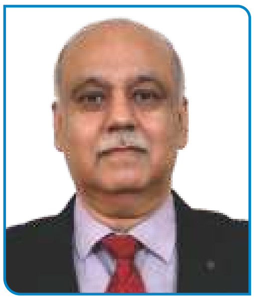

श्री सुबीर मूलचंदानी
कार्यपालक निदेशक

श्री जी. एस. पात्रा
कार्यपालक निदेशक

श्री आलोक सिंघल
कार्यपालक निदेशक

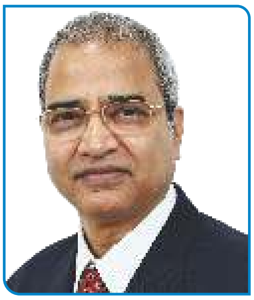

श्री के वी वी सत्यनारायण
कार्यपालक निदेशक

श्री आलोक सूद
कार्यपालक निदेशक

श्री सुबीर साहा
कार्यपालक निदेशक

श्री योगेश जुनेजा
कार्यपालक निदेशक

श्री मनोज शर्मा
कार्यपालक निदेशक

श्रीमती शैली वर्मा
कार्यपालक निदेशक

श्री आर. आर. झा
कार्यपालक निदेशक

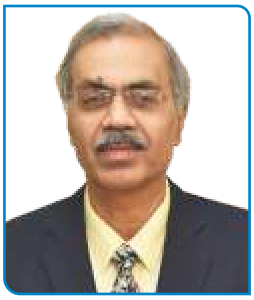

श्री आर. के. भारद्वाज
कार्यपालक निदेशक

श्री मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

'ऊर्जानिधि',
1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं. : (91) (11) 23456000
वेबसाइट: http://www.pfcindia.com

सहायक कंपनियां (31 मार्च, 2019 के अनुसार)

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
देवघर मेगा पावर लिमिटेड
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
देवघर इंफ्रा लिमिटेड
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
बिहार मेगा पावर लिमिटेड
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*
मोहिन्दरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड*
साउथ–सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
बिजावर–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड*
शोंगटोंग करचम–वांग्टू ट्रांसमिशन लिमिटेड*
वापी II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
लाकड़िया–वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड*
बीकानेर–खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड*
फतेहगढ़–II ट्रांस्को लिमिटेड*
भुज–II ट्रांसमिशन लिमिटेड*
आरईसी लिमिटेड
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड^
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड^
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड^
मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड^
डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड^
चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड^
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड^
भिंड–गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड^
जम खम्बालिया ट्रांस्को लिमिटेड^
अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड^
डब्ल्यूआरएसएस XXI (A) ट्रांस्को लिमिटेड^
उडुपी कासरगोड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड^
खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड^
लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड^
क्रीघटन एनर्जी लिमिटेड#
ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट लिमिटेड#
एनेस्को एनर्जी सर्विसिज (साउथ) लिमिटेड#
ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड#
एडीना पावर सर्विसिज लिमिटेड#
एडीना यूके लिमिटेड#
अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड#
एडीना मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड#
एडीना एक्वीजिशन लिमिटेड#
एडीना लिमिटेड#
एडीना ऑस्ट्रेलिया प्रोपराइटरी लिमिटेड#
स्टैनबेक लिमिटेड#
एडीना पावर लिमिटेड

सूचीबद्ध शेयर

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड (पूर्वनाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड)

डिपॉज़िटरी

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

कंपनी सचिव

श्री मनोहर बलवानी

लेखापरीक्षक

एम.के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

रजिस्ट्रार तथा शेयर हस्तांतरण एजेंट

कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
''कार्वी सेलेनियम टॉवर बी'',
प्लॉट नंबर 31 एवं 32,
वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली,
हैदराबाद–500 032, तेलंगाना, भारत
दूरभाष : +91 40 67162222
ई–मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvyfintech.com

बैंकर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
एचडीएफसी बैंक

* पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से
^ आरईसी लिमिटेड के माध्यम से
#ईईएसएल के माध्यम से

कार्य–निष्पादन एक नजर में

	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
I	**संसाधन**					
	(वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)					
	इक्विटी पूंजी	1320	1320	2,640	2,640	2,640
	भारत सरकार से ब्याजगत सब्सिडी निधि	111	107	103	113	16
	आरक्षित और अधिशेष निधि	30899	34446	32,785	34,316	40,648
	ऋण प्राप्त करना :					
	(I) विदेशी मुद्रा ऋण (विदेशी मुद्रा नोट्स सहित)	9731	10776	8,444	18,260	28,827
	(ii) बॉण्ड्स	159393	171137	1,89,743	1,93,829	1,90,324
	(iii) दीर्घावधि रुपया ऋण	14585	11000	2,000	10,525	46,204
	(iv) अल्पावधि रुपया ऋण	4064	7572	2,401	6925	13,357
II	**वित्तपोषण संबंधी प्रचालन**					
	(वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)					
	संस्वीकृत किए गए ऋण एवं अनुदान	60784	65042	100603	116233	95230
	संवितरित किए गए ऋण एवं अनुदान	44691	46588	62798	64414	67678
	पीएफसी को ऋणकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान	16284	25826	19592	25135	29253
	पीएफसी द्वारा ऋणदाताओं को पुनर्भुगतान	34188	52735	65007	49214	66522
III	**कार्यकारी परिणाम**					
	(वर्ष के लिए) (₹ करोड़ में)					
	कुल आय	24907	27564	27019	25,980	28,851
	कुल व्यय	16529	18504	21909	20,135	19,036
	कर पूर्व लाभ	8378	9060	5110	5,845	9,816
	कर संबंधी व्यय	2419	2947	2983	1,458	2,863
	कर पश्चात लाभ	5959	6113	2126	4,387	6,953
IV	**कार्मिकों की संख्या**	**450**	**467**	**499**	**498**	**498**

नोट : कंपनी ने 01 अप्रैल, 2018 से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाया और पारगमन (ट्रांज़िशन) की प्रभावी तारीख 01 अप्रैल, 2017 थी। इस वार्षिक रिपोर्ट/बोर्ड रिपोर्ट और इसके संलग्नकों/अनुलग्नकों में उल्लिखित पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संगत अवधि के लिए तैयार किए गए वित्तीय परिणामों और वित्तीय आंकड़ों का इंड एएस के अनुसार पुनः उल्लेख किया गया है।

संस्वीकृत किए गए ऋण

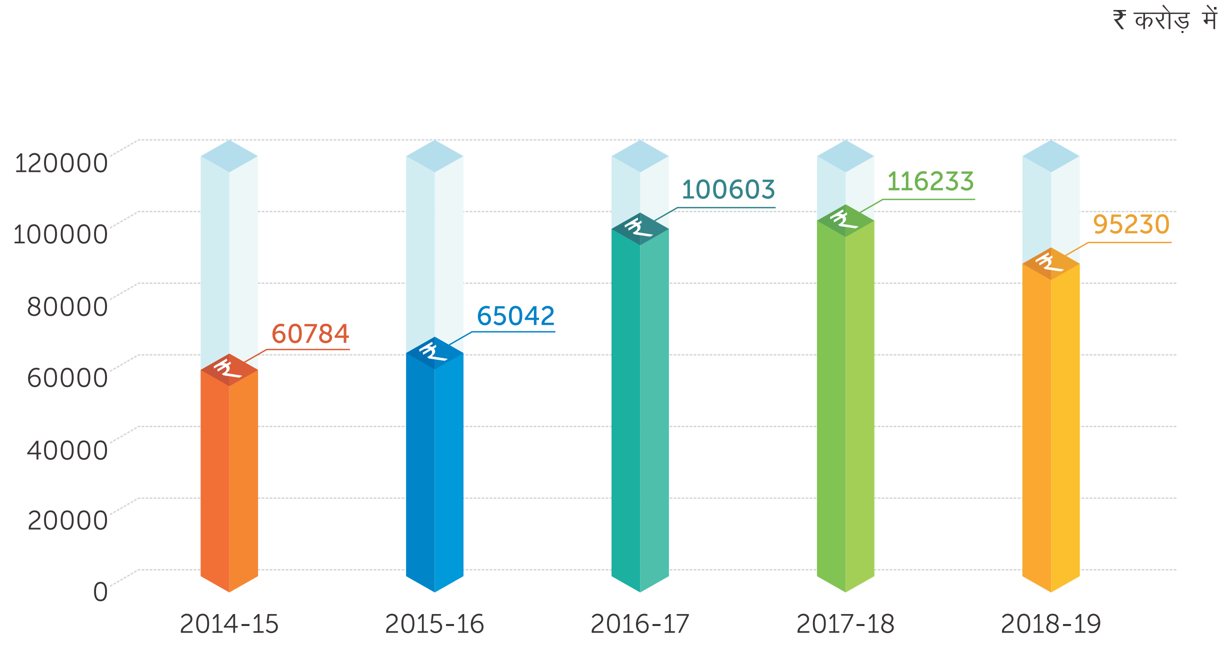

संचयी रूप से संवितरण

क्षेत्र–वार

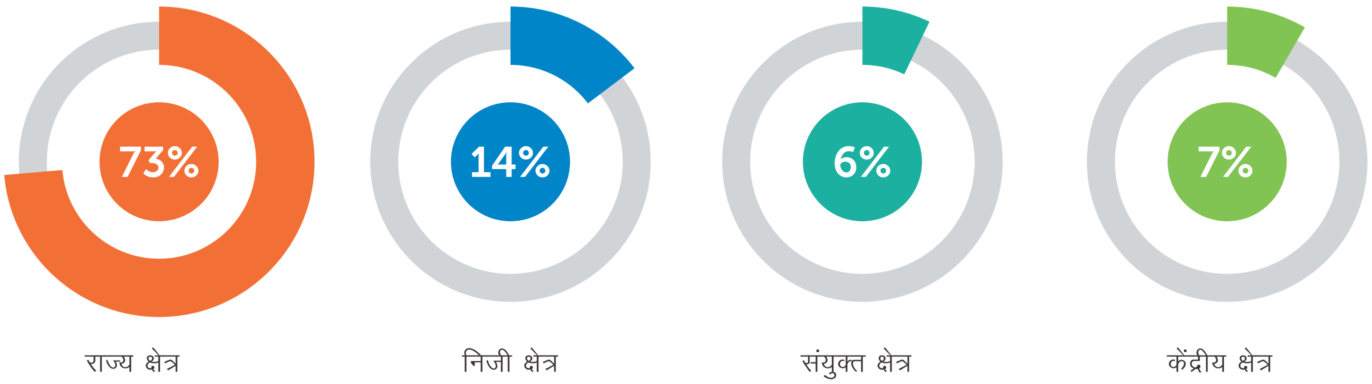

संवितरित किए गए ऋण

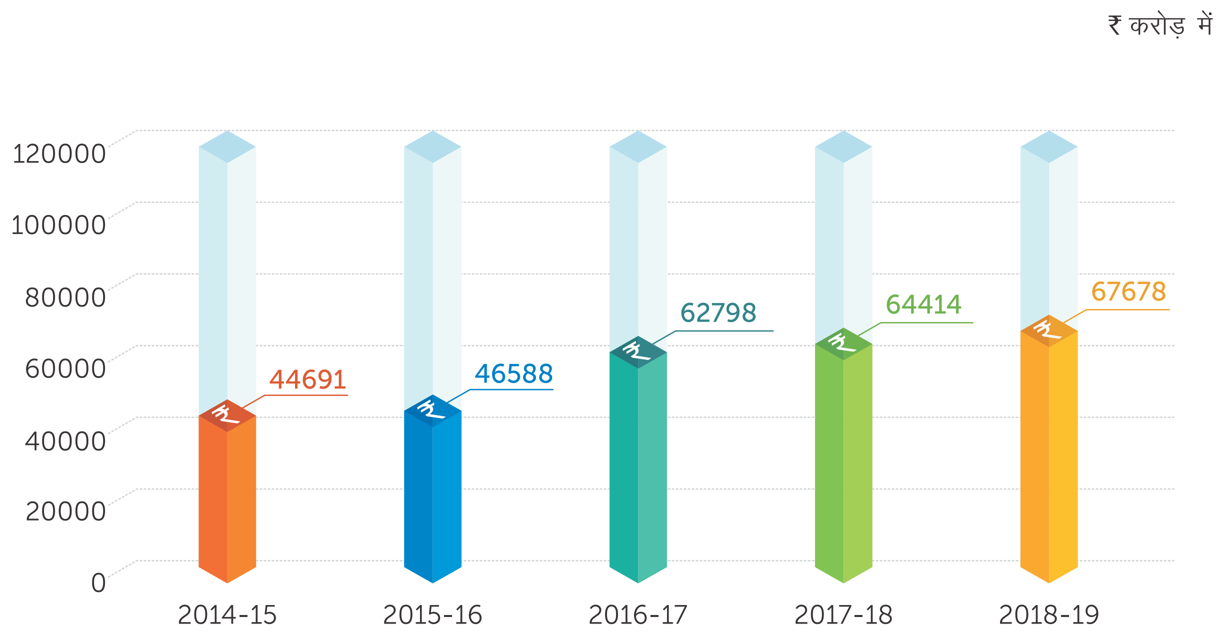

संचयी रूप से संवितरण

विषय–वार

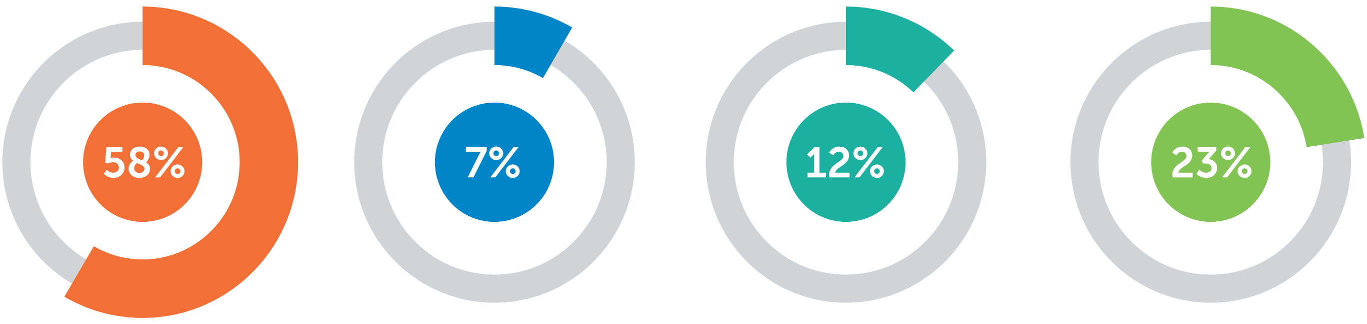

*जिसमें परिवर्तनकालीन वित्त एसटीएल, बीएलसी आदि शामिल है

कर पश्चात लाभ

₹ करोड़ में

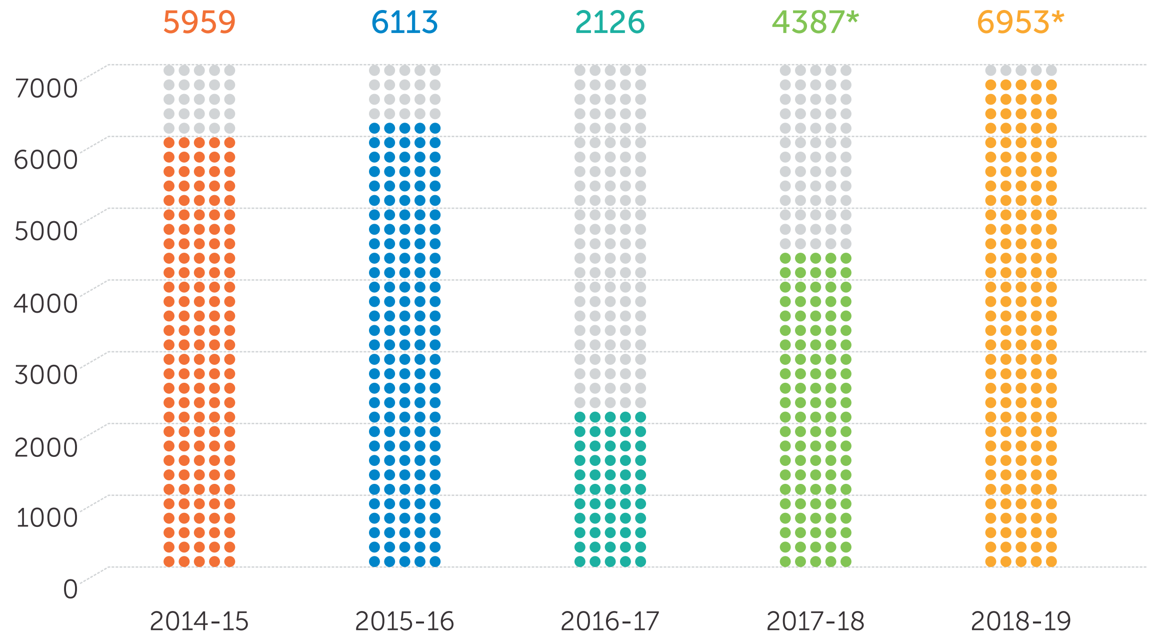

*इंड एएस लेखांकन प्रणाली के अनुसार

प्रमुख संकेतकों की तुलना

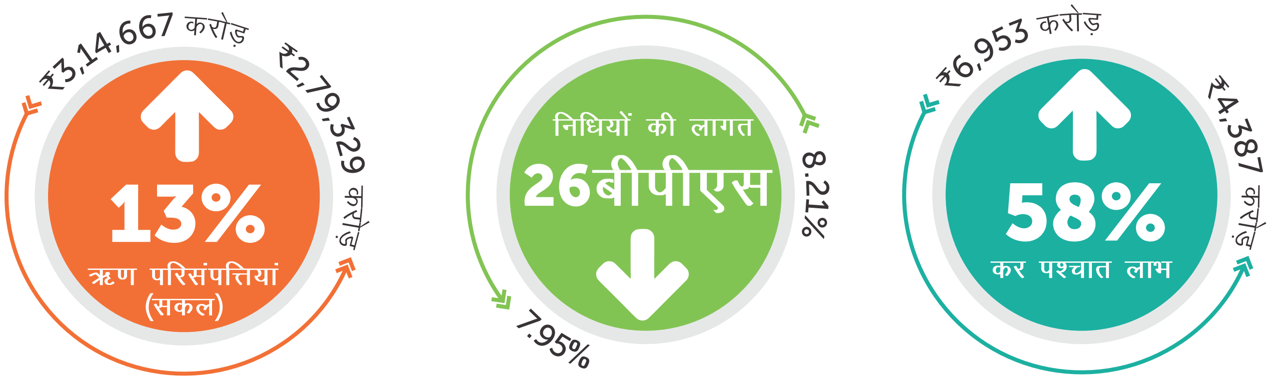

वित्तीय वर्ष 2018-19 बनाम वित्तीय वर्ष 2017-18

पिछले वर्षों में वृद्धि

₹ करोड़ में

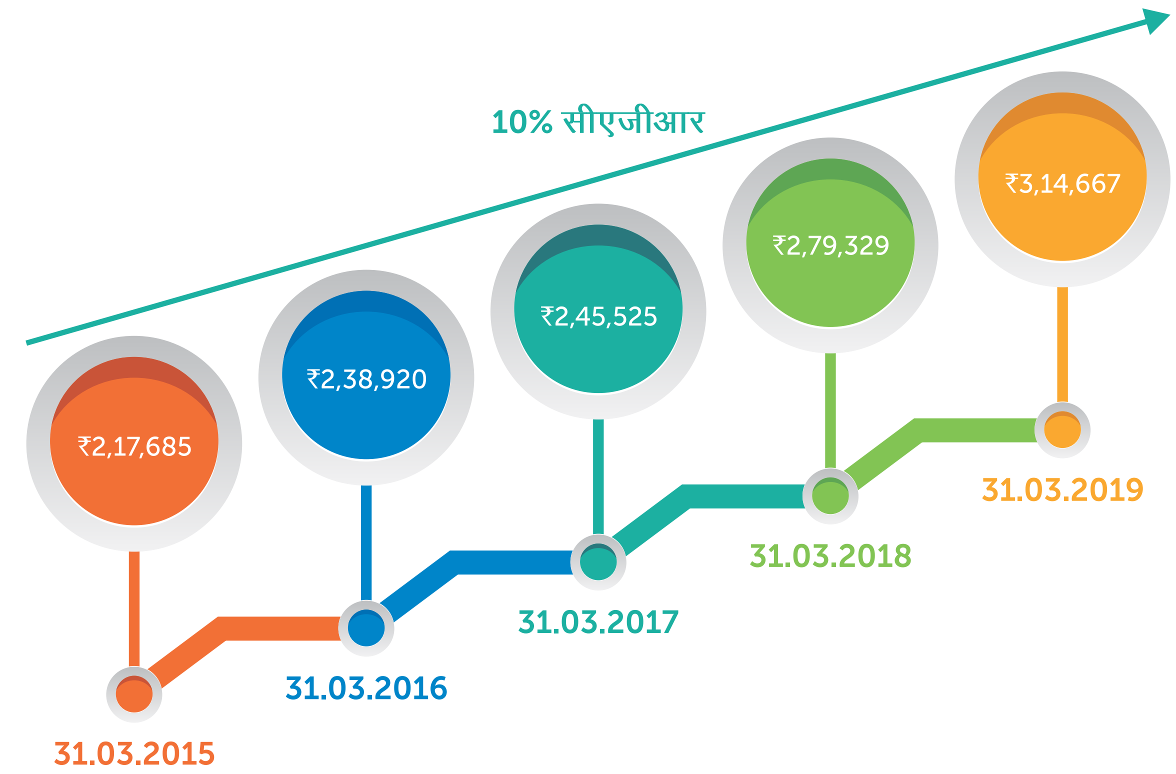

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹3,14,667 करोड़ की ऋण परिसंपत्ति बही

मुख्य उपलब्धियां

अध्यक्ष का वक्तव्य

"28 मार्च, 2019 पीएफसी के इतिहास में एक यादगार दिन था, जब आपकी कंपनी ने कुल ₹14,500 करोड़ के कुल प्रतिफल के साथ आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में भारत सरकार की 52.63% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इस ऐतिहासिक डील के साथ, पीएफसी अब आरईसी लिमिटेड की प्रोमोटर और धारक (होल्डिंग) कंपनी है।"

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

देवियो और सज्जनो,

मुझे आपकी कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 पीएफसी के इतिहास में एक उपलब्धिपूर्ण और ऐतिहासिक वर्ष रहा। 28 मार्च, 2019 पीएफसी के इतिहास में एक यादगार दिन था, जब आपकी कंपनी ने कुल ₹ 14,500 करोड़ के कुल प्रतिफल के साथ आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में भारत सरकार की 52.63% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इस ऐतिहासिक डील के साथ, पीएफसी अब आरईसी लिमिटेड की प्रोमोटर और धारक (होल्डिंग) कंपनी है।

यह अधिग्रहण विद्युत क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पीएफसी के लिए महत्वपूर्ण इन–ऑर्गेनिक (inorganic) वृद्धि का अवसर है, जिसके परिणामस्वरूप समेकित आधार पर ऐसी बृहद एंटिटी का निर्माण हुआ है, जिसका संयुक्त वार्षिक राजस्व ₹50,000 करोड़, ऋण परिसंपत्तियां ₹6 लाख करोड़ और लाभ ₹12,500 करोड़ से अधिक है। इस अधिग्रहण से दोनों संस्थानों में ऋण देने की प्रक्रियाओं और नीतियों की दक्षता में वृद्धि होगी और विद्युत क्षेत्र को बेहतर ऋण उत्पाद प्रदान करके सार्वजनिक मूल्य का सृजन होगा। इसके अतिरिक्त, यह अधिग्रहण, समूह की परिसंपत्तियों के विविधीकरण के साथ–साथ पोर्टफोलियो जोखिम के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगा और समूह की विद्युत क्षेत्र की दबावग्रस्त (Stressed) परिसंपत्तियों का बेहतर और समन्वित तरीके से समाधान करने में भी मददगार साबित होगा।

मुझे आप सभी के साथ यह साझा करने में खुशी हो रही है कि अधिग्रहण ट्रांजैक्शन के बाद, पीएफसी की क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखा गया है और आपकी कंपनी ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात को भी बेहतर स्तर पर बनाए रखा है ताकि शेयरधारकों, निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को इस बात से पुनः आश्वस्त किया जा सके कि व्यापार में वृद्धि आगे भी होती रहेगी।

व्यवसाय की दृष्टि से, वर्ष के दौरान एकल (स्टैंडअलोन) आधार पर पीएफसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखी गईं। हमने लगभग ₹7,000/– करोड़ का अब तक का अपना सर्वाधिक वार्षिक लाभ प्राप्त किया। आपकी कंपनी ने लगातार तीन साल से अब तक का अपना उच्चतम संवितरण दर्ज किया है और इस साल का ऋण संवितरण ₹67,600 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। ऋण परिसंपत्तियां भी ₹3 लाख के माइलस्टोन को पार कर गईं और वर्ष के दौरान 13% की मजबूत वृद्धि देखी गई।

ऋण (borrowing) के मोर्चे पर, कुल ऋण में विदेशी मुद्रा ऋण की हिस्सेदारी में वर्ष के दौरान 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की नई विदेशी मुद्रा जुटाने से 10% की वृद्धि हुई है। जून 2019 में, पीएफसी ने अपने एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमशः 5 साल और 10 साल की अवधि के साथ 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की धनराशि जुटाई, जो कि सरकारी स्वामित्वाधीन भारतीय एनबीएफसी के लिए पहला दोहरा (Dual) और सबसे बड़ा यूएस बॉण्ड ट्रांजैक्शन और पीएफसी द्वारा पहला 5 वर्षीय निर्गमन (इश्युऐंस) था। आगे बढ़ते हुए हम उम्मीद करते हैं कि विदेशी मुद्रा ऋण हमारे पोर्टफोलियो में काफी हद तक योगदान करेंगे। जैसा कि पहले इंगित किया गया है, 54ईसी पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स) बॉण्ड कम लागत के कारण पीएफसी के लिए निधियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुझे आप सभी के साथ यह साझा करने में खुशी हो रही है कि पूंजीगत लाभ कर बॉण्डों के अंतर्गत जुटाई गई धनराशि में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2.7 गुना की वृद्धि देखी गई। आपकी कंपनी द्वारा ऋण की दृष्टि से किए गए विभिन्न प्रयासों के कारण निधियों की लागत वित्तीय वर्ष 2018 में 8.21% से घटकर वर्ष 2019 में 7.95% हो गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 2.0 के लिए एक निर्णायक बहुमत ही विश्व समुदाय में भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएगा। सर्वसमावेशी आर्थिक और सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण' व्यवस्था के लिए सरकार की प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (millennium development goals) के अनुरूप समृद्धि लाने और गरीबी के विरुद्ध एक उत्साही अभियान की साक्षी बनेगी। इस प्रकार इस आर्थिक विकास को ग्रामीण भारत तक ले जाने से देश की यात्रा का स्वाभाविक विस्तार होगा।

पिछले पांच वर्षों में लगभग 7% की स्वस्थ जीडीपी के साथ भारत का आर्थिक प्रोफाइल विश्व स्तर पर कभी बेहतर नहीं रहा। केंद्र सरकार

माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर के सिंह द्वारा पीएफसी को वर्ष की "बेस्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनी" अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी, श्री सी गंगोपाध्याय, पूर्व निदेशक (परियोजना) एवं श्री पी के सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) सीबीआईपी दिवस के अवसर पर अवॉर्ड ग्रहण करते हुए।

आरईसी में भारत सरकार के 103.94 करोड़ शेयरों के अधिग्रहण के लिए खरीद प्रतिफल (पर्चेज कंसिडरेशन) के लिए विद्युत मंत्रालय और पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव, भारत सरकार को इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर एडवाइस सौंपते हुए श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी

द्वारा अपनाई गई उदार नीतियों ने भारत को उभरते हुए बाजारों के बीच एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़त दिलाई है। उत्पाद श्रेणियों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें स्थिर रहने और उनमें कमी से देश के भीतर और बाहर के निवेशकों में उत्साह है। मजबूत घरेलू खपत की मांग ने उद्योग, सेवाओं, कृषि क्षेत्र और निर्यातकों को लंबे समय तक निवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। सरकार की विभिन्न पहलों जैसे 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' ने विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी सुविधाएं स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान किए हैं।

भारत की प्रसिद्ध श्रम शक्ति के अगले वर्ष तक 170 मिलियन के आंकड़े को छूने की उम्मीद है, जो देश को मानव संसाधनों के लिए एक पावरहाउस और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनशक्ति के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में परिवर्तित कर रहा है। जनसांख्यिकीय क्षमता का लाभ उठाते हुए यह भी लगता है कि राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट जगत और अन्य स्टेकधारकों के साथ साझेदारी में केंद्र द्वारा शुरू किए गए अखिल भारतीय कौशल विकास अभियान के साथ सही मायनों में इसकी शुरुआत हो गई है।

भारत अपने मजबूत विकास पथ पर दृढ़ता के साथ अग्रसर है। यह सुस्थिर लोकतंत्र और साझेदारी की बदौलत 10–15 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगले कुछ वर्षों में भारत की जीडीपी के 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने और डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण, अनुकूल जनसांख्यिकी और सुधारों के आधार पर इसके ऊपरी–मध्य आय वर्ग का स्तर प्राप्त करने की उम्मीद है।

कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद विद्युत क्षेत्र का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का पूरक बनाया गया है। अब हर गांव में गुणवत्तायुक्त और सस्ती बिजली उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर हर परिवार के लिए बिजली लगभग हकीकत बन गई है। ऊर्जा की कमी लगभग शून्य हो गई है और भारत नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के लिए बिजली के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया है। अप्रैल, 2014 से मार्च, 2019 के बीच उत्पादन क्षमता में 1,07,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि की गई है। नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में विशाल क्षमता निर्माण के साथ इन विकासात्मक घटनाक्रमों ने आपकी कंपनी को एक महान व्यापार अवसर प्रदान किया है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना 'सौभाग्य' के अंतर्गत लगभग 100% घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम द्वारा दो वर्षों में ₹ 34,000 करोड़ से अधिक की ब्याजगत लागत की बचत की गई है। वर्ष में सभी को 365 दिन, चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करना अगली बड़ी चुनौती बन गई है, जिसका समाधान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्त (Stressed) परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। भारत में दबावग्रस्त (Stressed) विद्युत परियोजनाओं को कोयला प्रदान

फ्रांस की इकोलॉजिकल एंड इन्क्लुसिव ट्रांजिशन राज्य मंत्री, महामहिम ब्रूने पोयसन की उपस्थिति में, आईएसए की प्रथम जनरल असेंबली में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के. सिंह को अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस (आईएसए) की कॉर्पोरेट सदस्यता के लिए 1 मिलियन यूएस डॉलर की आरटीजीएस एडवाइस सौंपते हुए श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी।

करने के लिए 'हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया (शक्ति)' योजना का शुभारंभ किया गया। शक्ति योजना में ऐसी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनके पास पीपीए तो हैं, परंतु उनके ईंधन आपूर्ति करार लागू नहीं हैं और इनमें ऐसी परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनके पास विद्युत क्रय करार (पीपीए) भी नहीं होते हैं । इस योजना का उद्देश्य उत्पादन से जुड़ी विद्युत संस्थाओं के बीच दबाव (Stress) को खत्म करना है। इन दबावग्रस्त (Stressed) परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं को पहले ही योजना के अंतर्गत कोयला मिलना शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय द्वारा इन दबावग्रस्त (Stressed) परियोजनाओं में से कुछ के लिए मध्यावधि पीपीए की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक पायलट योजना शुरू की गई है, जिसके लिए हमारी सहायक कंपनी, पीएफसीसीएल नोडल एजेंसी है और बिना पीपीए वाली चालू (कमीशंड) परियोजनाओं से तीन साल के लिए बिजली की खरीद करने के लिए पीटीसी एग्रीगेटर है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी राज्यों ने 1900 मेगावाट के लिए ₹ 4.24 प्रति यूनिट के टैरिफ पर पात्र बोलीदाताओं के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। अब पायलट पीपीए योजना के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए पीएफसीसीएल नोडल एजेंसी है और एनएचपीसी को एग्रीगेटर के रूप में नामित किया गया है। 15 कंपनियों की बोलियों को ₹ 4.41 प्रति यूनिट के टैरिफ के साथ अंतिम रूप दिया गया है। विद्युत मंत्रालय ने कानून में बदलाव के कारण टैरिफ वृद्धि संबंधी याचिकाओं को मंजूरी देने के लिए समयसीमा के संबंध में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जारी किए हैं और साथ ही विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों को विद्युत क्रय करारों के अंतर्गत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त लेटर ऑफ क्रेडिट (Letter of Credit) खोलने और बनाए रखने के लिए अधिदेशित करते हुए दिशानिर्देश दिए हैं। इन पहलों से परियोजनाओं को स्थायी आधार पर बिजली की बिक्री करने और आगे बढ़ने वाले दबाव (Stress) को कम करने में मदद मिलेगी।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन योजनाओं के अंतर्गत पीएफसी द्वारा वित्तपोषित कुछ परियोजनाओं को कोयला लिंकेज के साथ साथ मध्यावधि पीपीए भी प्राप्त हुए हैं, जो दबाव (Stress) का समाधान करने में मदद करेंगे।

नवीकरणीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने सौर और पवन आधारित परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस ट्रांसमिशन शुल्क और नुकसान की माफी (waiver) की समयसीमा में मार्च 2022 तक विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक सोलर के साथ–साथ नॉन–सोलर क्षेत्र के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ) जारी किया।

वर्ष 2018 में 'विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' – "गेटिंग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के दौरान श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव, भारत सरकार और विद्युत मंत्रालय तथा पीएफसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी

इलेक्ट्रिसिटी" रैंकिंग में, भारत की रैंक वर्ष 2014 में 137 से सुधरकर वर्ष 2018 में 24 हो गई है। बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित विद्युत क्षेत्र में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं। इनमें क्षमता अभिवृद्धि के अलावा, प्राप्ति, ऐश ट्रैक आदि जैसे मोबाइल एप्लिकेशन शुरू कर ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने और जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण सुधार भी शामिल हैं।

निगमित शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) पर आपकी कंपनी का सिद्धांत इस धारणा से उत्पन्न होता है कि सुशासन की भावना पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिक व्यापार पद्धतियों, कानून का सही मायने में अक्षरशः अनुपालन, पर्याप्त प्रकटीकरण, कॉर्पोरेट निष्पक्षता, सामाजिक जवाबदेही और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के उच्चतम मानकों के अनुपालन में निहित होती है, जिससे कि स्टेकधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

आपकी कंपनी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगमित निकाय है और सतत विकास के लिए परियोजनाएं शुरू करके बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएसआर के मोर्चे पर पीएफसी का फोकस राष्ट्रीय के साथ–साथ स्थानीय महत्व की परियोजनाओं पर रहा है। कुछ परियोजनाएं जैसे कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े पुरुषों और महिलाओं के लिए कौशल विकास, सोलर स्ट्रीट लाइट का इंस्टॉलेशन, चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रावधान आदि का हमारे पूरे समाज पर व्यापक प्रभाव पडता है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019 में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत ₹ 118 करोड़ का संवितरण किया है।

मैं शेयरधारकों के प्रति बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हम पर पुनः विश्वास व्यक्त किया है। मैं, माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन और मार्ग–दर्शन के लिए तहेदिल से धन्यवाद देता हूं। मैं, निदेशक मंडल, निवेशकों और मूल्यवान ग्राहकों के प्रति उनके समर्थन के लिए भी वास्तव में आभारी हूं।

मैं, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नीति आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रारों, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/ एजेंसियों के प्रति भी उनके निरंतर समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे भागीदारों द्वारा निरंतर और अटूट समर्थन की भी सराहना करता हूं।

अंत में, मैं अपने सभी कार्मिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके निरंतर और अथक प्रयासों के बिना यह संभव ही नहीं होता।

राजीव शर्मा

¼jktho 'kekZ½

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00973413

मुंबई में आयोजित ''वार्षिक निवेशक सम्मेलन 2019'' में भाग लेते हुए श्रीमती गौरी चौधरी, स्वतंत्र निदेशक, श्री सीताराम पारीक, स्वतंत्र निदेशक, डॉ. ए.के. वर्मा, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, श्री एन.बी. गुप्ता, निदेशक (वित्त) और श्री पी.के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी को भारतीय विद्युत क्षेत्र की वृद्धि में योगदान देने के लिए डिस्टिंग्विश्ड एनर्जी प्रोफेशनल होने के नाते आईआईसी, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित इंडिया एनर्जी फोरम (आईईएफ) के ''मेरिटोरियस एनर्जी सर्विस अवॉर्ड'' से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री आर वी शाही (पूर्व सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार), श्री अनिल राजदान, अध्यक्ष, आईईएफ, श्री पी एस बामी, पूर्व सीएमडी, एनटीपीसी लिमिटेड, श्री अमरजीत सिंह, महासचिव, आईईएफ एवं श्री वाई आर मेहता, पूर्व निदेशक गेल इंडिया उपस्थित थे

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00973413

निदेशकों का प्रोफाइल

59 वर्षीय राजीव शर्मा पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। पीएफसी के सीएमडी के रूप में ये पीएफसी के प्रचालनों का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत सरकार की विद्युत क्षेत्र में की जा रही प्रमुख पहलों अर्थात एकीकृत विद्युत विकास योजना, सभी के लिए 24x7 विद्युत, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं और उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना आदि के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

श्री शर्मा के पास जी. बी. पंत विश्वविद्यालय से बी. टेक (विद्युत) की डिग्री और आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है। इसके अतिरिक्त, इनके पास एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में भी मास्टर डिग्री है।

श्री शर्मा के पास विद्युत क्षेत्र की विभिन्न विधाओं में 34 वर्ष से भी अधिक का कार्य अनुभव है। श्री शर्मा को विद्युत क्षेत्र के लिए नीति निर्माण, सुधार कार्यक्रमों के शुभारंभ और क्रियान्वयन तथा परियोजना कार्यान्वयन आदि के क्षेत्र में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और पावरग्रिड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करने का 22 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है। इन्हें भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) के आर्किटेक्ट के रूप में भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त, इन्हें विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन का भी 14 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है, जिसमें से विद्युत क्षेत्र की अग्रणी नवरत्न कंपनियों अर्थात पीएफसी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) में बोर्ड स्तर पर कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव शामिल है।

श्री राजीव शर्मा ने 1 अक्तूबर, 2016 से पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार संभाला है। इन्होंने ₹ 14,500 करोड़ की राशि से आरईसी में भारत सरकार की 52.63% के स्टेक का सफलतापूर्वक अधिग्रहण करने के बाद ₹ 6 लाख करोड़ की ऋण बही के साथ भारत के सबसे बड़े वित्तपोषण संस्थानों में से एक संस्थान के सृज़न का नेतृत्व किया है। ये 54ईसी पूंजीगत लाभ कर बॉण्ड के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए वित्त मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से पीएफसी को अनुमोदन दिलवाने में भी सक्रिय रहे हैं। इनके कार्यकाल के दौरान पीएफसी ने विदेशी मुद्रा ऋण/बॉण्ड जारी कर अपने ऋण पोर्टफोलियो का काफी हद तक विविधीकरण किया है।

पीएफसी में आने से पहले श्री शर्मा, आरईसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक थे। अपने गतिशील नेतृत्व में श्री शर्मा ने पिछले पांच वर्षों में राजस्व और मुनाफे को दोगुना करके वित्तीय और प्रचालनात्मक कार्य–निष्पादन के मामले में आरईसी को तुलनात्मक रूप से उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद की है। यह पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के 'सर्वश्रेष्ठ सीईओ' के लिए बिजनेस टुडे की पसंद थे।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) में वे विद्युत क्षेत्र ये प्रमुख सीपीएसई जैसे कि पावरग्रिड, टीएचडीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, नीपको और बीबीएमबी से जुड़े मामलों को देख रहे थे। ये पारेषण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के लिए दिशानिर्देश जारी करने के साथ–साथ 50,000 मेगावाट क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पहल शुरू करने में भी सक्रिय रहे हैं, जहां व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन संचालित करने के लिए 16 राज्यों में 162 परियोजनाओं के समूह की पहचान की गई। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में ये नाथपा झाखरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1500 मेगावाट) के डिजाइन, इंजीनियरिंग और परामर्श के कार्य से जुड़े थे। एमओपी में उप सचिव के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान पावरग्रिड की 2000 मेगावाट तालचेर–कोलार एचवीडीसी बाईपोल और ताला ट्रांसमिशन सिस्टम (पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन्होंने एपीडीआरपी, आरजीजीवीवाई के अलावा केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों जैसे टीएचडीसी, नीपको, बीबीएमबी और एसजेवीएनएल का काम–काज भी देखा है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, श्री राजीव शर्मा के पास कंपनी के 32574 इक्विटी शेयर थे।

श्री नवीन भूषण गुप्ता

निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 00530741

59 वर्षीय श्री नवीन भूषण गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं।

इनका विद्युत क्षेत्र में 32 साल से ज्यादा का अनुभव है तथा इन्होंने एनएचपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इन्हें फंड मैनेजमेंट, अंतरराष्ट्रीय वित्त, आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखाओं को अंतिम रूप देने, ऋण नीतियों, संसाधन जुटाव आदि के क्षेत्रों का बहुत ही व्यापक अनुभव रहा है। इन्होंने सितंबर 2005 में पीएफसी में अपना पदभार ग्रहण किया तथा पीएफसी में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति से पूर्व पीएफसी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, श्री नवीन भूषण गुप्ता के पास 24584 इक्विटी शेयर थे।

श्री प्रवीण कुमार सिंह

निदेशक (वाणिज्यिक)
डीआईएनः 03548218

57 वर्षीय श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास आईआईटी, बीएचयू से बी. टेक. (इलेक्ट्रिकल) और आईआईटी, दिल्ली से ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में एम. टेक. की डिग्री हैं। इन्होंने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए के बेयर कॉलेज ऑफ बिजनेस से "वैश्विक ऊर्जा एमबीए कार्यक्रम" भी पूरा किया है। निदेशक (परियोजना) का प्रभार ग्रहण करने से पहले श्री सिंह ने पीएफसी में ही कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के रूप में कार्य किया है। इन्होंने पीएफसी के परियोजना प्रभाग की विभिन्न यूनिटों में 24 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया है। इससे पहले इन्होंने 9 वर्ष तक बीएचईएल और सीआईआई के लिए भी कार्य किया है। ये भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। श्री सिंह 18 जून, 2019 से आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में पीएफसी के नामिती निदेशक भी हैं। ये कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड, उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड, सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड, झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड, घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं। इन्होंने पीएफसी में आरटीआई के प्रयोजन से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य किया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, श्री प्रवीण कुमार सिंह के पास 32194 इक्विटी शेयर थे।

श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों

निदेशक (परियोजना)
डीआईएनः 00278074

56 वर्षीय श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बी.ई. (इलेक्ट्रिकल) और आईआईटी, दिल्ली से विद्युत प्रणालियों (पावर सिस्टम) में एम. टेक हैं। इन्होंने 12 जून, 2019 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक (परियोजना) का पदभार ग्रहण किया। इन्हें विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है और इस नियुक्ति से पहले ये पीएफसी में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्होंने पीएफसी में 25 वर्षों से विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिनमें परियोजना मूल्यांकन (प्रोजेक्ट अप्रेजल), व्यवसाय विकास, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार और परियोजनाओं की मॉनीटरिंग शामिल है। पीएफसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री ढिल्लों ने 9 वर्षों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में भी कार्य किया। ये विभिन्न निजी और राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के बोर्ड में पीएफसी के नामिती निदेशक रहे हैं। इन्होंने पीएफसी में निदेशक (लोक शिकायत) के रूप में भी कार्य किया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों के पास 27050 इक्विटी शेयर थे।

डॉ. अरुण कुमार वर्मा

सरकारी नामिती निदेशक
डीआईएन: 02190047

60 वर्षीय डॉ. अरुण कुमार वर्मा 13 अक्तूबर, 2015 से पीएफसी के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के पद पर हैं। ये गुजरात कैडर के भारतीय वन सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं तथा वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। ये भौतिकी में मास्टर की डिग्री लिए हुए हैं तथा एफआरआई एंड सी, देहरादून से इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडेमी (एआईजीएनएफए) के सहायक सदस्य हैं। इन्होंने आदिवासी विकास नीति में डॉक्टरेट की है। इन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बैंगलोर तथा मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजनशिप एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, सिरक्यूज़ विश्वविद्यालय, यूएसए से लोक नीति एवं प्रबंधन में परास्नातक कार्यक्रम (पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम) किया है।

इनके पास प्रशासनिक और प्रबंधन का 32 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इससे पहले इन्होंने विद्युत क्षेत्र में उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्य किया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले ये 29 जुलाई 2011 से 14 नवंबर, 2014 तक गुजरात इकोलॉजी कमीशन, गांधीनगर के सदस्य सचिव (मेंबर सेक्रेटरी) तथा वर्ल्ड बैंक फंडेड इंटीग्रेटिड कोस्ट जोन मैनेजमेंट में बतौर परियोजना निदेशक रहे। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक भी रह चुके हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, डॉ. अरुण कुमार वर्मा के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्री सीताराम पारीक

स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन: 00165036

66 वर्षीय श्री सीताराम पारीक के पास बी. कॉम, एफसीए, तथा डीआईएसए की डिग्री है। सन् 1975 से ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। ये मैसर्स शारदा एंड पारीक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई के फाउंडर पार्टनर हैं तथा इन्हें विभिन्न कंपनियों के इंड–एस अनुपालन, निगमित शासन, सम्यक तत्परता, संविधिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में 42 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है जिनमें सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध कंपनियां, सरकारी कंपनियां, बीमा कंपनियां और एनबीएफसी कंपनियां, गैर–लाभार्जन वाले संगठन शामिल हैं।

इन्होंने भारतीय कराधान, अंतरराष्ट्रीय कराधान, अंतरण कीमत–निर्धारण (ट्रांसफर प्राइसिंग), आयकर प्राधिकरणों, अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) और निपटान आयोग (सेटलमेंट कमीशन) के समक्ष प्रतिनिधित्व जैसे कार्यों को बखूबी संभाला है। ये राष्ट्र के नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत एक अग्रणी एनजीओ के वर्ष 2014 – 18 के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में उसके राष्ट्रीय समन्वयक हैं।

ये कई कंपनियों के निदेशक मंडल में भी है, जिनमें मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जो एमएमआरडीए और रिलायंस एडीए ग्रुप का संयुक्त उद्यम है और मुंबई की पहली, मेट्रो रेल परियोजना है। फरवरी 2017 में पीएफसी के निदेशक मंडल में इनकी नियुक्ति हुई थी। 31 मार्च, 2019 के अनुसार ये कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और सीएसआर समिति के भी अध्यक्ष हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, सीए श्री सीताराम पारीक के पास कंपनी के शून्य शेयर थे।

श्रीमती गौरी चौधरी

स्वतंत्र निदेशक
डीआईएनः 07970522

77 वर्षीय श्रीमती गौरी चौधरी 3 नवंबर, 2017 से पीएफसी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक हैं। ये एम. ए. अंग्रेजी और संगीत प्रभाकर (सितार) हैं।

ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और टेलीफोन सलाहकार बोर्ड (टीएसी) और फिल्म सेंसर बोर्ड की भी सदस्य रही हैं।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, श्रीमती गौरी चौधरी के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।

श्री आर.सी. मिश्रा

स्वतंत्र निदेशक
डीआईएनः 02469982

66 वर्षीय श्री आर. सी. मिश्रा ने वर्ष 1977 में पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। तत्पश्चात इन्होंने 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ज्वॉइन की। इनके पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में परास्नातक (एम. एससी.) की उपाधि और एलजुब्लजाना विश्वविद्यालय, स्लोवेनिया से व्यवसाय प्रशासन में परास्नातक (एमबीए) की उपाधि है। अपने लगभग चार दशकों के व्यापक कार्यकाल के दौरान इन्होंने विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/संस्थानों, मणिपुर सरकार और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यपालक निदेशक, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (प्रसार भारती), संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव (वित्त), मणिपुर सरकार, सचिव (विद्युत), मणिपुर सरकार, सचिव/निदेशक (उद्योग), मणिपुर सरकार, सचिव (शिक्षा), मणिपुर सरकार, सचिव (पर्यटन), मणिपुर सरकार इत्यादि पद शामिल हैं।

नवंबर, 2012 में अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति से पहले इनका अंतिम कार्यकाल मुख्य भविष्य निधि आयुक्त और सीईओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन–राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक निकाय–सचिव, भारत सरकार के ग्रेड और वेतनमान में, के रूप में रहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री मिश्रा को अकादमिक कार्यों, विशेष रूप से सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में बड़ी रुचि है। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त संगठनों के लिए विभिन्न रिपोर्टें/पेपर तैयार किए। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के साथ वरिष्ठ विज़िटिंग फैलो के रूप में कार्य किया। ये कई अंतरराष्ट्रीय निकायों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उनसे जुड़े रहे, जिनमें यूएनईपी, यूनेस्को और यूनीसेफ इत्यादि शामिल हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018–19

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के कार्य–निष्पादन पर 33वीं रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1.0 वित्तीय और प्रचालनात्मक विशेषताएं

(क) लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल (स्टैंडअलोन)		समेकित	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
कुल आय	**28851.29**	**25980.25**	**54156.83**	**48645.42**
कर पूर्व लाभ	9815.79	5845.11	17862.03	11779.44
कर संबंधी व्यय	2862.87	1458.34	5221.76	2982.75
कर पश्चात लाभ	**6952.92**	**4386.77**	**12640.27**	**8796.69**
कंपनी के स्वामी	–	–	9920.86	6688.69
गैर–नियंत्रणकारी ब्याज	–	–	2719.41	2108.00
कुल व्यापक आय	**6745.95**	**4063.03**	**12372.52**	**8480.60**
कंपनी के स्वामी	–	–	9681.81	6369.92
गैर–नियंत्रणकारी ब्याज	–	–	2690.71	2110.68

(₹ करोड़ में)

विवरण	एकल (स्टैंडअलोन)		समेकित	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
अधिशेष निधियों का प्रारंभिक शेष	3848.43	5184.72	6887.10	5467.43
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	6952.92	4386.77	9920.86	6688.69
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(1.94)	7.50	(8.57)	5.32
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	(353.42)	(372.10)	(497.44)	(548.85)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष रूप से सृजित और अनुरक्षित निधि में अंतरण	(1577.91)	(1595.06)	(2274.58)	(2428.00)
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 – आईसी (1) के अंतर्गत विशेष रूप से सृजित निधि में अंतरण	(1390.58)	(6.37)	(1997.46)	(6.37)
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में अंतरण	(289.73)	(292.65)	(393.21)	(396.13)
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	(1000.00)	(1000.00)	(1000.00)	(1263.17)
ब्याज अंतर आरक्षित निधि में अंतरण–केएफडब्ल्यू ऋण (निवल)	(2.10)	(1.49)	(2.10)	(1.49)
लाभांश	0.00	(2059.26)	(1325.29)	(3103.90)
लाभांश वितरण कर	0.00	(404.41)	(299.35)	(633.07)
सदुपयोग के आधार पर डिबेंचर मोचन निधि से अंतरण	2.30	0.00	2.30	0.00
ओसीआई – इक्विटी लिखतों से अंतरण	14.56	0.78	14.56	0.78
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	–	–	(0.11)	(0.04)
ओसीआई पर मापित इक्विटी लिखतों की बिक्री पर लाभ/ हानि का पुनर्वर्गीकरण	–	–	2.85	–
समान नियंत्रित व्यापार मिश्रण के लिए ब्याज लेखांकन की पूलिंग	–	–	–	3105.90
अधिशेष निधियों का अंतिम शेष	**6202.53**	**3848.43**	**9029.56**	**6887.10**

(ख) ऋण प्रचालन (लैंडिंग ऑपरेशन) (आर–एपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
संस्वीकृति	95230	116233
संवितरण	67678	64414

(ग) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) प्रचालन (आर–एपीडीआरपी योजना के विलय सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	संचित (मार्च, 2019 तक)
संस्वीकृत परियोजना लागत		
क. आर – एपीडीआरपी	(2196)	35327
ख. आईपीडीएस	3387	32059
संवितरण		
क. आर – एपीडीआरपी	867	12017
ख. आईपीडीएस	2713	7852

नोट : वर्ष 2018–19 में नकारात्मक संस्वीकृतियां लागत में कमी को इंगित करती हैं।
इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी के अंतर्गत ₹ 578 करोड़ (संचयी रूप से) मूल्य की राशियां जारी की गई।

2.0 वित्तीय कार्य–निष्पादन

2.1 भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाना

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाया और इसे 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी किया गया। तदनुसार, वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और उसके अंतर्गत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पठित यथानिर्धारित इंड एएस की मान्यता और मापन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इंड एएस को अपनाने की परंपरा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पठित यथाअधिसूचित पूर्ववर्ती लेखांकन मानकों और आरबीआई द्वारा जारी निदेशों (सामूहिक रूप से "पूर्ववर्ती जीएएपी" के रूप में संदर्भित) के अनुसार किया गया है। इंड एएस को लागू करने के प्रभाव की गणना 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष आरक्षित निधियों के रूप में की गई है। इस बोर्ड रिपोर्ट और इसके संलग्नकों/अनुलग्नकों में उल्लिखित पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत संगत अवधि के लिए तैयार किए गए परिणामों और वित्तीय आंकड़ों का इंड एएस के अनुसार पुनः उल्लेख किया गया हैं।

2.2 राजस्व

वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में हासिल की गई ₹ 25,980.25 करोड़ की कुल आय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा ₹ 28,851.29 करोड़ की कुल आय हासिल की गई। इसमें से गत वर्ष के ₹ 25,975.85 करोड़ की तुलना में इस वर्ष का प्रचालन राजस्व ₹ 28,842.00 करोड़ है।

2.3 व्यय

पिछले वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 20,135.14 करोड़ के व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में कुल व्यय ₹ 19,035.50 करोड़ रहा। इसमें से वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 16,955.89 करोड़ की तुलना में वित्तपोषण की लागत वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 18,981.76 करोड़ रही। यह वित्तीय वर्ष 2017–18 में 84.21% की तुलना वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल व्यय का 99.72% रहा। गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 248.08 करोड़ (कुल व्यय का 1.23% और वित्त लागत का 1.46% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कार्मिक हितलाभ व्यय और अन्य व्यय ₹ 288.26 करोड़) कुल व्यय का 1.51% और वित्त लागत का 1.52% रहा, जिसमें प्रशासनिक व्यय, कार्यालय व्यय शामिल है।

2.4 लाभ

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 4,386.77 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹ 6,952.92 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी नवनियुक्त सचिव (विद्युत) श्री सुभाष चंद्र गर्ग, का पीएफसी में उनके दौरे के दौरान स्वागत करते हुए

2.5 कुल व्यापक आय

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 4,063.03 करोड़ की तुलना में ₹ 6,745.95 करोड़ की कुल व्यापक आय अर्जित की।

2.6 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 2,640.08 करोड़ थी, जिसमें प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य वाले 2,64,00,81,408 इक्विटी शेयर शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार (जीओआई) ने कंपनी के पास धारित 1,93,72,120 और 16,19,54,570 इक्विटी शेयर न्यू फंड ऑफर के संबंध में क्रमशः भारत 22 ईटीएफ और सीपीएसई ईटीएफ की एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) को हस्तांतरित किए। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की हिस्सेदारी 65.92% से घटकर 59.05% हो गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है, जिसमें लाभांश भुगतान की राशि ₹ 2,059.26 करोड़ रही।

3.0 प्रचालनात्मक कार्य–निष्पादन

आपकी कंपनी ने राज्य, केंद्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 95,230 करोड़ के ऋण की संस्वीकृति दी है। उसी अवधि के दौरान ₹ 67,678 करोड़ की राशि संवितरित की गई। इसके साथ 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से संस्वीकृत की गई कुल राशि ₹ 7,62,248 करोड़ तथा संवितरित की गई कुल राशि ₹ 5,87,446 करोड़ रही।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आईपीडीएस योजना के अंतर्गत ₹ 3,387 करोड़ की परियोजनाएं संस्वीकृत की गईं। इसमें से आईपीडीएस योजना के अंतर्गत ₹ 2,713 करोड़ तथा आर–एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत ₹ 867 करोड़ की राशि उसी अवधि में संवितरित की गई। इसके साथ ही संचयी रूप से अनुमोदित परियोजना लागत आईपीडीएस के अंतर्गत ₹ 32,059 करोड़ तथा आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत ₹ 35,327 करोड़ हो जाती है तथा विद्युत संस्थाओं को भारत सरकार की निधियों का संवितरण संचयी रूप से आईपीडीएस के अंतर्गत ₹ 7,852 करोड़ तथा आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत ₹ 12,017 करोड़ हो जाता है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान अपनी ऋण परिसंपत्तियों की कोई नीलामी नहीं की।

3.1 ऋण (लेंडिंग) (आर–एपीडीआरपी / आईपीडीएस को छोड़कर)

3.1.1 क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2018-19		मार्च 2019 तक संचयी रूप से	
	संस्वीकृतियां	संवितरण	संस्वीकृतियां	संवितरण
राज्य क्षेत्र	71971	58734	549291	428898
केंद्रीय क्षेत्र	1221	819	46069	43778
निजी क्षेत्र	5976	3608	47692	34783
संयुक्त क्षेत्र	16063	4516	119196	79988
जोड़	**95230**	**67678**	**762248**	**587446**

3.1.2 विषय–वार

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2018-19		मार्च 2019 तक संचयी रूप से	
	संस्वीकृतियां	संवितरण	संस्वीकृतियां	संवितरण
ताप–विद्युत उत्पादन	10239	16059	324073	261376
जल–विद्युत उत्पादन (>25 मेगावाट)	2271	134	48460	34887
नवीकरणीय ऊर्जा	8139	3900	29129	20094
ताप विद्युत केंद्रों और जल विद्युत–स्टेशनों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण और अपरेटिंग	443	152	12839	11052
पारेषण	10351	4222	71873	39499
वितरण	26156	12778	76037	36568
अल्पावधि ऋण	12211	12401	82613	80460
अन्य*	25420	18032	117224	103510
जोड़	**95230**	**67678**	**762248**	**587446**

*अन्य में, संधिकालिक वित्तपोषण, मध्यावधि ऋण, नियामक परिसंपत्तियों का निधीयन, क्रेताओं की ऋण सीमा (लाइन ऑफ क्रेडिट), उपस्कर विनिर्माण ऋण, ईंधन संसाधनों का विकास, बॉण्डों के मोचन (रिडेम्पशन) के लिए ऋण, परियोजना समाधान, पीएक्सआई के जरिए विद्युत क्रय, परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए ऋण, प्राप्त होने वाली धनराशियों के सापेक्ष ऋण, बिल में छूट, अध्ययन, पूर्व – निवेश निधि, तकनीकी सहायता परियोजना, विकेंद्रीकृत प्रबंध आदि शामिल हैं।

3.2 आईपीडीएस / आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

योजना	2018-19		मार्च, 2019 तक संचयी रूप से	
	अनुमोदित परियोजना लागत	संवितरण* (भारत सरकार निधि)	अनुमोदित परियोजना लागत	संवितरण*
आर–एपीडीआरपी				
भाग क (आईटी)	(219)	314	5156	4040
भाग क (एससीएडीए)	–	48	1251	639
भाग ख	(1977)	505	28920	7338
उप–जोड़	**(2196)**	**867**	**35327**	**12017**
आईपीडीएस				
आईपीडीएस	3387	2713	32059	7852

*उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत नोडल एजेंसी की फीस के रूप में / विभिन्न समर्थकारी कार्यकलापों के लिए ₹ 41 करोड़ की राशि जारी की गई, इसी प्रकार आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत पीएफसी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति सहित भाग–ग के अंतर्गत ₹ 59 करोड़ की राशि जारी की गई। संचयी रूप से विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत नोडल एजेंसी की फीस के रूप में / विभिन्न समर्थकारी कार्यकलापों के लिए ₹ 166 करोड़ और आर–एपीडीआरपी के भाग–'ग' अंतर्गत ₹ 471 करोड़ की राशि जारी की गई।

श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी पं. बंगाल और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प. बंगाल में कार्यान्वित किए जा रहे आईपीडीएस के विभिन्न पहलुओं की प्रगति की अपनी समीक्षा के दौरान राजारहाट–गोपालपुर, कोलकाता में न्यू टाउन एए–IIIC सब स्टेशन में इंस्टॉल किए गए 10 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर का शुभारंभ करते हुए

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आईपीडीएस/आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत एमओपी के साथ स्वीकृत एमओयू लक्ष्य और वर्ष के दौरान प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियों के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मानदंड	वित्तीय वर्ष 2018-19		संचयी	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	आईपीडीएस का कार्य पूर्ण होना (सर्कलों की संख्या)	223	223+	223	223+
2	आईपीडीएस चरण–II का कार्यान्वयन (कस्बों की संख्या)	350	365	350	365
3	ईआरपी कार्य को अवॉर्ड करना (विद्युत संस्थाओं की संख्या)	29	21*	29	21
4	भाग–क 'आईटी कार्य पूरा होना' का टीपीआईईए–आईटी द्वारा सत्यापन (कस्बों की संख्या) (संचयी)	605	357*	1400	1152
5	भाग–क के अंतर्गत एससीएडीए का कार्य पूरा होना (कस्बों की संख्या) (संचयी)	30	27*	55	52
6	क्षमता निर्माण (कार्य दिवस)	5,000	5,022	–	–

*नोट : एमओपी ने बाह्य घटकों के कारण एमओयू के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई कमी के लिए छूट प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिया है।

4.0 वसूली

आपकी कंपनी विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं जैसे कि रुपया सावधि ऋणों, कार्यशील पूंजी, लीज फाइनेंसिंग, विदेशी मुद्रा ऋणों, उपस्कर वित्तपोषण एवं गारंटी फीस के लिए ऋणों के अंतर्गत अपने मूलधन, ब्याज आदि की बकाया राशि की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष में 2018–19 में निष्पादनीय ऋण परिसंपत्तियों के लिए वसूली की दर 99.01% है।

वर्ष के दौरान चरण–III ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान में ₹ 780 करोड़ की कमी की गई है। कंपनी ने वर्ष 2018–19 तक अपने वार्षिक लेखाओं में ऋण परिसंपत्तियों की तुलना में चरण–III परिसंपत्तियों के लिए ₹ 15,021 करोड़ (एलओसी को छोड़कर) की कुल राशि का प्रावधान किया है। चरण–III वाली परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने के पश्चात निवल चरण–III परिसंपत्तियों का स्तर ₹ 14,332 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है, जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों का 4.55% है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार चरण–I ऋण परिसंपत्तियों तथा चरण–II ऋण परिसंपत्तियों के लिए क्रमशः ₹ 857 करोड़ तथा ₹ 303 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध करवाकर पीएफसी का तुलन–पत्र सुदृढ़ होगा और यह आपकी कंपनी में निवेशकों, नियामकों और अन्य स्टेकहोल्डरों का विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा।

5.0 ऋण की राशियां

5.1 जमा राशियां

आपकी कंपनी गैर–जमा राशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी है और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान इसने कोई भी सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोई भी सतत् ऋण लिखत (पीडीआई) जारी नहीं किए गए।

5.2 घरेलू बाजार से ऋण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान घरेलू बाजार से लिए गए प्रमुख ऋण निम्नानुसार हैं :– (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	राशि
1.	वाणिज्यिक पत्र (सीपी)	*9,634.38
2.	बॉण्ड – प्राइवेट प्लेसमेंट (कर योग्य)	25,862.50
3.	बॉण्ड – प्राइवेट प्लेसमेंट (धारा 54 ईसी)	491.95
4.	सावधि ऋण	41,979.00
	जोड़	**77,967.83**

*वर्ष के दौरान जुटाया और भुगतान किया गया ₹ 22,199.71 करोड़ का सीपी शामिल नहीं है।

5.3 नकद क्रेडिट/ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएं

अपने दिन–प्रति–दिन के प्रचालनों के लिए आपकी कंपनी ने निधि आधारित संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग के लिए विवेकपूर्ण रणनीतियों का अनुपालन जारी रखा। किसी भी वित्तीय चलनिधि को हेज़ करने के लिए अल्पकालिक निधीयन हेतु विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आपकी कंपनी को 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,600 करोड़ तक की बड़ी क्रेडिट लाइनें स्वीकृत की गईं, जिसके लिए अप्रयुक्त सीमाओं की मद में कोई प्रतिबद्धता प्रभार लागू नहीं होता है।

5.4 बाह्य ऋण

वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में लिए गए प्रमुख ऋण निम्नानुसार हैं:– (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	राशि
1.	एमटीएन/जीएमटीएन के अंतर्गत बॉण्ड	5,568
2.	सिंडीकेटिड ऋण	2,883
3.	एफसीएनआर (बी) ऋण*	2,031
	जोड़	**10,482**

*आरबीआई द्वारा जारी किए गए ईसीबी दिशा–निर्देशों के अनुसार एफसीएनआर (बी) ऋण बाह्य ऋण नहीं हैं।

हरित बॉण्ड

जलवायु बॉण्ड पहल, लंदन, यूके द्वारा यथानुमोदित पीएफसी के हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क की स्थापना अक्तूबर, 2017 में की गई। आपकी कंपनी ने अपने पहले यूएसडी हरित बॉण्ड दिसंबर, 2017 में जारी किए गए और 3.75% के कूपन में यूएस डॉलर 400 मिलियन की धनराशि जुटाई और ये बॉण्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज के नए अंतरराष्ट्रीय बाजार (आईएसएम) और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। पीएफसी हरित बॉण्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत "पात्र परियोजनाओं" के अनुसार इनसे जुटाई गई निधि का सदुपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, पीएफसी द्वारा वित्तपोषित सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के बकाया ऋणों की शेष राशियां क्रमशः ₹ 7,484 करोड़ और ₹ 6,961 करोड़ हैं।

5.5 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से कोई भी ऋण नहीं लिए गए। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ऐसी एजेंसियों से लिए गए ऋणों की बकाया राशियां निम्नानुसार हैं :

विवरण	राशि
केएफडब्ल्यू :	ईयूआर 61,87,159
क्रेडिट नेशनल	ईयूआर 64,67,904
एडीबी	यूएसडी 119,72,518

6.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी विनिमय अर्जन एवं बहिर्गमन (व्यय) से संबंधित विवरण

6.1 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन

चूंकि आपकी कंपनी के पास अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं हैं इसलिए ऊर्जा संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवरण लागू नहीं है।

6.2 विदेशी विनिमय अर्जन एवं बहिर्गमन (व्यय)

ऋण चुकाने, वित्तीय एवं अन्य प्रभारों, यात्रा तथा प्रशिक्षण व्यय हेतु एकीकृत रूप से ₹ 1424.29 करोड़ के विदेशी विनिमय का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के लिए विदेशी विनिमय अर्जन शून्य था।

7.0 क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के घरेलू कार्यक्रम के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल)	सीआरआईएसआईएल एएए	सीआरआईएसआईएल ए1+
2.	आईसीआरए (इकरा)	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	सीएआरई (केयर)	सीएआरई एएए	सीएआरई ए1+

अंतरराष्ट्रीय

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी को प्रदान की गई दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग:

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी–
2.	स्टैंडर्ड एंड पूअर (एस एंड पी)	बीबीबी–
3.	मूडीज़	बीएए3

ऊपर बताई रेटिंग वर्ष के दौरान एक समान बनी रही।

8.0 जोखिम प्रबंधन

8.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) गठित की गई है। एएलसीओ चलनिधि और ब्याज दर से संबंधित जोखिमों की मॉनीटरिंग करती है और एएलसीओ की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर भी नजर रखती है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन ढांचा (फ्रेमवर्क) में परिसंपत्ति प्राप्तियों और ऋण चुकाने संबंधी बाध्यताओं के दीर्घावधि चलनिधि प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। जहां एक ओर तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग चलनिधि अंतराल विश्लेषण की सहायता से की जा रही है, वहीं दूसरी ओर ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता संबंधी अंतराल विवरण के विश्लेषण के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसा विश्लेषण विभिन्न समय अवधि (बकेट) में तिमाही आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग समय, मात्रा और ऋण प्रोफाइल की परिपक्वता, नई परिसंपत्तियों के सृजन, समय अवधि (अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि) के संदर्भ में परिसंपत्तियों और देयताओं के मिश्रण और निर्धारित तथा परिवर्तनीय (फ्लोटिंग) ब्याज दरों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए किया जाता है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों व देयताओं की कुछ मदों का परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पैटर्न नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समय अवधि	जमा राशियां/ निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिन तक	14133.64	4955.46	21785.18	0.00	696.50
01 माह से अधिक और 02 माह तक	1833.07	1928.13	4915.00	0.00	0.00
02 माह से अधिक और 03 माह तक	0.00	1264.76	7495.20	0.00	2080.35
03 माह से अधिक और 06 माह तक	0.00	9225.21	10292.05	0.00	0.00
06 माह से अधिक और 01 वर्ष तक	0.00	16559.51	19088.10	0.00	3468.40
01 वर्ष से अधिक और 03 वर्ष तक	0.00	50663.28	76608.05	0.00	4971.67
03 वर्ष से अधिक और 05 वर्ष तक	0.00	49879.10	32730.60	0.00	9235.95
05 वर्ष से अधिक	0.00	165146.63	87160.38	23.84	8373.99

8.2 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति बनाई है। कंपनी ने मुद्रा वायदा, विकल्प, मूलधन विनिमय (स्वैप) और वायदा दर करारों जैसे विभिन्न लिखतों के माध्यम से मुद्रा विनिमय के लिए विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए कई हेजिंग लेन–देन करती है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा देयताओं के विवरण इस प्रकार हैं : 3612 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 60,079 मिलियन जापानी येन और 13 मिलियन यूरो, जिसमें से 2400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 9,670 मिलियन जापानी येन की हेजिंग की गई है। इसके अतिरिक्त, 8 वर्ष तक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के साथ विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफालियो की 85% राशि को हेज़ किया गया है।

8.3 एकीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी के विद्युत क्षेत्र को ऋण मुहैया कराने के व्यवसाय से जुड़े एक वित्तीय संस्थान होने के नाते अपने व्यवसाय के दौरान इसको कई प्रकार के जोख़िमों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में आपकी कंपनी ने एक एकीकृत उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएम नीति) लागू की थी। आईआरएम नीति का कार्यान्वयन करने के प्रयोजन से आपकी कंपनी ने अपने प्रचालनों में आने वाले विभिन्न जोख़िमों की मॉनीटरिंग करने के लिए निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन अनुपालन समिति गठित की थी।

आईआरएम नीति के अंतर्गत, कंपनी को उन प्रमुख जोखिमों की पहचान करनी होगी, जो उसके लाभ/राजस्व पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस संबंध में कंपनी ने 11 महत्वपूर्ण जोखिम मापदंडों की पहचान की है जो कि कंपनी के व्यापार मॉडल और वित्तीय लिखतों के इसके द्वारा उपयोग से उत्पन्न होते हैं। इन जोखिम मापदंडों में कंपनी के समक्ष आने वाले प्रमुख प्रचालनात्मक जोखिम, वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, विनियामक जोखिम आदि शामिल हैं और उनका निर्धारित जोखिम मूल्यांकन मानदंड के अनुसार नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए आपकी कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है कि पहचाने गए जोखिमों की सावधानीपूर्वक मॉनीटरिंग की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए।

9.0 अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी) और स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (आईटीपी)

9.1 यूएमपीपी

सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) का विकास विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार की एक पहल है जिसमें विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा आपकी कंपनी को 'नोडल एजेंसी' और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को एक तकनीकी भागीदार के रूप में नामित किया गया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एमओपी द्वारा विकास के लिए ऐसी सत्रह (17) अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की पहचान की गई है जो मध्य प्रदेश (1), गुजरात (2), छत्तीसगढ़ (1), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (1), आंध्र प्रदेश (2), झारखंड (2), तमिलनाडु (2), ओडिशा (3), बिहार (1) और उत्तर प्रदेश (1) में स्थित हैं।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) एमओपी और सीईए के साथ मिलकर बोली प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक प्रारंभिक साइट जांच गतिविधियों, भूमि अधिग्रहण गतिविधियों, भूमि और पानी, कोयला ब्लॉक, पर्यावरण आदि के लिए उपयुक्त विनियामक और अन्य अनुमोदन प्राप्त करने के लिए साइट विशिष्ट अध्ययन करती है। बोली प्रक्रिया का संचालन करें। सफल बोलीकर्ता से फिर इन परियोजनाओं को विकसित करने और लागू करने की उम्मीद की जाती है।

पीएफसी ने यूएमपीपी के लिए कुल 19 पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजनीय वाहन (एसपीवी) की स्थापना की। इनमें से, 14 ऑपरेटिंग एसपीवी को इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया का संचालन करने हेतु आवश्यक प्रारंभिक साइट जांच गतिविधियों को पूरा करने और पानी, पर्यावरण आदि के लिए उचित विनियामक और अन्य अनुमोदन प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इन ऑपरेटिंग एसपीवी को अंततः विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत एमओपी द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देशों के अनुसार एक टैरिफ आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता (ओं) को हस्तांतरित किया जाना है। सफल बोलीदाताओं से फिर इन परियोजनाओं को विकसित और लागू करने की उम्मीद की जाती है। ओडिशा यूएमपीपी, चेय्यूर यूएमपीपी, झारखंड में देवघर और तिलैया यूएमपीपी और बिहार यूएमपीपी के लिए भूमि और कोयला ब्लॉक होल्ड करने के लिए 5 अतिरिक्त बुनियादी ढांचा एसपीवी की स्थापना की गई। इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी को इन परियोजनाओं से विद्युत के संबंधित खरीदारों को हस्तांतरित किया जाएगा।

उपर्युक्त 19 में से 4 यूएमपीपी को सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित किया जा चुका है।

9.2 आईटीपी

विद्युत मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से पारेषण प्रणाली के विकास और सुदृढ़ीकरण हेतु भी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया शुरू की है।

इस पहल का उद्देश्य भारत में पारेषण क्षमता का विकास और आरंभिक सर्वेक्षण कार्य, मार्ग की पहचान, सर्वेक्षण रिपोर्ट की तैयारी, सब स्टेशनों, यदि कोई हैं, के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ करने, वन स्वीकृति, यदि आवश्यक है, प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने और बोली प्रक्रिया संचालित आदि करने के लिए आरंभिक कार्य पूर्ण होने पर ऐसी परियोजनाओं के विकास के पश्चात संभावित निवेशकों की तलाश करना है।

स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए अब तक 30 विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) की स्थापना की गई है। इसमें से 2 पीएफसी लिमिटेड द्वारा और अन्य 28 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन 30 एसपीवी में से 19 एसपीवी सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, 6 एसपीवी ऐसे हैं, जिनको बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, 4 एसपीवी बंद करने की प्रक्रिया में हैं तथा 1 एसपीवी अर्थात बोकारो–कोडरमा मैथन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का दिसंबर, 2010 में परिसमापन कर दिया गया है।

श्री आर के सिंह, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नई दिल्ली में आयोजित विद्युत मंत्रालय की आरपीएम बैठक के दौरान आईपीडीएस के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए फीडर मैनेजर अवॉर्ड देते हुए

10.0 एकीकृत विद्युत विकास योजना (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर– एपीडीआरपी) को इसमें आमेलित करने के बाद)

शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2014 में ''एकीकृत विद्युत विकास योजना'' (आईपीडीएस) नामक एक सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाता है:

i) शहरी क्षेत्रों में उप–पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण;

ii) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग;

iii) आर–एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय को आईपीडीएस के लिए आगे ले जाकर 12वीं और 13वीं योजनाओं के लिए आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत वितरण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सक्षम बनाना और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण;

iv) बकाया शहरी कस्बों में उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) और आईटी सशक्तिकरण। जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4041 कस्बों तक आईटी सुदृढ़ीकरण कार्यों का विस्तार किया गया है;

v) बेहतर कार्य–निष्पादन करने वाले यूडीएवाई (उदय) राज्यों के लिए स्मार्ट मीटरिंग समाधान और निवल मीटरिंग के साथ सरकारी भवनों पर सोलर पैनल;

vi) गैस इंसूलेटिड स्विचगियर (जीआईएस) सब–स्टेशन; और

vii) एसएआईडीआई/एसएआईएफआई जैसे विद्युत बाधित होने वाले मानदंडों के परिशुद्ध मापन के लिए वास्तविक समय आधार पर डाटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी – डीएएस) परियोजनाएं।

पूर्ववर्ती आर–एपीडीआरपी योजना को नई शुरू की गई आईपीडीएस योजना में आमेलित कर दिया गया है।

उपर्युक्त घटकों में से (iii) को छोड़कर शेष घटकों के लिए ₹ 32,612 करोड़ का अनुमानित परिव्यय रखा गया है, जिसमें कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान भारत सरकार की ओर से ₹ 25,354 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है।

सीसीईए द्वारा पहले से ही दिए गए अनुमोदन के अनुसार ₹ 22,727 करोड़ की बजटीय सहायता सहित ₹ 44,011 करोड़ की आर–एपीडीआरपी योजना लागत को आईपीडीएस की नई योजना के लिए आगे ले जाया जाएगा, जो ऊपर बताए गए ₹ 32,612 करोड़ के यथानिर्धारित परिव्यय के अतिरिक्त होगा।

कार्यान्वयन की प्रगति

आईपीडीएस

आईपीडीएस के अंतर्गत ₹ 28,940 करोड़ मूल्य के जारी किए गए एनआईटी में से ₹ 27,486 करोड़ मूल्य की परियोजनाएं पहले ही 546 स्वीकृत सर्किलों में से 531 में अवॉर्ड की जा चुकी हैं और उक्त सर्कलों में कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान आईपीडीएस के अंतर्गत भी समकक्ष ऋण के रूप में ₹ 753 करोड़ की राशि संस्वीकृत की और ₹ 1,650 करोड़ की राशि का संवितरण किया।

आर–एपीडीआरपी

अब तक किए गए उपायों से 21 डाटा केंद्रों में से 20 डाटा केंद्रों, 21 डिज़ास्टर रिकवरी सेंटरों में से 20 सेंटरों और 46 ग्राहक सेवा केंद्रों में से 44 ग्राहक सेवा केंद्रों (पुदुचेरी और ओडिशा को छोड़कर) को चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1378 कस्बों को गो–लाइव घोषित कर दिया गया है और शेष 27 कस्बों ओडिशा (12), तमिलनाडु (8), पुदुचेरी (4) और अरुणाचल प्रदेश (3) को गो–लाइव घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। 1378 गो–लाइव कस्बों में सभी व्यवसाय प्रक्रिया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल कार्यात्मक हैं और योजना के अंतर्गत लागू की गई आईटी प्रणाली से ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने आर–एपीडीआरपी के भाग–ख अंतर्गत के समकक्ष ऋण के रूप में ₹ 143 करोड़ और संचयी रूप से ₹ 662,662 करोड़ की राशि का संवितरण किया। 1227 कस्बों में से 1195 कस्बों में वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्यान्वयन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

59 स्वीकृत एससीएडीए नियंत्रण केंद्रों में से संचयी रूप से 57 नियंत्रण केंद्र चालू हो गए हैं और 59 स्वीकृत एससीएडीए कस्बों में से 52 में ये कार्य पूर्ण हो गए हैं।

प्रशासनिक और अन्य उपायों के साथ–साथ विभिन्न कस्बों में भाग–ख परियोजनाओं के पूरा होने और आईटी प्रणालियों की स्थापना के कारण 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 1081 आर–एपीडीआरपी कस्बों (कार्यान्वयन/गो लाइव के पश्चात वाली रिपोर्टों के अनुसार) में एटी एंड सी हानियों में कमी पहले ही दिखाई दे रही है। इस प्रकार, आपकी कंपनी वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत में सुधार की दिशा में अपना योगदान देती रहेगी।

अन्य विकास कार्य:

- आईपीडीएस की डीपीआर ऑनलाइन प्रस्तुत करने और एमआईएस के रख–रखाव के लिए प्रावधान के साथ **आईपीडीएस वेब पोर्टल में सुधार कार्य किया गया।** सुधारे गए वेब पोर्टल में गो लाइव के बाद सात मानदंडों अर्थात एटी एंड सी हानि में कमी, उपभोक्ता शिकायत निवारण, नया कनेक्शन जारी करना, उच्च हानि फीडर, बिजली विश्वसनीयता सूचकांक, फीडर मीटर संचार और डिजिटल भुगतान के साथ–साथ उनकी ग्राफिकल विश्लेषिकी को शामिल किया गया है। इन गो लाइव के बाद सात मानदंडों की मॉनीटरिंग मासिक आधार पर की जा रही है और राज्यों को इन मानदंडों में किए गए सुधार के आधार पर रैंक दी जा रही है, जो मासिक आरपीएम बैठकों में साझा किए जा रहे हैं। बिजली कंपनियों, कार्यक्रमों इत्यादि के लिए सभी मॉडल दस्तावेजों, दिशा–निर्देशों, लिंकों को समर्पित आईपीडीएस पोर्टल पर नियमित रूप से पोस्ट किया जा रहा है।
- आईपीडीएस वेब पोर्टल पर आईपीडीएस/आर–एपीडीआरपी की **वेब आधारित परियोजना मॉनीटरिंग** के लिए घरेलू स्तर पर एक प्रणाली विकसित की गई है। वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) नियमित अंतराल पर परियोजनाओं के अवॉर्ड संबंधी विवरण, क्रियान्वयन के विवरण के साथ–साथ उनकी वित्तीय प्रगति के विवरण भी पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड कर रही हैं। एमओपी/पीएफसी सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। आईटी चरण–II के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग, ईआरपी डीपीआर के संग्रहण, समकक्ष निधि प्राप्त करने और आईपीडीएस के अंतर्गत स्वयं की निधियों के विवरण के लिए परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली में नए टैब जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), एमओपी के अधिकारियों और बिजली कंपनियों के अधिकारियों के उपयोग के लिए अलग–अलग एमआईएस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं।
- बिजली कंपनियों के कार्मिकों की **क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण** भी आईपीडीएस – आरएपीडीआरपी के अंतर्गत किया जाता है ताकि उनके कौशल को बढ़ाया जा सके। क्षमता निर्माण कार्यक्रम को घरेलू स्तर पर कार्यान्वित किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 में 5,022 कार्य दिवस का लक्ष्य हासिल किया गया। एमओपी/पीएफसी सूचना के प्रसार के लिए परियोजना प्रबंधन, दिशा–निर्देशों, सर्वोत्तम पद्धतियों आदि पर कार्यशालाओं का आयोजन भी करते हैं। एमओपी/पीएफसी कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए भी दिशा–निर्देश जारी करते हैं। पीएफसी द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए बड़े पैमाने पर सहकर्मी–शिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की गई।
- पीएफसी ने विद्युत मंत्रालय की ओर से शहरी क्षेत्रों में वितरण परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, **शहरी विद्युत वितरण क्षेत्र** से उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संपर्क आदि के लिए **'ऊर्जा'** नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऐप मोटे तौर पर उपभोक्ता/डिस्कॉम डैशबोर्ड, आईपीडीएस और आर–एपीडीआरपी की मॉनीटरिंग को कवर करता है। ऐप में कस्बावार एटीएंडसी हानियों, नए सेवा कनेक्शन, उपभोक्ता शिकायत निवारण, सर्वोच्च एटी एंड सी हानियों वाले फीडर, एसएआईडीआई, एसएआईएफआई, फीडर मीटर कम्युनिकेशन, आर–एपीडीआरपी कस्बों का कस्बा वार ई–पेमेंट/डिजिटल पेमेंट और विभिन्न बिजली कंपनियों में डेली आउटेज शेड्यूल को भी दर्शाया गया है। 'ऊर्जा' ऐप का वेब संस्करण www.urjaindia.co.in नामक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी) के अभिन्न भाग के रूप में **ऑनलाइन फीडर मॉनीटरिंग प्रणाली** का विकास किया जा रहा है। पीएफसी के साथ–साथ एनआईसी इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 29 राज्यों में 49 डिस्कॉम का फीडर डाटा प्राप्त हो गया है और उसे एनपीपी पर एकीकृत किया गया। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शहरी कस्बों के लिए एनपीपी पर डिस्कॉम द्वारा 36673 फीडरों का मास्टर डाटा और 31696 फीडरों का लेन–देन डाटा एनपीपी पर अपलोड कर दिया गया है। उपर्युक्त डाटा के आधार पर ऑनलाइन रिपोर्टें तैयार की हैं और सुधार के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन से संगत डिस्कॉम के एमडी को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

- बिजली कंपनियों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर बिजली संबंधी शिकायतों के लिए लघु कोड **1912** को अपनाने के लिए समन्वय स्थापित किया गया। सभी 62 डिस्कॉमों में (सभी सेवा प्रदाताओं के साथ 61) में लघु कोड 1912 का कार्यान्वयन पहले से ही कर दिया गया है। 60 डिस्कॉमों में लघु कोड 1912 का कार्यान्वयन टोल फ्री सुविधा के रूप में किया गया है।
- पीएफसी ने विद्युत मंत्रालय की ओर से पूरी तरह से संविदा आधार पर शहरी विद्युत अभियंता (यूवीए) के रूप में आईपीडीएस परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है। पीएफसी ने ऐसे 41 यूवीए नियुक्त किए हैं। पीएफसी ने आईपीडीएस परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए 38 यूवीए विभिन्न डिस्कॉम में और 3 अपने मुख्यालय में तैनात किए हैं। 4 मार्च, 2016 को जारी किए गए अपने पत्र के माध्यम से एमओपी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, यूवीए की नियुक्ति पर होने वाला खर्च पीएफसी द्वारा वहन किया जा रहा है। रिक्त पदों को भरने के लिए त्यागपत्र/छंटनी के विरुद्ध 16 यूवीए/परामर्शदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
- एटी एंड सी हानियों को घटाने की दिशा में कार्य कर रहे डिस्कॉम/फीडर प्रबंधकों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजन से विद्युत मंत्रालय ने आईपीडीएस के अंतर्गत फीडर प्रबंधक मान्यता और पुरस्कार योजना शुरू की गई है। सभी विद्युत कंपनियों के बीच से 31 फीडर प्रबंधकों को फीडर पर एटी एंड सी हानियों में कमी/ऊर्जा बचत/राजस्व की बचत के संदर्भ में उनके कार्य–निष्पादन के आधार पर माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/सचिव (विद्युत) द्वारा समीक्षा, आयोजना और मॉनीटरिंग बैठक के दौरान पुरस्कृत किया जाता है। अब तक, डिस्कॉम के 65 फीडर प्रबंधकों को सितंबर, 2017 से अगस्त, 2018 की अवधि के लिए मासिक आधार पर उपर्युक्त श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। 18–20 जनवरी, 2018 के दौरान फीडर प्रबंधकों के बीच सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के लिए कोडाइकनाल में पहली फीडर प्रबंधक कार्यशाला आयोजित की गई और दूसरी फीडर प्रबंधक कार्यशाला पुदुचेरी में 28–30 सितंबर, 2018 के दौरान आयोजित की गई।
- आईपीडीएस के दिशानिर्देशों में बिजली कंपनियों द्वारा समवर्ती रूप से संचालित की जा रही परियोजनाओं में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत की गई आईपीडीएस योजनाओं के साथ–साथ अर्थात समवर्ती रूप से और कार्यान्वयन के बाद के मूल्यांकन के लिए पीएफसी (नोडल एजेंसी) द्वारा तृतीय पक्षकार की समवर्ती मूल्यांकन एजेंसी (टीपीसीईए) की नियुक्ति की परिकल्पना की गई है। पीएफसी ने योजना का सुचारु रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों में टीपीसीईए की नियुक्ति का कार्य पूरा कर लिया है। इनकी नियुक्तियां देश भर में 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 15 समूहों के लिए प्रतिलोम (रिवर्स) ई–नीलामी बोली प्रक्रिया के बाद की गई हैं। 490 सर्कलों में चरण–I का निरीक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है और अधिकांश विद्युत कंपनियों (यूटिलिटीज) में चरण–II का निरीक्षण चल रहा है।

इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक (ISUW 2019) में "राउंडटेबल ऑन वीमेन इन एनर्जी में पैनलिस्ट के तौर पर भाग लेती हुई श्रीमती पलका साहनी, आईएएस, कार्यापालक निदेशक (आईपीडीएस) जिसमें इन्होंने विद्युत वितरण कंपनी की अध्यक्षता के बारे में अपने अनुभव साझा किए

आरएपीडीआरपी / आईपीडीएस का प्रभाव मूल्यांकन

आरएपीडीआरपी का प्रभाव मूल्यांकन करने के प्रयोजन से नोडल एजेंसी को इस बात का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था कि इस योजना ने उपभोक्ताओं के जीवन को कैसे आसान बनाया है और डिस्कॉम को कैसे लाभान्वित किया है।

चार स्वतंत्र सलाहकारों द्वारा संचालित किए गए क्षेत्रवार अध्ययन के अनुसार,

- कुल 1405 आर–एपीडीआरपी कस्बों में से 249 कस्बों में एटी एंड सी हानियों की कटौती से वर्ष 2017–18 में ₹ 3052 करोड़ की बचत का अनुमान लगाया गया।
- नमूना लिए गए कस्बों में से 90% कस्बों में एटी एंड सी हानियों में कमी दर्ज की गई।
- सभी शहरी फीडरों पर लगभग 100% एएमआर आधारित मीटरिंग का लक्ष्य हासिल किया गया। टी एंड सी हानि में कमी के लिए फोकस को फीडर स्तर की ऊर्जा लेखापरीक्षा और इंटरवेंशन में स्थानांतरित किया गया।
- बड़े कस्बों में एससीएडीए के लागू होने से आउटेज के मामले में डाउनटाइम में कमी हुई है।
- 45 विद्युत संस्थाओं में स्थापित सेंट्रलाइज्ड कस्टमर केयर सेंटर ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और उपभोक्ताओं को सेवा प्रदायगी की गति में वृद्धि की है।
- स्पॉट बिलिंग मशीनों को लागू करने से बिलिंग की त्रुटियों में कमी हुई है।
- कई डिस्कॉम में उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि देखी गई है।
- भुगतान, शिकायत, ग्राहक सेवा आदि के लिए ऑनलाइन गेटवे ने लंबी कतारों और प्रतीक्षा में लगने वाले समय के घंटों को दूर किया है और उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बना दिया है।
- सभी डिस्कॉम द्वारा सार्वभौमिक ग्राहक सहायता संख्या ''1912'' की स्थापना और कार्यान्वयन किया गया है।
- वितरण अवसंरचना के बड़े पैमाने पर विस्तार के कारण वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार हुआ और बिजली की आपूर्ति में विश्वसनीयता आई है।
- आर–एपीडीआरपी के कार्यान्वयन में एबी केबलिंग के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

इसके अतिरिक्त, पूरी की जा चुकी आर–एपीडीआरपी परियोजनाओं के काम की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एमओपी द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद की भी नियुक्ति की गई है।

11.0 सुधार और पुनर्गठन की दिशा में पहलें

विद्युत कंपनियों का श्रेणीकरण

निधीयन के उद्देश्य से आपकी कंपनी राज्य केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों और परियोजना एसपीवी को ए++, ए+, ए, बी, सी और 'गैर–अनुक्रियाशील' श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। राज्य की विद्युत उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों का श्रेणीकरण (द्विवार्षिक) इनके प्रचालन एवं वित्तीय कार्य–निष्पादन जिसमें नियामक वातावरण, लेखापरीक्षित लेखे तैयार करने आदि शामिल है, सहित विशिष्ट मानदंडों के विरुद्ध बिजली कंपनियों के कार्य–निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (एकीकृत प्रचालन के साथ एसईबी / कंपनियों सहित) के संबंध में आपकी कंपनी की मानक श्रेणीकरण नीति में ऐसी रेटिंग / ग्रेडिंग को पीएफसी की मानक श्रेणियों अर्थात ए++,ए+ ए, बी और सी श्रेणियों के साथ संरेखित करते हुए विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग को अपनाने का प्रावधान किया गया है।

यह श्रेणीकरण आपकी कंपनी को क्रेडिट एक्सपोजर सीमाओं का विनिर्धारण करने और राज्य की विद्युत कंपनियों को दी जाने वाली क्रेडिट सीमा व ऋण की लागत निर्धारित करने में समर्थ बनाता है। 25 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार 127 विद्युत कंपनियों की श्रेणियां बनाई गई जिनमें से 13 को ''ए++'', 43 को ''ए+'', 39 को ''ए'', 17 को ''बी'', 13 को ''सी'' और 2 को 'गैर–अनुक्रियाशील' श्रेणी में रखा गया।

राज्य विद्युत कंपनियों की तिमाही और वार्षिक कार्य–निष्पादन रिपोर्ट

आपकी कंपनी राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों (एसपीयू) के कार्य–निष्पादन पर वार्षिक आधार पर एक रिपोर्ट संकलित करता है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीनतम रिपोर्ट संकलित की जा रही है। यह रिपोर्ट प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक मानदंडों पर राज्य क्षेत्र की विद्युत कंपनियों के कार्य–निष्पादन का एक व्यापक अध्ययन है। रिपोर्ट में प्रमुख कार्य–निष्पादन मानदंड अर्थात लाभप्रदता, आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूली (₹ प्रति किलोवाट) के बीच अंतर, निवल मूल्य, नियोजित पूंजी, प्राप्त होने वाली राशियों, देय राशियां, क्षमता (मेगावाट), उत्पादन (एमकेडब्ल्यूएच), एटी एंड सी हानियों का प्रतिशत (%) आदि और कंपनी, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र में खपत के पैटर्न का विश्लेषण शामिल हैं ।

12.0 नीतिगत पहलें

आपकी कंपनी अपने नीतिगत फ्रेमवर्क की नियमित रूप से समीक्षा करती है, जिससे कि इसे बाजार आवश्यकताओं और विद्युत क्षेत्र की मौजूदा स्थितियों के अनुरूप बनाया जा सके। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित नीतिगत पहलें शुरू की गईं :

- आपकी कंपनी ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मौजूदा बाजार वातावरण के साथ नवीकरणीय क्षेत्र के लिए अपनी ऋण संबंधी शर्तों को संरेखित किया है।

श्री एन बी गुप्ता, निदेशक (वित्त) अपने गतिशील और असाधारण नेतृत्व के लिए तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री से मुंबई में आईसीएआई का ''लीडर्स एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवॉर्ड प्राप्त करते हुए

- मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी लाने और तुलनात्मक रूप से अधिक कारोबार पर अपना कब्जा जमाने के प्रयोजन से आपकी कंपनी ने सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रस्तावों की ऑनलाइन जांच शुरू की है।
- कंपनी ने तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापार आकर्षित करने के लिए सपांर्श्विक (कोलेटरल) प्रतिभूतियों के परिपक्वता से पहले भुगतान और जारी करने के लिए बाजार के अनुकूल नीतियां पेश की हैं।
- एमओपी की सलाह पर, डिस्कॉम द्वारा आईपीपी को शीघ्र भुगतान करने के लिए तंत्र विकसित किया जा रहा है।
- निजी परियोजनाओं के लिए परियोजना और प्रमोटर रेटिंग ढांचे सहित मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया को गतिशील और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
- एलओयू के संदर्भ में बैंकिंग उद्योग में हाल की घटनाओं के आलोक में धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षोपाय के लिए पीएफसी द्वारा जारी किए गए एलओसी की जांच के लिए बैंकों के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई।

13.0 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण

आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के संगत प्रावधानों से छूट प्राप्त है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान किए गए इक्विटी निवेश के विवरण नीचे दिए अनुसार है :–

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पीएफएसी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल), जो पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी और पावरग्रिड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, में इक्विटी अंशदान के लिए ₹ 124 करोड़ की राशि का अतिरिक्त निवेश करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। उपर्युक्त अनुमोदन में से पीएफसी ने पहले चरण (ट्रेंच) में 27 अप्रैल, 2018 को जारी किए गए ईईएसएल के अधिकार प्राप्त इश्यू में प्रत्येक ₹ 10 के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करते हुए उसे 99,00,00,000 की राशि आबंटित की है और यह धनराशि पीएफसी को 02 जुलाई, 2018 को ईईएसएल द्वारा आबंटित की गई।

- पीएफसी ने 28 मार्च, 2019 को ₹ 14,499,99,50,186 की राशि में ₹ 139,5036 प्रति शेयर की दर से प्रत्येक ₹ 10 के 10,39,399,343 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया है।

भारत सरकार के आरईसी लिमिटेड के 1,03,93,99,343 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों का प्रबंधन नियंत्रण के साथ अधिग्रहण करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के साथ संबंधित पक्षकार लेन–देन का अनुमोदन करने के लिए पीएफसी की असाधारण आम बैठक में श्री मनोहर बलवानी (कंपनी सचिव), श्री पी के सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक), श्री एन बी गुप्ता, निदेशक (वित्त), श्री सी गंगोपाध्याय, पूर्व निदेशक (परियोजना), श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, श्री सीताराम पारीक, (स्वतंत्र निदेशक), श्री बीरेन्द्र कुमार, (सीवीओ) और श्री विशाल कपूर, निदेशक, विद्युत मंत्रालय

14.0 सहायक कंपनियां

- आपकी कंपनी अपने परामर्शी सेवा समूह (सीएसजी) के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को अक्तूबर 1999 से ही परामर्शी सहायता उपलब्ध करा रही थी। सीएजी यूनिट के अनुभव का लाभ उठाते हुए और इस समूह द्वारा दी गई सेवाओं की प्रशंसा करके तथा विद्युत क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में ऐसी सेवाओं की क्षमता को पहचानकर आपकी कंपनी ने इन सेवाओं को एक विशेष समर्पित व्यवसाय निकाय के अंतर्गत संगठित करने का फैसला लिया। तद्नुसार, इसके कार्यकलापों और प्रचालनों में अपेक्षित स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने के प्रयोजन से दिनांक 25 मार्च, 2008 को आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में पीएफसी कंसल्टिंग लि. (पीएफसीसीएल) का गठन किया गया।
- इक्विटी वित्तपोषण के क्षेत्र में अतिरिक्त कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी) की स्थापना की गई थी। तथापि, पीएफसी द्वारा इसका अधिग्रहण किए जाने के बावजूद भी व्यापारिक प्रस्तावों के अभाव में यह कोई भी कारोबार करने में सफल नहीं रही और तदनुसार विद्युत मंत्रालय से इस कंपनी को बंद करने और कंपनियों के पंजीयक के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम हटवाने के लिए अनुमोदन मांगा गया। विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 से 252 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी को बंद करने/कंपनियों के पंजीयक के रिकॉर्ड से पीईसीएपीएस का नाम हटवाने के लिए अपने दिनांक 19 मार्च, 2019 के पत्र फा. सं. 7/13/2012–पीएफसी डेस्क (1) के जरिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है। इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 फरवरी, 2019 के आदेश के अनुक्रम में पीएफसी कैपिटल एडवायज़री सर्विसिज़ लिमिटेड (पीएफसी सीएएस), (आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) का निर्धारित तारीख अर्थात 1 अप्रैल, 2018 से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के साथ विलय कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 7 फरवरी, 2019 के आदेश के अनुक्रम में पीएफसी ग्रीन एनर्ज़ी लिमिटेड (पीएफसी जीईएल) (आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) का निर्धारित तारीख अर्थात 1 अप्रैल, 2017 से आपकी कंपनी के साथ विलय कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपकी कंपनी को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास को सुकर बनाने के लिए 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है और इसके पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी यानि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए एक 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए आपकी कंपनी द्वारा निम्नलिखित विशेष प्रयोजनीय वाहनों (एसपीवी) की स्थापना कंपनी की सहायक कंपनियों/मानद सहायक कंपनियों के रूप में की गई है:

  i) छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (पूर्ववर्ती अकलतरा पावर लिमिटेड)

  ii) कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड

  iii) कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

iv) कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
v) उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
vi) सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
vii) घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
viii) तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
ix) देवघर मेगा पावर लिमिटेड
x) चेय्यूर इन्फ्रा लिमिटेड
xi) ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
xii) देवघर इंफ्रा लिमिटेड
xiii) बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
xiv) बिहार मेगा पावर लिमिटेड
xv) झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड
xvi) बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड'
xvii) टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड'
xviii) मोहिंदरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड'
xix) दक्षिण–केंद्रीय पूर्वी दिल्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड'
xx) बिजावर–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड'
xxi) शोगटोंग करचम–वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड'
xxii) वापी II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड'
xxiii) लाकडिया – वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड'
xxiv) बीकानेर – खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड'
xxv) फतेहगढ़ ट्रांस्को-II लिमिटेड'
xxvi) भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड'

*पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी

- वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 28 मार्च 2019 को आरईसी लिमिटेड (आरईसी) में भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित 52.63% की शेयरधारिता (प्रत्येक ₹ 10 के 10,39,399,343 इक्विटी शेयर) का ₹ 14,499,99,50,186 की राशि में ₹ 139,5036 प्रति शेयर की दर से अधिग्रहण किया। इस निवेश के फलस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में आपकी कंपनी आरईसी की धारक कंपनी बन गई है और आरईसी लिमिटेड पीएफसी की एक सहायक कंपनी बन गई है। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आरईसी की निम्नलिखित सहायक कंपनियां पीएफसी की सहायक कंपनियां बन गई हैं :

i) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
ii) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
iii) कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
iv) मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड
v) डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड
vi) चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
vii) दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
viii) भिंड – गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
ix) जम खम्बालिया ट्रांसमिशन लिमिटेड
x) अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड
xi) डब्ल्यूआरएसएस (ए) ट्रांस्को लिमिटेड
xii) उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड
xiii) खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड
xiv) लाकडिया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड

- इसके अतिरिक्त, चूंकि पीएफसी ने 28 मार्च, 2019 को आरईसी का अधिग्रहण कर लिया है, अतः एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (ईईएसएल) में आरईसी की शेयरधारिता अर्थात 21.70% को जब ईईसीएल में पीएफसी की शेयरधारिता अर्थात 36.36% के साथ मिला दिया जाता है, तो यह 58.06% हो जाती है। तद्नुसार चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में आपकी कंपनी ईईसीएल की धारक कंपनी बन गई है और ईईसीएल पीएफसी की एक सहायक कंपनी बन गई है, इसके फलस्वरूप 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की निम्नलिखित सहायक कंपनियां अब पीएफसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां बन गई हैं :

i) क्रीघटन एनर्जी लिमिटेड
ii) ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट लिमिटेड

iii) एनेस्को एनर्जी सर्विसिज (साउथ) लिमिटेड
iv) ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड
v) एडीना पावर सर्विसिज़ लिमिटेड
vi) एडीना यूके लिमिटेड
vii) अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड
viii) एडीना मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड
ix) एडीना एक्विजिशन लिमिटेड
x) एडीना लिमिटेड
xi) एडीना ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड
xii) स्टैनबेक लिमिटेड
xiii) एडीना पावर लिमिटेड

विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में पीएफसी में आयोजित समारोह में चार (04) राज्य डिस्कॉमों अर्थात बिहार, प. बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु ने पीटीसी इंडिया लि. के साथ विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए। साथ ही आईपीपी और पीटीसी इंडिया लि. के बीच विद्युत आपूर्ति करारों सात (07) पर भी हस्ताक्षर किए गए

14.1 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

पीएफसीसीएल को विद्युत क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं को बढ़ावा देने, संगठित करने और संचालित करने का अधिदेश दिया गया और यह अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) के विकास से संबंधित कार्य भी कर रही है। पीएफसीसीएल को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के लिए विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) के चयन हेतु ''बोली प्रक्रिया समन्वयक'' (बीपीसी) के रूप में नामित किया गया है।

पीएफसीसीएल द्वारा प्रस्तावित सेवाएं व्यापक रूप से इन क्षेत्रों में है :–

- विद्युत अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सुधार, पुनर्गठन और नियामक पहलू आदि जैसे मुद्दों पर सलाहकारी सेवाएं।
- विद्युत क्षेत्र के विभिन्न खंडों के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया
- परियोजना गठन / योजना / विकास / विशेष अध्ययन, कार्यान्वयन मॉनीटरिंग, दक्षता सुधार परियोजनाएं
- मानव संसाधन प्रबंधन योजना

- संगठन कार्य–निष्पादन सुधार योजनाओं की तैयारी
- विद्युत क्षेत्र हेतु संविदा से संबंधित सेवाएं
- वित्तीय प्रबंधन, संसाधन जुटाना, लेखांकन प्रणाली आदि
- कोयला ब्लॉक विकास
- नवीकरणीय तथा गैर–पारंपरिक ऊर्जा परियोजना विकास, इसमें ''अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं'' भी शामिल है।
- वितरण प्रणाली सुधार योजना के लिए सलाहकारी सेवाएं
- आईपीडीएस तथा डीडीयूजीजेवाई योजनाओं के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप
- स्मार्ट ग्रिड के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा चयन
- विद्युत की खरीद के लिए डीईईपी पोर्टल के अंतर्गत बोली प्रक्रिया (अल्पावधि, मध्यावधि और पायलट योजनाओं के लिए)
- इक्विटी के अधिग्रहण और हस्तांतरण से संबंधित परामर्शी सेवाएं
- भूमि बैंक और शेयरों का मूल्यांकन
- जीएसटी के कार्यान्वयन का (आकलन) मूल्यांकन
- ऊर्जा पोर्टफोलियों का प्रबंधन
- एलआईई, एलआईए और टीईवी अध्ययन

अब तक, पीएफसीसीएल द्वारा 24 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में फैले 68 उपभोक्ताओं को परामर्शी सेवाएं प्रदान की गईं हैं। अब तक पूरे किए गए कुल कार्यों की संख्या 115 है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पीएफसीसीएल की कुल आय ₹ 70.17 करोड़ रही जबकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में यह ₹ 79.73 करोड़ थी, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पीएफसीसीएल का निवल मूल्य ₹ 91.74 करोड़ रहा जबकि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार यह ₹ 198.32 करोड़ था और पीएफसीसीएल द्वारा पिछले राजकोषीय वर्ष में ₹ 26.88 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 22.00 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया गया।

आरईसी लिमिटेड ने पीएफसी के साथ कार्य–निष्पादन आधारित एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरईसी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों का विवरण दिया गया है। इस एमओयू पर श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी और अजीत कुमार अग्रवाल सीएमडी, आरईसी द्वारा पीएफसी और आरईसी लि. के कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

14.2 आरईसी लिमिटेड

पीएफसी ने 28 मार्च, 2019 को ₹ 139.5036 प्रति शेयर की दर से ₹ 1,44,99,99,50,186/– के प्रतिफल पर भारत के राष्ट्रपति से आरईसी के 103,93,99,343 के इक्विटी शेयरों (आरईसी लिमिटेड की शेयर पूंजी के 52.63% को दर्शाते हुए) का अधिग्रहण किया।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड चूंकि आरईसी की धारक कंपनी और साथ ही एक प्रोमोटर भी बन गया है।

आरईसी लिमिटेड भी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न केंद्रीय क्षेत्र सार्वजनिक उद्यम और एक अग्रणी अवसंरचना वित्तीय कंपनी है। आरईसी भी एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण, गैर–जमा राशियों को स्वीकार करने वाली, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। इसके व्यापारिक कार्यकलापों में विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण, चाहे वह उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों न हो, शामिल है। आरईसी राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य विद्युत कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत क्रेताओं, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान ₹ 1,15,957 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए और उसी अवधि के दौरान ₹ 72,165 करोड़ की राशि संवितरित की।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान आरईसी की कुल आय ₹ 25,341.16 करोड़ रही जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2017–18 में यह ₹ 22,467.35 करोड़ थी और वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान आरईसी लिमिटेड द्वारा पिछले राजकोषीय वर्ष में ₹ 4,419.89 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹ 5,763.72 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया गया।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य–निष्पादन के विवरण इसकी वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

14.3 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) को 10 दिसंबर 2009 को स्थापित किया गया। ईईएसएल को भारत और विदेश दोनों में ही एनर्जी एफिशिएंसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक कंपनी द्वारा 25% की समान इक्विटी सहभागिता के साथ पावरग्रिड, एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रोमोट किया गया। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में आपकी कंपनी की हिस्सेदारी 36.36% है।

28 मार्च, 2019 को आरईसी लिमिटेड (आरईसी) में इसकी नियंत्रक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप ईईएसएल को वर्ष के दौरान एसोसिएट कंपनी के बजाय एक सहायक कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार इसकी 36.36% स्वामित्व शेयरधारिता आपकी कंपनी के पास और 21.70% स्वामित्व शेयरधारिता आरईसी लिमिटेड के पास है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान ईईएलएल की कुल आय ₹ 1935.67 करोड़ रही जबकि वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में यह ₹ 1410.70 करोड़ थी, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल का निवल मूल्य ₹ 839.97 करोड़ रहा जबकि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार यह ₹ 644.43 करोड़ था और ईईएसएल द्वारा पिछले राजकोषीय वर्ष में ₹ 39.46 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 –19 के दौरान ₹ 95.10 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया गया।

15.0 संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनियां और अन्य प्रमुख निवेश

15.1 पीटीसी इंडिया लिमिटेड

पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पीटीसी) का संवर्धन पावरग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी और पीएफसी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पीएफसी ने पीटीसी में ₹ 12 करोड़ का निवेश किया है जो पीटीसी की कुल इक्विटी के 4.05% के बराबर है। पीटीसी भारत में पावर ट्रेडिंग सामाधान उपलब्ध कराने वाली एक अग्रणी कंपनी है। भारत सरकार ने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी की शुरूआत की है, जिसका प्राथमिक फोकस देश में वाणिज्यिक रूप से अधिक सक्रिय विद्युत बाजार का विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पीटीसी ने 62.49 बीयू के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ अपने नेतृत्व का स्थान बरकरार रखा है। पीटीसी ने वर्ष के दौरान ₹ 262.32 करोड़ का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है।

15.2 पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड

पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) भारत का पहला संस्थागत रूप में संवर्धित पावर एक्सचेंज है जो भारतीय विद्युत बाजार का कायाकल्प करने के लिए नवाचारी और विश्वसनीय समाधान उपलबध कराता है। पीएक्सआईएल विद्युत के कारोबार के लिए राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करता है और विद्युत कारोबार तथा पारेषण स्वीकृति से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, इसके साथ–साथ यह पारदर्शी, तटस्थ और दक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। पीएक्सआईएल बहुत से उत्पाद जैसे डे अहेड, डे अहेड कंटिंजेंसी, एनी डे, इंट्रा डे और साप्ताहिक संविदा आदि प्रस्तावित करता है। पीएक्सआईएल नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पीएक्सआईएल के इक्विटी शेयरों में पीएफसी ने ₹ 3.22 करोड़ का इक्विटी निवेश किया है। पीएक्सआईएल के निवल मूल्य में ह्रास के कारण पीएफसी ने अपनी खाताबही में निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के रूप में ₹ 3.22 करोड़ की पूरी निवेश राशि का प्रावधान किया है।

15.3 श्री महेश्वर जल–विद्युत निगम लिमिटेड

जून, 2016 में पीएफसी ने श्री महेश्वर जल–विद्युत निगम लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल) के ऋणदाताओं में से एक ऋणदाता होने के

नाते समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 30 नवंबर, 2006 के गिरवी विलेख और दिनांक 29 सितंबर, 2006 के अधीनस्थ ऋण करार के अनुसार एसएमएचपीसीएल के प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों को पीएफसी के पक्ष में तलब करते हुए और उप ऋण वाले ऋण को आंशिक रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करते हुए अपने कानूनी अधिकारों का प्रवर्तन किया है। गिरवी रखे गए शेयरों को तलब करने और उप–ऋण के परिवर्तन के फलस्वरूप एसएमएचपीसीएल में पीएफसी की शेयरधारिता ₹ 10 के प्रत्येक शेयर के रूप में 13,18,46,779 इक्विटी शेयर रह गई है, जो एसएमएचपीसीएल की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 23.32% के समतुल्य है। तथापि मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

16.0 भारत सरकार के साथ समझौता–ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2004–05 को छोड़कर वित्तीय वर्ष 1993–94 से आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा लगातार ''उत्कृष्ट रेटिंग'' प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के लिए भी आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट रेटिंग' प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के लिए कंपनी की रेटिंग अभी प्रतीक्षित है।

17.0 राष्ट्रपति जी के निदेश

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 03 अगस्त 2017 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 04 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों और निदेशक मंडल स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों के लिए 01 जनवरी, 2017 से वेतनमान संशोधन करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 मई, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति के निदेश जारी किए गए। राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसरण में पीएफसी ने दिनांक 01 जनवरी, 2017 से कंपनी के निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों और निदेशक मंडल स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों के लिए वेतनमान के साथ साथ अन्य लाभों और भत्तों की समीक्षा कर ली गई है।

वरिष्ठ पीएफसी अधिकारीगण एवं एनबीसीसी और एसएसटीएचआई की उपस्थिति में पीएफसी की सीएसआर पहल के अंतर्गत मेरठ में 'बृज मोहन स्कूल' के निर्माण के लिए ₹ 4.43 करोड़ की राशि प्रदान करने हेतु पीएफसी, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और स्वामी सत्यानंद ट्रस्ट फॉर हेंडीकेप्पड के बीच एमओए हस्ताक्षर किया गया

18.0 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता (सीएसआर और संधारणीयता) नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी समाजिक रूप से उत्तरदायी निगमित कंपनी हो तथा वह बड़े पैमाने पर समाज के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो। इसका मुख्य फोकस संधारणीय विकास के लिए परियोजनाओं को पूरा करते हुए समाज की विद्युत और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है।

पीएफसी ने अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति का कार्यान्वयन पूरी ईमानदारी और जोश के साथ किया है। सीएसआर से जुड़ी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए पीएफसी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर पर निदेशकों की सीएसआर और एसडी समिति गठित की है।

वर्ष के दौरान पीएफसी ने पर्यावरणीय संधारणीयता, कौशल विकास, साफ–सफाई, स्वास्थ्य देख–रेख के क्षेत्र में बहुत से कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया है और दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, डीपीई ने अपने दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई को अपने सीएसआर बज़ट की राशि सैद्धांतिक कार्यक्रमों (अर्थात वर्ष 2018 – 19 के लिए स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख) में खर्च करने के निदेश दिए हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली 2014 के नियम 2 (च) (ii) के अनुसार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली और इसकी धारा 135 का अनुसरण करने वाली अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कर पूर्व औसत एकल लाभ के 2% के आधार पर ₹ 148.15 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया है।

किसी एक वर्ष में स्वीकृत की गई परियोजनाएं आगामी अर्थात उत्तरवर्ती वर्ष में पूरी की जाती हैं और परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित विभिन्न चरणों के लक्ष्यों के आधार पर भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर का बजट समाप्त नहीं होता है और खर्च न की गई राशि को अगले में उसी प्रयोजन के लिए खर्च करने हेतु आगे ले जाया जाता है, जिसके लिए यह आबंटित किया गया था।

तद्नुसार वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल राशि ₹ 279.38 करोड़ (अर्थात वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के लिए ₹ 148.15 करोड़ और पिछले वर्षों से आगे लाई गई राशि ₹ 131.23 करोड़) रही। तथापि, इसमें से वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान ₹ 100.50 करोड़ की राशि खर्च की गई।

कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली के अनुसरण में सीएसआर रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

भगवान महावीर कैंसर हॉस्पीटल एवं रिसर्च सेंटर (बीएमसीएचआरसी), जयपुर को सर्जिकल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप डोनेट करते हुए श्री राजीव शर्मा, सीएमडी। पीएफसी ने सर्जिकल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रादन की है। इस अवसर पर श्री सीताराम पारीक, (स्वतंत्र निदेशक), श्री पी के सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) और पीएफसी एवं बीएमसीएचआरसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे

19.0 मानव संसाधन विकास (एचआरडी) संबंधी पहलें

विकास और प्रशिक्षण

निगमित लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट कौशल विकास सुनिश्चित करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान घरेलू स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा गया। अन्य आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के साथ–साथ केवाईसी नीति, कार्यपालक विकास कार्यक्रम, नेतृत्व एवं टीम भावना निर्माण, मूल्यांकन और संवितरण प्रक्रियाओं, आउटबाउंड अनुभव आधारित अधिगम, सकारात्मक चिंतन का विकास, तनाव और स्वास्थ्य प्रबंधन आदि जैसे जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2018 – 2019 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा अपने कार्मिकों के लिए घरेलू स्तर पर ऐसे 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। घरेलू स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर और बाह्य प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों के लिए पीएफसी के कार्मिकों को प्रायोजित कर कुल मिलाकर 2219 कार्य दिवस का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

मनोरंजन संबंधी कार्यकलाप

आपकी कंपनी जिम्नेज़ियम, पुस्तकालय, टेबल टेनिस आदि जैसी सुविधाओं तथा विभिन्न खेल–कूद, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यकलापों में कार्मिकों की भागीदारी के माध्यम से अपने कार्मिकों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री पी.के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में एक विद्यार्थी को ट्रॉफी देते हुए। चित्रकला प्रतियोगिता विद्युत मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम है और बीईई एवं पीएफसी दिल्ली एनसीआर में प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी है

पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में आपकी कंपनी पीएससीबी के सदस्य संगठनों के कार्मिकों के लिए प्रत्येक वर्ष इंटर–सीपीएसयू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करती आ रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पीएफसी ने पीएससीबी के तत्वावधान में 23वें इंटर–सीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया। पीएफसी के कार्मिकों ने पीएससीबी के सदस्य संगठनों द्वारा आयोजित की गई विभिन्न इंटर–सीपीएसयू स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, कबड्डी आदि में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इन खेलों में भाग लेने के फलस्वरूप कार्मिकों में बेहतर टीम भावना पैदा हुई और उनकी फिटनेस में सुधार हुआ।

कार्मिकों को आपकी कंपनी ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय एकता दिवस और 19 नवंबर, 2018 से 26 नवंबर, 2018 के दौरान कौमी एकता सप्ताह का आयोजन किया। इस दौरान कार्मिकों के बीच नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कंपनी द्वारा 1 फरवरी, 2019 से 25 फरवरी, 2019 के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया गया और इस दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता के आयोजन के साथ साथ कार्मिकों के लिए इस विषय पर एक विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया गया। नववर्ष, स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों को यादगार बनाने के लिए सामूहिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और कार्मिकों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इनमें भाग लिया। पीएफसी के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर पीएफसी भवन परिसर में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री अशोक चक्रधर, श्री हरि ओम पंवार, श्री प्रताप फौजदार और श्री विनीत चौहान जैसे ख्यातिलब्ध कवियों ने अपनी कविताओं से पीएफसी के कार्मिकों का मनोरंजन किया।

मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी मानव संसाधनों के अधिग्रहण और उन्हें संगठन में बनाए रखने के लिए प्रभावी तंत्र लागू किया है, जिसे संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ निगमित प्रक्रियाओं के साथ बेंचमार्क के रूप में माना जाता है। यह अन्य कार्यनीतिक हस्तक्षेपों के अलावा मानव संसाधन प्रबंधन का प्रभावी नेतृत्व करती है जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

कंपनी के भीतर कार्मिकों के साथ औद्योगिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे और सामंजस्य बना रहा, इसके फलस्वरूप कार्मिक पूरी तरह से कंपनी के उद्देश्यों के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक भी कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ। 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान कार्य दिवस हानि दर की गणना शून्य के रूप में की गई।

पीएफसी के स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या में दीप प्रज्वलन करते हुए श्री आर के सिंह, माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

कल्याणकारी उपाय

आपकी कंपनी उत्तम प्रबंधन पद्धतियों का पालन करने का प्रयास करती है। कंपनी के कार्मिक उच्च प्रबंधन तक पहुंच बनाकर कंपनी के प्रबंधन और प्रगति में प्रभावशाली ढ़ंग से अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यबल की प्रतिबद्धता, कल्याणकारी उपायों के एक प्रभावशाली पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है जिसमें विस्तृत बीमा, चिकित्सकीय सुविधाएं और अन्य सुख–सुविधाएं शामिल हैं, जो बदले में एक स्वस्थ कार्यबल का सृजन करती हैं। इस अवधि के दौरान कार्मिकों के कल्याण के लिए चिकित्सा सहायता नियमावली और शिशु देखभाल छुट्टी नियमावली में संशोधन जैसी कई नई पहलें शुरू की गईं।

पदों का आरक्षण

समूह	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल कार्मिकों की संख्या	एससी	एससी%	एसटी	एसटी%	ओबीसी	ओबीसी%
क	474	83	17.51%	28	5.91%	81	17.08%
ख	6	1	16.67%	1	16.67%	0	0.00%
ग	17	3	17.65%	1	5.88%	3	17.65%
घ	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
कुल	**498**	**87**	**17.47%**	**30**	**6.02%**	**84**	**16.87%**

पीएफसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ईएसएम/दिव्यांग कार्मिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करती है। उठाए गए कदमों में यथालागू आरक्षण और विभिन्न निदेशों के अंतर्गत छूट शामिल हैं, जो सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के मामलों में भी लागू होती है। आरक्षण के मामले को देखने के लिए अलग अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

महिला कार्मिकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी में महिलाएं महत्वपूर्ण तथा जटिल प्रकार्यात्मक दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। महिलाओं ने पदानुक्रमिक स्तरों पर भी सभी पदों का प्रतिनिधित्व किया है। आपकी कंपनी अपनी महिला कार्मिकों को इस विषय पर भारत सरकार की नीति और सिद्धांत के अनुसार उन्नति के समान अवसर प्रदान करती है। कंपनी के कार्यबल में महिला कार्मिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और कुल कार्यबल में 20.68% महिलाएं हैं।

समूह	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कुल कार्मिकों की संख्या	महिला कार्मिकों की संख्या	कुल कार्मिकों में उनका प्रतिशत
क	474	100	21.09%
ख	6	0	0.00%
ग	17	3	17.65%
घ	1	0	0.00%
कुल	**498**	**103**	**20.68%**

पीएफसी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में महिला कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयासरत हैं।

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान उक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।

20.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, यह पुष्टि की जाती है कि :–

(क) वार्षिक लेखाओं की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया था और वास्तविक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

(ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित एवं सार्थक हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि लेखा की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित और आवश्यक ध्यान दिया गया है;

(घ) वार्षिक लेखे एक अनवरत (निरंतर कार्यरत) प्रतिष्ठान अथवा कंपनी के रूप में तैयार किए गए हैं;

(ड.) कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है, जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं; और

(च) कंपनी ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और इस प्रकार तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं।

21.0 सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और किसी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकारोक्ति (डिसक्लेमर) के बिना अपनी रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के लिए अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ सचिवालीय लेखापरीक्षक के अवलोकन और उन अवलोकनों पर प्रबंधन के उत्तर की प्रतिलिपि वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

22.0 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने यह उल्लेख किया है कि लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई भी चीज उनके संज्ञान में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी दी जा सके या जिस पर सांविधिक लेखापरीक्षक की कोई रिपोर्ट के पूरक के तौर पर कोई रिपोर्ट दी जा सके। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की रिपोर्ट की प्रतिलिपि वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

23.0 वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता संबंधी विवरण

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक अर्थात ए. आर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में तिमाही आधार पर प्रमाणित करते हैं।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एवं गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने भी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि कंपनी के पास सभी वास्तविक संदर्भों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है और कंपनी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे।

24.0 सचिवालयी मानकों का अनुपालन

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सभी यथालागू अनिवार्य सचिवालयी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

मुंबई में आयोजित डिस्ट्रीब्यूटेक 2019 प्रदर्शनी के दौरान पावर पवेलियन में विभिन्न पावर पीएसयू के अधिकारियों के साथ श्री विशाल कपूर, निदेशक, विद्युत मंत्रालय। पूरे 'पावर पवेलियन' की परिकल्पना और डिजाइन विद्युत मंत्रालय की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी द्वारा की गई थी

25.0 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत पारिश्रमिक के विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपने निदेशक की तुलना में मध्यम स्तर के कार्मिकों के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन करना और निदेशक मंडल की रिपोर्ट में समय–समय पर यथाविहित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों के विवरण देना आवश्यक है।

तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। अतः इसके विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किए गए हैं।

26.0 वार्षिक रिटर्न लिंक

विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का एक सारांश वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

27.0 लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा और न ही सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों अथवा कार्मिकों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई कोई धोखाधड़ी की कोई ऐसी घटना रिपोर्ट की गई, जिसके विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दिए जाने आवश्यक होते हैं।

28.0 डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कंपनी द्वारा बॉण्डों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

29.0 दावा न की गई राशियों की स्थिति

बॉण्ड

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बॉण्डों की दावा न की गई कुल और बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) ₹ 15.10 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आईईपीएफ को हस्तांतरित बॉण्ड की दावा न की गई/बकाया राशि ₹ 0.14 करोड़ थी।

इक्विटी

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार लाभांश (इक्विटी) की दावा न की गई शेष राशि ₹ 3.38 करोड़ थी । ''लौटाने के लिए देय अनुप्रयोग धनराशि'' से संबंधित ₹ 6,77,584 की दावा न की गई राशि तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरण के लिए देय हो गई ₹ 8,33,402 की दावा न किए गए लाभांश की राशि तदनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित की गई।

30.0 कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने वेतन संशोधन पर अपने निदेशों के जरिए भी केंद्रीय क्षेत्र के सभी सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे एक कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) तैयार करें और ईएसओपी के रूप में कार्मिकों को कार्य–निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) के 10% से 25% का भुगतान करें। डीपीई के इन दिशा–निर्देशों के अनुरूप आपके कंपनी के निदेशक मंडल ने 'पीएफसी ईएसओपी 2010' शीर्षक के अंतर्गत एक कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना तैयार की थी। शेयरधारकों ने भी 21 सितंबर, 2010 को आयोजित की गई 24वीं वार्षिक आम बैठक में कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना को अनुमोदित कर दिया था। तत्पश्चात निदेशक मंडल ने ईएसओपी के रूप में कार्मिकों को पीआरपी की 25% राशि का भुगतान करने के लिए निदेशित किया था। तथापि, डीपीई द्वारा 30 जुलाई, 2012 में बाद में जारी किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इस पीआरपी आधारित स्टॉक विकल्प योजना को ऐच्छिक बना दिया गया है। कंपनी में उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन लागू नियमों/विनियमों/लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों और स्पष्टीकरणों के अनुसार किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, अब तक 'पीएफसी–ईएसओपी 2010' के अंतर्गत स्वीकृति अथवा लागू करने के लिए कोई विकल्प लंबित नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के दौरान किसी भी कार्मिक को/उसके द्वारा कोई भी विकल्प स्वीकृत/लागू नहीं किया गया।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के दौरान पीएफसी के सभी कार्मिकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सत्यनिष्ठा शपथ दिलाते हुए श्री राजीव शर्मा, सीएमडी

31.0 सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान सतर्कता यूनिट ने निवारक सतर्कता पर जोर देते हुए प्रबंधन के प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य किया। इस पहलू पर नियमित रूप से विभिन्न यूनिटों के आवधिक और आकस्मिक निरीक्षण करके ज़ोर दिया गया। सतर्कता यूनिट ने प्रणालियों और प्रक्रियाओं को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए कारगर दिशा–निर्देश जारी किए जिनका उद्देश्य दिन–प्रतिदिन के प्रचालनों में मौजूदा खामियों को दूर करके पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सभी स्टेकधारकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल एक प्रभावी टूल के रूप में किया गया। सतर्कता यूनिट ने इस अवधि के दौरान पंजीकृत शिकायतों के संबंध में विस्तृत जांच की।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुदेशों के अनुपालन में कंपनी के संवेदनशील पदों की पहचान की गई और संबंधित अधिकारियों की नियमित आधार पर अदला–बदली (रोटेशन) की गई। सीबीआई के साथ परामर्श से दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय और मुंबई और चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के संदर्भ में वर्ष 2018 के लिए आम सहमति से कार्मिकों की सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। विहित आवधिक सांख्यिकीय रिपोर्टें सीवीसी, सीबीआई और विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को समय पर भेजी गईं।

इस प्रकार सतर्कता यूनिट ने कंपनी के प्रचालन में अधिक पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से व्यवस्थित सुधारों के लिए निरंतर कार्य किया। इस प्रकार इसने संगठन की दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी कार्यप्रणाली में समग्र रूप से सुधार की दिशा में अपना योगदान दिया है।

32.0 राजभाषा

यह बड़े गर्व का विषय है कि आपकी कंपनी को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए इसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। सीएमडी, पीएफसी ने भारत के उप राष्ट्रपति माननीय श्री एम. वेंकैया नायडु के कर–कमलों से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। पीएफसी द्वारा लगातार पांचवीं बार पुरस्कार प्राप्त किया गया है।

पीएफसी की तिमाही पत्रिका "ऊर्जा दीप्ति" और पीएफसी के कार्मिक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक "अप्प दीपो भवः" का दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को आयोजित की गई हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में विमोचन किया गया।

पीएफसी के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदीमय वातावरण का निर्माण करने के प्रयोजन से हिंदी दिवस और हिंदी माह का आयोजन किया गया। हिंदी माह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दिनांक 12

अक्तूबर, 2019 को हिंदी माह के समापन समारोह की संध्या वेला में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपकी कंपनी के कार्मिकों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिनमें विभिन्न भारतीय नृत्य रूप, गीत, काव्य पाठ और नाटिका इत्यादि शामिल थे। ''विश्व हिंदी दिवस'' के अवसर पर श्री राम भारतीय कला केंद्र के कलाकारों द्वारा ''श्री कृष्ण'' नामक एक नृत्य नाटिका का आयोज़न किया गया।

279 कार्यपालकों के लिए 10 हिंदी कार्यशालाएं और 28 वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन के साथ–साथ 2 संगोष्ठियों का भी आयोज़न किया गया। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के रूप में आंतरिक निरीक्षण भी किए गए।

गृह पत्रिका 'ऊर्जा दीप्ति'' के ''योग एवं राजभाषा विशेषांक'' सहित तीन अंक भी प्रकाशित किए गए।

ये सभी प्रयास कंपनी में हिंदी के बेहतर और प्रगामी प्रयोग की संभावनाएं सृज़ित करने की दिशा में प्रेरक टूल साबित हुए।

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कर–कमलों से वर्ष 2018–19 के लिए प्रतिष्ठित 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' ('क' क्षेत्र की श्रेणी में) प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए। यह पुरस्कार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। पीएफसी द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार लगातार छठी बार प्राप्त किया गया

33.0 सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य सूचना तक तुलनात्मक रूप से बेहतर और प्रभावशाली पहुंच सुनिश्चित करना और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर सार्वजनिक विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और जवाबदेही में सुधार करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रावधान करने हेतु भारत की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है। इसके अंतर्गत सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को सूचित करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि बेहतर ढंग से एक सुविज्ञ नागरिक सुशासन के लिखतों पर आवश्यक सतर्कता रख सकता है और सरकार को अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेह बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सूचना के प्राप्तकर्ताओं को कुछ अपवादों के अध्यधीन सूचना को छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना प्राप्त करने का सशक्त अधिकार प्राप्त है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी अनुरोधों का उचित निराकरण करने के लिए आपकी कंपनी में सभी जगह एक व्यापक तंत्र स्थापित किया गया है। आपकी कंपनी ने भारतीय नागरिकों को सूचना प्रदान करने के साथ–साथ कंपनी की कार्य प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन किया है। कंपनी ने सूचना का

अधिकार अधिनियम का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपने पंजीकृत कार्यालय में एक लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (आरटीआई) नामित किया है। कंपनी की प्राधिकृत वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर संगत सूचना डाली जाती है/आवश्यक प्रकटन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी 131 आवेदनों के संबंध में विधिवत कार्रवाई की गई और लोगों को अपेक्षित जानकारी दी गई। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के लिए तिमाही/वार्षिक विवरणी (रिटर्न) ऑनलाइन भरने के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया है।

इसके अतिरिक्त, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 में शामिल प्रकटीकरण संबंधी प्रावधानों के अनुपालन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने दिनांक 15 अप्रैल 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011–आई आर के अंतर्गत निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए :–

(i) धारा 4 के अंतर्गत अधिक उत्पादों का स्वमेव प्रकटीकरण;
(ii) धारा 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण के डिजीटल प्रकाशन हेतु दिशा–निर्देश;
(iii) प्रकटन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु धारा 4(1) (ख) के निश्चित उपभागों के लिए दिशा–निर्देश;
(iv) आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्वमेव प्रकटीकरण (सक्रिय प्रकटीकरण) हेतु अनुपालन तंत्र।

पूर्वकथित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर आवश्यक सूचना उपलब्ध करा दी है।

उपर्युक्त के अलावा, पीएफसी भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (http://rtionline.gov.in) के साथ भी लिंक है, जो भारत के नागरिकों को भुगतान गेटवे की सुविधा के साथ आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन फाइल करने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल पर एसबीआई और इसके एसोसिएट बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, मास्टर/वीजा कार्ड तथा रुपे कार्डों के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

34.0 शिकायत निवारण

कंपनी में व्यापक स्तर पर जनता की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रणालियां मौजूद हैं। ये प्रणालियां विधिवत रूप से अधिसूचित हैं और नोडल अधिकारी निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करते है। कंपनी ने अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक चार्टर भी अधिसूचित किया है। लोगों की पहुंच सुकर बनाने के उद्देश्य से यह चार्टर कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

35.0 नियामकों अथवा न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा जारी किए गए ऐसे महत्वपूर्ण और जरूरी आदेशों के विवरण, जिनसे भविष्य में कंपनी का निरंतर जारी प्रतिष्ठान का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हो सकता है

किसी भी नियामक अथवा न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण और जरूरी आदेश जारी नहीं किए गए, जिनसे वित्तीय वर्ष 2018 – 18 के दौरान कंपनी का निरंतर जारी प्रतिष्ठान का दर्जा और कंपनी का प्रचालन प्रभावित हुआ हो।

36.0 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) से खरीद का विवरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के साथ–साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत यथावश्यक प्रकटीकरण के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीद के विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य
I	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में)	26.24 करोड़	30.38 करोड़
II	एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	9.21 करोड़	7.6 करोड़
III	केवल एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	0.55 करोड़	1.22 करोड़
IV	कुल खरीद में से एमएसई (एमसी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का %	35.09%	25%
V	कुल खरीद में से केवल एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का %	2.10%	4%
VI	एमएसई हेतु वेंडर विकास कार्यक्रम की कुल संख्या	2 अर्धवार्षिक	2
VII	इसके हाइपरलिंक द्वारा आपकी वेबसाइट पर वार्षिक एमएसई खरीद प्रोफाइल को अपलोड करने की पुष्टि	http://www.pfcindia.com/Home/VS/125	

37.0 सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीए के दिशा–निर्देश आदि के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक सूचना इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में निम्नानुसार दी गई है।

विवरण	अनुलग्नक
डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण	क
वार्षिक रिटर्न का सार (एमजीटी–9)	ख
सीएसआर कार्यकलाप पर वार्षिक रिपोर्ट	ग
संबंधित पक्षकार (एओसी–2) के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण	घ
प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	ङ
एकीकृत रिपोर्टिंग	च
निगमित शासन पर रिपोर्ट	छ
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	ज
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	झ

38.0 स्वीकारोक्ति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और केंद्र तथा राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ–साथ विभिन्न घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों/बैंकों, एजेंसियों इत्यादि द्वारा कंपनी को दिए गए मार्ग–दर्शन, सहयोग और प्रोत्साहन के लिए तहेदिल से उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बैंकों/बहुराष्ट्रीय एजेंसियों/वित्तीय संस्थानों / क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रति उनके द्वारा पीएफसी पर लगातार व्यक्त किए गए विश्वास और भरोसे के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आपके निदेशक उपभोक्ताओं और ग्राहकों के प्रति भी उनके सतत विश्वास और सहायता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

कंपनी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों और सचिवालयी लेखापरीक्षकों का भी उनके सृजनात्मक सुझावों और सहयोग के लिए धन्यवाद करती है।

निदेशक मंडल कंपनी का चहुंमुखी उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्मिकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान को भी स्वीकार करता है और इसके लिए उनकी तहेदिल से प्रशंसा करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00973413

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.07.2019

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

विभिन्न श्रेणियों के बॉण्डों के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
1.	**आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड,** विश्वस्त भवन, प्रथम तल, 218 प्रतापगंज पेठ सतारा –415002	7.6% करयोग्य बॉण्ड श्रृंखला –XXV 8.85% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–XXVIII 8.60% कर बॉण्ड श्रृंखला-57 बी 8.60% कर बॉण्ड श्रृंखला-57 सी 8.80% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला-59बी आईएनसीएमटीबीएमके+179 बीएसपी टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–60बी 8.50% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला –61 8.50% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला –61 8.70% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला –62ए 8.80% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला –62बी 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला –63 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला –63 8.95% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला –64 8.95% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला –64
2.	**पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसिज लि.** 10, राकेशदीप बिल्डिंग, युसुफ सराय, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर एंक्लेव, नई दिल्ली – 110 049	8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड– 65–श्रृंखला 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 65–श्रृंखला 8.65% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 66ए–श्रृंखला 8.75% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 66बी–श्रृंखला 8.85% पीएफसी इंफ्रास्ट्रचर बॉण्ड – 66सी–श्रृंखला 8.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 68बी–श्रृंखला 8.78% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 70–श्रृंखला 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 71–श्रृंखला 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 71–श्रृंखला 9.05% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 71–श्रृंखला 8.99% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड – 72–बी–श्रृंखला 9.18% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 73 9.70% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 74 9.61% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 75–सी 9.36% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 76–ए 9.46% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 76–बी 9.45% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 77–बी 7.51% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–79–ए 7.75% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–79–बी 8.09% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–80–ए 8.16% एसईसी कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–80–बी 9.30% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 85–सी 9.26% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 85–डी 9.42% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 87–डी 9.48% टीएएक्सयू पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–88–सी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011–12) – ट्रेंच 1–श्रृंखला–I इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011–12) – ट्रेंच 1–श्रृंखला–II इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011–12) – ट्रेंच 1–श्रृंखला–III इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011–12) – ट्रेंच 1–श्रृंखला–IV 8.43% श्रृंखला I प्राइवेट प्लेसमेंट इंफ्रा 8.43% श्रृंखला II इंफ्रा प्राइवेट प्लेसमेंट 8.72% श्रृंखला III इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट 8.72% श्रृंखला IV इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
3.	**कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्ववर्ती ''जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड'')** ''जीडीए हाउस'', प्लॉट नं. 85, भुसारी कॉलोनी (दायें), पॉड रोड, पुणे – 411 038	7.21% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला–94–ए 7.38% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला–94–बी 7.22% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला–95–ए 7.38% कर मुक्त पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–95–बी बॉण्ड श्रृंखला–91–बी 9.29% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–92–सी 8.82% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला–99–बी 8.86% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 100–ए 8.84% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 100–बी 9.00% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 101–बी 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–102–ए (II) 8.90% टीएएक्सयू बॉण्ड श्रृंखला–102–ए (III) 8.87% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 102–बी 8.94% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 103 9.15% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 115–II 9.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 115–III 9.37% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 117–बी 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 118–बी–I 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 118–बी–II 9.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 118–बी–III 9.32% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 119–बी 8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 120–ए 8.98% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 120–बी 8.96% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 121–बी 8.76% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला – 122 8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 123–बी 8.66% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 123–सी 8.52% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 124–ए 8.55% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 124–बी 8.48% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 124–सी 8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 125 8.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 126 8.36% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 127 8.20% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला– 128 8.42% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 130–बी 8.39% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 130–सी 8.38% पीएफसी श्रृंखला 131–बी 8.41% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 131–सी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010–2011)– ट्रेंच 1 श्रृंखला – I इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010–2011)– ट्रेंच 1 श्रृंखला – II इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010–2011)– ट्रेंच 1 श्रृंखला – III इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010–2011)– ट्रेंच 1 श्रृंखला – IV 8.20% कर मुक्त बॉण्ड का पब्लिक इश्यू वित्तीय वर्ष 2011–12 8.30% कर मुक्त बॉण्ड का पब्लिक इश्यू वित्तीय वर्ष 2011–12
4.	**विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड)** द आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स , बांद्रा ईस्ट, मुंबई–400 051	जीरो कूपन बॉण्ड–(2022) XIX श्रृंखला 8.19% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड टीयर II-डेब्ट बॉण्ड श्रृंखला 105 8.01% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107–ए 8.46% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107–बी

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
		9.65% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड टीयर II–ऋण बॉण्ड श्रृंखला 111 9.70% कर योग्य प्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 112बी 9.70% कर योग्य प्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 112सी 9.70% पीएफसी सबॉर्डिनेटिड टीयर II–ऋण बॉण्ड श्रृंखला 114 7.19% 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 12–13 टीआर -I श्रृंखला–1 7.69% 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर-I श्रृंखला-1 7.36% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर-I श्रृंखला-2 7.86% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर-I श्रृंखला-2 6.88% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 7.38% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 7.04% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 7.54% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13 8.18% कर मुक्त बॉण्ड 13–14 श्रृंखला 1ए 8.43% कर मुक्त बॉण्ड 13–14 श्रृंखला 1बी 8.54% कर मुक्त बॉण्ड 13–14 श्रृंखला 2ए 8.79% कर मुक्त बॉण्ड 13–14 श्रृंखला 2बी 8.67% कर मुक्त बॉण्ड 13–14 श्रृंखला 3ए 8.92% कर मुक्त बॉण्ड 13–14 श्रृंखला 3बी
5.	**माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसिज प्राइवेट लि.** 602, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, संत ध्यानेश्वर मार्ग, गुरू नानक हॉस्पिटल के सामने बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051 दूरभाष : 022–67167082 फैक्स : 022–67167077	8.50% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 135–बी 7.16% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 136 8.53% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 137 8.45% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 138 8.36% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 140–बी 8.46% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 141–ए 8.00% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 142–ए 7.85% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 145 8.05% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 146 8.03% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 147 7.95% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 148 8.04% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 149 7.50% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 150–ए 7.63% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 150–बी 7.47% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 151–ए 7.56% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 151–बी 7.55% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 152 7.40% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 153 7.27% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 154 7.27% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 155 7.27% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 156–भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बॉण्ड 7.27% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 157 7.27% पीएफसी बॉण्ड–श्रृंखला 158–भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बॉण्ड 7.27% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 159 7.27% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 160–भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बॉण्ड 7.27% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 163 7.27% पीएफसी बॉण्ड– श्रृंखला 164–भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बॉण्ड

क्र. स.	ट्रस्टी का नाम एवं पता	बॉण्ड श्रृंखला
		7.27% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 165 7.11% पीएफसी कर मुक्त बॉण्ड 1ए 17.10.2025 7.36% कर मुक्त बॉण्ड 1बी 17.10.2015 7.27% कर मुक्त बॉण्ड 2ए 17.10.2015 7.52% कर मुक्त बॉण्ड 2बी 17.10.2015 7.35% कर मुक्त बॉण्ड 3ए 17.10.2015 7.60% कर मुक्त बॉण्ड 3बी 17.10.2015 7.46% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 166 7.30% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 167 7.28% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 168ए 7.44% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 168बी 7.10% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 169ए 7.30% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 169बी 7.35% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 170ए 7.65% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 170बी 7.62% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 171 7.74% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 172 7.73% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 173ए 7.73% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 173बी 7.80% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 174 7.75% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 175 7.53% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 176ए 7.99% पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 176बी 5.25% धारा 54 ईसी बॉण्ड–श्रृंखला 1
6.	**बीकॉन ट्रस्टीशिप लि.** 4 सी एंड डी, सिद्धिविनायक चैम्बर, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051	श्रृंखला 177 श्रृंखला 178 श्रृंखला 179–ए श्रृंखला 179–बी श्रृंखला 180 श्रृंखला 181 श्रृंखला 182 श्रृंखला 183 श्रृंखला 184–ए–उप ऋण श्रृंखला 184–बी–उप ऋण श्रृंखला 185 उप ऋण 5.75% पीएफसी 54 ईसी बॉण्ड श्रृंखला II

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

फॉर्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सारांश

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार
[कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुक्रम में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

i)	सीआईएन	L65910DL1986GOI024862
ii)	पंजीकरण की तारीख	16 जुलाई 1986
iii)	कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	पब्लिक कंपनी/सरकारी कंपनी, एनबीएफसी, शेयरों द्वारा लिमिटेड, कंपनी जिनके पास शेयर पूंजी है।
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	**पंजीकृत कार्यालय** 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन कनॉट प्लेस नई दिल्ली– 110001 **कंपनी सचिव** श्री मनोहर बलवानी दूरभाष : +91 11 23456020 फैक्स : +91 11 23456786 ई–मेल: investorsgrievance@pfcindia.com
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	हां
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण	कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड "कॉर्वी सेलेनियम टावर "बी", प्लॉट नं. 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद-500 032, तेलंगाना, भारत दूरभाष : +91 40 67162222 ई–मेल : einward.ris@karvy.com वेबसाइट : www.karvyfintech.com

II. कंपनी के मुख्य व्यापारिक कार्यकलाप

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	ऋण पर ब्याज तथा अन्य सेवाओं से आय	64920 (अन्य वित्तीय सेवाएं एवं कार्यकलाप – अन्य क्रेडिट ग्रांटिंग)	100

III. धारित, सहायक तथा सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	धारक / सहायक / सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	U74140DL2008GOI175858	सहायक कंपनी	100	कंपनी अधिनियम, 2013 का खंड 2(87)
2	पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U65100DL2008PTC175845	सहायक कंपनी	100	
3	आरईसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	L40101DL1969GOI005095	सहायक कंपनी	52.63	
4	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	U40200DL2009PLC196789	सहायक कंपनी	58.06 (जिसमें से 36.36% प्रत्यक्ष रूप से और 21.70% आरईसी के माध्यम से)	
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI146953	सहायक कंपनी	100	
6	सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	U40108DL2008GOI178409	सहायक कंपनी	100	
7	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI152423	सहायक कंपनी	100	
8	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	U45207DL2008GOI178456	सहायक कंपनी	100	
9	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI146109	सहायक कंपनी	100	
10	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	U40200DL2009GOI189476	सहायक कंपनी	100	
11	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	U40102DL2007GOI157615	सहायक कंपनी	100	
12	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	U40300DL2012GOI234839	सहायक कंपनी	100	
13	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	U40102DL2006GOI146111	सहायक कंपनी	100	
14	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	U93000DL2014GOI263819	सहायक कंपनी	100	
15	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	U93000DL2015GOI282164	सहायक कंपनी	100	
16	उड़ीसा इंफ्रा पावर लिमिटेड	U93000DL2014GOI263902	सहायक कंपनी	100	
17	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	U93000DL2015GOI282192	सहायक कंपनी	100	
18	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	U93000DL2015GOI282653	सहायक कंपनी	100	
19	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	U40300DL2015GOI288311	सहायक कंपनी	100	
20	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	U74999DL2013GOI257471	सहायक कंपनी	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से सहायक कंपनियां	
21	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	U74999DL2013GOI257470	सहायक कंपनी		
22	साउथ–सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40109DL2015GOI276863	सहायक कंपनी		
23	मोहिंदरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40106DL2014GOI274558	सहायक कंपनी		
24	बीकानेर – खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40108DL2019GOI346433	सहायक कंपनी		
25	शोंगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2017GOI310556	सहायक कंपनी		
26	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2019GOI346552	सहायक कंपनी		
27	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2017GOI310540	सहायक कंपनी		
28	फतेहगढ़-II ट्रांस्को लिमिटेड	U40300DL2019GOI346583	सहायक कंपनी		
29	वापी-II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40100DL2018GOI335750	सहायक कंपनी		

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
30	लाकडिया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	U40105DL2019GOI347349	सहायक कंपनी		
31	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	U40101DL2007GOI165779	सहायक कंपनी	आरईसी लिमिटेड के माध्यम से सहायक कंपनियां	
32	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	U40101DL2007GOI157558	सहायक कंपनी		
33	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2015GOI288066	सहायक कंपनी		
34	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2018GOI331192	सहायक कंपनी		
35	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40108DL2018GOI330905	सहायक कंपनी		
36	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40101DL2018GOI331526	सहायक कंपनी		
37	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2018GOI331490	सहायक कंपनी		
38	भिंड–गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40300DL2018GOI338734	सहायक कंपनी		
39	जम खंबालिया ट्रांस्को लिमिटेड	U40105DL2019GOI347089	सहायक कंपनी		
40	उडुपी कासरगोड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	U40100DL2018GOI342365	सहायक कंपनी		
41	अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	U40101DL2019GOI347423	सहायक कंपनी		
42	खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	U40100DL2019GOI347127	सहायक कंपनी		
43	डब्ल्यूआरएसएस XXI (A) ट्रांस्को लिमिटेड	U40107DL2019GOI347713	सहायक कंपनी		
44	लाकडिया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	U40107DL2019GOI347428	सहायक कंपनी		
45	क्रीघटन एनर्जी लिमिटेड	07729268	सहायक कंपनी		
46	ईईएसएल एनर्जी प्रो एसेंट लिमिटेड	10568873	सहायक कंपनी	ईईएसएल के माध्यम से सहायक कंपनियां	
47	एडीना एक्वीजीशन लिमिटेड	11216307	सहायक कंपनी		
48	एनेस्को एनर्जी सर्विसिज़ (साउथ) लिमिटेड	08112903	सहायक कंपनी		
49	एडीना लिमिटेड	108087	सहायक कंपनी		
50	ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड	11217655	सहायक कंपनी		
51	एडीना ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड	ABN77166334416	सहायक कंपनी		
52	एडीना पावर सर्विसिज़ लिमिटेड	151045	सहायक कंपनी		
53	स्टैनबैक लिमिटेड	343017	सहायक कंपनी		
54	एडीना यूके लिमिटेड	05660595	सहायक कंपनी		
55	एडीना पावर लिमिटेड	NI048701	सहायक कंपनी		
56	अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड	197018	सहायक कंपनी		
57	एडीना मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड	NI029915	सहायक कंपनी		
58	श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U40101MP1993PLC007667	सहयोगी कंपनी	23.32	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i) श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयर का %	
क. प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति रूप में / एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) केंद्र सरकार / राज्य सरकार (सरकारें)	1740216107	0	1740216107	65.92	1558889417	0	1558889417	59.05	(6.87)
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) बैंक / एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप–जोड़ (क) (1) :–	**1740216107**	**0**	**1740216107**	**65.92**	**1558889417**	**0**	**1558889417**	**59.05**	**(6.87)**
(2) विदेशी									
क) व्यक्ति विशेष (एनआरआई / विदेशी व्यक्ति)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप–जोड़ (क) (2) :–	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
प्रोमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)	**1740216107**	**0**	**1740216107**	**65.92**	**1558889417**	**0**	**1558889417**	**59.05**	**(6.87)**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड / यूटीआई	158677531	0	158677531	6.01	311547880	0	311547880	11.80	5.79
ख) बैंक / एफआई	20755909	0	20755909	0.79	18554333	2	18554335	0.70	(0.08)
ग) केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) बीमा कंपनियां	165642654	0	165642654	6.27	163827217	0	163827217	6.21	(0.07)
च) एफआईआईएस	369527793	0	369527793	14.00	439035837	0	439035837	16.63	2.63
छ) विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ज) अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
झ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप–जोड़ (ख) (1) :–	**714603887**	**0**	**714603887**	**27.07**	**932965267**	**2**	**932965269**	**35.34**	**8.27**
2. गैर संस्थागत संगठन									
क) निगमित निकाय	34046057	0	34046057	1.29	22221097	0	22221097	0.84	(0.45)
ख) व्यक्ति विशेष									
i) व्यक्ति विशेष जिनके पास न्यूनतम ₹ 1 लाख तक की शेयर पूंजी है	102733167	53121	102786288	3.89	88282914	39650	88322564	3.35	(0.55)
ii) व्यक्ति विशेष जिनके पास न्यूनतम ₹ 1 लाख से अधिक की शेयर पूंजी है	33950121	0	33950121	1.29	2413269	0	24613269	0.93	(0.35)
ग) अन्य									
समाशोधन सदस्य	5207426	0	5207426	0.20	5820168	0	5820168	0.22	0.02
आईईपीएफ	23184	0	23184	0.00	36835	0	36835	0.00	0.00
अनिवासी भारतीय	3277676	0	3277676	0.12	2865120	0	2865120	0.11	(0.02)
अनिवासी भारतीय नॉन–रिपैट्रिएशन	2132401	0	2132401	0.08	1020453	0	1020453	0.04	(0.04)
न्यास	3838261	0	3838261	0.15	3327216	0	3327216	0.13	(0.02)
घ) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख) (2) :–	185208293	53121	185261414	7.02	148187072	39650	148226722	5.61	(1.40)
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	899812180	53121	899865301	34.08	1081152339	39652	1081191991	40.95	6.87
कुल (क)+(ख)	2640028287	53121	2640081408	100.00	2640041756	39652	2640081408	100.00	0.00

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	जोड़	कुल शेयर का %	
ग. अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर, जिनके विरुद्ध जमा रसीदें जारी की गई हैं									
(1) प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(2) सार्वजनिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल योग (क+ख+ग)	2640028287	53121	2640081408	100.00	2640041756	39652	2640081408	100.00	

ii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	1740216107	65.92	शून्य	1558889417	59.05	शून्य	(6.87)

(iii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	भारत के राष्ट्रपति					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		1740216107	65.92	1740216107	65.92
	तारीख	लेन–देन का प्रकार				
	18/06/2018	बिक्री (भारत 22 ईटीएफ में हस्तांतरित)	(7176049)	0.28	1733040058	65.64
	04/12/2018	बिक्री (सीपीएसई ईटीएफ के एफएफओ–3 में हस्तांतरित)	(109808544)	4.16	1623231514	61.48
	21/02/2019	बिक्री (भारत 22 ईटीएफ में हस्तांतरित)	(12196071)	0.46	1611035443	61.02
	25/03/2019	बिक्री (सीपीएसई ईटीएफ के एफएफओ–4 में हस्तांतरित)	(52146026)	1.97	1558889417	59.05
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				1558889417	59.05

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रोमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से इतर) का शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम – यूएलआईएफ **00220091**					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		157476305	5.96	157476305	5.96
	तारीख	**लेन–देन के प्रकार**				
	10/08/2018	बिक्री	(250000)	(0.01)	157226305	5.96
	17/08/2018	बिक्री	(300000)	(0.01)	156926305	5.94
	24/08/2018	बिक्री	(100000)	0.00	156826305	5.94
	31/08/2018	बिक्री	(188331)	(0.01)	156637974	5.93
	07/09/2018	बिक्री	(177828)	(0.01)	156460146	5.93
	14/09/2018	बिक्री	(90000)	0.00	156370146	5.92
	21/09/2018	बिक्री	(50000)	0.00	156320146	5.92
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष			**156320146**	5.92	
2.	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी प्रूडेंस फंड**					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		85121960	3.22	85121960	3.22
	तारीख	**लेन–देन के प्रकार**				
	06/04/2018	खरीद	4000000	0.15	89121960	3.38
	27/04/2018	खरीद	623443	0.02	89745403	3.40
	27/04/2018	बिक्री	(623443)	(0.02)	89121960	3.38
	04/05/2018	खरीद	456000	0.02	89577960	3.39
	11/05/2018	खरीद	120000	0.00	89697960	3.40
	01/06/2018	खरीद	3500000	0.13	93197960	3.53
	08/06/2018	खरीद	5417000	0.21	98614960	3.74
	15/06/2018	खरीद	5940000	0.22	104554960	3.96
	22/06/2018	खरीद	1522000	0.06	106076960	4.02
	29/06/2018	खरीद	1000000	0.04	107076960	4.06
	06/07/2018	खरीद	2042000	0.08	109118960	4.13
	13/07/2018	खरीद	120000	0.00	109238960	4.14
	20/07/2018	खरीद	820000	0.03	110058960	4.17
	27/07/2018	खरीद	2136000	0.08	112194960	4.25
	03/08/2018	खरीद	7198000	0.27	119392960	4.52
	10/08/2018	खरीद	42000	0.00	119434960	4.52
	17/08/2018	खरीद	12000	0.00	119446960	4.52
	24/08/2018	खरीद	2250000	0.09	121696960	4.61
	31/08/2018	खरीद	300000	0.01	121996960	4.62
	21/09/2018	खरीद	4859000	0.18	126855960	4.81
	28/09/2018	खरीद	7779969	0.29	134635929	5.10
	05/10/2018	खरीद	1504031	0.06	136139960	5.16
	12/10/2018	खरीद	1720000	0.07	137859960	5.22
	26/10/2018	खरीद	1295000	0.05	139154960	5.27
	26/10/2018	बिक्री	(2154000)	(0.08)	137000960	5.19
	02/11/2018	खरीद	250000	0.01	137250960	5.20
	09/11/2018	खरीद	634000	0.02	137884960	5.22
	16/11/2018	खरीद	12119000	0.46	150003960	5.68
	23/11/2018	खरीद	13418000	0.51	163421960	6.19

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	30/11/2018	खरीद	7176000	0.27	170597960	6.46
	30/11/2018	बिक्री	(426000)	(0.02)	170171960	6.45
	07/12/2018	खरीद	8125000	0.31	178296960	6.75
	14/12/2018	खरीद	4973800	0.19	183270760	6.94
	28/12/2018	खरीद	1930000	0.07	185200760	7.01
	31/12/2018	खरीद	2000000	0.08	187200760	7.09
	04/01/2019	खरीद	1200000	0.05	188400760	7.14
	11/01/2019	खरीद	1155000	0.04	189555760	7.18
	18/01/2019	खरीद	1470000	0.06	191025760	7.24
	22/02/2019	खरीद	2245835	0.09	193271595	7.32
	01/03/2019	खरीद	1400000	0.05	194671595	7.37
	08/03/2019	खरीद	614000	0.02	195285595	7.40
	29/03/2019	खरीद	3613000	0.14	198898595	7.53
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				198898595	7.53
3.	**यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड**					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		48260435	1.83	48260435	1.83
	तारीख	**लेन–देन के प्रकार**				
	06/04/2018	खरीद	1482948	0.06	49743383	1.88
	13/04/2018	बिक्री	(72000)	0.00	49671383	1.88
	27/04/2018	खरीद	2004000	0.08	51675383	1.96
	04/05/2018	खरीद	5134079	0.19	56809462	2.15
	11/05/2018	खरीद	4294051	0.16	61103513	2.31
	18/05/2018	खरीद	10310000	0.39	71413513	2.70
	25/05/2018	खरीद	2607000	0.10	74020513	2.80
	08/06/2018	खरीद	122924	0.00	74143437	2.81
	15/06/2018	बिक्री	(122924)	0.00	74020513	2.80
	22/06/2018	खरीद	6061557	0.23	80082070	3.03
	29/06/2018	खरीद	4951443	0.19	85033513	3.22
	06/07/2018	खरीद	5780000	0.22	90813513	3.44
	13/07/2018	खरीद	2682000	0.10	93495513	3.54
	20/07/2018	खरीद	4820000	0.18	98315513	3.72
	27/07/2018	खरीद	1640000	0.06	99955513	3.79
	28/09/2018	खरीद	4953419	0.19	104908932	3.97
	05/10/2018	खरीद	2607581	0.10	107516513	4.07
	12/10/2018	खरीद	1289978	0.05	108806491	4.12
	19/10/2018	खरीद	657826	0.02	109464317	4.15
	26/10/2018	खरीद	2103432	0.08	111567749	4.23
	02/11/2018	खरीद	535299	0.02	112103048	4.25
	07/12/2018	खरीद	4000000	0.15	116103048	4.40
	21/12/2018	खरीद	1820264	0.07	117923312	4.47
	28/12/2018	खरीद	3271981	0.12	121195293	4.59
	11/01/2019	बिक्री	(444)	0.00	121194849	4.59
	08/02/2019	खरीद	3530922	0.13	124725771	4.72
	15/02/2019	खरीद	1969078	0.07	126694849	4.80

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	22/02/2019	खरीद	3536023	0.13	130230872	4.93
	01/03/2019	खरीद	3039128	0.12	133270000	5.05
	15/03/2019	खरीद	2311000	0.09	135581000	5.14
	29/03/2019	खरीद	6657384	0.25	142238384	5.39
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				142238384	5.39
4.	**रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड–खाता रिलायंसअर्बिट**					
	वर्ष की शुरूआत में – प्रारंभिक शेष		26693774	1.01	26693774	1.01
	तारीख	**लेन–देन के प्रकार**				
	06/04/2018	खरीद	330737	0.01	27024511	1.02
	06/04/2018	बिक्री	(108060)	0.00	26916451	1.02
	13/04/2018	खरीद	1032831	0.04	27949282	1.06
	13/04/2018	बिक्री	(9696)	0.00	27939586	1.06
	20/04/2018	खरीद	1094073	0.04	29033659	1.10
	20/04/2018	बिक्री	(15828)	0.00	29017831	1.10
	27/04/2018	खरीद	600549	0.02	29618380	1.12
	27/04/2018	बिक्री	(18180)	0.00	29600200	1.12
	04/05/2018	खरीद	4347	0.00	29604547	1.12
	04/05/2018	बिक्री	(14544)	0.00	29590003	1.12
	11/05/2018	खरीद	9936	0.00	29599939	1.12
	11/05/2018	बिक्री	(45756)	0.00	29554183	1.12
	18/05/2018	खरीद	9333	0.00	29563516	1.12
	18/05/2018	बिक्री	(20604)	0.00	29542912	1.12
	25/05/2018	खरीद	15525	0.00	29558437	1.12
	25/05/2018	बिक्री	(706908)	(0.03)	28851529	1.09
	01/06/2018	खरीद	36831	0.00	28888360	1.09
	01/06/2018	बिक्री	(25452)	0.00	28862908	1.09
	08/06/2018	खरीद	7452	0.00	28870360	1.09
	08/06/2018	बिक्री	(408444)	(0.02)	28461916	1.08
	15/06/2018	खरीद	4380	0.00	28466296	1.08
	15/06/2018	बिक्री	(20604)	0.00	28445692	1.08
	22/06/2018	खरीद	4968	0.00	28450660	1.08
	22/06/2018	बिक्री	(12120)	0.00	28438540	1.08
	29/06/2018	खरीद	3649	0.00	28442189	1.08
	29/06/2018	बिक्री	(477096)	(0.02)	27965093	1.06
	06/07/2018	खरीद	21198	0.00	27986291	1.06
	06/07/2018	बिक्री	(121341)	0.00	27864950	1.06
	13/07/2018	खरीद	53515	0.00	27918465	1.06
	13/07/2018	बिक्री	(14568)	0.00	27903897	1.06
	20/07/2018	बिक्री	(93658)	0.00	27810239	1.05
	27/07/2018	खरीद	6835620	0.26	34645859	1.31
	27/07/2018	बिक्री	(4622638)	(0.18)	30023221	1.14
	03/08/2018	खरीद	1839368	0.07	31862589	1.21
	03/08/2018	बिक्री	(316108)	(0.01)	31546481	1.19
	10/08/2018	खरीद	11886	0.00	31558367	1.20

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	10/08/2018	बिक्री	(116609)	0.00	31441758	1.19
	17/08/2018	खरीद	3031130	0.11	34472888	1.31
	17/08/2018	बिक्री	(30674)	0.00	34442214	1.30
	24/08/2018	खरीद	3041932	0.12	37484146	1.42
	24/08/2018	बिक्री	(9919010)	(0.38)	27565136	1.04
	31/08/2018	खरीद	426318	0.02	27991454	1.06
	31/08/2018	बिक्री	(1337144)	(0.05)	26654310	1.01
	07/09/2018	खरीद	45800	0.00	26700110	1.01
	07/09/2018	बिक्री	(88093)	0.00	26612017	1.01
	14/09/2018	खरीद	73904	0.00	26685921	1.01
	14/09/2018	बिक्री	(70617)	0.00	26615304	1.01
	21/09/2018	खरीद	13685	0.00	26628989	1.01
	21/09/2018	बिक्री	(156156)	(0.01)	26472833	1.00
	28/09/2018	बिक्री	(1373227)	(0.05)	25099606	0.95
	05/10/2018	खरीद	67178	0.00	25166784	0.95
	05/10/2018	बिक्री	(33577)	0.00	25133207	0.95
	12/10/2018	खरीद	44373	0.00	25177580	0.95
	12/10/2018	बिक्री	(132000)	0.00	25045580	0.95
	19/10/2018	बिक्री	(7194)	0.00	25038386	0.95
	26/10/2018	बिक्री	(4764972)	(0.18)	20273414	0.77
	02/11/2018	खरीद	7139924	0.27	27413338	1.04
	09/11/2018	खरीद	2000003	0.08	29413341	1.11
	09/11/2018	बिक्री	(175877)	(0.01)	29237464	1.11
	16/11/2018	खरीद	846000	0.03	30083464	1.14
	16/11/2018	बिक्री	(14390)	0.00	30069074	1.14
	23/11/2018	खरीद	270000	0.01	30339074	1.15
	23/11/2018	बिक्री	(2541839)	(0.10)	27797235	1.05
	30/11/2018	बिक्री	(2396015)	(0.09)	25401220	0.96
	07/12/2018	खरीद	110216059	4.17	135617279	5.14
	07/12/2018	बिक्री	(1224000)	(0.05)	134393279	5.09
	14/12/2018	बिक्री	(34275805)	(1.30)	100117474	3.79
	21/12/2018	खरीद	4500000	0.17	104617474	3.96
	21/12/2018	बिक्री	(11415602)	(0.43)	93201872	3.53
	28/12/2018	खरीद	902400	0.03	94104272	3.56
	28/12/2018	बिक्री	(14319524)	(0.54)	79784748	3.02
	31/12/2018	खरीद	150	0.00	79784898	3.02
	31/12/2018	बिक्री	(69680)	0.00	79715218	3.02
	04/01/2019	खरीद	1362222	0.05	81077440	3.07
	11/01/2019	खरीद	62639494	2.37	143716934	5.44
	11/01/2019	बिक्री	(70788758)	(2.68)	72928176	2.76
	18/01/2019	बिक्री	(1773999)	(0.07)	71154177	2.70
	25/01/2019	बिक्री	(893061)	(0.03)	70261116	2.66
	01/02/2019	खरीद	1511062	0.06	71772178	2.72
	01/02/2019	बिक्री	(10794740)	(0.41)	60977438	2.31

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	08/02/2019	खरीद	2660007	0.10	63637445	2.41
	08/02/2019	बिक्री	(435685)	(0.02)	63201760	2.39
	15/02/2019	बिक्री	(3756707)	(0.14)	59445053	2.25
	22/02/2019	खरीद	44	0.00	59445097	2.25
	22/02/2019	बिक्री	(4929324)	(0.19)	54515773	2.06
	01/03/2019	खरीद	251	0.00	54516024	2.06
	01/03/2019	बिक्री	(6292098)	(0.24)	48223926	1.83
	08/03/2019	खरीद	65022	0.00	48288948	1.83
	08/03/2019	बिक्री	(144902)	(0.01)	48144046	1.82
	15/03/2019	खरीद	8614	0.00	48152660	1.82
	15/03/2019	बिक्री	(3962585)	(0.15)	44190075	1.67
	22/03/2019	खरीद	1367561	0.05	45557636	1.73
	22/03/2019	बिक्री	(2098553)	(0.08)	43459083	1.65
	29/03/2019	खरीद	50476814	1.91	93935897	3.56
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				**93935897**	**3.56**
5.	**मोरगन स्टैनली मॉरिशस कंपनी लिमिटेड**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष				17373686	0.66
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	13/04/2018	बिक्री	(874)	0.00	17372812	0.66
	20/04/2018	बिक्री	(6300)	0.00	17366512	0.66
	27/04/2018	बिक्री	(6639)	0.00	17359873	0.66
	08/06/2018	बिक्री	(393205)	(0.01)	16966668	0.64
	15/06/2018	बिक्री	(838377)	(0.03)	16128291	0.61
	22/06/2018	बिक्री	(312000)	(0.01)	15816291	0.60
	29/06/2018	बिक्री	(547688)	(0.02)	15268603	0.58
	06/07/2018	बिक्री	(180000)	(0.01)	15088603	0.57
	13/07/2018	बिक्री	(32480)	0.00	15056123	0.57
	20/07/2018	बिक्री	(342000)	(0.01)	14714123	0.56
	27/07/2018	बिक्री	(439762)	(0.02)	14274361	0.54
	03/08/2018	बिक्री	(1209718)	(0.05)	13064643	0.49
	17/08/2018	बिक्री	(63449)	0.00	13001194	0.49
	24/08/2018	बिक्री	(78000)	0.00	12923194	0.49
	07/09/2018	बिक्री	(282)	0.00	12922912	0.49
	14/09/2018	बिक्री	(111344)	0.00	12811568	0.49
	21/09/2018	बिक्री	(70944)	0.00	12740624	0.48
	28/09/2018	बिक्री	(3498681)	(0.13)	9241943	0.35
	05/10/2018	बिक्री	(1982751)	(0.08)	7259192	0.27
	12/10/2018	बिक्री	(3264000)	(0.12)	3995192	0.15
	19/10/2018	बिक्री	(264000)	(0.01)	3731192	0.14
	26/10/2018	बिक्री	(162000)	(0.01)	3569192	0.14
	02/11/2018	बिक्री	(435801)	(0.02)	3133391	0.12
	09/11/2018	बिक्री	(3109444)	(0.12)	23947	0.00
	30/11/2018	बिक्री	(23947)	0.00	0	0.00
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				0	0

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
6.	**एमआईआरएई एसेट इंडिया इक्विटी फंड**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष				7100000	0.27
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	27/04/2018	बिक्री	(500000)	(0.02)	6600000	0.25
	04/05/2018	बिक्री	(500000)	(0.02)	6100000	0.23
	18/05/2018	बिक्री	(1000000)	(0.04)	5100000	0.19
	01/06/2018	खरीद	2320024	0.09	7420024	0.28
	08/06/2018	खरीद	2850000	0.11	10270024	0.39
	15/06/2018	खरीद	960000	0.04	11230024	0.43
	17/08/2018	खरीद	396120	0.02	11626144	0.44
	19/10/2018	खरीद	750000	0.03	12376144	0.47
	26/10/2018	खरीद	425000	0.02	12801144	0.48
	16/11/2018	बिक्री	(4345101)	(0.16)	8456043	0.32
	23/11/2018	बिक्री	(2571140)	(0.10)	5884903	0.22
	30/11/2018	बिक्री	(969672)	(0.04)	4915231	0.19
	14/12/2018	खरीद	2500000	0.09	7415231	0.28
	11/01/2019	खरीद	500000	0.02	7915231	0.30
	22/03/2019	खरीद	3377423	0.13	11292654	0.43
	29/03/2019	खरीद	1569400	0.06	12862054	0.49
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				12862054	0.49
7.	**एलएसवी इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड एलपी**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष			10556100	0.40	
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	25/05/2018	खरीद	2069400	0.08	12625500	0.48
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष			12625500	0.48	
8.	**बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष				12364874	0.47
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	06/04/2018	बिक्री	(3384000)	(0.13)	8980874	0.34
	04/05/2018	बिक्री	(53764)	0.00	8927110	0.34
	11/05/2018	बिक्री	(26844)	0.00	8900266	0.34
	18/05/2018	बिक्री	(72461)	0.00	8827805	0.33
	25/05/2018	बिक्री	(88585)	0.00	8739220	0.33
	01/06/2018	बिक्री	(46255)	0.00	8692965	0.33
	08/06/2018	बिक्री	(12000)	0.00	8680965	0.33
	22/06/2018	बिक्री	(1694160)	(0.06)	6986805	0.26
	29/06/2018	बिक्री	(83484)	0.00	6903321	0.26
	27/07/2018	बिक्री	(912000)	(0.03)	5991321	0.23
	24/08/2018	बिक्री	(30000)	0.00	5961321	0.23
	31/08/2018	खरीद	81864	0.00	6043185	0.23
	28/09/2018	बिक्री	(2046000)	(0.08)	3997185	0.15
	26/10/2018	बिक्री	(3258000)	(0.12)	739185	0.03
	30/11/2018	बिक्री	(718931)	(0.03)	20254	0.00
	14/12/2018	खरीद	1440000	0.05	1460254	0.06

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	28/12/2018	खरीद	18600	0.00	1478854	0.06
	11/01/2019	बिक्री	(688200)	(0.03)	790654	0.03
	18/01/2019	खरीद	434000	0.02	1224654	0.05
	08/02/2019	खरीद	365800	0.01	1590454	0.06
	15/02/2019	बिक्री	(496000)	(0.02)	1094454	0.04
	22/02/2019	बिक्री	(620000)	(0.02)	474454	0.02
	08/03/2019	खरीद	2157600	0.08	2632054	0.10
	15/03/2019	खरीद	491069	0.02	3123123	0.12
	22/03/2019	बिक्री	(43400)	0.00	3079723	0.12
	29/03/2019	बिक्री	(2078053)	(0.08)	1001670	0.04
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				1001670	0.04
9.	**वैनगॉर्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए एसईआरआई**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष				11684839	0.44
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	04/05/2018	बिक्री	(18040)	0.00	11666799	0.44
	11/05/2018	बिक्री	(17138)	0.00	11649661	0.44
	01/06/2018	बिक्री	(13530)	0.00	11636131	0.44
	22/06/2018	बिक्री	(22837)	0.00	11613294	0.44
	29/06/2018	बिक्री	(464276)	(0.02)	11149018	0.42
	06/07/2018	बिक्री	(15039)	0.00	11133979	0.42
	13/07/2018	बिक्री	(23951)	0.00	11110028	0.42
	28/09/2018	बिक्री	(826260)	(0.03)	10283768	0.39
	16/11/2018	खरीद	13140	0.00	10296908	0.39
	23/11/2018	खरीद	34164	0.00	10331072	0.39
	07/12/2018	खरीद	16644	0.00	10347716	0.39
	21/12/2018	खरीद	47304	0.00	10395020	0.39
	01/02/2019	खरीद	59508	0.00	10454528	0.40
	08/02/2019	खरीद	189810	0.01	10644338	0.40
	29/03/2019	खरीद	23598	0.00	10667936	0.40
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				10667936	0.40
10.	**आबू धाबी इंवेस्टमेंट अथॉरिटी – पीकॉक**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष		6417301	0.24		
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	06/04/2018	बिक्री	(22016)	0.00	6395285	0.24
	13/04/2018	बिक्री	(252062)	(0.01)	6143223	0.23
	04/05/2018	खरीद	301989	0.01	6445212	0.24
	04/05/2018	बिक्री	(4608)	0.00	6440604	0.24
	11/05/2018	बिक्री	(128753)	0.00	6311851	0.24
	18/05/2018	खरीद	217920	0.01	6529771	0.25
	25/05/2018	बिक्री	(291096)	(0.01)	6238675	0.24
	01/06/2018	बिक्री	(2193886)	(0.08)	4044789	0.15
	08/06/2018	बिक्री	(294979)	(0.01)	3749810	0.14
	24/08/2018	खरीद	1000000	0.04	4749810	0.18
	31/08/2018	खरीद	1000000	0.04	5749810	0.22

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	05/10/2018	खरीद	606102	0.02	6355912	0.24
	12/10/2018	खरीद	1137942	0.04	7493854	0.28
	26/10/2018	खरीद	1744044	0.07	9237898	0.35
	26/10/2018	बिक्री	(1744044)	(0.07)	7493854	0.28
	07/12/2018	खरीद	2050000	0.08	9543854	0.36
	01/03/2019	खरीद	554995	0.02	10098849	0.38
	08/03/2019	खरीद	250005	0.01	10348854	0.39
	29/03/2019	खरीद	1186601	0.04	11535455	0.44
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				11535455	0.44
11.	**मोर्गन स्टैनली (फ्रांस) एस. ए.**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष				10795655	0.41
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	06/04/2018	खरीद	2158225	0.08	12953880	0.49
	13/04/2018	बिक्री	(198000)	(0.01)	12755880	0.48
	20/04/2018	बिक्री	(6000)	0.00	12749880	0.48
	27/04/2018	बिक्री	(680541)	(0.03)	12069339	0.46
	04/05/2018	बिक्री	(3365677)	(0.13)	8703662	0.33
	11/05/2018	बिक्री	(1909547)	(0.07)	6794115	0.26
	18/05/2018	बिक्री	(2964108)	(0.11)	3830007	0.15
	25/05/2018	खरीद	1360556	0.05	5190563	0.20
	01/06/2018	बिक्री	(266095)	(0.01)	4924468	0.19
	08/06/2018	बिक्री	(1868315)	(0.07)	3056153	0.12
	15/06/2018	बिक्री	(2910000)	(0.11)	146153	0.01
	22/06/2018	खरीद	74652	0.00	220805	0.01
	29/06/2018	बिक्री	(88994)	0.00	131811	0.00
	06/07/2018	खरीद	194537	0.01	326348	0.01
	13/07/2018	खरीद	669857	0.03	996205	0.04
	20/07/2018	बिक्री	(775764)	(0.03)	220441	0.01
	27/07/2018	खरीद	887091	0.03	1107532	0.04
	03/08/2018	खरीद	92117	0.00	1199649	0.05
	10/08/2018	खरीद	51959	0.00	1251608	0.05
	17/08/2018	बिक्री	(1233218)	(0.05)	18390	0.00
	24/08/2018	खरीद	68424	0.00	86814	0.00
	31/08/2018	खरीद	1564380	0.06	1651194	0.06
	07/09/2018	खरीद	677347	0.03	2328541	0.09
	14/09/2018	बिक्री	(1443673)	(0.05)	884868	0.03
	21/09/2018	बिक्री	(254327)	(0.01)	630541	0.02
	28/09/2018	बिक्री	(630541)	(0.02)	0	0.00
	05/10/2018	खरीद	196487	0.01	196487	0.01
	12/10/2018	खरीद	1123022	0.04	1319509	0.05
	19/10/2018	बिक्री	(600389)	(0.02)	719120	0.03
	26/10/2018	खरीद	158000	0.01	877120	0.03
	02/11/2018	खरीद	39697801	1.50	40574921	1.54
	09/11/2018	बिक्री	(7687556)	(0.29)	32887365	1.25

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	16/11/2018	खरीद	3153559	0.12	36040924	1.37
	23/11/2018	बिक्री	(12043598)	(0.46)	23997326	0.91
	30/11/2018	खरीद	987577	0.04	24984903	0.95
	07/12/2018	बिक्री	(7925628)	(0.30)	17059275	0.65
	14/12/2018	बिक्री	(524179)	(0.02)	16535096	0.63
	21/12/2018	बिक्री	(675422)	(0.03)	15859674	0.60
	28/12/2018	बिक्री	(1252892)	(0.05)	14606782	0.55
	31/12/2018	खरीद	9523231	0.36	24130013	0.91
	04/01/2019	खरीद	570003	0.02	24700016	0.94
	11/01/2019	खरीद	967268	0.04	25667284	0.97
	18/01/2019	खरीद	2947432	0.11	28614716	1.08
	25/01/2019	खरीद	1971827	0.07	30586543	1.16
	01/02/2019	खरीद	2834482	0.11	33421025	1.27
	08/02/2019	खरीद	6434719	0.24	39855744	1.51
	15/02/2019	खरीद	4610515	0.17	44466259	1.68
	22/02/2019	खरीद	5451576	0.21	49917835	1.89
	01/03/2019	खरीद	2847723	0.11	52765558	2.00
	08/03/2019	खरीद	4461213	0.17	57226771	2.17
	15/03/2019	खरीद	303636	0.01	57530407	2.18
	22/03/2019	बिक्री	(2555590)	(0.10)	54974817	2.08
	29/03/2019	बिक्री	(1706811)	(0.06)	**53268006**	2.02
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				**53268006**	2.02
12.	**कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष				10710000	0.41
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	13/04/2018	खरीद	6000	0.00	10716000	0.41
	27/04/2018	बिक्री	(6000)	0.00	10710000	0.41
	11/05/2018	बिक्री	(6000)	0.00	10704000	0.41
	25/05/2018	बिक्री	(84000)	0.00	10620000	0.40
	01/06/2018	खरीद	30000	0.00	10650000	0.40
	01/06/2018	बिक्री	(18000)	0.00	10632000	0.40
	08/06/2018	खरीद	3354000	0.13	13986000	0.53
	15/06/2018	बिक्री	(210000)	(0.01)	13776000	0.52
	22/06/2018	बिक्री	(372000)	(0.01)	13404000	0.51
	29/06/2018	बिक्री	(42000)	0.00	13362000	0.51
	06/07/2018	खरीद	318000	0.01	13680000	0.52
	13/07/2018	खरीद	102000	0.00	13782000	0.52
	20/07/2018	बिक्री	(582000)	(0.02)	13200000	0.50
	27/07/2018	खरीद	498000	0.02	13698000	0.52
	03/08/2018	खरीद	60000	0.00	13758000	0.52
	17/08/2018	बिक्री	(6000)	0.00	13752000	0.52
	24/08/2018	बिक्री	(126000)	0.00	13626000	0.52
	31/08/2018	बिक्री	(36000)	0.00	13590000	0.51
	14/09/2018	बिक्री	(96000)	0.00	13494000	0.51

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	21/09/2018	बिक्री	(59351)	0.00	13434649	0.51
	28/09/2018	बिक्री	(1056649)	(0.04)	12378000	0.47
	05/10/2018	बिक्री	(12000)	0.00	12366000	0.47
	12/10/2018	खरीद	180000	0.01	12546000	0.48
	12/10/2018	बिक्री	(24000)	0.00	12522000	0.47
	19/10/2018	खरीद	30000	0.00	12552000	0.48
	26/10/2018	बिक्री	(12522000)	(0.47)	30000	0.00
	09/11/2018	खरीद	246000	0.01	276000	0.01
	16/11/2018	खरीद	260532	0.01	536532	0.02
	23/11/2018	खरीद	37148	0.00	573680	0.02
	30/11/2018	बिक्री	(573680)	(0.02)	**0**	0.00
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				**0**	0.00
13	**भारत 22 ईटीएफ**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष				10580363	0.40
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	06/04/2018	खरीद	29928	0.00	10610291	0.40
	06/04/2018	बिक्री	(186)	0.00	10610105	0.40
	13/04/2018	खरीद	41148	0.00	10651253	0.40
	13/04/2018	बिक्री	(28068)	0.00	10623185	0.40
	20/04/2018	खरीद	1908	0.00	10625093	0.40
	20/04/2018	बिक्री	(132264)	(0.01)	10492829	0.40
	27/04/2018	बिक्री	(7998)	0.00	10484831	0.40
	04/05/2018	बिक्री	(83292	0.00	10401539	0.39
	11/05/2018	खरीद	77767	0.00	10479306	0.40
	11/05/2018	बिक्री	(73632)	0.00	10405674	0.39
	18/05/2018	खरीद	650	0.00	10406324	0.39
	18/05/2018	बिक्री	(69966)	0.00	10336358	0.39
	25/05/2018	खरीद	9073	0.00	10345431	0.39
	25/05/2018	बिक्री	(118599)	0.00	10226832	0.39
	01/06/2018	खरीद	16644	0.00	10243476	0.39
	01/06/2018	बिक्री	(69852)	0.00	10173624	0.39
	08/06/2018	खरीद	14808	0.00	10188432	0.39
	08/06/2018	बिक्री	(3960)	0.00	10184472	0.39
	15/06/2018	खरीद	3249	0.00	10187721	0.39
	15/06/2018	बिक्री	(6528)	0.00	10181193	0.39
	22/06/2018	खरीद	56688	0.00	10237881	0.39
	22/06/2018	बिक्री	(165989)	(0.01)	10071892	0.38
	29/06/2018	खरीद	7132537	0.27	17204429	0.65
	29/06/2018	बिक्री	(49858)	0.00	17154571	0.65
	06/07/2018	खरीद	6922	0.00	17161493	0.65
	06/07/2018	बिक्री	(2188488)	(0.08)	14973005	0.57
	13/07/2018	बिक्री	(919082)	(0.03)	14053923	0.53
	20/07/2018	खरीद	4050	0.00	14057973	0.53
	20/07/2018	बिक्री	(477588)	(0.02)	13580385	0.51

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	27/07/2018	खरीद	3375	0.00	13583760	0.51
	27/07/2018	बिक्री	(923797)	(0.03)	12659963	0.48
	03/08/2018	खरीद	2331	0.00	12662294	0.48
	03/08/2018	बिक्री	(1143096)	(0.04)	11519198	0.44
	10/08/2018	खरीद	315	0.00	11519513	0.44
	10/08/2018	बिक्री	(70956)	0.00	11448557	0.43
	17/08/2018	खरीद	3790	0.00	11452347	0.43
	17/08/2018	बिक्री	(153960)	(0.01)	11298387	0.43
	24/08/2018	खरीद	9348	0.00	11307735	0.43
	24/08/2018	बिक्री	(235368)	(0.01)	11072367	0.42
	31/08/2018	खरीद	6766	0.00	11079133	0.42
	31/08/2018	बिक्री	(622416)	(0.02)	10456717	0.40
	07/09/2018	खरीद	3925	0.00	10460642	0.40
	07/09/2018	बिक्री	(27312)	0.00	10433330	0.40
	14/09/2018	खरीद	1889	0.00	10435219	0.40
	14/09/2018	बिक्री	(3792)	0.00	10431427	0.40
	21/09/2018	खरीद	3165	0.00	10434592	0.40
	21/09/2018	बिक्री	(4020)	0.00	10430572	0.40
	28/09/2018	बिक्री	(372411)	(0.01)	10058161	0.38
	05/10/2018	खरीद	7308	0.00	10065469	0.38
	05/10/2018	बिक्री	(5385)	0.00	10060084	0.38
	12/10/2018	खरीद	96000	0.00	10156084	0.38
	12/10/2018	बिक्री	(300)	0.00	10155784	0.38
	19/10/2018	खरीद	1380	0.00	10157164	0.38
	26/10/2018	बिक्री	(1597740)	(0.06)	8559424	0.32
	02/11/2018	बिक्री	(1620)	0.00	8557804	0.32
	09/11/2018	बिक्री	(1320)	0.00	8556484	0.32
	16/11/2018	बिक्री	(1092)	0.00	8555392	0.32
	23/11/2018	बिक्री	(152160)	(0.01)	8403232	0.32
	30/11/2018	बिक्री	(3270200)	(0.12)	5133032	0.19
	07/12/2018	खरीद	4464	0.00	5137496	0.19
	14/12/2018	बिक्री	(888)	0.00	5136608	0.19
	21/12/2018	खरीद	161392	0.01	5298000	0.20
	21/12/2018	बिक्री	(4272)	0.00	5293728	0.20
	28/12/2018	बिक्री	(366380)	(0.01)	4927348	0.19
	31/12/2018	बिक्री	(1380)	0.00	4925968	0.19
	04/01/2019	खरीद	797708	0.03	5723676	0.22
	11/01/2019	बिक्री	(164332)	(0.01)	5559344	0.21
	18/01/2019	खरीद	700508	0.03	6259852	0.24
	25/01/2019	बिक्री	(3360)	0.00	6256492	0.24
	01/02/2019	बिक्री	(3684)	0.00	6252808	0.24
	08/02/2019	बिक्री	(409284)	(0.02)	5843524	0.22
	15/02/2019	बिक्री	(922524)	(0.03)	4921000	0.19
	22/02/2019	खरीद	12108459	0.46	17029459	0.65

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	01/03/2019	बिक्री	(7506708)	(0.28)	9522751	0.36
	08/03/2019	बिक्री	(596330)	(0.02)	8926421	0.34
	15/03/2019	बिक्री	(778224)	(0.03)	8148197	0.31
	22/03/2019	बिक्री	(1843963)	(0.07)	6304234	0.24
	29/03/2019	बिक्री	(814560)	(0.03)	**5489674**	0.21
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				**5489674**	0.21
14	**वैनगॉर्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड**					
	वर्ष की शुरुआत में – प्रारंभिक शेष				9060032	0.34
	तारीख	**लेन–देन का प्रकार**				
	24/08/2018	खरीद	426278	0.02	9486310	0.36
	22/02/2019	खरीद	540602	0.02	10026912	0.38
	01/03/2019	खरीद	317709	0.01	**10344621**	0.39
	वर्ष के अंत में – अंतिम शेष				**10344621**	0.39

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक की शेयरधारिता :

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**राजीव शर्मा**				
	वर्ष की शुरूआत में	32574	0.00	32574	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कोई परिवर्तन नहीं	0.00	32574	0.00
	वर्ष के अंत में			32574	0.00
2.	**एन.बी. गुप्ता**				
	वर्ष की शुरूआत में	24584	0.00	24584	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कोई परिवर्तन नहीं	0.00	24584	0.00
	वर्ष के अंत में			24584	0.00
3.	**डी. रवि (31 मई, 2018 तक)**				
	वर्ष की शुरूआत में	2000	0.00	2000	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कोई परिवर्तन नहीं	0.00	2000	0.00
	वर्ष के अंत में			2000	0.00
4.	**सी. गंगोपाध्याय**				
	वर्ष की शुरूआत में	21488	0.00	21488	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कोई परिवर्तन नहीं	0.00	21488	0.00
	वर्ष के अंत में			21488	0.00
5.	**पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)**				
	वर्ष की शुरूआत में	27194	0.00	27194	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	5000	0.00	32194	0.00
	वर्ष के अंत में			32194	

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
6.	**अरुण कुमार वर्मा**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	Nil	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कोई परिवर्तन नहीं	0.00	Nil	0.00
	वर्ष के अंत में		Nil	0.00	
7.	**सीताराम पारीक**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	Nil	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कोई परिवर्तन नहीं	0.00	Nil	0.00
	वर्ष के अंत में			Nil	0.00
8.	**गौरी चौधरी**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	Nil	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कोई परिवर्तन नहीं	0.00	Nil	0.00
	वर्ष के अंत में			Nil	0.00
9.	**मनोहर बलवानी**				
	वर्ष की शुरूआत में	शून्य	0.00	Nil	0.00
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कोई परिवर्तन नहीं	0.00	Nil	0.00
	वर्ष के अंत में			Nil	0.00

V. ऋणग्रस्तता

बकाया / संचित, परंतु भुगतान के लिए देय नहीं, ब्याज सहित कंपनी को ऋणग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

		जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण*	अप्रतिभूत ऋण (भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बॉण्ड)	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता						
i)	मूलधन	20401.59	209136.77	5000.00	0.00	234538.36
ii)	देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	0.00	0.00	–	0.00	0.00
iii)	संचित परंतु देय नहीं ब्याज	818.54	6709.79	38.21	0.00	7566.54
	जोड़ (i+ii+iii)	**21220.13**	**215846.56**	**5038.21**	**0.00**	**242104.90**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन						
	वृद्धि	6886.42	111321.03	38.21	0.00	118245.67
	कमी	(8134.24)	(65832.84)	(38.21)	0.00	74005.28
	एक्सचेंज हानि	0.00	856.66	0.00	0.00	856.66
	निवल परिवर्तन	(1247.82)	46344.85	0.00	0.00	**45097.05**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता						
i)	मूलधन	19327.84	255742.78	5000	0.00	280070.62
ii)	देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iii)	संचित परंतु देय नहीं ब्याज	644.47	6448.65	38.21	0.00	7131.33
	जोड़ (i+ii+iii)	**19972.31**	**262191.43**	**5038.21**	**0.00**	**287201.95**

*टिप्पणी

1 वार्षिक लेखाओं की क्लोजिंग के लिए संगत विनिमय दर निम्नानुसार हैं:

	31-03-2019	31-03-2018
यूएसडॉलर / रुपए	69.1550	65.1750
जेपीवाई / रुपए	0.624175	0.61505
यूरो / रुपए	77.67250	80.8075

2 मूलधन (ऋण देयता) के मामले में वृद्धि ''वर्ष के दौरान ऋण'' को तथा कमी ''वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान'' को इंगित करता है।

3 ब्याज भुगतान के मामले में, जो दर प्रेषण के लिए लागू है, वह ब्याज खर्च की बुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है तथा इसलिए लेखाओं के लिए कोई विनिमय अभि लाभ / हानि नहीं होती है। इसलिए ब्याज में परिवर्तन को 'वृद्धि' के रूप में दिखाया गया है।

4 उपर्युक्त वर्णित , परिवर्तन हानि समन्वय के लिए '' कर नियमों'' के अनुसार परिकलित होता है; अगर हानि, ऋणमुक्ति के अनुसार जैसा कि एएस–11 में दिया गया है, लिया जाता है तो ऋण देयता का प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में मिलान नहीं हो सकता है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का पारिश्रमिक : (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		राजीव शर्मा	सी. गंगोपाध्याय	डी. रवि (31 मई 2018 तक)	एन. बी. गुप्ता	पी.के. सिंह (10 अगस्त 2018 से)	
1.	**सकल वेतन**						
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	10808565	9369191	7046052	8883389	3616032	39723229
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	3118923	105333	803914	199317	119780	4347267
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले में प्राप्त होने वाले लाभ	0	0	0	0	0	0
2.	स्टॉक विकल्प	0	0	0	0	0	0
3.	स्वेट इक्विटी	0	0	0	0	0	0
4.	कमीशन	0	0	0	0	0	0
	- लाभ के रूप में %	0	0	0	0	0	0
	- अन्य	0	0	0	0	0	0
5.	अन्य	4548693	741786	249615	1468892	484003	7492989
	जोड़ (क)	**18476181**	**10216310**	**8099581**	**10551598**	**4219815**	**51563485**
	अधिनियम के अनुसार सीमा*						

* पीएफसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक : (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि
		सीताराम पारीक	गौरी चौधरी	
1.	**स्वतंत्र निदेशक***	**सीताराम पारीक**	**गौरी चौधरी**	
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	660000	540000	1200000
	कमीशन	-	-	-
	अन्य	8200	6200	14400
	जोड़ (1)	**668200**	**546200**	**1214400**
2.	**अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक#**	**अरुण कुमार वर्मा**		
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	0		
	कमीशन	0		
	अन्य	0		
	जोड़ (2)	**0**		
	जोड़ (ख)=(12)			**1214400**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क + ख)			**52777885**
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा*			

नोट : अन्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिज़, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति और पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठकों में भाग लेने के लिए मानदेय की राशियां शामिल होती हैं।

*स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा निर्धारित सीमाओं के भीतर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित दर अर्थात ₹ 20,000 से अर्थात निदेशक मंडल और निदेशकों की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 1,00,000 सिटिंग शुल्क का भुगतान किया गया।

#सरकारी नामिती कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक अथवा सिटिंग फीस के लिए पात्र नहीं हैं।

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों से इतर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	कुल राशि
		श्री मनोहर बलवानी, सीएस	कुल राशि
1.	सकल वेतन		
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	5668186	5668186
(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	431967	431967
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में प्राप्त होने वाले लाभ	0	0
2.	स्टॉक विकल्प	0	0
3.	स्वेट इक्विटी	0	0
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य	0	0
5.	अन्य (अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति हितलाभ, आवासीय पट्टा और गैर कर योग्य अनुलब्धियों में अंशदान)	629538	629538
	जोड़	**6729691**	**6729691**

VII. अपराधों की शास्तियां/दंड/कंपाउंडिंग : (₹ करोड़ में)

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गई शास्ति/सजा/अधिरोपित कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील यदि कोई की गई हो
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
शास्ति					
दंड			शून्य		
कंपाउंडिंग					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

[कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुक्रम में]

क्र.सं.	विवरण	विस्तृत विवरण
1	किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों अथवा परियोजनाओं के सिंहावलोकन और सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए वेब लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।	पीएफसी की निगमित समाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति (सीएसआर एंड एसपी) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेशन सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी निगमित निकाय बन सके, जो मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देते हुए स्थायी विकास के लिए परियोजनाएं पूरी कर बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में और डीपीई के नए दिशा–निर्देशों के अनुसार पीएफसी के निदेशक मंडल ने निदेशकों की सीएसआर और एसडी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पीएफसी की सीएसआर और एसडी नीति अनुमोदित की गई। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में कंपनी द्वारा तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत एकल (स्टैंड–अलोन) निवल कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के कम–से–कम 2% के समतुल्य राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सीएसआर कार्यकलापों के लिए आबंटित की जाती है। पीएफसी ने अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति का कार्यान्वयन पूरी ईमानदारी और उत्साह के साथ किया है। सीएसआर संबंधी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए कंपनी ने एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर पर निदेशकों की सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन किया है। वर्ष के दौरान, पीएफसी ने पर्यावरणीय निरंतरता, कौशल विकास, साफ–सफाई, स्वास्थ्य देखरेख, और अन्यथा सक्षम/दिव्यांग लोगों की सहायता आदि के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर कार्यकलापों का कार्यान्वयन किया। डीपीई ने अपने दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई को प्राथमिक रूप से संभावित जिलों में सैद्धांतिक कार्यक्रमों (अर्थात वर्ष 2018 – 19 के लिए स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख के लिए) के लिए अपने सीएसआर बजट की 60% राशि खर्च करने का अनुदेश दिया है। पीएफसी की सीएसआर नीति और परियोजनाओं/कार्यक्रमों के विवरण निम्नलिखित लिंक : http://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSRpolicy_07032019.pdf http://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/List_of_the_projects_CSR_FY_18_19.pdf पर उपलब्ध हैं।
2.	सीएसआर समिति की संरचना	पीएफसी में सीएसआर और एसडी कार्यकलापों के लिए दिशा–निर्देश देने और विभिन्न सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने हेतु एक सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन किया गया है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समिति का स्वरूप निम्नानुसार है: 1. श्री सीताराम पारीक, स्वतंत्र निदेशक — अध्यक्ष 2. श्री प्रवीण कुमार सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) — सदस्य 3. श्री चिन्मय गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजना) — सदस्य
3.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पीएफसी का औसत निवल लाभ	₹ 7,407.42 करोड़
4.	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 में दी गई राशि का 2%)	वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली 2014 के नियम 2(च) (ii) के अनुरूप अधिनियम की धारा 135 के अनुपालन में और उसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों से प्राप्त लाभांश को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत एकल (स्टैंड–अलोन) पीबीटी के 2% के आधार पर ₹148.15 करोड़ का सीएसआर बजट अनुमोदित किया था।
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के विवरण :	
क	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि :	₹279.38 करोड़ (अर्थात वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ₹148.15 करोड़ और पिछले वर्ष के ₹131.23 करोड़ इस वर्ष में आगे लाए गए)।
ख	खर्च न की गई राशि, यदि कोई है :	₹7,407.42 करोड़
ग	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ढंग एवं उसके विवरण नीचे दिए गए हैं।	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹100.50 करोड़ की राशि निम्नलिखित ढ़ंग से खर्च की गई:

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष : (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ में)#	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	अशोक नगर जिले के चंदेरी कस्बे के चुनिंदा वार्डों में जल आपूर्ति पाइप लाइन।	साफ–सफाई/ पेय जल/स्वास्थ्य देखरेख	मध्य प्रदेश	3.66	3.46	3.29	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	आपदा के दौरान नष्ट हुई अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास गतिविधियां।	अन्य	उत्तराखंड	3.00	0.50	1.52	
3	अंबाला सर्कल के अंतर्गत तीन गांवों अर्थात फोज़ कुडाना, भोज प्लासरा और पाटिए की भूड में मिनी / माइक्रो ऑफ ग्रिड सोलर पीवी पावर प्लांट की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	हरियाणा	3.84	0.05	0.05	
4	बिहार के पिछड़े जिलों में 25000 ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	बिहार	8.99	1.60	8.99	
5	अरूणाचल प्रदेश के 8589 परिवारों के यहां एलईडी आधारित सोलर होम लाइटिंग प्रणालियां (एसएचएस)।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	अरुणाचल प्रदेश	15.12	2.73	10.87	
6	उत्तर प्रदेश के भदोही में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों का कार्यान्वयन।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.09	0.11	0.97	
7	उत्तर प्रदेश के फूलपुर में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों का कार्यान्वयन।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.09	0.11	0.97	
8	वाराणसी नगर निगम क्षेत्र के चौदह वार्डों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थों	साफ–सफाई/पेय जल/स्वास्थ्य देख–रेख	उत्तर प्रदेश	8.00	2.46	5.60	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष : (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ में)#	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	(एमएसडब्ल्यू) के संग्रहण, साफ–सफाई और परिवहन के लिए स्वचालित सेवाएं प्रदान करना।						
9	सोलन, हिमाचल प्रदेश में एकीकृत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पुनर्वास केंद्र (आईएमडीआरसी) के अंतर्गत मल्टी थेरेपी यूनिट।	साफ–सफाई/पेय जल/स्वास्थ्य देखरेख	हिमाचल प्रदेश	1.94	0.39	1.75	
10	उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों का कार्यान्वयन।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	-	0.13	1.14	
11	एससी/एसटी/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों के लिए रोजगारोन्मुख प्रषिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम (2000 लोगों के लिए)	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारत	7.89	0.79	7.71	
12	एससी/एसटी/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चरण–। (3000 लोगों के लिए)।	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारत	9.30	0.93	9.30	
13	मुंबई और इसके आस–पास के उप नगरीय क्षेत्रों अर्थात ठाणे, कल्याण, रायगढ़ और उराण में दिव्यांगजनों को हाईएंड प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक कृत्रिम अंग का प्रावधान।	साफ–सफाई/पेय जल/स्वास्थ्य देखरेख	महाराष्ट्र	1.10	0.25	1.08	
14	समाज के एससी/एसटी/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के लोगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम (900 लोगों के लिए)।	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारत	2.20	0.21	2.19	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष : (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ में)#	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
15	उत्तर प्रदेश के बस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों का कार्यान्वयन।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.28	0.13	1.14	
16	श्रवण बाधित बच्चों के लिए 100 कॉक्लीयर इम्प्लांट का फिटमेंट।	साफ–सफाई/पेय जल/स्वास्थ्य देखरेख	अखिल भारत	6.31	1.60	6.31	
17	1000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सौर सामुदायिक सिंचाई योजनाएं।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	छत्तीसगढ़	24.00	0.27	13.01	
18	उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों का कार्यान्वयन।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.13	0.11	1.01	
19	एससी / एसटी / अन्य पिछड़े वर्गों / महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के लोगों के लिए रोजगार उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम (1200 लोगों के लिए)।	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारत	4.53	1.72	4.01	
20	भदोही (संत रविदास नगर) जिले में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग (एसएलएस) प्रणालियों के कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना चरण–II।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.09	0.11	1.08	
21	देवरिया क्षेत्र में सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग (एसएलएस) प्रणालियों और सोलर हाईमास्ट लाईटस् (एसएचएमएलएस) का कार्यान्वयन।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	0.49	0.21	0.21	
22	आगरा (उत्तर), आगरा (दक्षिण) और फिरोज़ाबाद क्षेत्र में सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/ वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष	उत्तर प्रदेश	2.26	1.30	1.30	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष : (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ में)[#]	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	(एसएलएस) और सोलर हाई मॉस्ट लाइट प्रणालियों का कार्यान्वयन।	एलईडी लाइटिंग)					
23	सीतामढ़ी के सरकारी स्कूलों में 580 हैंड वाशिंग यूनिटों का निर्माण।	साफ–सफाई/पेय जल/स्वास्थ्य देखरेख	बिहार	1.99	1.79	1.79	
24	राजस्थान के पाली जिले के विभिन्न गांवों में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	राजस्थान	1.14	0.91	1.14	
25	एससी/एसटी/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों के लिए रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चरण-II (2500 लोगों के लिए)।	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारत	15.00	4.77	14.93	
26	बिजनौर के विभिन्न गांवों में 450 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.07	0.51	1.03	
27	मछलीशहर क्षेत्र, जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 500 इंडिया मार्क – ।। हैंड पम्पों की आपूर्ति और संस्थापना।	साफ–सफाई/पेय जल/स्वास्थ्य देखरेख	उत्तर प्रदेश	2.18	0.46	1.31	
28	अकबरपुर, कानपुर देहात में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.07	0.22	0.22	
29	लखनऊ में चुनिंदा प्राथमिक स्कूलों का उन्नयन।	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	उत्तर प्रदेश	0.14	0.14	0.14	
30	समाज के एससी/एसटी/अन्य पिछड़े वर्गों/महिलाओं तथा ई डब्ल्यू एस वर्ग के लोगों के लिए रोजगार उन्मुख कौशल	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	अखिल भारत	9.30	8.37	8.37	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष : (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ में)#	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चरण-II (3000 लोगों के लिए)।						
31	गिरीडीह में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग चरण–II।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	झारखंड	1.23	0.99	1.23	
32	सीतामढ़ी के विभिन्न गांवों में 725 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	बिहार	1.79	1.37	1.79	
33	दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली में पार्क (पॉकेट 7ए) का विकास।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल दक्ष एलईडी लाइटिंग)	दिल्ली	5.00	1.00	5.00	
34	बीकानेर के विभिन्न गांवों में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	राजस्थान	1.23	1.23	1.23	
35	श्रावस्ती जिले के विभिन्न गांवों में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.23	0.49	0.49	
36	झारखंड राज्य में ₹41.40 करोड़ (अनुमानित) की लागत से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)।	अन्य	झारखंड	41.50	41.50	41.50	
37	"आरा जिले के 3 ब्लॉकों (पीरो, बिहिया, जगदीशपुर) में विकासात्मक परियोजना, बिहार – भोजपुर ग्राम विकास कार्यक्रम" के लिए उपरिव्यय लागत (वास्तविक आधार पर) और ₹18.52	अन्य	बिहार	18.52	7.97	7.97	

क्र. सं.	चिन्हित की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	वह क्षेत्र जिससे परियोजना संबंधित है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य और जिला	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट/संस्वीकृत राशि) (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में) उपशीर्ष : (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टाधीन अवधि तक संचित व्यय (₹ करोड़ में)#	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	करोड़ की वित्तीय सहायता।						
38	आगरा के विभिन्न गांवों में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों (एसएलएस) की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा कुशल दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.13	1.02	1.02	
39	लालगंज के विभिन्न गांवों में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.13	1.02	1.02	
40	बागपत के विभिन्न गांवों में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	उत्तर प्रदेश	1.13	1.02	1.02	
41	महबूबनगर और रंगा रेड्डी जिलों के विभिन्न गांवों में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइटिग प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग।	पर्यावरणीय स्थिरता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/अपशिष्ट प्रबंधन/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	तेलंगाना	1.40	1.26	1.26	
42	स्वच्छ कुंभ कोष, कुंभ मेला 2019 में ₹ 2 करोड़ का अंशदान।	साफ–सफाई/पेय जल/स्वास्थ्य देखरेख	उत्तर प्रदेश	2.00	2.00	2.00	
43	प्रभाव मूल्यांकन/प्रशिक्षण/वेतन और भत्ते आदि।	प्रशासनिक उपरिव्यय	लागू नहीं	5.29	5.29	14.80	
				कुल	**100.50**		

#इसमें पिछले वर्षों से आगे जारी रखे गए कार्यकलापों पर किया गया व्यय शामिल है।

6.	यदि पीएफसी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% या उसके किसी भाग को खर्च करने में विफल हुआ है, तो पीएफसी को अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ऐसी राशि को खर्च न करने के कारण बताने होंगे।	एक वर्ष में संस्वीकृत की गई परियोजनाओं को आगामी वर्षों के दौरान पूरा किया जाता है और परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के पूरा होने पर भुगतान को लक्ष्यों के साथ लिंक किया गया है।
		डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएसआर संबंधी बजट समाप्त नहीं होता अर्थात यह नॉन–लैप्सेबल होता है और खर्च न की गई कोई भी राशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए सदुपयोग हेतु आगे ले जाई जाती है, जिनके लिए यह आबंटित की गई थी।
7.	सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।	पीएफसी की सीएसआर और स्थायित्व नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग पीएफसी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।

** उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर।*
** डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएसआर संबंधी बजट समाप्त नहीं होता अर्थात यह नॉन – लैप्सेबल होता है और खर्च न की गई कोई भी राशि उन्हीं प्रयोजनों के लिए सदुपयोग हेतु आगे ले जाई जाती है, जिनके लिए यह आबंटित की गई थी।*

नोट : वित्तीय वर्ष 2018 -19 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिए ₹ 118.19 करोड़ (प्रशासनिक उपरिव्यय को शामिल करते हुए) की राशि संवितरित की गई और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार संवितरित करने के लिए बकाया राशि (रिफंड को शामिल करते हुए) ₹ 118.51 करोड़ है।

हस्ताक्षरित/-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00973413

हस्ताक्षरित/-
(सीताराम पारीक)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
डीआईएन सं. 00165036

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'घ'

फॉर्म संख्या एओसी–2

[कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (2) और कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) के अनुक्रम में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं, जिनमें उनके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत एक निश्चित मात्रा वाले लेन–देन शामिल हैं, के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

क्र. सं.	विवरण	विवरण
1.	**ऐसी संविदाओं अथवा लेन–देनों अथवा व्यवस्थाओं के विवरण जो निकट संबंधित पक्षकारों के साथ नहीं किए गए हैं**	
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	शून्य
(ख)	संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेन–देनों का स्वरूप	
(ग)	संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेन–देनों की अवधि	
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देनों की प्रमुख शर्तें	
(ड.)	ऐसी संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देनों को करने का औचित्य	
(च)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	
(ज)	धारा 188 के पहले प्रावधान के अंतर्गत यथावश्यक आम बैठक में जारी किए गए विशेष संकल्प की तारीख	
2.	**संबंधित पक्षकारों के साथ की गई प्रमुख संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देनों के विवरण**	
(क)	संबंधित पक्षकार का नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	भारत के राष्ट्रपति, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं, पीएफसी के प्रोमोटर हैं।
(ख)	संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेन–देनों का स्वरूप	कंपनी ने प्रबंधकीय नियंत्रण के साथ साथ आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार के 1,03,93,99,343 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए भारत सरकार के साथ एक संबंधित पक्षकार लेन–देन किया है।
(ग)	संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेन–देनों की अवधि	मार्च, 2019
(घ)	मूल्य, यदि कोई है,सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देनों की प्रमुख शर्तें	पीएफसी ने 28 मार्च, 2019 को ₹139.5036 प्रति शेयर की दर से कुल ₹ 1,44,99,99,50,186/- की राशि से आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार के 103,93,99,343 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों (जो आरईसी लिमिटेड की कुल शेयर पूंजी के 52.63 % का प्रतिनिधित्व करता है) का अधिग्रहण किया।
(ड.)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख (तारीखें)	20 दिसंबर, 2018
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	–

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 00973413

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.07.2019

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक ड.

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी (पीएफसी) का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के कार्य–निष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न है।

(क) औद्योगिक ढांचा और विकास

भारत जीडीपी के साथ–साथ विद्युत की खपत के संदर्भ में विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में से एक है। चुनौती इस बात की है कि लगभग 1.3 मिलियन लोगों को विद्युत खपत और उच्च आर्थिक वृद्धि की ऊर्जा जरूरतों को कैसा पूरा किया जाए। सभी के लिए विश्वसनीय, वहनीय, निर्बाध रूप से (24x7) और गुणवत्तायुक्त विद्युत उपलब्ध कराने के प्रयोजन से देश में संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग और उत्पादन स्टेशनों से भार केंद्रों तक विद्युत के सुगम प्रवाह के लिए एक दक्ष, समन्वित, मितव्ययी और सुदृढ़ विद्युत प्रणाली का विकास अनिवार्य है।

भारत का विद्युत क्षेत्र उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है और इससे उद्योग जगत का दृष्टिकोण पुनः परिभाषित हुआ है। अर्थव्यवस्था में तेजी, विशेषरूप से विनिर्माण गतिविधियों के साथ–साथ अनुकूल सरकारी नीतियों से विद्युत की मांग में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। सरकारी योजनाओं जैसे कि डीडीयूजीजेवाई (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) और आईपीडीएस (एकीकृत विद्युत विकास योजना) की सहायता से विद्युतीकरण में वृद्धि हो रही है। सरकारी पहलों जैसे कि सभी परिवारों के लिए 24x7 विद्युत और उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), जिससे वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता में सुधार हुआ है और वे तुलनात्मक रूप से अधिक उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिक विद्युत की खरीद करने में सक्षम हुई हैं, की सहायता से इस क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि देखी गई है। सरकार नवीकरणीय क्षमता बढ़ाने का भी लक्ष्य बना रही है। भारत सरकार ने तुलनात्मक रूप से अधिक स्वच्छ वातावरण के संभावित लाभों, स्वास्थ्य लाभों, रोजगार सृज़न और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक निवेश बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने जैव ईंधनों पर राष्ट्रीय नीति – 2018 अनुमोदित की।

तथापि, इस क्षेत्र में और अधिक तेजी लाने के प्रयोजन से दक्ष कोयला आबंटन और प्रदायगी को प्राथमिकता देने, कोयला और विद्युत की आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, ऊर्जा मूल्यों को औचित्यपूर्ण बनाने और तुलनात्मक रूप से अधिक कुशल विद्युत उत्पादन और प्रदायगी (आपूर्ति) को बढ़ावा देने के लिए निवेश के इस्तेमाल से संबंधित और अधिक सुधारों की आवश्यकता है।

उत्पादन

स्थापित क्षमता

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार भारत की कुल स्थापित क्षमता 356100 मेगावाट थी। इसमें ताप विद्युत क्षेत्र का वर्चस्व बना हुआ है और इसकी हिस्सेदारी 63% (226279 मेगावाट), जल विद्युत क्षेत्र 13% (45399 मेगावाट), नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र 22% (77642 मेगावाट) और नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 2% (6780 मेगावाट) है। स्थापित क्षमता में राज्य क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 30% (1,05,076 मेगावाट), निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 46% (1,64,428 मेगावाट) और केंद्रीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 24% (86,596 मेगावाट) रही। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 8106 मेगावाट निर्धारित किया गया। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 5921 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

पारेषण

भारत में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधन असामान्य तरीके से और कुछ पॉकेटों में ही सघन रूप से फैले हुए हैं। पारेषण विद्युत प्रदायगी मूल्य श्रृंखला का एक महत्पूर्ण भाग है, जो उत्पादन केंद्रों से विद्युत के निष्कर्षण और भार केंद्रों को इसकी प्रदायगी को सुकर बनाता है। कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत की दक्ष प्रदायगी के लिए पारेषण प्रणाली नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली का विस्तार, राष्ट्रीय ग्रिड का सुदृढ़ीकरण और पारेषण प्रणाली नेटवर्क का विस्तार आवश्यक है। विभिन्न विद्युत उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पन्न विद्युत के निष्कर्षण और उपभोक्ताओं को इसके वितरण के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान पारेषण लाइनों के एक गहन नेटवर्क का विकास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019 के अंत में हमारे देश में 4,13,407 सर्किट किमी (220 किलोवाट और उससे अधिक के वोल्टेज स्तर पर) पारेषण लाइनों का एक सघन पारेषण नेटवर्क उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 22,647 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों के विस्तार के लक्ष्य की तुलना में 22,437 सर्किट किमी पारेषण लाइनों का विस्तार किया गया है।

वितरण

वितरण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चूंकि यह विद्युत कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच एक मात्र अंतरापृष्ठ (कड़ी) है, इसलिए यह पूरे विद्युत क्षेत्र के लिए एक नकदी रजिस्टर के रूप में है। इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि विद्युत का वितरण विद्युत आपूर्ति श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी है। इसका महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसका इस क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और अंततः उपभोक्ताओं, जो इन सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं, पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत विद्युत एक समवर्ती विषय है और ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं को विद्युत के वितरण और आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। भारत सरकार वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं/केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती है। परिभाषित नियामक ढ़ांचे के साथ–साथ एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 और राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2006 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विनियम है, जो आज इस क्षेत्र के लिए लागू हैं और इन्हें इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा अंतिम उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाले सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

भारतीय वितरण कंपनियों का सुधार हमेशा से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वितरण क्षेत्र के कार्य–निष्पादन में सुधार के लिए भारत सरकार ने अब तक की सर्वाधिक व्यापक विद्युत क्षेत्र सुधार योजना अर्थात उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का शुभारंभ 2015 में इस उद्देश्य से किया था कि

राज्य की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का कायाकल्प किया जा सकता है। उपर्युक्त योजना राज्य की वितरण कंपनियों के कायाकल्प के लिए भारतीय विद्युत क्षेत्र की सुधार गाथा में सबसे बड़ा योगदान करने वाली योजना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी वितरण क्षेत्र के विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) भी शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर में परिवारों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। वितरण क्षेत्र के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा जोर दिए जाने से और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय निवेश किए जाने से एकीकृत हानियों में कमी हुई है, एसीएस और एआरआर के बीच का अंतर भी घटा है और एटी एंड सी हानियों में भी कमी हुई है।

(ख) अवसर और जोखिम (चुनौतियां)

अवसर

आपकी कंपनी भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है। यह भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन में एक रणनीतिक भूमिका अदा करती है। पीएफसी भारत सरकार, राज्य सरकारों और विद्युत क्षेत्र की कंपनियों, विद्युत क्षेत्र के अन्य माध्यस्थों और निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए नीतियों के विकास तथा कार्यान्वयन और ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों के लिए मिलकर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यह विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल है, जिसमें यूएमपीपी कार्यक्रम और आईपीडीएस (आर–एपीडीआरपी इसमें आमेलित) जैसे कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा आईटीपी योजना के लिए अपने पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी अर्थात पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से एक बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करना मुख्य रूप से उल्लेखनीय है।

पीएफसी उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय), पारेषण और वितरण क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ–साथ संबंधित नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं सहित विद्युत क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं को परियोजना की परिकल्पना से लेकर स्थापना के बाद वाले चरण तक विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद और संबंधित परामर्श तथा अन्य सेवाएं प्रदान करता है। पीएफसी विभिन्न प्रकार की निधि आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें दीर्घावधि परियोजना वित्तपोषण, अल्पावधि ऋण, क्रेता की लाइन ऑफ क्रेडिट, ऋण की अंडरराइटिंग और ऋण के पुनर्वित्तपोषण के लिए योजनाओं के साथ–साथ भुगतान में चूक के लिए गारंटियों, क्रेडिट बढ़ाने के लिए गारंटियों और चुकौती आश्वासन पत्र गैर–निधि आधारित सहायता शामिल हैं। आपकी कंपनी अपने पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए बहुत–सी शुल्क आधारित तकनीकी, सलाहकार और परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और भारतीय विद्युत क्षेत्र के विस्तार के लिए भारी मात्रा में निधियों की आवश्यकताओं के मद्देनज़र पीएफसी इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में है, जो इसके पिछले कई वर्षों से चले आ रहे अच्छे वित्तीय और प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन से व्यवहार्य प्रतीत होता है।

जोखिम, खतरे और चिंताएं

इस तथ्य के बावजूद कि पीएफसी विद्युत क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छी वित्तीय स्थिति वाला संगठन है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसका व्यवसाय जोखिमों से मुक्त है। कंपनी अपने प्रचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उभरते हुए जोखिमों की पहचान करती है और जोखिमों का समाधान करने और प्रबंधन करने के लिए सक्रिय रूप से समय पर कार्रवाई करती है। कंपनी के समक्ष कुछ मौजूदा जोखिम और चिंताएं निम्नानुसार हैं :

1. **आर्थिक मंदी**
   भारत में आर्थिक विकास में मंदी पीएफसी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। पीएफसी का कार्य–निष्पादन और इसके व्यवसाय का विकास समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर निर्भर है।

2. **राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति**
   कई वर्षों से जनाधार पर आधारित टैरिफ योजनाओं, एटी एंड सी हानियों के लगातार बढ़ने और प्रचालनात्मक अदक्षताओं के फलस्वरूप राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है।

3. **क्रेडिट जोखिम**
   क्रेडिट संबंधी जोखिम में ऐसी हानि का जोखिम शामिल होता है जो किसी ऋणकर्ता की क्रेडिट गुणवत्ता के हास से उत्पन्न होता है और साथ ही इसमें ऐसा संभावित जोखिम निहित होता है कि ऋणकर्ता किसी ऋण अथवा अग्रिम के अंतर्गत संविदागत पुनर्भुगतान में चूक करेगा।

4. **कानूनी जोखिम**
   कानूनी जोखिम हमारे ऋणकर्ताओं की बाध्यताओं से संबंधित संविदाओं की प्रवर्तनीयता की अनिश्चितता से उत्पन्न होते हैं। यह प्रवर्तन की प्रक्रिया में विलंब के परिणामस्वरूप अथवा संविदागत बाध्यताओं को लागू करने में कठिनाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकते हैं।

5. **ब्याज दर संबंधी जोखिम**
   इस बात का जोखिम कि बाजार में ब्याज दरों में परिवर्तन होने से कंपनी की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी। ब्याज दर से संबंधित प्राथमिक जोखिम, कंपनी को जिनका सामना करना पड़ता है, में समय का अंतर उल्लेखनीय है। ब्याज दरें परिवर्तनशील होती हैं और विभिन्न आंतरिक और बाह्य घटकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें ऋण प्राप्त करने की लागत, बाजार में चलनिधि, प्रतिस्पर्धियों की दरें, बेंचमार्क जैसे कि एएए बॉण्ड / जीएसईसी प्रतिफल में उतार–चढ़ाव और आरबीआई के नीतिगत परिवर्तन शामिल होते हैं।

6. **विधान में परिवर्तन :**
पीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। यह एक गैर–जमा राशि लेने वाली व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण एन बी एफ सी के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत है और जुलाई, 2010 में इसे एक आईएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके परिणामस्वरूप बहुत से विधान जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देश, आरबीआई अधिनियम और दिशा–निर्देश, कर संबंधी विनियम आदि पीएफसी के लिए लागू होते हैं। इन विधानों में परिवर्तन से हमारी कंपनी के प्रचालनात्मक परिणाम बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।

(ग) खंड–वार अथवा उत्पाद–वार कार्य–निष्पादन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और कंपनी के पास ऐसा कोई अलग खंड नहीं है जिसके बारे में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

(घ) दृष्टिकोण

ऐसी उम्मीद है कि चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद भी भारत लगातार वृद्धि के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई एवं उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में बना रहेगा। ब्लॉक में महत्वपूर्ण सुधारों के साथ भारत को वैश्विक विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है। संरचनात्मक सुधार पर ज़ोर, जीएसटी का कार्यान्वयन, मुद्रास्फीति को लक्ष्य मानते हुए उपायों को अपनाना, नए दिवालियापन कोड, वित्तीय समावेशन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदारीकरण, काले धन पर अंकुश लगाने के उपाय और सूचना एकत्रीकरण प्लेटफार्मों के संरेखण के माध्यम से डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने जैसे कारक भारत को अपनी उत्पादकता की गतिशीलता में सुधार करने और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। विद्युत सहित बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि, परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन और सुधारों को जारी रखने से विकास को और गति प्राप्त होने की उम्मीद है। इन सभी कारकों से पता चलता है कि भारत का वित्तीय क्षेत्र मजबूत वृद्धि के लिए भी तैयार है।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना रोडमैप जारी किया है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल हैं। भारत सरकार 2022 तक सोलर रूफ टॉप परियोजनाओं से 40 गीगावाट (जीडब्ल्यू) विद्युत उत्पादन के अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता के लिए एक 'रेंट ए रूफ' नीति तैयार कर रही है। इसके अतिरिक्त, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के भाग के रूप में इसकी पूरी क्षमता का सदुपयोग करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस क्षेत्र में अग्रणी देश बनने के लिए भारत के पास अभूतपूर्व क्षमता उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए सौर पार्कों और सौर प्लांटों की स्थापना की जाए कि सौर ऊर्जा देश के दूरस्थ कोनों तक पहुंच सके। आगे आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए बाध्य है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी राह देख रहा है।

(ड.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी ने अपने प्रचालनों के आकार के अनुरूप उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण के लिए सुदृढ़ प्रणाली लागू की है। कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक सतत् आधार पर कार्य करते हैं, जिसमें ऐसे वित्तीय और अन्य मामलों को शामिल किया जाता है। यह सुनिश्चित करने कि सभी प्रकार की जांच और मॉनीटरिंग तंत्र भली–भांति काम कर रहे हैं तथा सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां यथावत चल रही हैं, के प्रयोजन से कंपनी के अपने आंतरिक लेखा विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित रूप से और सघन रूप से आंतरिक लेखापरीक्षाएं संचालित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति आवधिक रूप से विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स ए. आर. एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में तिमाही आधार पर अधिप्रमाणन किया है। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक अर्थात मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और मैसर्स गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) से मार्गदर्शी नोट के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार यह प्रमाणित करते हुए अपनी एक रिपोर्ट भी दी है कि कंपनी ने सभी वास्तविक संदर्भों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और इस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उस समय ठीक ढंग से कार्य कर रही थी।

पीएफसी एक आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त कंपनी है। इन सुदृढ़ और कठोर आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और क्रेडिट समीक्षा तंत्र से चूक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और ये सभी स्टेकधारकों का विश्वास हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

(च) प्रचालनात्मक निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा स्वास्थ्यकर वृद्धि जारी रखी गई। कंपनी की कुल आय वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 25,980 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 28,851 करोड़ रही। आपकी कंपनी के कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 58% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 4,387 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में बढ़कर ₹ 6,953 करोड़ हो गया।

इसके अतिरिक्त कंपनी के निवल मूल्य (शेयर पूंजी और सभी आरक्षित निधियां) में 17% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 36,956 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में बढ़कर ₹ 43,288 करोड़ हो गया और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की ऋण

परिसंपत्तियों में 13% की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,79,329 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में बढ़कर ₹ 3,14,667 करोड़ हो गईं।

कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण सभी महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंड वित्तीय वर्ष 2018–19 में बढ़ गए हैं। निवल मूल्य पर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2017–18 में 12.12% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में से बढ़कर 17.33% हो गया है। कुल परिसंपत्तियों पर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1.65% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में 2.33% हो गया है। यद्यपि ऋण इक्विटी अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई है और यह वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में 6.21 गुना की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 – 19 में 6.66 गुना हो गया है।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में कंपनी ने 1 अप्रैल, 2018 से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (''इंड एएस'') का अनुपालन यथालागू सीमा तक किया है।

(छ) मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास

आपकी कंपनी उद्योग जगत की सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अनुपालन करने का प्रयास करती है। कार्यबल की प्रतिबद्धता कल्याणकारी उपायों के एक प्रभावी पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है जिसमें व्यापक बीमा, चिकित्सा सुविधाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं जो एक स्वस्थ कार्यबल का नेतृत्व करती हैं। आपकी कंपनी अपने कार्मिकों को सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन के रूप में मानती है और कौशल विकास सहित उनके सतत् विकास पर बहुत अधिक ज़ोर देती है। समग्र मानव संसाधन विकास योजना के भाग के रूप में कंपनी में अपने कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण योजना प्रणाली लागू की गई है। जरूरत के आधार पर तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सभी स्तर के कार्मिकों को अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कंपनी के अपने कार्मिकों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक भी व्यक्ति कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ। 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए एट्रीशन की दर शून्य थी। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्मिक नामावली में 498 कार्मिक शामिल थे।

(ज) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास (सीएसआर और एसडी)

आपकी कंपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास संबंधी पहलों के माध्यम से सामाजिक रूप से जबावदेह निगमित निकाय बनना चाहती है जो बड़े पैमाने पर समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अनुसार आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व नीति (सीएसआर और संधारणीयता नीति) के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपकी कंपनी सतत विकास के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार निगमित निकाय बन जाए।

वर्ष के दौरान, पीएफसी ने पर्यावरणीय स्थिरता, कौशल विकास, साफ–सफाई, स्वास्थ्य देख भाल, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में और अन्यथा सक्षम (दिव्यांग) व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों का कार्यान्वयन किया। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निदेशक मंडल ने ₹ 148.15 करोड़ के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी।

(झ) नवीकरणीय और स्वच्छ विकास तंत्र

भारत 'नए भारत', के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा युक्त भविष्य के अपने स्वप्न को साकार करने हेतु कई कदम उठा रहा है। भारत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय क्षमता विस्तार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष जोर देते हुए स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है। भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और परिनियोजन के लिए ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत की कमी, ऊर्जा अभिगम, जलवायु परिवर्तन आदि प्रमुख चालक रहे हैं।

सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई), पूंजीगत और ब्याज सब्सिडी, व्यवहार्यता अंतराल निधियन, छूट युक्त वित्तपोषण, राजकोषीय प्रोत्साहनों आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों का प्रस्ताव देकर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाने और बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य विद्युत उत्पादन और अन्य इस्तेमाल के लिए सौर ऊर्जा के विकास और प्रयोग को बढ़ावा देना है और जीवाश्म आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को पूरा करना इसका अभीष्ट उद्देश्य है। राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े पैमाने पर परिनियोजन के लक्ष्यों, गहन अनुसंधान और विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल, संघटकों और उत्पादों के घरेलू स्तर पर उत्पादन के माध्यम से देश में सौर विद्युत उत्पादन की लागत को घटाना है। नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन की तुलना में लागत प्रभावी होती जा रही है।

स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर सरकार के ज़ोर को ध्यान में रखते हुए पीएफसी भी स्वच्छ/नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पीएफसी ने जल–विद्युत उत्पादन परियोजनाओं (>25 मेगावट) के लिए ₹ 2,271 करोड की मंजूरियां जारी कीं और ₹ 134 करोड़ की राशि संवितरित की। इसके अतिरिक्त, पीएफसी ने इसी अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 8,139 करोड़ की संस्वीकृतियां जारी कीं और ₹ 3,900 करोड़ की राशि संवितरित की।

सचेतक टिप्पणी

''प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण'' भाग में दिए गए कुछ बयान / विवरण दूरदर्शी प्रकृति के हो सकते हैं और उन्हें लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक बताया गया है। विभिन्न घटकों के आधार पर वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी निष्पादन और दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों से काफी अलग हो सकते हैं। पाठकों को सचेत किया जाता है कि वे भविष्य के लिए पूर्वपरिकल्पित इन विवरणों पर अनावश्यक विश्वास न करें।

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक च

एकीकृत रिपोर्टिंग

प्रत्येक संगठन सफलता के लिए विभिन्न पूंजी पर निर्भर होता है और यह जानना बहुत जरूरी है कि कैसे यह पूंजी, विशेष रूप से गैर–वित्तीय पैरामीटर संगठन और सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य का सृजन करते हैं।

सेबी ने अपने दिनांक 6 फरवरी 2017 के परिपत्र के माध्यम से शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2017–18 से स्वैच्छिक आधार पर समेकित रिपोर्टिंग (आईआर) अपनाने की सलाह दी। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निर्धारित गैर–वित्तीय प्रकटीकरण को शामिल करके पीएफसी सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाने का निरंतर प्रयास करता है।

समेकित रिपोर्टिंग रूपरेखा आपकी कंपनी को न केवल अपने गैर–वित्तीय निष्पादन की जानकारी प्रदान करने में समर्थ बनाती है अपितु वित्तीय एवं गैर–वित्तीय निष्पादन के बीच संबंधों को उजागर करने में भी समर्थ बनाती है। यह प्रकटीकरण अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा में अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद् (आईआईआरसी) द्वारा अंगीकृत मूल्य सृजन के पूंजी मॉडल का प्रयोग करके सुगठित है और पूंजी के ऐसे रूपों पर हमारी निर्भरता एवं प्रभाव का वर्णन करता है जो दीर्घ अवधि में मूल्य सृजित करने की हमारी सामर्थ्य की बुनियाद है।

उपर्युक्त रूपरेखा में पूंजी को वित्तीय, विनिर्मित, बौद्धिक, मानव, सामाजिक एवं संबंध तथा प्राकृतिक पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

छह पूंजियां

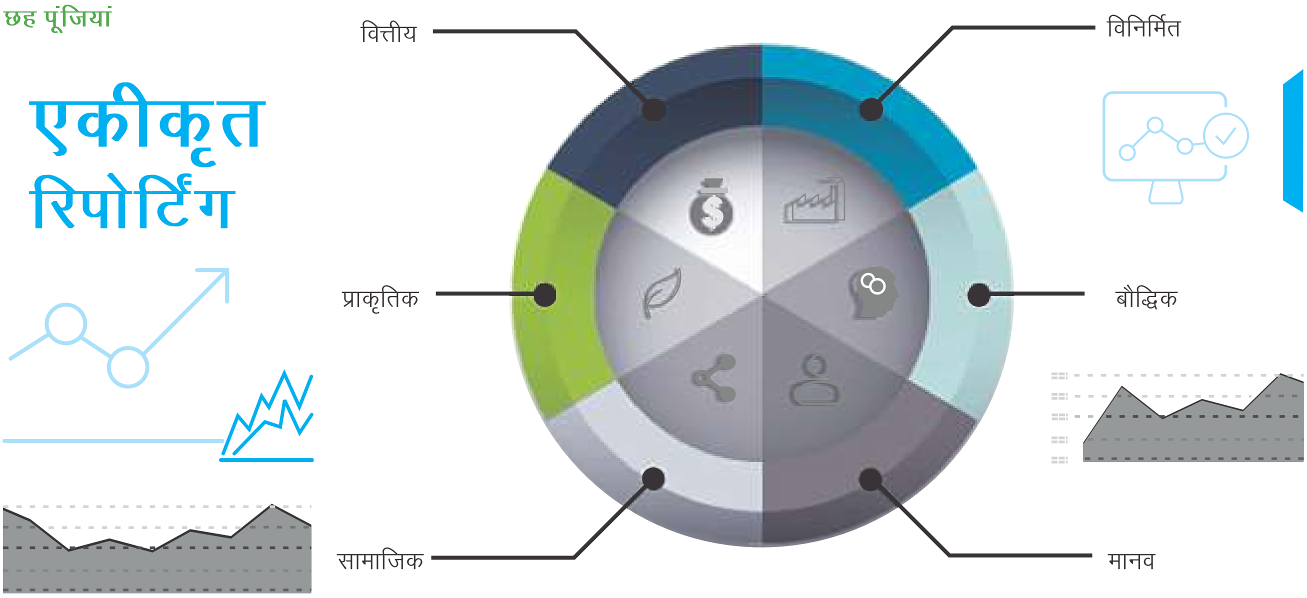

वित्तीय पूंजी

मोटे तौर पर वित्तीय पूंजी को किसी संगठन के पास उपलब्ध निधियों के भंडार के रूप में समझा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण पूंजी है क्योंकि यह विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम करती है जो पूंजी के अन्य रूपों में परिवर्तन के माध्यम से मूल्य प्राप्त कर सकता है।

प्रोद्भूत वित्तीय पूंजी ऋण लिखतों पर लाभांश एवं ब्याज के रूप में शेयरधारकों को प्रदान की जाती है। सरकार को विभिन्न करों का भुगतान किया जाता है जिससे हमारे देश के समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। आपकी कंपनी की मुख्य पूंजियां इस प्रकार हैं :

	पीएटी	संवितरण	ऋण परिसंपत्तियां
वित्तीय वर्ष 2018-19	₹ 6,953 करोड़	₹ 67,678 करोड़	₹ 3,14,667 करोड़
वित्तीय वर्ष 2017-18	₹ 4,387 करोड़	₹ 64,414 करोड़	₹ 2,79,329 करोड़

उपर्युक्त मात्रा से स्वतः स्पष्ट है। अपनी वित्तीय पूंजी के माध्यम से पीएफसी विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में पथप्रदर्शक की भूमिका निभाकर अपने स्टेकधारकों के लिए श्रेष्ठ मूल्य का सृजन करने में योगदान कर रहा है और इसके फलस्वरूप देश के वित्तीय क्षेत्र के विकास में योगदान कर रहा है। वित्तीय पूंजी का प्रयोग करके पीएफसी मानव पूंजी तथा सामाजिक एवं संबंध पूंजी जैसी अन्य पूंजियों का भी सृजन कर रहा है।

विनिर्मित पूंजी

पीएफसी विनिर्माण कंपनी नहीं है तथा केवल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की पेशकश करता है। अतः पीएफसी में इस पूंजी की प्रयोज्यता सीमित है। तथापि, पीएफसी अपनी मूर्त एवं अमूर्त अवसंरचना के रूप में विनिर्मित पूंजी में योगदान करता है।

पीएफसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसमें अत्याधुनिक अवसंरचना, नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण है। अपने कारोबारी प्रचालनों को सुगम बनाने के लिए पीएफसी क्षेत्रीय कार्यालयों का भी अनुरक्षण करता है।

दक्षता एवं प्रदायगी तंत्र में सुधार के लिए पीएफसी भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश करता है जिसमें भौतिक अवसंरचना, आईटी प्रणालियां एवं अवसंरचना शामिल हैं, जिससे अंततः सभी संबद्ध स्टेकधारकों के लिए बेहतर सेवाओं का मार्ग प्रशस्त होता है।

मौजूदा विनिर्मित पूंजी पीएफसी को बाजार या सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील होने में समर्थ बनाती है। इस सीमित विनिर्मित पूंजी का सृजन करके पीएफसी राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के प्रयोग को कम करता है और मानव सृजनशीलता, इस प्रकार हमारे देश की दक्षता एवं संपोषणीय विकास दोनों में वृद्धि पर अधिक बल देता है।

विनिर्मित पूंजी अन्य प्रकार की पूंजी, विशेष रूप से मानव पूंजी के सृजन पर बल देने में भी पीएफसी की सहायता कर रही है।

बौद्धिक पूंजी

मोटे तौर पर बौद्धिक पूंजी को अमूर्त पूंजी के रूप में समझा जाता है जो बौद्धिक संपत्ति जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर एवं संगठनात्मक प्रणालियां, प्रक्रियाएं तथा प्रोटोकॉल तथा अमूर्त पूंजी जो ब्रांड एवं प्रतिष्ठा जिसका कोई संगठन विकास करता है, से संबद्ध है, सहित प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करती है।

पीएफसी भारत में विद्युत क्षेत्र के लिए नीतियों तथा संरचनात्मक एवं प्रक्रियागत सुधारों के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत क्षेत्र की कंपनियों, विद्युत क्षेत्र के अन्य मध्यवर्तियों के साथ घनिष्ठता से काम करता है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी विद्युत क्षेत्र के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल है जिसमें यूएमपीपी कार्यक्रम तथा आईपीडीएस/आर–एपीडीआरपी के लिए नोडल एजेंसी तथा आईटीपी योजना के लिए हमारी पूर्णतः स्वामित्वाधीन वाली सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के माध्यम से बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में काम करना शामिल है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र के विकास तथा वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार में योगदान कर रही है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास में पीएफसी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, पीएफसी ने स्वस्थ संगठनात्मक प्रणालियों, प्रक्रियाओं, सॉफ्टवेयर एवं प्रोटोकॉल का विकास किया है जो पीएफसी को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर रहे हैं तथा बाजार में ब्रांड एवं प्रतिष्ठा का विकास करने में इसकी सहायता कर रहे हैं।

चूंकि बौद्धिक पूंजी मुख्य रूप से मानव संसाधन से संबंधित है, इसलिए पीएफसी ने प्रभावी मानव संसाधन अधिग्रहण एवं अनुरक्षण नीति लागू की है जिसमें संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्पित सर्वोत्तम कॉर्पोरेट पद्धतियों के मानदंड शामिल हैं।

इन संगठनात्मक प्रणालियों, प्रक्रियाओं एवं प्रोटोकॉल अर्थात बौद्धिक पूंजी के माध्यम से पीएफसी ने अपने प्रचालन एवं प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान एवं बौद्धिकता प्राप्त की है। इस गतिशील व्यवसाय परिवेश को बनाए रखने के लिए पीएफसी ने अपने प्रतिभा पूल का निर्माण करना और व्यवधानों का सामना करने, नवाचार करने के लिए बौद्धिक पूंजी का सृजन करना जारी रखा है ताकि परिवर्तित व्यवसाय मॉडलों से उत्पन्न परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन करना संभव हो सके।

मानव पूंजी

मानव पूंजी का अभिप्राय किसी संगठन के व्यावसायिकों के कौशल एवं तकनीकी ज्ञान तथा उनकी प्रतिबद्धता एवं प्रेरणा और मार्ग–दर्शन करने, सहयोग करने या नवाचार करने के लिए उनकी सामर्थ्य से है।

आपकी कंपनी ने प्रभावी मानव संसाधन अधिग्रहण एवं अनुरक्षण प्रणाली लागू की है जिसमें संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्पित सर्वोत्तम कॉर्पोरेट पद्धतियों के मानदंड शामिल हैं। अन्य कार्यनीतिक हस्तक्षेपों के अतिरिक्त इससे मानव संसाधन के प्रभावी प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होता है जिससे उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

पीएफसी में अत्यधिक कुशल, व्यावसायिक दृष्टि से योग्य एवं अनुभवी कार्यबल है। पीएफसी प्रबंधन की सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुसरण करता है। कंपनी के कार्मिकों की प्रबंधन के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच है जिससे वे कंपनी के विकास एवं प्रबंधन में प्रभावी ढंग से योगदान कर रहे हैं। पीएफसी का यह मानना है कि कार्मिक तभी सशक्त होते हैं जब उनको ऐसी नीतियों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी होती है जो उन्हें प्रभावित करती हैं, इसलिए पीएफसी ने कल्याणकारी उपायों के प्रभावी पैकेज के माध्यम से मानव संसाधन से संबंधित प्रमुख नीतियों को संस्थानीकृत किया है जिससे कार्यबल की प्रतिबद्धता का सुनिश्चय होता है जिसमें चिकित्सा सुविधाएं, बाल देखरेख अवकाश तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं जिससे स्वस्थ कार्यबल का मार्ग प्रशस्त होता है।

कंपनी के भीतर कार्मिकों के साथ संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण हैं, जिसकी वजह से वे कंपनी के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस कारण से पीएफसी जिम जैसी सुविधाओं, विभिन्न खेलों, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में कार्मिकों की भागीदारी के माध्यम से अपने कार्मिकों के समग्र व्यक्तित्व का निरंतर विकास कर रहा है। पीएफसी समय समय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता तथा भाषायी महोत्सव आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ऐसी गतिविधियों में भागीदारी से कार्मिकों में टीम भावना तथा फिटनेस के स्तर में वृद्धि होती है।

ऐसा करके पीएफसी मजबूत मानव पूंजी का सृजन करने में समर्थ हुआ है और इस अत्यधिक प्रेरित कार्यबल के फलस्वरूप पीएफसी वर्ष–दर–वर्ष उत्कृष्ट विकास प्राप्त कर सकता है। पीएफसी का विकास देश के विकास में योगदान कर रहा है और अपने स्टेकधारकों के लिए मूल्य का सृजन कर रहा है। यह अत्यधिक प्रेरित कार्यबल समाज में व्यापक रूप से परिवर्तन ला रहा है।

सामाजिक एवं संबंध पूंजी

सामाजिक एवं संबंध पूंजी का अभिप्राय किसी संगठन एवं उसके सभी स्टेकधारकों के बीच संबंध से सृजित संसाधनों एवं मूल्य से है। इन संबंधों में समुदाय के साथ संबंध, सरकारी संबंध, ग्राहकों तथा पूर्ति श्रृंखला के साझेदारों के साथ संबंध शामिल हैं।

पीएफसी सदैव लोगों एवं समाज के जीवन में व्यापक रूप से परिवर्तन लाना चाहता है। पीएफसी समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयास करता है ताकि सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को वास्तव में एवं स्थायी रूप से कम करने तथा पर्यावरण का संरक्षण करने में मदद मिले सके। पीएफसी ने ऐसी गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखा है जिनका उद्देश्य वर्तमान एवं भावी दोनों पीढियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और साथ ही सभी विविधताओं के साथ जीवन को सहारा देने में धरती की क्षमता की रक्षा करना है।

पीएफसी ने सीएसआर एवं सधारणीयता नीति स्थापित की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार निगमित संस्था बने और पूरे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बोर्ड ने ₹ 148.15 करोड़ के सीएसआर बजट को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष के दौरान पीएफसी द्वारा पर्यावरणीय संधारणीयता, कौशल विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखरेख तथा दिव्यांगजनों को सहायता जैसे क्षेत्रों में अनेक गतिविधियां संचालित की गईं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 10 दिसंबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डीपीई ने सीपीएसई को वरीयता महत्वाकांक्षी जिलों में विषयपरक कार्यक्रम (अर्थात वर्ष 2018–19 के लिए स्कूल शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखरेख) के लिए सीएसआर बजट का 60% खर्च करने की हिदायत दी है।

अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के अंग के रूप में पीएफसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों के कल्याण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निदेशों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उठाए गए कदमों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए विभिन्न निदेशों के अंतर्गत यथालागू आरक्षण एवं छूट शामिल हैं।

प्राकृतिक पूंजी

प्राकृतिक पूंजी का अभिप्राय पानी, भूमि, ऊर्जा जैसे सभी नवीकरणीय एवं गैर–नवीकरणीय पर्यावरणीय संसाधनों से है जिस पर प्रचालन करने के लिए संगठन निर्भर होते हैं।

पीएफसी प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को न्यूनतम करके और इनके अपशिष्ट को भी न्यूनतम करके पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयास करता है। पीएफसी डिजिटीकरण की प्रक्रियाओं, जहां संभव है, द्वारा आईटी समाधान के माध्यम से कागज की अपनी खपत को कम करने का प्रयास करता है। वित्तीय संस्था होने के कारण पीएफसी में उत्पादों एवं अपशिष्ट को रिसाइकल करने के तंत्र की प्रयोज्यता सीमित है, तथापि, कंपनी ने कार्यालय भवन के किचन / पेंट्री आदि में नेमी आधार पर सृजित जैविक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए कार्यालय परिसर में एक जैविक कंपोस्ट मशीन इंस्टाल किया है।

अपना कारोबार करते समय पीएफसी यह मानता है कि पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। ऋण प्रदान करने की अपनी जिम्मेदार रणनीति एवं पद्धतियों के अनुसरण में पीएफसी के नवीकरणीय व्यवसाय ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं। पावर ग्रिड, एनटीपीसी तथा आरईसी के साथ पीएफसी ने भारत और विदेश में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 10 दिसंबर 2009 को एनर्जी एफिशियंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) का निगमन किया।

ऐसे उपायों के माध्यम से आपकी कंपनी प्राकृतिक पूंजी के परिरक्षण एवं संवर्धन में योगदान करती है। नवीकरणीय उत्पादों में निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन तथा व्यवसाय में सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई शामिल करने के लिए कार्यों के माध्यम से पीएफसी प्राकृतिक पूंजी के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा करके यह अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में दृष्टिगोचर भी बना रहा है।

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक ज

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन आर्थिक दक्षता एवं विकास में सुधार तथा निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाने में एक प्रमुख घटक है। इसमें अनिवार्य रूप से कंपनी में सभी स्टेकधारकों अर्थात शेयरधारकों, प्रबंधन, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, वित्तपोषकों, सरकार तथा व्यापक रूप से समाज के हितों में संतुलन स्थापित करना शामिल है।

आपकी कंपनी विभिन्न स्टेकधारकों का विश्वास सृजित करने और इस प्रकार अपनी दीर्घावधि सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सच्चाई, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता पर आधारित निगमित शासन की स्वस्थ प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसरण में निगमित शासन के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र के साथ निदेशक रिपोर्ट के अंग के रूप में रिपोर्ट नीचे दी गई है :

1. निगमित शासन के संबंध में कंपनी के दर्शन पर संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी का निगमित शासन का दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। ये इस प्रकार हैं :

i. प्रबंधन को अनुचित रुकावटों के बगैर स्थायी विकास की दिशा में उद्यम को ले जाने के लिए कार्यकारी आजादी होनी चाहिए; और

ii. प्रबंधन की इस आजादी का प्रयोग विनियामक परिवेश तथा प्रभावी जवाबदेही की रूपरेखा में होना चाहिए।

आपकी कंपनी की निगमित संरचना, व्यवसाय संचालन तथा प्रकटन प्रथाओं को तद्नुसार निगमित शासन के इसके दर्शन के अनुसार तैयार किया गया है।

आपकी कंपनी का बोर्ड भी मार्गदर्शी बल के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 में प्रावधान के अनुसार प्रकटीकरण एवं बाध्यता को अभिशासित करने वाले सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन करता है।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी को नेतृत्व, वस्तु निर्णय तथा कार्यनीतिक मार्ग–दर्शन प्रदान करता है। कहा जा सकता है कि बोर्ड का चार्टर कंपनी अधिनियम, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम, संगम ज्ञापन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा कंपनी की आंतरिक संहिताओं/प्रक्रियाओं आदि में निर्धारित रूपरेखा के अंदर अभिशासित है।

यह निगमित नीतियों, समग्र निष्पादन, लेखांकन एवं रिपोर्टिंग के मानकों तथा प्रबंधन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, निगमित शासन तथा विनियामक अनुपालन की समीक्षा करता है। आपकी कंपनी के बोर्ड में विविध विशेषज्ञता एवं अनुभव वाले प्रख्यात व्यक्ति शामिल हैं।

संरचना

पीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ के अंदर सरकारी कंपनी है क्योंकि 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 59.05% के धारक हैं और कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बोर्ड में सात निदेशक हैं जिसमें चार पूर्णकालिक फंक्शनल निदेशक, एक अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और दो गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में सभी निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

i) अधिवर्षिता की आयु पर पहुंचने के फलस्वरूप श्री डी रवि, निदेशक (वाणिज्यिक) 1 जून, 2018 से बोर्ड के सदस्य नहीं हैं।

ii) इसके अतिरिक्त, श्री राजीव शर्मा ने 1 जून, 2018 से निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

iii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के फलस्वरूप श्री प्रवीण कुमार सिंह ने 10 अगस्त 2018 से निदेशक (वाणिज्यिक) का प्रभार ग्रहण किया।

इसके अतिरिक्त, अधिवर्षिता की आयु पर पहुंचने के फलस्वरूप श्री चिन्मय गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजना) 1 मई 2019 से बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के फलस्वरूप श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लों ने 12 जून, 2019 से निदेशक (परियोजना) का प्रभार ग्रहण किया और श्री आर सी मिश्रा को 11 जुलाई, 2019 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव में निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

कंपनी ने नियोक्ता प्राधिकारी अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गति तेज करने का अनुरोध किया है ताकि कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने में कंपनी समर्थ हो सके।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार थी :

पूर्णकालिक निदेशक		
i)	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
ii)	श्री एन बी गुप्ता	निदेशक (वित्त), मुख्य वित्त अधिकारी एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
iii)	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय*	निदेशक (परियोजना) तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
iv)	श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
सरकारी नामिती निदेशक		
v)	श्री अरुण कुमार वर्मा	निदेशक (सरकारी नामिती)
गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक		
vi)	श्री सीताराम पारीक	स्वतंत्र निदेशक
vii)	श्रीमती गौरी चौधरी	स्वतंत्र निदेशक

* 30 अप्रैल 2019 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की

आपकी कंपनी ने आरबीआई के मास्टर निदेश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर–जमा राशि स्वीकार करने वाली कंपनी और राशी स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों की उपयुक्तता एवं समुचित स्तर का सुनिश्चय करने के लिए एक उपयुक्तता एवं समुचित नीति तैयार की है। कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने उक्त नीति के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के बोर्ड में निदेशक का पद धारण करने के लिए फंक्शनल एवं स्वतंत्र निदेशकों को उपयुक्त एवं उचित के रूप में पाया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसरण में आपकी कंपनी ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से यह प्रमाणपत्र प्राप्त किया है कि कंपनी के बोर्ड में शामिल एक भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रहने से प्रतिबंधित या अयोग्य नहीं किया गया है।

चूंकि, पीएफसी सरकारी कंपनी है इसलिए कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा, चूंकि पीएफसी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के व्यवसाय में शामिल एनबीएफसी है इसलिए विद्युत मंत्रालय सुनिश्चित करता है कि कंपनी के बोर्ड में नियुक्त निदेशकों के पास कंपनी के कार्यों के संचालन के अपेक्षित क्षेत्रों अर्थात वित्त एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में अपेक्षित कौशल एवं विशेषज्ञता है। बोर्ड के सदस्यों के मुख्य कौशलों, विशेषज्ञता एवं दक्षता की सूची रिपोर्ट में बाद में प्रदान की गई है।

बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकें सामान्यतया कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं तथा काफी पहले निर्धारित की जाती हैं। पीएफसी के बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से होती हैं। बोर्ड की बैठकें सुगठित एजेंडा द्वारा अभिशासित होती हैं और विचार विमर्श के लिए एजेंडा में किसी विषय वस्तु को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए बोर्ड का कोई भी सदस्य स्वतंत्र है। सभी प्रमुख मुद्दों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत एजेंडा पेपर अग्रिम में परिचालित किए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचित एवं स्वतंत्र निर्णय ले सके। आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों पर जारी किए गए सचिवालयी मानक 1 का शब्दशः अनुसरण करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की 13 बार बैठक हुई :

(i) 25 मई, 2018 (ii) 28 जून, 2018 (iii) 24 जुलाई, 2018 (iv) 21 अगस्त, 2018 (v) 11 सितंबर, 2018 (vi) 18 अक्तूबर, 2018 (vii) 2 नवंबर 2018 (viii) 11 दिसंबर 2018 (ix) 20 दिसंबर 2018 (x) 31 जनवरी 2019 (xi) 11 फरवरी 2019 (xii) 19 मार्च 2019 तथा (xiii) 27 मार्च 2019

वार्षिक आम बैठक

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक 11 सितंबर, 2018 को हुई।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकों की समीक्षा तथा अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता, बोर्ड के सदस्यों के मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता आदि इस प्रकार है :

नाम और पदनाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अन्य निदेशकों की संख्या*	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता**		11 सितंबर 2018 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षत
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष		
श्री राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	13	13	2	शून्य	शून्य	उपस्थित	• जीबी पंत विश्वविद्यालय से बीटेक (इलेक्ट्रिकल) तथा आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री और एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री भी • विद्युत क्षेत्र में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय निदेशक (परियोजना)	13	13	7#क	1	शून्य	उपस्थित	• आईआईटी खड़गपुर से बीटेक (इलेक्ट्रिकल) और एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री भी • विद्युत क्षेत्र में 38 वर्ष से अधिक का अनुभव
श्री एन. बी. गुप्ता निदेशक (वित्त)	13	13	5	शून्य	शून्य	उपस्थित	• इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य • विद्युत क्षेत्र में 32 वर्ष से अधिक का अनुभव
श्री प्रवीण कुमार सिंह निदेशक (वाणिज्यिक) (10 अगस्त, 2018 से)	10	9	5	शून्य	शून्य	उपस्थित	• आईआईटी–बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक • आईआईटी नई दिल्ली से ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन में एमटेक • ग्लोबल एनर्जी एमबीए प्रोग्राम, बायेर कॉलेज ऑफ बिजनेस, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए • विद्युत क्षेत्र में 34 वर्ष से अधिक का अनुभव।
श्री डी. रवि निदेशक (वाणिज्यिक) (31 मई, 2018 तक)	1	1	–	–	–	–	• बीई (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग) • व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा • विद्युत क्षेत्र में 36 वर्ष से अधिक का अनुभव।
डॉ. अरुण कुमार वर्मा निदेशक (सरकारी नामिती)	13	9	2#ख	शून्य	शून्य	उपस्थित नहीं	• गुजरात कैडर से 1986 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव • भौतिकी में मास्टर डिग्री • एफआरआई एंड सी, देहरादून से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के सह–सदस्य (एआईजीएनएफए) • आदिवासी विकास नीति में पीएचडी

नाम और पदनाम	बोर्ड की बैठकें		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अन्य निदेशकों की संख्या*	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता**		11 सितंबर 2018 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	मुख्य कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष		
							भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलुरू एवं मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजनशिप एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, सिरेक्यूज़ विश्वविद्यालय, यूएसए से लोक नीति एवं प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीपीएम)
श्री सीताराम पारीक स्वतंत्र निदेशक	13	13	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित	• बीकॉम, एफसीए, डीआईएसए • इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य • मैसर्स सारदा एंड पारीक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई के संस्थापक भागीदार
श्रीमती गौरी चौधरी स्वतंत्र निदेशक	13	12	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित	• अंग्रेजी में एमए • संगीत प्रभाकर (सितार) • सामाजिक कार्यकर्ता

* निजी कंपनियों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 की कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों में निदेशक शामिल नहीं है।

** लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को छोड़कर बोर्ड की समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।

<u>सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकगण का ब्योरा</u>

#(क)पीटीसी इंडिया लिमिटेड और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड में पीएफसी का नामिती निदेशक

#(ख) पीटीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक और आरईसी लिमिटेड में सरकारी नामिती निदेशक

बोर्ड के निदेशकों में से एक भी निदेशक, सभी सार्वजनिक कंपनियों जिसमें वह निदेशक है, 10 से अधिक समितियों का सदस्य और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। कंपनी के एक भी निदेशक किसी रूप में एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 के अनुसरण में तथा सीपीएसई के गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 27 मार्च 2019 को हुई। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने उक्त बैठक में भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

25 मई 2018 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2018–19 की बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस आशय की घोषणा प्रदान की कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

इसके अतिरिक्त, 17 मई 2019 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2019–20 की बोर्ड की पहली बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस आशय की घोषणा प्रदान की कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। उक्त बैठक में निदेशक मंडल में पुष्टि की कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से अलग हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किसी स्वतंत्र निदेशक ने त्याग पत्र नहीं दिया है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों का ब्योरा कार्यक्रम की समाप्ति के बाद कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित वेब लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर डाले गए ब्योरे देखे जा सकते हैं : http://www-pfcindia-com/DocumentRepository/ckfinder/files/Investors/Equities/Familiarisation_programs_imparted_to_ Independent_Directors-pdf

3. निदेशक मंडल की समितियां

विनियामक आवश्यकताओं के अनुसरण में तथा कंपनी के कार्यों पर तेजी से विचार विमर्श और संकेंद्रित निर्णय लेने को सुगम बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ने भिन्न भूमिका, जवाबदेही एवं प्राधिकार के साथ बोर्ड स्तरीय समितियों का गठन किया है। बोर्ड ने संगत वित्तीय वर्ष में बोर्ड की समितियों की सिफारिशों को स्वीकार किया जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। बोर्ड स्तरीय समितियां इस प्रकार हैं :

i) निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति
ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
iii) स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति
iv) जोखिम प्रबंधन समिति
v) निदेशकों की सीएसआर एवं संपोषणीय विकास समिति
vi) निदेशकों की ऋण समिति
vii) फंक्शनल निदेशकों की समिति
viii) निदेशकों की निवेश समिति
ix) एचआर समिति

3.1 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

बोर्ड द्वारा गठित कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में दो स्वतंत्र निदेशक और एक फंक्शनल निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है :

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री सीताराम पारीक	अध्यक्ष
श्रीमती गौरी चौधरी	सदस्य
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में बने रहे। लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय, कार्य क्षेत्र तथा प्राधिकार कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 8 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 25 मई 2018 (ii) 28 जून 2018 (iii) 24 जुलाई 2018 (iv) 11 सितंबर 2018 (v) 2 नवंबर 2018 (vi) 3 दिसंबर 2018 (vii) 20 दिसंबर 2018 और (viii) 11 फरवरी 2019

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री सीताराम पारीक	स्वतंत्र निदेशक	8	8
श्रीमती गौरी चौधरी	स्वतंत्र निदेशक	8	7
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)	8	8

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक) उक्त समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रिती हैं।

इसके अतिरिक्त, समिति के सदस्यों से बातचीत करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष, स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा सांविधिक लेखापरीक्षक (परीक्षकों) के प्रतिनिधि को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया।

3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और तद्नुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम की शर्तों के अनुसार सीएमडी एवं निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के नियतन का निर्धारण किया जाता है। तथापि, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के प्रावधानों के अनुसरण में एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है :

सदस्य का नाम	पदनाम
श्री सीताराम पारीक	अध्यक्ष
श्रीमती गौरी चौधरी	सदस्य
श्री पी के सिंह (10 अगस्त 2018 से)	सदस्य

निदेशक (वित्त) और निदेशक (परियोजना) उक्त समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रिती हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने पर अपेक्षित संख्या में गैर–कार्यपालक निदेशकों को शामिल करके समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका, विचारार्थ विषय, कार्य क्षेत्र तथा प्राधिकार कंपनी अधिनियम के संगत प्रावधानों, सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 और निगमित शासन पर आरबीआई के मानदंडों के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 3 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 02 नवंबर, 2018 (ii) 3 दिसंबर, 2018 और (iii) 7 जनवरी, 2019

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री सीताराम पारीक	स्वतंत्र निदेशक	3	3
श्रीमती गौरी चौधरी	स्वतंत्र निदेशक	3	3
श्री पी के सिंह (10 अगस्त 2018 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	3	2

पारिश्रमिक नीति

आपकी कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो अन्य बातों के साथ ऐसे पूर्णकालिक निदेशकों के नियुक्ति आदेश / वेतन नियतन आदेश के माध्यम से उनका पारिश्रमिक नियत करते हैं। डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी के अन्य कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है तथा पारिश्रमिक नियत किए जाते हैं। सीएमडी तथा पूर्णकालिक निदेशकों के मामले में निदेशकों का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अलावा, बोर्ड के सदस्यों का कंपनी, इसके प्रोमोटर्स या इसकी सहायक कंपनियों के साथ कोई सारवान मौद्रिक संबंध या लेन–देन नहीं है, जो बोर्ड के निर्णय में निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। चूंकि पीएफसी सरकारी कंपनी है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से अन्य बातों के साथ सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है, यदि केंद्र सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी स्वयं की मूल्यांकन विधि के अनुसार निदेशकों का मूल्यांकन किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक रूप से प्रभारी है। तद्नुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण पीएफसी को उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार छूट प्राप्त है क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा से संबंधित प्रावधान तथा मूल्यांकन तंत्र भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत सेबी से सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से कुछ पीएसयू द्वारा समान छूट का अनुरोध किया गया है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक उनकी नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार था।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्योरा नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	वेतन (₹)	हितलाभ (₹)	बोनस/अनुग्रह कमीशन (₹)	कार्य–निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (₹)	स्टॉक विकल्प (₹)	कुल (₹)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार धारित शेयरों की संख्या
श्री राजीव शर्मा	37,65,869	95,24,220	0	51,86,092	0	1,84,76,181	32574
श्री डी रवि (31 मई 2018 तक)	25,63,837	17,32,311	0	38,03,433	0	8,09,95,81	लागू नहीं
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	39,98,205	24,34,652	0	37,83,453	0	1,02,16,310	21488
श्री एन बी गुप्ता	41,99,700	32,89,095	0	30,62,803	0	1,05,51,598	24584
श्री पी के सिंह (10 अगस्त 2018 से)	21,81,637	12,80,273	0	7,57,905	0	42,19,815	32194

टिप्पणी :

1. कंपनी की कार्य–निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) प्रणाली के अनुसार कार्य–निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहनों का भुगतान किया जाता है।
2. भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक सहित नियुक्ति की शर्तों, नोटिस अवधि, अलगाव शुल्क, यदि कोई हो, आदि का निर्धारण किया जाता है।

गैर–कार्यपालक निदेशकों/स्वतंत्र तथा सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र तथा सरकारी नामिती निदेशकों का कंपनी के साथ कोई सारवान मौद्रिक संबंध या लेन–देन नहीं होता है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड तथा निदेशकों की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा नियत दर पर बैठक शुल्क का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बोर्ड तथा निदेशकों की समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000 के बैठक शुल्क का भुगतान किया गया।

सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के लिए हकदार नहीं है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार डॉ. अरुण कुमार वर्मा, सरकारी नामिती निदेशक, श्री सीताराम पारीक, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती गौरी चौधरी, स्वतंत्र निदेशक कंपनी में शून्य शेयरों के धारक थे।

3.3 स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के निवारण की जांच पड़ताल करने के लिए एक स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति की संरचना इस प्रकार है :

सदस्य का नाम	पदनाम
श्रीमती गौरी चौधरी	अध्यक्ष
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य
श्री एन. बी. गुप्ता	सदस्य

श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में काम करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की 4 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 25 मई, 2018 (ii) 21 अगस्त, 2018 (iii) 2 नवंबर, 2018 और (iv) 11 फरवरी, 2018

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्रीमती गौरी चौधरी	स्वतंत्र निदेशक	4	4
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)	4	4
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	4	4

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों पर सूचना इस प्रकार है :

विवरण	इक्विटी	बॉण्ड
वर्ष के शुरू में लंबित	1*	5
वर्ष के दौरान प्राप्त	886	3020
वर्ष के दौरान निपटाई गई	887	3025
वर्ष के अंत में अनिर्णीत	0	0

*न्यायाधीन है

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की जोखिम प्रबंध योजना की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा करने तथा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न कदम उठाने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार है :

नाम	पदनाम
श्री एन. बी. गुप्ता	अध्यक्ष
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 4 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 17 मई, 2018, (ii) 27 सितंबर, 2018 (iii) 27 दिसंबर, 2018 और (iv) 25 मार्च, 2019

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)	4	4
श्री एन बी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	4	4

3.5 निदेशकों की सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति

कंपनी की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों को दिशा प्रदान करने तथा सीएसआर एवं एसडी की विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करने के लिए सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति की संरचना इस प्रकार है :

नाम	पदनाम
श्री सीताराम पारीक	अध्यक्ष
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त 2018 से)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सीएसआर एवं संधारणीय विकास समिति की 8 बैठकें हुई जो इस प्रकार हैं (i) 7 मई, 2018 (ii) 13 जुलाई, 2018 (iii) 24 जुलाई, 2018 (iv) 11 सितंबर, 2018 (v) 20 दिसंबर, 2018 (vi) 31 जनवरी, 2019 (vii) 11 फरवरी, 2019 और (viii) 27 मार्च, 2019

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री सीताराम पारीक	स्वतंत्र निदेशक	8	8
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)	8	8
श्री डी. रवि (31 मई 2018 तक)	निदेशक (वाणिज्यिक)	1	1
श्री राजीव शर्मा (1 जून, 2018 स 9 अगस्त, 2018 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार	2	1
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	5	5

3.6 निदेशकों की ऋण समिति

वित्तीय वर्ष में ₹ 10,000 करोड़ की समग्र सीलिंग के अधीन वित्तीय एवं पट्टा सहायता में वृद्धि तथा पात्रता की शर्तों में छूट सहित व्यक्तिगत योजनाओं या परियोजनाओं को ₹ 500 करोड़ तक की वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ऋण समिति की संरचना निम्नानुसार है :

नाम	पदनाम
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष
श्री अरुण कुमार वर्मा	सदस्य
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य
श्री एन. बी. गुप्ता	सदस्य
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ऋण समिति की 5 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 19 जून, 2018 (ii) 27 सितंबर, 2018 (iii) 13 दिसंबर, 2018 (iv) 31 जनवरी, 2019 और (v) 19 मार्च, 2019

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5
डॉ. अरुण कुमार वर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	5	5
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)	5	4
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	5	5
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	4	4

3.7 फंक्शनल निदेशकों की समिति

वित्तीय वर्ष में ₹ 4,000 करोड़ की समग्र सीलिंग के अधीन वित्तीय एवं पट्टा सहायता में वृद्धि तथा पात्रता की शर्तों में छूट सहित व्यक्तिगत योजनाओं या परियोजनाओं को ₹ 100 करोड़ तक की वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने के लिए फंक्शनल निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार फंक्शनल निदेशकों की समिति की संरचना निम्नानुसार है :

नाम	पदनाम
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य
श्री एन. बी. गुप्ता	सदस्य
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान फंक्शनल निदेशकों की समिति की 6 बैठकें हुई जो इस प्रकार हैं (i) 01 मई, 2018 (ii) 08 जून, 2018 (iii) 08 अगस्त, 2018 (iv) 11 सितंबर, 2018 (v) 8 जनवरी, 2019 और (vi) 25 मार्च, 2019

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6	6
श्री डी. रवि (01 जून, 2018 तक)	निदेशक (वाणिज्यिक)	1	1
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)	6	6
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	6	6
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	3	3

3.8 निदेशकों की निवेश समिति

केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के आईपीओ में इक्विटी निवेश को अनुमोदित करने तथा अन्य संबद्ध मामलों जैसे कि निकास/बिक्री के निर्णयों, आईपीओ के माध्यम से आवेदित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, मामला दर मामला आधार पर प्रत्येक कंपनी में व्यक्तिगत निवेश की सीमा आदि के लिए भी निदेशकों की निवेश समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार निदेशकों की निवेश समिति की संरचना निम्नानुसार है :

नाम	पदनाम
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य
श्री एन. बी. गुप्ता	सदस्य
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निदेशकों की निवेश समिति की 6 बैठकें हुई जो इस प्रकार हैं (i) 25 जून, 2018 (ii) 08 अगस्त, 2018 (iii) 13 नवंबर, 2018 (iv) 20 दिसंबर, 2018 (v) 8 जनवरी, 2019 और (vi) 25 मार्च, 2019

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6	6
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)	6	6
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	6	6
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	4	4

3.9 मानव संसाधन समिति

एचआर से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व उन पर निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एचआर समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एचआर समिति की संरचना निम्नानुसार है :

नाम	पदनाम
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	अध्यक्ष
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	सदस्य
श्री एन. बी. गुप्ता	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एचआर समिति की 3 बैठकें हुईं जो इस प्रकार हैं (i) 11 जून, 2018 (ii) 14 अगस्त, 2018 और (iii) 18 अक्तूबर, 2018

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है :

सदस्य का नाम	पदनाम	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री राजीव शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार (1 जून, 2018 से 9 अगस्त, 2018 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	निदेशक (परियोजना)	3	2
श्री एन. बी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	3	3
श्री पी. के. सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)	2	2

4. सामान्य निकाय की बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का ब्योरा इस प्रकार है :

एजीएम	तारीख	दिन	समय	स्थान	विशेष संकल्प
30वीं	19 अगस्त, 2016	शुक्रवार	पूर्वाह्न 11.00 बजे	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड, नई दिल्ली– 03	• कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अंतर्गत अनुमोदित ऋण की मौजूदा सीमा में संशोधन • भारत में या भारत के बाहर प्राईवेट प्लेसमेंट के आधार पर बॉण्डों/डिबेंचरों आदि के निर्गम के माध्यम से ₹ 55,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए।
31वीं	20 सितंबर, 2017	बुधवार	पूर्वाह्न 11.00 बजे	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली – 04	• भारत में और/या भारत के बाहर प्राईवेट प्लेसमेंट के आधार पर बॉण्डों/डिबेंचरों/नोट्स/ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए।
32वीं	11 सितंबर, 2018	मंगलवार	पूर्वाह्न 11.30 बजे	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली – 04	• कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 76 वर्षीय श्रीमती गौरी चौधरी को नियुक्त करना। • भारत में और/या भारत के बाहर प्राईवेट प्लेसमेंट के आधार पर बॉण्डों/डिबेंचरों/नोट्स/ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए। • कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230–232 के अंतर्गत पीएफसी के साथ पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनके शेयरधारकों एवं क्रेडिटर के समामेलन के लिए व्यवस्था योजना को मंजूरी प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त, प्रबंधकीय नियंत्रण के साथ आरईसी लिमिटेड के भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त 1,03,93,99,343 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए संबंधित पक्षकार लेन–देन (आरपीटी) करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए डॉ. एसकेवीएस ऑडिटोरियम (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम), केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली – 110010 में मंगलवार, 19 मार्च, 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे कंपनी की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) हुई।

पोस्टल बैलट

पिछले वर्ष पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आगामी एजीएम तक पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है।

5. प्रकटीकरण

कंपनी ने कोई सारवान रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार लेन–देन नहीं किया है जिसका कंपनी के हित के साथ कोई संभावित टकराव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन नहीं किया जहां उनका निजी हित था। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुपालन में कंपनी ने ''संबंधित पक्षकार लेन–देन पर नीतियां'' तैयार की है तथा यह http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1561552784406_Final%20Policy%20on%20RPT%201705 2019.pdf &path=Page पर उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेबी, स्टॉक एक्सचेंज किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई निंदा की गई है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी को बोर्ड तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना की आवश्यकता के गैर अनुपालन के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बांबे स्टॉक एक्सचेंज से दंड के नोटिस प्राप्त हुए।

कंपनी ने ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013'' के अंतर्गत यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई शिकायत दाखिल नहीं की गई है।

संगत नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसरण में कंपनी से अन्य बातों के साथ निदेशकों एवं कार्मिकों के लिए एक सतर्कता तंत्र / सचेतक नीति स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि वे अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपने वास्तविक सरोकारों या शिकायतों को दर्ज करा सकें। ऐसी सतर्कता समिति के अभिन्न अंग के रूप में, पीएफसी की सचेतक नीति स्थापित की गई है और इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंचने से रोका न जाए। यह http://www.pfcindia.com/Default/ ViewFile/? id=1490188785276_ WBP.pdf&path=Page पर उपलब्ध है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसरण में कंपनी ने ''सारवान सहायक कंपनी पर नीति'' तैयार की है और यह http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id= 1561552854274_Final%20Policy%20for%20Material%20 Subsidiary17052019.pdf&path=Page पर उपलब्ध है।

लेखा बहियों में व्यय की ऐसी किसी मद को डेबिट नहीं किया गया जो व्यवसाय के प्रयोजनार्थ नहीं थी। इसके अलावा, ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया जो निजी प्रकृति का था और निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया।

आपकी कंपनी ने मोटे तौर पर सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों की सभी आवश्यकताओं का पालन किया है। गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के अंगीकरण / गैर अंगीकरण पर सूचना इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक क** में प्रदान की गई है।

कंपनी ने जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण के बारे में बोर्ड को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल इन प्रक्रियाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा करता है ताकि सुनिश्चित हो कि समुचित रूप से परिभाषित रूपरेखा के माध्यम से जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है।

आपकी कंपनी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क ₹ 1.09 करोड़ है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी ने लागू सीमा तक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) का 1 अप्रैल 2018 से अनुसरण किया है।

6. संचार के साधन

कंपनी संचार को निगमित शासन की समग्र रूपरेखा के मुख्य घटक के रूप में मानती है और इसलिए व्यापक रूप से जनता से निरंतर, दक्ष एवं प्रासंगिक संचार पर बल देती है। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्रों तथा वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से अपने शेयरधारकों के साथ संचार करती है। कंपनी निवेशक सम्मेलनों, सम्मेलन कॉल आदि के माध्यम से भी अपने संस्थानिक शेयरधारकों के साथ संचार

करती है। यद्यपि तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे कि दि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदुस्तान (हिंदी), अमर उजाला (हिंदी), जनसत्ता, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण (हिंदी), इंडियन एक्सप्रेस आदि में प्रकाशित किए जाते हैं, ये कंपनी की वेबसाइट अर्थात www-pfcindia-com पर भी उपलब्ध हैं और व्यापक प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

कंपनी से सभी संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ लेखापरीक्षित लेखा, समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक रिपोर्ट, लेखापरीक्षक रिपोर्ट, निगमित शासन पर रिपोर्ट होती है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों तथा अन्य पात्र व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

7. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार, सीईओ अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीएफओ अर्थात निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र 29 मई, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया (इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ख** के रूप में प्रति संलग्न है)।

8. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी ने मजबूत अनुपालन मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित की है। बोर्ड कंपनी पर लागू सभी कानूनों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन की स्थिति का आवधिक आधार पर समीक्षा करता है।

9. आचार संहिता

बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता कंपनी के सभी निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू एक व्यापक संहिता है। यह मिशन एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन एवं मूल्यों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यो के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.pfcindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन के वरिष्ठ कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ग** के रूप में संलग्न है।

10. आंतरिक (इनसाइडर) ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुपालन में आपकी कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए व्यापक संहिता अर्थात ''पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में व्यापार के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचरण तथा अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता'' की समीक्षा की है और पुनः तैयार किया है। कंपनी में अपने आवंटन के दौरान प्राप्त सभी ऐसी सूचना की गोपनीयता की रक्षा करना और निजी लाभ प्राप्त करने या किसी तीसरे पक्षकार को लाभ प्रदान करने के लिए अपने पद या सूचना का दुरुपयोग न करना संहिता में उल्लिखित सभी नामित कार्मिकों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों का दायित्व है। संहिता कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं एवं दिशा–निर्देश तथा किए जाने वाले प्रकटीकरण और गैर अनुपालन के परिणाम विहित करती है। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह उक्त संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

उक्त संहिता की आवश्यकता के अनुसरण में, ट्रेडिंग विंडो को समय समय पर बंद किया गया, जब बोर्ड को कुछ कीमत संवेदी सूचना प्रस्तुत की गई। अनुपालन अधिकारी ने ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार न करने के लिए सभी कार्मिकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को रोकते हुए अग्रिम में कंपनी की वेबसाइट पर ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना प्रदान की।

''पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता तथा अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता'' की प्रति कंपनी की वेबसाइट अर्थात (http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1558715955387_Insider%20Trading%20Code.pdf&path=Page) पर उपलब्ध है।

11. शेयरधारक की सूचना

क) वार्षिक आम बैठक

तारीख	समय	स्थान
27 अगस्त, 2019	पूर्वाह्न 11.00 बजे	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली – 110004

ख) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय कलेंडर (अनंतिम)

विवरण	तारीख
वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020
पिछली तीन तिमाहियों के लिए गैर लेखा–परीक्षित वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर घोषित किए जाएंगे।
लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 30 मई 2020 को या इससे पहले घोषित किए जाएंगे।
एजीएम (अगले वर्ष)	अगस्त, 2020

ग) बही बंद करने की तारीख

22 अगस्त, 2019 से 27 अगस्त, 2019 (इसमें दोनों दिन शामिल हैं) तक कंपनी के सदस्य रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां बंद रहेंगी।

घ) लाभांश का भुगतान

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में कंपनी ने ''लाभांश वितरण नीति'' तैयार की है जो इस रिपोर्ट के अनुलग्नक घ के रूप में संलग्न है और यह http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1546009180778_Dividend Distribution.pdf &path=Page पर उपलब्ध है।

ड.) लाभांश का इतिहास

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश की दर (% में)	भुगतान की तारीख (अंतरिम एवं अंतिम)
2013-14	1320.03 (अंतरिम)	1161.63	88	17 फरवरी, 2014
	1320.04 (अंतिम)	26.40	2	10 अक्तूबर, 2014
	जोड़	**1188.04**	**90**	–
2014-15	1320.04 (अंतरिम)	1122.04	85	13 मार्च, 2015
	1320.04 (अंतिम)	79.20	6	08 अक्तूबर, 2015
	जोड़	**1201.24**	**91**	–
2015-16	1320.04 (1वीं अंतरिम)	1161.64	88	04 जनवरी, 2016
	1320.04 (2वीं अंतरिम)	594.02	45	24 फरवरी, 2016
	1320.04 (अंतिम)	79.20	6	01 सितंबर, 2016
	जोड़	**1834.86**	**139**	–
2016-17	2640.08 (अंतरिम)	1320.04	50	7 अप्रैल, 2017
	जोड़	**1320.04**	**50**	–
2017-18	2640.08 (1वीं अंतरिम)	1584.05	60	23 नवंबर, 2017
	2640.08 (2वीं अंतरिम)	475.21	18	19 मार्च, 2018
	जोड़	**2059.26**	**78**	–

ङ) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता

पीएफसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं :

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	**बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)**
एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ईस्ट), मुंबई– 400051 स्क्रिप कोड : पीएफसी ईक्यू	25वां तल, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001 स्क्रिप कोड : 532810
स्टॉक कोड (आईएसआईएन) : INE134E01011	

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एनएसई और बीएसई को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है।

च) बाजार मूल्य डाटा

माह	उच्च (₹)		निम्न (₹)		अंत (₹)	
	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई	एनएसई	बीएसई
अप्रैल, 2018	90.55	90.60	82.65	82.80	87.95	87.90
मई, 2018	90.15	90.15	71.05	71.20	80.55	80.70
जून, 2018	85.95	88.00	73.40	73.35	77.30	77.15
जुलाई, 2018	87.85	87.65	67.50	67.60	87.30	87.10
अगस्त, 2018	88.80	88.75	78.50	78.60	84.40	84.50
सितंबर, 2018	90.70	90.70	72.90	72.45	76.10	76.15
अक्तूबर 2018	96.15	96.00	72.25	72.35	95.50	95.50
नवंबर 2018	108.55	108.50	86.00	86.00	86.45	86.35
दिसंबर, 2018	108.00	107.70	83.10	83.35	107.35	107.05
जनवरी, 2019	110.30	110.20	98.30	98.45	103.55	103.55
फरवरी, 2019	113.75	113.70	98.00	98.15	112.15	112.20
मार्च, 2019	124.30	124.20	106.80	106.95	123.10	123.00

छ) सूचकांकों की तुलना में निष्पादन

पीएफसी शेयर मूल्य और निफ्टी 50

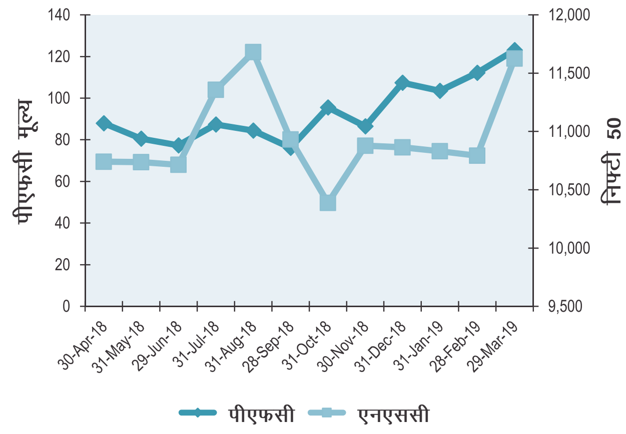

पीएफसी शेयर मूल्य और बीएससी सेंसेक्स

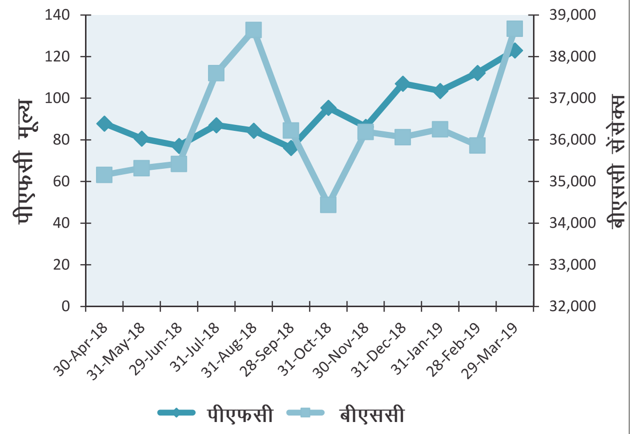

ज) इक्विटी शेयरों के लिए पंजीयक एवं अंतरण एजेंट

संचार का पता

कार्वी फिंटेक प्राइवेट लिमिटेड
"कार्वी सेलेनियम टावर बी", प्लॉट नंबर 31 एवं 32,
वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद–500032,
तेलंगाना, भारत
टेलीफोन नंबर : 91 40 67162222
ईमेल : einward-ris@karvy-com
वेबसाइट : www-karvyfintech-com

ज) शेयर अंतरण प्रणाली

डिपॉजिटरी के माध्यम से इक्विटी शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरण किया जाता है जिसमें कंपनी की कोई भागीदारी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का लेन–देन सरल एवं त्वरित है। दलाल से बिक्री/क्रय लेन–देन की पुष्टि के बाद शेयरधारकों को लेन–देन के लिए खाते को डेबिट या क्रेडिट करने के अनुरोध के साथ प्रतिभागी डिपॉजिटरी से संपर्क करना चाहिए। प्रतिभागी डिपॉजिटरी खाते को अपडेट करके लेन–देन को पूर्ण करने की तुरंत व्यवस्था करेगा। अंतरण को पंजीकृत कराने के लिए कंपनी को अलग से संचार भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1 अप्रैल, 2019 से सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के भौतिक अंतरण पर रोक लगा दी है तथा केवल डीमैट के माध्यम से अंतरण को अनिवार्य कर दिया है। तथापि, निवेशकों को भौतिक रूप में शेयर रखने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

झ) डीमेट सस्पेंस खाता का ब्योरा

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार डीमैट सस्पेंस खाता में शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है :

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के शुरू में अर्थात 1 अप्रैल, 2018 को सस्पेंस खाता में शेयरधारकों तथा बकाया शेयरों की सकल संख्या	4	1592
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2018–19 के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क किया	0	0
घटाएं : ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2018–19 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
घटाएं : ऐसे शेयरों की संख्या जो वर्ष 2018–19 के दौरान आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए	1	160
वर्ष के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2019 को सस्पेंस खाता में शेयरधारकों तथा बकाया शेयरों की सकल संख्या	3	1432

वैध स्वामी द्वारा ऐसे शेयरों का दावा किए जाने तक उक्त शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार जब्त रहेंगे।

ञ) शेयरधारिता का वितरण

- 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

क्र.सं.	राशि	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	राशि (₹)	शेयरों का %
1	1-5000	2,27,450	84.60	33,32,56,580	1.26
2	5001-10000	23,850	8.87	19,16,07,750	0.73
3	10001-20000	9,889	3.68	14,76,93,810	0.56
4	20001-30000	2,659	0.99	6,82,49,930	0.26
5	30001-40000	1,277	0.47	4,61,67,620	0.18
6	40001-50000	903	0.34	4,23,67,470	0.16
7	50001-100000	1,436	0.53	10,43,58,430	0.40
8	100001 तथा अधिक	1,391	0.52	25,46,71,12,490	96.46
	कुल	**2,68,855**	**100**	**26,40,08,14,080**	**100**

- 31 मार्च, 2019 तक शेयरधारिता पैटर्न

विवरण	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का %
भारत के राष्ट्रपति	1,55,88,89,417	59.05
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	43,74,43,521	16.57
म्यूचुअल फंड	31,12,52,890	11.79
बीमा कंपनियां	16,38,27,217	6.21
निवासी व्यक्ति	10,57,42,493	4.01
निगमित संस्थाएं	2,10,32,419	0.80
बैंक	1,09,49,607	0.42
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	76,04,728	0.29
एचयूएफ	58,55,193	0.22
क्लियरिंग सदस्य	58,20,168	0.22
न्यास	33,27,216	0.13
अनिवासी भारतीय	28,65,120	0.11
विदेशी संस्थागत निवेशक	15,92,316	0.06
कार्मिक	13,38,147	0.05
एनबीएफसी	11,88,678	0.05
अनिवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय	10,20,453	0.04
वैकल्पिक निवेश निधि	2,94,990	0.01
आईईपीएफ	36,835	0.00
कुल	**2,64,00,81,408**	**100**

ट) शेयरों का डिमैटीरियलाइजेशन

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार डीमैट रूप में और भौतिक रूप में एनएसडीएल, सीडीएसएल के पास रखे गए शेयरों की संख्या

विवरण	शेयरों की संख्या	जारी की गई पूंजी का %
एनएसडीएल	2,59,50,70,572	98.30
सीडीएसएल	4,49,71,184	1.70
भौतिक	39,652	0.00
कुल	**2,64,00,81,408**	**100**

ठ) बकाया जीडीआर और एडीआर वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर और एडीआर वारंट / परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

ड) वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम तथा हेजिंग गतिविधियां

विदेशी मुद्रा ऋणों से संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी ने मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति स्थापित की है। कंपनी विभिन्न लिखतों जैसे कि मुद्रा हवाला, विकल्प, प्रधान स्वैप तथा हवाला दर स्वैप के माध्यम से विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिम को कवर करने के लिए हेजिंग लिखत शुरू करती है।

ढ) पत्राचार के लिए पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकृत कार्यालय

"ऊर्जानिधि",
1, बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001

कंपनी सचिव
श्री मनोहर बलवानी
टेलीफोन नंबर : + 91 11 23456020
फैक्स : + 91 11 23456786
ई–मेल : investorsgrievance@pfcindia.com

ण) सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची

घरेलू

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के घरेलू कार्यक्रम के लिए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

अंतरराष्ट्रीय

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी को आबंटित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी–
2.	स्टैंडर्ड एण्ड पूअर (एस एण्ड पी)	बीबीबी–
3.	मूडीज	बीएए3

उपर्युक्त रेटिंग वर्ष के दौरान एक समान रही है।

त) अधिमानी आबंटन/अर्हक संस्था नियोजन

वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अधिमानी आबंटन/अर्हक संस्था नियोजन के रूप में कोई धन नहीं जुटाया है।

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक क

गैर अनिवार्य आवश्यकताएं

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के निगमित शासन खंड से संबंधित गैर अनिवार्य आवश्यकताओं की स्थिति निम्नानुसार है :

1. **बोर्ड** : कंपनी का प्रमुख इसका कार्यपालक अध्यक्ष है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** : निगमित शासन रिपोर्ट के शीर्षक ''साधन और संचार'' के अंतर्गत उल्लेख के अनुसार कंपनी के तिमाही वित्तीय विवरण प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं तथा कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।
3. **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय** : लेखापरीक्षा की असंशोधित राय के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए कंपनी सदैव प्रयास करती है।
4. **आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** : कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है तथा वे लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों से नियमित रूप से बातचीत करते हैं।

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अंतर्गत निदेशक मंडल के लिए प्रमाण पत्र

हम इसके द्वारा निदेशक मंडल को प्रमाणित करते हैं कि :

हमने 31, मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i) इन विवरणों में कोई सारवान रूप से झूठा विवरण नहीं है या कोई सारवान तथ्य छिपाया नहीं गया है या ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं:

ii) ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा इनमें लेखांकन के मौजूदा मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का पालन किया गया है।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला है।

हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं अनुरक्षित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की कारगरता का मूल्यांकन किया है और हमने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन या प्रचालन में खामियों, यदि कोई हो, जिसकी हमें जानकारी है, और कदम जो हमने इन खामियों को दूर करने के लिए उठाया है या उठाने का प्रस्ताव किया है, के बारे में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को खुलासा किया है।

हमने लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा समिति को इंगित किया है :–

i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ii) यह कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) अपनाया है और इसलिए इंड एएस की आवश्यकताओं के अनुसरण में लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों को फिर से तैयार किया गया है : और

iii) यह कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं है जो हमारी जानकारी में आई है। तथापि, 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 664.02 करोड़ के बकाया मूलधन के साथ दो ऋणदाताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में आरबीआई के धोखाधड़ी मॉनीटरिंग सेल प्रकोष्ठ को सूचित किया गया है/सूचित किया जा रहा है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, पीएफसी का प्रबंधन या कार्मिक जिसकी पीएफसी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, उक्त धोखाधड़ी में शामिल नहीं था।

हस्ता/–	हस्ता/–
(एन बी गुप्ता)	**(राजीव शर्मा)**
निदेशक (वित्त) / सीएफओ	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / सीईओ**
डीआईएन – 00530741	**डीआईएन – 00973413**

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक ग

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार घोषणा :

''बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ''व्यवसाय आचार तथा बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नैतिकता संहिता'' के अनुपालन की पुष्टि की है।''

हस्ता/–
राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00973413

निगमित शासन पर रिपोर्ट का अनुलग्नक घ

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की लाभांश वितरण नीति

I पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 43ए, जो बाजार पूंजीकरण (जिसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार की जाती है) पर आधारित शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं से लाभांश वितरण नीति तैयार करने की अपेक्षा करता है जिसका प्रकटीकरण उनकी वार्षिक रिपोर्टों में तथा उनकी वेबसाइटों पर किया जाएगा, के अनुपालन में।

चूंकि पीएफसी 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कसौटियों के अनुसरण में शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल है, इसलिए लाभांश वितरण नीति तैयार की गई है।

II नीति रूपरेखा

यह नीति मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सेबी द्वारा ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पूंजी पुनर्गठन'' पर जारी किए गए दिशानिर्देशों तथा लागू सीमा तक अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

III विचाराधीन कारक

पीएफसी लाभांश का लगातार भुगतान कर रहा है और सभी हितधारकों को संधारणीय मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा की जाती है। लाभांश की सिफारिश करना बोर्ड के विवेक पर निर्भर है। बोर्ड अंतरिम लाभांश की भी घोषणा कर सकता है।

लाभांश के भुगतान के संबंध में निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह कंपनी के शेयरधारकों में वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि का कंपनी के संपोषण तथा विकास योजनाओं के लिए आंतरिक प्रोद्भवन के प्रयोग की आवश्यकता के साथ संतुलन स्थापित करता है। लाभांश की सिफारिश करने/घोषणा करने से पूर्व सामान्यतया विचार किए जाने वाले कारक निम्नानुसार हैं :

क परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश के लिए कोई सिफारिश करने से पूर्व बोर्ड द्वारा सामान्यतया जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है उनमें समय–समय पर यथालागू दिशानिर्देशों के अधीन भावी पूंजी व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लाभांश पर कर सहित लागू कर शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

ख वित्तीय पैरामीटर जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण कंपनी दीपम, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.05.2016 को ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का पूंजी पुनर्गठन'' पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश की घोषणा करने का प्रयास करती है, जिसमें वर्तमान कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन प्रत्येक सीपीएसई के लिए पीएटी के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, की दर से न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य किया गया है।

फिर भी, कंपनी से उस अधिनियम के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा है जिसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है, जब तक निम्नलिखित वित्तीय पैरामीटरों पर विचार करने के बाद विद्युत मंत्रालय के स्तर पर मामला दर मामला आधार पर भुगतान करने के लिए प्रस्तावित कम लाभांश उचित न हो :

(i) निवल मूल्य तथा ऋण लेने की क्षमता;

(ii) दीर्घावधि ऋण;

(iii) कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताएं;

(iv) कैपेक्स की आवश्यकताओं के अनुसरण में भावी प्रयोग के लिए लाभ का प्रतिधारण; और

(v) नकदी एवं बैंक अधिशेष।

(ग) आंतरिक एवं बाहरी कारक जिन पर लाभांश की घोषणा के लिए विचार किया जाएगा

ग.1 आंतरिक कारक

ग.1.1 पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात

आईएफसी होने के कारण पीएफसी से एक निश्चित स्तर पर सीआरएआर को बनाए रखने की अपेक्षा है। तद्नुसार लाभांश की घोषणा करते समय सीआरएआर के लिए अपेक्षित आंकड़े पर भी विचार किया जाता है ताकि निर्धारित आंकड़े का अतिलंघन न हो।

ग.1.2 कंपनी का निवल मूल्य

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अधीन अनुमत अधिकतम लाभ के अधीन पीएटी के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा। सरकारी कंपनी होने के कारण पीएफसी से इन दिशा–निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा है।

उपर्युक्त पैरामीटरों के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य आंतरिक कारकों पर भी विचार कर सकती है जिनमें अन्य के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं :

- मौजूदा व्यवसायों की पूंजी की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताएं;
- कंपनी की सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश;
- कोई अन्य कारक जिसे बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है।

ग.2 बाहरी कारक

ग.2.1 आर्थिक परिवेश

व्यवसाय की अनिश्चित या गिरावटपूर्ण आर्थिक स्थितियों के मामले में, कंपनी भावी उतार चढ़ाव को सहन करने हेतु रिजर्व का निर्माण करने के लिए लाभ के बड़े भाग को प्रतिधारित करने का प्रयास करेगी।

ग.2.2 सांविधिक प्रावधान एवं दिशा–निर्देश

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेगी। इसके अलावा, सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में भारत सरकार या किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

घ प्रतिधारित अर्जन का उपयोग

कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने का काम करती है। कंपनी के संगम ज्ञापन में उल्लेख के अनुसार कंपनी के उद्देश्यों के अनुसरण में, इस प्रकार कंपनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिधारित अर्जन का प्रयोग किया जाएगा।

ङ शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर

रिकॉर्ड तारीख के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने मतदान के समान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी जारी की है इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। शेयरों की किसी नई श्रेणी के निर्गम के समय उसकी प्रकृति एवं दिशा–निर्देशों के आधार पर नीति में उपयुक्त ढंग से संशोधन किए जाएंगे।

अन्य प्रावधान

सांविधिक अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि में किसी परवर्ती परिवर्तन जो इस नीति के प्रावधानों से कोई असंगत प्रावधान बनाते हैं, के मामले में सांविधिक अधिनियम, नियमावली, विनियम आदि के प्रावधान नीति पर अभिभावी होंगे।

नीति में किसी लघु संशोधन/विचलन को अनुमोदित करने के लिए सीएमडी अधिकृत हैं और वह नीति के संबंध में किसी निर्वचन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

निगमित शासन संबंधी प्रमाण–पत्र

सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद इसमें ''सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015'' कहा गया है) के विनियम 17 से 27, 46 (2) (ख) से (झ) और अनुसूची 5 के पैरा ग और घ तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों में प्रावधान के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उक्त खंड एवं दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसरण में एवं प्रबंधन द्वारा दिए गए अभिवेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 से 27, 46 (2) (ख) से (झ) और अनुसूची 5 के पैरा ग एवं घ तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों में प्रावधान के अनुसार निगमित शासन की शर्तों का पालन किया है :

(i) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 17 (1) और निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के पैरा 3.1.2 एवं 3.1.4 यह अपेक्षा करते हैं कि निदेशक मंडल में कम से कम 50 प्रतिशत गैर कार्यपालक निदेशक होने चाहिए और यदि कोई कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष हो तो निदेशक मंडल के कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कार्यपालक अध्यक्ष थे। तद्नुसार, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम से कम 50% होनी चाहिए, तथापि कंपनी के बोर्ड में 7 निदेशक हैं जिसमें बोर्ड के चार पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और 2 गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

(ii) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (10) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन संपूर्ण निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

(iii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 (1) (ख) एवं (ग) तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य गैर कार्यपालक निदेशक होंगे।

(iv) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25 (3) एवं (4) के अनुसार, अपनी अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशक कार्यपालक निदेशकों तथा गैर कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखकर गैर–स्वतंत्र निदेशकों तथा बोर्ड के निष्पादन की समीक्षा करेंगे; कंपनी के अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा करेंगे; और कंपनी के प्रबंधन एवं बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता का मूल्यांकन करेंगे जो प्रभावी एवं तर्कसंगत ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बोर्ड के लिए आवश्यक है। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बार अलग से बैठक हुई है। उक्त बैठक में स्वतंत्र निदेशकों ने सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 25 (4) (ग) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं सामयिकता का मूल्यांकन किया। जहां तक कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन का संबंध है, यह देखते हुए कि डीपीई द्वारा गठित सीपीएसई के कंपनी सचिवों की समिति की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सेबी के साथ मामला उठाया गया है, तथा समकक्ष कंपनियों में अपनाई जा रही प्रथा को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के मानदंड विकसित नहीं किए गए हैं।

(v) सेबी (एलओडीआर) 2015 की अनुसूची 2 के भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19 (4) के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं एवं स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करेगी और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कार्मिकों के पारिश्रमिक के संबंध में निदेशक मंडल को नीति की सिफारिश करेगी और स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करेगी।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) और 19(1)/19(2) के गैर अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है जिसके विरुद्ध कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज तथा सेबी में अभिवेदन दिया है।

हम यह भी कथन करते हैं कि ऐसा अनुपालन प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भावी लाभप्रदता के संबंध में आश्वासन है और न ही उस कारगरता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनीक कोड : P2003DE049100

हस्ता/–
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस नंबर : 5774
सीपी नंबर : 5910

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30 जुलाई, 2019

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक ज

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65910DL1986GOI024862
कंपनी का नाम	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत पता	'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
वेबसाइट	www.pfcindia.com
ई–मेल आईडी	mb@pfcindia.com
रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	2018-19
सेक्टर जिनमें कंपनी काम करती है (कोडवार औद्योगिक गतिविधि)	64920 अन्य वित्तीय सेवाएं एवं गतिविधियां–अन्य क्रेडिट मंजूरी)
तीन प्रमुख सेवाओं के बारे में बताएं जो कंपनी प्रदान करती है	(i) रुपया सावधि ऋण (आरटीएल) (ii) अल्प अवधि ऋण (एसटीएल) (iii) क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट (बीटीएल)
लोकेशन की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यवसाय की गतिविधि संचालित की जाती है	
i. अंतरराष्ट्रीय लोकेशन की संख्या	कोई नहीं
ii. राष्ट्रीय लोकेशन की संख्या	3
कंपनी द्वारा सेवित बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खंड ख (कंपनी का वित्तीय ब्योरा) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)

प्रदत्त पूंजी (आईएनआर)	₹ 2,640.08 करोड़
कुल टर्नओवर (आईएनआर) (प्रचालनों से राजस्व)	₹ 28,842.00 करोड़
कुल कर पश्चात लाभ (आईएनआर)	₹ 6,952.92 करोड़
कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (% में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कर पश्चात लाभ का 1.45% (₹ 100.50 करोड़)
सीएसआर की गतिविधियों की सूची जिनमें व्यय किया गया है	अनुलग्नक–I

खंड ग : अन्य ब्योरे

क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं/हां	हां
क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं?	नहीं
क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरणार्थ आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं?	नहीं

खंड घ : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक का ब्योरा

क) बीआर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक का ब्योरा

विवरण	ब्योरा
डीआईएन नंबर	03548218
नाम	पी. के. सिंह
पदनाम	निदेशक (वाणिज्यिक)

ख) (बीआर हेड का ब्योरा)

विवरण	ब्योरा
डीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
नाम	श्री मनोहर बलवानी
पदनाम	कंपनी सचिव
टेलीफोन नंबर	011- 23456749
ई–मेल आईडी :	mb@pfcindia.com

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीतियां

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जिम्मेदारियों (एनवीजी) पर जारी किए गए राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों में व्यवसाय जिम्मेदारी के 9 क्षेत्रों को अपनाया है। इनका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है:

पी1 – व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन एवं शासन करना चाहिए।

पी2 – व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवनकाल के दौरान संधारणीय योगदान होना चाहिए।

पी3 – व्यवसायों को सभी कार्मिकों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4 – व्यवसायों को सभी स्टेकहोल्डरों, विशेष रूप से उनका जो वंचित, कमजोर एवं हाशिए पर हैं, का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 – व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

पी6 – व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और उसकी बहाली का प्रयास करना चाहिए।

पी7 – जब व्यवसाय सरकारी एवं विनियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल हो तो उसे ऐसा जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए।

पी8 – व्यवसायों को समावेशी विकास एवं साम्यपूर्ण प्रगति को बढ़ावा देना चाहिए।

पी9 – व्यवसायों को दायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए और अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	व्यवसाय आचारनीति	उत्पाद उत्तरदायित्व	कार्मिकों का कल्याण	स्टेकहोल्डर की सहभागिता	मानवाधिकार	पर्यावरण	लोक नीति	सीएसआर	ग्राहक संबंध
		सिद्धांत 1	सिद्धांत 2	सिद्धांत 3	सिद्धांत 4	सिद्धांत 5	सिद्धांत 6	सिद्धांत 7	सिद्धांत 8	सिद्धांत 9
1.	क्या आपके पास ... के लिए कोई नीति / नीतियां हैं	हां	चूंकि पीएफसी एनबीएफसी कंपनी है, इसलिए इस सिद्धांत की प्रयोज्यता सीमित है	हां	हां	यह नीति कंपनी की एचआर नीतियों एवं पद्धतियों में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं पद्धतियों में शामिल है	यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं पद्धतियों में शामिल है	हां	हां
2.	क्या संगत स्टेकहोल्डरों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हां	.	हां	हां	.	.	.	हां	हां
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानक की पुष्टि करती है	हां	.	हां	हां	.	.	.	हां	हां
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा रही है?	हां	.	हां	हां	.	.	.	हां	हां
	यदि हां, तो क्या इस पर एमडी/स्वामी/सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	.	हां	हां	.	.	.	हां	हां
5.	क्या इस नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए कंपनी में बोर्ड/निदेशक/कार्मिकों की कोई विशिष्ट समिति है	हां	.	हां	हां	.	.	.	हां	हां
6.	ऑनलाइन देखने के लिए नीति के लिंक का ब्योरा प्रदान करें।	#	.	नीति आंतरिक दस्तावेज है इसलिए केवल कार्मिकों को उपलब्ध है।	#	-	-	-	#	#
7.	क्या नीति सभी संगत आंतरिक एवं बाहरी स्टेकहोल्डरों को औपचारिक रूप से संप्रेषित की गई है ?	हां	.	हां	हां	.	.	.	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों को लागू करने हेतु कंपनी में अपनी संरचना है?	हां	.	हां	हां	.	.	.	हां	हां
9.	क्या नीति/नीतियों के संबंध में स्टेकहोल्डरों की शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी में नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	.	हां	हां	.	.	.	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यकरण की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन कराया है?	हां	.	हां	हां	.	.	.	हां	हां

#इस रिपोर्ट के अनुलग्नक II में संगत स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक का उल्लेख है।

(ख). यदि किसी सिद्धांत के विरुद्ध क्रमांक 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया बताएं कि ऐसा क्यों है :

क्र. सं.	प्रश्न	सिद्धांत 1	सिद्धांत 2	सिद्धांत 3	सिद्धांत 4	सिद्धांत 5	सिद्धांत 6	सिद्धांत 7	सिद्धांत 8	सिद्धांत 9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2.	कंपनी ऐसे चरण पर नहीं है जहां यह स्वयं को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का निर्माण करने एवं कार्यान्वित करने की स्थिति में पाए									
3.	इस कार्य के लिए कंपनी के पास वित्तीय या मैनपावर संबंधी संसाधन उपलब्ध नहीं है									
4.	अगले 6 महीनों में किए जाने की योजना बनाई गई है									
5.	अगले 1 वर्ष में किए जाने की योजना बनाई गई है									
6.	कोई अन्य कारण									

3. **बीआर से संबंधित शासन**

- **बताएं कि कंपनी के बीआर निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ बैठक की बारंबारता कितनी है।**

प्रकार्यात्मक निदेशक द्वारा कंपनी की बीआर गतिविधियों पर नजर रखी जाती है तथा बोर्ड भी वार्षिक आधार पर निदेशक रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

- **क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है? इसके प्रकाशन की बारंबारता क्या है?**

  वित्तीय वर्ष 2012–13 से व्यवसाय जिम्मेदारी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित की जा रही है। वर्तमान रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी तथा कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर उपलब्ध होगी।

खंड ड. : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. **क्या नैतिकता, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है? क्या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू होती है?**

   पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) विद्युत क्षेत्र की एक अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्था तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत के विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधि तथा गैर–निधि आधारित सहायता प्रदान करती है। यह विद्युत क्षेत्र में निवेश कराने में बड़ी भूमिका निभाती है और इस क्षेत्र के विकास के लिए वाहन के रूप में काम करती है। इसके ग्राहकों में राज्य विद्युत संस्थाएं, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र संस्थाएं, विद्युत विभाग, निजी विद्युत क्षेत्र संस्थाएं, (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक सहित), संयुक्त क्षेत्र विद्युत संस्थाएं, आदि शामिल हैं। पीएफसी ने आरबीआई के दिशा–निर्देशों के आधार पर अपने ऋण प्रचालन के लिए उचित प्रक्रिया संहिता (एफपीसी) का विकास किया है जिसका उद्देश्य सभी ऋणकर्ताओं को व्यवसाय लेन–देन में उचित संव्यवहार एवं पारदर्शिता के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का आश्वासन प्रदान करना है।

   पीएफसी निगमित शासन को अच्छे प्रबंधन का अभिन्न भाग भी मानता है तथा अपने सभी संव्यवहारों में व्यावसायिकता, निष्पक्षता एवं ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता स्थापित की है।

   बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता कंपनी के सभी निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू एक व्यापक संहिता है। यह मिशन एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विजन एवं मूल्यों के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

   कंपनी ने एक कपटरोधी नीति भी अपनाई है ताकि कंपनी में कपट का पता लगाने एवं रोकने की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इसका उद्देश्य नियंत्रणों के विकास के लिए जिम्मेदारी आबंटित करके और कपट/संदिग्ध कपट की रिपोर्टिंग के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करके निरंतर विधिक एवं नैतिक संगठनात्मक आचरण को बढ़ावा देना तथा संदिग्ध कपटपूर्ण व्यवहार की जांच करना है। यह नीति कंपनी में ऐसे कपट या संदिग्ध कपट की रिपोर्टिंग एवं अन्वेषण पर लागू होती है जिसमें कार्मिक (संविदा पर नियुक्त कार्मिकों सहित) तथा स्टेकहोल्डर, परामर्शदाता, वेंडर, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदाता, ठेकेदार, ऋणकर्ता, ऋणदाता बाहरी एजेंसियां और/या कंपनी के साथ कारोबारी संबद्ध रखने वाला कोई अन्य पक्षकार शामिल है।

उपर्युक्त नीतियों के अंतर्गत हमारी सहायक कंपनियों भी शामिल हैं।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकहोल्डर शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद ढंग से समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत क्या है?**

कपटरोधी नीति के अंतर्गत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है।

कंपनी ने वर्ष के शुरू में लंबित 6 शिकायतों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी के शेयरहोल्डरों एवं बॉण्ड धारकों से कुल 3906 शिकायतें प्राप्त की हैं। 31 मार्च, 2019 तक इनमें से 3912 शिकायतों (100%) का समाधान किया गया।

पीएफसी के नागरिक चार्टर के अंतर्गत वर्ष के शुरू में लंबित दो शिकायतों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ग्राहकों/उपभोक्ताओं से कुल 96 शिकायतें प्राप्त हुईं। 31 मार्च, 2019 तक इनमें से 89 शिकायतों (91%) का समाधान किया गया तथा 9 शिकायतें लंबित हैं।

सिद्धांत 2

1. **अपने अधिकतम तीन उत्पादों एवं सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिसकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकारों, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।**

पीएफसी के सावधि ऋण, क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट, पट्टा वित्त पोषण आदि जैसे वित्तीय उत्पाद हैं जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण शामिल है जो संधारणीय तथा पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल हैं। ऋण संस्वीकृत करते समय पीएफसी शर्तें निर्धारित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ पर्यावरणीय स्वीकृतियां शामिल हैं।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा प्रदान करें (ऊर्जा, जल और कच्चा माल आदि) प्रति यूनिट उत्पादः**

चूंकि पीएफसी विनिर्माण कंपनी नहीं है और केवल विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है इसलिए नीचे उल्लिखित निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतया विनिर्माण क्षेत्र पर लागू हैं :

i. **पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान प्राप्त कटौती?**

लागू नहीं

ii. **पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती प्राप्त हुई है?**

लागू नहीं

3. **क्या संपोषणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कंपनी में प्रक्रियाएं है?**

लागू नहीं

4. **क्या कंपनी द्वारा कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय एवं छोटे उत्पादकों से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए कोई कदम उठाया गया है? यदि हां, तो स्थानीय एवं छोटे वेंडरों की क्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

चूंकि पीएफसी वित्तीय संस्था है इसलिए सामग्री इनपुट की दृष्टि से यह अपेक्षाकृत कम संसाधन सघन है। हम प्रापण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन कर रहे हैं।

5. **क्या उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए कंपनी में कोई तंत्र है, यदि हां, तो उत्पादों एवं अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग से < 5%, 5.10%, > 10% के रूप में)? साथ ही, कृपया लगभग 50 शब्दों में इसका ब्योरा प्रदान करें।**

चूंकि कंपनी वित्तीय संस्था है इसलिए अपशिष्ट एवं उत्पादों के पुनर्चक्रण के लिए तंत्र की प्रयोज्यता सीमित है। तथापि, कंपनी ने कार्यालय भवन के किचन/पेंट्री आदि में नेमी आधार पर सृजित जैविक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए कार्यालय परिसर में एक जैविक कंपोस्ट मशीन इंस्टाल किया है।

सिद्धांत 3

1. **कृपया कार्मिकों की कुल संख्या बताएं।**
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, पीएफसी में 498 कार्मिक थे।

2. **कृपया बताएं कि कुल कितने कार्मिकों को अस्थाई/संविदा/अनियत आधार पर हायर किया गया है?**
वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, पीएफसी ने अस्थाई/संविदा/अनियत आधार पर शून्य कार्मिक हायर किया।

3. **कृपया बताएं कि स्थायी महिला कार्मिकों की संख्या कितनी है।**
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सूची में 103 स्थायी महिला कार्मिक थे।

4. **कृपया बताएं कि स्थायी दिव्यांग कार्मिकों की संख्या कितनी है।**
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सूची में 14 दिव्यांग कार्मिक थे।

5. **क्या ऐसा कोई कार्मिक संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?**
पीएफसी में पीएफसी कार्मिक संघ, पीएफसी अजा/अजजा/अपिव कल्याण संघ तथा पीएफसी कार्यपालक संघ है।

6. **आपके स्थायी कार्मिकों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ का सदस्य है?**
100% स्थायी कार्मिक इन मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के सदस्य हैं।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बलात श्रम, अस्वैछिक श्रम, यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2018.19 के दौरान दाखिल की गई शिकायतों की संख्या	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम/बलात श्रम/अस्वैछिक श्रम		
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	
3	भेदभावपूर्ण रोजगार		

8. **पिछले वर्ष आपके निम्नलिखित कार्मिकों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?**

- स्थायी कार्मिक 75%
- स्थायी महिला कार्मिक 80%
- अनियत/अस्थायी/संविदा कार्मिक शून्य
- दिव्यांग कार्मिक 78%

सिद्धांत 4

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाहरी स्टेकहोल्डरों को मानचित्रित किया है?**
हां

2. **क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित, कमजोर एवं साधनविहीन स्टेकहोल्डरों को चिह्नित किया है?**
आरक्षित श्रेणी के सभी कार्मिकों (अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक) को वंचित, कमजोर एवं साधन विहीन स्टेकहोल्डर के रूप में चिह्नित किया जाता है।

3. **क्या वंचित, कमजोर एवं साधनविहीन स्टेकहोल्डरों के साथ भागीदारी के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष पहल की जाती है?**
इन लोगों (आरक्षित श्रेणी के सभी कार्मिकों – अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक) के लिए करियर प्रगति के विभिन्न स्तरों पर तैनाती के लिए भारत सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ के लिए अवसंरचना संबंधी विभिन्न व्यवस्थाएं की गईं। अंकों के प्रतिशत में विशेष छूट देकर अन्य बच्चों के साथ इन श्रेणियों के बच्चों को मेधावी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल कार्मिकों के कल्याण की देखभाल के लिए अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सुनिश्चित किया जाता है कि उपयुक्त स्तर के आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को विभिन्न चयन एवं पदोन्नति समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है ताकि आरक्षित श्रेणियों के कार्मिकों के हितों की देखभाल हो सके।

सिद्धांत 5

1. **क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को शामिल करती है या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ एनजीओ/अन्यों पर भी लागू है?**
मानवाधिकारों पर पीएफसी की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। तथापि, यह नीति कंपनी की विभिन्न एचआर नीतियों एवं प्रक्रियाओं में शामिल है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकहोल्डर शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद ढंग से समाधान की गई शिकायतों का प्रतिशत क्या है?**
वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्टेकहोल्डर की शिकायतों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

विवरण	शिकायतों की संख्या			
	इक्विटी शेयरधारक	बॉण्ड धारक	कपटरोधी नीति के अंतर्गत	नागरिक चार्टर के अंतर्गत
शुरू में लंबित	1	5	0	2
वर्ष के दौरान प्राप्त	886	3020	0	96
वर्ष के दौरान निस्तारित	887	3025	0	89
वर्ष के अंत में अनिर्णीत	0	0	0	9
सुलझाई गई शिकायतों का %	100%	100%	0	91%

सिद्धांत 6

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के अंतर्गत केवल कंपनी शामिल है अथवा ग्रुप/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू है?**

   यह नीति कंपनी की विभिन्न नीतियों एवं प्रथाओं में शामिल है तथा इसके अंतर्गत पूरी कंपनी शामिल है।

2. **क्या जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी में रणनीतियां/पहलें हैं? हां/नहीं यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें।**

   पीएफसी सामाजिक दृष्टि से सजग संगठन है और संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) द्वारा प्रतिपादित वैश्विक संधि के 9 सिद्धांतों का पूर्णतः समर्थन करता है, जिसके अंतर्गत मानवाधिकार, पर्यावरणीय संरक्षण तथा श्रम अधिकार के क्षेत्र शामिल हैं। वैश्विक संधि के ये सिद्धांत कंपनी की विभिन्न संगठनात्मक नीतियों में शामिल हैं जिससे प्राकृतिक ढंग से उनका कार्यान्वयन सुगम हो रहा है।

   पीएफसी समुचित आयोजना एवं निर्णय के माध्यम से समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयास करता है जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को वास्तव में एवं स्थायी रूप से कम करने तथा पर्यावरण का संरक्षण करने में मदद मिलेगी। पीएफसी ने ऐसी गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखा है जिनका उद्देश्य वर्तमान एवं भावी दोनों पीढियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और साथ ही सभी विविधताओं के साथ जीवन को सहारा देने में धरती की क्षमता की रक्षा करना है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की चिन्हित एवं आकलन करती है:**

   चूंकि पीएफसी कोई विनिर्माण कंपनी नहीं है तथा केवल वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है इसलिए यह प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं है।

4. **क्या स्वच्छ विकास तंत्र के संबंध में कंपनी की कोई परियोजना है? यदि हां, तो कृपया लगभग 50 शब्दों में इसका ब्योरा प्रदान करें। साथ ही, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?**

   उपर्युक्त प्रश्न पीएफसी पर लागू नहीं है क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आपकी कंपनी राज्य तथा निजी क्षेत्रों में विशेष ब्याज दर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा ऊर्जा बचत परियोजनाओं को वित्त–पोषित करती है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें।**

   हां कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में 'सोलर एप्लीकेशन' के अंतर्गत ₹ 19.15 करोड़ का संवितरण सहित स्वच्छ प्रौद्योगिकी/नवीकरणीय ऊर्जा/ऊर्जा दक्षता आदि की विभिन्न पहलें शुरू की हैं। इस रिपोर्ट के अनुलग्नक। में ब्योरा प्रदान किया गया है।

6. **क्या कंपनी द्वारा सृजित उत्सर्जन/अपशिष्ट सूचित किए जा रहे वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के अंदर है?**

   लागू नहीं

7. **31 मार्च, 2019 के अंत तक की स्थिति के अनुसार सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात जिनका संतोषप्रद समाधान नहीं किया गया है)**

   लागू नहीं

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड चैंबर या एसोसिएशन का सदस्य है? यदि हां, तो उनमें से केवल मुख्य मुख्य का नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबारी संबंध है :**

   जी हां, पीएफसी निम्नलिखित संघों का सदस्य है :

   1. स्कोप (एससीओपीई)
   2. केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड
   3. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
   4. विश्व ऊर्जा परिषद

2. **क्या आपने जनहित में सुधार या बढ़ोतरी के लिए उपर्युक्त एसोसिएशन के माध्यम से हिमायत/गुटबंदी की है?**

   पीएफसी जनहित में सुधार या उन्नति के लिए उपर्युक्त संघों के प्रयासों में उनके पहलों का समर्थन करता है।

सिद्धांत 8

1. **क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम/पहलें/परियोजनाएं निर्दिष्ट की हैं? यदि हां, तो कृपया उसका ब्योरा प्रदान करें।**

   पीएफसी ने सीएसआर एवं संधारणीयता नीति स्थापित की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार निगमित संस्था बने और पूरे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हो।

पीएफसी की सीएसआर नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- अपने स्टेकहोल्डरों के हितों पर ध्यान देते हुए आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संपोषणीय ढंग से अपने कारोबार के संचालन के लिए संगठन में सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता के स्तर में वृद्धि का सुनिश्चय करना।
- सीएसआर की गतिविधियों के माध्यम से पीईसी लिमिटेड के लिए समाज में सद्भाव का सृजन करना और निगम के रूप में पीईसी लिमिटेड की सकारात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार निगमित संस्था के रूप में पीएफसी निम्नलिखित के लिए प्रयास करता है :

- ऐसे माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना एवं प्रयोग करना जो सामाजिक एवं पर्यावरणीय संपोषणीयता में योगदान करे।
- ऐसी परियोजनाओं को हाथ में लेना जो समुदायों को ऊर्जा, पानी एवं स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करती हैं।
- दिव्यांग व्यक्तियों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की सहायता के लिए गतिविधियां शुरू करना।
- ऐसे मुद्दों को उठाना जिनका राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सर्वोपरि सरोकार है जैसे कि सबके लिए पानी की बचत करना, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा आदि।
- सुविधाविहीन एवं वंचित वर्गों एवं समुदायों की शिक्षा, क्षमता निर्माण के उपायों, सशक्तीकरण के माध्यम से समाज में समावेशी विकास एवं साम्यपूर्ण विकास में योगदान देना।

2. क्या परियोजनाएं/कार्यक्रम अपनी टीम/अपने प्रतिष्ठान/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से संचालित किए जाते हैं?

सीएसआर तथा एसडी नीति के अंतर्गत शुरू की गई सभी परियोजनाएं सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा निष्पादित की गई।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?

कंपनी 5 करोड़ रुपए से अधिक की संस्वीकृत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य रूप से प्रभाव मूल्यांकन करेगी। शेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए मामला दर मामला आधार पर मूल्यांकन किया जाना होता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में संचालित किए जा रहे प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (संस्वीकृति–वार) का विवरण सारणी के रूप में निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्र
1	2000 व्यक्तियों के लिए अजा/अजजा/अपिव/महिलाओं एवं समाज के ईडब्ल्यूएस के लिए पर्यावरण उन्मुख प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	पूरे भारत में
2	100 श्रवण बाधित बच्चों के लिए फिटमेंट कोक्लियर इंप्लांट पर प्रभाव पर भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई), हैदराबाद के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	पूरे भारत में

4. सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में आपकी कंपनी का सीधा योगदान क्या है। रुपए में राशि तथा संचालित की गई परियोजनाओं का ब्योरा?

वर्ष 2018–19 के दौरान पीएफसी ने स्वच्छता, कौशल विकास एवं शिक्षा, सोलर एप्लीकेशन, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विभिन्न समुदाय विकास परियोजनाएं संचालित की। संस्वीकृत एवं संवितरित राशि की दृष्टि से पीएफसी का योगदान निम्नानुसार है :

गतिविधियों की प्रकृति	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
स्वच्छता / अपशिष्ट प्रबंधन / पेयजल	12.89	9.76
कौशल विकास एवं शिक्षा	31.76	18.23
सौर अनुप्रयोग	20.58	19.15
पर्यावरण / वृक्षारोपण	0.00	1.00
स्वास्थ्य क्षेत्र	2.34	2.34
अन्य (प्रभाव अध्ययन, प्रशासनिक ऊपरी खर्च, सौभाग्य, आरा एवं सीतामढ़ी जिला ग्राम विकास कार्यक्रम आदि)	71.39	67.71
कुल	**138.96**	**118.19**

सीएसआर की विभिन्न पहलों में फैलाव (सामुदायिक विकास परियोजनाओं सहित), पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 118.19 करोड़ (प्रशासनिक ऊपरी खर्च सहित) की राशि संवितरित की।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय विकास की इस पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाए?**

   पीएफसी द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान लगभग 70% नियोजन का सुनिश्चय किया जाता है। पर्यावरणीय संपोषणीयता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसी परियोजनाओं में परिसंपत्तियां सृजित की जाती हैं, लाभार्थियों को अंतरित की जाती हैं तथा स्थल द्वारा, टूर रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पीएफसी द्वारा मॉनीटरिंग भी की जाती है।

सिद्धांत 9

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में शेयरहोल्डरों एवं बॉण्ड धारकों से शिकायतों के अलावा ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है?**

   पीएफसी के नागरिक चार्टर के अंतर्गत वर्ष के शुरू में लंबित दो शिकायतों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ग्राहकों/उपभोक्ताओं से कुल 96 शिकायतें प्राप्त हुई। 31 मार्च, 2019 तक इनमें से 89 शिकायतों (91%) का समाधान किया गया तथा 9 शिकायतें लंबित हैं।

2. **क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उससे अधिक उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है जो स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित है?**

   लागू नहीं

3. **क्या अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या प्रतियोगितारोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरुद्ध किसी स्टेकहोल्डर द्वारा पिछले 5 वर्षों में कोई मामला दाखिल किया गया है और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार लंबित है?**

   लागू नहीं

4. **क्या आपकी कंपनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रुझान संचालित करती है?**

   पीएफसी में विद्युत संस्था के साथ आवधिक आधार पर आयोजित सुगठित बैठकों, ग्राहकों के कार्यालयों/परियोजना स्थलों के पीएफसी के कार्यपालकों द्वारा किए गए आवधिक दौरों के माध्यम से, विभिन्न परियोजनाओं/ऋणों के मूल्यांकन, ऋण प्रलेखन एवं संवितरण के चरणों के दौरान नियमित लिखित/टेलीफोन पर पत्राचार, ग्राहकों द्वारा पीएफसी कार्यालय के दौरा आदि के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त की जाती हैं।

   जवाब के आधार पर शिकायतों को दर्ज किया जाता है और प्रत्येक शिकायत के लिए सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई रिकॉर्ड (सीएपीआर) शुरू किया जाता है। शिकायत के समाधान और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम के बारे में संबंधित ग्राहक को सूचित किया जाता है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

ऐसी गतिविधियों की सूची जिन पर उपर्युक्त बिंदु 4 में व्यय किया गया है :

क्र. सं.	परियोजना का नाम (₹ 100.50 करोड़ का ब्योरा)
1	चंदेरी कस्बा, अशोक नगर जिला, मध्य प्रदेश राज्य के चयनित वार्डों में जल वितरण पाइप लाइन
2	वाराणसी नगरपालिका क्षेत्र के 14 वार्डों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के स्वचालित स्वीपिंग संग्रहण एवं परिवहन की सेवाएं प्रदान करना।
3	स्वच्छ कुंभ कोष, कुंभ मेला 2019 में अंशदान
4	मछलीशहर क्षेत्र, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के प्रयोजनार्थ 500 इंडिया मार्क 2 के हैंड पंप की आपूर्ति एवं संस्थापना
5	सीतामढ़ी, बिहार के सरकारी स्कूलों में हाथ धोने की 580 यूनिटों का निर्माण
6	सोलन में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रोफी रिहैबिलिटेशन सेंटर (आईएमडीआरसी) के अंतर्गत मल्टी थिरेपी यूनिट
7	मुंबई तथा इसके बाहरी क्षेत्रों अर्थात ठाणे, कल्याण, रायगढ़, उराण में दिव्यांग व्यक्तियों को हाई–इंड प्रोस्थेलिक एंड ऑर्थोटिक आर्टीफिशियल लिंब के प्रावधान के लिए परियोजना।
8	100 श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉक्लीयर इंप्लांट का फिटमेंट
9	2000 व्यक्तियों के लिए अजा/अजजा/अपिव/महिलाओं तथा समाज के ईडब्ल्यूएस के लिए रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम
10	वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3000 व्यक्तियों के लिए अजा/अजजा/अपिव/महिलाओं/दिव्यांग व्यक्तियों तथा समाज के ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चरण 1
11	वित्तीय वर्ष 2017–18 में 3000 व्यक्तियों के लिए अजा/अजजा/अपिव/महिलाओं/दिव्यांग व्यक्तियों तथा समाज के ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चरण 2
12	900 व्यक्तियों के लिए अजा/अजजा/अपिव/महिलाओं/दिव्यांग व्यक्तियों तथा समाज के ईडब्ल्यूएस के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
13	1200 व्यक्तियों के लिए अजा/अजजा/अपिव/महिलाओं तथा समाज के ईडब्ल्यूएस के लिए रोजगार उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम
14	लखनऊ में चयनित प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन
15	2500 उम्मीदवारों के लिए अजा/अजजा/अपिव/महिलाओं/दिव्यांग व्यक्तियों तथा समाज के ईडब्ल्यूएस के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चरण–II
16	हरियाणा राज्य के अंबाला सर्कल के अंतर्गत तीन गावों–फोज कुदाना, भोज प्लासरा एवं पटिये की भूड़ में मिनी/माइक्रो ऑफ ग्रिड सोलर पीवी पावर प्लांट की आपूर्ति, संस्थापना एवं कमीशनिंग
17	बिहार के पिछड़े जिलों में 25000 परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करना
18	अकबरपुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) की आपूर्ति, संस्थापना एवं कमीशनिंग
19	अरुणाचल प्रदेश के जिलों में 8589 परिवारों में एलईडी आधारित सोलर होम लाइट सिस्टम (एसएचएस) की परियोजना
20	भदोही, उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम का कार्यान्वयन, चरण–1
21	फूलपुर, उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम का कार्यान्वयन
22	पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम का कार्यान्वयन
23	बस्ती, उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम का कार्यान्वयन
24	छत्तीसगढ़ में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सोलर सामुदायिक सिंचाई योजनाएं
25	श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम का कार्यान्वयन, चरण–1

26	भदोही (संत रविदास नगर), उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम का कार्यान्वयन, चरण–II
27	उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) और सोलर हाई मास्ट लाइट (एसएचएमएलएस) का कार्यान्वयन
28	उत्तर प्रदेश के आगरा (उत्तर), आगरा (दक्षिण) और फिरोजाबाद क्षेत्र में सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) और सोलर हाई मास्ट लाइट (एसएचएमएलएस) का कार्यान्वयन
29	पाली, राजस्थान के विभिन्न गांवों में 500 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) की आपूर्ति, संस्थापन एवं कमीशनिंग
30	बिजनौर, उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में 450 एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) की आपूर्ति, संस्थापन एवं कमीशनिंग
31	गिरिडीह में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) का कार्यान्वयन, चरण–II
32	सीतामढ़ी, बिहार में 725 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) का कार्यान्वयन
33	दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, दिल्ली में पार्क (पॉकेट 7ए) का विकास
34	बीकानेर, राजस्थान में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) का कार्यान्वयन
35	श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) का कार्यान्वयन, चरण–II
36	आगरा, उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) का कार्यान्वयन
37	लालगंज, उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) का कार्यान्वयन
38	बागपत, उत्तर प्रदेश में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) का कार्यान्वयन
39	तेलंगाना के महबूब नगर और रंगारेड्डी जिलों में 500 सोलर आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम (एसएलएस) का कार्यान्वयन
40	झारखंड राज्य में लगभग ₹ 41.40 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
41	आपदा के दौरान नष्ट हो गई अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास की गतिविधियां
42	आरा जिला, बिहार – भोजपुर ग्राम विकास कार्यक्रम के तीन ब्लॉकों (पीरो, बिहिया, जगदीशपुर) में विकास कार्यों की परियोजना
43	प्रभाव मूल्यांकन/प्रशिक्षण/यात्रा/वेतन एवं भत्ता आदि

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुलग्नक II

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संगत नीतियों के लिंक नीचे दिए गए हैं :

नीति का नाम	वेब लिंक	
	अंग्रेजी	हिंदी
सीएसआर तथा संधारणीयता नीति	http://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/CSR_Policy_26082016.pdf	http://pfcindia.com/hnsite/DocumentRepository/ckfinder/files/CSR/PFC_CSR_POLICY_HND_20092016.pdf
उचित प्रक्रिया संहिता	http://www.pfcindia.com/Home/VS/62	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/62
व्यवसाय संचालन एवं आचारशास्त्र संहिता	http://www.pfcindia.com/Home/VS/63	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/63
कपटरोधी नीति	http://www.pfcindia.com/Home/VS/65	http://pfcindia.com/hnsite/Home/VS/65
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490188785276_WBP.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490268719103_wbpHND.pdf&path=Page
संबद्ध पक्षकार लेन–देन पर नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1490186033556_Policy on Related Party Transactions.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490267088709_PFC_Policy_Hindi.pdf&path=Page
मैटीरियल सहायक कंपनियों पर नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1546008961743_Policyon.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490266955530_material_subsideiry_HND.pdf&path=Page
लाभांश वितरण नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1500569967022_पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लाभांश वितरण नीति–अंतिम संस्करण-Final Version.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1500987575423_Dividend_Distribution_Policy_of_pfc_hindi.pdf&path=Page
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना एवं संचालन के उचित प्रकटन के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1471519901217_PFCs_Code_of_Conduct_for_regulating_reporting_trading_by_insiders_and_for_fair_disclosure_2015.pdf&path=Page	http://pfcindia.com/hnsite/Default/ViewFile/?id=1490270610504_CODE_OF_CONDUCT_FOR_INSIDER_TRADING_HND.pdf&path=Pag
घटनाओं की तात्विकता के निर्धारण के लिए नीति	http://www.pfcindia.com/Default/ViewFile/?id=1472556452570_Circular%20Policy%20for%20Determination%20of%20Materiality%20of%20Events.pdf&path=Page&Name=Policy for Determination of Materiality of Events	http://pfcindia.com/hnsite/DocumentRepository/ckfinder/files/Statutory_investor/DoMEvents_hi.pdf

अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं तथा केवल संगठन के कार्मिकों को उपलब्ध हैं।

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक ।

फॉर्म एमआर – 3

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए, के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (इसके बाद यहां आगे पीएफसी/कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी निगमित प्रथाओं के पालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई कि इसने हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान किया।

कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अनुरक्षित रिकॉर्डों और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयी लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई सूचना के सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय अवधि को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि पीएफसी ने इसमें यहां आगे की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, ढंग से और के अध्यधीन समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन तंत्र स्थापित किया है :

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पीएफसी द्वारा दाखिल बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों एवं विवरणियों तथा उसके द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकॉर्डों की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम, जिस हद तक तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋण का संबंध है:

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश : .

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अधिग्रहण एवं लाभ) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन की अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना और कार्मिक स्टॉक क्रय योजना) दिशा–निर्देश 1999; **समीक्षाधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम 2008;

(च) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंटों के पंजीयक) विनियम 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम 2009; **समीक्षाधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है, और**

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाय–बैक) विनियम 1998; **समीक्षाधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है**

(vi) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम।

(vii) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानक।

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमावली, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :

(i) **प्रेक्षण 1 :**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के अनुसार :

1. कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों का अभीष्ट संयोजन होगा तथा कम से कम एक महिला निदेशक होगी और **निदेशक मंडल में गैर–कार्यपालक निदेशकों का अनुपात 50% से कम नहीं होगा।**
2. जहां बोर्ड का अध्यक्ष कोई गैर कार्यपालक निदेशक है, बोर्ड में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि कंपनी का कोई नियमित **गैर–कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है तो बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का अनुपात कम से कम 50% होना चाहिए।**

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के अनुसार, **प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कुल निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे** और केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनियों की किसी श्रेणी या श्रेणियों के मामले में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश के पैरा 3.1.2 के अनुसार, प्रकार्यात्मक निदेशकों **(सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या बोर्ड के वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश के पैरा 3.1.4 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में और जिसके निदेशक मंडल का अध्यक्ष कोई कार्यपालक अध्यक्ष है, **स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम से कम 50% होगी।**

<u>कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न परिणामी गैर–अनुपालन :</u>

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों का अनुपालन; डीपीई का पैरा 5.1 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संदर्भ में निगमित शासन पर दिशा–निर्देश तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 का विनियम, 19 (1) एवं (2)

अभ्युक्तियां : कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष कार्यपालक अध्यक्ष हैं, तद्नुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम–से–कम 50% होनी चाहिए, तथापि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बोर्ड में 7 निदेशक हैं जिसमें बोर्ड के चार पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और 2 गैर–सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। तद्नुसार, बोर्ड तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013, निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लिए कंपनी मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।

(ii) **प्रेक्षण 2 :**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25 (3) और (4) के अनुसार, गैर–स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की मौजूदगी के बगैर सूचीबद्ध संस्था के स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे :

(क) कंपनी के गैर–स्वतंत्र निदेशकों तथा पूरे निदेशक मंडल के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करना।

(ख) सूचीबद्ध संस्था के अध्यक्ष के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करना, कार्यपालक निदेशकों तथा गैर–कार्यपालक निदेशकों के विचारों पर विचार करना।

(ग) सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के बीच ऐसी सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं सामयिकता का मूल्यांकन करना जो अपने कर्तव्यों के प्रभावी एवं तर्कसंगत ढंग से निर्वहन के लिए निदेशक मंडल के लिए आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (10) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

अभ्युक्तियां : लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बार अलग से बैठक हुई है। उक्त बैठक में स्वतंत्र निदेशकों ने सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 25 (4) (ग) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं सामयिकता का मूल्यांकन किया। जहां तक कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन का संबंध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डीपीई द्वारा गठित सीपीएसई की कंपनी सचिव समिति की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा सेबी के साथ मामला उठाया गया है तथा समकक्ष कंपनियों में अपनाई जा रही पद्धति को भी ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के मानदंडों का विकास नहीं किया गया है। तथापि, 27 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशकों ने इच्छा व्यक्त की कि मूल्यांकन के मानदंडों नए सिरे से तैयार किए जाएं।

(ii) प्रेक्षण 3 :

सेबी (एलओडीआर) 2015 की अनुसूची 2, भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19 (4) के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

(क) किसी निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता के लिए मानदंड तैयार करेगी और निदेशकों, प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों एवं अन्य कार्मिकों के पारिश्रमिक के संबंध में नीति के बारे में निदेशक मंडल को सिफारिश करेगी;

(ख) स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करेगी;

(ग) निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करेगी।

अभ्युक्तियां : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने सेबी (एलओडीआर), 2015 की अनुसूची II, भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19 (4) (ग) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार की है। सेबी (एलओडीआर), 2015 की अनुसूची II भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19 (4) (क), विनियम 19 (4) (ख) के संबंध में कंपनी ने सूचित किया है कि कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के खंड 86 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा पारिश्रमिक एवं मूल्यांकन सहित ऐसी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशा–निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के अनुसार किया जाना है। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की मूल संख्या के 50% से कम है। इस समय कंपनी के बोर्ड में 2 स्वतंत्र निदेशक हैं। कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

सामान्यतया सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के निर्धारण के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा तथा एडेंजा पर नोट कम–से–कम 7 दिन अग्रिम में भेजे गए और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर और सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों / सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों एवं नियमों, विनियमों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं निगरानी करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी ने अपेक्षित अनुपालनों के साथ 28 मार्च, 2019 को विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति से आरईसी लिमिटेड के 103,93,99,343 इक्विटी शेयरों (जो आरईसी लिमिटेड की शेयर पूंजी के 52.63% का प्रतिनिधित्व करते हैं) का क्रय किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम, 17 (1) और 19(1)/19(2) के गैर अनुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है जिसके विरुद्ध कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज तथा सेबी में अभ्यावेदन दिया है।

कृते **अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव,

आईसीएसआई यूनीक कोड : P2003DE049100

हस्ता/–
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस नंबर : 5774
सीपी नंबर : 5910

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10 जून, 2019

इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक—क

सेवा में,
सदस्यगण,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयी रिकॉर्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्डों के अपने निरीक्षण के आधार पर इन सचिवालयी रिकॉर्डों पर राय व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं अपनाई हैं जो सचिवालयी रिकॉर्डों की विषय—वस्तुओं की सत्यता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थी। यह सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट आधार पर सत्यापन किया गया कि सचिवालयी रिकॉर्डों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो प्रक्रियाएं एवं पद्धतियां अपनाई हैं वे हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखाबहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है तथा हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले उल्लिखित प्रेक्षण/टिप्पणियां/कमजोरियां शामिल नहीं हैं।
4. जरूरत पड़ने पर हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटित होने के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगमित के प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच टेस्ट आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तथा इस संबंध में अपनी राय देने तक सीमित थी कि क्या कंपनी में सम्यक बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन तंत्र हैं या नहीं।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी लाभप्रदता के संबंध में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या कारगरता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते **अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव,

आईसीएसआई यूनिक कोड : P2003DE049100

हस्ता/—
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार
एफसीएस नंबर : 5774
सीपी नंबर : 5910

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10 जून, 2019

सचिवालयी लेखापरीक्षकों के प्रेक्षण तथा उस पर स्पष्टीकरण जो वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए शेयरधारकों के लिए निदेशक रिपोर्ट में शामिल किए जाने थे

क्र. सं..	प्रेक्षण	स्पष्टीकरण
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम, 17 (1) के अनुसार : 1. कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों का अभीष्ट संयोजन होगा तथा कम से कम एक महिला निदेशक होगी और **निदेशक मंडल में गैर–कार्यपालक निदेशकों का अनुपात 50% से कम नहीं होगा।** 2. जहां बोर्ड का अध्यक्ष कोई गैर–कार्यपालक निदेशक है, बोर्ड में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं और यदि कंपनी का कोई नियमित गैर कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है तो **बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का अनुपात कम से कम 50% होना चाहिए।** इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कुल निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे और केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनियों की किसी श्रेणी या श्रेणियों के मामले में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश के पैरा 3.1.2 के अनुसार, **प्रकार्यात्मक निदेशकों (सीएमडी/एमडी सहित) की संख्या बोर्ड के वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।** साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश के पैरा 3.1.4 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में और जिसके निदेशक मंडल का अध्यक्ष कोई कार्यपालक अध्यक्ष है, **स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम से कम 50% होगी।** कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न परिणामी गैर–अनुपालन : ● नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों, निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देश के पैरा 5.1 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम, 19)1) एवं (2) का अनुपालन **अभ्युक्तियां** : कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष कार्यपालक अध्यक्ष हैं, तद्नुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों का कम से कम 50% होनी चाहिए, तथापि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बोर्ड में 7 निदेशक हैं जिसमें बोर्ड के चार पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सरकारी नामिती निदेशक और 2 गैर–सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। तद्नुसार, बोर्ड तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013, निगमित शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लिए कंपनी मंत्रालय के साथ लगातार पत्राचार कर रही है।	सचिवालयी लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों में यह भी उल्लेखनीय है कि पीएफसी के संस्था के अंतर्नियम (एओए) के खंड 86 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पीएफसी के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तद्नुसार, कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति की गति तेज करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है ताकि कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और डीपीई के दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर सके।

क्र. सं..	प्रेक्षण	स्पष्टीकरण
2.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम, 25 (3) और (4) के अनुसार, गैर–स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की मौजूदगी के बगैर सूचीबद्ध संस्था के स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे : (क) कंपनी के गैर–स्वतंत्र निदेशकों तथा पूरे निदेशक मंडल के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करना। (ख) सूचीबद्ध संस्था के अध्यक्ष के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करना, कार्यपालक निदेशकों तथा गैर–कार्यपालक निदेशकों के विचारों पर विचार करना। (ग) सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के बीच ऐसी सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं सामयिकता का मूल्यांकन करना जो अपने कर्त्तव्यों के प्रभावी एवं तर्कसंगत ढंग से निर्वहन के लिए निदेशक मंडल के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम, 17 (10) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा। **अभ्युक्तियां** : लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बार अलग से बैठक हुई है। उक्त बैठक में स्वतंत्र निदेशकों ने सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 25 (4) (ग) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं सामयिकता का मूल्यांकन किया। जहां तक कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन का संबंध है, यह देखते हुए कि डीपीई द्वारा गठित सीपीएसई के कंपनी सचिवों की समिति की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सेबी के साथ मामला उठाया गया है, तथा समकक्ष कंपनियों में अपनाई जा रही पद्धति को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के मानदंड विकसित नहीं किए गए हैं। तथापि, 27 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशकों ने इच्छा व्यक्त की कि मूल्यांकन के मानदंड नए सिरे से तैयार किए जाएं।	सचिवालयी लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों में यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (एओए) के खंड 86 के अनुसार, पीएफसी के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पारिश्रमिक एवं मूल्यांकन सहित ऐसी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
3.	सेबी (एलओडीआर) 2015 की अनुसूची 2, भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19 (4) के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति : (क) किसी निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता के लिए मानदंड तैयार करेगी और निदेशकों, प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों एवं अन्य कार्मिकों के पारिश्रमिक के संबंध में नीति के बारे में निदेशक मंडल को सिफारिश करेगी; (ख) स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करेगी; (ग) निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करेगी। **अभ्युक्तियां** : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने सेबी (एलओडीआर) 2015 की अनुसूची 2, भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19 (4) (2) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार की है। (घ) सेबी (एलओडीआर) 2015 की अनुसूची 2, भाग घ (क) के साथ पठित विनियम 19(4) (क), विनियम 19 (4) (ख) के संबंध में कंपनी ने सूचित किया है कि कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के खंड 86 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा पारिश्रमिक एवं मूल्यांकन सहित ऐसी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।	सचिवालयी लेखापरीक्षक की अभ्युक्तियों में यह भी उल्लेखनीय है कि पीएफसी के संस्था के अंतर्नियम (एओए) के खंड 86 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा पीएफसी के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और पारिश्रमिक एवं मूल्यांकन सहित ऐसी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में लेखांकन के सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रभावों की सही एवं उचित तस्वीर प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में भी किया गया है। नैतिकता की आवश्यकताओं जो कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संगत हैं, के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसरण में हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता संहिता के अनुसरण में नैतिकता की अपनी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्णता में तथा उन पर अपनी राय बनाने में ध्यान दिया गया है और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे उल्लिखित मामलों को लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण मामलों के रूप में सूचित करने के लिए निर्धारित किया है :

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
1	**वित्तीय लिखतों की क्रेडिट क्षतिग्रस्तता** सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने अधिक मात्रा में प्रबंधन के निर्णय की पहचान की है, इस प्रकार हैं : • क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) – कंपनी ने इंड एएस में परिभाषित संकेतक के आधार पर एसआईसीआर को वर्गीकृत किया है। किसी अन्य मानदंड के चयन से कुछ पोर्टफोलियो के लिए मान्य किए गए ईसीएल पर सारवान प्रभाव पड़ सकता है। • **ईसीएल मॉडल** – क्षतिग्रस्तता हानि मापन के अंतर्गत चूक की संभावनाओं (पीडी), निश्चित चूक क्षति (एलजीडी) और चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ईसीएल के मापन के लिए ये मॉडल प्रमुख चालक हैं। • व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकित चरण–3 का वहन मूल्य –ऋणकर्ताओं को ऋणों एवं अग्रिमों के वहन मूल्य का वर्णन सारवान रूप से मिथ्या हो सकता है यदि व्यक्तिगत क्षतिग्रस्तता को उपयुक्त ढंग से चिन्हित एवं अनुमानित नहीं किया जाता है। चरण–3 के अपने पोर्टफोलियो के वहन	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** • एसआईसीआर के सारवान संकेतकों एवं मानदंडों का मूल्यांकन एवं गणना। • पीडी और एलजीडी की गणना के लिए प्रयुक्त सिस्टम में महत्वपूर्ण डाटा इनपुट की सटीकता। • सोर्स सिस्टम से ईसीएल गणना में डाटा प्रवाह की संपूर्णता एवं सटीकता। • कंपनी ने चरण 3 के अपने पोर्टफोलियो के वहन मूल्य का अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की है। हमने ऐसे विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किए गए वहन मूल्य की समीक्षा की है। **हमारे परिणाम :** हमने मान्य किए गए क्रेडिट क्षतिग्रस्तता प्रभार तथा प्रावधान और संबंधित प्रकटन पर विचार किया है।

	मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कंपनी ने क्रिसिल लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं। इन मामलों का प्रभाव यह है कि अपने जोखिम मूल्यांकन के अंग के रूप में हमने निर्धारित किया कि ईसीएल के मूल्य में अनुमान संबंधी उच्च स्तर की अनिश्चितता है तथा कुल मिलाकर वित्तीय विवरणों के लिए तर्कसंगत परिणामों की संभावना की रेंज हमारी अहमियत से अधिक है।	हमने क्रेडिट क्षतिग्रस्तता प्रभार एवं मान्य किए गए प्रावधान तथा संबद्ध प्रकटनों पर स्वीकार्य एवं संतोषप्रद के रूप में विचार किया।
2.	**उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन** कंपनी ने अपनी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में डेरिवेटिव संविदाएं की हैं। इन डेरिवेटिव संविदाओं को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है तथा कुछ डेरिवेटिव संविदाओं को नकदी प्रवाह हेज़ (हेज़ लेखांकन) के अंतर्गत नामित किया जाता है। हमने सारवान एक्सपोजर तथा इस तथ्य के कारण लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले के रूप में डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन तथा हेज़ लेखांकन पर विचार किया है कि इन आवश्यकताओं के अनुचित प्रयोग से आय विवरण पर सारवान प्रभाव पड़ सकता है।	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** कंपनी समकक्ष बैंकों से डेरिवेटिव संविदाओं का उचित मूल्य प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में प्रचलित विनिमय दरए ब्याज दर कर्व तथा उससे जुड़े अन्य अस्थिरता सूचकांक जैसे पालनीय बाजार इनपुट का प्रयोग करके प्राप्त उचित मूल्य की समीक्षा शामिल है। **हमारे परिणाम :** हमने अन्य इनपुटों पर विचार करते समय समकक्ष बैंकों से प्राप्त उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मापन में कोई सारवान मिथ्या वर्णन नहीं पाया।
3.	**सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में कंपनी के निवेश की वसूलनीयता** सहायक कंपनियों में कंपनी के निवेश का वहन मूल्य कंपनी के कुल निवल मूल्य के 33.50% का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी की लेखापरीक्षा के दौरान मूल कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में निवेश की अहमियत तथा निवेशों की वसूलनीयता से जुड़े बाजार जोखिम के कारण इसे फोकस का क्षेत्र माना गया।	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** सभी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों का अनुशीलन। **हमारे परिणाम :** हमने निवेश की वसूलनीयता में कोई सारवान जोखिम नहीं पाया।
4.	**सूचना प्रौद्योगिकी** नियंत्रण निष्पादन वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग की प्रमुख प्रक्रियाएं कंपनी की आईटी प्रणालियों पर स्वचालित नियंत्रणों पर काफी निर्भर हैं। इस बात का जोखिम है कि ड्यूटी अथवा प्रयोक्ता एक्सेस प्रबंधन नियंत्रण (वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग की प्रमुख प्रणालियों के संबंध में) के अनुचित पृथक्करण से अपनी लेखापरीक्षा में उन पर कुछ निर्भरता डालने की हमारा सामर्थ्य कम हो सकता है।	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग प्रणालियों के संबंध में सूचना पर क्रियाशील प्रमुख नियंत्रणों के नमूना का मूल्यांकन किया गया। **हमारे परिणाम :** वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग पर आईटी प्रणालियों से उत्पन्न रिपोर्टों की हमारे विश्लेषण के अनुसार, हमें कोई सारवान कमी नहीं पाई गई।

अन्य मामले

इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार पारगमन की तारीख को प्रारंभिक तुलन–पत्र कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसरण में तैयार किए गए सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं जिनकी हमारे/पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई, जिनकी 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट क्रमशः दिनांक 25 मई, 2018 और 29 मई, 2017 में उन समेकित वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की गई जिसे इंड एएस में पारगमन पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन के सिद्धांतों में अंतरों के लिए समायोजित किया गया, जिसकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करने वाले इन एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को डिजाइन तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जो वित्तीय विवरण तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने में लागू किए गए जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन सतत सरोकार के रूप में जारी रखने की कंपनी की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने, सतत सरोकार के संबंध में यथालागू प्रकटन करने तथा लेखांकन के सतत सरोकार आधार का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन नहीं करना चाहता है या प्रचालन बंद नहीं करना चाहता है अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर एकल वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं, क्या जालसाजी या त्रुटि के कारण लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई मुद्दा है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है एसए के अनुसरण में संचालित लेखापरीक्षा हमेशा किसी सारवान मिथ्या वर्णन का पता लगाएगी जब यह मौजूद होगा। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है तथा तब सारवान माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में उनसे तर्कसंगत रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद हो सकती है।

एसए के अनुसरण में लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद का पालन करते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या वर्णन के जोखिमों की पहचान करते हैं एवं इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण डिजाइन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के लिए जिम्मेदार हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी सारवान मिथ्या वर्णन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली स्थापित की है और ऐसे नियंत्रणों का कारगर ढंग से प्रचालन किया जा रहा है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन के अनुमानों एवं संबद्ध प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के सतत सरोकार आधार के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है जिससे सतत सरोकार के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी के सामर्थ्य पर सारवान संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, तो वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटन पर हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटन पर्याप्त नहीं होता है, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण कंपनी का सतत सरोकार के रूप में काम करना बंद हो सकता है।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय–वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन एवं घटनाओं को ऐसे ढंग से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त होती है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन की विशालता है जो व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में तथा लेखापरीक्षा के अपने कार्यक्षेत्र की आयोजना में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी चिह्नित मिथ्या कथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक अहमियत तथा गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी वहन करने वाले अधिकारियों के साथ अन्य बातों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र एवं समय तथा आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी जिसकी हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संचार करते हैं।

हम शासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता और उनके साथ सभी संबंधों एवं अन्य मामलों और जहां लागू है, संबंधित सुरक्षोपायों के बारे में संचार करने के संबंध में नैतिकता की संगत आवश्यकताओं का पालन किया है, जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से विचार किया जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता से सरोकार है।

शासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब

तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन पर रोक न लगाए या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से तर्कसंगत रूप से ऐसे संचार के जनहित में लाभों पर भारी पड़ने की उम्मीद होगी।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षा के अनुसार, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर **अनुलग्नक ''क''** में विवरण प्रदान करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 5 के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए निदेश और उपनिदेश जारी किए हैं जिसके अनुपालन का उल्लेख **अनुलग्नक ''ख''** में किया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

    (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

    (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की अपेक्षा के अनुसार समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है:

    (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार हैं:

    (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

    (ड.) निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा 2 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह सरकारी कंपनी है।

    (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की कारगरता के संबंध में **अनुलग्नक–''ग''** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

    (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

    i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है–एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39 देखें,

    ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं थी जिसके लिए कोई सारवान पूर्वाभासी क्षति हुई।

    iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में कंपनी ने कोई देरी नहीं की है।

कृते **एम के अग्रवाल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 01411N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए एम के अग्रवाल एंड कंपनी
भागीदार
सदस्यता संख्या 014956

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000458N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए भूपिंदर सिंह
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

तारीख : 29 मई, 2019
स्थान : मुंबई

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक क

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 देखें)

i. (क) कंपनी ने मात्रात्मक ब्योरा तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखा है।

(ख) जैसा कि हमने बताया है, प्रबंधन वर्ष में एक बार अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करता है। हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन की बारंबारता तर्कसंगत है। जैसा कि हमने बताया है, ऐसे प्रत्यक्ष सत्यापन पर प्रबंधन द्वारा कोई सारवान विसंगति नहीं पाई गई जिसके लिए किसी समायोजन की आवश्यकता है।

(ग) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों, हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्डों के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए वाहन विलेखों / पंजीकृत बिक्री विलेख की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि स्वत्व विलेख, जिसमें भूमि एवं भवनों की सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं जो फ्री होल्ड हैं, तुलन–पत्र की तारीख को कंपनी के नाम में धारित हैं। भूमि एवं भवन की अचल परिसंपत्तियों जिन्हें पट्टा पर लिया गया है, के संबंध में पट्टा करार कंपनी के नाम में हैं।

ii. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तद्नुसार यह किसी मालसूची (इन्वेंट्री) का धारक नहीं है। इस प्रकार कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (ii) लागू नहीं होता है।

iii. जैसा कि हमें बताया गया है और बहियों एवं रिकॉर्डों से सत्यापित किया गया है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3 (iii) (क), (ख) और (ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv. कंपनी ने ऐसा कोई ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत शामिल हो सकता है।

v. हमें प्रदान की राशि गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या किसी अन्य संगत प्रावधान तथा कंपनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के अंतर्गत वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा एक के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 का खंड 3 (vi) कंपनी को लागू नहीं होता है।

vii. सांविधिक देय राशियों के संबंध में, हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा इस पर यथालागू अन्य सारवान सांविधिक देय राशि सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कर रही है तथा कंपनी के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार देय होने की तारीख से 6 माह से अधिक अवधि के लिए उपर्युक्त देय राशियों के संबंध में कोई अविवादित राशि बकाया नहीं है।

(ख) जहां किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई देय राशि/मांग प्रस्तुत की गई है और कंपनी द्वारा उसका विरोध किया गया है, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर उसे विरोध के अधीन विधिवत रूप से जमा किया गया है :

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	कुल विवाद ग्रस्त राशि (₹ में)	(विरोध के अधीन भुगतान की गई राशि (₹ में)	लंबित राशि (₹ में)	अवधि जिससे राशि सबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय v	सेवा कर एवं दंड	86,55,830	5,90,170/-	80,65,660	01 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर 2015	सीईएसटीएटी दिल्ली
		16,91,418	शून्य	16,91,418	01 जनवरी, 2016 से 30 नवंबर, 2016	आयुक्त, सीई एवं एसटीए, एलटीयू, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	17,64,18,418	15,30,70,190	2,33,48,228	कर निर्धारण वर्ष 2016-17	सीआईटी - (अपील) 22, दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	दंड	25,91,23,160	शून्य*	25,91,23,160	कर निर्धारण वर्ष 2014-15	सीआईटी - (अपील) 22, दिल्ली

*'दंड राशि के भुगतान की नियत तारीख 28 अप्रैल, 2019 है जिसके विरुद्ध सीआईटी (ए) के समक्ष कंपनी की अपील के निपटान तक या 30 अक्तूबर 2019 तक कुल मांग के 20% के भुगतान पर मांग स्थगन मंजूर किया गया है। तद्नुसार निगम द्वारा 26 अप्रैल 2019 को ₹ 5,18,24,630 (कुल मांग का 20%) की राशि जमा की गई है।

viii. हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार को ऋणों को चुकता करने या डिबेंचर धारकों की देय राशियों का भुगतान करने में चूक नहीं की है।

ix. वर्ष के दौरान सभी प्रकार के ऋण लिखतों तथा सावधि ऋणों के माध्यम से कंपनी द्वारा जुटाए गए धन का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है जिसके लिए यह जुटाया गया।

x. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नोटिस या सूचित नहीं किया गया है।

xi. हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, चूंकि यह सरकारी यह कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 इस पर लागू नहीं होती है। तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (xi) लागू नहीं होता है।

xii. हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। अतः कंपनी पर निधि नियमावली, 2014 लागू नहीं होती है। तद्नुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (xii) लागू नहीं होता है।

xiii. हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू है। लेखांकन मानक की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय विवरणों में ब्योरों का प्रकटीकरण किया गया है।

xiv. हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः अथवा अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आबंटन या निजी (प्राइवेट) प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ ऐसा कोई गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत शामिल है।

xvi. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया है।

कृते **एम के अग्रवाल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 01411N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए एम के अग्रवाल एंड कंपनी
भागीदार
सदस्यता संख्या 014956

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000458N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए भूपिंदर सिंह
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

तारीख : 29 मई 2019
स्थान : मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 2 देखें)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों एवं उप–निदेशों के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क्र. सं.	प्रश्नावली	उत्तर
1	क्या आईटी सिस्टम के माध्यम से लेखांकन के सभी लेन–देन को प्रोसेस करने के लिए कंपनी ने प्रणाली स्थापित की है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, के साथ लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी सिस्टम से बाहर लेखांकन के लेन–देन की प्रोसेसिंग के प्रभाव के बारे में बताएं।	आईटी सिस्टम के माध्यम से लेखांकन के सभी लेन–देन को प्रोसेस करने के लिए कंपनी ने प्रणाली स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान लेखांकन के सभी लेन–देन को आईटी सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस किया गया है। चूंकि सभी वित्तीय लेन–देन को प्रोसेस करने की प्रणाली स्थापित की गई है इसलिए सभी लेन–देन अनिवार्य रूप से केवल सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं और इसलिए लेखाओं की सत्यनिष्ठा पर आईटी सिस्टम से बाहर लेन–देन की प्रोसेसिंग के प्रभाव से संबंधित प्रश्न नहीं उठता।
2	क्या ऋण को चुकता करने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए किसी मौजूदा ऋण या ऋणों / ब्याज आदि के छूट / बट्टे खाते के मामलों का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताएं।	विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए किसी मौजूदा ऋण या ऋणों / ब्याज आदि के छूट / बट्टे खाते के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्र सरकार / राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखांकित / प्रयुक्त किया गया; विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	समेकित विद्युत विकास स्कीम (विलयित आर–एपीडीआरडीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं / स्कीमों के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों को समुचित रूप से लेखांकित किया गया है तथा संस्वीकृति की निबंधन एवं शर्तों तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को जारी की गई हैं।
4	आरबीआई के पुनर्गठन संबंधी मानदंडों से पीएफसी को आरबीआई द्वारा प्रदान की गई छूट के 31 मार्च, 2017 की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को विशेष रूप से मौजूदा ऋणों पर आरबीआई के पुनर्गठन संबंधी मानदंडों के लागू होने की तारीख के संबंध में आरबीआई से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की सलाह दी गई है, जिनको अब विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन के मानदंडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है ताकि तद्नुसार वर्ष 2018–19 के लिए वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया जा सके।	यह मामला परिसंपत्तियों की कुछ श्रेणी पर आरबीआई के पुनर्गठन / पुनः अनुसूचीकरण / पुनः वार्ता के मानदंडों (आरआरआर) की प्रयोज्यता से संबंधित है जहां 31 मार्च, 2017 तक छूट उपलब्ध थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से इंड एएस अपनाया है और इंड एएस परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं उन पर प्रावधान के लिए पुनर्गठन का ऐसा मानदंड निर्धारित नहीं करता है। इंड एएस की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान किया गया है।

कृते **एम के अग्रवाल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 01411N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए एम के अग्रवाल एंड कंपनी
भागीदार
सदस्यता संख्या 014956

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000458N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए भूपिंदर सिंह
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

तारीख : 29 मई, 2019
स्थान : मुंबई

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 3(च) देखें)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड के (i) के अंतर्गत एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संयोग में इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी की गई मार्ग–दर्शन टिप्पणियों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड पर आधारित थे। इन जिम्मेदारियों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय का सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किए। इनमें कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और अनुवेदन, लेखांकन के रिकॉर्डो की परिशुद्धता और पूर्णताः और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय जाहिर करने की है। इन वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 10 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'मार्गदर्शन टिप्पणी' (मार्गदर्शन टिप्पणी) और लेखांकन मानकों के अनुसार की है इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय विवरण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सारवान मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम जो सारवान कमजोरी मौजूद है, का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन कारगरता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से सबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही–सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेने–देन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनाधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

नियंत्रणों की अभिसंधि या अनुचित प्रबंध अधिभूत की संभावना सहित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रच्छन्न सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से सारवान मिथ्या वर्णन हो सकता है और उसका पता न लगा हो।

इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी सारवान दृष्टि से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी किए गए मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते **एम के अग्रवाल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 01411N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए एम के अग्रवाल एंड कंपनी
भागीदार
सदस्यता संख्या 014956

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या रू 000458N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए भूपिंदर सिंह
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

तारीख : 29 मई, 2019
स्थान : मुंबई

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ऊर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली–110001

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ''गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त निदेशों के अध्याय II में निर्दिष्ट मामलों पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था के व्यवसाय में लगी है, जिसके पास दिनांक 10 फरवरी, 1998 के पिछले प्रमाण पत्र संख्या 14.00004 के बदले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संख्या बी–14.00004 के माध्यम से जारी किए गए दिनांक 28 जुलाई, 2010 के प्रमाण–पत्र के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाण–पत्र है। इसके अतिरिक्त, कंपनी 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय के पैटर्न के अनुसार ऐसे पंजीकरण का धारण जारी रखने के लिए हकदार है।

2. कंपनी मास्टर निर्देश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर–जमा ग्रहण कंपनी और जहां ग्रहण कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 में निहित निर्देशों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी पर लागू निवल स्वामित्व निधियों की आवश्यकता को पूरा कर रही है।

3. कंपनी आरबीआई के यहां गैर–जमा ग्रहण इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निदेशक मंडल ने 25 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार न करने के लिए संकल्प पारित किया है।

4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

5. इंड एएस की प्रयोज्यता के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए रोड मैप के अनुसार, कंपनी से वित्तीय वर्ष 2018–19 से (1 अप्रैल 2017 की पारगमन तारीख के साथ) इंड एएस को लागू करने की अपेक्षा है। आय की मान्यता, लेखांकन मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान आदि के संबंध में आरबीआई के मास्टर निदेश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी–व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर–जमा ग्रहण कंपनी और जहां ग्रहण कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 में निर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंड क्षतिग्रस्त ऋणों पर अपेक्षित क्रेडिट क्षति की गणना तथा उनके वर्गीकरण की इंड एएस प्रणाली से असंगत हैं। कंपनी ने इंड एएस की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान आदि को संरेखित किया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, पूंजी निधि, जोखिम परिसंपत्ति/एक्सपोजर तथा जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का विवरण (एनबीएस–7 विवरणी) कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की सभी तिमाहियों के लिए संबंधित तिमाहियों के वित्तीय परिणामों के आधार पर दाखिल की गई है जिसे आरबीआई के मानदंडों के अनुपालन में सीआरएआर सहित निर्धारित अवधि के अंदर दाखिल करने की तारीख को तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित सीआरएआर ठीक से तैयार किया गया है तथा यह आरबीआई द्वारा न्यूनतम निर्धारित सीआरएआर के अनुपालन में है।

कृते **एम के अग्रवाल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 01411N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए एम के अग्रवाल एंड कंपनी
भागीदार
सदस्यता संख्या 014956

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000458N
के हस्ताक्षर से

हस्ता/–
सीए भूपिंदर सिंह
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

तारीख : 29 मई, 2019
स्थान : मुंबई

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का समेतिक वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29 मई 2019 के माध्यम से ऐसा किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी कागजातों तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की वरणात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण निकलकर नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ जोड़ा जा सके।

कृते एवं की ओर से भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता/–
(रीना अकोइजेम)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड -III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26 जुलाई, 2019

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एकल (स्टैंडअलोन) तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
	परिसंपत्तियां				
1	वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(क) नकदी और नकदी समतुल्य	6	308.48	537.71	42.87
	(ख) नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक अधिशेष	7	13,846.53	15.49	3,530.29
	(ग) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) वित्तीय लिखत	8	567.98	229.09	299.87
	(घ) ऋण	9	3,03,210.36	2,66,011.38	2,35,088.75
	(ड.) निवेश	10	16,586.20	2,520.04	3,870.38
	(च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	5,376.40	5,276.91	5,249.43
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		3,39,895.95	2,74,590.62	2,48,081.59
2	गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(क) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	628.59	508.12	346.24
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	35	4,060.73	4,547.26	3,570.22
	(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	13	27.74	26.08	24.01
	(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	13	0.59	0.89	0.69
	(ड.) अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	14	242.09	235.48	1,010.53
	कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		4,959.74	5,317.83	4,951.69
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)		3,44,855.69	2,79,908.45	2,53,033.28
1.	देयताएं और इक्विटी देयताएं				
	वित्तीय परिसंपत्तियां				
	वित्तीय देयताएं				
	(क) व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	8	505.59	240.68	68.41
	(ख) ऋण प्रतिभूतियां	15	2,05,584.49	2,06,811.79	1,94,444.34
	(ग) ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	16	80,344.53	26,080.17	11,591.76
	(घ) गौण (सबॉर्डिनेटिड) देयताएं	17	9,309.70	3,892.76	3,892.64
	(ड.) अन्य वित्तीय देयताएं	18	5,327.84	5,393.19	7,258.52
	कुल वित्तीय देयताएं (1)		3,01,072.15	2,42,418.59	2,17,255.67
2	गैर–वित्तीय देयताएं				
	(क) मौजूदा कर देयताएं (निवल)	12	130.70	129.97	130.43
	(ख) प्रावधान	19	264.00	291.17	63.66
	(ग) अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	20	100.85	112.57	158.44
	कुल गैर वित्तीय देयताएं (2)		495.55	533.71	352.53
	कुल देयताएं (1+2)		3,01,567.70	2,42,952.30	2,17,608.20
3	इक्विटी				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	21	2,640.08	2,640.08	2,640.08
	(ख) अन्य इक्विटी	22	40,647.91	34,316.07	32,785.00
	कुल इक्विटी (3)		43,287.99	36,956.15	35,425.08
	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3)		3,44,855.69	2,79,908.45	2,53,033.28

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर अनुषंगी टिप्पणियां 1 से 57

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(एन बी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00530741

हस्ता/–
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एम के अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N

हस्ता/–
(सीए एम के अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N

हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 मई, 2019

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
	(i) ब्याजगत आय	23	28,440.97	25,562.03
	(ii) लाभांश आय	36	167.03	146.23
	(iii) शुल्क एवं कमीशन आय	24	149.02	267.59
	(iv) उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल लाभ	25	84.98	.
I.	प्रचालनों से कुल राजस्व		28,842.00	25,975.85
II.	अन्य आय	26	9.29	4.40
III.	कुल आय (I+II)		28,851.29	25,980.25
	व्यय			
	(i) वित्तीय लागतें	27	18,981.76	16,955.89
	(ii) निवल परिवर्तन/लेन–देन विनिमय हानि (+) / अभिलाभ (-)	37	520.23	213.10
	(iii) शुल्क एवं कमीशन व्यय	28	10.09	8.58
	(iv) उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि	25	.	193ण19
	(v) वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता (इंपेयरमेंट)	29	(871.48)	2,391.01
	(vi) कार्मिक हितलाभ व्यय	30	173.57	176.64
	(vii) मूल्यह्रास और परिशोधन	13	6.14	6.41
	(viii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38	100.50	118.88
	(ix) अन्य व्यय	31	114.69	71.44
IV.	कुल व्यय		19,035.50	20,135.14
V.	आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ / (हानि) (III-IV)		9,815.79	5,845.11
VI.	आपवादिक मदें		.	.
VII.	कर पूर्व लाभ / (हानि) (V-VI)		9,815.79	5,845.11
	कर व्यय :	35		
	(1) वर्तमान कर			
	वर्तमान वर्ष		2,346.50	2,434.68
	पिछले वर्ष		1.22	(1.07)
	(2) आस्थगित कर		515.15	(975.27)
VIII.	कुल कर व्यय		2,862.87	1,458.34
IX.	सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (VII-VIII)		6,952.92	4,386.77
X	बंद प्रचालनों से लाभ / (हानि) (कर पश्चात)		.	.
XI	वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए) (IX+X)		6,952.92	4,386.77
XII	अन्य व्यापक आय			
	(i) मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन		(3.63)	5.72
	– इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)		(154.88)	(331.24)
	(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन		1.69	1.78
	(iii) मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
	नकदी प्रवाह हेजिंग में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश		(77.08)	–
	(iv) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		26.93	–
	अन्य व्यापक आय		(206.97)	(323.74)
XIII.	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)		6,745.95	4,063.03
XIV.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य 10/- प्रत्येक) (सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए) :			
	(1) बेसिक ईपीएस (₹)	41	26.34	16.62
	(2) तनुकृत ईपीएस (₹)		26.34	16.62

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर अनुषंगी टिप्पणियां 1 से 57

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)	**(एन बी गुप्ता)**	**(राजीव शर्मा)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन–00530741	डीआईएन–00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	एम के अग्रवाल एंड कंपनी	**गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**
	फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N
	हस्ता/–	हस्ता/–
	(सीए एम के अग्रवाल)	**(सीए भूपिंदर सिंह)**
स्थान : मुंबई	भागीदार	भागीदार
तारीख : 29 मई, 2019	सदस्यता संख्या : 014956	सदस्यता संख्या : 092867

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2017 को शेष	2,640.08
वर्ष के दौरान परिवर्तन	.
31 मार्च, 2018 को शेष	2,640.08
वर्ष के दौरान परिवर्तन	.
31 मार्च, 2019 को शेष	2,640.08

(ख) अन्य इक्विटी (₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह बाड़ में बाड़ लिखतों पर अभिलाभ/(हानि) का प्रभावी अंश	कुल
	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IC(1) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (x) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996–97 तक सृजित विशेष आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997–98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा	ब्याज विभेद आरक्षित निधि . केएफडब्ल्यू ऋण	सामान्य आरक्षित विधि	प्रतिधारित अर्जन			
01 अप्रैल, 2017 को शेष	16.99	3,014.69	599.85	14,325.30	1,434.17	2,776.54	(288.12)	56.41	5,438.68	5,184.72	225.77	-	32,785.00
वर्ष के लिए लाभ										4,386.77			4,386.77
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन (कर का निवल)										7.50			7.50
अन्य व्यापक आय/(व्यय)											(331.24)	-	(331.24)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,394.27**	**(331.24)**	-	**4,063.03**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,059.26)	-	-	(2,059.26)
लाभांश वितरण नीति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(404.41)	-	-	(404.41)
प्रति अर्जन में / से अंतरण–वर्ष के दौरान वृद्धि /	6.37	372.10	-	1,595.06	292.65	-	-	-	1,000.00	(3,265.40)	(0.78)	-	0.00
विलोप (निवल)	-	-	-	-	-	-	(68.29)	1.49	-	(1.49)			(68.29)
31 मार्च, 2018 को शेष	**23.36**	**3,386.79**	**599.85**	**15,920.36**	**1,726.82**	**2,776.54**	**(356.41)**	**57.90**	**6,438.68**	**3,848.43**	**(106.25)**	**-**	**34,316.07**
वर्ष के लिए लाभ										6,952.92			6,952.92
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन										(1.94)			(1.94)
अन्य व्यापक आय / (व्यय)											(154.88)	(50.15)	(205.03)
प्रतिधारित आय में / से अंतरण										**6,950.98**	**(154.88)**	**(50.15)**	**6,745.95**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	1,390.58	353.42	-	1,577.91	289.73	-	-	-	1,000.00	(4,597.08)	(14.56)		0.00
वर्ष के दौरान वृद्धि / विलोप (निवल)	-	-	-	-	(2.30)	-	(413.31)	2.10	-	0.20	(0.80)		(414.11)
31 मार्च, 2019 को शेष	**1,413.94**	**3,740.21**	**599.85**	**17,498.27**	**2,014.25**	**2,776.54**	**(769.72)**	**60.00**	**7,438.68**	**6,202.53**	**(276.49)**	**(50.15)**	**40,647.91**

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर अनुषंगी टिप्पणियां 1 से 57

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)	**(एन बी गुप्ता)**	**(राजीव शर्मा)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन–00530741	डीआईएन–00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	एम के अग्रवाल एंड कंपनी	**गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
	फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N
	हस्ता/–	हस्ता/–
	(सीए एम के अग्रवाल)	**(सीए भूपिंदर सिंह)**
स्थान : मुंबई	भागीदार	भागीदार
तारीख : 29 मई, 2019	सदस्यता संख्या : 014956	सदस्यता संख्या : 092867

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	
I.	गतिविधियों के प्रचालन से नकदी प्रवाह :				
	कर पूर्व लाभ	**9,815.79**		**5,845.11**	
	जोड़ें/(घटाएं) : निम्नलिखित के लिए समायोजन				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर हानि (निवल)	0.32		0.42	
	मूल्यह्रास और परिशोधन	6.14		6.41	
	जीरो कूपन बॉण्डों पर डिस्काउंट तथा वाणिज्यिक पत्र पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	(136.83)		(66.42)	
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा परिवर्तन हानि/(अभिलाभ)	519.07		198.97	
	उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	(84.98)		193.19	
	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर	(10.47)		15.82	
	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	(871.48)		2,391.01	
	निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	(288.60)		(253.50)	
	ब्याजगत सब्सिडी निधि	3.46		9.32	
	आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	5.86		.	
	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	.		(0ण्84)	
	सेवानिवृत्ति हितलाभों आदि के लिए प्रावधान	56.09		72.39	
	लाभांश आय	(167.03)		(146.23)	
	ऋणों/ऋण प्रतिभूतियों/सबॉर्डिनेटिड देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर	(0.35)		(82.88)	
	आयकर रिफंड पर ब्याज				
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ :	(8.29)		(4.78)	
		8,838.71		**8,177.99**	
	वृद्धि/कमी :				
	ऋण (निवल)	36,321.76)		(33,153.02)	
	अन्य परिसंपत्तियां (वित्तीय और गैर–वित्तीय)	(13,897.14)		3,425.35	
	डेरिवेटिव	11.00		49.86	
	देयताएं एवं प्रावधान	(668.69)		(577.45)	
	आपवादिक मदों से पूर्व नकदी प्रवाह	**(42,037.88)**		**(22,077.27)**	
	आपवादिक मदें	-		-	
	प्रचालनों से कर पूर्व नकदी प्रवाह	**(42,037.88)**		**(22,077.27)**.	.
	अदा किया गया आयकर	(2,544.76)		(2,632.95)	
	आयकर रिफंड	81.34		1.83	
	गतिविधियों के प्रचालन से निवल नकदी प्रवाह		**(44,501.30)**		**(24,708.39)**
II.	निवेश की गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निस्तारण से प्राप्त राशि	0.11		0.22	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का क्रय	(7.93)		(9.32)	
	सहायक कंपनियों में निवेश	(14,500.00)		.	
	निवेश पर ब्याज	243.25		271.56	
	निवेश पर लाभांश	167.03		146.23	
	अन्य निवेश में वृद्धि/कमी	277.97		1,019.10	
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(13,819.57)**		**1,427.79**
III.	वित्त–पोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह रू				
	बॉण्डों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (मोचनों का निवल)	(8,957.74)		4,046.31	
	दीर्घावधि ऋण जुटाना (चुकौतियों का निवल)	35,678.55		8,525.00	
	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना (चुकौतियों का निवल)	9,634.40		9,547.20	
	सबॉर्डिनेटिड देयताएं जुटाना (मोचनों का निवल)	5,411.50		(0.00)	
	वाणिज्यिक पत्र जुटाना (चुकौतियों का निवल)	2,970.00		7,030.00	
	कार्यशील पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट जुटाना (चुकौतियों का निवल)	13,357.18		(2,400.79)	
	अदावी बॉण्ड (निवल)	(2.78)		3.41	
	अदावी लाभांश (निवल)	0.53		1.20	
	अंतरिम लाभांश का भुगतान*	.		(2,505.30)	
	निगमित लाभांश कर का भुगतान	.		(471.59)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह		**58,091.65**		**23,775.45**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी		(229.23)		494.84
	जोड़ें : वित्तीय वर्ष के शुरू में नकदी एवं नकदी समतुल्य		537.71		42.87
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**308.48**		**537.71**

	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्योरा :				
	i) बैंकों में अधिशेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का) चालू खातों में	8.48		4.76	
	मांग जमा खातों में	300.00	308.48	532.95	537.71
	ii) डाक व्यय एवं पेशगी सहित हाथ में चेक, ड्राफ्ट				
	वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य		**308.48**		**537.71**

* वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित ₹ 446.04 करोड़ सहित वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 2505.30 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान।

वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बॉण्ड / डिबेंचर*	सावधि ऋण**	विदेशी मुद्रा ऋण	वाणिज्यिक पेपर	डब्ल्यूसी डीएल	सबॉर्डिनेटिड ऋण	कुल
	1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	**185,943.37**	**2,000.00**	**8,443.88**	**-**	**2,400.79**	**3,800.00**	**202,588.04**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	4,046.31	8,525.00	9,547.20	7,030.00	(2,400.79)	(0.00)	26,747.73
	निम्नलिखित के कारण गैर नकदी परिवर्तन :							
	जीरो कूपन बॉण्ड पर डिस्काउंट / ब्याज / वाणिज्यिक पत्र पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	38.85	-	-	(105.26)	-	-	(66.42)
	विनिमय दरों में परिवर्तन	-	-	269.00	-	-	-	269.00
	31 मार्च, 2018 को अंतिम शेष	**190,028.53**	**10,525.00**	**18,260.08**	**6,924.74**	**-**	**3,800.00**	**229,538.35**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(8,957.74)	35,678.55	9,634.40	2,970.00	13,357.18	5,411.50	58,093.90
	निम्नलिखित के कारण गैर नकदी परिवर्तन:							
	जीरो कूपन बॉण्डों पर डिस्काउंट तथा वाणिज्यिक पत्र पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	42.00	-	-	(178.82)	-	-	(136.83)
	विनिमय दरों में परिवर्तन	-	-	932.38	-	-	-	932.38
	31 मार्च, 2019 को अंतिम शेष	**181,112.79**	**46,203.55**	**28,826.86**	**9,715.92**	**13,357.18**	**9,211.50**	**288,427.80**

*नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा नोट्स विदेशी मुद्रा ऋण का भाग है।
**नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण तथा सिंडीकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण का भाग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(एन बी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00530741

हस्ता/–
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एम के अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N
हस्ता/–
(सीए एम के अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N
हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कंपनी के बारे में सूचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''पीएफसी'' या ''कंपनी'') का निगमन वर्ष 1986 में हुआ। कंपनी का निवास स्थान भारत में है और यह शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी है, इसका पंजीकृत कार्यालय 'ऊर्जानिधि' 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में है।

यह कंपनी सरकारी कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण; जमा राशि स्वीकार न करने वाली या धारण न करने वाली) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जो अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के यहां पंजीकृत है।

कंपनी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

2. अनुपालन का विवरण

2.1 कंपनी ने 01 अप्रैल, 2018 से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (''इंड एएस'' के रूप में संदर्भित) अपनाया है। ये एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा अन्य लागू विनियामक मानदंडों / दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हैं। ये कंपनी के पहले इंड एएस एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण हैं तथा पारगमन (ट्रांजिशन) की तारीख 01 अप्रैल, 2017 है।

कंपनी ने पिछले सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (पिछले जीएएपी) की अपेक्षाओं के अनुसरण में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक अपने एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण तैयार किए, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस) तथा आरबीआई के लागू निदेश शामिल थे। कंपनी ने पारगमन की तारीख के अनुसार अपना प्रारंभिक इंड एएस एकल (स्टैंडअलोन) तुलन–पत्र तैयार करने में इंड एएस 101, 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना' के प्रावधानों का अनुसरण किया तथा इंड एएस के अनुसार प्रारंभिक अधिशेषों को दोहराने के लिए समायोजन किए गए। पारगमन के प्रभाव को 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक आरक्षित निधि में लेखांकित किया गया है। लेखांकन के समान सिद्धांतों के अनुसरण में तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका प्रयोग कंपनी के पहले इंड एएस एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में किया जाता है।

पहली बार अपनाने पर कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए अनिवार्य अपवादों तथा वैकल्पिक छूटों का ब्यौरा टिप्पणी 4 में उपलब्ध है। इसके अलावा, इंड एएस 101 के अनुसरण में, कंपनी ने 31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार पिछले जीएएपी के अंतर्गत एवं इंड एएस के अंतर्गत कुल इक्विटी तथा टिप्पणी 43 में ब्यौरे के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पिछले जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ और पिछले जीएएपी के अनुसार कुल व्यापक आय का समाधान प्रस्तुत किया है।

2.2 ये एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण 29 मई, 2019 को निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2.3 जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी न किए गए मानक

इंड एएस 116 - पट्टा (लीज) :

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने इंड एएस 116 'लीज' अधिसूचित किया है। इंड एएस 116 इंड एएस 17 तथा संबद्ध निर्वचनों को प्रतिस्थापित करेगा। यह मानक पट्टों की मान्यताए मापन, प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण के सिद्धांतों का वर्णन करता है। इंड एएस 116 एकल पट्टाधारक लेखांकन माडल पुरस्थापित करता है तथा पट्टाधारक से 12 माह से अधिक अवधि वाले सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मान्य करने की अपेक्षा करता है, जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम न हो। मानक में पट्टाधारकों के लिए प्रकटीकरण की अधिक अपेक्षाएं भी निहित हैं।

इंड एएस 12 - परिशिष्ट ग, आयकर संव्यवहार पर अनिश्चितता :

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 'इंड एएस 12 – परिशिष्ट ग, आयकर संव्यवहार में अनिश्चितता' को अधिसूचित किया है जिसे कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट तथा कर दरों का निर्धारण करते समय प्रयुक्त किया जाना है, जब इंड एएस 12 के अंतर्गत आयकर संव्यवहार में अनिश्चितता होती है। इस परिशिष्ट के अनुसार, कंपनियों को प्रत्येक कर संव्यवहार या कर संव्यवहारों के ग्रुप को स्वीकार करने वाले संगत कर प्राधिकारी की लाभप्रदता का निर्धारण करना है, जिसे उन्होंने अपनी आयकर विवरणी में प्रयुक्त किया है या प्रयोग करने की योजना बनाई है जिसके बारे में यह समझा जाएगा कि कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट तथा कर दरों का निर्धारण करते समय कर संव्यवहार के अपेक्षित मूल्य या सर्वाधिक संभावित राशि की गणना की गई है।

इंड एएस 12 में संशोधन–आयकर :

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने लाभांश वितरण कर के लेखांकन के संबंध में इंड एएस 12, ''आयकर'' में मार्गदर्शन में संशोधन जारी किए। संशोधन स्पष्ट करता है कि कोई संस्था लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के आयकर के प्रभावों को इसके अनुसार मान्य करेगी जहां इक्विटी ने मूलतः उन पिछले लेन–देन या घटनाओं को मान्य किया है।

इंड एएस–19 में संशोधन–योजनागत संशोधन, काट–छांट या निपटान :

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने योजनागत संशोधनों, काट–छांट एवं निपटान के लिए लेखांकन के संबंध में संशोधन जारी किए जिसके अंतर्गत संस्था से वर्तमान सेवा लागत तथा योजना में संशोधन, काट–छांट या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए निवल ब्याज के निर्धारण के लिए अद्यतन मान्यताओं का प्रयोग करने और पिछली सेवा लागत अथवा निस्तारण पर अभिलाभ या हानि, सरप्लस में किसी कटौती के अंग के रूप में लाभ या हानि में मान्य करने की आवश्यकता है, भले ही परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव के कारण पहले वह अधिशेष मान्य न किया गया हो।

इन संशोधनों के लागू होने की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2019 को या इसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी इस समय एकल (स्टैंडएलोन) वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

3. लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां

एकल (स्टैंडएलोन) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं :

3.1 तैयारी और मापन का आधार

ये एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का प्रयोग करके सतत सरोकार आधार पर तैयार किए गए हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐतिहासिक लागत पर या परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर किया गया है।

उचित कीमत वह कीमत होती है जो मापन की तिथि को बाजार के प्रतिभागियों के बीच किसी क्रमबद्ध लेन–देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होगा या किसी देयता के अंतरण पर भुगतान की जाएगी, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह कीमत मूल्यांकन की दूसरी तकनीक का प्रयोग करके सीधे पालनीय या अनुमानित है।

उचित मूल्य के मापों को इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार लेवल 1, 2 या 3 में श्रेणीकृत किया गया है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

- लेवल 1 के इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं जिनका मूल्यांकन संस्था मापन की तारीख को कर सकती है, के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (गैर समायोजित) हैं;
- लेवल 2 के इनपुट लेवल 1 में शामिल उद्धृत कीमतों से भिन्न हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए पालनीय हैं; और
- लेवल 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए अपालनीय इनपुट हैं।

3.2 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हाथ में नकदी और मांग जमा शामिल है। कंपनी सभी अल्पावधि अधिशेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या कम है), उच्च तरल निवेश, जो नकदी की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

3.3 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

(I) ब्याज दर तथा विदेशी विनिमय दर के जोखिमों पर अपने एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए कंपनी कई प्रकार के डेरिवेटिव वित्तीय लिखत जैसे कि केवल स्वैप के रूप में मूलधन, ब्याज दर स्वैप, ऑप्शन तथा वायदा संविदाएं करती है।

(ii) कंपनी नकदी प्रवाह हेज़ या उचित मूल्य हेज़ के रूप में हेज़ संबंध के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव संविदाएं नामित करती है।

नकदी प्रवाह हेज़

डेरिवेटिव के उचित कीमत में परिवर्तनों के प्रभावी अंश जो नकदी प्रवाह हेज़ के रूप में नामित किए जाते हैं और अर्हक हैं, को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। निष्प्रभावी अंश से संबंधित अभिलाभ या हानि को तत्काल लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है। अन्य व्यापक आय में मान्य राशियां (जो प्रभावी अंश हैं) ऐसी अवधियों में लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती हैं जब रक्षित मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

उचित मूल्य हेज़

डेरिवेटिव के नामित अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन जो उचित मूल्य हेज़ के रूप में अर्हक होते हैं, लाभ और हानि विवरण में हेज़्ड मद जो हेज़्ड जोखिम पर आरोप्य होती है, के उचित मूल्य में किसी परिवर्तन के साथ तत्काल मान्य किए जाते हैं। हेज़ लिखत के नामित अंश के मूल्य में परिवर्तन तथा हेज़्ड जोखिम पर आरोप्य हेज़्ड मद में परिवर्तन हेज़्ड मद से संबंधित लाइन मद में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किए जाते हैं।

जब हेज़्ड लिखत की अवधि समाप्त हो जाती है या कालातीत हो जाती है या प्रयुक्त हो जाती है या जब यह हेज़ लेखांकन के लिए अर्हक नहीं होती है, तो हेज़ लेखांकन बंद हो जाता है।

(iii) डेरिवेटिव लिखतों, हेज़ संबंध के अंतर्गत नामित डेरिवेटिव लिखतों को छोड़कर, को शुरू में तारीख जब डेरिवेटिव लिखत के करार किए जाते हैं, को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3.4 वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है, जब कंपनी वित्तीय लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

शुरूआती मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य प्लस/माइनस लेन–देन लागत पर मान्य किया जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या निर्गम पर आरोप्य है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मामले में जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य की जाती हैं, उसकी लेन–देन लागत लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

3.4.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित बिक्री या क्रय को निपटान की तारीख के आधार पर मान्य एवं विमान्य किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का नियमित क्रय या बिक्री ऐसी बिक्री या क्रय है जिसके लिए बाजार स्थल में विनियम या अभिसमय (कन्वेंशन) द्वारा स्थापित समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है।

शुरूआती मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में पूर्णतः मापा जाता है।

(i) <u>वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से भिन्न) का वर्गीकरण एवं मापन</u>

(क) <u>परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :</u>

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है :

- परिसंपत्ति किसी व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों का धारण करना है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारिखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

<u>प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि</u>

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत की गणना करने तथा अपेक्षित जीवनकाल में ब्याज आय आबंटित करने की विधि है। ईआईआर विधि का प्रयोग करते समय कंपनी सामान्यतया किसी शुल्क, प्राप्त या संदत्त प्वाइंट, लेन–देन लागत तथा अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट जो किसी वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है, परिशोधित करती है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में आय को मान्य किया जाता है।

ईआइआर का निर्धारण वित्तीय परिसंपत्ति की शुरूआती मान्यता पर किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रत्येक रीसेट पर ईआइआर को अपडेट किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तों पर पुनः वार्ता होने पर बाजार संचालित से भिन्न ब्याज दर मूवमेंट, संशोधन से पूर्व परिगणित पिछले ईआइआर का प्रयोग करके मापे गए किसी अभिलाभ/हानि को उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिसके दौरान ऐसी पुनः वार्ता होती है।

(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैंए तो एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्ति का मापन किया जाता है :

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआइ) में मान्य किया जाता है और आरक्षित निधि में संचित किया जाता है।

(ग) <u>लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)</u>

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है, जब तक कि उसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापा न गया हो।

(ii) <u>इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण एवं मापन</u>

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में इक्विटी निवेश से भिन्न सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। ट्रेडिंग के लिए धारित किए गए इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी लिखतों के लिए कंपनी शुरूआती मान्यता पर उसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वगीकृत करने के लिए अप्रतिसंहार्य चुनाव करती है। कंपनी लिखत दर लिखत आधार पर ऐसा चुनाव करती है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य प्लस लेन–देन लागत पर मापा जाता है। उसके बाद उसे उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और आरक्षित निधि में संचित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि विवरण में राशियों की कोई रिसाइक्लिंग नहीं होती है। तथापि, कंपनी इक्विटी के अंदर उसका अंतरण करती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) <u>वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता</u>

(क) शुरूआती मान्यता के बाद, कंपनी इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्य करती है। ऋण परिसंपत्तियों से भिन्न ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल को आजीवन प्रत्याशित क्षतियों के बराबर राशि पर मापा जाता है। कंपनी ''वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता'' के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में ईसीएल प्रभार या रिवर्सल (जहां निवल राशि विशिष्ट अवधि के लिए ऋणात्मक अधिशेष है) दर्शाती है।

ईसीएल की मान्यता एवं मापन के लिए क्षतिग्रस्तता की अपेक्षाओं को एफवीटीओसीआई पर ऋण परिसंपत्ति पर समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि ईसीएल को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और तुलन–पत्र में वहन राशि से कटौती नहीं की जाती है।

(ख) **चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों एवं प्रतिबद्धताओं की क्षतिग्रस्तता :**

कंपनी आजीवन ईसीएल के समान राशि पर ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन करती है, यदि क्रेडिट क्षतिग्रस्तता होती है या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) हुई है। यदि शुरूआती मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं होता है तो कंपनी 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर ईसीएल मापती है। इस बात का मूल्यांकन करते समय कि शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर है, कंपनी तर्कसंगत एवं समर्थनीय सूचना पर विचार करती है जो अनुचित लागत या प्रयास के बगैर उपलब्ध होती है। यदि कंपनी पिछली अवधि में आजीवन ईसीएल के रूप में हानि छूट का मापन करती है परंतु परवर्ती अवधि में निर्धारित करती है कि क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार के कारण शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर नहीं हैए तो कंपनी 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि छूट का पुनः मापन करती है।

ईसीएल क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर मापा जाता है तथा अन्य ऋण परिसंपत्तियों पर यह सामान्यतया सजातीय समूहों का प्रयोग करके सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

कंपनी ऋण परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर एलओसी के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं पर क्षतिग्रस्तता का मापन करती है।

(ग) परिणामी हानियों एवं रिवर्सल को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) <u>वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता</u>

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब यह किसी दूसरे पक्षकार को वित्तीय परिसंपत्ति तथा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सारवान रूप से सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को अंतरित कर देती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की पूर्णतः विमान्यता पर, परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की रकम तथा संचयी अभिलाभ या हानि जिसे अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था, के बीच अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्य किया गया है।

3.4.2 वित्तीय देयताएं

(i) डेरिवेटिव तथा वित्तीय गारंटी संविदाओं से भिन्न सभी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआइआर) विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयता की शुरूआती मान्यता पर ईआईआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में रीसेट की संबंधित तारीख को परिवर्तनशील ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआइआर को अपडेट किया जाता है।

(ii) <u>वित्तीय गारंटी</u>

कंपनी द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है और यदि एफवीटीपीएल पर नामित नहीं है, तो बाद में निम्नलिखित के उच्चतर स्तर पर मापा जाता है :

- गारंटी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम अनुमानय और
- 'उपयुक्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य आय की संचयी राशि को घटाकर शुरू में मान्य की गई राशि।

(iii) <u>वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता</u>

कंपनी वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी विमान्य करती है जब कंपनी की बाध्यताएं उन्मुक्त, रद्द या कालातीत हो जाती हैं। विमान्य वित्तीय देयता की वहन राशि और संदत्त एवं संदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3.5 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में निवेश के इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया जाता है।

3.6 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यह्रास

(i) शुरू में पीपीई की मदों को लागत पर मान्य किया जाता है। इसके बाद फ्रीहोल्ड भूमि जिसके लिए मूल्यह्रास नहीं किया जाता है, को

छोड़कर, संचित मूल्यहास एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर मापन किया जाता है। सक्रिय प्रयोग से निवृत्त तथा निपटान के लिए धारित पीपीई की मद को उसके बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर व्यक्त किया जाता है।

(ii) प्रयोग के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के मामले में, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमोदित बिलों या संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य जहां अंतिम बिल (बिल्स) अभी तक प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुए है, के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

(iii) पीपीई की किसी मद के प्रतिस्थापित पार्ट की लागत को मद की वहन राशि में मान्य किया जाता है यदि ऐसी संभावना होती है कि पार्ट में शामिल भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे तथा उसकी लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। प्रतिस्थापित पार्ट की वहन राशि विमान्य की जाती है। पीपीई की अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) निर्माणाधीन पीपीई को लागत पर अग्रेनीत किया जाता है तथा कोई मान्य क्षतिग्रस्तता हानि घटाई जाती है। पीपीई की ऐसी मदों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूर्ण और आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं। अन्य परिसंपत्तियों की तरह इन परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(v) सेलफोन को छोड़कर, जहां कंपनी द्वारा उपयोगी काल 2 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया हैए अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में ह्रासित मूल्य विधि के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर परिसंपत्ति की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यह्रास मान्य किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित जीवनकाल के समान है। पीपीई की मूल लागत के 5% के रूप में अवशिष्ट मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(vi) वर्ष के दौरान पीपीई में वृद्धि/कटौती पर मूल्यहास को उस माह से/तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है जिसमें प्रयोग के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है/उसका निपटान किया गया है।

(vii) निपटान पर या परिसंपत्ति का प्रयोग जारी रखने से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद न होने पर पीपीई की किसी मद को विमान्य किया जाता है। पीपीई की किसी मद की विमान्यता पर उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(viii) क्रय के वर्ष में 5000/- तक की लागत वाले पीपीई की प्रत्येक मद का पूर्णतः मूल्यहास किया जाता है।

3.7 अमूर्त परिसंपत्तियां एवं परिशोधन

(I) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों जिनकी अलग से खरीद की जाती है, को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति के आशयित प्रयोग के लिए उसे तैयार करने के लिए कोई सीधे आरोप्य आवश्यक आनुषंगिक व्यय शामिल होता है। परवर्ती मापन लागत पर किया जाता है जिसमें से संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता क्षति, यदि कोई हो, घटाई जाती है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा आधार पर मान्य किया जाता है।

(ii) किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके आशयित प्रयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रनीत किया जाता है।

(iii) निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है।

(iv) यदि निपटान पर या जब प्रयोग अथवा निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो अमूर्त परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण निपटान की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3.8 प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

(I) प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई मौजूदा कानूनी या निर्माणकारी (कंस्ट्रक्टिव) बाध्यता होती है, यदि इस बात की संभावना होती है कि कंपनी से बाध्यता का निपटान करने की अपेक्षा होगी और बाध्यता की राशि के लिए विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है।

(ii) प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

(iii) जब कुछ या सभी आर्थिक लाभों का निपटान करने की आवश्यकता होती है, तो तीसरे पक्ष से प्रावधान प्राप्त होने की उम्मीद होती है, प्राप्य प्रावधान को परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि आभासिक रूप में निश्चित होता है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा प्राप्य प्रावधान की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

(iv) जहां यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा अथवा विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में बाध्यता का प्रकटीकरण किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की संभावना कम न हो।

3.9 आय एवं व्यय की मान्यता

(i) बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) ऐसी दर है जो शुरूआती मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल में अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को सटीक रूप में डिस्काउंट करती है।

(ii) इसके बाद वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ब्याज को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है।

(iii) ऋणकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय से भुगतान के लिए रिबेट को समय से संपूर्ण देय ब्याज राशि की प्राप्ति पर संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में मान्य किया जाता है और समतुल्य ब्याज आय के निमित डाला जाता है।

(iv) प्रदान की गई सेवाओं से आय को रिपोर्टिंग तारीख को संविदा की समाप्ति के चरण के संदर्भ में करारों/व्यवस्थाओं की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है।

(v) निवेश से लाभांश आय को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता हैए जो उद्धृत प्रतिभूतियों के मामले में पूर्व लाभांश तारीख है।

(vi) बाद में परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों पर ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है।

(vii) अन्य आय एवं व्यय को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(viii) 1,00,000/- तक के पूर्वदत्त व्यय को शुरूआती मान्यता पर व्यय के रूपए में मान्य किया जाता है।

3.10 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

3.11 कार्मिक हितलाभ

(I) <u>परिभाषित अंशदान योजना</u>

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब कार्मिक ऐसी सेवा प्रदान कर चुके होते हैं जिसके आधार पर वे अंशदान के लिए हकदार बनते हैं।

(ii) <u>परिभाषित हितलाभ योजना</u>

कार्मिकों को उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभों जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा हितलाभ, आर्थिक पुनर्वास हितलाभ तथा स्थापन भत्ता के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः मापन पर बीमांकक अभिलाभ/हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पिछली सेवा लागत को लाभ एवं हानि विवरण में योजना संशोधन की अवधि में मान्य किया जाता है।

(iii) <u>अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ</u>

छुट्टी नकदीकरण, सेवा पुरस्कार योजना के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। इन बाध्यताओं को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(iv) <u>अल्पावधि कार्मिक हितलाभ</u>

अल्पावधि कार्मिक हितलाभों जैसे कि वेतन एवं मजदूरी को लाभ एवं हानि विवरण में उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने के लिए प्रत्याशित हितलाभों की गैर बट्टाकृत राशि पर उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

(v) <u>कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण</u>

कार्मिकों को रियायती दर पर प्रदान किए गए ऋणों को शुरू – में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के आरंभिक उचित मूल्य तथा लेनदेन मूल्य में अंतर को ऋण के निर्गम पर आस्थगित कार्मिक लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में परिवर्तन की तारीख को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन अपेक्षित शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

3.12 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह ऐसी मद से संबंधित होता है जो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य की जाती है तथा ऐसे मामले में कर को भी ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू की गई या सारवान रूप से लागू की गई तथा रिपोर्टिंग तारीख को यथालागू कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी समायोजन का प्रयोग करके वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन (offset) किया जाता है जब मान्य राशि के प्रतितुलन के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय कोई अधिकार होता है और निवल आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा होता है।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर को परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों तथा कराधेय आय की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर मान्य किया जाता है। परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि के आधार पर रिपोर्टिंग तारीख तक अधिनियमित या सारवान रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर कर दरों पर आस्थगित कर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब देयताओं के निमित्त वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होता है तथा वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर देयता को सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की संभावना होती है कि कराधेय लाभ उपलब्ध होंगे जिनके निमित्त उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है तथा उस सीमा तक घटाया जाता है जहां तक अब ऐसी संभावना नहीं रहती है कि संबंधित कर लाभ वसूल किए जाएंगे।

(iii) लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्य किया जाता है जब लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्य किया जाता है।

3.13 पट्टा

(i) वित्त पट्टा के अंतर्गत पट्टा धारक से देय राशि को पट्टा में कंपनी के निवल निवेश की समान राशि पर प्राप्य के रूप में मान्य किया जाता है। रिपोर्टिंग तारीख को पट्टा के संबंध में कंपनी के बकाया निवल निवेश पर प्रतिफल की लगातार आवधिक दर को दर्शाने के लिए लेखांकन अवधि में पट्टा पर वित्त आय आबंटित की जाती है।

(ii) क्रियाशील पट्टों के अंतर्गत भुगतान एवं प्राप्ति को पट्टा की अवधि में सीधी रेखा आधार पर क्रमशः व्यय एवं आय के रूप में मान्य किया जाता है।

(iii) गैर शाश्वत पट्टा के अंतर्गत भूमि को क्रियाशील पट्टा के रूप में माना जाता है। भुगतान किए गए पट्टा प्रीमियम को पट्टा की अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

3.14 विदेशी मुद्रा लेन–देन एवं परिवर्तन

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा के लेन–देन को लेन–देन की तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके व्यावहारिक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में वर्णित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लिए विनिमय दर में ऐसे अंतरों को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा" में संचित किया जाता है और ऐसी दीर्घावधि मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

3.15 सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसायों का संयोजन

सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाला व्यवसाय संयोजन ऐसा व्यवसाय संयोजन है जिसमें संयोजन की सभी संस्थाएं या व्यवसाय अंततः उसी पक्षकार या पक्षकारों द्वारा व्यवसाय संयोजन के पहले और बाद में भी नियंत्रित होते हैं तथा यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता है।

ब्याज की पूलिंग विधि का प्रयोग करके सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाले व्यवसाय संयोजनों को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

- संयोजक संस्थाओं की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनकी वहन राशियों पर दर्शाया जाता है।
- उचित मूल्यों को दर्शाने या नई परिसंपत्तियों अथवा देयताओं को मान्य करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। केवल लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लए समायोजन किए जाते हैं।
- पिछली अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में वित्तीय सूचना को ऐसे पुनः वर्णित किया गया है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्वगामी अवधि आरंभ होने से पहले हुआ है, संयोजन की वास्तविक तारीख जो भी हो।

  अंतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अवधारित अर्जन के शेष को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित तद्नुरूपी शेष के साथ जोड़ा गया है। आरक्षित निधियों की पहचान को कायम रखा जाता है तथा अंतरणकर्ता की रिजर्व अंतरिती के रिजर्व बन जाती हैं।

जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि प्लस नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त प्रतिफल और अंतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, को आरक्षित पूंजी रिजर्व में अंतरित किया जाता है तथा अन्य पूंजी आरक्षित से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.16 पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां

पिछली अवधि की सारवान त्रुटियों को प्रस्तुत पिछली अवधियों जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों का पुनः वर्णन करके उत्तरभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि से पहले हुई है तो प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि के लिए प्रारंभिक अधिशेषों का पुनः वर्णन किया जाता है।

3.17 लाभांश

अंतिम लाभांशों को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है तथा अंतरिम लाभांशों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।

3.18 प्रति शेयर अर्जन

कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि में वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्रति शेयर बुनियादी अर्जन की गणना की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत को सभी तनुकृत योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

4. पहली बार अपनाना—अनिवार्य अपवादें और वैकल्पिक छूटें

31 मार्च, 2019 को यथालागू इंड एएस के अनुसरण में एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इंड एएस में पारगमन (ट्रांज़िशन) तारीख के अनुसार पूर्वव्यापी प्रभाव से तथा सभी प्रस्तुत अवधियों के लिए लेखांकन एवं मापन के इन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है।

तथापि, कुछ परिसंपत्तियों के लिए इंड एएस 101 में इंड एएस के पूर्वव्यापी प्रयोग के सामान्य सिद्धांतों में अनिवार्य अपवादों एवं वैकल्पिक छूटों का प्रावधान है। कंपनी ने इंड एएस का अपना प्रारंभिक एकल (स्टैंडअलोन) तुलन–पत्र तैयार करने में निम्नलिखित अपवादों एवं छूटों का प्रयोग किया है :

4.1 अनिवार्य अपवादें

(I) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं मापन

कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का निर्धारण इस शर्त पर किया है कि क्या वे पारगमन की तारीख को मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर परिशोधित लागत मानदंड या उचित मूल्य मानदंड पूरा करती हैं।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

कंपनी ने इंड एएस 109 की क्षतिग्रस्तता की अपेक्षाओं का प्रयोग किया है। इंड एएस 101 द्वारा अनुमति के अनुसार, इसने पारगमन की तारीख को क्षतिग्रस्तता हानि छूट का निर्धारण करने के लिए तर्कसंगत समर्थनीय सूचना का प्रयोग किया है जो अनुचित लागत या प्रयास के बगैर उपलब्ध है।

(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की विमान्यता

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2017 (पारगमन की तारीख) को या इसके बाद होने वाले लेन–देन के लिए उत्तरव्यापी प्रभाव से वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की विमान्यता की आवश्यकताओं का प्रयोग किया है।

(iv) अनुमान

1 अप्रैल, 2017 को इंड एएस के अनुमान पिछले जीएएपी के अनुसरण में किए गए समान तारीख को अनुमानों से संगत हैं (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने के लिए समायोजन के बाद)। कंपनी ने पारगमन की तारीख को इंड एएस के अनुसरण में अपेक्षित क्रेडिट क्षति मॉडल के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के क्षतिग्रस्तता की अनुमान तैयार किया क्योंकि पिछले जीएएपी के अंतर्गत इनकी आवश्यकता नहीं थी।

4.2 वैकल्पिक छूटें

(i) एफवीटीओसीआई पर इक्विटी निवेश

कंपनी ने पारगमन की तारीख को मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर एफवीटीओसीआई पर इक्विटी शेयरों में निवेश (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में निवेश से भिन्न) और 'स्माल इज ब्यूटीफुल फंड' की यूनिटों में निवेश को नामित करने की छूट का प्रयोग करने का चुनाव किया है।

(ii) विदेशी मुद्रा की मौजूदा दीर्घावधि मौद्रिक मदों (एलटीएफसीएमआई) पर विनिमय दर में अंतरों का परिशोधन

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 तक एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों में मान्य विदेशी मुद्रा की दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दर में अंतरों के परिशोधन के संबंध में पिछले जीएएपी के अनुसार नीति को जारी रखने के लिए छूट प्राप्त की है।

(iii) पिछला व्यवसाय संयोजन

कंपनी ने पिछले व्यवसाय संयोजनों जो पारगमन की तारीख से पूर्व उत्पन्न हुए हैं, पर पूर्वव्यापी प्रभाव से इंड एएस 103 'व्यवसाय संयोजन' को लागू न करने का चुनाव किया है।

(iv) सहायक कंपनियों' संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में निवेश

कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में अपने सभी निवेशों के वहन मूल्य के साथ जारी रखने के लिए पारगमन की तारीख को उनकी समवत लागत के रूप में छूट प्राप्त की है।

5. अनुमानों तथा प्रबंधन के निर्णय का प्रयोग

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से आकस्मिक देयताओं सहित परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि के बारे में निर्णय लेने, अनुमान व्यक्त करने तथा धारणाएं अपनाने की आवश्यकता होती है, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होती हैं। अनुमान तथा अंतर्निहित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव तथा संगत कारकों पर आधारित होती हैं और सतत आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन के अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है अथवा संशोधन की अवधि तथा भावी अवधियों में मान्य किया जाता है यदि वर्तमान एवं भावी दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से लेखांकन की नीतियों का प्रयोग करने में अनुमान, अनिश्चितता एवं महत्वपूर्ण निर्णयों जिनका एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना इस प्रकार है :

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्त जांच (प्रत्याशित क्रेडिट क्षति)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति के लिए क्षतिग्रस्त क्षति छूट के मापन के लिए सांख्यिकीय मॉडलों, भावी आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं तथा क्रेडिट व्यवहार (उदाहरण के लिए, ऋणकर्ताओं द्वारा चूक किए जाने की संभावना तथा परिणामी क्षतियां) के प्रयोग की आवश्यकता होती है।

क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों से वसूल किए जाने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुमान में कंपनी ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति, परियोजना की वर्तमान स्थिति, प्रतिभूतियों/कोलेटरल से निवल वसूली योग्य मूल्य आदि के बारे में निर्णय लेती है। ये अनुमान विभिन्न धारणाओं पर आधारित होते हैं वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं जिससे क्षतिग्रस्त क्षति छूट में परिवर्तन हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, चूक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की पहचान करने में और समान वित्तीय परिसंपत्तियों का सजातीय समूह तैयार करने के लिए भी निर्णय लिए जाते हैं। क्षतिग्रस्त के मूल्यांकन में ऋण पोर्टफोलियों से डाटा, बकाया के स्तर तथा ऐतिहासिक चूकों के विश्लेषण को भी ध्यान रखा जाता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया टिप्पणी संख्या 32.2.1 देखें।

(ii) क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय की गैर मान्यता

विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय को उनके प्राप्त होने और/या प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है जब अपेक्षित प्राप्ति बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

(iii) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। कंपनी उचित मूल्य के मापन के लिए मूल्यांकन की उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करती है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय कंपनी उद्धृत मूल्यों तथा बाजार पालनीय डाटा का उस हद तक प्रयोग करती है जिस हद तक यह उपलब्ध होता है। इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में, परिसंपत्तियों/देयताओं के उचित मूल्य की गणना के लिए अपालनीय इनपुट का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों एवं इनपुट के बारे में सूचना का प्रकटीकरण नीचे टिप्पणी 32.4 में किया गया है।

(iv) आयकर

कर की अनिश्चित स्थितियों के लिए भुगतान करने/प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि सहित आयकर के लिए प्रावधान के निर्धारण में अनुमान शामिल होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

(v) विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता

कंपनी ने यह बोर्ड संकल्प पारित किया है कि आयकर अधिनियमए 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तदनुसार, सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि में रिवर्स करना संभव नहीं है। इसलिए कंपनी उक्त आरक्षित निधि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं करती है।

(vi) निवेशों का वर्गीकरण

सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम (जेवी) या सहयोगी कंपनी में निवेश के रूप में कंपनी में किसी निवेश के वर्गीकरण के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नियंत्रण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है।

(क) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) को एनटीपीसी लिमिटेड) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और पीएफसी के संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में 2009 में निगमित किया गया। जेवी करार के अनुसरण में, संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों की सीमा के बगैर लाभांश मतदान के अधिकारों आदि सहित समान अधिकार एवं विशेषाधिकार हैं जो सारवान प्रतिभागी अधिकार प्रदान करते हैं, हालांकि कुछ आरक्षित मदों पर उनके पास सकारात्मक मताधिकार है।

28 मार्च, 2019 को आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) में नियंत्रक शेयर के अधिग्रहण के फलस्वरूप आरईसी लिमिटेड के साथ कंपनी ईईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 58.06% शेयर का धारक है (36.36% सीधे और 21.70% अपनी सहायक कंपनी आरइसीएल के माध्यम से) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोजनार्थ सहायक कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, संयुक्त नियंत्रण वाली कंपनी होने के कारण ईईएसएल को वित्तीय विवरण के समेकन के प्रयोजनार्थ संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में माना गया है।

(ख) भारत सरकार से अधिदेश के अनुसार अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) का प्रबंधन किया जाता है तथा कंपनी में एकपक्षीय रूप से इन यूएमपीपी की संगत गतिविधियों का निर्देशन करने की व्यावहारिक योग्यता नहीं है। इसलिए उनकी 100% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का धारक होने के बावजूद कंपनी संबंधित यूएमपीपी में अपने निवेश को सहयोगियों में निवेश के रूप में मानती है जिनके पास उल्लेखनीय प्रभाव है। तथापि, कंपनी अधिनियम के प्रयोजनार्थ इन यूएमपीपी को सहायक कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(vii) परिभाषित हितलाभ बाध्यता (डीबीओ)

डीबीओ के बारे में कंपनी का अनुमान अनेक अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित होता है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, अपेक्षाएं डिस्काउंट दर तथा भावी वेतन वृद्धि के पूर्वानुमान। इन मान्यताओं में विचलन से डीबीओ की राशि तथा वार्षिक परिभाषित हितलाभ व्यय महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

(viii)प्रबंधन परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास/परिशोधन के योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के बारे में अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी एवं आर्थिक अप्रचलन से संबंधित होती हैं जिससे परिसंपत्तियों की उपयोगिता परिवर्तित हो सकती है।

6 नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को
(i)	बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)			
	- चालू खातों में	8.48	4.76	42.87
	- सावधि जमा खातों में	300.00	532.95	-
(ii)	डाक व्यय एवं अग्रदाय सहित हाथ में चेक, ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00
	कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**308.48**	**537.71**	**42.87**

6.1 उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य के संबंध में प्रत्यावर्तन संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है।

7 नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 तक	1 अप्रैल, 2017 तक
(i)	बैंकों में उद्दिष्ट शेष			
	- सावधि जमा खाते (टिप्पणी 7.1 देखें)	13,833.64	-	3,071.88
	- अदत्त लाभांश	3.16	2.63	447.47
	- अदत्त – बॉण्ड, बॉण्डों पर ब्याज आदि	9.73	8.41	10.94
	- आईपीडीएस/आर–एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि	0.00	4.45	0.00
	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न कुल बैंक शेष	**13,846.53**	**15.49**	**3,530.29**

7.1 कंपनी ने टिप्पणी 16 के अंतर्गत दर्शाए गए इन सावधि जमा के निमित्त ऋण लिया है।

8 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करती है। डेरिवेटिव में ऐसे हेज़ शामिल हैं जो हेज़ लेखांकन की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या ऐसे हेज़ हैं जो आर्थिक हेज़ हैं। डेरिवेटिव लेन–देन में देयताओं के बचाव के लिए वायदा, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप, करेंसी, क्रॉस करेंसी ऑप्शन आदि शामिल हैं। ये डेरिवेटिव लेन–देन बचाव के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए।

भाग–I

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		आनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	आनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	आनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं
(i)	मुद्रा डेरिवेटिव									
	- स्पॉट और फॉरवर्ड	15,290.12	295.95	335.46	7,448.60	2.42	225.85	2,107.63	-	68.41
	- विकल्प	2,766.20	78.30	-	2,281.13	44.24	-	-	-	-
	कुल मुद्रा डेरिवेटिव	**18,056.32**	**374.25**	**335.46**	**9,729.73**	**46.66**	**225.85**	**2,107.63**	**-**	**68.41**
(ii)	ब्याज दर डेरिवेटिव									
	- वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप	18,428.28	193.73	170.13	13,781.48	182.43	14.83	6,813.10	299.87	-
	कुल ब्याज दर डेरिवेटिव	**18,428.28**	**193.73**	**170.13**	**13,781.48**	**182.43**	**14.83**	**6,813.10**	**299.87**	**-**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत **(i+ii)**	**36,484.60**	**567.98**	**505.59**	**23,511.21**	**229.09**	**240.68**	**8,920.73**	**299.87**	**68.41**

भाग–II

	उपर्युक्त भाग I में शामिल निम्नानुसार हेज़िंग एवं जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनार्थ धारित डेरिवेटिव हैं :									
(i)	नकदी प्रवाह हेज़िंग (निर्दिष्ट)									
	- मुद्रा डेरिवेटिव	1,728.88	-	100.03	-	-	-	-	-	-
	- ब्याज दर डेरिवेटिव	1,728.88	-	64.84	-	-	-	-	-	-
	कुल नकदी प्रवाह हेज़िंग (निर्दिष्ट)	**3,457.76**	**-**	**164.87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ii)	अनामित डेरिवेटिव	33,026.84	567.98	340.72	23,511.21	229.09	240.68	8,920.73	299.87	68.41
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत **(i+ii)**	**36,484.60**	**567.98**	**505.59**	**23,511.21**	**229.09**	**240.68**	**8,920.73**	**299.87**	**68.41**

8.1 वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	स्वैप करारों का आनुपातिक मूलधन	18,428.28	13,781.48	6,813.10
(ii)	वे हानियां जो होंगी यदि समकक्ष पक्ष करारों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहने पर होंगी।	193.73	182.43	299.87
(iii)	स्वैप करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	-	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	-	-	-
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य (काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त)	23.60	167.60	299.87

कंपनी ने आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में केवल श्रेणी I के अधिकृत बैंक डीलर के साथ स्वैप करार किया है।

8.2 कंपनी 31 मार्च, 2019 को एक्सचेंज में व्यापारित किसी डेरिवेटिव का धारक नहीं है (31 मार्च, 2018 को शून्य, 01 अप्रैल, 2017 को शून्य)।

8.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	हेज़िंग के लिए डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन) (1)	18,056.31	18,428.28	9,729.73	13,781.48	2,107.63	6,813.10
(ii)	बाजार स्थितियों पर चिह्नित (एमटीएम)						
	(क) परिसंपत्ति (+एमटीएम)	374.25	193.73	46.66	182.43	0.00	299.87
	(ख) देयता (–एमटीएम)	335.46	170.13	225.85	14.83	68.41	0.00
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	-	-	-	-	-	-
(iv)	अनहेज़ एक्सपोजर (2)	11,626.06	5,907.41	8,940.05	7,391.86	6,628.09	6,296.24

(1) ब्याज दर डेरिवेटिव में 31 मार्च, 2019 को ₹ 5,634.60 करोड़ की देयताओं पर डेरिवेटिव शामिल हैं (31 मार्च, 2018 को ₹ 5,634.60 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 को ₹ 6,164.60 करोड़)

(2) 31 मार्च, 2019 को ₹ 587.82 करोड़ के लिए एक लेग (यूएसडी/आईएनआर) के लिए किए गए वायदा दर संविदा करार के माध्यम से अंशतः हेज़ की गई जेपीवाई ऋण देयता शामिल है (31 मार्च, 2018 को ₹ 293.29 करोड़ यूएसडी/आईएनआर को शामिल करते हुए और 01 अप्रैल, 2017 को ₹ 291.83 करोड़ यूएसडी/आईएनआर को शामिल करते हुए)।

8.4 मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम प्रबंध के टिप्पणी 32.2 देखें।

9 ऋण

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर सभी ऋणों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(क)	ऋणकर्ताओं को ऋण*			
	(i) रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	299,463.59	265,545.94	237,471.52
	(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	240.99	240.99	260.13
	(iii) क्रेता लाइन ऑफ क्रेडिट	1,759.67	1,627.97	1,586.96
	(iv) कार्यशील पूंजी ऋण	12,582.27	11,032.55	5,757.62
	(v) पट्टा (कृपया टिप्पणी 9.2 देखें)	223.77	223.77	223.77
	(vi) इन्वॉक किए गए डिफॉल्ट भुगतान गारंटी के लिए प्राप्य	396.64	345.47	290.58
	(vii) ऋण पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	4,630.80	4,059.14	4,244.12
	(viii) ऋणों पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	182.08	82.22	168.58
	(ix) ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	(88.41)	(95.03)	(78.02)
	ऋणकर्ताओं को सकल ऋण*	**319,391.40**	**283,063.02**	**249,925.26**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(16,181.04)	(17,051.64)	(14,836.51)
	ऋणकर्ताओं को निवल ऋण*	**303,210.36**	**266,011.38**	**235,088.75**
(ख)	प्रतिभूतिवार वर्गीकरण			
	(i) मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	201,490.39	190,817.41	175,651.71
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-	-
	(iii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा आवृत	59,474.29	24,335.12	24,061.21
	(iv) अप्रतिभूत	58,426.72	67,910.49	50,212.34
	सकल प्रतिभूतिवार वर्गीकरण	**319,391.40**	**283,063.02**	**249,925.26**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(16,181.04)	(17,051.64)	(14,836.51)
	निवल प्रतिभूतिवार वर्गीकरण	**303,210.36**	**266,011.38**	**235,088.75**

(ग) I	भारत में ऋण			
	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	265,465.58	231,583.39	207,104.10
	(ii) निजी क्षेत्र	53,925.82	51,479.63	42,821.16
	भारत में सकल ऋण	**319,391.40**	**283,063.02**	**249,925.26**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(16,181.04)	(17,051.64)	(14,836.51)
	भारत में निवल ऋण	**303,210.36**	**266,011.38**	**235,088.75**
(ग) II	भारत के बाहर ऋण	**-**	**-**	**-**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-	-
	भारत के बाहर निवल ऋण	**-**	**-**	**-**
	भारत में और भारत के बाहर निवल ऋण	**303,210.36**	**266,011.38**	**235,088.75**

प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों के ब्योरे के लिए टिप्पणी 15.12, 15.13, 15.14 और 16.9 देखें।

9.1 वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31 दिसंबर, 2018 को ऋणकर्ताओं के पास अधिशेष की पुष्टि के लिए ऋणकर्ताओं को पत्र भेजा है, केवल उसे छोड़कर जहां ऋण वापस लिए गए हैं या न्यायालय/एनसीएलटी में लंबित हैं।

उक्त शेष के 96.16% की पुष्टि प्राप्त हो गई है। ₹ 10,734.19 करोड़ की शेष ऋण परिसंपत्तियों, जिसके लिए अधिशेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, में से 38.91% ऋण मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा 56.48% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण द्वारा प्रतिभूत हैं तथा 4.61% अप्रतिभूत ऋण हैं।

9.2 पट्टा परिसंपत्तियों से संबंधित ब्योरा

(i) तुलन–पत्र की तारीख को पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों में सकल निवेश तथा प्राप्य का वर्तमान मूल्य और अनार्जित वित्तीय आय का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण[क]	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
कुल वसूली योग्य भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान (सकल निवेश)	305.75[ख]	331.89	365.23
वसूली योग्य पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	223.77	223.77	223.77
कुल अनर्जित वित्त आय	**81.98**	**108.12**	**141.46**
भविष्य में वसूली योग्य कुल न्यूनतम पट्टा भुगतानों की परिपक्वता प्रोफाइल (सकल निवेश):-			
एक वर्ष से अधिक नहीं	25.70	26.14	33.78
एक वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	128.51	128.51	128.51
पांच वर्ष के बाद	151.54	177.24	202.94
कुल सकल निवेश	**305.75**	**331.89**	**365.23**
वसूली योग्य पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का ब्योरा :–			
एक वर्ष से अधिक नहीं	10.26	9.43	8.63
एक वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	67.52	61.77	56.57
पांच वर्ष के बाद	145.99	152.57	158.57
वसूली–योग्य पट्टा भुगतानों का कुल वर्तमान मूल्य	**223.77**	**223.77**	**223.77**

[क]विंड टर्बाइन जेनरेटर के वित्त–पोषण के लिए वित्त पट्टा

[ख]01 जनवरी, 2012 से शुरू करके 25 वर्ष की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 18 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और अधिकतम 7 वर्ष सेकेंडरी अवधि के रूप में शामिल हैं।

9.3 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेन–देन नहीं किया है तथा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतिकरण की मद में कोई एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 को शून्य)।

(ii) कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण/परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी को कोई वित्तीय परिसंपत्ति नहीं बेची है (पिछले वर्ष शून्य)।

(iii) कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई आबंटन लेन–देन नहीं किया है (पिछले वर्ष शून्य)।

(iv) कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान न तो कोई गैर निष्पादक वित्तीय परिसंपत्ति खरीदी है और न ही बेची है (पिछले वर्ष शून्य)।

9.4 क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के लिए टिप्पणी 32.2.1 देखें।

10 निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार							
		प्रतिभूतियों की संख्या	अंकित मूल्य (राशि ₹ में)	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य*	कुल
					अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	उप जोड़		
(क)	निवेश								
	(i) ऋण प्रतिभूतियां								
	- आंध्रा बैंक के बॉण्ड (टिप्पणी 32.4 देखें)	8,000	1,000,000			809.84	809.84		**809.84**
	(ii) इक्विटी लिखत सहायक कंपनी (टिप्पणी 10.1 देखें)								
	- आरईसी लिमिटेड (टिप्पणी 10.2 देखें)	1,039,495,247	10					14,500.50	**14,500.50**
	- पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (टिप्पणी 10.4 देखें)	52,246	10					0.15	**0.15**
	- पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 10.6 देखें)	50,000	10					0.05	**0.05**
	संयुक्त उद्यम (टिप्पणी 10.1 देखें)								
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 10.3 देखें)	245,500,000	10					245.50	**245.50**
	सहयोगी कंपनी								
	- अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (टिप्पणी 10.1 देखें)	750,000	10					0.75	**0.75**
	अन्य								
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	12,000,000	10		88.14		88.14		**88.14**
	- कोल इंडिया लिमिटेड	13,964,530	10		331.24		331.24		**331.24**
	- एनएचपीसी लिमिटेड (टिप्पणी 10.7 देखें)	244,473,240	10		603.85		603.85		**603.85**
	- जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड (टिप्पणी 34.2 देखें)	275,000,000	10		0.00		0.00		**0.00**
	- श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टिप्पणी 32.4 देखें)	131,846,779	10		0.00		0.00		**0.00**
	(iii) अन्य								
	- "स्माल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटें	6,152,200	10		6.18	-	6.18		**6.18**
	कुल निवेश			**-**	**1,029.41**	**809.84**	**1,839.25**	**14,746.95**	**16,586.20**
(ख)	भूगोलवार निवेश								
	(i) भारत के बाहर निवेश			-	-	-	-	-	**-**
	(ii) भारत में निवेश			-	1,029.41	809.84	1,839.25	14,746.95	**16,586.20**
	सकल भूगोलवार निवेश			**-**	**1,029.41**	**809.84**	**1,839.25**	**14,746.95**	**16,586.20**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट			-	-	-	-	-	**-**
	निवल भूगोलवार निवेश			**-**	**1,029.41**	**809.84**	**1,839.25**	**14,746.95**	**16,586.20**

*लागत पर मापित

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार							
		प्रतिभूतियों की संख्या	अंकित मूल्य (राशि ₹ में)	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य*	कुल
					अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	उप जोड़		
(क)	निवेश								
	(i) प्रतिभूति								
	- आंध्रा बैंक के बॉण्ड (टिप्पणी 32.4 देखें	8,000	1,000,000			809.84	809.84		**809.84**
	- राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड / डिबेंचर	31,160	100,000	325.57			-		**325.57**
	(ii) इक्विटी लिखत सहायक कंपनी (टिप्पणी 10.1 देखें)								
	- पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (टिप्पणी 10.4 देखें)	50,000	10					0.05	**0.05**
	- पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 10.4 देखें)	100,000	10					0.10	**0.10**
	- पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 10.6 देखें)	50,000	10					0.05	**0.05**
	संयुक्त उद्यम (टिप्पणी 10.1 देखें)								
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 10.3 देखें)	146,500,000	10					146.50	**146.50**
	सहयोगी								
	- अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (टिप्पणी 10.1 देखें)	750,000	10					0.75	**0.75**
	अन्य								
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	12,000,000	10		104.88		104.88		**104.88**
	- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टिप्पणी 10.7 देखें)	389,349	10		7.52		7.52		**7.52**
	- आरईसी लिमिटेड (टिप्पणी 10.2 देखें)	95,904	10		1.20		1.20		**1.20**
	- कोल इंडिया लिमिटेड	13,964,530	10		395.62		395.62		**395.62**
	- एनएचपीसी लिमिटेड (टिप्पणी 10.7 देखें)	260,542,051	10		721.70		721.70		**721.70**
	- जीएमआर छत्तीसगढ एनर्जी लिमिटेड (टिप्पणी 32.4 देखें)	275,000,000	10		0.00		0.00		**0.00**
	- श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टिप्पणी 32.4 देखें)	131,846,779	10		0.00		0.00		**0.00**
	(iii) अन्य								
	- "स्माल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटें	6,152,200	10		6.26	-	6.26		**6.26**
	कुल			**325.57**	**1,237.18**	**809.84**	**2,047.02**	**147.45**	**2,520.04**
(ख)	भूगोलवार निवेश								
	(i) भारत के बाहर निवेश			-	-	-	-	-	**-**
	(ii) भारत में निवेश			325.57	1,237.18	809.84	2,047.02	147.45	**2,520.04**
	सकल भूगोलवार निवेश			**325.57**	**1,237.18**	**809.84**	**2,047.02**	**147.45**	**2,520.04**
	घटाएं: क्षतिग्रस्तता हानि छूट			-	-	-	-	-	**-**
	निवल भूगोलवार निवेश			**325.57**	**1,237.18**	**809.84**	**2,047.02**	**147.45**	**2,520.04**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार							
					उचित मूल्य पर				
		प्रतिभूतियों की संख्या	अंकित मूल्य (राशि ₹ में)	परिशोधित लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	उप जोड़	अन्य*	कुल
(क)	निवेश								
	(i) ऋण प्रतिभूतियां								
	- देना बैंक के बॉण्ड (टिप्पणी 32.4 देखें)	10,000	1,000,000			1,018.30	1,018.30		**1,018.30**
	- आंध्रा बैंक के बॉण्ड (टिप्पणी 32.4 देखें)	8,000	1,000,000			809.60	809.60		**809.60**
	- राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड/डिबेंचर	31,160	100,000	325.57			-		**325.57**
	(ii) इक्विटी लिखत सहायक कंपनी (टिप्पणी 10.1 देखें)								
	- पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (टिप्पणी 10.4 देखें)	50,000	10					0.05	**0.05**
	- पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 10.4 देखें)	100,000	10					0.10	**0.10**
	- पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 10.6 देखें)	50,000	10					0.05	**0.05**
	संयुक्त उद्यम (टिप्पणी 10.1 देखें)								
	- एनर्जी एफिसियंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 10.3 देखें)	1,46,500,000	10					146.50	**146.50**
	सहयोगी								
	- अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (टिप्पणी 10.1 देखें)	750,000	10					0.75	**0.75**
	अन्य								
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	12,000,000	10		112.08		112.08		**112.08**
	- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टिप्पणी 10.7 देखें)	439,349	10		8.67		8.67		**8.67**
	- आरईसी लिमिटेड (टिप्पणी 10.2 देखें)	95,904	10		1.74		1.74		**1.74**
	- कोल इंडिया लिमिटेड	13,964,530	10		408.67		408.67		**408.67**
	- एनएचपीसी लिमिटेड (टिप्पणी 10.7 देखें)	2,60,542,051	10		838.95		838.95		**838.95**
	- जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड (टिप्पणी 34.2 देखें)	2,75,000,000	10		193.05		193.05		**193.05**
	- श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टिप्पणी 32.4 देखें)	1,31,846,779	10		0.00		0.00		**0.00**
	(iii) अन्य								
	- "स्माल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटें	6,152,200	10		6.30	-	6.30		**6.30**
	कुल			**325.57**	**1569.46**	**1,827.90**	**3,397.36**	**147.45**	**3,870.38**
(ख)	भूगोलवार निवेश								
	(i) भारत के बाहर निवेश			-	-	-	-	-	**-**
	(ii) भारत में निवेश			325.57	1,569.46	1,827.90	3,397.36	147.45	**3,870.38**
	सकल भूगोलवार निवेश			**325.57**	**1,569.46**	**1,827.90**	**3,397.36**	**147.45**	**3,870.38**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट			-	-	-	-	-	**-**
	निवल भूगोलवार निवेश			**325.57**	**1,569.46**	**1,827.90**	**3,397.36**	**147.45**	**3,870.38**

*लागत पर मापित

10.1 सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों में निवेश का ब्योरा :

निवेशिती कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थान / निगमन का देश	स्वामित्व अधिकार का अनुपात		
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को
सहायक कंपनियां :				
आरईसी लिमिटेड (टिप्पणी 10.2 देखें)	भारत	52.63%	0.00%	0.00%
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (टिप्पणी 10.4 देखें)	भारत	100%	100%	100%
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 10.6 देखें)	भारत	100%	100%	100%
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 10.4 देखें)	भारत	-	100%	100%
संयुक्त उद्यम :				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 10.3 देखें)	भारत	36.36%	31.71%	31.71%

निवेशिती कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थान / निगमन का देश	राशि (₹ करोड़ में)*	स्वामित्व अधिकार का अनुपात		
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को
सहयोगी कंपनी :					
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	भारत	0.05	100%	100%	100%
कुल		**0.75**			

*सभी तीनों अवधियों (31.03.2019, 31.03.2018 एवं 01.04.2017) के लिए राशि समान है

टिप्पणी :

(क) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों में निवेश को इंड एएस 27 'अलग वित्तीय विवरण' के प्रावधानों के अनुसरण में लागत पर मापा जाता है।

(ख) सहयोगी कंपनियां बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाताओं को सौंपने के इरादे से यूएमपीपी के विकास के लिए भारत सरकार से अधिदेश के अंतर्गत एसपीवी के रूप में निगमित कंपनियां (यूएमपीपी) हैं।

10.2 वर्ष के दौरान, कंपनी ने 28 मार्च, 2019 को ₹ 14,500.00 करोड़ के कुल नकदी प्रतिफल के बदले में ₹ 139.5036 प्रति शेयर पर आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) में भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित 52.63% शेयर होल्डिंग (₹ 10/– प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 103,93,99,343 इक्विटी शेयर) प्राप्त की है। इस निवेश के जरिए पीएफसी आरईसीएल की धारक (होल्डिंग) कंपनी बन गया है।

अधिग्रहण से पूर्व, पीएफसी आरईसीएल के 95,904 इक्विटी शेयरों का धारक था, जो एफवीटीओसीआई पर नामित था। उपर्युक्त अधिग्रहण के फलस्वरूप, इसे पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा आरईसीएल में 103,94,95,247 इक्विटी शेयरों के संचयी निवेश को अब इंड एएस 27 के अनुसरण में लागत पर लेखांकित किया गया है। तद्नुसार, अधिग्रहण की तारीख को ₹ 0.80 करोड़ के संचयी उचित मूल्य अभिलाभ को रिवर्स किया गया है।

10.3 कंपनी ने 02 जुलाई, 2018 को ₹ 99.00 करोड़ के प्रतिफल के बदले में एनर्जी एफिशियंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर प्राप्त किए। इसके बाद, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में कंपनी की शेयर धारित 31.71 प्रतिशत से बढ़कर 36.36% हो गई है।

10.4 पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) जो कंपनी की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के साथ पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसिज लिमिटेड (पीएफसीसीएएस) के 5 फरवरी, 2019 के समामेलन के फलस्वरूप पीएफसीसीएल ने 10/– प्रत्येक के अंकित मूल्य के पीएफसीसीएएस के 1,00,000 तत्कालीन शेयरों के बदले में पीएफसी को ₹ 10/– प्रत्येक के अंकित मूल्य के 2,246 शेयर जारी किए हैं। दोनों कंपनियों के निवल परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित विनिमय अनुपात का प्रयोग करके ये शेयर जारी किए गए हैं। समामेलन की निर्धारित तारीख 1 अप्रैल, 2018 है।

10.5 समामेलन को अनुमोदित करने वाले कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 7 फरवरी, 2019 के आदेश के अनुपालन में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीइएल) जो कंपनी की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, का निर्धारित तारीख अर्थात 1 अप्रैल, 2017 से कंपनी के साथ समामेलन किया गया है। जैसा कि आदेश में निहित है, इंड एएस 103 'व्यवसाय संयोजन' के परिशिष्ट–ग के अनुसार समामेलन की योजना लेखांकित की गई है।

10.6 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 19 मार्च, 2019 के पत्र के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों से पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजरी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, का नाम हटाने/विलय करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। इसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

10.7 कंपनी ने एफवीटीओसीआई पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के संहरणीय विकल्प का चुनाव किया है। कंपनी का मुख्य प्रचालन विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार–चढ़ाव से लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण को सुरक्षित करने के लिए प्रबंधन का यह विश्वास है कि एफवीटीपीएल पर उनके वर्गीकरण की तुलना में आईएफवीटीओसीआई वर्गीकरण अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान विमान्य किए गए एफवीटीओसीआई लिखतों का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

निवेश का ब्योरा	शेयरों की संख्या	विमान्यता की तारीख को उचित मूल्य	विमान्यता पर संचयी अभिलाभ
वित्तीय वर्ष 2018–19			
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,89,349	7.67	5.63
एनएचपीसी लिमिटेड*	1,60,68,811	44.02	8.93
वित्तीय वर्ष 2017–18			
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	50,000	1.04	0.78

*ये इक्विटी शेयर वर्ष के दौरान श्रृंखलाओं में बेचे गए। विमान्यता की संबंधित तारीख को मूल्य के आधार पर उचित मूल्य एवं अभिलाभ की गणना की गई है तथा सकल आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

इक्विटी शेयरों की बिक्री के कारण निवेशों की विमान्यता के फलस्वरूप कंपनी ने इस अवधि के दौरान इक्विटी के अंदर ऐसे शेयरों पर संचयी अभिलाभ का अंतरित किया है।

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः चुकता किए गए बॉण्डों के कारण वसूली योग्य राशि	5,038.21	5,038.21	5,038.21
(ii)	अग्रिम–सहायक कंपनियों एवं सहयोगी कंपनियों को*	196.22	169.95	115.04
(iii)	अग्रिम–कार्मिकों को	0.77	0.70	0.63
(iv)	कार्मिकों को ऋण	48.98	35.22	39.32
(v)	कार्मिक ऋणों पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	27.70	25.83	22.64
(vi)	अन्य	74.82	9.51	49.99
	- अन्यों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट (टिप्पणी 11.1 देखें)	(10.30)	(2.51)	(16.40)
	कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**5,376.40**	**5,276.91**	**5,249.43**

*नकदी में वसूली योग्य

11.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
(i)	प्रारंभिक शेष	2.51	16.40
(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान सृजन	7.83	0.73
(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन (रिवर्सल)	(0.04)	(14.62)
(iv)	अंतिम शेष	10.30	2.51

12 वर्तमान कर परिसंपत्तियां / देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस (निवल)	433.33	369.99	184.16
(ii)	विवाद के अधीन आयकर मांग पर जमा किया गया कर	195.26	138.13	162.08
	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	**628.59**	**508.12**	**346.24**
(i)	आयकर के लिए प्रावधान अग्रिम कर का निवल	-	-	12.04
(ii)	विवाद के अधीन आयकर मांग के लिए प्रावधान	130.70	129.97	118.39
	मौजूदा कर देयताएं (निवल)	**130.70**	**129.97**	**130.43**

13 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

निवल वहन राशि*	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
फ्रीहोल्ड भूमि	3.38	3.38	3.38
बिल्डिंग	13.13	13.80	14.50
ईडीपी उपकरण	3.36	3.14	2.14
कार्यालय उपकरण	4.53	3.67	3.13
फर्नीचर और फिक्सचर	3.32	2.05	0.80
वाहन	0.02	0.04	0.06
कुल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**27.74**	**26.08**	**24.01**
अमूर्त परिसंपत्तियां	0.59	0.89	0.69
कुल अमूर्त परिसंपत्तियां	**0.59**	**0.89**	**0.69**

(₹ करोड़ में)

सकल वहन राशि*	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण							अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	बिल्डिंग	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कुल	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	**3.38**	**24.92**	**15.16**	**17.21**	**7.77**	**0.20**	**68.64**	**8.95**
बढ़ोतरी / समायोजन	-	-	3.92	3.25	1.64	-	8.81	0.51
निपटान / समायोजन	-	-	2.01	4.14	0.14	-	6.29	-
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	**3.38**	**24.92**	**17.07**	**16.32**	**9.27**	**0.20**	**71.16**	**9.46**
बढ़ोतरी / समायोजन	-	-	2.24	3.64	2.04	-	7.92	0.01
निपटान / समायोजन	-	-	2.96	2.36	0.16	0.10	5.58	-
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**3.38**	**24.92**	**16.35**	**17.60**	**11.15**	**0.10**	**73.50**	**9.47**

(₹ करोड़ में)

संचित मूल्यहास / परिशोधन*	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण							अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	बिल्डिंग	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कुल	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	**-**	**10.42**	**13.02**	**14.08**	**6.97**	**0.14**	**44.63**	**8.26**
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	0.70	2.71	2.34	0.33	0.02	6.10	0.31
बेची गई / बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर रिवर्सल	-	-	1.80	3.77	0.08	-	5.65	-
31 मार्च, 2018 को अंतिम शेष	**-**	**11.12**	**13.93**	**12.65**	**7.22**	**0.16**	**45.08**	**8.57**
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	0.67	1.90	2.59	0.70	0.01	5.87	0.31
बेची गई / बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर रिवर्सल	-	-	2.84	2.17	0.09	0.09	5.19	-
31 मार्च, 2019 को अंतिम शेष	**-**	**11.79**	**12.99**	**13.07**	**7.83**	**0.08**	**45.76**	**8.88**

* इसमें 1 अप्रैल, 2017 से कंपनी के साथ विलयित तत्कालीन सहायक कंपनी पीएफसीजीइएल का ईडीपी (सकल ब्लॉक – ₹ 0.007 करोड़, संचित मूल्यहास – शून्य); कार्यालय उपकरण (सकल ब्लॉक – ₹ 0.0010 करोड़, संचित मूल्यहास – ₹ 0.0004 करोड़); फर्नीचर एवं फिक्सचर (सकल ब्लॉक – ₹ 0.0026 करोड़, संचित मूल्यहास – ₹ 0.0007 करोड़) शामिल है। (टिप्पणी 10.5 देखें)

13.1 संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का ब्योरा नीचे दिया गया है :

श्रेणी	उपयोगी जीवनकाल वर्षों में	अवशिष्ट मूल्य मूल लागत के % के रूप में
बिल्डिंग	60	5%
ईडीपी उपकरणः		
- सर्वर एवं नेटवर्क	6	5%
-अंतिम प्रयोक्ता डिवाइसें अर्थात डेस्कटॉप लैपटॉप आदि	3	5%
कार्यालय उपकरण	5	5%
सेल फोन	2	5%
फर्नीचर और फिक्स्चर	10	5%
वाहन	8	5%
अमूर्त परिसंपत्तियां	5	-

13.2 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी काल सेल फोन जहां उपयोगी जीवनकाल कंपनी द्वारा दो वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है, को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित जीवनकाल के अनुरूप है। कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यहास विधि की समीक्षा करती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरव्यापी प्रभाव से लेखांकित किया जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में लिखित मूल्य विधि के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यहास को मान्य किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों के मामले में, कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में काल निर्धारित किया गया है। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके उनको परिशोधित किया जाता है। कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यहास विधि की समीक्षा करती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरव्यापी प्रभाव से लेखांकित किया जाता है।

13.3 प्रबंधन की राय में इंड एएस 36 के अनुसरण में कंपनी की परिसंपत्तियों की कोई क्षतिग्रस्तता नहीं है। तदनुसार, इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता' के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार क्षतिग्रस्तता क्षति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

13.4 प्रतिभूति के रूप में गिरवी परिसंपत्तियों के ब्योरे के लिए टिप्पणी 5.9,15.10 और 15.11 देखें।

13.5 लीज होल्ड भूमि को पिछले जीएएपी के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के आय के रूप में लेखांकित किया गया। इनको इंड एएस के अंतर्गत क्रियाशील पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ब्यौरे के लिए टिप्पणी 41.5(ग) देखें।

14 अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	पूर्वदत्त व्यय (टिप्पणी 31.1 देखें)	29.31	29.77	30.02
(ii)	आस्थगित कार्मिक लागतें	40.67	31.99	32.89
(iii)	अन्य	172.11	173.72	947.62
	कुल अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	**242.09**	**235.48**	**1,010.53**

15 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर ऋण प्रतिभूतियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
(i)	बॉण्ड / डिबेंचर			
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (टिप्पणी संख्या 15.3 देखें)	278.63	284.32	284.76
	- कर मुक्त बॉण्ड (टिप्पणी संख्या 15.4 देखें)	12,275.11	12,275.11	12,275.11
	- 54ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्ड (टिप्पणी संख्या 15.5 देखें)	784.10	292.15	-
	- करयोग्य बॉण्ड (टिप्पणी संख्या 15.6 देखें)	1,67,774.95	1,77,176.95	1,73,383.50
	- विदेशी मुद्रा नोट्स (टिप्पणी संख्या 15.7 देखें)	8,298.60	2,607.00	1,167.30
(ii)	वाणिज्यिक पत्र (टिप्पणी संख्या 15.8 देखें)	9,715.92	6,924.74	-
(iii)	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज	6,588.16	7,368.39	7,420.02
(iv)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन–देन लागत	(130.98)	(116.87)	(86.35)
	कुल ऋण प्रतिभूतियां	**2,05,584.49**	**2,06,811.79**	**1,94,444.34**
	भूगोलवार ऋण प्रतिभूतियां			
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,97,222.82	2,04,207.06	1,93,271.24
(ii)	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	8,361.67	2,604.73	1,173.10
	कुल भूगोलवार ऋण प्रतिभूतियां	**2,05,584.49**	**2,06,811.79**	**1,94,444.34**

15.1 कंपनी अपरिवर्तनीय बॉण्ड निर्गमों की श्रृंखलाओं सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से धन जुटाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी ऋण प्रतिभूतियों का ब्याज चुकता करने में चूक नहीं की है।

15.2 जहां तक रुपए में मूल्यवर्ग वाले गैर–परिवर्तनीय बॉण्डों का संबंध है, ब्याज और मूलधन की अदायगी की पिछली देय तारीख क्रमशः 30 मार्च, 2019 और 02 मार्च, 2019 थी।

15.3 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 डी श्रृंखला	8.72%	2.40	2.40	2.75	30.03.2027	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
2	बॉण्ड 86 सी श्रृंखला	8.72%	0.87	0.87	0.95	30.03.2027	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को संचयी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011–12) – श्रृंखला-III	8.75%	2.86	3.23	3.23	21.11.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011–12) – श्रृंखला IV	8.75%	7.77	8.83	8.83	21.11.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को संचयी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010–11) – श्रृंखला III	8.50%	5.27	6.13	6.13	31.03.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010–11) – श्रृंखला IV	8.50%	`19.33	22.75	22.75	31.03.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को संचयी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
7	इंफ्राबॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला I	8.43%	7.39	7.39	7.39	30.03.2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
8	इंफ्राबॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला II	8.43%	15.47	15.47	15.48	30.03.2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को संचयी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
9	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011–12) – श्रृंखला I	8.50%	21.85	21.85	21.85	21.11.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
10	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011–12) – श्रृंखला II	8.50%	36.34	36.34	36.34	21.11.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को संचयी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
11	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010–11)– श्रृंखला I	8.30%	49.96	49.95	49.95	31.03.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
12	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010–11)– श्रृंखला II	8.30%	109.12	109.11	109.11	31.03.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को संचयी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय
	कुल		**278.63**	**284.32**	**284.76**		

15.4 बकाया कर मुक्त बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	7.35 कर मुक्त बॉण्ड 3 ए 2015 16	7.35%	213.57	213.57	213.57	17.10.2035	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	7.60 कर मुक्त बॉण्ड 3 बी 2015 16	7.60%	155.48	155.48	155.48	17.10.2035	
3	7.27 कर मुक्त बॉण्ड 2 ए 2015 16	7.27%	131.33	131.33	131.33	17.10.2030	
4	7.52 कर मुक्त बॉण्ड 2 बी 2015 16	7.52%	45.18	45.18	45.18	17.10.2030	
5	कर मुक्त बॉण्ड 8.54 बीपीएस सीरीज 2 ए	8.54%	932.70	932.70	932.70	16.11.2028	
6	कर मुक्त बॉण्ड 8.79 बीपीएस सीरीज 2 बी	8.79%	353.32	353.32	353.32	16.11.2028	
7	8.46 कर मुक्त बॉण्ड सीरीज 107 बी	8.46%	1,011.10	1,011.10	1,011.10	30.08.2028	
8	7.04% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12 –13	7.04%	8.89	7.78	6.06	28.03.2028	
9	7.54% टीआर 2 कर मुक्त बॉण्ड 12 –13	7.54%	60.32	61.43	63.15	28.03.2028	
10	7.36% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर-I	7.36%	159.81	155.22	150.14	04.01.2028	
11	7.86% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर-I	7.86%	197.19	201.77	206.86	04.01.2028	
12	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला	7.38%	100.00	100.00	100.00	29.11.2027	

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
13	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला	7.38%	25.00	25.00	25.00	22.11.2027	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
14	8.30% कर मुक्त बॉण्डों का सार्वजनिक निर्गम वित्तीय वर्ष 11–12	8.30%	1,280.58	1,280.58	1,280.58	01.02.2027	
15	8.16% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला	8.16%	209.34	209.34	209.34	25.11.2026	
16	8.16% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79 बी	7.75%	217.99	217.99	217.99	15.10.2026	
17	7.36 कर मुक्त बॉण्ड 1 बी 2015–16	7.11%	75.09	75.09	75.09	17.10.2025	
18	7.16 कर मुक्त प्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला 136	7.36%	79.35	79.35	79.35	17.10.2025	
19	कर मुक्त बॉण्ड 8 18 बीपीएस श्रृंखला 1ए	7.16%	300.00	300.00	300.00	17.07.2025	
20	कर मुक्त बांड 8 43 बीपीएस श्रृंखला 1 बी	8.18%	325.07	325.07	325.07	16.11.2023	
21	कर मुक्त बॉण्ड 8 67 बीपीएस श्रृंखला 3ए	8.43%	335.47	335.47	335.47	16.11.2023	
22	कर मुक्त बॉण्ड 8 92 बीपीएस श्रृंखला 3ए	8.67%	1,067.38	1,067.38	1,067.38	16.11.2023	
23	8.01 कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107 बी	8.92%	861.96	861.96	861.96	16.11.2023	
24	6.88% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13	8.01%	113.00	113.00	113.00	30.08.2023	
25	7.38% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13	6.88%	52.38	50.93	50.14	28.03.2023	
26	7.38% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड	7.38%	43.77	45.23	46.01	28.03.2023	
27	7.19% 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 12–13 टीआर–I श्रृंखला 1	7.19%	193.40	189.57	185.90	04.01.2023	
28	7.69% 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012–13 टीआर–I श्रृंखला–1	7.69%	149.35	153.18	156.85	04.01.2023	
29	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 95 ए	7.22%	30.00	30.00	30.00	29.11.2022	
30	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94 ए	7.21%	255.00	255.00	255.00	22.11.2022	
31	8.20% कर मुक्त बॉण्डों का सार्वजनिक निर्गम वित्तीय वर्ष 11–12	8.20%	2,752.55	2,752.55	2,752.55	01.02.2022	
32	8.09% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80 ए	8.09%	334.31	334.31	334.31	25.11.2021	
33	8.51% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79 ए	7.51%	205.23	205.23	205.23	15.10.2021	
	कुल		**12,275.11**	**12,275.11**	**12,275.11**		

15.5 बकाया 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	श्रृंखला II (वित्तीय वर्ष 2018–19)	5.75	491.95	-	-	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
2	श्रृंखला I (वित्तीय वर्ष 2017–18)	5.25%	292.15	292.15	-	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
	कुल		**784.10**	**292.15**	**-**		

15.6 बकाया कर योग्य बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	श्रृंखला 180	8.75%	2,654.00	-	-	22.02.2034	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	श्रृंखला 179 बी	8.64%	528.40	-	-	19.11.2033	
3	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	192.70	15.12.2030	
4	श्रृंखला 66–सी	8.85%	633.00	633.00	633.00	15.06.2030	
5	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी III	9.39%	460.00	460.00	460.00	27.08.2029	
6	श्रृंखला 179–ए	8.67%	1,007.40	-	-	19.11.2028	
7	श्रृंखला 178	8.95%	3,000.00	-	-	10.10.2028	
8	श्रृंखला 177	7.85%	3,855.00	-	-	03.04.2028	
9	श्रृंखला 103	8.94%	2,807.00	2,807.00	2,807.00	25.03.2028	
10	श्रृंखला 102 ए(III)	8.90%	403.00	403.00	403.00	18.03.2028	

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
11	श्रृंखला 101 बी	9.00%	1,370.00	1,370.00	1,370.00	11.03.2028	
12	श्रृंखला 172	7.74%	850.00	850.00	-	29.01.2028	
13	श्रृंखला 171	7.62%	5,000.00	5,000.00	-	15.12.2027	
14	श्रृंखला 170–बी	7.65%	2,001.00	2,001.00	-	22.11.2027	
15	श्रृंखला 169–बी	7.30%	1,500.00	1,500.00	-	07.08.2027	
16	श्रृंखला 168–बी	7.44%	1,540.00	1,540.00	-	12.06.2027	
17	श्रृंखला 155	7.23%	2,635.00	2,635.00	2,635.00	05.01.2027	
18	श्रृंखला 152	7.55%	4,000.00	4,000.00	4,000.00	25.09.2026	
19	श्रृंखला 151 बी	7.56%	210.00	210.00	210.00	14.09.2026	
20	श्रृंखला 77–बी	9.45%	2,568.00	2,568.00	2,568.00	01.09.2026	
21	श्रृंखला 150 बी	7.63%	1,675.00	1,675.00	1,675.00	14.08.2026	
22	श्रृंखला 76–बी	9.46%	1,105.00	1,105.00	1,105.00	01.08.2026	
23	श्रृंखला 147	8.03%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	02.05.2026	
24	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	192.70	15.12.2025	
25	श्रृंखला 141 बी	8.40%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18.09.2025	
26	श्रृंखला 66 बी	8.75%	1,532.00	1,532.00	1,532.00	15.06.2025	
27	श्रृंखला 65	8.70%	2,675.00	1,337.50	1,337.50	14.05.2025	
28	श्रृंखला 130 सी	8.39%	925.00	925.00	925.00	19.04.2025	
29	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	492.00	30.03.2025	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
30	श्रृंखला 131 सी	8.41%	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27.03.2025	
31	श्रृंखला 63-III	8.90%	184.00	184.00	184.00	15.03.2025	
32	श्रृंखला 128	8.20%	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10.03.2025	
33	श्रृंखला 62 बी	8.80%	1,172.60	1,172.60	1,172.60	15.01.2025	
34	श्रृंखला 126	8.65%	5,000.00	5,000.00	5,000.00	04.01.2025	
35	श्रृंखला 125	8.65%	2,826.00	2,826.00	2,826.00	28.12.2024	
36	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	351.00	15.12.2024	
37	श्रृंखला 124 सी	8.48%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	09.12.2024	
38	श्रृंखला 120 ऑप्शन ए	8.98%	961.00	961.00	961.00	08.10.2024	
39	श्रृंखला ऑप्शन 120 बी	8.98%	950.00	950.00	950.00	08.10.2024	
40	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी II	9.39%	460.00	460.00	460.00	27.08.2024	
41	श्रृंखला 117 ऑप्शन बी	9.37%	855.00	855.00	855.00	19.08.2024	
42	श्रृंखला 57 सी	8.60%	866.50	866.50	866.50	07.08.2024	
43	श्रृंखला 85 डी	9.26%	736.00	736.00	736.00	15.04.2023	
44	श्रृंखला 102 ए (II)	8.90%	403.00	403.00	403.00	18.03.2023	
45	श्रृंखला 102 बी	8.87%	70.00	70.00	70.00	18.03.2023	
46	श्रृंखला 100 बी	8.84%	1,310.00	1,310.00	1,310.00	04.03.2023	
47	जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 2022-XIX श्रृंखला	-	560.45	518.45	479.60	30.12.2022	
48	श्रृंखला176 बी	7.99%	1,295.00	1,295.00	-	20.12.2022	
49	श्रृंखला 170 ए	7.35%	800.00	800.00	-	22.11.2022	
50	श्रृंखला 92 सी	9.29%	640.00	640.00	640.00	21.08.2022	
51	श्रृंखला 181	8.45%	2,155.00	-	-	11.08.2022	
52	श्रृंखला 169 ए	7.10%	3,395.00	3,395.00	-	08.08.2022	
53	श्रृंखला 91 बी	9.39%	2,695.20	2,695.20	2,695.20	29.06.2022	
54	श्रृंखला 168 ए	7.28%	1,950.00	1,950.00		12.06.2022	
55	श्रृंखला 88 सी	9.48%	184.70	184.70	184.70	15.04.2022	
56	श्रृंखला 183	8.18%	3,751.20	-	-	19.03.2022	
57	श्रृंखला 154	7.27%	1,101.00	1,101.00	1,101.00	22.12.2021	
58	श्रृंखला 124 बी	8.55%	1,200.00	1,200.00	1,200.00	09.12.2021	
59	श्रृंखला 123 सी	8.66%	200.00	200.00	200.00	27.11.2021	
60	श्रृंखला 153	7.40%	1,830.00	1,830.00	1,830.00	30.09.2021	
61	श्रृंखला 78 बी	9.44%	-	1,180.00	1,180.00	23.09.2021	
62	श्रृंखला 151 ए	7.47%	2,260.00	2,260.00	2,260.00	16.09.2021	
63	श्रृंखला 150 ए	7.50%	2,660.00	2,660.00	2,660.00	16.08.2021	

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
64	श्रृंखला 76 ए	9.36%	2,589.40	2,589.40	2,589.40	01.08.2021	
65	श्रृंखला 115 III	9.20%	700.00	700.00	700.00	07.07.2021	
66	श्रृंखला 75-सी	9.61%	2,084.70	2,084.70	2,084.70	29.06.2021	
67	श्रृंखला 74	9.70%	1,693.20	1,693.20	1,693.20	09.06.2021	
68	श्रृंखला 28	8.85%	600.00	600.00	600.00	31.05.2021	
69	श्रृंखला 73	9.18%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15.04.2021	
70	श्रृंखला 175	7.75%	600.00	600.00	-	15.04.2021	
71	श्रृंखला 173 बी	7.73%	1,325.00	1,325.00	-	05.04.2021	
72	श्रृंखला 146	8.05%	300.00	300.00	300.00	27.03.2021	
73	श्रृंखला 173 ए	7.73%	505.00	505.00	-	12.03.2021	
74	श्रृंखला 112–सी	9.70%	270.00	270.00	270.00	31.01.2021	
75	श्रृंखला 72 बी	8.99%	1,219.00	1,219.00	1,219.00	15.01.2021	
76	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	192.70	15.12.2020	
77	श्रृंखला 70	8.78%	1,549.00	1,549.00	1,549.00	15.11.2020	
78	श्रृंखला 141 ए	8.46%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18.09.2020	
79	श्रृंखला 163	7.50%	2,435.00	2,435.00	2,435.00	17.09.2020	
80	श्रृंखला 182	8.20%	3,500.00	-	-	14.09.2020	
81	श्रृंखला 140 बी	8.36%	1,250.00	1,250.00	1,250.00	04.09.2020	
82	श्रृंखला 138	8.45%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10.08.2020	
83	श्रृंखला 137	8.53%	2,700.00	2,700.00	2,700.00	24.07.2020	
84	श्रृंखला 68 बी	8.70%	1,424.00	1,424.00	1,424.00	15.07.2020	
85	श्रृंखला 167	7.30%	1,560.00	1,560.00	-	30.06.2020	
86	श्रृंखला 165	7.42%	3,605.00	3,605.00	3,605.00	26.06.2020	
87	श्रृंखला 66 ए	8.65%	500.00	500.00	500.00	15.06.2020	
88	श्रृंखला 166	7.46%	1,180.00	1,180.00	-	05.06.2020	
89	श्रृंखला 149	8.04%	100.00	100.00	100.00	30.05.2020	
90	श्रृंखला 159	7.05%	2,551.00	2,551.00	2,551.00	15.05.2020	
91	श्रृंखला 65	8.70%	-	1,337.50	1,337.50	14.05.2020	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
92	श्रृंखला 131 बी	8.38%	1,350.00	1,350.00	1,350.00	27.04.2020	
93	श्रृंखला 130 बी	8.42%	200.00	200.00	200.00	18.04.2020	
94	श्रृंखला 85 सी	9.30%	79.50	79.50	79.50	15.04.2020	
95	श्रृंखला 157	6.83%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15.04.2020	
96	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	492.00	30.03.2020	
97	श्रृंखला 87 डी	9.42%	650.80	650.80	650.80	20.03.2020	
98	श्रृंखला 63-II	8.90%	184.00	184.00	184.00	15.03.2020	
99	श्रृंखला 100 ए	8.86%	54.30	54.30	54.30	04.03.2020	
100	श्रृंखला 127	8.36%	4,440.00	4,440.00	4,440.00	26.02.2020	
101	श्रृंखला 99 बी	8.82%	733.00	733.00	733.00	20.02.2020	
102	श्रृंखला 112 बी	9.70%	270.00	270.00	270.00	31.01.2020	
103	श्रृंखला 176 ए	7.53%	1,500.00	1,500.00	-	20.01.2020	
104	श्रृंखला 62 ए	8.70%	845.40	845.40	845.40	15.01.2020	
105	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	351.00	15.12.2019	
106	श्रृंखला 124 ए	8.52%	1,220.00	1,220.00	1,220.00	09.12.2019	
107	श्रृंखला 123 बी	8.65%	836.00	836.00	836.00	28.11.2019	
108	श्रृंखला 60 बी	एफबीआईएलजी – क्षेत्र सममूल्य लब्धि + 179 बीपीएस (परिवर्तनशील दर)	925.00	925.00	925.00	20.11.2019	
109	श्रृंखला 122	8.76%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	07.11.2019	
110	श्रृंखला 121 बी	8.96%	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21.10.2019	
111	श्रृंखला 59 बी	8.80%	1,216.60	1,216.60	1,216.60	15.10.2019	
112	श्रृंखला 119 ऑप्शन बी	9.32%	1,591.00	1,591.00	1,591.00	17.09.2019	
113	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी I	9.39%	460.00	460.00	460.00	27.08.2019	
114	श्रृंखला 57 बी	8.60%	866.50	866.50	866.50	07.08.2019	
115	श्रृंखला 115 II	9.15%	100.00	100.00	100.00	07.07.2019	

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
116	श्रृंखला 135 बी	8.50%	1,500.00	1,500.00	1,500.00	29.06.2019	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
117	श्रृंखला 174	7.80%	3,300.00	3,300.00	-	07.06.2019	
118	श्रृंखला 90 बी	9.41%	-	-	391.00	01.06.2019	
119	श्रृंखला 148	7.95%	1,915.00	1,915.00	1,915.00	13.05.2019	
120	श्रृंखला 145	7.85%	2,928.00	2,928.00	2,928.00	15.04.2019	
121	कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 113	9.69%	-	2,240.00	2,240.00	03.03.2019	
122	श्रृंखला 143	8.12%	-	700.00	700.00	28.02.2019	
123	श्रृंखला 98-III	8.72%	-	324.00	324.00	08.02.2019	
124	कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 112 ए	9.70%	-	270.00	270.00	31.01.2019	
125	श्रृंखला 82 सी	9.70%	-	2,060.00	2,060.00	15.12.2018	
126	श्रृंखला 52 सी	11.25%	-	1,950.60	1,950.60	28.11.2018	
127	श्रृंखला 142 बी	8.00%	-	1,000.00	1,000.00	22.10.2018	
128	कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 109	9.81%	-	4,500.00	4,500.00	07.10.2018	
129	श्रृंखला 51 सी	11.00%	-	3,024.40	3,024.40	15.09.2018	
130	श्रृंखला 140 ए	8.28%	-	1,930.00	1,930.00	04.09.2018	
131	श्रृंखला 139 सी	8.17%	-	800.00	800.00	18.08.2018	
132	श्रृंखला 49 बी	10.85%	-	428.60	428.60	11.08.2018	
133	श्रृंखला 161	6.90%	-	1,850.00	1,850.00	16.07.2018	
134	श्रृंखला 162	6.90%	-	1,060.00	1,060.00	16.07.2018	
135	श्रृंखला 48 सी	10.55%	-	259.70	259.70	15.07.2018	
136	श्रृंखला 135 ए	8.40%	-	1,210.00	1,210.00	29.06.2018	
137	श्रृंखला 130 ए	8.40%	-	1,175.00	1,175.00	19.06.2018	
138	श्रृंखला 129 ए	8.29%	-	980.00	980.00	19.06.2018	
139	श्रृंखला 129 बी	8.29%	-	100.00	100.00	13.06.2018	
140	श्रृंखला 47 सी	9.68%	-	780.70	780.70	09.06.2018	
141	श्रृंखला 134 बी	8.39%	-	1,500.00	1,500.00	28.05.2018	
142	श्रृंखला 132 बी	8.09%	-	200.00	200.00	16.05.2018	
143	श्रृंखला 131 ए	8.34%	-	100.00	100.00	27.04.2018	
144	श्रृंखला 132 ए	8.03%	-	272.00	272.00	09.04.2018	
145	श्रृंखला 102 ए(I)	8.90%	-	-	403.00	18.03.2018	
146	श्रृंखला 101 ए	8.95%	-	-	3,201.00	11.03.2018	
147	श्रृंखला 99–ए	8.77%	-	-	2.00	20.02.2018	
148	श्रृंखला 98-II	8.72%	-	-	324.00	08.02.2018	
149	श्रृंखला 72 ए	8.97%	-	-	144.00	15.01.2018	
150	श्रृंखला 40 सी	9.28%	-	-	650.00	28.12.2017	
151	श्रृंखला 123–ए	8.50%	-	-	1,075.00	28.11.2017	
152	श्रृंखला 18	7.87%	-	-	25.00	13.11.2017	
153	श्रृंखला 121–ए	8.90%	-	-	1,500.00	21.10.2017	
154	श्रृंखला 142 ए	7.88%	-	-	800.00	21.10.2017	
155	श्रृंखला 93 बी	8.91%	-	-	950.00	15.10.2017	
156	श्रृंखला 17	8.21%	-	-	25.00	03.10.2017	
157	श्रृंखला 118–ए	9.30%	-	-	2,160.00	27.08.2017	
158	श्रृंखला 92 ए	9.01%	-	-	50.00	21.08.2017	
159	श्रृंखला 92 बी	9.27%	-	-	1,930.00	21.08.2017	
160	श्रृंखला 117 ए	9.32%	-	-	1,311.00	19.08.2017	
161	श्रृंखला 115-I	9.11%	-	-	1,650.00	07.07.2017	
162	श्रृंखला 91 ए	9.40%	-	-	107.50	29.06.2017	
163	श्रृंखला 90 ए	9.61%	-	-	537.90	01.06.2017	
164	श्रृंखला 134 ए	8.35%	-	-	1,500.00	27.05.2017	
165	श्रृंखला 13	9.60%	-	-	65.00	24.05.2017	
166	श्रृंखला 139 बी	8.12%	-	-	1,435.00	22.05.2017	
167	श्रृंखला 35	9.96%	-	-	530.00	18.05.2017	
168	श्रृंखला 13	9.60%	-	-	125.00	16.05.2017	
169	श्रृंखला 89 ए	9.52%	-	-	165.00	02.05.2017	

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
170	श्रृंखला 133 बी	8.00%	-	-	605.00	24.04.2017	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
171	श्रृंखला 144	7.98%	-	-	1,775.00	21.04.2017	
172	श्रृंखला 139 ए	8.12%	-	-	565.00	17.04.2017	
173	श्रृंखला 133 ए	8.00%	-	-	545.00	03.04.2017	
	कुल		167,774.95	177,176.95	173,383.50		

16.1 बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	3.75% यूएसडी बॉण्ड 2028	6.15%	3,457.75	-	-	06.12.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	3.75% यूएसडी बॉण्ड 2028	5.25%	2,074.65	-	-	10.08.2028	
3	3.75% यूएसडी ग्रीन बॉण्ड 2027	3.75%	2,766.20	2,607.00	-	06.12.2027	
4	6.61% सीनियर नोट्स (यूएसपीपी)	6.61%	-	-	1,167.30	05.09.2017	
	कुल		8,298.60	2,607.00	1,167.30		

15.8 बकाया वाणिज्यिक पत्र का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	सीपी श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	सीपी–108	7.85%	3,000.00	-	-	06.03.2020	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	सीपी–109	7.39%	1,500.00	-	-	16.09.2019	
3	सीपी–106	7.15%	3,000.00	-	-	13.05.2019	
4	सीपी–105	7.44%	2,500.00	-	-	15.04.2019	
5	सीपी–90	6.65%	-	1,925.00	-	10.08.2018	
6	सीपी–94	7.00%	-	2,000.00	-	25.06.2018	
7	सीपी–93 बी	7.40%	-	1,100.00	-	15.06.2018	
8	सीपी–85	6.80%	-	1,105.00	-	15.05.2018	
9	सीपी–93 बी	7.30%	-	900.00	-	27.04.2018	
	कुल		10,000.00	7,030.00	-		
	घटाएं: अपरिशोधित वित्तीय प्रभार		284.08	105.26	-		
	कुल		9,715.92	6,924.74	-		

15.9 गिंडी, चेन्नई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर प्रथम पारी–पासू के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड के बॉण्ड श्रृंखला 86 डी, 86 सी, श्रृंखला III, श्रृंखला IV वर्तमान एवं भावी प्राप्य प्रतिफल के प्रथम पारी–पासू द्वारा प्रतिभूत किया जाता है (ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जो विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इंफ्रा बॉण्ड के लिए प्रभारित किए गए हैं)।

15.10 जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल परिसंपत्ति पर प्रथम प्रभार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 1, 2 को 31 मार्च, 2016 की स्थिति में अनुसार कंपनी के 3,090.80 करोड़ रुपए के विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

15.11 गिंडी, चेन्नई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर प्रथम पारी–पासू के साथ कर मुक्त बॉण्डों के बॉण्ड श्रृंखला ट्रांच–1 श्रृंखला–2, 95 बी, 94 बी, 80 बी, 79बी को कंपनी के कुल प्राप्य प्रतिफल पर प्रथम पारी–पासू द्वारा प्रतिभूत किया जाता है (ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन पर विशिष्ट प्रभार का पहले सृजन किया जा चुका है)।

15.12 सभी अन्य कर मुक्त बॉण्डों को कंपनी के कुल बही ऋणों पर पारी–पासू प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाता है (ऐसे बही ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले विशिष्ट प्रभार का सृजन किया जा चुका है), जो लेन–देन के दस्तावेजों के अंतर्गत/अनुपालन में बॉण्ड धारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा अन्य धनराशि सहित बॉण्डों के भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

15.13 54 ईसी कैपिटल गेन कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 1, 2 को कंपनी के कुल बही ऋणों पर प्रथम पारी–पासू द्वारा प्रतिभूत किया जाता है, ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले विशिष्ट प्रभार का सृजन किया गया है, जो लेन–देन के दस्तावेजों के अंतर्गत/अनुपालन में बॉण्ड धारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा अन्य धनराशि सहित बॉण्डों के भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

15.14 कर योग्य बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 109, 112ए, 112बी, 112सी, 113 को कंपनी के कुल बही ऋणों पर प्रथम पारी–पासू द्वारा प्रतिभूत किया जाता है, ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले विशिष्ट प्रभार का सृजन किया गया है, जो लेन–देन के दस्तावेजों के अंतर्गत/अनुपालन में बॉण्ड धारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा अन्य धनराशि सहित बॉण्डों के भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

16. ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

कंपनी ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर ऋणों (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न) को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(क)	**सावधि ऋण**			
	(i) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से			
	- विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी 16.1 देखें)	4,676.17	3,191.03	204.23
	- सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी 16.2 देखें)	15,852.09	12,462.05	7,072.35
	- रुपया सावधि ऋण (टिप्पणी 16.4 देखें)	38,703.55	10,525.00	2,000.00
	(ii) अन्य पक्षकारों से			
	- रुपया सावधि ऋण – भारत सरकार (टिप्पणी 16.5 देखें)	7,500.00	-	-
(ख)	**बैंकों से अन्य ऋण**			
	(i) सावधि जमा के विरूद्ध ऋण (टिप्पणी 7.1 और 16.6 देखें)	12,737.18	-	2,400.79
	(ii) कार्यकारी पूंजी मांग ऋण/ओवरड्राफ्ट/नकदी क्रेडिट/ लाइन ऑफ क्रेडिट (टिप्पणी 16.6 देखें)	620.00	-	-
(ग)	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	402.77	66.35	26.17
(घ)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन–देन लागत	(147.23)	(164.26)	(111.78)
	कुल ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	**80,344.53**	**26,080.17**	**11,591.76**
	भूगोलवार ऋण			
	(i) भारत में ऋण	59,899.50	10,541.41	4,401.23
	(ii) भारत के बाहर ऋण	20,445.03	15,538.76	7,190.53
	कुल भूगोलवार ऋण	**80,344.53**	**26,080.17**	**11,591.76**

16.1 बकाया अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	केएफडब्ल्यू-I	48.05	53.04	48.04	30 दिसंबर, 2035 तक अर्धवार्षिक किश्तें	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	एडीबी	82.80	87.36	96.21	15 अक्तूबर, 2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें	
3	क्रेडिट नेशनल	50.24	61.08	59.98	30 जून, 2028 तक अर्धवार्षिक किश्तें	
4	एसबीआई एफसीएनआर(बी)	1,728.88	1,629.38	-	20.03.2020	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
5	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी) - IV	691.55	-	-	28.06.2019	
6	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी) - III	691.55	-	-	12.06.2019	
7	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी) - II	691.55	-	-	03.06.2019	
8	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी)	691.55	651.75	-	26.04.2019	
9	बैंक ऑफ बड़ौदा एफसीएनआर(बी) - II	-	201.32	-	22.02.2019	
10	बैंक ऑफ बड़ौदा एफसीएनआर(बी) - I	-	507.10	-	15.02.2019	
	कुल विदेशी मुद्रा ऋण	**4676.17**	**3191.03**	**204.23**		

16.2 बकाया अप्रतिभूत सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	एसएलएन 27	1,024.32	-	-	01.02.2024	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2	एसएलएन 26	1,728.88	-	-	26.09.2023	
3	एसएलएन 22	1,728.88	1,629.37	-	28.02.2023	
4	एसएलएन 23	1,728.88	1,629.38	-	22.03.2023	
5	एसएलएन 21	2,074.65	1,955.25	-	12.12.2022	
6	एसएलएन 17	3,111.98	2,932.86	2,918.25	3 समान किश्तें (28 सितंबर, 2020, 26 मार्च, 2021 और 24 सितंबर, 2021)	तीन समान किश्तों में मोचनीय
7	एसएलएन 18	2,725.65	2,685.81	2,532.85	3 समान किश्तें (06 नवंबर, 2020, 8 नवंबर, 2021 और 04 नवंबर, 2022)	तीन समान किश्तों में मोचनीय
8	एसएलएन 16	1,728.88	1,629.38	1,621.25	04.12.2019	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
	कुल सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण	**15852.09**	**12462.05**	**7072.35**		

16.3 उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 16.1 और 16.2 में उल्लिखित विदेशी मुद्रा ऋण 3 माह / 6 माह में 62 बीपीएस से 195 बीपीएस यूएसडी / जेपीवाई लिबोर की ब्याज दर पर जुटाया गया है (लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तावित दर)।

16.4 बकाया रुपया सावधि ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

(i) प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

क्र. सं.	बॉण्ड सीरीज	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	8.75%	1,500.00	-	-	25.02.2025	मूलधन की अदायगी पर 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि है तथा संवितरण की तारीख से 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद ₹ 375 करोड़ प्रत्येक की चार वार्षिक किश्तों में ऋण को चुकता करना है, जिसकी शुरूआत 25 फरवरी, 2022 से होगी और यह 25 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा।
2	कॉर्पोरेशन बैंक	8.70%	1,000.00	-	-	15.03.2024	ऋण को ₹ 200 करोड़ प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 15 मार्च, 2020 से होगी और यह 15 मार्च, 2024 को समाप्त होगा।
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8.75%	750.00	-	-	11.03.2024	ऋण अधिस्थगन : पहले संवितरण की तारीख से 2 वर्ष (8 तिमाही) मूलधन को 12 सुगठित तिमाही किश्तों अर्थात 9वीं से 12वीं तिमाही तक ₹ 18.75 करोड़ प्रत्येक की चार किश्तों, 13वीं से 16वीं तिमाही तक ₹ 56.25 करोड़ प्रत्येक की चार किश्तों और उसके बाद 17वीं से 20वीं तिमाही तक ₹ 112.50 करोड़ प्रत्येक की चार किश्तों में चुकता किया जाएगा।
4	बैंक ऑफ इंडिया	8.70%	1,000.00	-	-	02.03.2024	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
5	केनरा बैंक	8.70%	1,000.00	-	-	20.02.2024	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
6	यूको बैंक	8.70%	200.00	-	-	02.03.2022	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
	कुल प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण		**5450.00**	**0.00**	**0.00**		

(ii) प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	बैंक ऑफ इंडिया	8.70%	2,000.00	-	-	21.01.2024	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2	केनरा बैंक	8.70%	1,000.00	-	-	28.12.2023	
3	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	8.65%	1,000.00	-	-	24.12.2023	
4	एचडीएफसी बैंक लि.	8.45%	750.00	-	-	05.10.2023	
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8.45%	6,000.00	-	-	27.09.2023	
6	विजया बैंक	7.90%	-	1,000.00	-	13.03.2023	
7	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	8.38%	800.00	-	-	14.09.2021	
8	यूको बैंक	8.25%	1,000.00	-	-	23.08.2021	
9	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.75%	700.00	-	-	04.03.2021	
10	एचडीएफसी बैंक लि.	8.40%	750.00	750.00	-	30.09.2020	
11	केनरा बैंक	8.35%	1,500.00	-	-	13.09.2020	
12	बैंक ऑफ इंडिया	8.30%	1,000.00	-	-	06.08.2020	
13	आंध्रा बैंक	8.25%	1,979.00	-	-	29.06.2020	
14	विजया बैंक	8.45%	2,000.00	-	-	19.06.2020	
15	पंजाब नेशनल बैंक	8.15%	2,000.00	-	-	05.06.2020	
16	पंजाब नेशनल बैंक	8.15%	2,000.00	-	-	24.05.2020	
17	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	7.99%	775.00	-	-	30.09.2019	
18	आंध्रा बैंक	7.90%	-	277.07	-	30.09.2019	
19	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	7.70%	-	775.00	-	30.09.2019	
20	आंध्रा बैंक	7.90%	-	1,722.93	-	29.09.2019	
21	विजया बैंक	7.90%	-	1,000.00	-	05.09.2019	
22	इलाहाबाद बैंक	8.25%	2,000.00	-	-	08.08.2019	
23	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.35%	2,000.00	-	-	30.07.2019	
24	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.35%	999.55	-	-	22.07.2019	
25	इलाहाबाद बैंक	7.85%	-	2,000.00	-	28.05.2019	
26	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7.85%	-	2,000.00	-	30.04.2019	
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8.25%	3,000.00	-	-	19.04.2019	
28	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7.85%	-	1,000.00	-	19.04.2019	
29	आईसीआईसीआई बैंक	7.90%	-	-	1,500.00	30.04.2018	
30	जम्मू एवं कश्मीर	8.10%	-	-	500.00	30.04.2018	
	कुल अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण		**33253.55**	**10525.00**	**2000.00**		
	कुल रुपया सावधि ऋण (अप्रतिभूत एवं प्रतिभूत)		**38703.55**	**10525.00**	**2000.00**		

16.5 बकाया अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	नेशनल स्मॉल सेविंग फंड स्कीम (एनएसएसएफ)	8.11%	7,500.00	-	-	27.12.2028	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान

16.6 बकाया सावधि जमा के विरूद्ध ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	विवरण	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक	382.00	-	-	03.04.2019	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	100.00	03.04.2017	
3	पंजाब नेशनल बैंक	1,525.44	-	-	03.04.2019	
4	साउथ इंडियन बैंक	317.92	-	-	02.04.2019	
5	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,805.00	-	-	03.04.2019	
6	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	-	177.15	03.04.2017	
7	इंडियन बैंक	1,995.00	-	-	02.04.2019	
8	विजया बैंक	1,890.00	-	-	02.04.2019	
9	विजया बैंक	-	-	1,800.00	03.04.2017	
10	पंजाब नेशनल बैंक	344.13	-	-	02.04.2019	
11	पंजाब नेशनल बैंक	26.43	-	-	02.04.2019	
12	पंजाब नेशनल बैंक	1,291.94	-	-	03.04.2019	
13	केनरा बैंक	1,704.13	-	-	02.04.2019	
14	यूको बैंक	500.00	-	-	02.04.2019	
15	एचडीएफसी बैंक	955.19	-	-	02.04.2019	
16	इलाहाबाद बैंक	-	-	323.64	03.04.2017	
	सावधि जमा के विरूद्ध कुल ऋण	**12,737.18**	**-**	**2,400.79**		

16.7 बकाया अप्रतिभूत डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	विवरण		बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	बैंक ऑफ इंडिया	8.20%	250.00	-	-	08.04.2019	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2	पंजाब नेशनल बैंक	8.15%	370.00	-	-	08.04.2019	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
	कुल डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट		**620.00**	**-**	**-**		

16.8 निदेशकों द्वारा एक भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

16.9 उपर्युक्त अवधियों के दौरान ऋणों एवं ब्याज को चुकता करने में कोई चूक नहीं हुई है।

16.10 प्रतिभूत रूपया सावधि ऋणों के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में रक्षित प्राप्य राशि के वहन मूल्य के लिए टिप्पणी संख्या 9 देखें। प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों को कंपनी के प्राप्य प्रतिफल पर ऋणकर्ता बैंक के पक्ष में प्रथम पारी–पासू द्वारा प्रतिभूत किया जाता है जो इस प्रतिभूति दस्तावेज के अंतर्गत/अनुपालन में ऋणदाता बैंक और/या अन्यों को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा सभी अन्य धनराशियों सहित सावधि ऋण के भुगतान/पुनर्भुगतान तक सीमित है, ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन्हें कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड था) के पक्ष में पहले प्रभारित किया जा चुका है।

17 सबॉर्डिनेटिड देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर ऋण देयताओं को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(क)	**सबॉर्डिनेटिड देयताएं**			
	(i) सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड (टिप्पणी संख्या 17.1 देखें)	9,211.50	3,800.00	3,800.00
	(ii) उपर्युक्त पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	102.30	93.59	93.59
	(iii) उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेनदेन लागत	(4.10)	(0.83)	(0.95)
	कुल सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**9,309.70**	**3,892.76**	**3,892.64**
(ख)	**भूगोलवार सबॉर्डिनेटिड देयताएं**			
	(i) भारत में सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	9,309.70	3,892.76	3,892.64
	(ii) भारत के बाहर सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	-	-	-
	कुल भूगोलवार सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**9,309.70**	**3,892.76**	**3,892.64**

17.1 सबॉर्डिनेटिड बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट	बकाया राशि		
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को
1	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	9.70%	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	9.65%	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	8.19%	800.00	800.00	800.00
4	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	9.10%	2,411.50	-	-
5	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	8.98%	1,000.00	-	-
6	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	9.25%	2,000.00	-	-
	कुल		**9,211.50**	**3,800.00**	**3,800.00**

18. अन्य वित्तीय देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	1 अप्रैल, 2017
(i)	भारत सरकार द्वारा चुकता किए गए बॉण्डों के लिए देय (टिप्पणी 18.1 देखें)	5,038.21	5,038.21	5,038.21
(ii)	सहायक कंपनियों एवं सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम*	189.11	163.69	161.80
(iii)	अदत्त लाभांश (टिप्पणी 18.2 देखें)			
	- अदावी लाभांश	3.16	2.63	1.43
(iv)	अदत्त बॉण्ड तथा उन पर प्रोद्भूत ब्याज (टिप्पणी 18.2 देखें)।			
	- अदावी बॉण्ड	1.15	3.93	0.52
	- बॉण्डों पर अदाबी ब्याज	13.95	14.10	14.17
(v)	अन्य			
	- बॉण्डों पर प्रतिदेय आवेदन शुल्क तथा उन पर प्रोद्भूत ब्याज	0.77	0.84	0.88
	- ब्याज सब्सिडी निधि (टिप्पणी 18.3 देखें)	15.96	112.51	103.19
	- देय अंतरिम लाभांश	-	-	1,320.04
	- अन्य	65.53	57.28	618.28
	कुल अन्य वित्तीय देयताएं	**5,327.84**	**5,393.19**	**7,258.52**

*नकदी में देय

18.1 भारत सरकार के चुकता किए गए बॉण्डों (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों) का ब्योरा :

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन दर	मोचन की तारीख	बकाया		
				31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल,2017 को
1	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 164 भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड	7.75%	22.03.2027	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 160–भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड	7.60%	20.02.2027	1,465.00	1,465.00	1,465.00
3	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 158–भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड	7.18%	20.01.2027	1,335.00	1,335.00	1,335.00
4	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 156–भारत सरकार के पूर्णत: चुकता बॉण्ड	7.10%	11.01.2027	200.00	200.00	200.00
5	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत ब्याज			38.21	38.21	38.21
	भारत सरकार के चुकता किए गए कुल बॉण्ड (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड)			**5,038.21**	**5,038.21**	**5,038.21**

18.2 अदत्त लाभांशों, अदावी बॉण्डों तथा उन पर ब्याज में ऐसी राशियां शामिल हैं जिनका लिखतों के धारकों/निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या विधिक औपचारिकताओं आदि के लंबित होने के कारण रोकी गई हैं। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए पात्र राशि अंतरित की गई है।

18.3 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी निधि :

(i) कंपनी ने वास्तविक चुकता अवधि, अधिस्थगन अवधि तथा चुकता करने की अवधि को ध्यान में रखे बगैर भारत सरकार के दिनांक 23 सितंबर, 1997 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 32024/17/97. पीएफसी तथा दिनांक 07 मार्च, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001–पीएफसी के अनुसरण में सांकेतिक ब्याज दरों पर परिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त तथा ऋणकर्ता को हस्तांतरित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि को ब्याज सब्सिडी निधि लेखा के रूप में प्रतिधारित किया जाता है। दावा के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचारित सांकेतिक दर तथा अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का सुनिश्चय संबंधित योजनाओं की समाप्ति बाद ही किया जा सकता है। तथापि, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए अनुमानों के आधार पर (कुछ धारणाओं के आधार पर जो प्रत्येक ऋण/परियोजना की प्रक्षेपित अवधि में समान बनी रहेंगी), कंपनी ने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एजी एंड एसपी योजनाओं के अंतर्गत 9वीं और 10वीं योजना के लिए क्रमशः शून्य तथा ₹ 16.04 करोड़ की निवल अधिक राशि का अनुमान लगाया (31 मार्च, 2018 को ₹ 9.64 करोड़ तथा ₹ 103.09 करोड़; 1 अप्रैल, 2017 को ₹ 8.67 करोड़ तथा ₹ 93.56 करोड़) और कोई न्यूनता नहीं है। यह निवल अधिक राशि समग्र आधार पर, न कि व्यक्तिगत आधार पर तैयार की जाती है और प्रक्षेपित अवधि के दौरान धारणाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, जैसे कि अधिस्थगन अवधि, पुनर्भुगतान अवधि, ऋण पुनर्गठन, पूर्व भुगतान, ब्याज दर रिसेट आदि में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकती है। ब्याज सब्सिडी निधि में किसी अधिक/न्यूनता को संबंधित योजना की समाप्ति पर लौटाया या समायोजित/प्रभारित किया जाएगा।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाने वाली देयता के रूप में प्रदर्शित ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत शेष में निम्नलिखित शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	**112.51**	**103.19**
जोड़ें : अवधि के दौरान प्राप्त	-	-
: अवधि के दौरान जमा किया गया ब्याज	3.45	9.32
: परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण ऋणकर्ता द्वारा रिफंड	-	-
घटाएं : विद्युत मंत्रालय को लौटाई गई:-		
(क) 9वीं एवं 10वीं योजना के विरुद्ध अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	100.00	-
(ख) परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण देय	-	-
अंतिम शेष	**15.96**	**112.51**

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ऋणकर्ताओं को हस्तांतरित की गई ब्याज सब्सिडी ₹ 1.95 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 3.01 करोड़)

19. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को
(i)	**कार्मिक हितलाभों के लिए**			
	- उपदान	0.75	1.50	1.22
	- छुट्टी नकदीकरण	27.31	21.23	30.68
	- कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	1.69	1.67	1.63
	- बोनस/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	33.74	11.18	5.68
	- स्टॉफ कल्याण व्यय के लिए प्रावधान	13.80	11.26	8.90
	- प्रस्तावित वेतन संशोधन	-	48.94	9.94
(ii)	**क्षतिग्रस्तता हानि छूट–चुकौती आश्वासन पत्र (टिप्पणी 19.1 देखें)**	186.71	195.39	5.61
	कुल प्रावधान	**264.00**	**291.17**	**63.66**

19.1 चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
(i)	प्रारंभिक शेष	195.39	5.61
(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान सृजन	6.07	195.31
(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(14.75)	(5.53)
(iv)	अंतिम शेष	186.71	195.39

19.2 चुकौती आश्वासन पत्र ऋणकर्ता के लिए प्रतिबद्धता के रूप में है, इसलिए इस पर क्षतिग्रस्तता छूट को प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया गया है

20. अन्य सबोर्डिनेटिड वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	अपरिशोधित शुल्क–अवितरित ऋण परिसंपत्तियां	96.36	92.45	71.16
(ii)	देय सांविधिक राशि			
	- देय कॉर्पोरेट अंतरिम लाभांश वितरण कर	-	-	67.18
	- अन्य	4.49	20.12	20.10
	कुल अन्य गैर वित्तीय देयताएं	**100.85**	**112.57**	**158.44**

21 इक्विटी शेयर पूंजी

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	अधिकृत पूंजी						
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	11,000,000,000	11,000.00	11,000,000,000	11,000.00	11,000,000,000	11,000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	2,00,000,000	200.00	2,00,000,000	200.00	2,00,000,000	200.00
(ख)	जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त पूंजी						
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹10 का सममूल्य)	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08
(ग)	इक्विटी शेयर पूंजी का मिलान						
	बकाया प्रारंभिक इक्विटी शेयर	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
	अंतिम इक्विटी शेयर पूंजी	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08

21.1 पीएफसीजीइएल (कंपनी पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पीएफसी के साथ समामेलन के अनुपालन में, समामेलन की योजना के अनुसार समामेलन की प्रभावी तारीख अर्थात 1 अप्रैल, 2017 से कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी तथा अधिकृत अधिमानी शेयर पूंजी में क्रमशः ₹ 1000 करोड़ और ₹ 200 करोड़ की वृद्धि हुई।

21.2 इक्विटी शेयरों से संबद्ध अधिकार, अधिमानी और प्रतिबंध

कंपनी ने प्रति शेयर ₹ 10 के सममूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और वे शेयर धारकों की बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन होता है।

21.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धारित शेयर

	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
(i)	भारत के राष्ट्रपति	1,558,889,417	59.05%	1,740,216,107	65.92%	1,751,631,394	66.35%
(ii)	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,56,320,146	5.92%	1,57,476,305	5.96%	2,28,252,101	8.65%
(iii)	यूएसबी प्रिंसीपल कैपिटल एशिया लिमिटेड	1,42,238,384	5.39%	48,260,435	1.83%	-	0.00%
(ii)	एचडीएफसी ट्रस्टी	1,98,898,595	7.53%	85,121,960	3.22%	25,479,486	0.97%

21.4 अवधि एवं राशि सहित शेयर की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा/प्रतिबद्धता के अंतर्गत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर : शून्य

21.5 पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं तथा किसी शेयर का पुनः क्रय नहीं किया है।

21.6 सुदूर ऐसी तारीख से आरंभ करते अवरोही क्रम में परिवर्तन की शीघ्रातिशीघ्र तारीख के साथ जारी किए गए इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय किसी प्रतिभूति की अवधियां : शून्य

21.7 अदत्त मांग राशि (निदेशकों एवं अधिकारियों द्वारा अदत्त मांग राशि के सकल मूल्य को दर्शाते हुए) : शून्य

21.8 जब्त शेयर (मूलतः अदत्त राशि) : शून्य

21.9 पूंजी का प्रबंधन : टिप्पणी 32.1 देखें

21.10 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार ने नए निधि प्रस्ताव के सिलसिले में कंपनी में धारित 1,93,72,120 और 16,19,54,570 इक्विटी शेयर क्रमशः भारत 22 ईटीएफ की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) और सीपीएसई ईटीएफ में अंतरित किया है।

22. अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (टिप्पणी संख्या 22.1 (i))	2,014.25	1,726.82	1,434.17
(ii)	प्रतिभूति प्रीमियम (टिप्पणी संख्या 22.1 (ii))	2,776.54	2,776.54	2,776.54
(iii)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (टिप्पणी संख्या 22.1 (iii))	(769.72)	(356.41)	(288.12)
(iv)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IC(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व (टिप्पणी संख्या 22.1 (iv))	1,413.94	23.36	16.99
(v)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (x) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व (टिप्पणी संख्या 22 (v))	3,740.21	3,386.79	3,014.69
(vi)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996–97 तक सृजित विशेष रिजर्व (टिप्पणी संख्या 22.1 (vi))	599.85	599.85	599.85
(vii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997–98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व (टिप्पणी संख्या 22.1 (vi))	17,498.27	15,920.36	14,325.30
(viii)	ब्याज विभेदक रिजर्व – केएफडब्ल्यू ऋण (टिप्पणी संख्या 22.1 (vii))	60.00	57.90	56.41
(ix)	सामान्य रिजर्व (टिप्पणी संख्या 22.1 (viii))	7,438.68	6,438.68	5,438.68
(x)	प्रतिधारित अर्जन (टिप्पणी संख्या 22.1 (ix))	6,202.53	3,848.43	5,184.72
(xi)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व (टिप्पणी संख्या 22.1 (x))	(276.49)	(106.25)	225.77
(xii)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से नकदी प्रवाह हेज में हेज़िंग लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिजर्व (टिप्पणी संख्या 22.1– (xi))	(50.15)	-	-
	कुल अन्य इक्विटी*	**40,647.91**	**34,316.07**	**32,785.00**

*अवधि के दौरान मूवमेंट के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण देखें।

22.1 रिजर्व की प्रकृति एवं प्रयोजन

(i) <u>डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व (डीआरआर)</u>

डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व (डीआरआर) निर्गम के लिए 50% की दर से (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 18 अप्रैल, 2002 के परिपत्र सं. 6/3/2001. सीएल–V) और परवर्ती सार्वजनिक निर्गम के लिए 25% की दर से (कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 की आवश्यकता के अनुसार) बॉण्ड या डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम के लिए लाभों से आबंटन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें 11 फरवरी, 2013 से पूर्व प्रोस्पेक्टस दाखिल किया गया है। कंपनी इस रिजर्व से राशि प्रतिधारित अर्जन में उस समय अंतरित करती है जब बॉण्ड/डिबेंचर छुड़ाए जाते हैं।

(ii) <u>प्रतिभूति प्रीमियम</u>

प्रतिभूति प्रीमियम शेयरों के निर्गम पर हुए व्यय की शेयर पूंजी के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस राशि का उपयोग किया जाता है।

(iii) <u>विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा</u>

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा दीर्घ अवधि के विदेशी मुद्रा ऋणों (31 मार्च, 2018 को मौजूद) पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा परिवर्तन अभिलाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(iv) <u>भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I सी(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व</u>

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I सी(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व लाभ एवं हानि लेखा में किए गए खुलासे के अनुसार वर्ष के लिए कर पश्चात तथा किसी लाभांश की घोषणा के पूर्व निवल लाभ के 20% की दर से प्रतिधारित अर्जन से अंतरण का प्रतिनिधित्व करता है।

(v) <u>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (x) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व</u>

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (x) के अंतर्गत आयकर कटौती प्राप्त करने के लिए सृजित किया गया है।

(vi) <u>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व</u>

यह विशेष रिजर्व वर्ष में दीर्घअवधि वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर पूर्व लाभ के 20% की दर से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आयकर कटौती प्राप्त करने के लिए सृजित किया गया है।

(vii) <u>ब्याज विभेद आरक्षित निधि – केएफडब्ल्यू ऋण</u>

यह रिजर्व ऋण करार के अनुसार केएफडब्ल्यू ऋण पर देय ब्याज और प्रदत्त ब्याज के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। केएफडब्ल्यू से विदेशी मुद्रा के ऋण की शर्तों के अनुसरण में ऋण अधिशेष के पुनः कथन पर विनिमय अभिलाभ/हानि को इस रिजर्व से समायोजित किया जाता है। केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिजर्व में किसी असमायोजित अधिशेष का प्रयोग केएफडब्ल्यू से परामर्श के बाद कंपनी द्वारा अग्रेतर ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। कंपनी को केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिजर्व में असमायोजित अधिशेष का पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(viii) <u>सामान्य रिजर्व</u>

इक्विटी के अन्य घटक से अंतरण द्वारा सामान्य रिजर्व का सृजन किया जाता है तथा विनियोजन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जाता है।

(ix) <u>प्रतिधारित अर्जन</u>

प्रतिधारित अर्जन लाभांश वितरण एवं अन्य रिजर्व में एवं से अंतरण को घटाकर कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित अर्जन में सीधे मान्य किए गए लाभों तथा अन्य व्यापक आय की मदों का प्रतिनिधित्व करता है।

(x) <u>अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व</u>

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तनों को मान्य करने का चुनाव किया। यह रिजर्व अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी अभिलाभों एवं हानियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है, तब रिजर्व में राशि को बाद में प्रतिधारित अर्जन में, न कि लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में अंतरित किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांशों को लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता हैए जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की आंशिक लागत की वसूली का प्रतिनिधित्व न करे।

(xi) <u>नकदी प्रवाह हेज़ में हेज़िंग लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिजर्व</u>

नकदी प्रवाह हेज़ रिजर्व नकदी प्रवाह हेज़ के लिए किए गए बचाव लिखतों के नामित अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन पर उत्पन्न अभिलाभों या हानियों के संचयी प्रभावी अंश का प्रतिनिधित्व करता है। बचाव लिखतों जो नकदी प्रवाह हेज़ रिजर्व शीर्ष के अंतर्गत मान्य एवं संचित किए जाते हैं, के नामित अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन पर उत्पन्न संचयी अभिलाभ या हानि को केवल उस समय लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा जब हेज़्ड लेन–देन लाभ या हानि को प्रभावित करेगा या गैर वित्तीय हेज़्ड मद में आधार समायोजन के रूप में शामिल किया जाएगा।

23. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	
		परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय
(i)	ऋणों पर ब्याज	28,595.06	-	25,668.13	-
	घटाएं : ऋणकर्ताओं को समय पर भुगतान के लिए रिबेट	(485.79)	-	(389.60)	-
(ii)	बॉण्डों में निवेश पर ब्याज	-	87.60	-	196.80
(iii)	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	201.00	-	56.70	-
(iv)	अन्य ब्याजगत आय	43.10	-	30.00	-
	कुल ब्याजगत आय	**28,353.37**	**87.60**	**25,365.23**	**196.80**

24. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	ऋणों पर पुनर्भुगतान प्रीमियम	107.27	179.10
(ii)	ऋणों पर शुल्क आधारित आय	21.81	58.10
(iii)	भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए शुल्क (टिप्पणी 24.1 और 24.2 देखें)	19.94	30.39
	कुल शुल्क एवं कमीशन आय	**149.02**	**267.59**

24.1 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) :

(i) कंपनी आर–एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन एवं संबद्ध सेवा के लिए नोडल एजेंसी है। पात्र ऋणकर्ताओं को ऋण देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि एक दर एक व्यवस्था है जिससे कंपनी को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। संवितरित परंतु लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित न की गई राशि ऋणकर्ताओं से प्राप्त होने पर भारत सरकार को ब्याज के साथ देय होगी। आर–एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं से प्राप्य एवं भारत सरकार को देय राशि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 16,507.55 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,645.44 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 12,749.20 करोड़) है।

(ii) कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से आर–एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन एवं संबद्ध सेवा के लिए आर–एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करती है। शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए संचयी दावा ₹ 850 करोड़ की कैप के अधीन आर–एपीडीआरपी के भाग क और ख के अंतर्गत संभावित परियोजना परिव्यय का 1.7% है।

कंपनी द्वारा प्राप्त/प्राप्य नोडल एजेंसी शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति की कुल राशि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 329.82 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 301.94 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 280.72 करोड़) है।

24.2 एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) :

कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में आईपीडीएस योजना के प्रचालन एवं कार्यान्वयन के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आईपीडीएस योजना में नोडल एजेंसी की भूमिका का वर्णन है जिसमें अन्य बातों के साथ पात्र विद्युत संस्थाओं को भारत सरकार का अनुदान प्रदान करना शामिल है जिसे आईपीडीएस योजना में वर्णित कुछ शर्तों के अधीन वापस लिया जा सकता है/समय से पहले बंद किया जा सकता है।

31 मार्च, 2019 तक पात्र विद्युत संस्थाओं को प्रदान किए गए भारत सरकार के अनुदान की राशि ₹ 8,083.17 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 5,329.82 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,561.01 करोड़) है।

कंपनी मॉनीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत या अवार्ड लागत, जो भी कम हो, के कुल 0.50% (जो योजना के अनुसार चरणों में प्रोद्भूत होगा) के नोडल एजेंसी शुल्क के लिए पात्र है।

25. उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल अभिलाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	**लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर :**		
	- डरिवेटिव्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	84.98	(193.19)
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल अभिलाभ/(हानि)	**84.98**	**(193.19)**
	उचित मूल्य में परिवर्तन :		
(i)	- प्राप्त	(153.85)	49.86
(ii)	- अप्राप्त	238.83	(243.05)
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल अभिलाभ/(हानि)	**84.98**	**(193.19)**

25.1 इस टिप्पणी में उचित मूल्य के परिवर्तन प्रोद्भूत ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न परिवर्तन से भिन्न हैं।

26. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	-	0.84
(ii)	विविध आय	9.29	3.56
	कुल अन्य आय	**9.29**	**4.40**

27. वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	
		परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय देयताओं पर	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत वित्तीय देयताओं पर
(i)	**ऋणों पर ब्याज**				
	- सावधि ऋण एवं अन्य	2,668.42	-	393.16	-
(ii)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**				
	- बॉण्ड / डिबेंचर	15,402.97	-	15,703.69	-
	- वाणिज्यिक पत्र	491.85	-	487.62	-
(iii)	**देयताओं पर ब्याज**	364.87	-	356.14	-
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**				
	- ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज	3.46	-	9.32	-
	- आवेदन शुल्क पर ब्याज–बॉण्ड	0.08	-	0.03	-
	- सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज	6.18	-	5.93	-
	- स्वैप प्रीमियम (निवल)	-	43.93	-	-
	कुल वित्तीय लागतें	**18,937.83**	**43.93**	**16,955.89**	**-**

28. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	एजेंसी शुल्क	0.74	0.39
(ii)	गारंटी, सूचीबद्धता एवं न्यास शुल्क	2.72	2.17
(iii)	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	5.23	4.96
(iv)	अन्य वित्त प्रभार	1.40	1.06
	कुल शुल्क एवं कमीशन व्यय	**10.09**	**8.58**

29. वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
		परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i)	ऋण एवं चुकौती आश्वासन पत्र	(879.27)	2,404.90
(ii)	अन्य वित्तीय लिखतों पर	7.79	(13.89)
	वित्तीय लिखतों पर कुल क्षतिग्रस्तता	**(871.48)**	**2,391.01**

29.1 वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता में मूवमेंट के ब्योरे के लिए टिप्पणी 32.2.1 देखें।

30. कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	वेतन एवं मजदूरी	133.33	130.59
(ii)	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	12.68	21.43
(iii)	कार्मिक कल्याण व्यय	23.51	19.17
(iv)	कार्मिकों के आवासीय आवास के लिए किराया (टिप्पणी 30.2 देखें)	4.05	5.45
	कुल कार्मिक हितलाभ व्यय	**173.57**	**176.64**

30.1 विभिन्न कार्मिक हितलाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में इंड एएस 19 'कार्मिक हितलाभों' के अनुसार प्रकटन टिप्पणी 34 में प्रदान किए गए हैं।

30.2 कार्मिकों के आवासीय आवास के लिए किराया परिसरों के लिए पट्टा व्यवस्था पर किराए (वसूली को घटाकर) के कारण है, जो कार्मिकों के आवासीय प्रयोग के लिए लिए जाते हैं और आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर इनको नवीकृत एवं निरस्त किया जा सकता है।

31. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत (टिप्पणी 31.1 देखें)	23.86	11.74
(ii)	मरम्मत एवं अनुरक्षण	4.46	4.50
(iii)	संचार लागतें	2.78	2.49
(iv)	मुद्रण और लेखन सामग्री	1.69	2.11
(v)	विज्ञापन एवं प्रचार	11.85	8.69
(vi)	निदेशक शुल्क, भत्ता एवं व्यय	0.12	0.06
(vii)	लेखापरीक्षक शुल्क एवं व्यय (टिप्पणी 31.2 देखें)	1.14	0.86
(viii)	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	8.65	4.86
(ix)	बीमा	0.26	0.17
(x)	यात्रा एवं वाहन	15.96	16.27
(xi)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर निवल हानि / (अभिलाभ)	0.32	0.42
(xii)	अन्य व्यय	43.60	19.27
	कुल अन्य व्यय	**114.69**	**71.44**

31.1 लीजहोल्ड भूमि के विपूंजीकरण के अनुपालन में, शुरू में प्रदत्त पूर्वदत्त पट्टा प्रीमियम को पट्टा की शेष अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। किराया, कर एवं ऊर्जा लागत में पूर्वदत्त पट्टा प्रीमियम का ऐसा परिशोधन शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकारी प्रयोग के लिए लिए पट्टा पर लिए गए परिसरों का किराया शामिल है और आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर इनको नवीकृत एवं निरस्त किया जा सकता है। टिप्पणी 41.5 (ग) देखें

31.2 लेखापरीक्षक शुल्क एवं व्यय निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	- लेखापरीक्षा शुल्क	0.53	0.38
(ii)	- कराधान मामले	0.07	0.07
(iii)	- अन्य सेवाएं	0.49	0.39
(iv)	- व्यय की प्रतिपूर्ति	0.05	0.02
	कुल	**1.14**	**0.86**

32. वित्तीय लिखत

32.1 पूंजी का प्रबंधन

कंपनी एक पूंजी आधार का अनुरक्षण करती है जो कंपनी की जोखिम प्रोफाइल, विनियामक एवं कारोबारी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए मात्रा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से पर्याप्त है। कंपनी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से निधियां प्राप्त करती है जिससे अन्य बातों के साथ निवेशक आधार में विविधता तथा पूंजी की इष्टतम लागत का मार्ग प्रशस्त होता है। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 15, 16 और 17 तथा इक्विटी में परिवर्तन का एकल (स्टैंडअलोन) विवरण देखें।

जैसा कि आरबीआई के मास्टर निदेशों में निहित है, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी . व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 (इसके बाद इसे ''आरबीआई मास्टर निदेश'' कहा गया है) के अनुसार, कंपनी को टियर–1 और टियर–2 पूंजी से युक्त एक पूंजी अनुपात का अनुवर्तन करना है जो तुलन–पत्र में उसकी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा तुलन–पत्र से भिन्न मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें से टियर–1 पूंजी 10% से कम नहीं होगी। कंपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी के निर्धारित स्तरों के अनुरक्षण की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी अन्य बातों के साथ निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर के निर्गम, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों के वापस क्रय आदि के संबंध में ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पूंजी पुनर्गठन'' पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करती है।

पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) तथा कंपनी के अन्य प्रमुख वित्तीय पैरामीटर इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
सीआरएआर – टीयर–I पूंजी	11.73%	14.04%	13.91%
सीआरएआर – टीयर–II पूंजी	5.36%	3.08%	3.08%
कुल सीआरएआर	17.09%	17.12%	16.99%
ऋण इक्विटी अनुपात*	6.66	6.21	5.72
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	43,287.99	36,956.15	35,425.08

*कुल ऋण बकाया मूलधन का प्रतिनिधित्व करता है।

जुटाए गए सबॉर्डिनेटिड ऋण/स्थाई ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
टीयर–II पूंजी के रूप में जुटाए गए सबॉर्डिनेटिड ऋण की राशि	5,411.50	-
स्थाई ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि	-	-

लाभांश वितरण नीति

कंपनी की सुनिश्चित लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति अनेक कारकों पर ध्यान देती है जिसमें समय–समय पर यथालागू दिशा–निर्देशों के अधीन सरकारी दिशा–निर्देश, भावी पूंजी व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लाभांश पर कर सहित लागू कर शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग (दीपम), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर पश्चात लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना है।

फिर भी, कंपनी से अधिनियम के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा है, जिसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है, जब तक कि कम लाभांश को निवल मूल्य, कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताओं, सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश आदि जैसे पैरामीटरों पर विचार करने के बाद समायोजित नहीं किया जाता है।

32.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी को अनेक जोखिमों का खतरा है जो उस परिवेश में अंतर्निहित हैं जिसमें यह प्रचालन करती है। कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है। प्रधान जोखिम जो कंपनी के व्यवसाय मॉडल में अंतर्निहित है तथा वित्तीय लिखतों के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं, में क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम तथा बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम) शामिल हैं।

निम्नलिखित सारणी मोटे तौर पर ऐसे जोखिमों के स्रोतों का वर्णन करती है जिनका कंपनी को खतरा है तथा इसमें जोखिमों के प्रबंधन के तरीके तथा वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रभाव का भी उल्लेख है :

जोखिम	उत्पन्न एक्सपोजर	मापन	जोखिम प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	ऋण, वित्तीय परिसंपत्तियां, निवेश, नकदी एवं नकदी समतुल्य	काल प्रभाव विश्लेषण	विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, क्रेडिट लिमिट तथा सरकारी गारंटी सहित कोलेटरल
चलनिधि जोखिम	ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, सबॉर्डिनेटिड देयताएं तथा अन्य वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों तथा ऋण की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – विदेशी मुद्रा जोखिम	मान्य वित्तीय देयताएं जो भारतीय रुप, (आईएनआर) में वर्णित नहीं हैं	संवेदनशीलता विश्लेषण	मुद्रा जोखिम से रक्षा के लिए डेरिवेटिव संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, सबॉर्डिनेटिड देयताए, तथा परिवर्तनशील दरों पर ऋण	ब्याज दर अंतर विश्लेषण	ब्याज दर की विविध शर्तों के साथ ऋण व्यवस्थाओं का अनुसरण, डेरिवेटिव संविदा जैसे कि ब्याज दर, स्वैप आदि।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी में एक तंत्र स्थापित किया है ताकि सुनिश्चित हो कि इन जोखिमों की ध्यान से मॉनीटरिंग की जाती है और दक्षता के साथ प्रबंधन किया जाता है। जोखिम प्रबंध दृष्टिकोण अर्थात उपर्युक्त में से प्रत्येक जोखिम के मापन एवं प्रबंधन के लिए कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं का वर्णन परवर्ती उपखंडों में किया गया है।

32.2.1 क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम ऐसा जोखिम है जो अपनी संविदात्मक बाध्यताओं पर कोई ऋणकर्ता या प्रतिपक्ष चूक करेगा जिससे कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी के लिए क्रेडिट जोखिम उत्पन्न करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्योरा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
कम क्रेडिट जोखिम			
नकद और नकद समतुल्य	308.48	537.71	42.87
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक अधिशेष	13,846.53	15.49	3,530.29
ऋण (बकाया मूलधन)	2,75,658.63	2,34,050.93	1,91,178.84
निवेश	16,586.20	2,520.04	3,870.38
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5,376.40	5,276.91	5,249.43
साधारण क्रेडिट जोखिम			
ऋण (बकाया मूलधन)	9,467.99	18,098.96	42,125.45
अधिक क्रेडिट जोखिम			
ऋण (बकाया मूलधन)	29,540.31	26,866.80	12,286.29
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10.30	2.51	16.40

कंपनी को प्राथमिक रूप से ऋण देने के अपने प्रचालनों के माध्यम से क्रेडिट जोखिम का खतरा है। नकदी एवं नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि इनको अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों तथा निजी क्षेत्र के उच्च वर्गीकृत बैंकों में रखा जाता है। अपने निवेशों के लिए कंपनी ऐसे समकक्षों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में निवेश करके क्रेडिट जोखिम के अपने खतरे का प्रबंधन करती है जो उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले हैं तथा आवधिक मॉनीटरिंग करते हैं और आवश्यक होने पर अपेक्षित कदम उठाते हैं। कंपनी के ऋण देने के प्रचालनों के माध्यम से कंपनी के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन का विस्तार से वर्णन नीचे किया गया है :

ऋण देने के प्रचालनों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित की हैं जिसमें क्रेडिट नीतियां तैयार करना, क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए कंपनी की मांग का मार्गदर्शन करना, क्रेडिट जोखिम की समीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना तथा निष्पादन एवं पोर्टफोलियो के प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना शामिल है। कंपनी की सभी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में दो प्रमुख क्षेत्र अर्थात परियोजना मूल्यांकन एवं परियोजना मॉनीटरिंग शामिल हैं। कंपनी द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति के अनुसरण में कंपनी ऋणकर्ता का चयन करती है, जो अन्य बातों के साथ ऋणकर्ता/परियोजना के वर्गीकरण के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को परिभाषित करती है। कंपनी की ग्राहक चयन प्रक्रिया परियोजना को प्रमोट करने वाली संस्था की लाभप्रदता सहित परियोजना की लाभप्रदता का मूल्यांकन करती है। ब्याज दर तथा अधिकतम अनुमत एक्सपोजर अन्य बातों के साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक वर्गीकरण पर आधारित है।

(क) परियोजना मूल्यांकन

किसी परियोजना को वित्तपोषित करने से पूर्व क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी सुव्यवस्थित, संस्थानिक परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है।

(i) **निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन**

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दो चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। शुरू में विस्तृत मूल्यांकन के लिए चुनने हेतु परियोजना की प्रथम दृष्टया तत्परता का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनी गई परियोजनाओं के लिए विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है।

परियोजना की लाभप्रदता के मूल्यांकन के साथ कंपनी इक्विटी का योगदान करने तथा परियोजना को पूर्ण करने के लिए उसके प्रमोटर के सामर्थ्य का भी मूल्यांकन करती है। कंपनी उत्पादन परियोजनाओं के लिए एकीकृत वर्गीकरण विधि का अनुसरण करती है जहां परियोजना एवं संस्था वर्गीकरण को वेटेज प्रदान किए जाते हैं।

मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर कंपनी परियोजना के लिए आर्दश ऋण–इक्विटी अनुपात निर्धारित करती है और प्रमोटरों से आनुपातिक इक्विटी का निवेश करने की अपेक्षा करती है। अग्रिम इक्विटी निवेश की उपयुक्त मात्रा क्रेडिट जोखिम के उपयोगी उपशमन के रूप में काम करती है।

(ii) **राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन**

राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को विस्तृत मूल्यांकन के लिए यह निर्धारित करने के लिए चुना जाता है कि क्या यह तकनीकी – आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ तथा राज्य की एकीकृत विद्युत विकास एवं विस्तार योजनाओं से संगत है।

कंपनी प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन को शामिल करते हुए विशिष्ट पैरामीटरों के विरूद्ध यूटिलिटी के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण यूटिलिटी को विभिन्न जोखिम रेटिंग ग्रेड में वर्गीकृत करती है। एकीकृत यूटिलिटी सहित राज्य विद्युत वितरण संस्था के संबंध में कंपनी की वर्गीकरण नीति कंपनी की रेटिंग संरचना के अंतर्गत रेटिंग/ग्रेडिंग के साथ ऐसी रेटिंग/ग्रेडिंग को संरेखित करके विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान करती है।

क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट, प्रतिभूति की आवश्यकताओं तथा राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता को प्रदान किए गए ऋणों के मूल्य के निर्धारण के लिए इन श्रेणियों/वर्गीकरणों का प्रयोग किया जाता है। कंपनी ने एकल ऋणकर्ता के लिए एक्सपोजर तथा राज्य के भीतर एक्सपोजर की मॉनीटरिंग के लिए भी तंत्र स्थापित किया है।

विस्तृत परियोजना मूल्यांकन में विभिन्न पहलुओं जैसे कि परियोजना इनपुट, सांविधिक एवं गैर–सांविधिक स्वीकृतियों, संविदाओं, परियोजना लिंकेज, वित्तीय मॉडल/प्रक्षेपण, प्रतिफलों की गणना, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि को शामिल करते हुए तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन शामिल होता है।

उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण के बाद, परियोजना एवं संस्था की समग्र लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है और पूर्व प्रतिबद्धता, पूर्व संवितरण आदि के रूप में विभिन्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं ताकि निधियों (ऋण एवं इक्विटी दोनों), सभी भौतिक इनपुट, सभी संविदाओं की उपयुक्तता, परियोजना से संबंधित करारों/संविदाओं/सांविधिक एवं गैर सांविधिक स्वीकृतियों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आदि का सुनिश्चय हो सके और सामान्य तौर पर परियोजना की ऋण ग्राह्यता एवं ऋण के समय से चुकौती के लिए ऋणकर्ता के रूप में कंपनी के ब्याज के संरक्षण का सुनिश्चय हो सके।

(ख) प्रतिभूति एवं प्रसंविदाएं

कंपनी परियोजना के निर्माण तथा सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) पश्चात अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के जोखिमों के उपशमन के लिए प्रतिभूति उपायों/प्रसंविदाओं का पैकेज निर्धारित करती है। जोखिम के दायरे को ध्यान में रखते हुए, कंपनी उपायों का कोई संयोजन अपनाती है जैसे कि परियोजना की परिसंपत्तियों पर प्रभार, परियोजना की परिसंपत्तियों पर प्रभार के अतिरिक्त कोलेटरल, एस्क्रो कवर प्राप्त करके या न्यास एवं प्रतिधारण करार (टीआरए) तंत्र, के अंतर्गत ऋण देकर भुगतान सुरक्षा तंत्र, प्रमोटर की निजी एवं कॉर्पोरेट गारंटी आदि।

(ग) संवितरण पश्चात परियोजना मॉनीटरिंग

कंपनी में एक व्यापक परियोजना मॉनीटरिंग तंत्र है जो परियोजना कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करता है और खोज–खबर लेता है तथा जोखिमों की पहचान करता है जहां समय एवं लागत आधिक्य तथा संवितरण में परिणामी गिरावट को न्यूनतम करने के लिए दखल देने की आवश्यकता होती है।

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए प्रगति निगरानी रिपोर्टों, स्थल के दौरों, ऋणकर्ताओं के साथ चर्चा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/रिपोर्टों आदि के माध्यम से समय–समय पर ऋणकर्ताओं से प्राप्त परियोजनाओं के बारे में प्रगति के ब्योरों के आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है।

निजी क्षेत्र के लिए जहां कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था है, कंपनी ऋणदाता के इंजीनियर (एलई) और ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) तैनात करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो विभिन्न ऋणदाताओं तथा कंसोर्टियम के सदस्यों की ओर से काम करती हैं। ऋणदाता का इंजीनियर स्थल का आवधिक दौरा करता है और ऋणकर्त्ता के साथ चर्चा तथा संगत दस्तावेजों के निरीक्षण/समीक्षा के बाद परियोजना की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऋणदाता का वित्तीय सलाहकार आवधिक आधार पर परियोजना में निधियों के उपयोग तथा निधि प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था नहीं है, एलई और एलएफए की सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाओं की समेकित आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें महत्वपूर्ण प्रेक्षण/मुद्दे शामिल होते हैं जैसे कि सरोकार के क्षेत्र, विलंब के कारण, परियोजना को प्रभावित करने वाले मुद्दे, कार्यान्वयन आदि तथा नियमित आधार पर कंपनी द्वारा समीक्षा की जाती है।

कंपनी विलंब और/या साझेदारों की चूक तथा उनकी वसूलनीयता की लगातार मॉनीटरिंग करती है। ऋणकर्ता के लेखा में चूक होने पर कंपनी चूक को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम शुरू करती है जिसमें आरबीआई को विशेष वर्णित लेखा (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपॉजिटरी को रिपोर्टिंग (सीआरआईएलसी), सभी अतिदेय की वसूली द्वारा लेखा को नियमित करना, देयों की वसूली के लिए गारंटियों/प्रतिभूतियों का उपयोग करना, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, ऋण लेखा का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट दिवाला तंत्र जैसे कि ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), एसएआरएफएइएसआई, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) (आइबीसी–2016) आदि के समक्ष कानूनी कार्रवाई के लिए मामलों का संदर्भित करना तथा आरबीआई रूपरेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य कदम शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

(घ) क्रेडिट जोखिम विश्लेषण

(i) क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

तुलन–पत्र में स्वीकृत ऋणों के लिए क्रेडिट जोखिम का सकल एक्सपोजर उनकी वहन राशि के बराबर होता है। ऋणों से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम के संबंध में कंपनी के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 9 'ऋण' देखें।

जारी की गई वित्तीय गारंटी के लिए क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ऐसी अधिकतम राशि है जिसे कंपनी को भुगतान करना होगा यदि गारंटियां आहूत की जाती हैं। अप्रतिसंहार्य ऋण प्रतिबद्धताओं के लिए क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर प्रतिबद्धता की सुविधाओं की पूर्ण राशि है। गारंटी तथा बकाया संवितरण प्रतिबद्धताओं के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 39 देखें।

(ii) क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम

क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम किसी एकल एक्सपोजर या एक्सपोजर के समूह से संबद्ध जोखिम है जिसमें कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है।

निम्नलिखित सारणी जोखिम की समान विशेषताओं के आधार पर समग्र ऋण पोर्टफोलियो के जोखिम संकेंद्रण के विश्लेषण का वर्णन करती है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण						
राज्य क्षेत्र को ऋण (अर्थात राज्य और/या केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन संस्थाएं)	2,61,054.99	255.53	2,27,713.98	1,510.31	2,03,037.90	4,650.32
निजी क्षेत्र को ऋण	53,611.94	15,925.51	51,302.71	15,541.33	42,552.68	10,186.19
कुल	**3,14,666.93**	**16,181.04**	**2,79,016.69**	**17,051.64**	**2,45,590.58**	**14,836.51**

कंपनी यह मानती है कि मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में चूक/हानि की कम घटना तथा कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र को ऋण देने की तुलना में राज्य क्षेत्र को ऋण देने में क्रेडिट जोखिम कम है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकारी हित मौजूद होने से देय राशि की वसूली न होने का जोखिम कम होता है।

क्रेडिट संकेंद्रण के लागू मानदंडों के अनुसरण में विभिन्न परियोजनाओं एवं ऋणकर्ताओं के संबंध में कंपनी के जोखिम की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है।

ऋणों के संकेंद्रण/एक्सपोजर के संबंध में ब्योरा

1. अग्रिमों का संकेन्द्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,88,278.21	1,62,412.85	1,53,506.95
कंपनी के कुल अग्रिमों (बकाया मूलधन) की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का %	59.83%	58.21%	62.51%

2. एक्सपोजर का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को कुल ऋण जोखिम	2,61,087.34	2,37,469.89	2,40,892.19
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर कंपनी के कुल ऋण जोखिम में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को ऋण जोखिम का प्रतिशत	53.87%	53.90%	56.23%

इसके अतिरिक्त, कंपनी का विविधतापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो है जिसमें विविध भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन (नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय), पारेषण एवं वितरण विद्युत परियोजनाओं को ऋण शामिल है।

(ड.) क्षतिग्रस्तता का मूल्यांकन

कंपनी लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) मॉडल का प्रयोग करके क्षति छूट को मान्य करती है। इंड एएस 109 शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर क्षतिग्रस्तता के मापन के लिए 3 चरणीय मॉडल रेखांकित करता है।

–वित्तीय लिखत जो शुरूआती मान्यता पर क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त नहीं है, को 'चरण–I' में वर्गीकृत किया जाता है।

– यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआइसीआर) की पहचान की जाती है, तो वित्तीय लिखत को 'चरण–II' में हस्तांतरित किया जाता है।

– यदि वित्तीय लिखत क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त होता है, तो उसे 'चरण–III' की श्रेणी में हस्तांतरित किया जाता है।

(i) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (चरण–II)

वित्तीय लिखत के शेष काल में होने वाली चूक के जोखिम में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में सारवान रूप से वृद्धि हुई है। शुरूआती मान्यता के बाद चूक के जोखिम में सारवान रूप से वृद्धि होने का निर्धारण करने में कंपनी पैरामीटर के रूप में 30 दिन से अधिक के अतिदेय पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य मापनीय इनपुट पर भी विचार करती है।

(ii) क्षतिग्रस्त क्रेडिट

कंपनी किसी वित्तीय लिखत को चूक के अधीन परिभाषित करती है, जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट की परिभाषा से पूर्णतः संरेखित है, जब ऋण लेखा संविदात्मक भुगतान पर 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय होता है।

(iii) अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) का मापन

12 माह या आजीवन आधार पर ईसीएल का मापन किया जाता है जो इस बात पर निर्भर होता है कि क्या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ईसीएल चूक की लाभप्रदता (पीडी), निश्चित चूक हानि (एलजीडी) और चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) का उत्पाद है। ये पैरामीटर ऐतिहासिक डाटा का प्रयोग करके आंतरिक रूप से विकसित मॉडलों से प्राप्त किए गए हैं तथा वर्तमान डाटा के साथ समायोजित किए जाते हैं।

- ► चूक की लाभप्रदता (पीडी)

  पीडी किसी निश्चित समय सीमा में चूक की संभावना का अनुमान है। इसका अनुमान किसी समय पर लगाया जाता है। 12 माह के पीडी का मूल्यांकन करने के लिए अगले 12 माह में चूक करने की ऋण की संभावना का सुनिश्चय किया जाता है और इसी तरह आजीवन पीडी का मूल्यांकन करने के लिए चूक करने वाले ऋण के शेष काल में उसकी लाभप्रदता का सुनिश्चय किया जाता है।

  चरण–I लेखा के लिए 12 माह के पीडी का प्रयोग किया जाता है।

  चरण–II के क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले लेखा के लिए आजीवन पीडी का प्रयोग किया जाता है। चरण–III के क्षतिग्रस्त क्रेडिट लेखा के लिए 100% पीडी लिया जाता है।

- ► निश्चित चूक हानि (एलजीडी) : यह हानि का कारक है जिसे कंपनी अनुभव कर सकती है यदि चूक होती है।

- ► चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) : यह बकाया एक्सपोजर है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है। ईएडी में ऋण के संबंध में बकाया मूलधन तथा प्रोद्भूत ब्याज शामिल होता है।

  कंपनी ने क्षतिग्रस्त क्रेडिट ऋण (चरण–III) पर ईसीएल के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड की नियुक्ति की है। सभी अन्य ऋणों के लिए, समान जोखिम की विशेषताओं जैसे कि राज्य क्षेत्र को अल्प अवधि के ऋण, राज्य क्षेत्र को अन्य ऋण, निजी क्षेत्र को ताप विद्युत उत्पादन के लिए ऋण, निजी क्षेत्र को सौर विद्युत उत्पादन के लिए ऋण आदि के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों को समूहबद्ध करके सामूहिक आधार पर ईसीएल की गणना की जाती है।

- ► ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं

  – कंपनी आधार तारीख के रूप में शुरूआती मान्यता की तारीख पर विचार करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।

  – चूंकि कंपनी को अपने किसी ऋणकर्ताओं को किसी संस्वीकृत परंतु अनाहरित लिमिट को निरस्त करने का अधिकार है, इसलिए रिपोर्टिंग की तारीख को ईएडी को बकाया शेष के रूप में माना जाता है।

► चरणवार एक्सपोजर तथा क्षतिग्रस्त क्षति छूट का ब्योरा :

(₹ करोड़ में)

विवरण (ऋण प्रतिबद्धताओं सहित)	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
	बकाया मूलधन	संचयी क्षतिग्रस्तता हानि छूट	%	बकाया मूलधन	संचयी क्षतिग्रस्तता हानि छूट	%	बकाया मूलधन	संचयी क्षतिग्रस्तता हानि छूट	%
क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण (चूक की घटना उत्पन्न हुई है) (चरण–III)	29,540.31	15,021.01	50.85%	26,866.80	14,241.22	53.01%	12,286.29	4,892.59	39.82%
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले ऋण (चरण–II)	9,467.99	303.07	3.20%	18,098.96	670.29	3.70%	42,125.45	5,400.06	12.82%
अन्य ऋण (चरण–I)	2,75,658.63	856.96	0.31%	2,34,050.93	2,140.13	0.91%	1,91,178.84	4,543.86	2.38%
कुल	**3,14,666.93**	**16,181.04**		**2,79,016.69**	**17,051.64**		**2,45,590.58**	**14,836.51**	
संवितरण की बकाया प्रतिबद्धताएं (चुकौती आश्वासन पत्र) जो आकस्मिक कर देयताओं का भाग हैं	1,019.06	186.71		1,694.60	195.39		1,640.56	5.61	

► निम्नलिखित सारणियों में वार्षिक अवधि की शुरूआत एवं अंत के बीच ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन तथा समतुल्य ईसीएल छूट का वर्णन किया गया है :

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2017–18	चरण–I		चरण–II		चरण–III		कुल	
	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट
प्रारंभिक शेष	1,91,178.83	4,543.86	42,125.45	5,400.06	12,286.29	4,892.59	2,45,590.58	14,836.51
चरण–I में हस्तांतरित	15,191.23	978.21	(14,469.27)	(691.74)	(721.96)	(286.47)	-	-
चरण–II में हस्तांतरित	(419.29)	(1.47)	419.29	1.47	-	-	-	-
चरण–III में हस्तांतरित	(3,941.50)	(1,022.35)	(10,342.78)	(4,265.26)	14,284.27	5,287.62	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ ईसीएल में परिवर्तन	1,233.30	(2,596.15)	1,991.59	298.36	812.03	4,236.58	4,036.91	1,938.79
उत्पन्न की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	46,428.97	392.59	91.80	1.59	445.91	305.98	46,966.67	700.17
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां (ऋणों की चुकौती)	(15,620.61)	(154.56)	(1,717.12)	(74.19)	(239.74)	(195.08)	(17,577.47)	(423.83)
अंतिम शेष	**2,34,050.93**	**2,140.13**	**18,098.96**	**670.29**	**26,866.80**	**14,241.22**	**2,79,016.69**	**17,051.64**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2018–19	चरण–I		चरण–II		चरण–III		कुल	
	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट
प्रारंभिक शेष	2,34,050.93	2,140.13	18,098.96	670.29	26,866.80	14,241.22	2,79,016.69	17,051.64
चरण–I में हस्तांतरित	9,173.53	915.44	(8,356.63)	(275.40)	(816.90)	(640.04)	-	-
चरण–II में हस्तांतरित	(7,528.26)	(10.84)	7,528.26	10.84	-	-	-	-
चरण–III में हस्तांतरित	-	-	(3,956.35)	(249.17)	3,956.35	249.17	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ ईसीएल में परिवर्तन	9,110.28	(2,194.85)	(991.23)	291.85	(448.08)	1,182.45	7,670.96	(720.55)
उत्पन्न की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	42,541.15	60.61	190.00	0.06	-	-	42,731.16	60.67
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(11,689.00)	(53.53)	(3,045.02)	(145.40)	(17.86)	(11.79)	(14,751.88)	(210.72)
अंतिम शेष	**2,75,658.63**	**856.96**	**9,467.99**	**303.07**	**29,540.31**	**15,021.01**	**3,14,666.93**	**16,181.04**

▶ चरण–III के ऋणों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट का मूवमेंट :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	सकल ऋणों के अनुपात में सकल चरण–III ऋण (%)	9.39%	9.63%
(ii)	निवल ऋणों के अनुपात में सकल चरण–III ऋण (%)	4.85%	4.82%
		वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
(iii)	चरण–III के ऋणों का मूवमेंट (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	26,866.80	12,286.29
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,793.33	15,493.47
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	(1,119.82)	(912.96)
	(घ) अंतिम शेष	29,540.31	26,866.80
(iv)	चरण–III के निवल ऋणों का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	12,625.58	7,393.70
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,851.39	7,571.59
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	(957.67)	(2,339.71)
	(घ) अंतिम शेष	14,519.30	12,625.58
(v)	चरण–III के ऋणों के लिए क्षतिग्रस्तता छूट का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	14,241.22	4,892.59
	(ख) वर्ष के दौरान प्रदान की गई क्षतिग्रस्तता छूट	1,823.55	9,811.42
	(ग) अधिक क्षतिग्रस्तता छूट का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	(1,043.76)	(462.79)
	(घ) अंतिम शेष	15,021.01	14,241.22

▶ चरण III ऋणों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
चरण–III के शीर्ष चार खातों का बकाया मूलधन	13,847.63	13,928.25	8,530.34

32.2.2 चलनिधि जोखिम प्रबंधन

चलनिधि जोखिम ऐसा जोखिम है जहां कंपनी के पास अपनी बाध्यताओं के देय होने पर उनको वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। यह जोखिम नकदी प्रवाह जो सभी वित्तीय प्रचालनों में अतःनिहित होते हैं तथा कंपनी विशिष्ट एवं बाजारव्यापी घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, के समय में असंतुलन से उत्पन्न होता है।

चलनिधि जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा पर किसी आंच के बगैर या अस्वीकार्य क्षति वहन किए बगैर देयताओं के परिपक्व होने पर उनको कवर करने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह अनुरक्षित करने के लिए कंपनी प्रयास करती है और वित्तपोषण के विभिन्न लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाकर विविध निधि आधार अनुरक्षित करने का भी प्रयास करती है। निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर कंपनी की चलनिधि की पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है :

- चलनिधि की वर्तमान स्थिति;
- वित्तपोषण की अनुमानित भावी आवश्यकताएं;
- अर्जन की वर्तमान एवं भावी क्षमता; और
- निधियों के उपलब्ध स्रोत।

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी दैनिक चलनिधि का प्रबंधन करती है कि देय होने पर वित्तीय बाध्यताओं को वहन करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त चलनिधि हो। दीर्घावधि की चलनिधि का प्रबंधन दीर्घावधि में निधि की स्थिति तथा बाजार के कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार है और उल्लंघन, यदि कोई हो, के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करना होता है। कंपनी ने अपने ऋणों को चुकता करने में कभी चूक नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, चलनिधि की समग्र मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में कंपनी में एक परिसंपत्ति चलनिधि समिति (एएलसीओ) है। एएलसीओ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता या नकदी प्रवाह में असंतुलन का विश्लेषण करके चलनिधि जोखिम की जांच पड़ताल करता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित चलनिधि विवरण के रूप में असंतुलन का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें संचयी सरप्लस या निधियों की कमी का ब्योरा परिपक्वता सीढ़ी के अनुसरण में बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के विरुद्ध

नकदी प्रवाहों का वितरण करके तैयार किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी गैर–बट्टा आधार पर संविदात्मक मूलधन की शेष परिपक्वता के अनुसार वित्तीय देयताओं की मदों के परिपक्वता पैटर्न का विश्लेषण करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार								
रुपया ऋण	21,785.18	4,915.00	7,495.20	10,292.05	19,088.10	76,608.05	32,730.60	87,160.38
विदेशी मुद्रा ऋण	696.50	-	2,080.35	-	3,468.40	4,971.67	9,235.95	8,373.99
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार								
रुपया ऋण	1,275.80	2,805.00	7,345.70	12,457.70	13,056.65	69,867.71	37,178.05	67,628.47
विदेशी मुद्रा ऋण	4.67	-	5.93	-	2,348.39	5,174.02	8,024.53	2,702.55
01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार								
रुपया ऋण	5,890.79	3,820.00	1,036.40	7,101.00	9,131.58	58,350.85	48,153.21	60,930.73
विदेशी मुद्रा ऋण	4.64	-	5.08	1,167.30	9.73	1,660.15	4,645.72	951.26

डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
फॉरवर्ड			
1 वर्ष तक	86.75	0.04	-
1 से 5 वर्ष	148.70	198.04	68.41
उप जोड़ (क)	**235.45**	**198.08**	**68.41**
आप्शन/स्वैप			
1 वर्ष तक	1.89	-	-
1 से 5 वर्ष	268.25	40.98	-
5 वर्ष से अधिक	-	1.62	-
उप जोड़ (ख)	**270.14**	**42.60**	**-**
कुल (क + ख)	**505.59**	**240.68**	**68.41**

उपर्युक्त सारणी समकक्ष पक्षों से प्राप्त एमटीएम के आधार पर कंपनी की डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के चलनिधि विश्लेषण का ब्योरा प्रदान करती है। परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत के शेष टेनर के अनुसार है।

चलनिधि की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी बैंकों से नकदी क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट तथा कार्यकारी पूंजी मांग ऋण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की घरेलू क्रेडिट रेटिंग सर्वोच्च अर्थात एएए है जिससे अल्प अवधि के अंदर घरेलू बाजार से निधियां जुटाना संभव होता है।

कंपनी को निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल सीमा	6,950.00	13,200.00	11,060.00

32.2.3 बाजार जोखिम प्रबंधन

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है जहां विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण व्यावहारिक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में वर्णित वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों पर कंपनी को विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है। कंपनी के विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों की वहन राशि निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में
यूएसडी ऋण*	**361.20**	**24,978.60**	**237.21**	**15,460.16**	**89.48**	**5,803.01**
- हेज़्ड	240.00	16,597.21	143.00	9,320.02	28.00	1,815.79
- अनहेज़्ड	121.20	8,381.39	94.21	6,140.14	61.48	3,987.22
यूरो ऋण	**1.27**	**98.30**	**1.41**	**114.12**	**1.56**	**108.02**
- हेज़्ड	-	-	-	-	-	-
- अनहेज़्ड	1.27	98.30	1.41	114.12	1.56	108.02
जेपीवाई ऋण#	**6,007.88**	**3,749.97**	**4,366.80**	**2,685.80**	**4,366.80**	**2,532.85**
- हेज़्ड	967.03	603.60	-	-	-	-
- अनहेज़्ड	5,040.85	3,146.37	4,366.80	2,685.80	4,366.80	2,532.85
कुल		**28,826.87**		**18,260.08**		**8,443.88**

*सितंबर, 2023 में परिपक्व होने वाली तथा 4.12% की औसत दर पर मूलधन केवल स्वैप (पीओएस) के माध्यम से रक्षित 25 करोड़ यूएसडी (₹ 1728.88 करोड़) की राशि को वित्तीय वर्ष 2018–19 में नकदी प्रवाह हेज़ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (पिछले वर्ष शून्य)। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पीओएस का उचित मूल्य ₹ 100.01 करोड़ है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 से इंड एएस 109 के अनुसार हेज़ लेखांकन का प्रयोग करना शुरू किया है।

इसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 587.82 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 293.29 करोड़ और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 291.83 करोड़) के लिए यूएसडी/आईएनआर एक्सपोजर को शामिल करते हुए फॉरवर्ड के माध्यम से आंशिक रूप से हेज़्ड जेपीवाई ऋण शामिल है।

वर्ष के अंत में प्रचलित एफईडीएआई के स्पॉट रेट पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विनिमय दर	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
यूएसडी/रुपया	69.1550	65.1750	64.8500
यूरो/रुपया	77.6725	80.8075	69.2925
जापानी येन/रुपया	0.624175	0.615050	0.580025

विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन

कंपनी ने विदेशी मुद्रा के ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन एवं बचाव करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंध (सीआरएम) नीति लागू की है जो संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए संरचना एवं संगठन निर्धारित करती है।

कंपनी विनिमय दर के जोखिम से संरक्षण के लिए विभिन्न डेरिवेटिव लेन–देन अर्थात मूलधन केवल स्वैप, ऑप्शन और फॉरवर्ड संविदाएं करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं मॉनीटरिंग के लिए प्रणाली लागू की गई है जिसमें कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों से बनी जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) विदेशी मुद्रा विनिमय दर की मॉनीटरिंग करती है। ये डेरिवेटिव लेन–देन बचाव के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए। नीति प्रबंधन को सूचित करने के लिए मुद्रा जोखिम की पहचान करने, मापने एवं मॉनीटरिंग करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां एवं नियंत्रण विहित करती है। मुद्रा जोखिम प्रबंधन के अंग के रूप में हेजिंग अनुपात, अनहेज़्ड एक्सपोजर, बाजार में अंक की स्थिति, बैंकों के साथ एक्सपोजर सीमा आदि जैसे पैरामीटरों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है।

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी विदेशी मुद्रा के बकाया ऋणों पर आइएनआर के विरूद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5% परिवर्तन के लिए कुल इक्विटी पर प्रभाव (+ अभिलाभ/(–) हानि) दर्शाती है :

(₹ करोड़ में)

विदेशी मुद्रा देयताएं	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण					
यूएसडी	1,248.93	(1,248.93)	773.01	(773.01)	290.15	(290.15)
यूरो	4.92	(4.92)	5.71	(5.71)	5.40	(5.40)
जेपीवाई	187.50	(187.50)	134.29	(134.29)	126.64	(126.64)

डेरिवेटिव लिखत द्वारा विदेशी मुद्रा के ऋणों को प्रदान किए गए संरक्षण की सीमा तक विनिमय दर में अंतर के प्रभाव को उसके कार्यकाल में डेरिवेटिव के समतुल्य के प्रभाव द्वारा प्रतितुलित (ऑफसेट) किया जाएगा।

(ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जहां ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दरों में परिवर्तन की दिशा तथा परिसंपत्तियों या देयताओं के तेजी से पुनः मूल्य निर्धारण के आधार पर प्रभाव लाभप्रद या प्रतिकूल हो सकता है।

प्रतिफल को अभीष्ठ करते हुए बाजार जोखिम एक्सपोजर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) अंतराल विश्लेषण के माध्यम से अर्थात दर संवेदी परिसंपत्तियों तथा दर संवेदी देयताओं के बीच असंतुलन का विश्लेषण करके ब्याज दर जोखिम की जांच–पड़ताल करती है। अंतराल विश्लेषण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं के बीच अंतर मापा जाता है जो परिपक्वता की तारीख या पुनः मूल्य निर्धारण की तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर वितरित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कंपनी बाजार में प्रचलित स्थितियों, ऋण की लागत, लब्धि, विस्तार, प्रतियोगी दर आदि के आधार पर आवधिक आधार पर अपने ब्याज दरों की समीक्षा करती है। कंपनी द्वारा अपनी ब्याज दर एवं क्रेडिट नीतियों के माध्यम से परिसंपत्ति मिश्रण का प्रबंधन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ रीसेट की अवधियां, पुनर्भुगतान की अवधियां आदि शामिल होती हैं। लागत, बाजार की मांग, टाइमिंग, बाजार परिदृश्य, एएलएम अंतराल स्थिति आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर देयताओं का प्रबंधन किया जाता है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम पर अर्जन (ईएआर) ब्याज जोखिम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण फोकल बिंदु है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए ब्याज दरों के मूवमेंट के प्रभाव को अंतराल विवरण से प्राप्त जोखिम पर अर्जन पर मापा गया है। स्थिर तुलन–पत्र मानते हुए एक वर्ष की अवधि में ब्याज दरों में 25 बेसिस वृद्धि / कमी को ध्यान में रखकर प्रभाव तैयार किया गया है। विश्लेषण दर्शाता है कि यदि दरों में 25 बीपीएस की वृद्धि / कमी होती है, तो ईएआर पर प्रभाव (+ / –) ₹ 70 करोड़ होगा।

टिप्पणी : 25 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या कटौती ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के बारे में प्रबंधन के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है।

यह विश्लेषण मानता है कि दर संवेदी परिसंपत्ति और दर संवेदी देयताओं का एक समय ही पुनः मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं की शीघ्रातिशीघ्र / प्रथम पुनः मूल्य निर्धारण तारीख पर विचार करता है।

32.3 हेज़ लेखांकन

एफवीटीपीएल पर डेरिवेटिव का मापन किया जाता है, जब तक कि हेज़ लेखांकन संबंध के अंतर्गत निर्दिष्ट न हो। कंपनी ने नकदी प्रवाह हेज़ के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव संविदाएं (मूलधन केवल स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप) निर्दिष्ट की हैं।

हेज़ प्रभावकारिता

महत्वपूर्ण शर्त मिलान विधि (जहां हेजिंग लिखत एवं हेज़्ड मद की प्रधान शर्तें समान होती हैं) द्वारा कंपनी सुनिश्चित करती है कि हेज़ अत्यधिक प्रभावी हों, अर्थात हेज़ अनुपात लगभग 100% हो तथा रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को इसका पुनः मूल्यांकन किया जाता है।

नकदी प्रवाह हेज़ रिजर्व का मिलान (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण*	वित्तीय वर्ष 2018–19	
		पीओएस	आईआरएस
1	शुरूआत में नकदी प्रवाह हेज़ रिजर्व	-	-
2	ओसीआई में स्वीकृत हेज़ अभिलाभ / हानियां	(98.97)	(64.73)
3	पी एंड एल में मान्य हेज़ कारगरता	-	-
4	ओसीआई से पी एंड एल में पुनः वर्गीकृत राशि#	(86.63)	0.02
5	अंत में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व	(12.33)	(64.75)

*कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 से इंड एएस 109 के अनुसार हेज़ लेखांकन का प्रयोग करना शुरू किया है।

#निवल परिवर्तन / लेन–देन विनिमय अभिलाभ / हानि' नामक लाइन मद में प्रतिबिंबित

32.4 उचित मूल्य का मापन

कंपनी की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को रिपोर्टिंग की प्रत्येक अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित सारणी सूचना प्रदान करती है कि कैसे इन वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक एवं इनपुट)।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति / वित्तीय देयता	उचित मूल्य पर			उचित मूल्य का अनुक्रम	मूल्यांकन की तकनीक (तकनीकें) और प्रमुख इनपुट
		31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को		
1	सूचीबद्ध इक्विटी लिखत	1,023.23	1,230.92	1,370.11	लेवल 1	उद्धृत बाजार मूल्य
2	ऋणकर्ता कंपनियों के असूचीबद्ध इक्विटी लिखत	0.00	0.00	193.05#	लेवल 3	कंपनी ऋणकर्ता कंपनियों द्वारा देय राशि के गैर–भुगतान पर गिरवी (प्लेज) का आह्वान करके इन लिखतों का अधिग्रहण करती है। इस समय, ये ऋणकर्ता क्रेडिट क्षतिग्रस्त हैं। इन लिखतों के विरूद्ध किसी राशि की वसूली की किसी संभावना के अभाव में इनका कंपनी द्वारा एक रुपए पर मूल्यांकन किया गया है। #1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार एक ऋणकर्ता को चरण–I के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया तथा मूल्यांकक से इक्विटी लिखत का उचित मूल्यांकन प्राप्त किया गया।
3	केएसके के स्मॉल इज ब्यूटीफुल फंड की यूनिटें	6.18	6.26	6.30	लेवल 2	एसआईबी फंड द्वारा निर्दिष्ट निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी)
4	आंध्रा बैंक / देना बैंक के बॉण्डों में निवेश	809.84	809.84	1,827.90	लेवल 3	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में देना बैंक और आंध्रा बैंक के टियर–1 बॉण्डों में निवेश किया। ये बॉण्ड एनएसई में सूचीबद्ध हैं। तथापि, इन बॉण्डों में किसी ट्रेडिंग के अभाव में लेवल–1 के अनुसार उचित मूल्य का सुनिश्चय नहीं किया जा सकता है। छोटे किस्म के बॉण्डों के लिए बाजार ब्याज दर के अभाव में कंपनी ने वर्तमान बाजार दर के रूप में कूपन दर पर विचार किया है और तदनुसार बट्टा नकदी प्रवाह विधि का प्रयोग करके उचित मूल्य की गणना की गई है। डिस्काउंट रेट में किसी वृद्धि से उचित मूल्य में कटौती होगी और विलोमतः।
5	डेरिवेटिव परिसंपत्ति	567.98	229.09	299.87	लेवल 2	इन संविदाओं का उचित मूल्य समकक्ष पक्षों से प्राप्त किया जाता है, जो मूल्यांकन विधि का प्रयोग करके इसका निर्धारण करते हैं जिसमें ऐसे इनपुट का प्रयोग किया जाता है जो संविदाओं के लिए पालनीय होते हैं, जैसे कि ब्याज दर एवं लब्धि कर्व, अस्पष्ट अस्थिरताएं आदि।
	डेरिवेटिव देयता	505.59	240.68	68.41		

32.4.1 इस अवधि में लेवल–1 और लेवल–2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ।

32.4.2 लेवल–3 के इनपुट के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य वाले वित्तीय लिखतों का मिलान :

निम्नलिखित सारणियां उचित मूल्य पर मापी गई लेवल–3 की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रारंभिक एवं अंतिम राशियों का मिलान दर्शाती हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणकर्ता कंपनियों के असूचीबद्ध इक्विटी निवेश	आंध्रा बैंक / देना बैंक के बॉण्डों में निवेश
वित्तीय वर्ष 2017–18		
प्रारंभिक शेष	**193.05**	**1,827.90**
निवल ब्याज आय	-	196.85
देना बैंक का निपटान	-	(1,214.91)
ओसीआई में मान्य निवल हानि	(193.05)	
अंतिम शेष	**0.00**	**809.84**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ	-	9.84
बजट अनुमान 2018–19		
प्रारंभिक शेष	**0.00**	**809.84**
निवल ब्याज आय	-	87.60
निपटान	-	(87.60)
अंतिम शेष	**0.00**	**809.84**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ	-	9.84

32.4.3 परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य :

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य बट्टा नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसरण में निर्धारित किया गया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिस्काउंट रेट है जो ऐसे मामलों को छोड़कर जहां उद्धृत बाजार मूल्य उपलब्ध हैं, समकक्ष पक्षों के क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है।

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति/देयता	उचित मूल्य का अनुक्रम	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
ऋण	3	3,03,515	3,03,718	2,66,011	2,68,028	2,35,088	2,40,353
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2	5,387	5,393	5,279	5,283	5,266	5,268
ऋण प्रतिभूतियां*	1 / 2	2,05,584	2,01,965	2,06,812	2,06,507	1,94,444	1,96,258
अन्य ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न ऋण	2	67,607	68,113	26,080	26,210	9,191	9,271
सबॉर्डिनेटिड देयताएं	2	9,310	9,407	3,893	4,015	3,893	4,088

*लेवल–1 के उचित मूल्य अनुक्रम के साथ सूचीबद्ध लिखत शामिल हैं।

लिबोर से संबद्ध विदेशी मुद्रा ऋण तथा बहुपक्षीय एजेंसी ऋण का मूल्यांकन सममूल्य पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण में एमटीएन निर्गम शामिल होता है जिनका मूल्यांकन राइटर के अनुसार अंत मूल्य पर किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के समीप पहुंचने के लिए उनकी वहन राशि पर विचार किया जाता है।

33 संबंधित पक्षकारों के प्रकटन

33.1 संबंधित पक्षकारों का नाम तथा संबंध का विवरण

सहायक कंपनियां:			
1	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएसफसीसीएल)	2	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (पीईसीएपी) (टिप्पणी 10.6 देखें)
3	आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) (टिप्पणी 10.2 देखें)	4	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
5	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)		
संयुक्त उद्यम :			
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	2	क्रीघटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
3	ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	4	एडीना एक्विजीशन लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
5	एनेको एनर्जी सर्विसेज (साउथ) लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	6	एडीना लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
7	इपीएएल होल्डिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	8	एडीना आस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
9	एडीना पावर सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	10	स्टेनबेक लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
11	एडीना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	12	एडीना पावर लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
13	अरमौरा होल्डिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	14	एडीना मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
सहयोगी :			
1	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	2	सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
3	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	4	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
5	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	6	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	8	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
9	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
11	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	12	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
13	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड
15	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	16	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
17	(पीएफसीसीएल के माध्यम से) (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)	18	साउथ–सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से) (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)

19	मोहिंदरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से) (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)	20	बीकानेर–खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (22 फरवरी, 2019 को निगमित) (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
21	शोंगटोंग करचम–वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)	22	भुज–II ट्रांसमिशन लिमिटेड (25 फरवरी, 2019 को निगमित) (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
23	बिजावर–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)	24	फतेहगढ़–II ट्रांस्को लिमिटेड (26 फरवरी, 2019 को निगमित) (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
25	वापी–II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)	26	लाकड़िया–वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (15 मार्च, 2019 को निगमित) (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
27	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	28	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
29	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	30	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
31	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	32	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
33	भिंड–गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (18 सितंबर, 2018 को निगमित) (आरईसीएल के माध्यम से)	34	जवाहरपुर – फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
35	जम खम्बालिया ट्रांस्को लिमिटेड (11 मार्च, 2019 को निगमित) (आरईसीएल के माध्यम से)	36	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड (29 नवंबर, 2018 को निगमित) (आरईसीएल के माध्यम से)
37	अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड (19 मार्च, 2019 को निगमित) (आरईसीएल के माध्यम से)	38	खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड (12 मार्च, 2019 को निगमित) (आरईसीएल के माध्यम से)
39	डब्ल्यूआरएसएस XXI(I) ट्रांस्को लिमिटेड (26 मार्च, 2019 को निगमित) (आरईसीएल के माध्यम से)	40	लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड (19 मार्च, 2019 को निगमित) (आरईसीएल के माध्यम से)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):		पदनाम
1	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री एन बी गुप्ता	निदेशक (वित्त)
3	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30 अप्रैल, 2019 को अधिवर्षिता प्राप्त की थी)	निदेशक (परियोजना)
4	श्री डी रवि (31 मई, 2018 तक)	निदेशक (वाणिज्यिक)
5	श्री पी के सिंह (10 अगस्त, 2018 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)
6	श्री अरुण कुमार वर्मा	सरकारी नामिती निदेशक
7	श्री सीताराम पारीक	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
8	श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
9	श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

कंपनी के नियंत्रण के अधीन ट्रस्ट/फंड			
1	पीएफसी कार्मिक भविष्य निधि ट्रस्ट	2	पीएफसी कार्मिक ग्रेच्युटी ट्रस्ट
3	पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007	4	पीएफसी लिमिटेड सुपरएन्युवेशन मेडिकल फंड

33.2 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान
सहायक कंपनियां		
सहायक कंपनियों को अग्रिम (ब्याज सहित)	-	-
सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम (ब्याज सहित)	5.50	5.44
सहायक कंपनियों (पीएफसीसीएल) से प्राप्त लाभांश	106.65	67.93
कार्मिक लाभों का आवंटन	1.11	0.86
संयुक्त उद्यम		
ईईएसएल में इक्विटी निवेश	99.00	-
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	4.01	12.92
अन्य	0.24	4.24

सहयोगी कंपनी		
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम	3.71	42.21
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम पर ब्याज आय	26.68	17.87
सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम	30.62	7.12
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम पर ब्याज व्यय	6.14	5.93
कंपनी के नियंत्रण के अधीन ट्रस्ट/फंड		
वर्ष के दौरान किए गए अंशदान	8.03	5.26
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
अल्पावधि कार्मिक हितलाभ	5.30	2.64
नियोजन पश्चात हितलाभ	0.46	0.32
अन्य दीर्घावधि हितलाभ	0.24	0.61
ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान/वसूली	0.18	0.26
निदेशक बैठक शुल्क	0.12	0.06

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
ऋणों एवं अग्रिमों के लिए वसूली योग्य राशि (ब्याज सहित)			
सहयोगी कंपनियां	196.22	169.95	115.04
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.52	0.52	0.50
संयुक्त उद्यम	0.23	-	-
ऋणों एवं अग्रिमों के लिए देय राशि (ब्याज सहित)			
सहायक कंपनियां	0.99	6.50	1.07
सहयोगी कंपनियां	188.12	157.19	160.73
अन्य देय राशि			
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.13	0.13	0.14

33.4 समान सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाओं (सरकार से संबंधित संस्थाओं) के संबंध में प्रकटन

कंपनी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है। समान सरकार के नियंत्रण/संयुक्त नियंत्रण के अधीन संबंधित पक्षकारों के साथ महत्वपूर्ण लेन–देन इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	लेन–देन का स्वरूप	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान
कोल इंडिया लिमिटेड	प्राप्त लाभांश	18.29	23.04
एनएचपीसी लिमिटेड		24.65	31.79
दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	ऋणों का संवितरण	4,427.79	7,731.23
भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड			
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन			
नेयवेली यूपी पावर लिमिटेड			
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड			
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड			
रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड			
कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड			

कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋणों पर ₹ 4,282.35 करोड़ का ब्याज (पिछले वर्ष ₹ 4,063.25 करोड़) तथा मूलधन का पुनर्भुगतान भी प्राप्त किया है।

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपर्युक्त लेन–देन में ऐसे लेन–देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेन–देन जैसे कि टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा तथा डिपॉजिट आदि भी किया है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इनका प्रकटन नहीं किया गया है। सभी लेन–देन को बाजार की शर्तों पर अग्रेनीत किया जाता है।

33.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन की निबंधन एवं शर्तें

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन ऐसी शर्तों से समतुल्य शर्तों पर किया जाता है जो निकटस्थ लेन–देन में प्रचलित होती हैं।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा स्टाफ ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

(iii) प्रारंभिक व्यय को वहन करने के लिए कंपनी अपनी सहयोगी कंपनियों को अग्रिम देती है जिनको एसपीवी के रूप में निगमित किया गया है। कंपनी की नीति के अनुसार सावधि ऋणों पर लागू दर से ऐसे अग्रिमों पर ब्याज दर लगाई जाती है।

(iv) वर्ष के अंत में सहायक एवं सहयोगी कंपनियों के बकाया शेष अप्रतिभूत हैं।

34 कार्मिक हितलाभ

34.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं :

(क) पेंशन

कंपनी 1 जनवरी, 2018 से कार्मिकों के लिए अपनी पेंशन बाध्यता के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में अंशदान करती है। पहले, कंपनी की एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना थी जिसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता था।

(ख) भविष्य निधि

कंपनी एक अलग न्यास को निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिए नियत अंशदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम दर का सुनिश्चय करना है। तथापि, प्रतिफल की निर्धारित दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी घाटे को कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए कोई अग्रेतर प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

वर्ष के लिए ₹ 10.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.26 करोड़) की राशि को परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान के लिए लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया गया है।

34.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं :

(क) उपदान

कंपनी की एक स्पष्ट उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट करता है। यथा संशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कार्मिक जिसने 5 वर्ष या अधिक अवधि तक लगातार सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, दिव्यांगता या मृत्यु पर अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ के अधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन पर उपदान के लिए हकदार है। इसके लिए देयता को बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	26.50	25.57	22.96
योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	25.75	24.07	21.74
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	0.75	1.50	1.22

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता		योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
प्रारंभिक शेष	**25.57**	**22.96**	**24.07**	**21.74**	**1.50**	**1.22**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.82	1.62	-	-	1.82	1.62
पिछली सेवा लागत	-	10.87	-	-	-	10.87
ब्याजगत लागत/आय	2.03	1.74	1.89	1.93	0.14	(0.19)
लाभ या हानि में मान्य कुल राशि	**3.85**	**14.23**	**1.89**	**1.93**	**1.96**	**12.30**
ओसीआई में शामिल						
पुनः मापन हानि/(अभिलाभ)						
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	0.06	(0.76)	-	-	0.06	(0.76)
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	0.19	(9.27)	-	-	0.19	(9.27)
जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	(1.26)	(0.77)	-	-	(1.26)	(0.77)
ब्याजगत आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	0.20	-	(0.20)	-
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**(1.01)**	**(10.80)**	**0.20**	**-**	**(1.21)**	**(10.80)**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	1.50	1.22	(1.50)	(1.22)
संदत्त हितलाभ	(1.91)	(0.82)	(1.91)	(0.82)	-	-
अंतिम शेष	**26.50**	**25.57**	**25.75**	**24.07**	**0.75**	**1.50**

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कार्मिकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंपनी की एक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) है। पीआरएमएस के लिए देयता को बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

इस योजना का प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट को सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त कॉरपस सुनिश्चित करना होता है। तथापि, कंपनी द्वारा किसी कमी की क्षतिपूर्ति की जानी होती है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए किसी अग्रेतर प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित हितलाभ बाध्यता	35.14	27.81	21.82
योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	28.51	22.20	18.15
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	6.63	5.61	3.67

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता		योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
प्रारंभिक शेष	**27.81**	**21.82**	**22.20**	**18.15**	**5.61**	**3.67**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.34	1.02	-	-	1.34	1.02
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याजगत लागत/आय	2.19	1.64	1.75	1.45	0.44	0.19
लाभ या हानि में मान्य कुल राशि	**3.53**	**2.66**	**1.75**	**1.45**	**1.78**	**1.21**
ओसीआई में शामिल						
पुनः मापन हानि/(अभिलाभ)						
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	0.47	(0.44)	-	-	0.47	(0.44)
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	4.39	6.46	-	-	4.39	6.46
जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	0.44	(0.33)	-	-	0.44	(0.33)
ब्याजगत आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	0.09	0.24	(0.09)	(0.24)
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**5.30**	**5.69**	**0.09**	**0.24**	**5.21**	**5.45**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	0.04	0.03	(0.04)	(0.03)
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	6.53	4.04	(6.53)	(4.04)
संदत्त हितलाभ	(1.50)	(2.36)	(2.10)	(1.71)	0.60	(0.65)
अंतिम शेष	**35.14**	**27.81**	**28.51**	**22.20**	**6.63**	**5.61**

(ग) आर्थिक पुनर्वास योजना

किसी कार्मिक की स्थायी दिव्यांगता/मृत्यु के मामले में मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए कंपनी की एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना गैर–वित्तपोषित है तथा बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर देयता का निर्धारण किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित हितलाभ बाध्यता में मूवमेंट	1.69	1.67	1.63

परिभाषित हितलाभ बाध्यता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित हितलाभ बाध्यता	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए परिभाषित हितलाभ बाध्यता
प्रारंभिक शेष	**1.67**	**1.63**
लाभ या हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.34	0.37
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याजगत लागत/आय	0.14	0.13
लाभ या हानि में मान्य कुल राशि	**0.48**	**0.50**
ओसीआई में शामिल		
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	-	(0.02)
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(0.38)	(0.31)
जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	(0.05)
ब्याजगत आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**(0.38)**	**(0.38)**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	-	-
संदत्त हितलाभ	(0.08)	(0.08)
अंतिम शेष	**1.69**	**1.67**

(घ) **जोखिम एक्सपोजर**

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी को अनेक जोखिमों का खतरा है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

i. **परिसंपत्ति की अस्थिरता**

अधिकांश योजनागत परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च ग्रेड की अन्य नियत आय प्रतिभूतियों तथा म्युचुअल फंड में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तन तथा अन्य बाजार एवं स्थूल आर्थिक कारकों के कारण अस्थिरता के अधीन है।

ii. **डिस्काउंट रेट में परिवर्तन**

डिस्काउंट रेट का प्रयोग करके परिभाषित हितलाभ की योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार लब्धियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। डिस्काउंट रेट में कटौती से योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि होगी, हालांकि यह योजनागत निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से प्रतितुलित (ऑफसेट) होगा।

iii. **दीर्घायुता जोखिम**

योजना के प्रतिभागियों के नियोजन के दौरान तथा उनके नियोजन के पश्चात भी मृत्यु के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। योजना के प्रतिभागियों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

iv. **वेतन जोखिम**

योजना के प्रतिभागियों के भावी वेतन के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजना की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। इस प्रकार, योजना के प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(ड.) **योजना की परिसंपत्तियां**

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का मूल्य इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
नकदी और नकदी समतुल्य	0.41	0.60	0.16
राज्य/केंद्र सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	28.67	24.22	20.93
कॉर्पोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	22.61	19.12	16.68
अन्य	1.40	1.31	1.28
कुल	**53.09**	**45.25**	**39.05**

– 31 मार्च, 2019 को ₹0.60 करोड़ (31 मार्च, 2018 को ₹ 0.60 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 को ₹ 0.60 करोड़) की राशि योजनागत परिसंपत्तियों के मूल्य में शामिल की गई है (कंपनी के अपने वित्तीय लिखतों (कॉर्पोरेट बॉण्ड) के संबंध में)।

– ₹ 3.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.57 करोड़)।

(च) बीमांकन की महत्वपूर्ण पूर्वधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों के सर्वाधिक अद्यतन बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य ट्रांस मूल्य परामर्शदाताओं द्वारा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तैयार किया गया। प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य तथा संबंधित मौजूदा सेवाओं तथा पिछली सेवाओं की लागत मापी गई। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रधान पूर्वधारणाएं इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
डिस्काउंट दर	7.81%	7.87%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम के अनुसार (2012–14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2006–08) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2006–08) अंतिम

(छ) संवेदनशीलता विश्लेषण

अन्य पूर्वधारणाएं को स्थिर रखते हुए संगत बीमांकिक पूर्वधारणाएं में से एक में रिपोर्टिंग तारीख को तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तनों से परिभाषित हितलाभ बाध्यता नीचे दर्शायी गई राशि के अनुसार प्रभावित होगी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास
डिस्काउंट दर (0.50% मूवमेंट)						
- उपदान	(0.99)	1.05	(0.92)	0.98	(0.82)	0.92
- पीआरएमएस	(2.67)	3.00	(2.11)	2.38	(1.66)	1.86
- ईआरएस	(0.06)	0.07	(0.06)	0.07	(0.06)	0.07
वेतन वृद्धि दर (0.50% मूवमेंट)						
- उपदान	0.25	(0.20)	0.21	(0.15)	0.16	(0.14)
- पीआरएमएस	2.87	(2.64)	2.27	(2.09)	1.78	(1.64)
- ईआरएस	0.06	(0.05)	0.06	(0.05)	0.06	(0.05)

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ बाध्यता में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि इस बात की संभावना नहीं है कि पूर्वधारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग रहकर होंगे क्योंकि कुछ पूर्वधारणाएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रियता से मॉनीटरिंग करती है कि कैसे निवेशों की अवधि तथा अपेक्षित लब्धि कार्मिक हितलाभ बाध्यताओं से उत्पन्न अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाहों से मैच कर रही है। निवेशों में इतनी विविधता है कि किसी एकल निवेश में विफलता से परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर सारवान प्रभाव नहीं होगा। अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा पिछली अवधियों में प्रयुक्त प्रक्रिया से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(क) भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

	1 वर्ष तक	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार				
उपदान	1.45	9.96	48.01	59.42
पीआरएमएस	1.48	10.16	41.39	53.03
ईआरएस	0.19	0.82	2.59	3.60
कुल	**3.12**	**20.94**	**91.99**	**116.05**
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार				
उपदान	1.18	10.67	44.63	56.48
पीआरएमएस	1.23	8.45	34.40	44.08
ईआरएस	0.18	0.78	2.47	3.43
कुल	**2.59**	**19.90**	**81.50**	**103.99**

1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार				
उपदान	1.39	6.14	24.43	31.96
पीआरएमएस	0.94	6.46	26.30	33.70
ईआरएस	0.13	0.59	1.86	2.58
कुल	**2.46**	**13.19**	**52.59**	**68.24**

उपर्युक्त सारणी अपेक्षित नकदी प्रवाहों के आधार पर तैयार की गई है।

(क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ योजनाओं में अपेक्षित अंशदान ₹ 10.94 करोड़ है।

(ख) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना बाध्यता की भारित औसत अवधि 16.98 वर्ष (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 18.36 वर्ष, 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार 19.01 वर्ष) है।

34.3 अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

(क) छुट्टी

कंपनी कार्मिकों के खाते में अर्जित छुट्टी हितलाभ तथा अर्ध–वेतन छुट्टी हितलाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः 15 दिन और 10 दिन की दर से छमाही आधार पर प्रोद्भूत होती है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टी संचित की जा सकती है। अर्ध–वेतन छुट्टी के संचय की कोई सीमा नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद अलग होने पर या अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी तथा अर्ध–वेतन छुट्टी का एक साथ अधिकतम 300 दिनों के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। तथापि, सेवा से अलग होने पर अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्ष के लिए ₹ 10.14 करोड़ के बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित प्रावधान (पिछले वर्ष ₹ 9.56 करोड़) वर्ष के अंत में किया गया है तथा लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में डेबिट किया गया है।

(ख) अन्य कार्मिक हितलाभ

वर्ष के लिए ₹ 2.07 करोड़ के व्यवस्थापन भत्ता एवं दीर्घ सेवा के लिए प्रावधान (पिछले वर्ष ₹ 0.87 करोड़) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है तथा लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में डेबिट किया गया है।

34.4 प्रतिनियुक्ति/सेकंडमेंट आधार पर कंपनी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में काम करने वाले कार्मिकों के संबंध में कार्मिक हितलाभों (अर्थात उपदान, पीआरएमएस, सेवांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य कार्मिक हितलाभ) को कार्मिक लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आबंटित किया जा रहा है।

35 इंड एएस 12 ''आयकर'' के अनुसार प्रकटन

35.1 लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में मान्य किया गया आयकर :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
निम्नलिखित के संबंध में वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	2346.50	2,434.68
पिछले वर्षों का समायोजन	1.22	(1.07)
कुल वर्तमान कर व्यय	**2,347.72**	**2,433.61**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति एवं रिवर्सल	515.15	52.41
पहले अस्वीकृत कर हानि, कर क्रेडिट या किसी पिछली अवधि का अस्थाई अंतर (आस्थगित कर व्यय को घटाने के लिए प्रयुक्त)	-	(1,027.68)
कुल आस्थगित कर व्यय	**515.15**	**(975.27)**
कुल आयकर व्यय	**2,862.87**	**1,458.34**

35.2 कर व्यय तथा लेखांकन लाभ का मिलान

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
कर पूर्व लाभ	**9,815.79**	**5,845.11**
कंपनी की 34.944% की घरेलू कर दर का प्रयोग करके कर (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 34.608%)	**3,430.03**	**2,022.88**
निम्नलिखित का कर प्रभाव :		
गैर–कटौती योग्य कर व्यय	39.90	43.56
कर से छूट प्राप्त आय	(58.37)	(50.61)
धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत कटौती	(551.39)	(552.02)
अन्य	1.48	(13.78)
पिछले वर्ष की कर देयता	1.22	(1.07)
कर की दर में परिवर्तन	-	9.38
लाभ एवं हानि के एकल (स्टैंडअलोन) विवरण में कुल कर व्यय	**2,862.87**	**1,458.34**

35.3 शिक्षा उपकर 3% से बढ़कर 4% हो जाने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कर दर 34.608% से बढ़कर 34.944% हो गई है।

35.4 कटौती योग्य अस्थाई अंतर/अप्रयुक्त कर हानियां/अग्रेनीत अप्रयुक्त कर क्रेडिट

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	समाप्ति की तारीख	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	समाप्ति की तारीख
कटौती योग्य अस्थाई अंतर / अप्रयुक्त कर हानियां /अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य नहीं की गई है	1.25 2.54	31.03.2024 31.03.2025	1.25 2.54	31.03.2024 31.03.2025

35.5 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों (आरबीडीडी) के लिए रिजर्व से अधिक संचित क्षतिग्रस्तता हानि छूट की राशि पर कंपनी ने आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य की है। पारगमन की तारीख को तथा तुलनात्मक परिणामों में उपयुक्त समायोजन भी किया गया है।

35.6 आस्थगित कर शेष में मूवमेंट :

वित्तीय वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल, 2018 को निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	31 मार्च, 2019 को निवल शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति (+)					
(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान के आधार पर कटौती योग्य व्यय के लिए प्रावधान	15.35	9.73	1.69		26.77
(ii) ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	64.28	(0.25)			64.03
(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता छूट	4,843.90	(427.73)			4,416.17
(iv) मूल्यहास एवं परिशोधन	0.49	0.49			0.98
(v) डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	1.64	2.99	26.93		31.56
(ख) आस्थगित कर देयताएं (–)					
(i) पट्टा आय	(66.64)	-			(66.64)
(ii) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(135.61)	(135.58)			(271.19)
(iii) ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(102.17)	3.52			(98.65)
(iv) अन्य	(73.98)	31.68			(42.30)
निवल आस्थगित कर देयताएं(–)/परिसंपत्तियां(+)	**4,547.26**	**(515.15)**	**28.62**		**4060.73**

वित्तीय वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल, 2017 को निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	अन्य	31 मार्च, 2018 को निवल शेष
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति (+)					
(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान के आधार पर कटौती योग्य व्यय के लिए प्रावधान	17.34	(3.77)	1.78		15.35
(ii) ऋणकर्ताओं को ऋण पर अपरिशोधित आय	49.38	14.90	-		64.28
(iii) वित्तीय परिसंपत्तियों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता छूट	4,098.92	744.98	-		4,843.90
(iv) मूल्यहास एवं परिशोधन	(0.05)	0.54	-		0.49
(v) डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	(77.33)	78.97	-		1.64
(ख) आस्थगित कर देयताएं (–)					
(i) पट्टा आय	(66.00)	(0.64)	-		(66.64)
(ii) अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(100.76)	(34.85)	-		(135.61)
(iii) ऋण देयताओं पर अपरिशोधित व्यय	(68.90)	(33.27)	-		(102.17)
(iv) अन्य	(282.39)	208.41	-		(73.98)
निवल आस्थगित कर देयताएं(–)/परिसंपत्तियां(+)	**3,570.22**	**975.27**	**1.78**		**4,547.26**

36 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
एफवीटीओसीआई पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेशों पर लाभांश	47.42	58.75
– वर्ष के अंत में धारित निवेश		
– वर्ष के दौरान विमान्य किए गए निवेश	0.56	–
उप–जोड़	**47.98**	**58.75**
लागत पर इक्विटी निवेश पर लाभांश (सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम)	110.66	80.85
म्यूचुअल फंड पर लाभांश	8.39	6.63
कुल	**167.03**	**146.23**

37 निवल परिवर्तन/लेन–देन विनिमय हानि (+) /लाभ (–)

(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण निवल परिवर्तन/लेन–देन विनिमय हानि (+)/लाभ (–)	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
– 01 अप्रैल, 2018 को अथवा इसके बाद मान्य एलटीएफसीएमआई का परिवर्तन	(42.87)	–
– 31 मार्च, 2018 तक मान्य एलटीएफसीएमआई पर सृजित एफसीएमआईटी का परिशोधन	563.10	213.10
कुल	**520.23**	**213.10**

38 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

38.1 वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि : (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर की गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि	148.15	149.91
पिछले वर्ष से अग्रेनीत राशि	131.23	100.20
खर्च करने के लिए अपेक्षित सकल राशि	279.38	250.11
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	100.50	118.88
अप्रयुक्त राशि	178.88	131.23

38.2 वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19			वित्तीय वर्ष 2017–18		
		प्रदत्त या निपटान की गई	अभी भुगतान किया जाना है	कुल	प्रदत्त या निपटान की गई	अभी भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण				-	-	-
(ii)	उपर्युक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
(iiक)	स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	8.18	-	8.18	60.94	-	60.94
(iiख)	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	16.94	-	16.94	26.45	-	26.45
(iiग)	पर्यावरणीय संधारणीयता (सोलर एप्लीकेशन/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	17.89	-	17.89	27.15	-	27.15
(iiघ)	खेल	-	-	-	-	-	-
(iiङ.)	अन्य	52.20	-	52.20	2.18	-	2.18
(iiण)	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक उपरिव्यय जो सीएसआर पर खर्च करने के लए अपेक्षित कुल राशि के 5% तक सीमित है	5.29	-	5.29	2.16	-	2.16
	कुल	**100.50**	**-**	**100.50**	**118.88**	**-**	**118.88**

38.3 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 24–संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के अनुसार सीएसआर की गतिविधियों के संदर्भ में संबंधित पक्षकार लेन–देन का ब्योराः शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)।

39 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
	आकस्मिक देयताएं			
(i)	गारंटियां#	117.39	153.75	190.11
(ii)	कंपनी के विरुद्ध दावे जिनको ऋण के रूप में नहीं माना गया			
(iii)	संस्वीकृत ऋणों के विरुद्ध चुकौती आश्वासन पत्र के रूप में ऋणकर्ताओं को संवितरण की बकाया प्रतिबद्धताएं	1,019.06	1,694.60	1,640.56
(iv)	(क) पिछले वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा की गई अतिरिक्त मांगें जिनका विरोध किया जा रहा है।*.	62.23	85.87	40.53
	(ख) इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा कंपनी को प्रदान की गई राहत के विरुद्ध अपील की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	203.00	165.39	165.39
(v)	(क) पिछले वर्षों के संबंध में सेवा कर विभाग द्वारा की गई सेवा का मांग या कारण बताओ नोटिस जिनका विरोध किया जा रहा है।	1.04	1.04	23.51
	(ख) इसके अतिरिक्त, सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीईएंडएसटी) के आदेश के विरुद्ध सेस्टैट में अपील की है, जिन्होंने सेवा कर की मांग छोड़ दी थी। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	21.53	1.11	1.11
	प्रतिबद्धताएं			
(i)	ऐसी संविदाओं की अनुमानित राशि जो पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी है तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	430.40	473.77	–
(ii)	अन्य प्रतिबद्धताएं–सीएसआर की खर्च न की गई राशि	178.88	131.23	100.20
	कुल	**2,033.53**	**2,706.76**	**2,161.41**

#ऋणकर्ता कंपनी के पक्ष में कंपनी द्वारा प्रदान की गई डिफॉल्ट भुगतान गारंटी। गारंटी के विरूद्ध प्रदत्त/देय राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

*उक्त मांगों में से, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 59.90 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 5.01 करोड़ और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 40.53 करोड़) की राशि अन्य कर निर्धारण वर्षों के रिफंड के विरुद्ध जमा/समायोजित की जा चुकी है।

40 कंपनी पर किसी सूक्ष्य एवं लघु उद्यम का ऐसा कोई देय नहीं है, जो 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 45 दिन से अधिक बकाया है (31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार शून्य)। इसका निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक ऐसे पक्षकारों के स्टेटस को कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है।

41 इंड एस 33 ''प्रति शेयर अर्जन'' के अनुसार प्रकटीकरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	6,952.92	4,386.77
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बुनियादी)	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (तनुकृत)	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक (बुनियादी) (₹)	26.34	16.62
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक (तनुकृत) (₹)	26.34	16.62

42 ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19			वित्तीय वर्ष 2017–18		
	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)
प्रथम अंतरिम लाभांश	–	–	–	60%	6.00	1,584.05
द्वितीय अंतरिम लाभांश	–	–	–	18%	1.80	475.21
कुल लाभांश				**78%**	**7.80**	**2,059.26**

43 पहली बार इंड एएस अपनाने के लिए मिलान

43.1 31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल इक्विटी का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
पिछले जीएएपी के अंतर्गत यथासूचित कुल इक्विटी (शेयरधारक निधि)		**39,860.67**	**36,470.21**
व्यवसाय संयोजन के कारण समायोजन	10.5	114.73	83.76
निम्नलिखित से संबंधित समायोजन			
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)/आय	(क)	(85.77)	384.68
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)	(ख)	125.72	199.12
डेरिवेटिव (पहले एएस 11 के माध्यम से अभिशासित वायदा संविदाएं)	(छ)	236.77	366.90
क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(ड.)	(8,393.91)	(6,568.97)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखत	(घ)	(105.47)	225.77
अन्य		355.25	442.92
उपर्युक्त पर आस्थगित कर प्रभाव (डीटीए/डीटीएल)	(च)	4.25	(278.24)
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अधिक संचित क्षतिग्रस्तता छूट की राशि पर डीटीए		4,843.91	4,098.93
कुल समायोजन		**(2,904.52)**	**(1,045.13)**
इंड एएस के अंतर्गत यथासूचित कुल इक्विटी (शेयरधारक निधि)		**36,956.15**	**35,425.08**

43.2 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए पिछले जीएएपी के अंतर्गत यथासूचित लाभ		**5,855.22**
व्यवसाय संयोजन के कारण समायोजन	10.5	30.95
निम्नलिखित से संबंधित समायोजन		
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)/आय	(क)	(470.45)
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)	(ख)	(73.39)
डेरिवेटिव (पूर्व में एएस 11 के माध्यम से अभिशासित वायदा संविदाएं)	(छ)	(64.27)
वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	(ड.)	(1,824.94)
अन्य		(92.02)
उपर्युक्त पर आस्थगित कर प्रभाव (डीटीए/डीटीएल)	(च)	280.69
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अधिक संचित क्षतिग्रस्तता छूट की राशि पर डीटीए	35.5	744.98
कुल समायोजन		**(1,468.45)**
इंड एएस के अनुसार निवल कर पश्चात लाभ		**4,386.77**
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	(ज)	7.50
इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	(घ)	(331.24)
इंड एएस के अनुसार कुल व्यापक आय कर घटाकर)		**4,063.03**

43.3 इंड एएस अपनाने का 31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 के तुलन–पत्र पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार				1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार			
		पूर्व जीएएपी	व्यवसाय संयोजन के कारण समायोजन	इंड एएस के लिए समायोजन	इंड एएस	पूर्व जीएएपी	व्यवसाय संयोजन के कारण समायोजन	इंड एएस के लिए समायोजन	इंड एएस
परिसंपत्तियां									
वित्तीय परिसंपत्तियां									
नकदी और नकदी समतुल्य		537.71	-	-	537.71	3,114.74	0.01	(3,071.88)	42.87
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष		15.49	-	-	15.49	458.41	-	3,071.88	3,530.29
डेरिवेटिव वित्तीय परिसंपत्तियां	(छ)	152.51	-	76.58	229.09	299.87	-	-	299.87
ऋण	(क),(ङ.)	274,102.11	414.08	(8,504.81)	266,011.38	241,115.00	383.85	(6,410.10)	235,088.75
निवेश	(घ)	2,360.17	(300.00)	459.87	2,520.04	3,633.00	(300.00)	537.38	3,870.38
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		5,311.13	(0.12)	(34.10)	5,276.91	5,297.93	(0.11)	(48.39)	5,249.43
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**2,82,479.12**	**113.96**	**(8,002.46)**	**274,590.62**	**2,53,918.95**	**83.75**	**(5,921.11)**	**2,48,081.59**
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां									
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		507.07	1.05	-	508.12	228.01	118.23	-	346.24
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	(च)	(300.90)	(0.01)	4,848.17	4,547.26	(250.51)	0.04	3,820.69	3,570.22
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(ग)	63.94	0.01	(37.87)	26.08	61.88	-	(37.87)	24.01
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियां		0.89	(0.00)	-	0.89	0.69	(0.00)	-	0.69
अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां		175.73	0.01	59.74	235.48	949.57	(0.02)	60.98	1,010.53
कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**446.73**	**1.06**	**4,870.04**	**5,317.83**	**989.64**	**118.25**	**3,843.80**	**4,951.69**
कुल परिसंपत्तियां (1+2)		**2,82,925.85**	**115.02**	**(3,132.42)**	**279,908.45**	**2,54,908.59**	**202.00**	**(2,077.31)**	**2,53,033.28**
देयताएं और इक्विटी									
देयताएं									
वित्तीय देयताएं									
डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	(छ)	-	-	240.68	240.68	-	-	68.41	68.41
ऋण प्रतिभूतियां	(ख)	206,896.30	-	(84.51)	206,811.79	194,530.69	(0.00)	(86.35)	194,444.34
ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	(ख)	26,123.79	-	(43.62)	26,080.17	11,703.54	(0.00)	(111.78)	11,591.76
सबॉर्डिनेटिड देयताएं	(ख)	3,893.59	-	(0.83)	3,892.76	3,893.60	0.00	(0.96)	3,892.64
अन्य वित्तीय देयताएं		5,905.62	0.29	(512.72)	5,393.19	8,052.56	0.27	(794.31)	7,258.52
कुल वित्तीय देयताएं (1)		**2,42,819.30**	**0.29**	**(401.00)**	**2,42,418.59**	**2,18,180.39**	**0.27**	**(924.99)**	**2,17,255.67**
गैर–वित्तीय देयताएं									
वर्तमान कर देयताएं (निवल)		129.97	-	-	129.97	12.57	117.86	-	130.43
प्रावधान	(ज)	95.79	-	195.38	291.17	158.15	0.10	(94.59)	63.66
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	(च)	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य गैर–वित्तीय देयताएं		20.12	-	92.45	112.57	87.27	0.01	71.16	158.44
कुल गैर–वित्तीय देयताएं (2)		**245.88**	**-**	**287.83**	**533.71**	**257.99**	**117.97**	**(23.43)**	**352.53**
कुल देयताएं (1+2)		**2,43,065.18**	**0.29**	**(113.17)**	**2,42,952.30**	**2,18,438.38**	**118.24**	**(948.42)**	**2,17,608.20**
इक्विटी									
इक्विटी शेयर पूंजी		2,640.08	0.00	-	2,640.08	2,640.08	0.00	-	2,640.08
अन्य इक्विटी		37,220.59	114.73	(3,019.25)	34,316.07	33,830.13	83.76	(1,128.89)	32,785.00
कुल इक्विटी (3)		**39,860.67**	**114.73**	**(3,019.25)**	**36,956.15**	**36,470.21**	**83.76**	**(1,128.89)**	**35,425.08**
कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3)		**2,82,925.85**	**115.02**	**(3,132.42)**	**2,79,908.45**	**2,54,908.59**	**202.00**	**(2,077.31)**	**2,53,033.28**

इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ इंड एएस प्रजेंटेशन की आवश्यकताओं के अनुसार पिछले जीएएपी के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

43.4 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण पर इंड एएस अपनाने का प्रभाव (₹ करोड़ में)

विवरण	पहली बार अपनाने पर टिप्पणियां	पूर्व जीएएपी	व्यवसाय संयोजन के कारण समायोजन	इंड एएस में पारगमन पर समायोजन	इंड एएस
प्रचालनों से राजस्व					
ब्याजगत आय	(क)	26,101.81	49.14	(588.92)	25,562.03
लाभांश आय		146.23	-	-	146.23
शुल्क एवं कमीशन आय	(क)	321.63	0.05	(54.09)	267.59
प्रचालनों से कुल राजस्व		**26,569.67**	**49.19**	**(643.01)**	**25,975.85**
अन्य आय		168.07	-	(163.67)	4.40
कुल आय		**26,737.74**	**49.19**	**(806.68)**	**25,980.25**
व्यय					
वित्त लागत	(ख)	16,856.83	-	99.06	16,955.89
निवल परिवर्तन/लेन–देन विनिमय हानि (+)/अभिलाभ(–)		243.70	-	(30.60)	213.10
शुल्क एवं कमीशन व्यय	(ख)	34.99	-	(26.41)	8.58
उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि	(छ)	97.50	-	95.69	193.19
वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	(ड.)	815.34	5.24	1570.43	2,391.01
कार्मिक हितलाभ व्यय	(ज)	166.77	-	9.87	176.64
मूल्यहास और परिशोधन		6.41	-	-	6.41
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		118.18	0.70	-	118.88
अन्य व्यय		71.07	0.03	0.34	71.44
कुल व्यय		**18,410.79**	**5.97**	**1,718.38**	**20,135.14**
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**8,326.95**	**43.22**	**(2,525.06)**	**5,845.11**
कर व्यय :					
(1) वर्तमान वर्ष		2,421.76	12.92	-	2,434.68
(2) पिछले वर्ष		(0.42)	(0.65)	-	(1.07)
(3) आस्थगित कर	(च)	50.39	-	(1,025.66)	(975.27)
कुल कर व्यय		**2,471.73**	**12.27**	**(1,025.66)**	**1,458.34**
अवधि के लिए हितलाभ/(हानि) (जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए)		**5,855.22**	**30.95**	**(1,499.40)**	**4,386.77**
अन्य व्यापक आय/(हानि)					
मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा					
– परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	-	-	-	5.72	5.72
– इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	(घ)	-	-	(331.24)	(331.24)
ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा					
(आस्थगित कर व्यय (+) / क्रेडिट (–))					
– परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	-	-	-	1.78	1.78
– इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (क)		**-**	**-**	**(323.74)**	**(323.74)**
मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा					
नकदी प्रवाह हेज़ में हेज़िंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश		-	-	-	-
ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (आस्थगित कर व्यय (+)/क्रेडिट (–))		-	-	-	-
उप–जोड़ (ख)		**-**	**-**	**-**	**-**
अन्य व्यापक आय/(हानि) (क+ख)	**-**	**-**	**-**	**(323.74)**	**(323.74)**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इसमें अवधि के लिए लाभ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय शामिल है)		**5,855.22**	**30.95**	**(1,823.14)**	**4,063.03**

इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ इंड एएस प्रस्तुत करने की आवश्यकताओं के अनुसार पिछले जीएएपी के आंकड़े पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

43.5 पहली बार अपनाने पर टिप्पणियां

पारगमन की तारीख के अनुसार कंपनी के सूचित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों का इंड एएस अपनाने पर प्रमुख प्रभाव का स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः

(क) ऋण और ब्याज आय

पारगमन की तारीख को संविदात्मक नकदी प्रवाह तथा एसपीपीआई (मूलधन एवं ब्याज का अनन्य भुगतान) एकत्र करने के लिए धारित व्यवसाय मॉडल टेस्ट की पुष्टि करने वाले कंपनी के ऋणों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा गया है। इन ऋणों को पिछले जीएएपी के अंतर्गत लागत पर मापा गया था।

ईआईआर विधि के पूर्वव्यापी प्रयोग के इस समायोजन से पारगमन की तारीख के अनुसार ऋणों के मूल्य में तदनुरूपी कटौती के साथ कुल इक्विटी में ₹ 384.68 करोड़ की वृद्धि हुई है। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (टीसीआई) पर प्रभाव ₹ (470.45) करोड़ और 31 मार्च, 2018 को कुल इक्विटी पर प्रभाव ₹ (85.77) करोड़ है।

(ख) वित्तीय देयताएं तथा ब्याज व्यय

डेरिवेटिव को छोड़कर सभी वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा गया है। समायोजन से पारगमन की तारीख को वित्तीय देयताओं के मूल्य में तदनुरूपी कटौती के साथ कुल इक्विटी में ₹ 199.12 करोड़ तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 125.72 करोड़ की वृद्धि हुई। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए टीसीआई पर प्रभाव ₹ (73.39) करोड़ है।

(ग) लीजहोल्ड भूमि का पुनः वर्गीकरण

पिछले जीएएपी के अंतर्गत लीजहोल्ड भूमि के लिए अग्रिम प्रीमियम भुगतान को ''अचल परिसंपत्ति'' में मान्य किया गया (इंड एएस के अंतर्गत इसके संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) कहा गया है)। इंड एएस के अंतर्गत, पट्टा जहां स्वामित्व से जुड़े जोखिम एवं इनाम कंपनी को अंतरित नहीं किए जाते हैं, को प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा शेष पट्टा अवधि में परिशोधित किया गया है। परिणामतः लीजहोल्ड भूमि को ''अचल परिसंपत्तियां/पीपीई'' से गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में पूर्वदत्त व्यय में पुनः वर्गीकृत किया गया है और लीजहोल्ड की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।

इसकी वजह से 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल इक्विटी में ₹ 9.79 करोड़ और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.34 करोड़ का ह्रास हुआ है।

(घ) निवेश

इंड एएस के अंतर्गत कंपनी ने सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी कंपनियों में निवेश से भिन्न इक्विटी निवेश को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर नामित किया है। पारगमन की तारीख के अनुसार वहन राशि एवं उचित मूल्य के बीच अंतर को पारगमन की तारीख को ओसीआई रिजर्व में और बाद में अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया है।

इसकी वजह से पारगमन की तारीख के अनुसार इक्विटी लिखतों में निवेश के मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि के साथ कुल इक्विटी में ₹ 225.77 करोड़ की वृद्धि तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 105.47 करोड़ का ह्रास हुआ है।

(ड.) क्षतिग्रस्तता हानि छूट

पिछले जीएएपी के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों/निदेशों के अनुसार अनुरक्षित किया गया था। तथापि, इंड एएस रूपरेखा के अंतर्गत अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) दृष्टिकोण का प्रयोग करके ऋणों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट प्रदान की गई है। इसकी वजह से पारगमन की तारीख के अनुसार कुल इक्विटी में ₹ 6,568.97 करोड़ और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 8,393.91 करोड़ का ह्रास हुआ है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए टीसीआई पर प्रभाव ₹ (1,824.94) करोड़ है।

(च) आस्थगित कर

पिछले जीएएपी, के अंतर्गत आय विवरण दृष्टिकोण का प्रयोग करके आस्थगित कर का लेखांकन किया गया था। तथापि, इंड एएस के अंतर्गत तुलन–पत्र दृष्टिकोण का प्रयोग करके आस्थगित कर के लेखांकन की आवश्यकता है, जिसमें एकल (स्टैंडअलोन) तुलन–पत्र में परिसंपत्ति/देयता की वहन राशि तथा उसके कर आधार में अंतर पर आधारित अस्थाई अंतरों की पहचान करना शामिल है। एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों में इन अंतरों को उपयुक्त ढंग से मान्य किया गया है। इंड एएस को अपनाने के कारण इन समायोजनों तथा परिणामी प्रभाव की वजह से 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार, कुल इक्विटी ₹ 278.24 करोड़ का ह्रास और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 4.25 करोड़ की वृद्धि हुई है।

(छ) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

पिछले जीएएपी के अंतर्गत वायदा संविदा की प्रकृति के डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को एएस 11 'विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अंतर का प्रभाव' में लेखांकित किया गया था जिसमें संविदा की अवधि के दौरान प्रीमियम या डिस्काउंट घटक को परिशोधित किया गया था। तथापि, इंड एएस के अंतर्गत सभी डेरिवेटिव संविदाओं को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसरण में रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को उचित मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। परिणामतः पारगमन की तारीख को कुल इक्विटी में ₹ 366.90 करोड़ और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 236.77 करोड़ की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए टीसीआई पर प्रभाव ₹ (64.27) करोड़ है।

(ज) परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

पिछले जीएएपी तथा इंड एएस दोनों के अंतर्गत कंपनी ने बीमांकिक आधार पर अपनी रोजगार पश्चात परिभाषित हितलाभ योजना से संबंधित लागतों को मान्य किया। पिछले जीएएपी के अंतर्गत, बीमांकिक अभिलाभ एवं हानि सहित संपूर्ण लागत लाभ या हानि में प्रभारित की गई। इंड एएस के अंतर्गत अभिलाभ/हानि के पुनः मापन को अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया है।

परिणामतः वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय में तदनुरूपी वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में ₹ 7.50 करोड़ का ह्रास हुआ है (कर को घटाकर)।

43.6 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों के विवरण पर इंड एएस अपनाने का प्रभाव (₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्व जीएएपी	व्यवसाय संयोजन के कारण समायोजन	इंड एएस में पारगमन पर समायोजन	इंड एएस
प्रचालन की गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(27,528.34)	(0.01)	2,819.97	(24,708.38)
निवेश की गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	1,138.18	-	289.60	1,427.78
वित्तपोषण की गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	23,813.13	-	(37.68)	23,775.45
वर्ष के दौरान नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(ह्रास)	(2,577.03)	(0.01)	3,071.88	494.84
वर्ष के शुरू में नकदी एवं नकदी समतुल्य	3,114.74	0.01	(3,071.88)	42.87
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	537.71	0.00	0.00	537.71

इंड एएस में पारगमन का प्रभाव मुख्य रूप से 'नकदी एवं नकदी समतुल्य' के स्थान पर 'अन्य बैंक शेष' के रूप में निर्धारित बैंक शेषों के वर्गीकरण के कारण है।

44 आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 फरवरी, 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। तथापि, औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संबंधित विद्युत संस्था को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अभी तक अंतरण नहीं हुआ है।

विद्युत संस्था में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण का विधिवत रूप से उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतिम अंतरण योजना के अधिसूचित हो जाने पर नए/नाम परिवर्तित विद्युत संस्था के साथ सभी बकाया ऋणों के संबंध में प्रलेखन की औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान के लिए मांग को विद्युत संस्था के अनुसार अलग किया जा रहा है और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विद्युत संस्था द्वारा संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

45 कंपनी इंड एएस के अनुसार या आरबीआई के विवेकाधीन मानदंडों के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) के उच्च स्तर पर चरण–I एवं चरण–II की ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट का सृजन कर रही थी। अब कंपनी ने अनन्य रूप से इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट को संरेखित किया है जिससे 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संचयी क्षतिग्रस्तता हानि छूट में कटौती हुई है तथा कर पश्चात लाभ में परिणामी वृद्धि ₹ 268.61 करोड़ है।

46 एक्सपोजर

46.1 आरबीआई के दिनांक 12 फरवरी, 2010 परिपत्र सीसी संख्या 168 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में आरबीआई ने कंपनी को अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। आईएफसी के रूप में, निजी क्षेत्र में ऋण देने के लिए कुल अनुमत एक्सपोजर एकल ऋणकर्ता के मामले में स्वामित्व वाली निधियों का 25% और ऋणकर्ताओं के एकल समूह के मामले में 40% है तथा ऋण देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ एक्सपोजर स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के क्रमशः 30% और 50% तक हो सकता है।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं के संबंध में आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक आरबीआई के क्रेडिट/निवेश के मानदंडों के आरबीआई के संकेंद्रण की प्रयोज्यता से कंपनी ने छूट प्रदान की है।

46.2 कंपनी का रीयल एस्टेट क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं है।

46.3 पूंजी बाजार में एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को राशि	31 मार्च, 2018 को राशि	1 अप्रैल, 2017 को राशि
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसके कॉरपस का निवेश अनन्य रूप से कॉर्पोरेट ऋण (पूर्णतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश सहित) में निवेश न किया गया हो;	16,136.50	1,874.53	1,874.79
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड्स की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-	-
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	-	-	-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को राशि	31 मार्च, 2018 को राशि	1 अप्रैल, 2017 को राशि
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों की कोलेटरल प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम अर्थात जहां प्राथमिक प्रतिभूति शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों से भिन्न है, को अग्रिमों में पूर्णतः शामिल नहीं किया जाता है (ऐसे ऋणों को छोड़कर जहां प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है);	-	-	-
(v)	शेयर दलालों को दिए गए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां;	-	-	-
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण जो शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रोमोटर का योगदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	2,629.16	2,651.65	2,395.88
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को दिए गए ब्रिज लोन;	-	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों) से संबंधित सभी एक्सपोजर	6.15	6.15	6.15
	पूंजी बाजार से संबंधित कुल जोखिम	**18,771.81**	**4,532.33**	**4,276.82**

46.4 मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का ब्योरा : कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

46.5 कंपनी द्वारा पार की गई एकल ऋणकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्योरा :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान एकल ऋणकर्ता सीमा समूह ऋणकर्ता सीमा के विरुद्ध अपनी विवेकपूर्ण जोखिम सीमा को पार नहीं किया है।

47 परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मदों का परिसंपत्ति देयता प्रबंध परिपक्वता पैटर्न :

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2019 को बकेट	जमा / निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	14,133.64	4,955.46	21,785.18	-	696.50
1 माह से अधिक 02 माह तक	1,833.07	1,928.13	4,915.00	-	-
2 माह से अधिक 03 माह तक	-	1,264.76	7,495.20	-	2,080.35
3 माह से अधिक 6 माह तक	-	9,225.21	10,292.05	-	-
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	-	16,559.51	19,088.10	-	3,468.40
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	-	50,663.28	76,608.05	-	4,971.67
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	49,879.10	32,730.60	-	9,235.95
5 वर्ष से अधिक	-	165,146.63	87,160.38	23.84	8,373.99

टिप्पणी : उपर्युक्त सारणी में, परिपक्वता की तारीख को ध्यान में रखे बगैर चरण–III की परिसंपत्तियों से संबंधित प्रावधान को घटाकर 5 वर्षों के बकेट में मूलधन के नकदी प्रवाहों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रयोग की शीघ्रातिशीघ्र तारीख को ध्यान में रखते हुए पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्डों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पत्र एवं जीरो कूपन बॉण्डों को परिपक्वता मूल्य पर दर्शाया गया है।

48 एनएसई और बीएसई ने अपने दिनांक 31 जनवरी, 2019 के पत्र द्वारा विनियम 17(1) अर्थात निदेशक मंडल की संरचना और 19(1) अर्थात सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में गैर अनुपालन के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है।

एनएसई और बीएसई को अपने जवाब में कंपनी ने बताया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 86 के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को गति देने के लिए कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है।

49 क्रेडिट रेटिंग

49.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और रेटिंग का माइग्रेशन :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

वर्ष के दौरान कोई रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ है।

49.2 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी को आबंटित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी–	स्टेबल
2.	स्टैंडर्ड एंड पूअर (एस एंड पी)	बीबीबी–	निगेटिव#
3.	मूडीज	बीएए3	स्टेबल

#पिछले वर्ष की तुलना में केवल एसएंडपी ने आउटलुक को स्टेबल से बदलकर निगेटिव किया है। परंतु अप्रैल, 2019 में, आउटलुक को पुनः अपग्रेड करके स्टेबल कर दिया गया है।

50 प्रावधान, आकस्मिकताएं तथा क्षतिग्रस्तता हानि छूट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
ऋणों के लिए क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(870.60)	2,215.12
चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(8.67)	189.78
अन्य प्राप्य राशियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	7.79	(13.89)
आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,347.72	2,433.61

51 वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने ऋणकर्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई है। (पिछले वर्ष शून्य)

52 विनियामकों से प्राप्त पंजीकरणों का ब्योरा :

क्र. सं.	विनियामक	विवरण	पंजीकरण का ब्योरा
1.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान नंबर	L65910DL1986GOI024862
2.	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	B- 14.00004
3.	लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई नंबर	3358003Q6D9LIJJZ1614

53 (क) कंपनी इंड एएस 110 के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है।

(ख) विदेशों में संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों के रूप में कंपनी की कोई प्रवासी परिसंपत्ति नहीं है।

(ग) कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई तुलन–पत्र के बाहर एसपीवी नहीं है।

54 तुलन–पत्र की अतिरिक्त अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार राशि		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राशि		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार राशि	
देयता पक्ष			बकाया अतिदेय	अतिदेय	बकाया अतिदेय	अतिदेय	बकाया अतिदेय	अतिदेय
(1)	कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण एवं अग्रिम जिसमें उस पर प्रोद्भूत किंतु भुगतान न किया गया ब्याज शामिल है :							
	(क)	बॉण्ड : प्रतिभूत	14,498.53	0.00	21,220.13	0.00	20,898.71	0.00
		: अप्रतिभूत	1,90,814.82	0.00	1,82,677.38	0.00	1,77,525.57	0.00
	(ख)	(i) रुपया सावधि ऋण	46,542.21	0.00	10,541.42	0.00	2,000.43	0.00
		(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	20,592.26	0.00	15,703.01	0.00	7,302.32	0.00
	(ग)	वाणिज्यिक पत्र	9,715.92	0.00	6,924.74	0.00	-	0.00
	(घ)	अल्पावधि ऋण	13,357.29	0.00	-	0.00	2,400.79	0.00

परिसंपत्ति पक्ष				31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
(2)	प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा (उनसे भिन्न जो नीचे (3) में शामिल हैं) (प्रावधानों को घटाकर) :					
	(क)	प्रतिभूत		1,98,393.65	1,88,209.46	1,72,472.57
	(ख)	अप्रतिभूत		1,16,323.18	90,815.16	73,071.87
	(ग)	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट		(16,057.16)	(16,939.76)	(14,835.73)
	(घ)	ऋण एवं अग्रिम (प्रावधान को घटाकर)		2,98,659.67	2,62,084.86	2,30,708.71
(3)	पट्टा परिसंपत्तियों एवं किराए पर लिए गए स्टॉक और एएफसी गतिविधियों के लिए गिनी जाने वाली अन्य परिसंपत्तियों का ब्योरा (प्रावधानों को घटाकर) :					
	(i)	विविध ऋणकर्ताओं के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां :				
		(क)	वित्तीय पट्टा	99.89	111.89	222.99
(4)	निवेशों का ब्योरा (प्रावधानों को घटाकर)					
		वर्तमान निवेश				
	1.	उद्धृत				
		(i)	शेयर			
			(क) इक्विटी	935.09	1,126.04	1,258.03
	2.	अनुद्धृत				
		(i)	शेयर			
			(क) इक्विटी	-	-	193.05
	दीर्घावधि निवेश					
	1.	उद्धृत				
		(i)	शेयर			
			(क) इक्विटी	14,588.64	104.88	112.08
		(ii)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	809.84	809.84	1,827.90
	2.	अनुद्धृत				
		(i)	शेयर			
			(क) इक्विटी	246.45	147.45	147.45
			(ख) अधिमान			
		(ii)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	-	325.57	325.57
		(iii)	एसआईबी निधि की इकाइयां	6.18	6.26	6.30

(5) उपर्युक्त (2) और (3) में यथा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूहवार वर्गीकरण :

श्रेणी			प्रावधानों को घटाकर राशि (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)			प्रावधानों को घटाकर राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)			प्रावधानों को घटाकर राशि (1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार)		
			प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1.	संबंधित पक्षकार										
	(क)	सहायक कंपनियां एवं सहयोगी कंपनियां	-	196.22	196.22	-	169.95	169.95	-	115.04	115.04
	(ख)	समान समूह में कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ग)	अन्य संबंधित पक्षकार	0.52	-	0.52	0.52	-	0.52	0.50	-	0.50
2.	संबंधित पक्षकारों से भिन्न		1,98,493.02	1,16,126.96	3,14,619.98	1,88,320.83	90,645.21	2,78,966.04	1,72,695.06	72,956.83	2,45,651.89
	कुल		1,98,493.54	1,16,323.18	3,14,816.72	1,88,321.35	90,815.16	2,79,136.51	1,72,695.56	73,071.87	2,45,767.43

(6) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण

श्रेणी			(31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)		(31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)		(1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार)	
			बाजार मूल्य / ब्रेक अप $ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	बाजार मूल्य / ब्रेक अप $ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	बाजार मूल्य / ब्रेक अप $ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)
1.	संबंधित पक्षकार							
	(क)	सहायक कंपनियां	18,145.15	14,500.70	201.31	0.20	253.39	0.20
	(ख)	समान समूह में कंपनियां	295.99	246.25	200.05	147.25	176.57	147.25
2.	संबंधित पक्षकारों से भिन्न		1839.25	1,839.25	2372.59	2,372.59	3722.93	3,722.93
	कुल		20,280.39	**16,586.20**	2,773.95	**2,520.04**	4,152.89	**3,870.38**

(7) अन्य सूचना

विवरण			राशि (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)	राशि (1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार)
(i)	सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां				
	(क)	संबंधित पक्षकारों से भिन्न	29,540.31	26,866.80	12,286.29
(ii)	निवल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां				
	(क)	संबंधित पक्षकारों से भिन्न	14,519.30	12,625.58	7,393.71
(iii)	ऋणमुक्ति में अधिग्रहीत परिसंपत्तियां (निवेश का सकल मूल्य)		-	-	-

$नकारात्मक ब्योरा मूल्य के मामले में, शून्य मूल्य पर विचार किया गया है

55 परिसंपत्ति एवं देयता के अंतर्गत प्रत्येक लाइन मद के लिए 12 माह के भीतर और इसके बाद वसूल/निपटान होने वाली राशि

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		12 माह के अंदर	12 माह से अधिक	12 माह के अंदर	12 माह से अधिक	12 माह के अंदर	12 माह से अधिक
	परिसंपत्तियां						
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**						
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	308.48	-	537.71	-	42.87	-
(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष	13,846.53	-	15.49	-	3,530.29	-
(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	105.38	462.60	34.87	194.22	4.82	295.05
(घ)	ऋण	45,971.12	2,57,239.24	38,545.03	2,27,466.35	41,652.48	1,93,436.27
(ड.)	निवेश	935.14	15,651.06	1,126.04	1,394.00	1,451.08	2,419.30
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	132.47	5,243.93	69.55	5,207.36	93.11	5,156.32
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**61,299.12**	**2,78,596.83**	**40,328.69**	**2,34,261.93**	**46,774.65**	**2,01,306.94**
2	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**						
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	628.59	-	508.12	-	346.24
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	4,060.73	-	4,547.26	-	3,570.22
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	27.75	-	26.09	-	24.01
(घ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.59	-	0.89	-	0.69
(ड.)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	180.22	61.86	180.57	54.90	950.02	60.51
	कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**180.22**	**4,779.52**	**180.57**	**5,137.26**	**950.02**	**4,001.67**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)	**61,479.34**	**2,83,376.35**	**40,509.26**	**2,39,399.19**	**47,724.67**	**2,05,308.61**
	देयताएं						
	वित्तीय देयताएं						
(क)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	88.64	416.95	0.04	240.64	-	68.41
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	44,608.95	1,60,975.54	42,907.20	1,63,904.59	32,458.04	1,61,986.30
(ग)	ऋण राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	28,998.61	51,345.92	2,408.54	23,671.63	2,446.45	9,145.31
(घ)	सबॉर्डिनेटिड देयताएं	102.30	9,207.40	93.59	3,799.17	93.59	3,799.05
(घ)	अन्य वित्तीय देयताएं	274.44	5,053.40	235.56	5,157.63	2,106.90	5,151.62
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	**74,072.94**	**2,26,999.21**	**45,644.93**	**1,96,773.66**	**37,104.98**	**1,80,150.69**
	गैर–वित्तीय देयताएं						
(क)	मौजूदा कर देयताएं (निवल)	-	130.70	-	129.97	-	130.43
(ख)	प्रावधान	196.87	67.13	69.77	221.40	28.09	35.57
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	4.49	96.36	20.12	92.45	87.28	71.16
	कुल गैर–वित्तीय देयताएं (2)	**201.36**	**294.19**	**89.89**	**443.82**	**115.37**	**237.16**
	कुल देयताएं (1+2)	**74,274.30**	**2,27,293.40**	**45,734.82**	**1,97,217.48**	**37,220.35**	**1,80,387.85**

56 इंड एएस 108–"ऑपरेटिंग सेगमेंट" की अपेक्षा के अनुसार व्यवसाय/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के प्रचालनों में केवल एक व्यवसाय सेगमेंट–विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण शामिल है। अतः इंड एएस 108 के अनुसार सूचित करने योग्य कोई सेगमेंट नहीं है।

57 **आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए के निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
(मनोहर बलवानी)	**(एन बी गुप्ता)**	**(राजीव शर्मा)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन–00530741	डीआईएन–00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी	**गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
	फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N
	हस्ता/–	**हस्ता/–**
	(सीए एम. के. अग्रवाल)	**(सीए भूपिंदर सिंह)**
स्थान : मुंबई	भागीदार	भागीदार
तारीख : 29 मई, 2019	सदस्यता संख्या : 014956	सदस्यता संख्या : 092867

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद इसमें ''नियंत्रक कंपनी'' कहा गया है) तथा इसकी सहायक कंपनियों (नियंत्रक कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ ''ग्रुप'' कहा गया है), इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण, उस समय समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों का सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके बाद इसमें ''समेकित वित्तीय विवरण'' कहा गया है) शामिल हैं।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसरण में और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद यहां ''अधिनियम'' कहा गया है) द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में लेखांकन के सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यो की समेकित स्थिति, समेकित लाभ तथा कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तनों तथा उस समय समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रभावों की सही एवं उचित तस्वीर प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में भी किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसरण में ग्रुप से स्वतंत्र हैं और हमने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमारा यह विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्णता में तथा उन पर अपनी राय बनाने में ध्यान दिया गया है और हम इन मामलों पर अलग से राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे उल्लिखित मामलों को लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण मामलों के रूप में सूचित करने के लिए निर्धारित किया है :

क्र. सं.	लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
1	**वित्तीय लिखतों की क्रेडिट क्षतिग्रस्तता** सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने अधिक मात्रा में प्रबंधन के निर्णय की पहचान की है, इस प्रकार हैं : • क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) – कंपनी ने इंड एएस में परिभाषित संकेतक के आधार पर एसआईसीआर को वर्गीकृत किया है। किसी अन्य मानदंड के चयन से कुछ पोर्टफोलियो के लिए मान्य किए गए ईसीएल पर सारवान प्रभाव पड़ सकता है। • ईसीएल मॉडल–क्षतिग्रस्तता हानि मापन के अंतर्गत चूक की संभावनाओं (पीडी), निश्चित चूक क्षति (एलजीडी) और चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ईसीएल के मापन के लिए ये मॉडल प्रमुख चालक हैं। • व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकित चरण–3 का वहन मूल्य–ऋणकर्ताओं को ऋणों एवं अग्रिमों के वहन मूल्य का वर्णन सारवान रूप से मिथ्या हो सकता है यदि व्यक्तिगत क्षतिग्रस्तता को उपयुक्त ढंग से चिन्हित एवं अनुमानित नहीं किया जाता है। चरण–3 के अपने पोर्टफोलियो के वहन मूल्य का अनुमान लगाने के लिए कंपनी ने क्रिसिल लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं।	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** • एसआईसीआर के सारवान संकेतकों एवं मानदंडों का मूल्यांकन एवं गणना। • पीडी और एलजीडी की गणना के लिए प्रयुक्त सिस्टम में महत्वपूर्ण डाटा इनपुट की सटीकता। • सोर्स सिस्टम से ईसीएल गणना में डाटा प्रवाह की संपूर्णता एवं सटीकता। • कंपनी ने चरण–3 के अपने पोर्टफोलियो के वहन मूल्य का अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की है। हमने ऐसे विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किए गए वहन मूल्य की समीक्षा की है। **हमारे परिणाम :** हमने मान्य किए गए क्रेडिट क्षतिग्रस्तता प्रभार

	इन मामलों का प्रभाव यह है कि अपने जोखिम मूल्यांकन के अंग के रूप में हमने निर्धारित किया कि ईसीएल के मूल्य में अनुमान संबंधी उच्च स्तर की अनिश्चितता है तथा कुल मिलाकर वित्तीय विवरणों के लिए तर्कसंगत परिणामों की संभावना की रेंज हमारी अहमियत से अधिक है।	तथा प्रावधान और संबंधित प्रकटीकरण पर विचार किया है।
2	**उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन** कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने अपनी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में डेरिवेटिव संविदाएं की हैं। इन डेरिवेटिव संविदाओं को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है तथा कुछ डेरिवेटिव संविदाओं को नकदी प्रवाह हेज़ (हेज़ लेखांकन) के अंतर्गत नामित किया जाता है। हमने सारवान एक्सपोजर तथा इस तथ्य के कारण लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले के रूप में डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन तथा हेज़ लेखांकन पर विचार किया है कि इन आवश्यकताओं के अनुचित प्रयोग से आय विवरण पर सारवान प्रभाव पड़ सकता है।	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** कंपनी समकक्ष बैंकों से डेरिवेटिव संविदाओं का उचित मूल्य प्राप्त करती है। हमारी प्रक्रिया में प्रचलित विनिमय दर, ब्याज दर कर्व तथा उससे जुड़े अन्य अस्थिरता सूचकांक जैसे पालनीय बाजार इनपुट का प्रयोग करके प्राप्त उचित मूल्य की समीक्षा शामिल है। **हमारे परिणाम :** हमने अन्य इनपुटों पर विचार करते समय समकक्ष बैंकों से प्राप्त उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मापन में कोई सारवान मिथ्या वर्णन नहीं पाया।
3	**सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में कंपनी के निवेश की वसूलनीयता** मूल कंपनी के वित्तीय विवरणों में निवेश की अहमियत तथा निवेशों की वसूलनीयता से जुड़े संबद्ध बाजार जोखिम के कारण इसे फोकस का क्षेत्र माना गया।	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** सभी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों का अनुशीलन। **हमारे परिणाम :** हमने निवेश की वसूलनीयता में कोई सारवान जोखिम नहीं पाया।
4.	**सूचना प्रौद्योगिकी** **<u>मूल कंपनी के मामले में</u>** **<u>नियंत्रण निष्पादन</u>** वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग की प्रमुख प्रक्रियाएं कंपनी की आईटी प्रणालियों पर स्वचालित नियंत्रणों पर काफी निर्भर हैं। इस बात का जोखिम है कि ड्यूटी अथवा प्रयोक्ता एक्सेस प्रबंधन नियंत्रण (वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग की प्रमुख प्रणालियों के संबंध में) के अनुचित पृथक्करण से अपनी लेखापरीक्षा में उन पर कुछ निर्भरता डालने का हमारा सामर्थ्य कम हो सकता है।	**हमारी प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग प्रणालियों के संबंध में सूचना पर क्रियाशील प्रमुख नियंत्रणों के नमूना का मूल्यांकन किया गया। **हमारे परिणाम :** वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग पर आईटी प्रणालियों से उत्पन्न रिपोर्टों की हमारे विश्लेषण के अनुसार, हमने कोई सारवान कमी नहीं पाई।

प्रबंधन तथा समेकित वित्तीय विवरणों के अभिशासन के दायित्व संभालने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसरण में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं सहित ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करता है। ग्रुप में शामिल कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का संबंधित निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रुप की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए समुचित लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल उपरोक्त अनुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा, समेकित विवरण तैयार करने में लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने तथा ऐसे वित्तीय ब्योरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित करने में किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, ग्रुप में शामिल कंपनियों तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंधित निदेशक मंडल सतत सरोकार के रूप में जारी रखने, यथा लागू प्रकटन करने, सतत सरोकार और लेखांकन के सतत सरोकार आधार का प्रयोग करने से संबंधित

मामलों के लिए ग्रुप तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन अन्यथा ग्रुप को बंद करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

ग्रुप में शामिल कंपनियों तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का संबंधित निदेशक मंडल ग्रुप तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर समेकित वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं, क्या जालसाजी या त्रुटि के कारण लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई मुद्दा है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है एसए के अनुसरण में संचालित लेखापरीक्षा हमेशा किसी सारवान मिथ्या वर्णन का पता लगाएगी जब यह मौजूद होगा। मिथ्या वर्णन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है तथा तब सारवान माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप में उनसे तर्कसंगत रूप से इन समेकित विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद हो सकती है।

एसए के अनुसरण में लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद का पालन करते हैं। हम :

- समेकित वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या वर्णन के जोखिमों की पहचान करते हैं एवं इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण डिजाइन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के लिए जिम्मेदार हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न किसी सारवान मिथ्या वर्णन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्तता लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली स्थापित की है और ऐसे नियंत्रणों का कारगर ढंग से प्रचालन किया जा रहा है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्ता तथा प्रबंधन द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन के अनुमानों एवं संबद्ध प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के सतत सरोकार आधार के प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है जिससे सतत सरोकार के रूप में जारी रखने के लिए ग्रुप तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के सामर्थ्य पर सारवान संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, तो समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटीकरण पर हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होता है अथवा यदि ऐसा प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं होता है, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाओं या परिस्थितियों के कारण ग्रुप तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का सतत सरोकार के रूप में काम करना बंद हो सकता है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और यह भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन एवं घटनाओं को ऐसे ढंग से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त होती है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए ग्रुप तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के अंदर संस्थाओं या कारोबारी गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं के मार्ग–दर्शन, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए वे जिम्मेदार बने रहेंगे। हम केवल लेखापरीक्षा पर अपनी राय के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे।

हम नियंत्रक कंपनी के अभिशासन की जिम्मेदारी वहन करने वाले अधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित कार्य क्षेत्र एवं समय तथा आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी जिसकी हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संचार करते हैं।

हम अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता और उनके साथ सभी संबंधों एवं अन्य मामलों और जहां लागू है, संबंधित सुरक्षोपायों के बारे में संचार करने के संबंध में नैतिकता की संगत आवश्यकताओं का पालन किया है, जिनके बारे में तर्कसंगत रूप से विचार किया जा सकता है कि उनका हमारी स्वतंत्रता से सरोकार है।

अभिशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से हम ऐसे मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाए या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में कोई मामला संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से तर्कसंगत रूप से ऐसे संचार के जनहित में लाभों पर भारी पड़ने की उम्मीद होगी।

अन्य मामले

(क) इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रुप तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की तुलनात्मक वित्तीय सूचना और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार पारगमन की तारीख को प्रारंभिक तुलन–पत्र कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसरण में तैयार किए गए सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं जो पहले जारी किए गए थे, जिनकी हमारे/पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई, जिनकी 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 25 मई, 2018 और 29 मई, 2017 में उन समेकित वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की जिसे इंड एएस में पारगमन पर ग्रुप तथा इसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था द्वारा अपनाए गए लेखांकन के सिद्धांतों में अंतरों के लिए समायोजित किया गया, जिसकी नियंत्रक कंपनी के संबंध में हमारे द्वारा और इसकी समायोजित सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

(ख) हमने दो सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय सूचना/वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2019 को ₹ 2,98,453.88 करोड़ की कुल परिसंपत्तियां, ₹ 25,431.33 करोड़ का कुल राजस्व और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 133.56 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है, जिस पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 15 सहयोगी कंपनियों जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य का निवल लाभ का ग्रुप का शेयर भी शामिल है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी है और समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के संदर्भ में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के अंतर्गत उक्त सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के संबंध में हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ग) हमने एक सहायक कंपनी और एक संयंक्त रूप से नियंत्रित संस्था के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय सूचना/वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2019 को ₹ 6,994.55 करोड़ की कुल परिसंपत्तियां, उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 1,993.05 करोड़ का कुल राजस्व और ₹ 17.44 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाया गया है, जिस पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना गैर लेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा सौंपे गए हैं तथा समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय जहां तक यह इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उक्त सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था से संबंधित है, पूरी तरह ऐसे गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में एवं प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय और अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं के बारे में नीचे दी गई हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त मामलों के संदर्भ में, जहां तक अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता का प्रश्न है, संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

   (ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखापरीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानूनी रूप से अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया गया है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखी गई संगत लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

(ङ.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा 2 के प्रावधान ग्रुप एवं इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था पर लागू नहीं हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं।

(च) ग्रुप की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की कारगरता के संबंध में **अनुलग्नक–क** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. समेकित वित्तीय विवरण ग्रुप, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 47 देखें;

ii. डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि की संविदाओं पर ग्रुप, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की कोई सारवान पूर्वाभासी क्षति नहीं थी;

iii. नियंत्रक कंपनी तथा इसकी सहयोगी कंपनियों, सहायक कंपनियों एवं भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए अपेक्षित राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते **एम के अग्रवाल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N
के हाथ से

हस्ता/–
(सीए एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी के लिए**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या–000458N
के हाथ से

हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

तारीख : 29 मई, 2019
स्थान : मुंबई

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

(31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनेंस कॉर्पोशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1(च) देखें)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड के (v) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संयोग में, हमने उक्त तारीख को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद इसमें "नियंत्रक कंपनी" कहा गया है), इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

नियंत्रक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी टिप्पणी के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उसे बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय का सुचारु और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किए। इनमें संबद्ध कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और अनुवेदन, लेखांकन के रिकॉर्डो की परिशुद्धता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्ममेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय जाहिर करने की है। इन वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 10 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'मार्गदर्शी टिप्पणी' (मार्गदर्शी टिप्पणी) और लेखांकन मानकों के अनुसार की है इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय विवरण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सारवान मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

इन मानकों एवं मार्गदर्शी टिप्पणियों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम जो सारवान कमजोरी मौजूद है, का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन कारगरता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयान बयानी के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमें लेखापरीक्षा संबंधी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अन्य लेखापरीक्षकों को नीचे अन्य मामले संबंधी पैराग्राफ में वर्णित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से सबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेन–देन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

नियंत्रणों के विफल होने या प्रबंधन द्वारा अनुचित उल्लंघन होने की आशंका सहित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सारवान गलत बयानी हो सकती है और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी

अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, नियंत्रक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियां है, में सभी सारवान दृष्टि से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी किए गए मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

तथापि, एक सहायक कंपनी (आरईसी लिमिटेड) के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी समेकित रिपोर्ट में सूचित किया है सभी सारवान दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, सिवाय (i) ऋणकर्ताओं को संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग के लिए प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण, (ii) लागू किए जाने के लिए एचआर नीति के अनुसार कुछ कार्मिकों में ड्यूटी के रोटेशन, (iii) सहायक कंपनियों द्वारा अपने सहयोगी कंपनियों (एसपीवी) को सामान्य व्यय के आबंटन की प्रणाली में सुधार, (iv) आवधिक आधार पर शेष की पुष्टि प्राप्त करने तथा समय से आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सहायक कंपनियों द्वारा उनका अनुपालन प्राप्त करने को छोड़कर।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 3(i) के अंतर्गत 2 सहायक कंपनियों तथा 15 सहयोगी कंपनियों के संदर्भ में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में हमारी उपरोक्त रिपोर्ट भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की समरूपी रिपोर्टों पर आधारित है और एक सहायक कंपनी एवं एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में, ऐसी संस्था की आईएफसी रिपोर्ट के अभाव में हम नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण पर निर्भर रहे हैं। हमारी राय में, ग्रुप और इसकी सहयोगी कंपनियों एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के समेकित वित्तीय विवरण के लिए इसको सारवान नहीं समझा गया है।

कृते **एम के अग्रवाल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N
के हाथ से

हस्ता/–
(सीए एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी के लिए**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या–000458N
के हाथ से

हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

तारीख : 29 मई, 2019
स्थान : मुंबई

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29 मई, 2019 के माध्यम से ऐसा किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की परंतु अनुलग्नक–1 में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी कागजातों तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की वरणात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण निकलकर नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ जोड़ा जा सके।

कृते एवं भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/–
(रीना अकोइजेम)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26 जुलाई, 2019

अनुलग्नक–1

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऐसी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई

(क) सहायक कंपनियां :

1. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
2. पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड

(ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं

1. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड

(ग) सहयोगी कंपनियां

1. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
2. उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड
3. कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
4. कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
5. छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
6. सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
7. घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
8. तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
9. देवघर मेगा पावर लिमिटेड
10. चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
11. ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
12. देवघर इंफ्रा लिमिटेड
13. बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड
14. बिहार मेगा पावर लिमिटेड
15. झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
		परिसंपत्तियां				
1.		**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
	(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	6	725.03	825.04	4,544.99
	(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष	7	15,606.41	2,024.27	3,684.05
	(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	8	2,370.56	919.47	927.94
	(घ)	व्यापार की प्राप्य राशियां	9	172.13	145.77	135.71
	(ङ.)	ऋण	10	573,661.28	494,889.63	429,023.27
	(च)	निवेश	11	4,603.77	5,492.51	6,903.19
	(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	23,761.47	9,662.57	5,466.63
		कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**620,900.65**	**513,959.26**	**450,685.78**
2.		**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**				
	(क)	माल सूची	13	-	-	0.04
	(ख)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	14	925.90	542.31	397.43
	(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	43	6,369.74	7,393.55	5,707.82
	(घ)	निवेश संपत्ति	15	0.01	0.01	0.01
	(ङ.)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	16	186.45	155.24	151.57
	(च)	पूंजी कार्य प्रगति पर	16	196.94	127.23	61.41
	(छ)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	16	1.59	1.46	1.46
	(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तिया	16	9.18	6.19	1.38
	(झ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	17	393.50	338.55	1,087.14
		कुल गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**8,083.31**	**8,564.54**	**7,408.26**
3.		**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	18	**9.56**	**7.68**	**3.08**
		कुल परिसंपत्तियाँ (1+2+3)		**628,993.52**	**522,531.48**	**458,097.12**
		देयताएं और इक्विटी				
		देयताएं				
1		वित्तीय देयताएं				
	(क)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	8	664.99	558.43	422.87
	(ख)	देय व्यापार	19			
		(I) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया देय		2.65	1.83	0.30
		(II) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से भिन्न क्रेडिटर्स का कुल बकाया देय		72.26	64.87	45.89
	(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	20	398,352.00	385,879.65	343,095.30
	(घ)	ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	21	127,007.07	48,711.59	33,291.93
	(ङ.)	सबॉर्डिनेटिड देयताएं	22	14,128.46	6,560.12	6,559.85
	(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	24,574.28	24,607.41	22,046.00
		कुल वित्तीय देयताएं (1)		**564,801.71**	**466,383.90**	**405,462.14**
2		**मौजूदा कर देयताएं (निवल)**				
	(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	14	130.70	130.48	130.98
	(ख)	प्रावधान	24	366.81	517.28	279.77
	(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	25	209.95	230.07	208.73
		कुल गैर–वित्तीय देयताएं (2)		**707.46**	**877.83**	**619.48**
3		**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं**	18	0.08	-	-
		कुल देयताएं (1+2+3)		**565,509.25**	**467,261.73**	**406,081.62**
4		**इक्विटी**				
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	26	2,640.08	2,640.08	2,640.08
	(ख)	अन्य इक्विटी	27	44,481.17	37,194.45	34,782.49
		कंपनी के स्वामियों को आरोप्य इक्विटी (क+ख)		**47,121.25**	**39,834.53**	**37,422.57**
	(ग)	गैर नियंत्रक ब्याज	28	16,363.02	15,435.22	14,592.93
		कुल इक्विटी (4)		**63,484.27**	**55,269.75**	**52,015.50**
		कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3+4)		**628,993.52**	**522,531.48**	**458,097.12**

समेकित वित्तीय विवरणों पर अनुषंगी टिप्पणियां 1–72

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(एन बी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00530741

हस्ता/–
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N

हस्ता/–
(सीए एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N

हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 मई, 2019

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
		प्रचालनों से राजस्व			
	(i)	ब्याजगत आय	29	53,435.70	47,677.22
	(ii)	लाभांश आय	44	76.63	92.13
	(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	30	374.11	566.98
	(iv)	अन्य प्रचालन आय	32	227.50	287.50
I.		प्रचालनों से कुल राजस्व		**54,113.94**	**48,623.83**
II.		अन्य आय	33	**42.89**	**21.59**
III.		**कुल आय** (I+II)		**54,156.83**	**48,645.42**
		व्यय			
	(i)	वित्त लागत	34	34,620.96	30,288.83
	(ii)	निवल परिवर्तन/लेन–देन विनिमय हानि (+)/अभिलाभ (–)		1,041.42	232.47
	(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	35	44.47	33.16
	(iv)	उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि	31	263.54	766.56
	(v)	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	36	(625.73)	4,693.23
	(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत		85.15	119.80
	(vii)	उपभोग की गई सामग्रियों की लागत		-	7.95
	(viii)	निर्मित माल एवं प्रगतिशील कार्य की सूची में परिवर्तन	37	-	0.04
	(ix)	कार्मिक हितलाभ व्यय	38	362.66	374.16
	(x)	मूल्यह्रास और परिशोधन	16	15.49	14.68
	(xi)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	46	206.32	171.05
	(xii)	अन्य व्यय	39	324.77	185.40
IV.		**कुल व्यय**		**36,339.05**	**36,887.33**
V.		**आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)(III-IV)**		**17,817.78**	**11,758.09**
VI.		आपवादिक मदें		–	-
VII.		संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में लाभ/(हानि) का शेयर		44.25	21.35
VIII.		**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI+VII)**		**17,862.03**	**11,779.44**
		कर व्यय :			
		(1) वर्तमान कर			
		वर्तमान वर्ष		4,182.75	4,656.89
		पूर्व वर्ष		(12.75)	9.94
		(2) आस्थगित कर		1,051.76	(1,684.08)
IX.		**कुल कर व्यय**		**5,221.76**	**2,982.75**
X.		**सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)**		**12,640.27**	**8,796.69**
XI.		बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)		–	–
XII.		**वर्ष के लिए लाभ/(हानि)(सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए) (X+XI)**		**12,640.27**	**8,796.69**
XIII.		**अन्य व्यापक आय**			
	(i)	मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
		– परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन		(23.00)	(0.62)
		– इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)		(202.25)	(322.22)
		– इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय/(हानि)			
	(ii)	ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
		– परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन		8.46	3.98
		– इक्विटी लिखतों की ऐसी मदों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)		(0.68)	(0.10)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(iii)	मदें जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
	– नकदी प्रवाह हेज़ में हेजिंग लिखतों पर अभिलाभ एवं (हानि) का प्रभावी अंश		(77.08)	–
	– इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यम में अन्य व्यापक आय का शेयर			
(iv)	ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिनको लाभ या हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		26.93	–
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**(267.75)**	**(316.09)**
XIV.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XII+XIII)**		**12,372.52**	**8,480.60**
	वर्ष के लिए निम्नलिखित को आरोप्य लाभ :			
	– कंपनी के स्वामी		9,920.86	6,688.69
	– गैर–नियंत्रक ब्याज		2,719.41	2,108.00
			12,640.27	**8,796.69**
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय			
	– कंपनी के स्वामी		(239.05)	(318.77)
	– गैर–नियंत्रक ब्याज		(28.70)	2.68
			(267.75)	**(316.09)**
	वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय			
	– कंपनी के स्वामी		9,681.81	6,369.92
	– गैर–नियंत्रक ब्याज		2,690.71	2,110.68
			12,372.52	**8,480.60**
XV.	**अर्जन प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10 रुपए का अंकित मूल्य) (सतत एवं बंद प्रचालनों के लिए)**			
	(1) बुनियादी ईपीएस (₹)		37.58	25.34
	(2) तनुकृत ईपीएस (₹)		37.58	25.34

समेकित वित्तीय विवरणों पर अनुषंगी टिप्पणियां 1 – 72

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(एन बी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00530741

हस्ता/–
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N

हस्ता/–
(सीए एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 मई, 2019

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन L65910DL1986GOI024862

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2017 को शेष	**2,640.08**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2018 को शेष	**2,640.08**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को शेष	**2,640.08**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष											अन्य व्यापक आय			मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य	गैर–नियंत्रक अधिकार	कुल
	पूंजी रिजर्व – सामान्य नियंत्रण	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IC(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996–97 तक सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997–98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा	ब्याज विभेदक रिजर्व–केएफ डब्ल्यू ऋण	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हैजिंग का प्रभावी अंश	संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय का हिस्सा और इक्विटी विधि का उपयोग करके सहयोगी कंपनियों को शामिल किया गया			
01 अप्रैल, 2017 को शेष	–	16.99	3,014.69	599.85	14,325.30	1,434.18	2,776.54	(288.12)	56.41	5,438.69	5,467.43	224.53	–	–	33,066.49	–	33,066.49
लेखांकन की नीतियों में परिवर्तन/पिछली अवधियों की त्रुटियां																	
सामान्य नियंत्रण के लिए ब्याज लेखांकन की पूलिंग	(13,461.00)	–	1,276.55	–	6,437.61	486.85	1,177.20	107.26	–	2,489.91	3,105.90	95.72	–	–	1,716.00	14,592.93	16,308.93
व्यवसाय संयोजन																	
01 अप्रैल, 2017 को पुनः वर्णित शेष	**(13,461.00)**	**16.99**	**4,291.24**	**599.85**	**20,762.91**	**1,921.03**	**3,953.74**	**(180.86)**	**56.41**	**7,928.60**	**8,573.33**	**320.25**	-	-	**34,782.49**	**14,592.93**	**49,375.42**
वर्ष के लिए लाभ											6,688.69				**6,688.69**	**2,108.00**	**8,796.69**
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	-										5.32	–	–	–	**5.32**	**(1.97)**	**3.35**
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-										(0.04)	(326.29)	–	2.22	**(324.11)**	**4.65**	**(319.46)**
कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,693.97**	**(326.29)**	-	**2.22**	**6,369.90**	**2,110.68**	**8,480.58**
लाभांश	–	–		–	–	–	–		–	–	(3,103.90)	–	–	–	**(3,103.90)**	**(940.05)**	**(4,043.95)**
लाभांश वितरण नीति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(633.07)	-	-	-	**(633.07)**	**(190.95)**	**(824.02)**
प्रतिधारित अर्जन से/में अंतरण	-	6.37	548.85	-	2,428.00	396.13	-	-	-	1,263.17	(4,641.74)	(0.78)	-	-	**0.00**	**-**	**0.00**
बोनस इक्विटी शेयरों का निर्गम	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान वृद्धि/विलोप (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	(220.97)	1.49	-	(1.49)	-	-	-	**(220.97)**	**(137.39)**	**(358.36)**
वर्ष के दौरान उचित मूल्य अभिलाभ/हानि																	
परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक अभिलाभ/(हानि)																	
करों को घटाकर																	
इक्विटी शेयरों के निर्गम पर उत्पन्न लेन–देन लागत																	

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष											अन्य व्यापक आय			मूल कंपनी के स्वामियों को आरोप्य	गैर–नियंत्रक अधिकार	कुल
	पूंजी रिजर्व – सामान्य नियंत्रण	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IC(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996–97 तक सृजित विशेष रिजर्व	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997–98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा	ब्याज विभेदक रिजर्व– केएफ डब्ल्यू ऋण	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकदी प्रवाह हेजिंग का प्रभावी अंश	संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय का हिस्सा और इक्विटी विधि का उपयोग करके सहयोगी कंपनियों को शामिल किया गया			
31 मार्च, 2018 को शेष	(13,461.00)	23.36	4,840.09	599.85	23,190.91	2,317.16	3,953.74	(401.83)	57.90	9,191.77	6,887.10	(6.82)	-	2.22	37,194.45	15,435.22	52,629.67
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,920.86	-	-	-	9,920.86	2,719.41	12,640.27
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.57)	-	-	-	(8.57)	(5.97)	(14.54)
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.11)	(180.22)	(50.14)	-	(230.47)	(22.73)	(253.20)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,912.18**	**(180.22)**	**(50.14)**	**-**	**9,681.82**	**2,690.71**	**12,372.53**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,325.29)	-	-	-	(1,325.29)	(1,192.61)	(2,517.90)
लाभांश वितरण कर	-										(299.35)	-	-	-	(299.35)	(248.91)	(548.26)
प्रतिधारित अर्जन से/में अंतरण	-	1,997.46	497.44	-	2,274.58	393.21	-	-	-	1,000.00	(6,148.13)	(14.56)	-	-	(0.00)	-	(0.00)
वर्ष के दौरान वृद्धि/विलोप (निवल)	-	-	-	-	-	(2.30)	-	(770.46)	2.10	-	0.20	-	-	-	(770.46)	(321.39)	(1,091.85)
इक्विटी की बिक्री पर अभिलाभ/हानि का पुनः वर्गीकरण ओसीआई पर मापा गया लिखत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.85	(2.85)	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को शेष	**(13,461.00)**	**2,020.82**	**5,337.53**	**599.85**	**25,465.49**	**2,708.07**	**3,953.74**	**(1,172.29)**	**60.00**	**10,191.77**	**9,029.56**	**(204.45)**	**(50.14)**	**2.22**	**44,481.17**	**16,363.02**	**60,844.18**

समेकित वित्तीय विवरणों पर अनुषंगी टिप्पणियां 1 – 72

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(एन बी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00530741

हस्ता/–
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N

हस्ता/–
(सीए एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 मई, 2019

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन L65910DL1986GOI024862
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	
I.	**गतिविधियों के प्रचालन से नकदी प्रवाह :**				
	कर पूर्व लाभ	**17,862.03**		**11,779.44**	
	जोड़ें/(घटाएं): निम्नलिखित के लिए समायोजन				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर हानि (निवल)	1.23		0.98	
	मूल्यहास और परिशोधन	15.49		14.68	
	शून्य कूपन बॉण्डों पर डिस्काउंट तथा वाणिज्यिक पत्रों पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	363.04		158.72	
	अप्राप्त विदेशी मुद्रा परिवर्तन हानि / (अभिलाभ)	1,077.58		145.36	
	उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	266.54		779.95	
	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर	(9.14)		(21.88)	
	वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	(625.73)		4,693.24	
	निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	(505.59)		(493.78)	
	ब्याज सब्सिडी निधि	3.46		9.32	
	आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ब्याज के लिए प्रावधान	9.56		5.68	
	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	(1.68)		(3.70)	
	सेवानिवृत्ति हितलाभों आदि के लिए प्रावधान	56.09		72.39	
	लाभांश आय	(76.63)		(92.13)	
	ऋणों/ऋण प्रतिभूतियों/सबॉर्डिनेटिड देयताओं पर प्रभावी ब्याज दर	(788.63)		1.28	
	आयकर रिफंड पर ब्याज	(8.29)		(4.78)	
	इक्विटी विधि का प्रयोग करने के लिए लेखांकित संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का शेयर	(44.25)		(21.35)	
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ :	**17,595.09**		**17,023.42**	
	बढ़ोत्तरी/कमी :				
	ऋण (निवल)	(78,082.12)		(70,627.66)	
	अन्य परिसंपत्तियां (वित्तीय और गैर–वित्तीय)	(27,653.86)		(2,160.85)	
	डेरिवेटिव	(1,611.07)		(635.92)	
	देयताएं एवं प्रावधान	14,044.08		4,101.58	
	आपवादिक मदों से पूर्व नकदी प्रवाह	**(75,707.88)**		**(52,299.43)**	
	आपवादिक मदें	–		–	
	प्रचालनों से कर पूर्व नकदी प्रवाह	**(75,707.88)**		**(52,299.43)**	
	अदा किया गया आयकर	(4,626.89)		(4,852.53)	
	आयकर रिफंड	81.34		4.40	
	गतिविधियों के प्रचालन से निवल नकदी प्रवाह		**(80,253.43)**		**(57,147.56)**
II.	**निवेश की गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निस्तारण से आमदनी	0.28		0.44	
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का क्रय (सीडब्ल्यूआईपी एवं पूंजी अग्रिम सहित)	(99.46)		(89.77)	
	सहायक कंपनियों में निवेश	(14,500.00)		–	
	निवेश पर ब्याज	411.15		509.65	
	निवेश पर लाभांश	76.63		92.13	
	अन्य निवेश में वृद्धि/कमी	648.39		896.68	
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(13,463.02)**		**1,409.13**
III.	**वित्तपोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**				
	बॉण्डों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (मोचनों का निवल)	(4,737.02)		23,604.86	
	दीर्घावधि ऋण जुटाना (चुकौतियों का निवल)	60,028.55		8,175.00	
	विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना (चुकौतियों का निवल)	13,353.18		17,942.68	
	सबॉर्डिनेटिड देयताएं जुटाना (मोचनों का निवल)	7,562.70		(0.00)	
	वाणिज्यिक पत्र जुटाना (चुकौतियों का निवल)	7,113.04		10,044.84	
	कार्यकारी पूंजी मांग ऋण/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट जुटाना (चुकौतियों का निवल)	13,357.17		(2,400.79)	
	अदावित बॉण्ड (निवल)	(2.78)		3.41	
	अदावित लाभांश (निवल)	0.53		1.20	
	अंतरिम लाभांश का भुगतान*	(2,511.50)		(4,464.15)	
	कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान	(547.44)		(888.57)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह		**93,616.44**		**52,018.49**
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी		**(100.01)**		**(3719.95)**
	जोड़ें : वित्तीय वर्ष के शुरू में नकदी एवं नकदी समतुल्य		825.04		4544.99

	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**725.03**		**825.04**
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्योरा				
	i) बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)				
	चालू खातों में	369.41		211.31	
	मांग जमा खातों में	355.61	725.02	613.72	825.03
	ii) डाक व्यय एवं पेशगी सहित हाथ में चेक, ड्राफ्ट		0.01		0.01
	वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य		**725.03**		**825.04**

*वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 4464.15 करोड़ के अंतरिम लाभांश के भुगतान में वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित ₹ 446.04 करोड़ शामिल हैं।

वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बॉण्ड / डिबेंचर	"सावधि ऋण"	विदेशी मुद्रा ऋण	वाणिज्यिक पत्र	डब्ल्यूसीडीएल आदि	सबॉर्डिनेटिड ऋण	कुल
	1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	**329,059.77**	**2,750.00**	**29,524.43**	**–**	**2,400.79**	**6,300.00**	**370,034.99**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	23,604.86	8,175.00	17,942.68	10,044.84	(2,400.79)	(0.00)	57,366.60
	निम्न के कारण गैर नकदी परिवर्तन :							
	शून्य कूपन बॉण्डों पर डिस्काउंट/ब्याज/वाणिज्यिक पत्रों पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	128.36	–	–	129.90	–	–	258.25
	विनिमय दरों में अंतर	–	–	599.56	–	–	–	599.56
	31 मार्च, 2018 को अंतिम शेष	**352,792.99**	**10,925.00**	**48,066.67**	**10,174.74**	**–**	**6,300.00**	**428,259.40**
	वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(4,737.02)	60,028.55	13,353.18	7,113.04	13,357.17	7,562.70	96,677.63
	निम्न के कारण गैर नकदी परिवर्तन :							
	शून्य कूपन बॉण्डों पर डिस्काउंट तथा वाणिज्यिक पत्रों पर वित्तीय प्रभारों का परिशोधन	139.01	–	–	403.14	–	–	542.14
	विनिमय दरों में अंतर	–	–	2,164.52	–	–	–	2,164.52
	31 मार्च, 2019 को अंतिम शेष	**348,194.98**	**70,953.55**	**63,584.37**	**17,690.92**	**13,357.17**	**13,862.70**	**527,643.69**

*नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा नोट्स विदेशी मुद्रा ऋण के भाग हैं।
**नकदी प्रवाह विवरण में विदेशी मुद्रा ऋण तथा सिंडीकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण के विदेशी मुद्रा ऋण के भाग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(एन बी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–00530741

हस्ता/–
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N

हस्ता/–
(सीए एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N

हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 मई, 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. ग्रुप के बारे में सूचना

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''पीएफसी'' या ''कंपनी'') का निगमन वर्ष 1986 में हुआ। कंपनी भारत में है और शेयरों द्वारा लिमिटेड है, इसका पंजीकृत कार्यालय 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001 में है।

यह कंपनी सरकारी कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण (गैर–जमा स्वीकार करने वाली या धारण करने वाली) गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के यहां पंजीकृत है।

कंपनी के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से ग्रुप कहा गया है), इसकी सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा टिप्पणी 2.4. में सूचीबद्ध इसके संयुक्त उद्यमों में ग्रुप के अधिकार शामिल हैं। ग्रुप मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करता है। हमारे व्यवसाय में विद्युत क्षेत्र को परामर्शी सेवाएं तथा स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास में सुगमता प्रदान करना शामिल है।

आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) का अधिग्रहण :

कंपनी ने 28 मार्च, 2019 को 14,500.00 करोड़ के कुल नकदी प्रतिफल के बदले में ₹139.5036 प्रति शेयर पर आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित 52.63% शेयर होल्डिंग (₹10/– प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 103,93,99,343 इक्विटी शेयर) प्राप्त की है। भुगतान किए गए प्रतिफल तथा आरईसीएल की निवल अभिज्ञेय परिसंपत्तियों में 52.63% शेयर के मूल्य (अर्थात ₹18,181.74 करोड़) के बीच अंतर ₹3,681.74 करोड़ है।

आरईसीएल भी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण (गैर जमा स्वीकार करने वाली या धारण करने वाली) गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के यहां पंजीकृत है।

सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसाय संयोजन के रूप में अधिग्रहण का मूल्यांकन किया गया है तथा टिप्पणी 3.18 में उल्लेख के अनुसार ब्याज की पूलिंग विधि के आधार पर लेखांकित किया गया है। इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के साथ पठित इंड एएस 103 'व्यवसाय संयोजन' के परिशिष्ट–ग के अनुपालन में समेकित वित्तीय विवरण ऐसे तैयार किए गए हैं जैसे कि व्यवसाय संयोजन पिछली अवधि की शुरूआत अर्थात 01.04.2017 से हुआ हो।

2. अनुपालन का विवरण

2.1 ग्रुप ने 01 अप्रैल, 2018 से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (''इंड एएस'' के रूप में संदर्भित) अपनाया है। ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा अन्य लागू विनियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। ये ग्रुप के पहले इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण हैं तथा पारगमन की तारीख 01 अप्रैल, 2017 है।

ग्रुप ने पिछले सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (पिछले जीएएपी) की आवश्यकताओं के अनुसरण में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक अपने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस) तथा आरबीआई के लागू निदेश शामिल थे। ग्रुप ने पारगमन की तारीख के अनुसार अपना प्रारंभिक इंड एएस समेकित तुलन–पत्र तैयार करने में इंड एएस 101–'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना' के प्रावधानों का अनुसरण किया तथा इंड एएस के अनुसार प्रारंभिक शेषों को दोहराने के लिए समायोजन किए गए। पारगमन के प्रभाव को 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक आरक्षित निधि में लेखांकित किया गया है। लेखांकन के समान सिद्धांतों के अनुसरण में तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका प्रयोग ग्रुप के पहले इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में किया जाता है।

पहली बार अपनाने पर कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए अनिवार्य अपवादों तथा वैकल्पिक छूटों का ब्योरा टिप्पणी 4 में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, इंड एएस 101 के अनुसरण में, ग्रुप ने 31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार पिछले जीएएपी के अंतर्गत एवं इंड एएस के अंतर्गत कुल इक्विटी तथा टिप्पणी 53 में ब्योरे के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पिछले जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ और पिछले जीएएपी के अनुसार कुल व्यापक आय का समाधान प्रस्तुत किया है।

2.2 ये समेकित वित्तीय विवरण 29 मई, 2019 को निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2.3 जारी किए गए परंतु अभी तक प्रभावी न किए गए मानक

इंड एएस 116–लीज :

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने इंड एएस 116 'लीज' अधिसूचित किया है। इंड एएस 116 इंड एएस 17 तथा संबद्ध निर्वचनों को प्रतिस्थापित करेगा। यह मानक पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति एवं प्रकटन के सिद्धांतों का वर्णन करता है।

इंड एएस 116 एकल पट्टाधारक लेखांकन मॉडल पुरस्थापित करता है तथा पट्टाधारक से 12 माह से अधिक अवधि वाले सभी पट्टों के

लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मान्य करने की अपेक्षा करता है, जब तक कि अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम न हो। मानक में पट्टाधारकों के लिए प्रकटन की अधिक आवश्यकताएं भी निहित हैं।

इंड एएस 12–परिशिष्ट ग, आयकर संव्यवहार पर अनिश्चितता :

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 'इंड एएस 12–परिशिष्ट ग, आयकर संव्यवहार में अनिश्चितता' को अधिसूचित किया है जिसे कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट तथा कर दरों का निर्धारण करते समय प्रयुक्त किया जाना है, जब इंड एएस 12 के अंतर्गत आयकर संव्यवहार में अनिश्चितता होती है। इस परिशिष्ट के अनुसार, कंपनियों को प्रत्येक कर संव्यवहार या कर संव्यवहारों के ग्रुप को स्वीकार करने वाले संगत कर प्राधिकारी की लाभप्रदता का निर्धारण करना है, जिसे उन्होंने अपनी आयकर विवरणी में प्रयुक्त किया है या प्रयोग करने की योजना बनाई है जिसके बारे में यह समझा जाएगा कि कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट तथा कर दरों का निर्धारण करते समय कर संव्यवहार के अपेक्षित मूल्य या सर्वाधिक संभावित राशि की गणना की गई है।

इंड एएस 12–आयकर में संशोधन :

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने लाभांश वितरण कर के लेखांकन के सिलसिले में इंड एएस 12, 'आयकर' में मार्ग–दर्शन में संशोधन जारी किया। संशोधन स्पष्ट करता है कि कोई संस्था लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के आयकर के प्रभावों को इसके अनुसार मान्य करेगी जहां इक्विटी ने मूलतः उन पिछले लेन–देन या घटनाओं को मान्य किया है।

इंड एएस 19 – योजनागत संशोधन, काट छांट या निस्तारण में संशोधन :

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने योजनागत संशोधनों, काट–छांट एवं निस्तारण के लिए लेखांकन के सिलसिले में संशोधन जारी किया जिसके अंतर्गत संस्था से वर्तमान सेवा लागत तथा योजना में संशोधन, काट–छांट या निस्तारण के बाद शेष अवधि के लिए निवल ब्याज के निर्धारण के लिए अद्यतन मान्यताओं का प्रयोग करने और पिछली सेवा लागत अथवा निस्तारण पर अभिलाभ या हानि, सरप्लस में किसी कटौती के अंग के रूप में लाभ या हानि में मान्य करने की आवश्यकता है, भले ही परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव के कारण पहले वह सरप्लस मान्य न किया गया हो।

इन संशोधनों के लागू होने की प्रभावी तारीख 01 अप्रैल, 2019 को या इसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। ग्रुप इस समय समेकित वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

2.4 समेकित वित्तीय विवरण कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम संस्था और सहयोगी कंपनियों के लेखाओं के समेकन को निम्नानुसार दर्शाते हैं :

क्र. सं.	कंपनी का नाम		निगमन का देश	स्वामित्व अधिकार का अनुपात			31 मार्च, 2019 को लेखापरीक्षा की स्थिति
				31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को	
1	आरईसी लिमिटेड' (टिप्पणी 1 देखें)		भारत	52.63%	52.63%	52.63%	लेखापरीक्षित
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)* (टिप्पणी 2.4.2 देखें)		भारत	100%	100%	100%	गैर–लेखा परीक्षित
3	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (टिप्पणी 2.4.3 देखें)		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
संयुक्त उद्यम :							
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	कंपनी का शेयर	भारत	36.36% टिप्पणी 2.4.5 देखें)	31.71%	31.71%	गैर–लेखा परीक्षित
		आरईसीएल के माध्यम से		21.70%	31.71%	31.71%	
		ग्रुप का शेयर		58.06%	63.42%	63.42%	
सहयोगी :							
1	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
2	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
3	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
4	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
5	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
6	सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
7	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
8	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
9	देवघर मेगा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
11	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
12	देवघर इंफ्रा लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
13	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित
15	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड		भारत	100%	100%	100%	लेखापरीक्षित

*समेकन के लिए इन कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों को प्रयुक्त किया गया है।

2.4.1 वर्ष के दौरान, कंपनी ने 28 मार्च, 2019 को ₹ 14,500.00 करोड़ के कुल नकदी प्रतिफल के बदले में ₹ 139.5036 प्रति शेयर पर आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल) में भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित 52.63% शेयर होल्डिंग (₹ 10/– प्रति शेयर के अंकित मूल्य के 103,93,99,343 इक्विटी शेयर) प्राप्त की है। इस निवेश के जरिए कंपनी आरईसीएल की नियंत्रक कंपनी बन गई है।

2.4.2 05 फरवरी, 2019 को समामेलन का अनुमोदन करने वाले कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में, निर्धारित तारीख अर्थात 01 अप्रैल, 2018 से कंपनी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के साथ पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसिज लिमिटेड (पीएफसीसीएएस) का समामेलन किया गया है। जैसा कि आदेश में निहित है, इंड एएस 103 'व्यवसाय संयोजन' के परिशिष्ट–ग के अनुसार समामेलन की योजना लेखांकित की गई है।

2.4.3 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19 मार्च, 2019 के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों से पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजरी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, का नाम हटाने/विलय करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। इसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

2.4.4 समामेलन को अनुमोदित करने वाले कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश दिनांक 7 फरवरी, 2019 के अनुपालन में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीइएल) जो कंपनी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, का निर्धारित तारीख अर्थात 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी के साथ समामेलन किया गया है। जैसा कि आदेश में निहित है, इंड एएस 103 'व्यवसाय संयोजन' के परिशिष्ट–ग के अनुसार समामेलन की योजना लेखांकित की गई है।

2.4.5 कंपनी ने 02 जुलाई, 2018 को 99 करोड़ के प्रतिफल के बदले में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (ईईएसएल) के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर प्राप्त किए। इसके बाद, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में कंपनी की शेयर होल्डिंग 31.71% से बढ़कर 36.36% हो गई है। ईईएसएल में कंपनी की सहायक कंपनी आरईसीएल 21.70 शेयरों का धारक है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल में कंपनी का प्रभावी स्वामित्व अधिकार 58.06% है।

2.4.6 आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, अग्रिमों की ऋणमुक्ति में अधिग्रहीत ऋणी कंपनियों जिनमें कंपनी 20% या अधिक इक्विटी शेयर पूंजी की धारक है, को समेकित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

3.0 लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त ग्रुप की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दी गई हैं :

3.1 तैयारी और मापन का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का प्रयोग करके सतत सरोकार आधार पर तैयार किए गए हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐतिहासिक लागत पर या परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर किया गया है।

उचित मूल्य वह मूल्य होता है जो मापन की तारीख को बाजार के प्रतिभागियों के बीच किसी क्रमबद्ध लेन–देन में किसी संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त होगा या किसी देयता के अंतरण पर भुगतान किया जाएगा, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह मूल्य मूल्यांकन की दूसरी तकनीक का प्रयोग करके सीधे पालनीय या अनुमानित है।

उचित मूल्य के मापों को इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार लेवल 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया गया है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

– लेवल 1 के इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं जिनका मूल्यांकन संस्था मापन की तारीख को कर सकती है, के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (गैर समायोजित) हैं;

– लेवल 2 के इनपुट लेवल 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों से भिन्न हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए पालनीय हैं; और

– लेवल 3 के इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए अपालनीय इनपुट हैं।

3.2 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से 'ग्रुप' कहा गया है) के वित्तीय विवरणों को शामिल किया गया है। ग्रुप ने संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश किया है जिनको इन समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित किया गया है।

समेकन के प्रयोजनार्थ सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी की समान रिपोर्टिंग तारीख तक के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(i) **सहायक कंपनियां :**

सहायक कंपनी ऐसी संस्था होती है जिसके ऊपर कंपनी का नियंत्रण होता है। कंपनी किसी संस्था को तब नियंत्रित करती है जब संस्था के साथ कंपनी की भागीदारी से उसके पास परिवर्तनीय प्रतिफल का अधिकार होता है और संस्था की संगत गतिविधियों का निदेशन करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने का सामर्थ्य होता है। सहायक कंपनियां उस तारीख से पूर्णतः समेकित हैं जब कंपनी नियंत्रण प्राप्त करती है (सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसाय संयोजन को छोड़कर)।

कंपनी परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय की समान मदों को एकसाथ जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति आधार पर अपनी

सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संयोजित करती है। प्रत्येक सहायक कंपनी में कंपनी के निवेश की वहन राशि तथा प्रत्येक सहायक कंपनी में कंपनी की इक्विटी के अंश का उन्मूलन किया जाता है।

कंपनी एवं सहायक कंपनियों के बीच अंतर कंपनी लेन–देन, शेषों, अप्राप्त अभिलाभों का उन्मूलन किया जाता है। अप्राप्त क्षतियों का भी उन्मूलन किया जाता है, जब तक कि लेन–देन अंतरित परिसंपत्ति के क्षतिग्रस्तता का साक्ष्य प्रदान नहीं करता है।

गैर–नियंत्रक अधिकार (एनसीआई) सहायक कंपनियों में आय, अन्य व्यापक आय तथा निवल परिसंपत्तियों के ऐसे अनुपात को दर्शाते हैं जिनको कंपनी के शेयरधारकों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। गैर–नियंत्रक अधिकारों को शुरू में अधिग्रहिती की अभिज्ञेय निवल परिसंपत्तियों की स्वीकृत राशियों के आनुपातिक शेयर पर मापा गया है। अधिग्रहण के बाद, गैर–नियंत्रक अधिकारों की वहन राशि आरंभिक स्वीकृति पर अधिकार की राशि तथा इक्विटी में परवर्ती परिवर्तनों के गैर–नियंत्रक अधिकारों का शेयर है।

समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेन–देन तथा अन्य घटनाओं के लिए लगातार एक समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं और यथासंभव उसी ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं जिस तरह कंपनी के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, केवल उसे छोड़कर जिसका अन्यथा उल्लेख किया जाता है। जहां आवश्यक समझा गया है, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को ग्रुप की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किए जाते हैं।

यदि कंपनी किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देती है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा किसी संबद्ध एनसीआई तथा इक्विटी के अन्य घटकों को विमान्य कर देती है। पिछली सहायक कंपनी में किसी प्रतिधारित अधिकार को नियंत्रण खोने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(ii) संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनी :

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके माध्यम से पक्षकारों जिनका व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण है, को व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की संविदात्मक रूप से सहमत हिस्सेदारी है, जो तभी मौजूद होता है जब संगत गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए नियंत्रण में हिस्सा रखने वाले पक्षकारों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

सहयोगी कंपनी ऐसी संस्था होती है जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी करने की शक्ति है परंतु यह इन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों के परिणामों और परिसंपत्तियों एवं देयताओं को इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन की इक्विटी विधि का प्रयोग करके समाविष्ट किया जाता है, केवल उसे छोड़कर जब निवेश या उसके किसी भाग को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें यह बिक्री की लागत को घटाकर उनकी वहन राशि एवं उचित मूल्य के कम स्तर पर मापा जाता है। इक्विटी विधि के अंतर्गत, किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी में निवेश को शुरू में लागत पर समेकित तुलन–पत्र में मान्य किया जाता है और इसके बाद संयुक्त उद्यम या सहयोगी के लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय में ग्रुप के शेयर को मान्य करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी से प्राप्त वितरण से निवेश की वहन राशि घट जाती है।

संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण या सहयोगी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव खोने पर, कंपनी किसी प्रतिधारित अधिकार को उसके उचित मूल्य पर मापती है और मान्य करती है। संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव खोने पर संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी की वहन राशि और प्रतिधारित अधिकार के उचित मूल्य एवं निपटान से आय को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3.3 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हाथ में नकदी और मांग जमा शामिल है। ग्रुप सभी अल्पावधि शेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन माह या कम है), उच्च तरल निवेश जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं, को नकदी समतुल्य समझता है।

3.4 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

3.4.1 ब्याज दर तथा विदेशी विनिमय दर के जोखिमों पर अपने एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए ग्रुप कई प्रकार के डेरिवेटिव वित्तीय लिखत जैसे कि मूलधन केवल स्वैप, ब्याज दर स्वैप, ऑप्शन तथा वायदा संविदाएं करता है।

3.4.2 ग्रुप नकदी प्रवाह हेजिंग या उचित मूल्य हेजिंग के रूप में हेजिंग संबंध के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव संविदाएं निर्दिष्ट करता है।

<u>नकदी प्रवाह हेज</u>

डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तनों के प्रभावी अंश जो नकदी प्रवाह हेजिंग के रूप में निर्दिष्ट किए जाते हैं और अर्हक हैं, को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है। निष्प्रभावी अंश से संबंधित अभिलाभ या हानि को तत्काल लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है। अन्य व्यापक आय में मान्य राशियां (जो प्रभावी अंश हैं) ऐसी अवधियों में लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती हैं जब हेज़्ड मद लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

<u>उचित मूल्य हेजिंग</u>

डेरिवेटिव के निर्दिष्ट अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन जो उचित मूल्य हेजिंग के रूप में अर्हक होते हैं, लाभ और हानि विवरण में हेज की गई मद जो हेज किए गए जोखिम पर आरोप्य होती है, के उचित मूल्य में किसी परिवर्तन के साथ तत्काल मान्य किए जाते हैं। हेजिंग लिखत के निर्दिष्ट अंश के मूल्य में परिवर्तन तथा हेज किए गए जोखिम पर आरोप्य हेज की गई मद में परिवर्तन हेज की गई मद से संबंधित लाइन मद में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किए जाते हैं।

जब हेज की गई लिखत की अवधि समाप्त हो जाती है या कालातीत हो जाती है या प्रयुक्त हो जाती है या जब यह हेजिंग लेखांकन के लिए अर्हक नहीं होती है, तो हेजिंग लेखांकन बंद हो जाता है।

3.4.3 हेज़ संबंध के अंतर्गत निर्दिष्ट डेरिवेटिव लिखतों को छोड़कर, डेरिवेटिव लिखतों को शुरू में तारीख जब डेरिवेटिव लिखत के करार किए जाते हैं, को उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद रिपोर्टिंग की प्रत्येक अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। परिणामी अभिलाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3.5 वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है, जब ग्रुप वित्तीय लिखतों के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

शुरूआती मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य प्लस/माइनस लेन–देन लागत पर मान्य किया जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या निर्गम पर आरोप्य है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मामले में जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर मान्य की जाती हैं, उसकी लेन–देन लागत लाभ एवं हानि विवरण में मान्य की जाती है।

3.5.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित बिक्री या क्रय को निपटान की तारीख के आधार पर मान्य एवं विमान्य किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों का नियमित क्रय या बिक्री ऐसी बिक्री या क्रय है जिसके लिए बाजार स्थल में विनियम या अभिसमय द्वारा स्थापित समय सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है।

शुरूआती मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में पूर्णतः मापा जाता है।

i) <u>**वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से भिन्न) का वर्गीकरण एवं मापन**</u>

क) <u>**परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :**</u>

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है :

- परिसंपत्ति किसी व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों का धारण करना है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीख को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि

प्रभावी ब्याज दर विधि वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत की गणना करने तथा अपेक्षित जीवनकाल में ब्याज आय आबंटित करने की विधि है। ईआईआर विधि का प्रयोग करते समय ग्रुप सामान्यतया किसी शुल्क, प्राप्त या संदत्त प्वाइंट, लेन–देन लागत तथा अन्य प्रीमियम या डिस्काउंट जो किसी वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है, परिशोधित करता है।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी ब्याज दर आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में आय को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की शुरूआती मान्यता पर ईआइआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रत्येक रीसेट पर ईआइआर को अपडेट किया जाता है।

जब वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तों पर फिर से वार्ता की जाती है, तो बाजार चालित ब्याज दर मूवमेंट से भिन्न,

संशोधन से पूर्व यथा परिकलित पिछले ईआईआर का प्रयोग करके मापे गए किसी अभिलाभ/हानि को लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसके दौरान पुनः वार्ता होती है।

ख) <u>**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां**</u>

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्ति का मापन किया जाता है :

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्धारित तारीखों को नकदी प्रवाहों को जन्म देती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज के अनन्य भुगतान (एसपीपीआई) हैं।

उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और रिजर्व में संचित किया जाता है।

(ग) <u>लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां</u>

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है, जब तक कि उसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्य उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापा न गया हो।

ii) इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण एवं मापन

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में इक्विटी निवेश से भिन्न सभी इक्विटी निवेश उचित मूल्य पर मापे जाते हैं। ट्रेडिंग के लिए धारित किए गए इक्विटी लिखतों को एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी लिखतों के लिए ग्रुप शुरूआती मान्यता पर उसे एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अप्रतिसंहार्य चुनाव करता है। ग्रुप लिखत दर लिखत आधार पर ऐसा चुनाव करता है।

एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश को शुरू में उचित मूल्य प्लस लेन–देन लागत पर मापा जाता है। उसके बाद उसे उचित मूल्य पर मापा जाता है और उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है और आरक्षित निधि में संचित किया जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से लाभ एवं हानि विवरण में राशियों की कोई रिसाइक्लिंग नहीं होती है। तथापि, ग्रुप इक्विटी के अंदर उसका अंतरण करता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों की खराबी

क) शुरूआती मान्यता के बाद, ग्रुप इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्य करता है। ऋण परिसंपत्तियों से भिन्न ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों पर ईसीएल को आजीवन अपेक्षित क्षतियों के बराबर राशि पर मापा जाता है। ग्रुप "वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता" के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में ईसीएल प्रभार या प्रत्यावर्तन (जहां निवल राशि विशिष्ट अवधि के लिए ऋणात्मक शेष है) दर्शाता है।

ईसीएल की मान्यता एवं मापन के लिए क्षतिग्रस्तता की आवश्यकताओं को एफवीटीओसीआई पर ऋण परिसंपत्ति पर समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, सिवाय इसके कि ईसीएल को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता है और तुलन–पत्र में वहन राशि से कटौती नहीं की जाती है।

ख) चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों एवं प्रतिबद्धताओं की क्षतिग्रस्तता :

ग्रुप आजीवन ईसीएल के समान राशि पर ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल का मापन करता है, यदि क्रेडिट क्षतिग्रस्तता होती है या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर) हुई है। यदि शुरूआती मान्यता की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं होता है, तो ग्रुप 12 माह के ईसीएल के बराबर राशि पर ईसीएल मापता है। इस बात का मूल्यांकन करते समय कि शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर है, ग्रुप तर्कसंगत एवं समर्थनीय सूचना पर विचार करता है जो अनुचित लागत या प्रयास के बगैर उपलब्ध होती है। यदि ग्रुप पिछली अवधि में आजीवन ईसीएल के रूप में हानि छूट का मापन करता है परंतु परवर्ती अवधि में निर्धारित करता है कि क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार के कारण शुरूआती मान्यता के बाद कोई एसआईसीआर नहीं है, तो ग्रुप पुनः 12 माह के ईसीएल के आधार पर हानि छूट का मापन करता है।

ईसीएल क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों के लिए व्यक्तिगत आधार पर मापा जाता है तथा अन्य ऋण परिसंपत्तियों पर यह सामान्यतया सजातीय समूहों का प्रयोग करके सामूहिक आधार पर मापा जाता है।

ग्रुप ऋण परिसंपत्तियों की तरह समान आधार पर एलओसी के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं पर क्षतिग्रस्तता का मापन करता है।

ग) परिणामी हानियों एवं प्रत्यावर्तनों (रिवर्सल) को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

घ) आरईसी लिमिटेड के मामले में, वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल उस समय आंशिक रूप से या पूर्णतः बट्टे खाते डाला जाता है जब कंपनी वसूली के पीछे पड़ना छोड़ देती है।

iv) <u>वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यता</u>

समूह किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब विमान्य करता है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब यह किसी दूसरे पक्षकार को वित्तीय परिसंपत्ति तथा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सारवान रूप से सभी जोखिमों एवं इनामों को अंतरित कर देता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की पूर्णतः विमान्यता पर, परिसंपत्ति की वहन राशि एवं प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल की रकम तथा संचयी अभिलाभ या हानि जिसे अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था, के बीच अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है यदि ऐसे अभिलाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्य किया गया है।

3.5.2 वित्तीय देयताएं

i) डेरिवेटिव तथा वित्तीय गारंटी संविदाओं से भिन्न सभी वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देयता की शुरूआती मान्यता पर ईआईआर का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में रीसेट की संबंधित तारीख को परिवर्तनशील ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआईआर को अपडेट किया जाता है।

ii) वित्तीय गारंटी

ग्रुप द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है और यदि एफवीटीपीएल पर निर्दिष्ट नहीं है, तो बाद में निम्नलिखित के उच्चतर स्तर पर मापा जाता है :

- गारंटी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम अनुमान; और
- उपयुक्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्य आय की संचयी राशि को घटाकर शुरू में मान्य की गई राशि।

iii) वित्तीय देयताओं की विमान्यता

ग्रुप वित्तीय देयताओं को तब और केवल तभी विमान्य करता है जब ग्रुप की बाध्यताएं उन्मुक्त, रद्द या समाप्त हो जाती हैं। विमान्य वित्तीय देयता की वहन राशि और संदत्त एवं संदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

3.5.3 वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन (ऑफसेटिंग)

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का प्रतितुलन (ऑफसेट) किया जाता है और निवल राशि तुलन–पत्र में सूचित की जाती है यदि मान्य राशियों के प्रतितुलन (ऑफसेट) के लिए वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार होता है तथा परिसंपत्तियों की एक साथ वसूली तथा देयताओं के निपटान के लिए निवल आधार पर निपटान का उद्देश्य होता है।

3.6 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं जिन्होंने भावी प्रयोग को अनिश्चित किया है। निवेश संपत्तियों को शुरू में लेन–देन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। शुरूआती मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर व्यक्त किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण की लागत शामिल हैं यदि पूंजीकरण के मानदंड पूरे होते हैं और आशयित प्रयोग के लिए कार्यसाधक स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने की लागत पर सीधे आरोपित करने योग्य हैं। क्रय मूल्य तैयार करने में किसी ट्रेड डिस्काउंट एवं रिबेट की कटौती की जाती है।

उत्तरवर्ती लागतों को उपयुक्तता के अनुसार केवल तभी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब इस बात की संभावना होती है कि मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ एक साल के बाद ग्रुप को प्रवाहित होंगे। सभी अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

उत्तरवर्ती मापन (मूल्यह्रास तथा उपयोगी जीवनकाल)

ग्रुप के पास निवेश संपत्ति के रूप में केवल भूमि है, जिस पर मूल्यह्रास नहीं होता है।

विमान्यता

निवेश संपत्ति को निपटान पर या उस समय पर विमान्य किया जाता है जब निवेश संपत्ति को प्रयोग से स्थायी रूप से हटा दिया जाता है और निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। संपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि (निपटान की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ और हानि विवरण में उस अवधि में शामिल किया जाता है जिसमें संपत्ति को विमान्य किया जाता है।

3.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा मूल्यह्रास

i. शुरू में पीपीई की मदों को लागत पर मान्य किया जाता है। इसके बाद फ्रीहोल्ड भूमि जिसके लिए मूल्यह्रास नहीं किया जाता है, को छोड़कर, संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर लागत पर मापन किया जाता है। सक्रिय प्रयोग से निवृत्त तथा निपटान के लिए धारित पीपीई की मद को उसके बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर व्यक्त किया जाता है।

ii. लीजहोल्ड परिसरों के सुधार पर खर्च की राशि को लागत में मान्य किया जाता है तथा इसे पीपीई के अंतर्गत ''लीजहोल्ड सुधार'' के रूप में दर्शाया जाता है।

iii. प्रयोग में रखी गई परिसंपत्तियों के मामले में, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमोदित बिलों या संविदाओं के

अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य जहां अंतिम बिल अभी तक प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुआ है, के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

iv. पीपीई की किसी मद के प्रतिस्थापित पार्ट की लागत को मद की वहन राशि में मान्य किया जाता है यदि ऐसी संभावना होती है कि पार्ट में शामिल भावी आर्थिक लाभ ग्रुप को प्रवाहित होंगे तथा उसकी लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। प्रतिस्थापित पार्ट की वहन राशि विमान्य की जाती है। पीपीई की अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को व्यय के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

v. निर्माणाधीन पीपीई को लागत पर अग्रेनीत किया जाता है तथा कोई मान्य क्षतिग्रस्तता हानि घटाई जाती है। पीपीई की ऐसी मदों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणियों में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूर्ण और आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं। अन्य परिसंपत्तियों की तरह इन परिसंपत्तियों का मूल्यहास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियां अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

vi. निम्नलिखित को छोड़कर, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में ह्रासित मूल्य विधि के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर परिसंपत्ति की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यहास मान्य किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित जीवनकाल के समान है :

पीपीई की प्रकृति	पीपीई का जीवनकाल
सेल फोन [(1)]	2 वर्ष
लीजहोल्ड सुधार [(2)]	पट्टा अवधि या उनका उपयोगी जीवनकाल, जो भी कम हो (पीएफसीसीएल के मामले में)

*आरईसी लिमिटेड द्वारा सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

[(1)] ग्रुप द्वारा उपयोगी जीवनकाल 2 साल माना गया है।

[(2)] लीजहोल्ड सुधारों को सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

vii. वर्ष के दौरान पीपीई में वृद्धि/कटौती पर मूल्यहास को उस माह से/तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है जिसमें प्रयोग के लिए परिसंपत्ति उपलब्ध है/निपटान की गई है।

viii. निपटान पर या परिसंपत्ति का प्रयोग जारी रखने से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद न होने पर पीपीई की किसी मद को विमान्य किया जाता है। पीपीई की किसी मद की विमान्यता पर उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण बिक्री की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

ix. क्रय के वर्ष में 5000/– तक की लागत वाले पीपीई की प्रत्येक मद का पूर्णतः मूल्यहास किया जाता है।

x. रिपोर्टिंग की तारीख को निर्माणाधीन पीपीई की लागत का खुलासा 'पूंजी कार्य प्रगति पर' के रूप में किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण की लागत शामिल हैं यदि पूंजीकरण के मानदंड पूरे होते हैं और आशयित प्रयोग के लिए कार्यसाधक स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने की लागत पर सीधे आरोपित करने योग्य हैं। क्रय मूल्य तैयार करने में किसी ट्रेड डिस्काउंट एवं रिबेट की कटौती की जाती है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया है, को 'पूंजी अग्रिम' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

3.8 अमूर्त परिसंपत्तियां एवं परिशोधन

i. निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों जिनकी अलग से खरीद की जाती है, को लागत पर मान्य किया जाता है। लागत में परिसंपत्ति के आशयित प्रयोग के लिए उसे तैयार करने के लिए कोई सीधे आरोप्य आवश्यक आनुषंगिक व्यय शामिल होता है। परवर्ती मापन लागत पर किया जाता है जिसमें से संचित परिशोधन एवं संचित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाई जाती है। परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा आधार पर मान्य किया जाता है।

ii. किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके आशयित प्रयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रनीत किया जाता है।

iii. निश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल ग्रुप द्वारा 5 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। पीएफसीसीएल के मामले में, अनुमानित जीवनकाल 36 वर्ष है।

iv. निपटान पर या जब प्रयोग अथवा निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है तब अमूर्त परिसंपत्तियों को विमान्य किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न किसी अभिलाभ या हानि का निर्धारण निपटान की निवल आय तथा परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

v. किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके आशयित प्रयोग के लिए तैयार रहने तक विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अग्रनीत किया जाता है।

3.9 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां/निपटान समूह

परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी वहन राशि प्रधान रूप से बिक्री लेन–देन के माध्यम

से, न कि सतत प्रयोग से वसूल होगी और बिक्री की काफी संभावना होती है। आस्थगित कर जैसी परिसंपत्तियों, कार्मिक लाभ से उत्पन्न परिसंपत्तियों, वित्तीय परिसंपत्तियों तथा बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदात्मक अधिकारों को छोड़कर, जिनको इस आवश्यकता से विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है, उनको बिक्री की लागत को घटाकर उनकी वहन राशि या उचित मूल्य के कमतर स्तर पर मापा जाता है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है, जब वे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होती हैं। बिक्री के लिए धारित गैर वर्तमान परिसंपत्तियों को तुलन–पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

जहां ग्रुप किसी बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध होता है जिसमें किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण खोना शामिल है, तो यह निवेश को बिक्री के लिए धारित के रूप में एंटिटी (अर्थात एंटिटी की सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं) में वर्गीकृत करता है।

3.10 प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

i. प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पिछली घटना के फलस्वरूप ग्रुप की कोई वर्तमान विधिक या निर्माणकारी बाध्यता होती है, यदि यह संभवना हो कि ग्रुप से बाध्यता का निपटान करने की अपेक्षा होगी और बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि बाध्यता से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूदा बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है।

iii. जब कुछ या सभी आर्थिक हितलाभों का निपटान करने की आवश्यकता होती है, तो तीसरे पक्ष से प्रावधान प्राप्त होने की उम्मीद होती है, प्राप्य प्रावधान को परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है यदि आभासिक रूप में निश्चित होता है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी तथा प्राप्य प्रावधान की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

iv. जहां यह संभावना होती है कि आर्थिक हितलाभों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा अथवा विश्वसनीय ढंग से राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेखाओं पर टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में बाध्यता का खुलासा किया जाता है, जब तक कि आर्थिक हितलाभों के बहिर्प्रवाह की संभावना कम न हो।

3.11 आय एवं व्यय की मान्यता

i. बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याजगत आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआइआर) ऐसी दर है जो शुरूआती मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल में अनुमानित भावी नकदी प्राप्तियों को सटीक रूप में डिस्काउंट करती है।

ii. इसके बाद वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ब्याज को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर मान्य किया जाता है।

iii. ऋणकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय से भुगतान के लिए रिबेट को समय से संपूर्ण देय ब्याज राशि की प्राप्ति पर संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में मान्य किया जाता है और समतुल्य ब्याज आय के विरूद्ध डाला जाता है।

iv. प्रदान की गई सेवाओं से आय को रिपोर्टिंग तारीख को संविदा की समाप्ति के चरण के संदर्भ में करारों/व्यवस्थाओं की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है।

v. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार शुरू की गई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के सिलसिले में परामर्शी सेवाओं से राजस्व को पूर्ण संविदा विधि के आधार पर मान्य किया जाता है अर्थात जब परियोजना के लिए सृजित आईटीपी/यूएमपीपी सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाता है जिसका साक्ष्य शेयर क्रय करार होता है। इन परियोजनाओं के विकास पर खर्च की गई राशि जो सीधी लागत के रूप में वसूल नहीं की जाती है, प्रबंधन द्वारा निर्णीत सहमत प्रभार दर पर बिलिंग के माध्यम से वसूल की जाती है।

vi. स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों से बिक्री आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब यह प्राप्त होती है।

vii. विद्युत तथा कोयला फ्लेक्सिबिलिटी योजना की अल्प/मध्यम अवधि बोली से आय को उस समय मान्य किया जाता है जब सफल बोलीदाता को कार्यादेश पत्र (एलओए) जारी किया जाता है।

viii. निवेश से लाभांश आय को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के लिए ग्रुप का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो उद्धृत प्रतिभूतियों के मामले में पूर्व लाभांश तारीख है।

ix. बाद में परिशोधित लागत पर मापे गए ऋणों पर ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके मान्य किया जाता है।

x. अन्य आय एवं व्यय को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

xi. 1,00,000/– तक के पूर्वदत्त व्यय को शुरूआती मान्यता पर व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

3.12 शेयरों के निर्गम पर व्यय

शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

3.13 ऋण की लागतें

ऋण की लागतों में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जिन्हें ग्रुप निधियां ऋण लेने के सिलसिले में व्यय करता है। ऋण की लागतें जो

अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण और/या निर्माण पर तब तक सीधे आरोप्य हैं जब तक कि ऐसी अर्हक परिसंपत्ति आशयित प्रयोग या बिक्री के लिए तैयार नहीं होती है, को पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक परिसंपत्ति ऐसी परिसंपत्ति होती है जो आशयित प्रयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

ऋण की सभी अन्य लागतों को प्रभावी ब्याज दर विधि के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

3.14 कार्मिक हितलाभ

i. परिभाषित अंशदान योजना
भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ग्रुप के प्रदत्त/देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में उस समय मान्य किया जाता है जब कार्मिक ऐसी सेवा प्रदान कर चुके होते हैं जिसके आधार पर वे अंशदान के लिए हकदार बनते हैं।

ii. परिभाषित हितलाभ योजना
कार्मिकों को उपदान तथा सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, आर्थिक पुनर्वास हितलाभ तथा स्थापन भत्ता के लिए ग्रुप की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः मापन पर बीमांकक अभिलाभ/हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किया जाता है। पिछली सेवा लागत को लाभ एवं हानि विवरण में योजना संशोधन की अवधि में मान्य किया जाता है।

iii. अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ
छुट्टी नकदीकरण, सेवा पुरस्कार योजना के लिए ग्रुप की बाध्यता का निर्धारण प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जा रहे बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया जाता है। इन बाध्यताओं को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

iv. अल्पावधि कार्मिक हितलाभ
अल्पावधि कार्मिक लाभों जैसे कि वेतन एवं मजदूरी को लाभ एवं हानि विवरण में उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित लाभों की गैर बट्टाकृत राशि पर उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

v. कार्मिकों को रियायती दर पर ऋण

कार्मिकों को रियायती दर पर प्रदान किए गए ऋणों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और इसके बाद परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के आरंभिक उचित मूल्य तथा लेन–देन मूल्य में अंतर को ऋण के निर्गम पर आस्थगित कार्मिक लागत के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे ऋण की अपेक्षित शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की अपेक्षित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में परिवर्तन की तारीख को अपरिशोधित आस्थगित कार्मिक लागत को पुरोगामी आधार पर ऋण की अद्यतन अपेक्षित शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

3.15 आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसे लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह ऐसी मद से संबंधित होता है जो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य की जाती है तथा ऐसे मामले में कर को भी ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

i. वर्तमान कर
वर्तमान कर लागू की गई या सारवान रूप से लागू की गई तथा रिपोर्टिंग तारीख को यथालागू कर दरों और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में किसी समायोजन का प्रयोग करके वर्ष के लिए कराधेय आय पर देय अपेक्षित कर है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन (ऑफसेट) किया जाता है जब मान्य राशि के प्रतितुलन के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय कोई अधिकार होता है और निवल आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा होता है।

ii. आस्थगित कर
समेकित वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर को परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशियों तथा कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त समतुल्य कर आधारों के बीच अस्थाई अंतरों पर मान्य किया जाता है। परिसंपत्तियों/देयताओं की वहन राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षित विधि के आधार पर रिपोर्टिंग तारीख तक अधिनियमित या सारवान रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर कर दरों पर आस्थगित कर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उस समय प्रतितुलन किया जाता है जब देयताओं के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होता है तथा वे समान कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों से संबंधित होती हैं।

आस्थगित कर देयता को सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है तथा उस सीमा तक घटाया जाता है जहां तक अब ऐसी संभावना नहीं रहती है कि संबंधित कर लाभ वसूल किए जाएंगे।

iii. लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्य किया जाता है जब लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्य किया जाता है।

3.16 पट्टा

i. वित्त पट्टा के अंतर्गत पट्टा धारक से देय राशि को पट्टा में ग्रुप के निवल निवेश की समान राशि पर प्राप्य के रूप में मान्य किया जाता है। रिपोर्टिंग तारीख को पट्टा के संबंध में ग्रुप के बकाया निवल निवेश पर प्रतिफल की लगातार आवधिक दर को दर्शाने के लिए लेखांकन अवधि में पट्टा पर वित्त आय आबंटित की जाती है।

ii. क्रियाशील पट्टों के अंतर्गत भुगतान एवं प्राप्ति को पट्टा की अवधि में सीधी रेखा आधार पर क्रमशः व्यय एवं आय के रूप में मान्य किया जाता है।

iii. अस्थायी पट्टा के अंतर्गत भूमि को क्रियाशील पट्टा के रूप में माना जाता है। भुगतान किए गए पट्टा प्रीमियम को पट्टा की अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

3.17 विदेशी मुद्रा लेन–देन एवं परिवर्तन

ग्रुप की व्यावहारिक मुद्रा भारतीय रुपया है। विदेशी मुद्रा के लेन–देन को लेन–देन की तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके व्यावहारिक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में वर्णित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके रूपांतरित किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। तथापि, 1 अप्रैल, 2018 से पूर्व वित्तीय विवरणों में मान्य दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लिए विनिमय दर में ऐसे अंतरों को ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा'' में संचित किया जाता है और ऐसी दीर्घावधि मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

3.18 सामान्य नियंत्रण के अधीन व्यवसाय संयोजन

सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाला व्यवसाय संयोजन ऐसा व्यवसाय संयोजन है जिसमें संयोजन की सभी एंटिटियां या व्यवसाय अंततः उसी पक्ष या पक्षों द्वारा व्यवसाय संयोजन के पहले और बाद में भी नियंत्रित होते हैं तथा यह नियंत्रण अस्थायी नहीं होता है।

ब्याज की पूलिंग विधि का प्रयोग करके सामान्य नियंत्रण के अधीन संस्थाओं या व्यवसायों वाले व्यवसाय संयोजनों को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

- संयोजक एंटिटियों की परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनकी वहन राशियों पर दर्शाया जाता है।
- उचित मूल्यों को दर्शाने या नई परिसंपत्तियों अथवा देयताओं को मान्य करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। केवल लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लए समायोजन किए जाते हैं।
- पिछली अवधियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय सूचना को ऐसे पुनः वर्णित किया गया है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्वगामी अवधि आरंभ होने से पहले हुआ है, संयोजन की वास्तविक तारीख जो भी हो।

अंतरक के समेकित वित्तीय विवरणों में उल्लिखित अवधारित अर्जन के शेष को अंतरिती के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित तद्नुरूपी शेष के साथ जोड़ा गया है। रिजर्व की पहचान को कायम रखा जाता है तथा अंतरक के रिजर्व अंतरिती के रिजर्व बन जाते हैं।

जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशि प्लस नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त विवेचन और अंतरक की शेयर पूंजी की राशि के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूंजी रिजर्व में अंतरित किया जाता है तथा अन्य पूंजी रिजर्व से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

3.19 पिछली अवधि की सारवान त्रुटियां

पिछली अवधि की सारवान त्रुटियों को प्रस्तुत पिछली अवधियों जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों का पुनः वर्णन करके उत्तरभावी प्रभाव से ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि से पहले हुई है तो प्रस्तुत शीघ्रातिशीघ्र अवधि के लिए प्रारंभिक शेषों का पुनः वर्णन किया जाता है।

3.20 लाभांश

अंतिम लाभांशों को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है तथा अंतरिम लाभांशों को ग्रुप के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में दर्ज किया जाता है।

3.21 प्रति शेयर अर्जन

ग्रुप के इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि में वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर प्रति शेयर बुनियादी अर्जन की गणना की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना करने के लिए इक्विटी शेयर धारकों पर आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत को सभी तनुकरण योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

4. पहली–बार–अपनाना–अनिवार्य अपवादें और वैकल्पिक छूटें

31 मार्च, 2019 को यथालागू इंड एएस के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इंड एएस में पारगमन (ट्रांजिशन) तारीख के अनुसार पूर्वव्यापी प्रभाव से तथा सभी प्रस्तुत अवधियों के लिए लेखांकन एवं मापन के इन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है।

तथापि, कुछ परिसंपत्तियों के लिए इंड एएस 101 में इंड एएस के पूर्वव्यापी प्रयोग के सामान्य सिद्धांतों में अनिवार्य अपवादों एवं वैकल्पिक छूटों का प्रावधान है। समूह ने इंड एएस का अपना प्रारंभिक समेकित तुलन–पत्र तैयार करने में निम्नलिखित अपवादों एवं छूटों का प्रयोग किया है :

4.1 अनिवार्य अपवादें

i) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं मापन

समूह ने वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का निर्धारण इस शर्त पर किया है कि क्या वे पारगमन की तारीख को मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर परिशोधित लागत के मानदंड या उचित मूल्य के मानदंड को पूरा करते हैं।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

समूह ने इंड एएस 109 की क्षतिग्रस्तता की आवश्यकताओं का प्रयोग किया है। इंड एएस 101 द्वारा अनुमति के अनुसार, इसने पारगमन की तारीख को क्षतिग्रस्तता हानि छूट का निर्धारण करने के लिए तर्कसंगत समर्थनीय सूचना का प्रयोग किया है जो अनुचित लागत या प्रयास के बगैर उपलब्ध है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की विमान्यता

समूह ने 01 अप्रैल, 2017 (पारगमन की तारीख) को या इसके बाद होने वाले लेन–देन के लिए उत्तरव्यापी प्रभाव से वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की विमान्यता की आवश्यकताओं का प्रयोग किया है।

iv) अनुमान

1 अप्रैल, 2017 को इंड एएस के अनुमान पिछले जीएएपी के अनुसरण में किए गए समान तारीख को अनुमानों से संगत हैं (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने के लिए समायोजन के बाद)। समूह ने पारगमन की तारीख को इंड एएस के अनुसरण में अपेक्षित क्रेडिट क्षति मॉडल के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता का अनुमान तैयार किया क्योंकि पिछले जीएएपी के अंतर्गत इनकी आवश्यकता नहीं थी।

4.2 वैकल्पिक छूटें

i) एफवीटीओसीआई पर इक्विटी निवेश

समूह ने पारगमन की तारीख को मौजूद तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर एफवीटीओसीआई पर इक्विटी शेयरों में निवेश (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी कंपनियों में निवेश से भिन्न) और 'स्माल इज ब्यूटीफुल फंड' की यूनिटों में निवेश को नामित करने की छूट का प्रयोग करने का चुनाव किया है।

ii) विदेशी मुद्रा की मौजूदा दीर्घावधि मौद्रिक मदों (एलटीएफसीएमआई) पर विनिमय दर में अंतरों का परिशोधन

समूह में कंपनियों ने 31 मार्च, 2018 तक उनके समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य विदेशी मुद्रा की दीर्घावधि मौद्रिक मदों के लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दर में अंतरों के परिशोधन के संबंध में पिछले जीएएपी के अनुसार नीति को जारी रखने के लिए छूट प्राप्त की है।

iii) पिछला व्यवसाय संयोजन

समूह ने पिछले व्यवसाय संयोजनों जो पारगमन की तारीख से पूर्व उत्पन्न हुए हैं, पर पूर्वव्यापी प्रभाव से इंड एएस 103 'व्यवसाय संयोजन' को लागू न करने का चुनाव किया है।

iv) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में निवेश

समूह ने पिछले जीएएपी के अनुसार संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में अपने सभी निवेशों के वहन मूल्य के साथ जारी रखने के लिए पारगमन की तारीख को उनकी समवत लागत के रूप में छूट प्राप्त की है।

कंपनी की सहायक कंपनियों अर्थात आरईसीएल और पीएफसीसीएल के संबंध में :

v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश संपत्ति तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए समवत लागत

इंड एएस 101 पहली बार अपनाने वाले को पिछले जीएएपी के अनुसार इंड एएस में पारगमन की तारीख को वित्तीय विवरणों में मान्य की गई अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए वहन मूल्य के साथ जारी रखने और देयताओं की डि–कमीशनिंग के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद पारगमन की तारीख को समवत लागत के रूप में प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। तदनुसार, आरईसीएल और पीएफसीसीएल ने अपने पिछले जीएएपी के वहन मूल्य पर अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन करने का चुनाव किया है। आरईसीएल ने इंड एएस 38 'अमूर्त परिसंपत्तियां' के अंतर्गत शामिल अमूर्त परिसंपत्तियों तथा इंड एएस 40 'निवेश संपत्ति' के अंतर्गत शामिल निवेश संपत्ति के लिए भी इस छूट का प्रयोग किया है।

5. अनुमानों तथा प्रबंधन के निर्णय का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से आकस्मिक देयताओं सहित परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि के बारे में निर्णय लेने, अनुमान व्यक्त करने तथा धारणाएं अपनाने की आवश्यकता होती है, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होती हैं। अनुमान तथा अंतर्निहित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव तथा संगत कारकों पर आधारित होती हैं और सतत आधार पर इनकी समीक्षा की जाती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन के अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है अथवा संशोधन की अवधि तथा भावी अवधियों में मान्य किया जाता है यदि वर्तमान एवं भावी दोनों अवधियों को प्रभावित करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से लेखांकन की नीतियों का प्रयोग करने में अनुमान, अनिश्चितता एवं महत्वपूर्ण निर्णयों जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना इस प्रकार है :

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता जांच (अपेक्षित क्रेडिट क्षति)

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति के लिए क्षतिग्रस्तता हानि छूट के मापन के लिए सांख्यिकीय मॉडलों, भावी आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं तथा क्रेडिट व्यवहार (उदाहरण के लिए, ऋणकर्ताओं द्वारा चूक किए जाने की संभावना तथा परिणामी क्षतियां) के प्रयोग की आवश्यकता होती है।

क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों से वसूल किए जाने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुमान में समूह ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति, परियोजना की वर्तमान स्थिति, प्रतिभूतियों/कोलेटरल से निवल वसूली योग्य मूल्य आदि के बारे में निर्णय लेती है। ये अनुमान विभिन्न धारणाओं पर आधारित होते हैं, वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं जिससे क्षतिग्रस्तता हानि छूट में परिवर्तन हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, चूक तथा वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की पहचान करने में और समान वित्तीय परिसंपत्तियों का सजातीय ग्रुप तैयार करने के लिए भी निर्णय लिए जाते हैं। क्षतिग्रस्तता के मूल्यांकन में ऋण पोर्टफोलियों से डाटा, एरियर के स्तर तथा ऐतिहासिक चूकों के विश्लेषण को भी ध्यान रखा जाता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया टिप्पणी संख्या 40.2.1 देखें।

(ii) क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय की गैर–मान्यता

विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर उनके प्राप्त होने और प्रोद्भवन के आधार पर या उस समय मान्य किया जाता है जब अपेक्षित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक होती है।

(iii) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। समूह उचित मूल्य के मापन के लिए मूल्यांकन की उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करती है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय समूह उद्धृत मूल्यों तथा बाजार–पालनीय डाटा का उस हद तक प्रयोग करता है जिस हद तक यह उपलब्ध होता है। इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में, परिसंपत्तियों/देयताओं के उचित मूल्य की गणना के लिए अपालनीय इनपुट का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों एवं इनपुट के बारे में सूचना का प्रकटन नीचे टिप्पणी 40.4 में किया गया है।

(iv) आयकर

कर की अनिश्चित स्थितियों के लिए भुगतान करने/प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राशि सहित आयकर के लिए प्रावधान के निर्धारण में अनुमान शामिल होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

(v) विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता

कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल ने अपने – अपने निदेशक मंडल से यह संकल्प प्राप्त किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है और इसका रिवर्स करना संभव नहीं है। तदनुसार, उक्त रिजर्व पर किसी आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं किया गया है।

(vi) सहायक कंपनियों, शाखाओं के अवितरित लाभों/हानियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्तियां

सहायक कंपनियों, शाखाओं के अवितरित लाभों/हानियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के संबंध में समूह के निवेश के संबंध में आस्थगित कर देयता/आस्थगित कर परिसंपत्ति के लेखांकन में निर्णय की आवश्यकता होती है। सहायक कंपनियों के अवितरित लाभों/हानियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों के संबंध में कंपनी अस्थाई अंतरों के रिवर्सल के समय को नियंत्रित करने में समर्थ है तथा पूर्वाभासी भविष्य में अस्थाई अंतरों को रिवर्स नहीं जाएगा। तदनुसार, ग्रुप सहायक कंपनियों में निवेश तथा संयुक्त उद्यमों में अधिकारों से संबद्ध सभी कर योग्य, अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयता को मान्य नहीं करता है।

(vii) निवेशों का वर्गीकरण

सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम (जेवी) या सहयोगी कंपनियों में निवेश के रूप में कंपनी में किसी निवेश के वर्गीकरण के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नियंत्रण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है।

क) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (ईईएसएल) को एनटीपीसी लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरईसीएल और कंपनी के संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में 2009 में निगमित किया गया। 28 मार्च, 2019 को आरईसीएल (आरईसीएल) में नियंत्रक शेयर के अधिग्रहण के फलस्वरूप आरईसी लिमिटेड के साथ कंपनी ईईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी में 58.06% शेयर का धारक है (36.36% सीधे और 21.70% अपनी सहायक कंपनी आरईसीएल के माध्यम से तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोजनार्थ सहायक कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ईईएसएल के जेवी करार के अनुसरण में, संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के सीमा के बगैर लाभांश, मतदान के अधिकारों आदि सहित समान अधिकार एवं विशेषाधिकार हैं जो कुछ आरक्षित मदों पर उनके विध्यात्मक मताधिकार के माध्यम से सारवान प्रतिभागी अधिकार प्रदान करते हैं। अतः ईईएसएल पर जेवी के सभी भागीदारों का संयुक्त नियंत्रण है।

उपर्युक्त को ध्यान रखते हुए, ईईएसएल को इक्विटी विधि के अनुसार समेकित किया गया है। तथापि, पंक्ति–दर–पंक्ति या इक्विटी विधि से समेकन पर उनकी राय के लिए मामले को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के पास भेजा गया है।

ख) अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी), आरईसीएल की पारेषण परियोजनाओं (एसपीवी) तथा पीएफसीसीएल की स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार हो रहा है और उनकी संगत गतिविधियों का एकपक्षीय रूप में निदेशन करने के लिए ग्रुप के पास व्यावहारिक सामर्थ्य नहीं है। इसलिए उनकी 100% प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का धारक होने के बावजूद ग्रुप संबंधित यूएमपीपीए आईटीपी और एसपीवी में अपने निवेश को सहयोगी कंपनियों में निवेश के रूप में मानता है जिनके पास उल्लेखनीय प्रभाव है।

(viii) परिभाषित हितलाभ बाध्यता (डीबीओ)

डीबीओ के बारे में समूहों का अनुमान अनेक अंतर्निहित मान्यताओं पर आधारित होता है जैसे कि मुद्रास्फीति की मानक दरें, नश्वरता, डिस्काउंट दर तथा भावी वेतन वृद्धि के पूर्वानुमान। इन मान्यताओं में विचलन से डीबीओ की राशि तथा वार्षिक परिभाषित हितलाभ व्यय महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है।

(ix) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

प्रबंधन परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास/परिशोधन के योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी काल के बारे में अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी एवं आर्थिक अप्रचलन से संबंधित होती हैं जिससे परिसंपत्तियों की उपयोगिता परिवर्तित हो सकती है।

6 नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

क्र-सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य की प्रकृति का)			
	- चालू खातों में	369.41	211.31	917.78
	- सावधि जमा खातों में	355.61	613.72	2,467.21
(ii)	डाक व्यय एवं पेशगी सहित नकदी, चेक, ड्राफ्ट	0.01	0.01	–
(iii)	ऋण म्यूचुअल फंड में निवेश	–	–	1,160.00
	कुल	**725.03**	**825.04**	**4,544.99**

6.1 उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य के संबंध में प्रत्यावर्तन संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है।

7 नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

क्र-सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	बैंकों में उद्दिष्ट शेष एवं सावधि जमा			
	- सावधि जमा (टिप्पणी 7.1 देखें)	13,833.64	–	3,071.88
	- अदत्त लाभांश	7.31	6.12	450.22
	- अदत्त - बॉण्ड, बॉण्डों पर	9.73	8.41	10.93
	- आईपीडीएस/आर–एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि	–	4.45	–
	- अनुदान	990.46	470.49	29.70
(ii)	न्यायालय के अनुपालन में जमा	2.47	2.31	1.98
(iii)	बैंकों में शेष जो प्रतिभूतियों का आबंटन न होने पर प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है	722.04	1,469.23	–
(iv)	बैंकों में सावधि जमा – तीन माह से अधिक परंतु 12 माह से कम	26.80	61.94	80.79
(v)	अन्य सावधि जमा	13.96	1.32	38.55
	कुल	**15,606.41**	**2,024.27**	**3,684.05**

7.1 कंपनी ने टिप्पणी 21 के अंतर्गत दर्शाए गए इन सावधि जमा के निमित ऋण लिया है।

8 डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम के लिए डेरिवेटिव संविदा की है। डेरिवेटिव में ऐसे हेज़ शामिल हैं जो हेज़ लेखांकन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या ऐसे हेज़ हैं जो आर्थिक हेज़ हैं। डेरिवेटिव लेन–देन में देयताओं के हेज़ के लिए वायदा, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप, करेंसी, क्रॉस करेंसी ऑप्शन आदि शामिल हैं। ये डेरिवेटिव लेन–देन हेज़ के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए। तथापि, ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने हेज़ लेखांकन का प्रयोग न करने का चुनाव किया है।

डेरिवेटिव के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटन के लिए टिप्पणी 40.2.3 देखें।

भाग-I

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		आनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	आनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं	आनुमानिक राशि	उचित मूल्य की परिसंपत्तियां	उचित मूल्य की देयताएं
(i)	**मुद्रा डेरिवेटिव**									
	- स्पॉट और फॉरवर्ड	15,808.90	295.95	345.72	7,448.60	2.42	225.85	2,107.63	–	68.41
	- मुद्रा स्वैप	5,701.69	419.05	0.41	6,584.19	173.50	71.50	13,100.71	202.64	163.19
	- विकल्प	20,912.19	1,301.36	18.57	11,152.01	324.35	161.17	6,029.99	168.11	126.05
	कुल मुद्रा डेरिवेटिव	**42,422.78**	**2,016.36**	**364.70**	**25,184.80**	**500.27**	**458.52**	**21,238.33**	**370.75**	**357.65**
(ii)	**ब्याज दर डेरिवेटिव**									
	- वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप	39,864.98	354.20	300.29	41,287.68	419.20	99.91	29,902.95	557.19	65.22
	कुल ब्याज दर डेरिवेटिव	**39,864.98**	**354.20**	**300.29**	**41,287.68**	**419.20**	**99.91**	**29,902.95**	**557.19**	**65.22**
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	**82,287.76**	**2,370.56**	**664.99**	**66,472.48**	**919.47**	**558.43**	**51,141.28**	**927.94**	**422.87**

भाग - II

क	उपर्युक्त (भाग I) में शामिल निम्नानुसार हेजिंग एवं जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनार्थ धारित डेरिवेटिव हैं :									
(i)	नकदी प्रवाह हेज़िंग :									
	- मुद्रा डेरिवेटिव	1,728.88	–	100.03	–	–	–	–	–	–
	- ब्याज डेरिवेटिव	1,728.88	–	64.84	–	–	–	–	–	–
	कुल हेज्ड़ डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	**3,457.76**	**–**	**164.87**	–	–	–	–	–	–
(ख)	अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	78,830.00	2,370.56	500.12	66,472.48	919.47	558.43	51,141.28	927.94	422.87
	कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	**82,287.76**	**2,370.56**	**664.99**	**66,472.48**	**919.47**	**558.43**	**51,141.28**	**927.94**	**422.87**

8.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्र-सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	39,864.98	41,287.68	29,902.95
(ii)	वे हानियां जो वहन की जाएंगी यदि काउंटरपार्टियां करारों के अंतर्गत अपनी दायित्वों को पूरा करने में असफल रही हों	354.20	419.20	557.19
(iii)	स्वैप करार करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	–	–	–
(iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखित का संकेंद्रण	–	–	–
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य (काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त)	53.90	319.29	491.97

समूह ने आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में केवल श्रेणी–I के अधिकृत बैंक डीलर के साथ स्वैप करार किया है।

8.2 समूह 31 मार्च, 2019 को एक्सचेंज में व्यापारित किसी डेरिवेटिव का धारक नहीं है (31 मार्च, 2018 को शून्य, 01 अप्रैल, 2017 को शून्य)।

8.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर गुणात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

क्र-सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याजदर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याजदर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याजदर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन)						
	हेज़िंग के लिए [1]	42,422.78	39,864.98	25,184.80	41,287.68	21,238.33	29,902.95
(ii)	बाजार स्थितियों पर चिह्नित (एमटीएम)						
	क) परिसंपत्ति (+एमटीएम)	2,016.36	354.20	500.27	419.20	370.75	557.19
	ख) देयता (–एमटीएम)	364.70	300.29	458.52	99.91	357.65	65.22
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	24,366.46	21,436.70	15,455.07	27,506.20	19,130.70	23,089.85
(iv)	अनहेज़्ड़ एक्सपोजर[2]	22,017.13	5,907.41	20,584.62	7,391.86	9,266.33	6,296.24

[1] ब्याज दर डेरिवेटिव में 31 मार्च, 2019 को ₹ 5,634.60 करोड़ की देयताओं पर डेरिवेटिव शामिल हैं (31 मार्च, 2018 को ₹ 5,634.60 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 को ₹ 6,164.60 करोड़)

[2] 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार (₹ 587.82 करोड़ यूएसडी/आईएनआर) 31 मार्च, 2018 को ₹ 293.29 करोड़ यूएसडी/आईएनआर तथा 1 अप्रैल, 2017 को ₹ 291.83 करोड़ यूएसडी/जेपीवाई) के एक लेग के लिए की गई वायदा दर संविदा के माध्यम से अंशतः हेज्ड़ जेपीवाई ऋण देयता शामिल है।

8.4 मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए टिप्पणी 40.2 देखें।

9. व्यापार की प्राप्य राशियां

(₹ करोड़ में)

क्र-सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	**व्यापार की प्राप्य राशियां**			
	-अच्छा माना गया-अप्रतिभूत - (सकल)	182.96	157.94	146.85
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(12.51)	(12.19)	(12.67)
	-जिससे क्रेडिट जोखिम (सकल) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	3.37	0.04	3.07
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(1.69)	(0.02)	(1.54)
	-क्षतिग्रस्त क्रेडिट (सकल)	28.16	29.23	28.21
	घटाएं : क्षतिग्रस्त क्रेडिट पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(28.16)	(29.23)	(28.21)
	कुल व्यापार की प्राप्य राशियां	**172.13**	**145.77**	**135.71**

10. ऋण

कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर सभी ऋणों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र-सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(क)	**ऋणकर्ताओं को ऋण**			
	- रुपया सावधि ऋण (आरटीएल)	578,485.27	499,347.33	435,811.34
	- विदेशी मुद्रा ऋण	240.99	240.99	260.13
	- क्रेता ऋण	1,759.67	1,627.97	1,586.96
	- कार्यशील पूंजी ऋण	14,770.27	16,680.48	9,346.47
	- पट्टा (कृपया टिप्पणी 10.2 देखें)	223.77	223.77	223.77
	- आहूत डिफॉल्ट भुगतान गारंटी के लिए प्राप्य	396.64	345.47	290.58
	- ऋण पर प्रोद्भूत परंतु अदेय	4,971.81	4,362.37	4,532.43
	- ऋणों पर प्रोद्भूत एवं देय	627.13	544.59	949.84
	- ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	(135.30)	(156.25)	(180.54)
	ऋणकर्ताओं को सकल ऋण	**601,340.25**	**523,216.72**	**452,820.98**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(27,678.97)	(28,327.09)	(23,797.71)
	ऋणकर्ताओं को निवल ऋण	**573,661.28**	**494,889.63**	**429,023.27**
(ख)	**प्रतिभूति–वार वर्गीकरण**			
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	408,335.85	389,842.33	346,694.93
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-	-
(iii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा आवृत	112,226.15	51,340.44	46,312.34
(iv)	अप्रतिभूत	80,778.25	82,033.95	59,813.71
	सकल प्रतिभूति–वार वर्गीकरण	**601,340.25**	**523,216.72**	**452,820.98**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(27,678.97)	(28,327.09)	(23,797.71)
	निवल प्रतिभूति–वार वर्गीकरण	**573,661.28**	**494,889.63**	**429,023.27**
(ग) I	**भारत में ऋण**			
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	513,929.13	438,598.41	376,492.75
(ii)	निजी क्षेत्र	87,411.12	84,618.31	76,328.23
	भारत में सकल ऋण	**601,340.25**	**523,216.72**	**452,820.98**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(27,678.97)	(28,327.09)	(23,797.71)
	भारत के बाहर ऋण	**573,661.28**	**494,889.63**	**429,023.27**
(ग) II	**भारत के बाहर ऋण**	**-**	**-**	**-**
	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट	-	-	-
	भारत के बाहर निवल ऋण	**-**	**-**	**-**
	भारत में और भारत के बाहर निवल ऋण	**573,661.28**	**494,889.63**	**429,023.27**

10.1 **ऋणकर्ताओं से शेष की पुष्टि**

पीएफसी के संबंध में

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31 दिसंबर, 2018 को ऋणकर्ताओं के पास शेष की पुष्टि के लिए ऋणकर्ताओं को पत्र भेजा है, केवल उसे छोड़कर जहां ऋण वापस लिए गए हैं या न्यायालय/एनसीएलटी में लंबित हैं। उक्त शेष के 96.16% की पुष्टि प्राप्त हो गई है। ₹ 10,734,19 करोड़ की शेष ऋण परिसंपत्तियों, जिसके लिए शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, में से 38.91% ऋण मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा, 56.48% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण द्वारा प्रतिभूत हैं तथा 4.61% अप्रतिभूत ऋण हैं।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

31 मार्च, 2019 को कुल ऋण परिसंपत्तियों में से 88.56% के लिए ऋणकर्त्ताओं से ऋण शेष की पुष्टि प्राप्त हुई है। ₹ 32,163 करोड़ की शेष 11.44% ऋण परिसंपत्तियों, जिसके लिए शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, में से 72% ऋणों को परिसंपत्तियां हाइपोथिकेशन द्वारा, 25% को सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत किया गया है तथा 3% अप्रतिभूत ऋण हैं।

10.2 कंपनी के संबंध में पट्टा परिसंपत्तियों से संबंधित ब्योरा :

पट्टा परिसंपत्तियों में सकल निवेश तथा तुलन–पत्र की तारीख को प्राप्य न्यूनतम मूल्य का वर्तमान मूल्य तथा अनर्जित वित्तीय आय का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण[क]	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
कुल वसूली योग्य भावी न्यूनतम पट्टा–भुगतान (सकल निवेश)	305.75[b]	331.89	365.23
वसूली योग्य पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	223.77	223.77	223.77
कुल अनार्जित वित्तीय आय	**81.98**	**108.12**	**141.46**
भविष्य में वसूली योग्य कुल न्यूनतम पट्टा भुगतानों की परिपक्वता प्रोफाइल (सकल निवेश) :			
एक वर्ष से अधिक नहीं	25.70	26.14	33.78
एक वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	128.51	128.51	128.51
5 वर्ष से अधिक	151.54	177.24	202.94
कुल सकल निवेश	**305.75**	**331.89**	**365.23**
वसूली योग्य पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का वर्गीकरण			
एक वर्ष से अधिक नहीं	10.26	9.43	8.63
एक वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	67.52	61.77	56.57
5 वर्ष से अधिक	145.99	152.57	158.57
वसूली योग्य पट्टा भुगतानों का कुल वर्तमान मूल्य	**223.77**	**223.77**	**223.77**

[क] विंड टर्बाइन जेनरेटर के वित्तपोषण के लिए वित्त पट्टा

[ख] 01 जनवरी, 2012 से शुरू करके 25 वर्ष की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 18 वर्ष प्राथमिक (प्राइमरी) अवधि के रूप में और अधिकतम 7 वर्ष सेकंडरी अवधि के रूप में शामिल हैं।

10.3 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

(i) ग्रुप ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेन–देन नहीं किया है तथा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतिकरण की मद में कोई एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 को शून्य)।

(ii) ग्रुप ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण/परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी को कोई वित्तीय परिसंपत्ति नहीं बेची है (पिछले वर्ष शून्य)।

(iii) ग्रुप ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई असाइनमेंट लेन–देन नहीं किया है (पिछले वर्ष शून्य)।

(iv) ग्रुप ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान न तो कोई गैर–निष्पादक वित्तीय परिसंपत्ति खरीदी है और न ही बेची है (पिछले वर्ष शून्य)।

10.4 सहायक कंपनी आरईसीएल के मामले में ऋणकर्ताओं में से एक अर्थात मैसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड ने लेखा को गैर–निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत न करने के लिए 18 सितंबर, 2015 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त किया है। तदनुसार, ऋणकर्ता के बकाया ऋण को चरण–III परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, हालांकि अतिदेय 3 माह से पुराना है और परिसंपत्ति क्रेडिट क्षतिग्रस्त है।

तथापि, आरईसीएल ने परियोजना के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक पैरामीटरों पर विचार करने के बाद 31 मार्च, 2019 को अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के अनुसार लेखा बहियों में ₹ 2302 करोड़ (31 मार्च, 2018 को ₹ 2302 करोड, 1 अप्रैल, 2017 को ₹ 2302 करोड़) के बकाया ऋण के 40.95% की दर से ₹ 942.67 करोड़ (31 मार्च, 2018 को ₹ 42.70 करोड़, 1 अप्रैल, 2017 को ₹ 942.67 करोड़) का पर्याप्त प्रावधान सृजित किया है।

10.5 क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के लिए टिप्पणी 40.2.1 देखें।

11 निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार							
		प्रतिभूतियों की संख्या	(अंकित मूल्य (राशि ₹ में)	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य*	कुल
					अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	उप जोड़		
(क)	**निवेश**								
	सरकारी प्रतिभूतियां								
	- एमपी सरकार के पावर बॉण्ड - II	1	471,600,000	47.16	–	–	–	–	**47.16**
(i)	ऋण प्रतिभूतियां								
	- आंध्रा बैंक के बॉण्ड (टिप्पणी 40.4 देखें)	8,000	1,000,000	–	–	809.84	809.84	–	**809.84**
	- राज्य विद्युत निगमों से स्थाई बॉण्ड	–	–	–	–	–	–	–	**–**
	- इंडियन बैंक के 11.15% स्थाई बॉण्ड	5,000	1,000,000	–	–	500.31	500.31	–	**500.31**
	- विजया बैंक के 11.25% स्थाई बॉण्ड	5,000	1,000,000	–	–	556.25	556.25	–	**556.25**
	- सिंडीकेट बैंक के 11.15% स्थाई बॉण्ड	5,000	1,000,000	–	–	500.31	500.31	–	**500.31**
	- आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	86,800	1,000	8.81	–	–	–	–	**8.81**
	- नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	46,000	1,000	4.60	–	–	–	–	**4.60**
	- नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	36,800	1,000	3.68	–	–	–	–	**3.68**
	–भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	61,300	1,000	6.22	–	–	–	–	**6.22**
	- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	22,300	1,000	2.31	–	–	–	–	**2.31**
	- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	14,000	1,000	1.40	–	–	–	–	**1.40**
	- आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय बॉण्ड	50,000	1,000	5.09	–	–	–	–	**5.09**
(ii)	इक्विटी लिखत :								
	संयुक्त उद्यम								
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 11.4 देखें)	392,000,000	10	–	–	–	–	480.65	**480.65**
	सहयोगी कंपनी								
	- अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं/स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं (टिप्पणी 11.1 देखें)	750,000	10	–	–	–	–	0.74	**0.74**
	अन्य								
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	12,000,000	10	–	88.14	–	88.14	–	**88.14**
	- कोल इंडिया लिमिटेड	13,964,530	10	–	331.24	–	331.24	–	**331.24**
	- एनएचपीसी लिमिटेड (टिप्पणी 40.4 देखें)	419,775,446	10	–	1,036.85	–	1,036.85	–	**1,036.85**
	- जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 40.4 देखें)	275,000,000	10	–	–	–	–	–	**–**
	- श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टिप्पणी 40.4 देखें)	131,846,779	10	–	–	–	–	–	**–**
	- आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	347,429	10	–	1.56	–	1.56	–	**1.56**
	- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	1,250,000	10	–	206.25	–	206.25	–	**206.25**
(iii)	अन्य								
	- "स्माल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटें (टिप्पणी 40.4 देखें)	12,304,400	10	–	12.36	–	12.36	–	**12.36**
	कुल निवेश			**79.27**	**1,676.40**	**2,366.71**	**4,043.11**	**481.39**	**4,603.77**
(ख)	भूगोलवार निवेश								
(i)	भारत के बाहर निवेश			–	–	–	–	–	**–**
(ii)	भारत में निवेश			79.27	1,676.40	2,366.71	4,043.11	481.39	**4,603.77**
	कुल भूगोलवार निवेश			**79.27**	**1,676.40**	**2,366.71**	**4,043.11**	**481.39**	**4,603.77**
(ग)	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट								
	निवल भूगोलवार निवेश			**79.27**	**1,676.40**	**2,366.71**	**4,043.11**	**481.39**	**4,603.77**

*इंड एएस 28 के अनुसार इक्विटी विधि का प्रयोग करके वहन मूल्य तैयार किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार							
					उचित मूल्य पर				
		प्रतिभूतियों की संख्या	(अंकित मूल्य (राशि ₹ में)	परिशोधित लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	उप जोड़	अन्य*	कुल
(क)	सरकारी प्रतिभूतियों निवेश								
	-एमपी सरकार के पावर बॉण्ड-II	3	471,600,000	141.48	–	–	–	–	**141.48**
(i)	ऋण प्रतिभूतियां								
	-आंध्रा बैंक के बॉण्ड (टिप्पणी 40.4 देखें)	8,000	1,000,000	–	–	809.84	809.84	–	**809.84**
	-राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड	61,545	100,000	643.04	–	–	–	–	**643.04**
	-इंडियन बैंक के 11.15% स्थाई बॉण्ड	5,000	1,000,000	–	–	500.31	500.31	–	**500.31**
	-विजया बैंक के 11.25% स्थाई बॉण्ड	5,000	1,000,000	–	–	500.00	500.00	–	**500.00**
	-सिंडीकेट बैंक के 11.15% स्थाई बॉण्ड	5,000	1,000,000	–	–	500.31	500.31	–	**500.31**
	-आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	86,800	1,000	8.82	–	–	–	–	**8.82**
	-नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	46,000	1,000	4.61	–	–	–	–	**4.61**
	-नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	36,800	1,000	3.69	–	–	–	–	**3.69**
	-भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	61,300	1,000	6.22	–	–	–	–	**6.22**
	-इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	22,300	1,000	2.23	–	–	–	–	**2.23**
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	14,000	1,000	1.45	–	–	–	–	**1.45**
	-आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	50,000	1,000	5.09	–	–	–	–	**5.09**
(ii)	इक्विटी लिखत :								
	संयुक्त उद्यम								
	-एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 11.4 देखें)	293,000,000	10	–	–	–	–	345.26	**345.26**
	सहयोगी कंपनीयां								
	-अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं / स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं	750,000	10	–	–	–	–	0.71	**0.71**
	अन्य								
	-पीटीसी इंडिया लिमिटेड	12,000,000	10	–	104.88	–	104.88	–	**104.88**
	-पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	389,349	10	–	7.52	–	7.52	–	**7.52**
	-कोल इंडिया लिमिटेड	13,964,530	10	–	395.62	–	395.62	–	**395.62**
	-एनएचपीसी लिमिटेड (टिप्पणी 40.4 देखें)	444,553,916	10	–	1,231.41	–	1,231.41	–	**1,231.41**
	-जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड (टिप्पणी 40.4 देखें)	275,000,000	10	–	–	–	–	–	**–**
	-श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टिप्पणी 40.4 देखें)	131,846,779	10	–	–	–	–	–	**–**
	-आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	347,429	10	–	2.30	–	2.30	–	**2.30**
	-इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	1,250,000	10	–	200.36	–	200.36	–	**200.36**
(iii)	अन्य								
	-"स्माल इज ब्यूटीफुल" फंड की यूनिटें (टिप्पणी 40.4 देखें)	12,304,400	10	–	12.52	–	12.52	–	**12.52**
	-पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कॉर्पोरेट डिपॉजिट	–	–	64.84	–	–	–	–	**64.84**
	कुल		**881.47**	**1,954.61**	**2,310.46**	**4,265.07**	**345.97**	**5,492.51**	
(ख)	भूगोलवार निवेश								
(i)	भारत के बाहर निवेश			–	–	–	–	–	**–**
(ii)	भारत में निवेश			881.47	1,954.61	2,310.46	4,265.07	345.97	**5,492.51**
	कुल भूगोलवार निवेश			**881.47**	**1,954.61**	**2,310.46**	**4,265.07**	**345.97**	**5,492.51**
(ग)	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट								
	निवल भूगोलवार निवेश			**881.47**	**1,954.61**	**2,310.46**	**4,265.07**	**345.97**	**5,492.51**

*इंड एएस 28 के अनुसार इक्विटी विधि का प्रयोग करके वहन मूल्य तैयार किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार							
					उचित मूल्य पर				
		प्रतिभूतियों की संख्या	(अंकित मूल्य (राशि ₹ में)	परिशोधित लागत	अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ या हानि के माध्यम से	उप जोड़	अन्य*	कुल
(क)	निवेश								
	सरकारी प्रतिभूतियां								
	- एमपी सरकार के पावर बॉण्ड - II	5	471,600,000	235.80	–	–	–	–	**235.80**
(i)	ऋण प्रतिभूतियां								
	- देना बैंक के बॉण्ड (टिप्पणी 40.4 देखें)	10,000	1,000,000	–	–	1,018.30	1,018.30	–	**1,018.30**
	- आंध्रा बैंक के बॉण्ड (टिप्पणी 40.4 देखें)	8,000	1,000,000	–	–	809.60	809.60	–	**809.60**
	- राज्य विद्युत निगमों से बॉण्ड	61,545	100,000	643.04	–	–	–	–	**643.04**
	- इंडियन बैंक के 11.15% स्थाई बॉण्ड	5,000	1,000,000	–	–	500.31	500.31	–	**500.31**
	- विजया बैंक के 11.25% स्थाई बॉण्ड	5,000	1,000,000	–	–	500.00	500.00	–	**500.00**
	- सिंडीकेट बैंक के 11.15% स्थाई बॉण्ड	5,000	1,000,000	–	–	500.31	500.31	–	**500.31**
	- आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	86,800	1,000	8.82	–	–	–	–	**8.82**
	- नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	46,000	1,000	4.61	–	–	–	–	**4.61**
	- नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	36,800	1,000	3.69	–	–	–	–	**3.69**
	- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के 7.49% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	61,300	1,000	6.22	–	–	–	–	**6.22**
	- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	22,300	1,000	2.23	–	–	–	–	**2.23**
	- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 7.35% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	14,000	1,000	1.45	–	–	–	–	**1.45**
	- आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के 8.76% कर मुक्त 20 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	50,000	1,000	5.10	–	–	–	–	**5.10**
(ii)	इक्विटी लिखत :								
	संयुक्त उद्यम								
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (टिप्पणी 11.4 देखें)	293,000,000	10	–	–	–	–	352.14	**352.14**
	सहयोगी कंपनियां								
	- अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं / स्वतंत्र पारेषण परियोजनाएं	750,000	10.00	–	–	–	–	0.78	**0.78**
	अन्य								
	- पीटीसी इंडिया लिमिटेड	12,000,000	10	–	112.08	–	112.08	–	**112.08**
	- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	389,349	10	–	8.67	–	8.67	–	**8.67**
	- कोल इंडिया लिमिटेड	13,964,530	10	–	408.67	–	408.67	–	**408.67**
	- एनएचपीसी लिमिटेड (टिप्पणी 40.4 देखें)	444,553,916	10	–	1,431.47	–	1,431.47	–	**1,431.47**
	- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	–	–	–	–	0.00	–	–	**–**
	- जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (टिप्पणी 40.4 देखें)	275,000,000	10	–	193.05	0.00	193.05	–	**193.05**
	- श्री महेश्वर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टिप्पणी 40.4 देखें)	131,846,779	10	–	–	–	–	–	**–**
	- आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	347,429	10	–	–	–	–	–	**–**
	- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	1,250,000	10	–	109.25	–	109.25	–	**109.25**
(iii)	अन्य								
	- 'स्माल इज ब्यूटीफुल फंड की यूनिटें (टिप्पणी 40.4 देखें)	12,304,400	10	–	12.60	–	12.60	–	**12.60**
	- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कॉर्पोरेट डिपॉजिट	–	–	17.50	–	–	–	–	**17.50**
	- पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कॉर्पोरेट डिपॉजिट	–	–	17.50	–	–	–	–	**17.50**
	कुल		**945.96**	**2,275.79**	**3,328.52**	**5,604.31**	**352.92**	**6,903.19**	
(ख)	भूगोलवार निवेश								
(i)	भारत के बाहर निवेश			–	–	–	–	–	**–**
(ii)	भारत में निवेश			945.96	2,275.79	3,328.52	5,604.31	352.92	**6,903.19**
	कुल भूगोलवार निवेश			**945.96**	**2,275.79**	**3,328.52**	**5,604.31**	**352.92**	**6,903.19**
(ग)	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट								
	निवल भूगोलवार निवेश			**945.96**	**2,275.79**	**3,328.52**	**5,604.31**	**352.92**	**6,903.19**

*इंड एएस 28 के अनुसार इक्विटी विधि का प्रयोग करके वहन मूल्य तैयार किया गया है।

11.1 इक्विटी विधि का प्रयोग करने के लिए लेखांकित सहयोगी कंपनियों में निवेश का वहन मूल्य:

(₹ करोड़ में)

निवेशित कंपनी का नाम	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
कोस्टल महाराष्ट्र पावर लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	–	–	–
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.07	0.07	0.07
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
बिहार मेगापावर लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.05	0.05	0.05
बिजावर–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.01	0.01
वापी II-नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	–	–
भुज -II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	–	–
फतेहगढ़ -II ट्रांस्को लिमिटेड	0.01	–	–
बीकानेर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	–	–
शोंगटोंग करचम - वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01	–
गोवा तमनार ट्रांसमिशन लिमिटेड	–	–	0.01
फतेहगढ़ - भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	–	–	0.01
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	–	–	0.05
शोंगटोंग करचम - वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	–	–	0.01
कुल वहन मूल्य	**0.74**	**0.71**	**0.78**

सहयोगी कंपनियां पीएफसीसीएल जो पारेषण योजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया का समन्वयक है, द्वारा निगमित स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के संबंध में बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाताओं को सौंपने के उद्देश्य से यूएमपीपी के विकास के लिए भारत सरकार के अधिदेश से एसपीवी के रूप में निगमित कंपनियां (यूएमपीपी) हैं।

11.2 समूह की कंपनियों ने एफवीटीओसीआई पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के अप्रतिसंहार्य विकल्प का चुनाव किया है। समूह का मुख्य प्रचालन विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार–चढ़ाव से लाभ एवं हानि विवरण को सुरक्षित करने के लिए, संबंधित कंपनियों के प्रबंधन का यह विश्वास है कि एफवीटीपीएल पर उनके वर्गीकरण की तुलना में एफवीटीओसीआई वर्गीकरण अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

पीएफसी के संबंध में,

वर्ष के दौरान विमान्य किए गए एफवीटीओसीआई लिखतों का ब्योरा : (₹ करोड़ में)

निवेश का ब्योरा	शेयरों की संख्या	विमान्यता की तारीख को उचित मूल्य	विमान्यता पर संचयी अभिलाभ
वित्तीय वर्ष 2018-19			
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,89,349	7.67	5.63
एनएचपीसी लिमिटेड*	1,60,68,811	44.02	8.93
वित्तीय वर्ष 2017–18			
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	50,000	1.04	0.78

*ये इक्विटी शेयर वर्ष के दौरान श्रृंखलाओं में बेचे गए। विमान्यता की संबंधित तारीख को मूल्य के आधार पर उचित मूल्य एवं अभिलाभ की गणना की गई है तथा सकल आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

वर्ष के दौरान विमान्य किए गए एफवीओसीआई लिखतों का ब्योरा : (₹ करोड़ में)

निवेश का ब्योरा	शेयरों की संख्या	विमान्यता की तारीख को उचित मूल्य	विमान्यता पर संचयी अभिलाभ
वित्तीय वर्ष 2018-19			
एनएचपीसी लिमिटेड	87,09,659	24.39	5.42

कंपनी के बाई बैक ऑफर के अंतर्गत एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर बेचे गए, जिसके अंतर्गत बाजार में प्रचलित कीमत से ऊंची कीमत पर शेयरों को वापस खरीदने का प्रस्ताव किया गया और कंपनी ने इसे कम कीमतों पर खुले बाजार में शेयरों को बेचने के स्थान पर इस विधि के माध्यम से इक्विटी शेयरों के एक बड़े लॉट की बिक्री के लिए अवसर के रूप में माना।

इक्विटी शेयरों की वास्तविक बिक्री के कारण निवेशों की विमान्यता के फलस्वरूप समूह ने इस अवधि के दौरान ऐसे शेयरों पर संचयी अभिलाभ या हानि को इक्विटी में अंतरित किया है।

11.3 इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बाई बैक ऑफर के अंतर्गत आरईसीएल ने 10 अप्रैल, 2019 को ₹ 4.23 करोड़ मूल्य के 2,28.789 शेयरों की बिक्री है और परिमाणतः विमान्य किया है। बाजार में प्रचलित कीमत से ऊंची कीमत पर शेयरों को वापस खरीदने का प्रस्ताव किया गया था और आरईसीएल ने इसे कम कीमतों पर खुले बाजार में शेयरों को बेचने के स्थान पर इस विधि के माध्यम से इक्विटी शेयरों के एक बड़े लॉट की बिक्री के लिए अवसर के रूप में माना।

11.4 इक्विटी विधि का प्रयोग करने के लिए लेखांकित कंपनी के संयुक्त उद्यम :

11.4.1 ईईएसएल की वित्तीय स्थिति का सारांश : (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियां			
नकदी और नकदी समतुल्य	424.96	558.78	264.67
उपर्युक्त से भिन्न बैंक अधिशेष	335.76	68.58	57.67
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,998.71	1,470.97	985.02
उप–जोड़	**2,759.43**	**2,098.33**	**1,307.36**
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	4,104.94	3,370.81	1,269.11
कुल परिसंपत्तियां	**6,864.37**	**5,469.14**	**2,576.47**
वित्तीय देयताएं	5,686.62	4,686.89	1,859.04
गैर–वित्तीय देयताएं	348.67	92.18	162.18
कुल देयताएं	**6,035.29**	**4,779.07**	**2,021.22**
निवल परिसंपत्तियां	**829.08**	**690.07**	**555.25**

* संयुक्त उद्यम की गैर–लेखापरीक्षित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय स्थिति पर आधारित

11.4.2 ईईएसएल के वित्तीय कार्य–निष्पादन का सारांश : (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19*	वित्तीय वर्ष 2017-18
(क) आय		
प्रचालनों से राजस्व	1,829.27	1,427.82
अन्य आय	93.82	55.22
कुल (क)	**1,923.09**	**1,483.04**
(ख) व्यय		
वित्तीय लागत	187.84	135.24
मूल्यहास, परिशोधन और क्षतिग्रस्तता	331.49	133.61
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	939.48	1,065.38
कार्मिक हितलाभ	25.41	(145.29)
अन्य व्यय	296.03	230.15
कुल (ख)	**1,780.25**	**1,419.09**
(ग) इक्विटी विधि का प्रयोग करने के लिए लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ/(हानि) का शेयर	**–**	**(1.68)**
(घ) कर पूर्व लाभ (क-ख+ग)	**142.84**	**62.27**
(ङ.) कर व्यय	59.01	28.35
(च) अवधि के लिए लाभ (ग-घ)	**83.83**	**33.92**
(छ) अन्य व्यापक आय / (हानि)	(0.22)	4.51
(ज) कुल व्यापक आय (च+छ)	**83.61**	**38.43**
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	4.01	12.92

* संयुक्त उद्यम के गैर–लेखापरीक्षित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय कार्य–निष्पादन पर आधारित

11.4.3 ईईएसएल की निवल परिसंपत्तियों में मूवमेंट : (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19*	वित्तीय वर्ष 2017-18
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	**690.07**	**555.25**
शेयर आवेदन राशि – समायोजित	(99.00)	-
शेयर पूंजी में वृद्धि	213.20	-
वर्ष के लिए लाभ	83.83	33.92
अन्य व्यापक आय (करों का घटाकर)*	(0.22)	4.51
जोड़ें : लंबित आबंटन वाले शेयर आवेदन	0.00	99.00
घटाएं: इक्विटी शेयरों के निर्गम पर उत्पन्न लेन–देन लागत (कर को घटाकर)	-	(0.25)
घटाएं : वितरित लाभांश	(11.03)	(40.75)
घटाएं : लाभांश वितरण कर	(2.27)	(8.29)
जोड़ें : गैर–नियंत्रक अधिकार	0.00	46.68
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	**874.58**	**690.07**

*गैर–लेखापरीक्षित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मूवमेंट किया गया है।

11.4.4 ईईएसएल की वहन राशि का समाधानः (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
ग्रुप शेयर का%	**58.06%**	**63.42%**	**63.42%**
ग्रुप के शेयर का निवल मूल्य	507.78	437.64	352.14
घटाएं : लंबित आबंटन वाले शेयर आवेदन राशि के कारण कटौतियां	–	(62.79)	–
ईईएसएल के समेकित वित्तीय विवरणों में गैर–नियंत्रक अधिकार	(27.10)	(29.60)	–
वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि	**480.68**	**345.26**	**352.14**

* संयुक्त उद्यम के गैर–लेखापरीक्षित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय कार्य–निष्पादन पर आधारित

11.4.5 **ईईएसएल की आकस्मिक देयताएं :** (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार*	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
कंपनी के विरुद्ध दावे जिनको ऋण के रूप में नहीं माना गया	59.49	71.83
कराधान मांग		
अन्य		
- क्रेडिट पत्र	54.07	48.00
- बैंक गारंटी	166.35	0.19
कुल आकस्मिक देयताएं	**279.91**	**120.02**
अन्य निवेशकों के साथ संयुक्त रूप से वहन की गई संयुक्त उद्यम की आकस्मिक देयताओं का शेयर	**177.52**	**76.12**

*नोट : 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयताओं का ब्योरा उपलब्ध नहीं है और इसलिए उपर्युक्त सारणी में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11.5 **सहायक कंपनी आरईसीएल के मामले में,**

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (ईईएसएल) के राइट इश्यू ऑफर के अंतर्गत, कंपनी ने 08 अप्रैल, 2019 को ₹ 71.60 करोड़ के प्रतिफल के बदले में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज़ लिमिटेड (ईईएसएल) के 7,16,00,000 शेयर के लिए आवेदन किया है। शेयरों का अंतिम आबंटन अभी तक नहीं हुआ है और इसके फलस्वरूप ईईएसएल में कंपनी की शेयरधारिता बढ़ सकती है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

ग्रुप ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः चुकता किए गए बॉण्डों के कारण वसूली योग्य राशि	23,169.32	9,049.44	5,038.21
(ii)	अग्रिम–सहयोगी कंपनियों को*	196.22	169.95	115.04
(iii)	कार्मिकों को अग्रिम	1.09	0.89	0.76
(iv)	कार्मिकों को ऋण	78.87	68.95	77.84
(v)	अन्य–वित्तीय परिसंपत्तियां	356.42	390.87	257.88
	क्षतिग्रस्तता–अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(40.45)	(17.53)	(23.10)
	कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**23,761.47**	**9,662.57**	**5,466.63**

*नकदी में वसूली योग्य

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता का सचंलन (मूवमेंट)

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19*	वित्तीय वर्ष 2017-18
(i)	प्रारंभिक शेष	17.53	23.10
(ii)	वर्ष के दौरान संचलन	22.92	(5.57)
(iii)	अंतिम शेष	40.45	17.53

13. सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	कार्य प्रगति पर	–	–	0.04
(ii)	सूची	–	–	–
	कुल सूची	**–**	**–**	**0.04**

14. वर्तमान कर परिसंपत्तियां / देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	अग्रिम आयकर और टीडीएस (आयकर प्रावधान को घटाकर)	730.64	404.18	235.35
(ii)	विरोध के अधीन आयकर मांग पर जमा किया गया कर	195.26	138.13	162.08
	कुल वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	**925.90**	**542.31**	**397.43**
(i)	आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर को घटाकर) विरोध के अधीन	–	0.51	12.59
(ii)	मांग के लिए आयकर का प्रावधान	130.70	129.97	118.39
	कुल वर्तमान कर देयताएं (निवल)	**130.70**	**130.48**	**130.98**

15. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष	0.01
वर्ष के दौरान वृद्धि/घटाना	–
31 मार्च, 2018 को शेष	0.01
वर्ष के दौरान वृद्धि/घटाना	–
31 मार्च, 2019 को शेष	**0.01**

15.1 ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने पूंजी वृद्धि के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त निवेश संपत्ति को रखा है तथा उस पर कोई किराया आय अर्जित नहीं करता है।

15.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्य :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
वहन मूल्य	0.01	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.61	0.51	0.41

ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड कम से कम वार्षिक आधार पर अपनी निवेश संपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य समान संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान मूल्य है। जहां ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं हैं, अनेक स्रोतों से सूचना पर विचार किया जाता है जिसमें शामिल हैं :

– सक्रिय बाजारों में भिन्न प्रकृति की समान संपत्तियों के वर्तमान मूल्य या कम सक्रिय बाजारों में समान संपत्तियों के वर्तमान मूल्य जिसे उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

– क्षेत्राधिकार जिसमें निवेश संपत्ति स्थित है, में वर्तमान सर्किल रेट।

ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निर्धारित किया गया है तथा प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान संपत्तियों के सर्किल रेट और वर्तमान मूल्य हैं। निवेश संपत्ति के लिए परिणामी उचित मूल्य के सभी अनुमान चरण 3 में शामिल किए गए हैं।

16. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

निवल वहन राशि (क–ख)	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
फ्रीहोल्ड भूमि	113.77	86.30	86.30
भूमि (लीजहोल्ड)	1.28	1.30	1.34
भवन	36.28	37.43	38.46
ईडीपी उपकरण	10.77	8.49	7.45
कार्यालय उपकरण	13.40	12.22	10.47
फर्नीचर और फिक्सचर	8.41	6.21	3.71
वाहन	0.11	0.18	0.21
लीजहोल्ड सुधार	2.43	3.11	3.63
कुल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**186.45**	**155.24**	**151.57**
सीडब्ल्यूआईपी	196.94	127.23	61.41
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	1.59	1.46	1.46
अमूर्त परिसंपत्तियां	9.18	6.19	1.38

(₹ करोड़ में)

लागत (क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण									पूंजी कार्य प्रगति पर	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अमूर्त परिसंपत्तियां
	भूमि (फ्रीहोल्ड)	भूमि लीजहोल्ड)	भवन	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	लीजहोल्ड सुधार	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	**86.30**	**1.59**	**56.50**	**33.74**	**32.57**	**16.25**	**0.63**	**3.75**	**231.33**	**61.41**	**1.46**	**16.39**
अभिवृद्धियां/समायोजन	-	-	0.16	6.72	6.75	3.76	-	0.27	17.66	59.50	-	5.86
पूंजीकृत ऋण लागत												
कटौतियां/समायोजन	-	-	-	3.68	4.55	0.28	0.03	-	8.54	(6.32)	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतिम शेष	**86.30**	**1.59**	**56.66**	**36.78**	**34.77**	**19.73**	**0.60**	**4.02**	**240.45**	**127.23**	**1.46**	**22.25**
अभिवृद्धियां/समायोजन	27.47	-	-	7.39	7.16	3.92	-	0.12	46.06	54.57	0.13	4.88
पूंजीकृत ऋण लागत												
कटौतियां/समायोजन	-	-	-	3.98	3.67	0.36	0.11	-	8.12	(15.14)	-	(0.04)
31 मार्च, 2019 को अंतिम शेष	**113.77**	**1.59**	**56.66**	**40.19**	**38.26**	**23.29**	**0.49**	**4.14**	**278.39**	**196.94**	**1.59**	**27.17**

(₹ करोड़ में)

संचित मूल्यहास (ख)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण									पूंजी कार्य प्रगति पर	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अमूर्त परिसंपत्तियां
	भूमि (फ्रीहोल्ड)	भूमि लीजहोल्ड)	भवन	ईडीपी उपकरण	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	लीजहोल्ड सुधार	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	-	0.25	18.04	26.29	22.10	12.54	0.42	0.12	79.76	-	-	15.01
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	0.04	1.18	5.84	4.61	1.15	0.04	0.87	13.73	-	-	0.95
बेची गई/बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर रिवर्सल	-	-	(0.01)	3.84	4.16	0.17	0.04	0.08	8.28	-	-	(0.10)
31 मार्च, 2018 को अंतिम शेष	**-**	**0.29**	**19.23**	**28.29**	**22.55**	**13.52**	**0.42**	**0.91**	**85.21**	**-**	**-**	**16.06**
वर्ष के लिए मूल्यहास	-	0.02	1.15	4.88	5.22	1.55	0.04	0.80	13.66	-	-	1.83
बेची गई/बही से बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर रिवर्सल	-	-	-	3.75	2.91	0.19	0.08	-	6.93	-	-	(0.10)
31 मार्च, 2019 को अंतिम शेष	**-**	**0.31**	**20.38**	**29.42**	**24.86**	**14.88**	**0.38**	**1.71**	**91.94**	**-**	**-**	**17.99**

16.1 संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का ब्योरा नीचे दिया गया है:

श्रेणी	उपयोगी काल वर्षों में	लागत के % के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60	5%
ईडीपी उपकरण :		
- सर्वर एवं नेटवर्क	6	5%
- अंतिम प्रयोक्ता डिवाइस अर्थात डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि	3	5%
कार्यालय उपकरण	5	5%
सेल फोन	2	5%
फर्नीचर और फिक्सचर	10	5%
वाहन	8	5%
अमूर्त परिसंपत्तियां	5	–

16.2 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी में विलयित तत्कालीन सहायक कंपनी पीएफसीजीईएल के ईडीपी (निवल ब्लॉक – ₹ 0.007 करोड़), कार्यालय उपकरण (निवल ब्लॉक – ₹ 0.0006 करोड़), फर्नीचर और फिक्सचर (निवल ब्लॉक – ₹ 0.0019 करोड) शामिल हैं।

16.3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में 01 अप्रैल, 2017 से ब्याज की पूलिंग विधि के अंतर्गत समेकित की जा रही सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड की फ्रीहोल्ड भूमि (निवल ब्लॉक – ₹ 82.92 करोड), लीजहोल्ड भूमि (निवल ब्लॉक – ₹ 1.34 करोड़), भवन (निवल ब्लॉक – ₹ 23.96 करोड़), ईडीपी (निवल ब्लॉक – ₹ 4.68 करोड़), कार्यालय उपकरण (निवल ब्लॉक – ₹ 6.93 करोड़), फर्नीचर एवं फिक्सचर (निवल ब्लॉक – ₹ 2.13 करोड़), वाहन (निवल ब्लॉक – ₹ 0.15 करोड़), लीजहोल्ड सुधार (निवल ब्लॉक – ₹ 2.12 करोड़) शामिल हैं।

16.4 सेल फोन जहां कंपनी द्वारा उपयोगी काल दो वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है, को छोड़कर कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित काल के अनुरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) का अनुमानित उपयोगी काल अनुमानित किया है। कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अनुमानित उपयोगी काल, अवशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास विधि की समीक्षा करती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरभावी प्रभाव से लेखांकित किया जाता है।

अनुमानित उपयोगी काल में लिखित मूल्य विधि के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए मूल्यह्रास को मान्य किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए मूल लागत के 5% के रूप में अवशिष्ट मूल्य अनुमानित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों के मामले में, कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में काल निर्धारित किया गया है। अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी काल में सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके उनको परिशोधित किया जाता है और अवशिष्ट मूल्य शून्य के रूप में अनुमानित किया गया है। कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी काल, अवशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास विधि की समीक्षा करती है और अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उत्तरभावी प्रभाव से लेखांकित किया जाता है।

16.5 कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के प्रबंधन की राय में, इंड एएस 36 के अनुसरण में कंपनी की परिसंपत्तियों की कोई क्षतिग्रस्तता नहीं है। तदनुसार, इंड एएस 36 'परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता' के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार क्षतिग्रस्तता हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16.6 यद्यपि ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट ऋण नहीं दिया है, इसने इंड एएस 23 'ऋण लागत' के अनुसरण में ऋण की औसत दर पर सामान्य ऋण के कारण ऋण की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया है।

16.7 प्रतिभूति के रूप में गिरवी का ब्योरा निम्नानुसार है :

कंपनी के मामले में प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई की संपत्तियों के ब्योरे के लिए टिप्पणी 20.8.20.9 देखें।

ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों का ब्योरा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
सकल वहन मूल्य	3.45	3.45	3.45
निवल वहन मूल्य	2.46	2.50	2.55

नियमित सिंहावलोकन
निदेशक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

16.8 ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा अधिग्रहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में वाहन विलेख के पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। ब्योरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल वहन मूल्य	68.31	4.59	45.92	4.59	45.92	4.59
निवल वहन मूल्य	68.31	2.2	45.92	2.26	45.92	2.32

16.9 लीज होल्ड भूमि को पिछले जीएएपी के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के भाग के रूप में लेखांकित किया गया। इनको इंड एएस के अंतर्गत क्रियाशील पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ब्योरे के लिए टिप्पणी 53.3 (ग) देखें।

17. अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	पूर्वदत्त व्यय (टिप्पणी 39.1 देखें)	36.95	29.90	30.75
(ii)	आस्थगित कार्मिक लागतें	54.30	46.35	48.15
(iii)	पूंजी अग्रिम	79.09	89.33	83.60
(iv)	अन्य परिसंपत्तियां	223.16	172.97	924.64
	कुल अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	**393.50**	**338.55**	**1,087.14**

18. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(क)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां**			
(i)	निवेश (टिप्पणी 18.1 देखें)	0.50	0.10	0.20
(ii)	सहयोगी कंपनियों को ऋण (टिप्पणी 18.2 देखें)	9.06	7.58	2.88
	कुल (क)	**9.56**	**7.68**	**3.08**
(ख)	**बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं**			
(i)	सहयोगी कंपनियों को देय (टिप्पणी 18.3 देखें)	0.08	–	–
	कुल (ख)	**0.08**	**–**	**–**
	निपटान ग्रुप–निवल परिसंपत्तियां (क–ख)	**9.48**	**7.68**	**3.08**

***समूह की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड से संबंधित है।**

18.1 ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में सहयोगी कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
	सहयोगी कंपनियों के इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्णतः प्रदत्त) *₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर*			
(i)	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड*	–	0.05	0.05
(ii)	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	–	0.05	0.05
(iii)	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड	–	–	0.05
(iv)	डब्ल्यूआर.एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	–	–	0.05
(v)	अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	0.05	–	–
(vi)	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	–	–
(vii)	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	–	–
(viii)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	–	–
(ix)	जम खम्बालिया ट्रांस्को लिमिटेड	0.05	–	–
(x)	खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	0.05	–	–
(xi)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	–	–
(xii)	लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	0.05	–	–
(xiii)	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	–	–
(xiv)	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	–	–
	कुल	**0.50**	**0.10**	**0.20**

* डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 25 मार्च, 2019 के पत्र के माध्यम से डिनोटिफाई कर दिया गया और परिणामत : निवेश को बट्टे खाते डाला गया।

18.2 सहयोगी कंपनियों को ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड*	–	1.06	0.82
(ii)	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड**	–	3.12	1.24
(iii)	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड	–	–	0.42
(iv)	डब्ल्यूआर-एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	–	–	0.40
(v)	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.99	0.85	–
(vi)	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.94	0.85	–
(vii)	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.71	0.85	–
(viii)	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.76	0.85	–
(ix)	अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	0.18	–	–
(x)	भिंडगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.88	–	–
(xi)	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.25	–	–
(xii)	डब्ल्यूआरएसएस XXI(ए) ट्रांस्को लिमिटेड***	0.35	–	–
	कुल	**9.06**	**7.58**	**2.88**

*उक्त परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2015–16 से व्यय किया गया तथा आगे चलकर 10 अगस्त, 2016 को भारत सरकार द्वारा परियोजना रोक दी गई। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 25 मार्च, 2019 के आधार पर ₹ 1.07 करोड़ के व्यय को बट्टे खाते डाला गया।

** घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड 21 जून, 2018 को अड़ानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया।

*** डब्ल्यूआरएसएस XXI(ए) ट्रांस्को लिमिटेड 27 मार्च, 2019 को निगमित किया गया। 31 मार्च, 2019 के बाद शेयर पूंजी पुरःस्थापित नहीं की गई, तथापि व्यय आबंटन नीति के अनुसार एसपीवी के लिए व्यय आबंटित किए गए हैं क्योंकि मार्च, 2019 में आरएफक्यू जारी किया गया।

18.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड (अग्रिम)	0.04	–	–
(ii)	लाकडिया बानसकांठा ट्रांस्को लिमिटेड	0.04	–	–
	कुल	**0.08**	**–**	**–**

18.4 प्रबंधन ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार इन संस्थाओं को बेचने के उद्देश्य से इन संस्थाओं का निगमन किया था। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उनकी बिक्री को छोड़कर इन संस्थाओं को प्रबंधन को लाभ होगा, अतः इन सभी निवेशों (संबंधित परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ) को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

19. व्यापार की देय राशियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
	व्यापार की संदेय राशियां			
(i)	-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया देय	2.65	1.83	0.30
(ii)	-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से भिन्न क्रेडिटरों का कुल बकाया देय	72.26	64.87	45.89
	व्यापार की कुल देय राशि	**74.91**	**66.70**	**46.19**

20. ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर ऋण प्रतिभूतियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	बॉण्ड / डिबेंचर			
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (टिप्पणी 20.1 देखें)	370.06	394.80	396.40
	- कर मुक्त बॉण्ड (टिप्पणी 20.2 देखें)	24,853.08	24,853.08	24,853.08
	- 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्ड (टिप्पणी 20.3 देखें)	23,941.98	22,528.04	19,477.40
	- कर योग्य बॉण्ड (टिप्पणी 20.4 देखें)	298,307.82	303,547.84	284,332.89
	- विदेशी मुद्रा नोट्स (टिप्पणी 20.5 देखें)	21,095.29	10,087.06	1,167.30
	- वाणिज्यिक पत्र (टिप्पणी 20.6 देखें)	17,690.92	10,174.74	–
(ii)	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	12,648.16	13,202.63	13,053.32
(iii)	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन–देन लागत	(1,277.35)	(377.77)	(185.09)
(iv)	बॉण्ड आवेदन धन (टिप्पणी 20.7 देखें)	722.04	1,469.23	–
	कुल ऋण प्रतिभूतियां	**398,352.00**	**385,879.65**	**343,095.30**
	भूगोलवार ऋण प्रतिभूतियां			
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	377,818.26	375,802.36	341,922.20
(ii)	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	20,533.74	10,077.29	1,173.10
	कुल भूगोलवार ऋण प्रतिभूतियां	**398,352.00**	**385,879.65**	**343,095.30**

20.1 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
कंपनी के मामले में							
1	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड 86 डी श्रृंखला	8.72%	2.40	2.40	2.75	30.03.2027	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
2	बॉण्ड 86 सी श्रृंखला	8.72%	0.87	0.87	0.95	30.03.2027	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।
3	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला III	8.75%	2.86	3.23	3.23	21.11.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
4	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला IV	8.75%	7.77	8.83	8.83	21.11.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।
5	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला III	8.50%	5.27	6.13	6.13	31.03.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय
6	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला IV	8.50%	19.33	22.75	22.75	31.03.2026	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।
7	इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला I	8.43%	7.39	7.39	7.39	30.03.2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय।
8	इंफ्रा बॉण्ड प्राइवेट प्लेसमेंट श्रृंखला II	8.43%	15.47	15.47	15.48	30.03.2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।
9	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला I	8.50%	21.85	21.85	21.85	21.11.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय।
10	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2011-12) - श्रृंखला II	8.50%	36.34	36.34	36.34	21.11.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।
11	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला I	8.30%	49.96	49.95	49.95	31.03.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को सममूल्य पर मोचनीय।
12	इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड (2010-11) - श्रृंखला II	8.30%	109.12	109.11	109.11	31.03.2021	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तारीख को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।
	कुल (क)		**278.63**	**284.32**	**284.76**		
ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							
1	श्रृंखला-II (2011-12) संचयी	9.15%	2.83	2.83	2.83	15.02.2027	आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को पर मोचनीय
2	श्रृंखला-II (2011-12) वार्षिक	9.15%	1.13	1.13	1.13	15.02.2027	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को पर मोचनीय
3	श्रृंखला-II (2011-12) संचयी	8.95%	5.73	5.72	5.72	15.02.2022	
4	श्रृंखला-II (2011-12) वार्षिक	8.95%	1.38	1.38	1.38	15.02.2022	आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को पर मोचनीय
5	श्रृंखला-I (2010-11)	8.10%	1.61	1.61	1.61	31.03.2021	
6	श्रृंखला-I (2010-11)	8.20%	3.79	3.79	3.79	31.03.2021	5/6/7/8/9 वर्ष बाद बॉण्ड धारकों द्वारा बाईबैक के विकल्प के साथ आबंटन की तारीख से 10 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को पर मोचनीय
7	श्रृंखला-I (2010-11)	8.00%	16.92	17.07	17.40	31.03.2020	
8	श्रृंखला-I (2010-11)	8.20%	58.04	58.50	59.34	31.03.2020	7 वर्ष बाद बॉण्ड धारकों द्वारा बाईबैक के विकल्प के साथ आबंटन की तारीख से 15 वर्षों में पड़ने वाली तारीख को पर मोचनीय
9	श्रृंखला-II (2011-12) संचयी	9.15%	–	13.45	13.44	15.02.2019	
10	श्रृंखला-II (2011-12) वार्षिक	9.15%	–	5.00	5.00	15.02.2019	
	कुल (ख)		**91.43**	**110.48**	**111.64**		
	कुल (क+ख)		**370.06**	**394.80**	**396.40**		

20.1 बकाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
कंपनी के मामले में							
1	7.35 कर मुक्त बॉण्ड 3 ए 2015 16	7.35%	213.57	213.57	213.57	17.10.2035	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	7.60 कर मुक्त बॉण्ड 3 ए 2015 16	7.60%	155.48	155.48	155.48	17.10.2035	
3	7.27 कर मुक्त बॉण्ड 2 ए 2015 16	7.27%	131.33	131.33	131.33	17.10.2030	
4	7.52 कर मुक्त बॉण्ड 2 बी 2015 16	7.52%	45.18	45.18	45.18	17.10.2030	
5	कर मुक्त बॉण्ड 8.54 बीपीएस श्रृंखला 2 ए	8.54%	932.70	932.70	932.70	16.11.2028	
6	कर मुक्त बॉण्ड 8.79 बीपीएस श्रृंखला 2 ए	8.79%	353.32	353.32	353.32	16.11.2028	
7	8.46 कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 107 बी	8.46%	1,011.10	1,011.10	1,011.10	30.08.2028	
8	7.04% टीआर–2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13	7.04%	8.89	7.78	6.06	28.03.2028	
9	7.54% टीआर 2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13	7.54%	60.32	61.43	63.15	28.03.2028	
10	7.36% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर-1 श्रृंखला-2	7.36%	159.81	155.22	150.14	04.01.2028	
11	7.86% 15 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 2012-13 टीआर-1 श्रृंखला-2	7.86%	197.19	201.77	206.86	04.01.2028	
12	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94 बी	7.38%	100.00	100.00	100.00	29.11.2027	
13	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94 बी	7.38%	25.00	25.00	25.00	22.11.2027	
14	8.30% कर मुक्त बॉण्डों का सार्वजनिक निर्गम वित्तीय वर्ष 11-12	8.30%	2,752.55	1,280.58	1,280.58	01.02.2027	
15	8.16% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला	8.16%	209.34	209.34	209.34	25.11.2026	
16	8.16% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79 बी	7.75%	217.99	217.99	217.99	15.10.2026	
17	7.11 कर मुक्त बॉण्ड 1 ए 2015–16	7.11%	75.10	75.09	75.09	17.10.2025	
18	7.36 कर मुक्त बॉण्ड 1 बी 2015–16	7.36%	79.35	79.35	79.35	17.10.2025	
19	7.16 कर मुक्त प्रतिभूत बॉण्ड श्रृंखला-136	7.16%	300.00	300.00	300.00	17.07.2025	
20	कर मुक्त बॉण्ड 8.18 बीपीएस श्रृंखला-1 ए	8.18%	325.07	325.07	325.07	16.11.2023	
21	कर मुक्त बॉण्ड 8.43 बीपीएस श्रृंखला-1 बी	8.43%	335.47	335.47	335.47	16.11.2023	
22	कर मुक्त बॉण्ड 8.67 बीपीएस श्रृंखला-3 ए	8.67%	1,067.38	1,067.38	1,067.38	16.11.2023	
23	कर मुक्त बॉण्ड 8.92 बीपीएस श्रृंखला-3 ए	8.92%	861.96	861.96	861.96	16.11.2023	
24	8.01 कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला-107 बी	8.01%	113.00	113.00	113.00	30.08.2023	
25	6.88% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13	6.88%	52.38	50.93	50.14	28.03.2023	
26	7.38% टीआर-2 कर मुक्त बॉण्ड 12–13	7.38%	43.78	45.23	46.01	28.03.2023	
27	7.19% 10 वर्षीय कर मुक्त बॉण्ड 12.13 टीआर-1 श्रृंखला 1	7.19%	193.40	189.57	185.90	04.01.2023	
28	7.69% 10 वर्षीय मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 2012.13 टीआर-1 श्रृंखला-1	7.69%	149.35	153.18	156.85	04.01.2023	
29	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94 बी	7.22%	30.00	30.00	30.00	29.11.2022	
30	कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 94 ए	7.21%	255.00	255.00	255.00	22.11.2022	
31	8.20% कर मुक्त बॉण्डों का सार्वजनिक निर्गम वित्तीय वर्ष 11-12	8.20%	1,280.56	2,752.55	2,752.55	01.02.2022	
32	8.09% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 80 ए	8.09%	334.31	334.31	334.31	25.11.2021	
33	8.51% कर मुक्त बॉण्ड श्रृंखला 79 ए	7.51%	205.23	205.23	205.23	15.10.2021	
	कुल (क)		**12,275.11**	**12,275.11**	**12,275.11**		
ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							
1	श्रृंखला 2015-16 ट्रांच-1	6.89% से 7.43%	417.73	417.73	417.73	05.11.2035	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच-2	8.19% से 8.88%	109.66	109.66	109.66	24.03.2034	
3	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच-1	8.01% से 8.71%	55.28	55.28	55.28	26.09.2033	
4	श्रृंखला 2015-16 ट्रांच-1	6.89% से 7.43%	172.90	172.90	172.90	05.11.2030	
5	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच-2	8.19% से 8.88%	528.42	528.42	528.42	23.03.2029	

20.1 बकाया कर मुक्त बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
6	श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 4ए और 4बी	8.18% से 8.54%	45.00	45.00	45.00	11.10.2028	
7	श्रृंखला 2013-14 ट्रांच-1	8.01% से 8.71%	2,780.26	2,780.26	2,780.26	25.09.2028	
8	श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 3ए और 3बी	8.01% से 8.46%	1,141.00	1,141.00	1,141.00	29.08.2028	
9	श्रृंखला 2012–13 ट्रांच–2	6.88% से 7.54%	49.71	49.71	49.71	27.03.2028	
10	श्रृंखला 2012–13 ट्रांच–1	7.22% से 7.88%	817.04	817.04	817.04	20.12.2027	
11	श्रृंखला 2012–13 श्रृंखला 2ए और 2बी	7.21% से 7.38%	245.00	245.00	245.00	22.11.2027	
12	श्रृंखला 2011–12	7.93% से 8.32%	2,160.33	2,160.33	2,160.33	29.03.2027	
13	श्रृंखला 2015–16 ट्रांच–1	6.89% से 7.43%	105.93	105.93	105.93	05.11.2025	
14	श्रृंखला 2015–16 श्रृंखला 5ए	7.17%	300.00	300.00	300.00	23.07.2025	
15	श्रृंखला 2013–14 ट्रांच–2	8.19% से 8.88%	419.32	419.32	419.32	22.03.2024	
16	श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 4ए और 4बी	8.18% से 8.54%	105.00	105.00	105.00	11.10.2023	
17	श्रृंखला 2013–14 ट्रांच–1	8.01% से 8.71%	575.06	575.06	575.06	25.09.2023	
18	श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 3ए और 3बी	8.01% से 8.46%	209.00	209.00	209.00	29.08.2023	
19	श्रृंखला 2012–13 ट्रांच–2	6.88% से 7.54%	81.35	81.35	81.35	27.03.2023	
20	श्रृंखला 2012–13 ट्रांच–1	7.22% से 7.88%	1,165.31	1,165.31	1,165.31	19.12.2022	
21	श्रृंखला 2012–13 श्रृंखला 2ए और 2बी	7.21% से 7.38%	255.00	255.00	255.00	21.11.2022	
22	श्रृंखला 2011-12	7.93% से 8.32%	839.67	839.67	839.67	28.03.2022	
	कुल (ख)		**12,577.97**	**12,577.97**	**12,577.97**		
	कुल (क–ख)		**24,853.08**	**24,853.08**	**24,853.08**		

20.3 बकाया 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
कंपनी के मामले में							
1	श्रृंखला II (वित्तीय वर्ष 2018-19)	5.75%	491.95	-	-	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
2	श्रृंखला I (वित्तीय वर्ष 2017-18)	5.25%	292.15	292.15	-	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
	कुल (क)		**784.10**	**292.15**	-		
ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							
1	श्रृंखला XII (वित्तीय वर्ष 2018-19)	5.75%	5,929.73	-	-	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
2	श्रृंखला XI (वित्तीय वर्ष 2017-18)	5.25%	9,565.23	8,096.27	-	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
3	श्रृंखला X (वित्तीय वर्ष 2016-17)	5.25% to 6.00%	7,662.92	7,662.92	7,662.92	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय	
4	श्रृंखला X (वित्तीय वर्ष 2015-16)	6.00%	-	6,476.70	6,476.70	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सममूल्य पर मोचित	
5	श्रृंखला IX (वित्तीय वर्ष 2014-15)	6.00%	-	-	5,337.78	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सममूल्य पर मोचित	
	कुल (ख)		**23,157.88**	**22,235.89**	**19,477.40**		
	कुल (क+ख)		**23,941.98**	**22,528.04**	**19,477.40**		

20.4 बकाया कर योग्य बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
	कंपनी के मामले में						
1	श्रृंखला 180	8.75%	2,654.00	-	-	22.02.2034	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	श्रृंखला 179-बी	8.64%	528.40	-	-	19.11.2033	
3	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	192.70	15.12.2030	
4	श्रृंखला 66-C	8.85%	633.00	633.00	633.00	15.06.2030	
5	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी III	9.39%	460.00	460.00	460.00	27.08.2029	
6	श्रृंखला 179-ए	8.67%	1,007.40	-	-	19.11.2028	
7	श्रृंखला 178	8.95%	3,000.00	-	-	10.10.2028	
8	श्रृंखला 177	7.85%	3,855.00	-	-	03.04.2028	
9	श्रृंखला 103	8.94%	2,807.00	2,807.00	2,807.00	25.03.2028	
10	श्रृंखला 102 ए (III)	8.90%	403.00	403.00	403.00	18.03.2028	
11	श्रृंखला 101 बी	9.00%	1,370.00	1,370.00	1,370.00	11.03.2028	
12	श्रृंखला 172	7.74%	850.00	850.00	-	29.01.2028	
13	श्रृंखला 171	7.62%	5,000.00	5,000.00	-	15.12.2027	
14	श्रृंखला 170-बी	7.65%	2,001.00	2,001.00	-	22.11.2027	
15	श्रृंखला 169-बी	7.30%	1,500.00	1,500.00	-	07.08.2027	
16	श्रृंखला 168-बी	7.44%	1,540.00	1,540.00	-	12.06.2027	
17	श्रृंखला 155	7.23%	2,635.00	2,635.00	2,635.00	05.01.2027	
18	श्रृंखला 152	7.55%	4,000.00	4,000.00	4,000.00	25.09.2026	
19	श्रृंखला 151-बी	7.56%	210.00	210.00	210.00	14.09.2026	
20	श्रृंखला - 77-बी	9.45%	2,568.00	2,568.00	2,568.00	01.09.2026	
21	श्रृंखला 150-बी	7.63%	1,675.00	1,675.00	1,675.00	14.08.2026	
22	श्रृंखला - 76-बी	9.46%	1,105.00	1,105.00	1,105.00	01.08.2026	
23	श्रृंखला 147	8.03%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	02.05.2026	
24	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	192.70	15.12.2025	
25	श्रृंखला 141-बी	8.40%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18.09.2025	
26	श्रृंखला 66-बी	8.75%	1,532.00	1,532.00	1,532.00	15.06.2025	
27	श्रृंखला 65	8.70%	2,675.00	1,337.50	1,337.50	14.05.2025	
28	श्रृंखला 130-सी	8.39%	925.00	925.00	925.00	19.04.2025	
29	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	492.00	30.03.2025	
30	श्रृंखला 131-सी	8.41%	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27.03.2025	
31	श्रृंखला 63-III	8.90%	184.00	184.00	184.00	15.03.2025	
32	श्रृंखला 128	8.20%	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10.03.2025	
33	श्रृंखला 62-बी	8.80%	1,172.60	1,172.60	1,172.60	15.01.2025	
34	श्रृंखला 126	8.65%	5,000.00	5,000.00	5,000.00	04.01.2025	
35	श्रृंखला 125	8.65%	2,826.00	2,826.00	2,826.00	28.12.2024	
36	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	351.00	15.12.2024	
37	श्रृंखला 124 सी	8.48%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	09.12.2024	
38	श्रृंखला ए	8.98%	961.00	961.00	961.00	08.10.2024	
39	श्रृंखला 120 ऑप्शन ए	8.98%	950.00	950.00	950.00	08.10.2024	
40	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी II	9.39%	460.00	460.00	460.00	27.08.2024	
41	श्रृंखला 117 ऑप्शन बी	9.37%	855.00	855.00	855.00	19.08.2024	
42	श्रृंखला 57 सी	8.60%	866.50	866.50	866.50	07.08.2024	
43	श्रृंखला 85 डी	9.26%	736.00	736.00	736.00	15.04.2023	
44	श्रृंखला 102 ए (II)	8.90%	403.00	403.00	403.00	18.03.2023	

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
45	श्रृंखला 102 बी	8.87%	70.00	70.00	70.00	18.03.2023	
46	श्रृंखला 100 ए	8.84%	1,310.00	1,310.00	1,310.00	04.03.2023	
47	जीरो कूपन अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड 2022-XIX श्रृंखला	-	560.45	518.45	479.60	30.12.2022	
48	श्रृंखला 176 बी	7.99%	1,295.00	1,295.00	-	20.12.2022	
49	श्रृंखला 170 ए	7.35%	800.00	800.00	-	22.11.2022	
50	श्रृंखला 92 सी	9.29%	640.00	640.00	640.00	21.08.2022	
51	श्रृंखला 181	8.45%	2,155.00	-	-	11.08.2022	
52	श्रृंखला 169 ए	7.10%	3,395.00	3,395.00	-	08.08.2022	
53	श्रृंखला 91 बी	9.39%	2,695.20	2,695.20	2,695.20	29.06.2022	
54	श्रृंखला 168 ए	7.28%	1,950.00	1,950.00		12.06.2022	
55	श्रृंखला 88 सी	9.48%	184.70	184.70	184.70	15.04.2022	
56	श्रृंखला 183	8.18%	3,751.20	-	-	19.03.2022	
57	श्रृंखला 154	7.27%	1,101.00	1,101.00	1,101.00	22.12.2021	
58	श्रृंखला 124 ए	8.55%	1,200.00	1,200.00	1,200.00	09.12.2021	
59	श्रृंखला 123 सी	8.66%	200.00	200.00	200.00	27.11.2021	
60	श्रृंखला 153	7.40%	1,830.00	1,830.00	1,830.00	30.09.2021	
61	श्रृंखला 78 बी	9.44%	-	1,180.00	1,180.00	23.09.2021	
62	श्रृंखला 151 ए	7.47%	2,260.00	2,260.00	2,260.00	16.09.2021	
63	श्रृंखला 150 ए	7.50%	2,660.00	2,660.00	2,660.00	16.08.2021	
64	श्रृंखला 76 ए	9.36%	2,589.40	2,589.40	2,589.40	01.08.2021	
65	श्रृंखला 115 III	9.20%	700.00	700.00	700.00	07.07.2021	
66	श्रृंखला 75 सी	9.61%	2,084.70	2,084.70	2,084.70	29.06.2021	
67	श्रृंखला 74	9.70%	1,693.20	1,693.20	1,693.20	09.06.2021	
68	श्रृंखला 28	8.85%	600.00	600.00	600.00	31.05.2021	
69	श्रृंखला 73	9.18%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15.04.2021	
70	श्रृंखला 175	7.75%	600.00	600.00	-	15.04.2021	
71	श्रृंखला 173 बी	7.73%	1,325.00	1,325.00	-	05.04.2021	
72	श्रृंखला 146	8.05%	300.00	300.00	300.00	27.03.2021	
73	श्रृंखला 173 ए	7.73%	505.00	505.00	-	12.03.2021	
74	श्रृंखला 112 सी	9.70%	270.00	270.00	270.00	31.01.2021	
75	श्रृंखला 72 – बी	8.99%	1,219.00	1,219.00	1,219.00	15.01.2021	
76	श्रृंखला 71	9.05%	192.70	192.70	192.70	15.12.2020	
77	श्रृंखला 70	8.78%	1,549.00	1,549.00	1,549.00	15.11.2020	
78	श्रृंखला 141 ए	8.46%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18.09.2020	
79	श्रृंखला 163	7.50%	2,435.00	2,435.00	2,435.00	17.09.2020	
80	श्रृंखला 182	8.20%	3,500.00	-	-	14.09.2020	
81	श्रृंखला 140 बी	8.36%	1,250.00	1,250.00	1,250.00	04.09.2020	
82	श्रृंखला 138	8.45%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10.08.2020	
83	श्रृंखला 137	8.53%	2,700.00	2,700.00	2,700.00	24.07.2020	
84	श्रृंखला 68 – बी	8.70%	1,424.00	1,424.00	1,424.00	15.07.2020	
85	श्रृंखला 167	7.30%	1,560.00	1,560.00	-	30.06.2020	
86	श्रृंखला 165	7.42%	3,605.00	3,605.00	3,605.00	26.06.2020	
87	श्रृंखला 66 ए	8.65%	500.00	500.00	500.00	15.06.2020	
88	श्रृंखला 166	7.46%	1,180.00	1,180.00	-	05.06.2020	

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
89	श्रृंखला 149	8.04%	100.00	100.00	100.00	30.05.2020	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
90	श्रृंखला 159	7.05%	2,551.00	2,551.00	2,551.00	15.05.2020	
91	श्रृंखला 65	8.70%	-	1,337.50	1,337.50	14.05.2020	
92	श्रृंखला 131 बी	8.38%	1,350.00	1,350.00	1,350.00	27.04.2020	
93	श्रृंखला 130 बी	8.42%	200.00	200.00	200.00	18.04.2020	
94	श्रृंखला 85 सी	9.30%	79.50	79.50	79.50	15.04.2020	
95	श्रृंखला 157	6.83%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15.04.2020	
96	श्रृंखला 64	8.95%	492.00	492.00	492.00	30.03.2020	
97	श्रृंखला 87 डी	9.42%	650.80	650.80	650.80	20.03.2020	
98	श्रृंखला 63-II	8.90%	184.00	184.00	184.00	15.03.2020	
99	श्रृंखला 100 ए	8.86%	54.30	54.30	54.30	04.03.2020	
100	श्रृंखला 127	8.36%	4,440.00	4,440.00	4,440.00	26.02.2020	
101	श्रृंखला 99 बी	8.82%	733.00	733.00	733.00	20.02.2020	
102	श्रृंखला 112 -बी	9.70%	270.00	270.00	270.00	31.01.2020	
103	श्रृंखला 176 ए	7.53%	1,500.00	1,500.00	-	20.01.2020	
104	श्रृंखला 62 ए	8.70%	845.40	845.40	845.40	15.01.2020	
105	श्रृंखला 61	8.50%	351.00	351.00	351.00	15.12.2019	
106	श्रृंखला 124 ए	8.52%	1,220.00	1,220.00	1,220.00	09.12.2019	
107	श्रृंखला 123 बी	8.65%	836.00	836.00	836.00	28.11.2019	
108	श्रृंखला 60 बी	एफबीआईएल जी–सेक सममूल्य लब्धि +179 बीपीएस (चल दर)	925.00	925.00	925.00	20.11.2019	
109	श्रृंखला 122	8.76%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	07.11.2019	
110	श्रृंखला 121 बी	8.96%	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21.10.2019	
111	श्रृंखला 59 - बी	8.80%	1,216.60	1,216.60	1,216.60	15.10.2019	
112	श्रृंखला 119 ऑप्शन बी	9.32%	1,591.00	1,591.00	1,591.00	17.09.2019	
113	श्रृंखला 118 ऑप्शन बी I	9.39%	460.00	460.00	460.00	27.08.2019	
114	श्रृंखला 57 -बी	8.60%	866.50	866.50	866.50	07.08.2019	
115	श्रृंखला 115 II	9.15%	100.00	100.00	100.00	07.07.2019	
116	श्रृंखला 135 बी	8.50%	1,500.00	1,500.00	1,500.00	29.06.2019	
117	श्रृंखला 174	7.80%	3,300.00	3,300.00	-	07.06.2019	
118	श्रृंखला 90 बी	9.41%	-	-	391.00	01.06.2019	
119	श्रृंखला 148	7.95%	1,915.00	1,915.00	1,915.00	13.05.2019	
120	श्रृंखला 145	7.85%	2,928.00	2,928.00	2,928.00	15.04.2019	
121	कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 113	9.69%	-	2,240.00	2,240.00	03.03.2019	
122	श्रृंखला 143	8.12%	-	700.00	700.00	28.02.2019	
123	श्रृंखला 98-III	8.72%	-	324.00	324.00	08.02.2019	
124	कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 112 ए	9.70%	-	270.00	270.00	31.01.2019	
125	श्रृंखला 82 सी	9.70%	-	2,060.00	2,060.00	15.12.2018	
126	श्रृंखला 52 सी	11.25%	-	1,950.60	1,950.60	28.11.2018	
127	श्रृंखला 142 बी	8.00%	-	1,000.00	1,000.00	22.10.2018	
128	कर योग्य बॉण्ड श्रृंखला 109	9.81%	-	4,500.00	4,500.00	07.10.2018	
129	श्रृंखला 51 सी	11.00%	-	3,024.40	3,024.40	15.09.2018	

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	बकाया मूलधन (₹ करोड़ में)			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
130	श्रृंखला 140 ए	8.28%	-	1,930.00	1,930.00	04.09.2018	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
131	श्रृंखला 139 सी	8.17%	-	800.00	800.00	18.08.2018	
132	श्रृंखला 49 बी	10.85%	-	428.60	428.60	11.08.2018	
133	श्रृंखला 161	6.90%	-	1,850.00	1,850.00	16.07.2018	
134	श्रृंखला 162	6.90%	-	1,060.00	1,060.00	16.07.2018	
135	श्रृंखला 48 सी	10.55%	-	259.70	259.70	15.07.2018	
136	श्रृंखला 135 ए	8.40%	-	1,210.00	1,210.00	29.06.2018	
137	श्रृंखला 130 ए	8.40%	-	1,175.00	1,175.00	19.06.2018	
138	श्रृंखला 129 ए	8.29%	-	980.00	980.00	19.06.2018	
139	श्रृंखला 129 बी	8.29%	-	100.00	100.00	13.06.2018	
140	श्रृंखला 47 सी	9.68%	-	780.70	780.70	09.06.2018	
141	श्रृंखला 134 बी	8.39%	-	1,500.00	1,500.00	28.05.2018	
142	श्रृंखला 132 बी	8.09%	-	200.00	200.00	16.05.2018	
143	श्रृंखला 131 ए	8.34%	-	100.00	100.00	27.04.2018	
144	श्रृंखला 132 ए	8.03%	-	272.00	272.00	09.04.2018	
145	श्रृंखला 102 ए(I)	8.90%	-	-	403.00	18.03.2018	
146	श्रृंखला 101 ए	8.95%	-	-	3,201.00	11.03.2018	
147	श्रृंखला 99 ए	8.77%	-	-	2.00	20.02.2018	
148	श्रृंखला 98-II	8.72%	-	-	324.00	08.02.2018	
149	श्रृंखला 72 ए	8.97%	-	-	144.00	15.01.2018	
150	श्रृंखला 40 सी	9.28%	-	-	650.00	28.12.2017	
151	श्रृंखला 123 ए	8.50%	-	-	1,075.00	28.11.2017	
152	श्रृंखला 18	7.87%	-	-	25.00	13.11.2017	
153	श्रृंखला 121 ए	8.90%	-	-	1,500.00	21.10.2017	
154	श्रृंखला 142 ए	7.88%	-	-	800.00	21.10.2017	
155	श्रृंखला 93- बी	8.91%	-	-	950.00	15.10.2017	
156	श्रृंखला 17	8.21%	-	-	25.00	03.10.2017	
157	श्रृंखला 118 ए	9.30%	-	-	2,160.00	27.08.2017	
158	श्रृंखला 92 ए	9.01%	-	-	50.00	21.08.2017	
159	श्रृंखला 92-बी	9.27%	-	-	1,930.00	21.08.2017	
160	श्रृंखला 117 ए	9.32%	-	-	1,311.00	19.08.2017	
161	श्रृंखला 115-I	9.11%	-	-	1,650.00	07.07.2017	
162	श्रृंखला 91 ए	9.40%	-	-	107.50	29.06.2017	
163	श्रृंखला 90 ए	9.61%	-	-	537.90	01.06.2017	
164	श्रृंखला 134 ए	8.35%	-	-	1,500.00	27.05.2017	
165	श्रृंखला 13	9.60%	-	-	65.00	24.05.2017	
166	श्रृंखला 139 - बी	8.12%	-	-	1,435.00	22.05.2017	
167	श्रृंखला 35	9.96%	-	-	530.00	18.05.2017	
168	श्रृंखला 13	9.60%	-	-	125.00	16.05.2017	
169	श्रृंखला 89 ए	9.52%	-	-	165.00	02.05.2017	
170	श्रृंखला 133 - बी	8.00%	-	-	605.00	24.04.2017	
171	श्रृंखला 144	7.98%	-	-	1,775.00	21.04.2017	
172	श्रृंखला 139 ए	8.12%	-	-	565.00	17.04.2017	
173	श्रृंखला 133 ए	8.00%	-	-	545.00	03.04.2017	
	कुल (क)		**167,774.95**	**177,176.95**	**173,383.50**		

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							
1	श्रृंखला 169	8.37%	2,554.00	-	-	07.12.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	श्रृंखला 168	8.56%	2,552.40	-	-	29.11.2028	
3	श्रृंखला 163	8.63%	2,500.00	-	-	25.08.2028	
4	श्रृंखला 162	8.55%	2,500.00	-	-	09.08.2028	
5	श्रृंखला 156	7.70%	3,533.00	3,533.00	-	10.12.2027	
6	श्रृंखला 147	7.95%	2,745.00	2,745.00	2,745.00	12.03.2027	
7	श्रृंखला 142	7.54%	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30.12.2026	
8	श्रृंखला 140	7.52%	2,100.00	2,100.00	2,100.00	07.11.2026	
9	श्रृंखला 136	8.11%	2,585.00	2,585.00	2,585.00	07.10.2025	
10	श्रृंखला 95-II	8.75%	1,800.00	1,800.00	1,800.00	14.07.2025	
11	श्रृंखला 94	8.75%	1,250.00	1,250.00	1,250.00	09.06.2025	
12	श्रृंखला 133	8.30%	2,396.00	2,396.00	2,396.00	10.04.2025	
13	श्रृंखला 131	8.35%	2,285.00	2,285.00	2,285.00	21.02.2025	
14	श्रृंखला 130	8.27%	2,325.00	2,325.00	2,325.00	06.02.2025	
15	श्रृंखला 129	8.23%	1,925.00	1,925.00	1,925.00	23.01.2025	
16	श्रृंखला 128	8.57%	2,250.00	2,250.00	2,250.00	21.12.2024	
17	श्रृंखला 123-IIIबी	9.34%	1,955.00	1,955.00	1,955.00	23.08.2024	
18	श्रृंखला 114	8.82%	4,300.00	4,300.00	4,300.00	12.04.2023	
19	श्रृंखला 159	7.99%	950.00	950.00	-	23.02.2023	
20	श्रृंखला 155	7.45%	1,912.00	1,912.00	-	30.11.2022	
21	श्रृंखला 111-II	9.02%	2,211.20	2,211.20	2,211.20	19.11.2022	
22	श्रृंखला 152	7.09%	1,225.00	1,225.00	-	17.10.2022	
23	श्रृंखला 150	7.03%	2,670.00	2,670.00	-	07.09.2022	
24	श्रृंखला 07	9.35%	2,378.20	2,378.20	2,378.20	15.06.2022	
25	श्रृंखला 167	8.45%	2,571.80	-	-	22.03.2022	
26	श्रृंखला 173	8.35%	2,500.00	-	-	11.03.2022	
27	श्रृंखला 132	8.27%	700.00	700.00	700.00	09.03.2022	
28	श्रृंखला 145	7.46%	625.00	625.00	625.00	28.02.2022	
29	श्रृंखला 165	8.83%	2,171.00	-	-	21.01.2022	
30	श्रृंखला 141	7.14%	1,020.00	1,020.00	1,020.00	09.12.2021	
31	श्रृंखला 127	8.44%	1,550.00	1,550.00	1,550.00	04.12.2021	
32	श्रृंखला 105	9.75%	3,922.20	3,922.20	3,922.20	11.11.2021	
33	श्रृंखला 139	7.24%	2,500.00	2,500.00	2,500.00	21.10.2021	
34	श्रृंखला 101-III	9.48%	3,171.80	3,171.80	3,171.80	10.08.2021	
35	श्रृंखला 123-I	9.40%	1,515.00	1,515.00	1,515.00	17.07.2021	
36	श्रृंखला 100	9.63%	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15.07.2021	
37	श्रृंखला 174	8.15%	2,720.00	-	-	18.06.2021	
38	श्रृंखला 161-बी	7.73%	800.00	800.00	-	15.06.2021	
39	श्रृंखला 154	7.18%	600.00	600.00	-	21.05.2021	
40	श्रृंखला 157	7.60%	1,055.00	1,055.00	-	17.04.2021	
41	श्रृंखला 158	7.70%	2,465.00	2,465.00	-	15.03.2021	
42	श्रृंखला 98	9.18%	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15.03.2021	
43	जेडसीबी – श्रृंखला II	-	230.11	211.59	194.57	03.02.2021	
44	श्रृंखला 153	6.99%	2,850.00	2,850.00	-	31.12.2020	

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
45	जेडसीबी – श्रृंखला I	-	1,029.46	951.00	878.52	15.12.2020	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
46	श्रृंखला 97	8.80%	2,120.50	2,120.50	2,120.50	30.11.2020	
47	श्रृंखला 96	8.80%	1,150.00	1,150.00	1,150.00	26.10.2020	
48	श्रृंखला 149	6.87%	2,485.00	2,485.00	-	24.09.2020	
49	श्रृंखला 135	8.36%	2,750.00	2,750.00	2,750.00	22.09.2020	
50	श्रृंखला 144	7.13%	835.00	835.00	835.00	21.09.2020	
51	श्रृंखला 172	8.57%	1,790.00	-	-	20.08.2020	
52	श्रृंखला 134	8.37%	2,675.00	2,675.00	2,675.00	14.08.2020	
53	श्रृंखला 143	6.83%	1,275.00	1,275.00	1,275.00	29.06.2020	
54	श्रृंखला 148	7.42%	1,200.00	1,200.00	1,200.00	17.06.2020	
55	श्रृंखला 161-ए	7.59%	3,000.00	3,000.00	-	13.03.2020	
56	श्रृंखला 113	8.87%	1,542.00	1,542.00	1,542.00	09.03.2020	
57	श्रृंखला 92-II	8.65%	945.30	945.30	945.30	22.01.2020	
58	श्रृंखला 111-I	9.02%	452.80	452.80	452.80	19.11.2019	
59	श्रृंखला 91-II	8.80%	995.90	995.90	995.90	18.11.2019	
60	श्रृंखला 126	8.56%	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13.11.2019	
61	श्रृंखला 125	9.04%	3,000.00	3,000.00	3,000.00	11.10.2019	
62	श्रृंखला 90-सी-II	8.80%	1,040.00	1,040.00	1,040.00	07.10.2019	
63	श्रृंखला 160	7.77%	1,450.00	1,450.00	-	16.09.2019	
64	श्रृंखला 90-बी-II	8.72%	868.20	868.20	868.20	04.09.2019	
65	श्रृंखला 90	8.80%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	03.08.2019	
66	श्रृंखला 108-II	9.39%	960.00	960.00	960.00	20.07.2019	
67	श्रृंखला 95-I	8.70%	200.00	200.00	200.00	12.07.2019	
68	श्रृंखला 122	9.02%	1,700.00	1,700.00	1,700.00	18.06.2019	
69	श्रृंखला 151	6.75%	-	1,150.00	-	26.03.2019	
70	श्रृंखला 119	9.63%	-	2,090.00	2,090.00	05.02.2019	
71	श्रृंखला 88	8.65%	-	1,495.00	1,495.00	15.01.2019	
72	श्रृंखला 118	9.61%	-	1,655.00	1,655.00	03.01.2019	
73	श्रृंखला 137	8.05%	-	2,225.00	2,225.00	07.12.2018	
74	श्रृंखला 117	9.38%	-	2,878.00	2,878.00	06.11.2018	
75	श्रृंखला 87-ए-III	11.15%	-	61.80	61.80	24.10.2018	
76	श्रृंखला 116-II	9.24%	-	850.00	850.00	17.10.2018	
77	श्रृंखला 87-II	10.85%	-	657.40	657.40	01.10.2018	
78	श्रृंखला 146	6.88%	-	3,300.00	3,300.00	03.09.2018	
79	श्रृंखला 86-बी-III	10.85%	-	432.00	432.00	14.08.2018	
80	श्रृंखला 86-ए	10.70%	-	500.00	500.00	30.07.2018	
81	श्रृंखला 85	9.68%	-	500.00	500.00	13.06.2018	
82	श्रृंखला 83	9.07%	-	-	685.20	28.02.2018	
83	श्रृंखला 112	8.70%	-	-	1,500.00	01.02.2018	
84	श्रृंखला 82	9.85%	-	-	883.10	28.09.2017	
85	श्रृंखला 124-I	9.06%	-	-	2,610.00	22.09.2017	
86	श्रृंखला 109	9.25%	-	-	1,734.70	28.08.2017	
87	श्रृंखला 123-IIIए	9.25%	-	-	1,275.00	25.08.2017	
88	श्रृंखला 108-I	9.40%	-	-	2,125.00	20.07.2017	
	कुल (ख)		**130,532.87**	**126,370.89**	**110,949.39**		
	कुल (क + ख)		**298,307.82**	**303,547.84**	**284,332.89**		

20.5 बकाया विदेशी मुद्रा नोट्स का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
कंपनी के मामले में							
1	6.15% यूएसडी बॉण्ड 2028	6.15%	3,457.75	-	-	06.12.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	5.25% यूएसडी बॉण्ड 2028	5.25%	2,074.65	-	-	10.08.2028	
3	3.75% यूएसडी ग्रीन बॉण्ड 2027	3.75%	2,766.20	2,607.00	-	06.12.2027	
4	6.61 % सीनियर नोट्स (यूएसपीपी)	6.61%	-	-	1,167.30	05.09.2017	
	कुल (क)		**8,298.60**	**2,607.00**	**1,167.30**		
	ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	4.63% यूएसडी $300 मिलियन बॉण्ड	4.63%	2,075.14	1,951.32	-	22.03.2028	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	3.88% यूएसडी $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड	3.88%	3,112.71	2,926.98	-	07.07.2027	
3	4.63% यूएसडी $700 मिलियन बॉण्ड	4.63%	4,841.99	-	-	13.11.2023	
4	3.07% यूएसडी $400 मिलियन बॉण्ड	3.07%	2,766.85	2,601.76	-	18.12.2020	
	कुल (ख)	**12,796.69**	**7,480.06**	**-**			
	कुल (क +ख)		**21,095.29**	**10,087.06**	**1,167.30**		

20.6 बकाया वाणिज्यिक पत्रों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
कंपनी के मामले में							
1	सीपी-108	7.85%	3,000.00	-	-	06.03.2020	परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
2	सीपी-109	7.39%	1,500.00	-	-	16.09.2019	
3	सीपी-106	7.15%	3,000.00	-	-	13.05.2019	
4	सीपी-105	7.44%	2,500.00	-	-	15.04.2019	
5	सीपी-90	6.65%	-	1,925.00	-	10.08.2018	
6	सीपी-94	7.00%	-	2,000.00	-	25.06.2018	
7	सीपी-93बी	7.40%	-	1,100.00	-	15.06.2018	
8	सीपी-85	6.80%	-	1,105.00	-	15.05.2018	
9	सीपी-93ए	7.30%	-	900.00	-	27.04.2018	
	कुल		**10,000.00**	**7,030.00**	**-**		
	घटाएं : अपरिशोधित वित्तीय प्रभार		284.08	105.26	-		
	कुल (क)		**9,715.92**	**6,924.74**	**-**		
ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							परिपक्वता पर सममूल्य पर मोचनीय
1	सीपी-60	7.90%	1,000.00	-	-	04.03.2020	
2	सीपी-59	7.72%	2,350.00	-	-	30.12.2019	
3	सीपी-58	7.60%	1,875.00	-	-	27.09.2019	
4	सीपी-57	8.04%	2,750.00	-	-	30.04.2019	
5	सीपी-51	7.43%	-	3,250.00	-		
	कुल (ख)		**7,975.00**	**3,250.00**	**-**		
	कुल (क + ख)		**17,690.92**	**10,174.74**	**-**		

20.7 बकाया बॉण्ड एप्लीकेशन मनी का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							वित्तीय वर्ष 2023–24 / वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सममूल्य पर मोचनीय
1	54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्ड	5.75% / 5.25%	722.04	1,469.23	–		
	कुल		**722.04**	**1,469.23**	**–**		

20.8 कंपनी के मामले में प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है :

(i) गिंडी, चेन्नई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर प्रथम पारी–पासु के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड के बॉण्ड श्रृंखला 86 डी, 86 सी, श्रृंखला III, श्रृंखला IV वर्तमान एवं भावी प्राप्य प्रतिफल के प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत किया जाता है (ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जो विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान जारी किए गए इंफ्रा बॉण्ड के लिए प्रभारित किए गए हैं)।

(ii) जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल परिसंपत्ति पर प्रथम प्रभार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला I, II को 31 मार्च, 2016 की स्थिति में अनुसार कंपनी के ₹ 3,090.80 करोड़ के विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

(iii) गिंडी, चेन्नई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर प्रथम पारी–पासु के साथ कर मुक्त बॉण्डों के बॉण्ड श्रृंखला ट्रांच–I श्रृंखला–II, 95 बी, 94 बी, 80 बी, 79बी को कंपनी के कुल प्राप्य प्रतिफल पर प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत किया जाता है (ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन पर विशिष्ट प्रभार का पहले सृजन किया जा चुका है)।

(iv) सभी अन्य कर मुक्त बॉण्डों को कंपनी के कुल बही ऋणों पर प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत किया जाता है (ऐसे बही ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले विशिष्ट प्रभार का सृजन किया जा चुका है), जो लेन–देन के दस्तावेजों के अंतर्गत/अनुपालन में बॉण्ड धारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा अन्य धनराशि सहित बॉण्डों के भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

(v) 54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला I, II को कंपनी के कुल बही ऋणों पर प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत किया जाता है, ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले विशिष्ट प्रभार का सृजन किया गया है, जो लेन–देन के दस्तावेजों के अंतर्गत/अनुपालन में बॉण्ड धारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा अन्य धनराशि सहित बॉण्डों के भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

(vi) कर योग्य बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 109, 112ए, 112बी, 112सी, 113 को कंपनी के कुल बही ऋणों पर प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत किया जाता है, ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले विशिष्ट प्रभार का सृजन किया गया है, जो लेन–देन के दस्तावेजों के अंतर्गत/अनुपालन में बॉण्ड धारकों और/या अन्य को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा अन्य धनराशि सहित बॉण्डों के भुगतान/पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।

20.9 ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में प्रतिभूतियों का ब्योरा इस प्रकार है :

(i) कंपनी द्वारा जारी किए गए तथा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्डों के लिए कुछ अचल परिसंपत्तियों पर मोर्टगेज और/या कंपनी की प्राप्य राशियों पर प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर अनुरक्षित किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्डों को विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड था) के पक्ष में एमएसईडीसीएल की ₹ 4,998.66 करोड़ की प्राप्य राशि को मोर्टगेज रखकर तथा शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए कर मुक्त बॉण्डों को एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (ऐसे ऋणों से भिन्न जो ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टी को अनन्य रूप से प्रभारित/उद्दिष्ट किए गए हैं) पर प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2015–16 के दौरान जारी किए गए 54 ईसी पूंजी अभिलाभ कर छूट बॉण्डों तथा कर मुक्त बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला X, XI और XII को एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में (क) ग्राम सुभनपुरा, जिला वडोदरा में स्थित उप प्लाट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी में परिसरों की मोर्टगेज और (ख) प्राप्त राशियों (ऐसी राशियों से भिन्न जो ऋणदाताओं/अन्य ट्रस्टी को अनन्य रूप से प्रभारित/उद्दिष्ट किए गए हैं) के हाइपोथिकेशन पर प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत किया गया है।

(v) संस्थानिक बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 90, 90 बी-II, 90 सी-II, 91-II और 92-II को (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड खेल गांव, नई दिल्ली के मोर्टगेज पर प्रभार और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान एवं भावी दोनों प्राप्य राशियों पर प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत

किया गया है, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज़ लिमिटेड के पक्ष में संयुक्त हाइपोथिकेशन करार दिनांक 24 सितंबर, 2010 के आधार पर विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (पूर्व में इसका आईएलएंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड था) के पास हाइपोथिकेशन रखी गई प्राप्य राशियों को छोड़कर।

(vi) संस्थानिक बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 122 को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में निर्गमकर्ता के वर्तमान एवं भावी दोनों बही ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभार द्वारा सुरक्षित किया गया है जिनको अन्य ऋणदाताओं/ट्रस्टी पर प्रभारित किया गया है तथा हर समय बकाया बॉण्डों के सकल अंकित मूल्य की राशि पर एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ डिबेंचर/बॉण्ड न्यास सह हाइपोथिकेशन विलेख के अनुसरण में निर्गमकर्ता और ट्रस्टी के बीच सहमति हो सकती है।

(vii) संस्थानिक बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 123-I और 123-III बी को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज़ लिमिटेड के पक्ष में निर्गमकर्ता की निर्दिष्ट अचल संपत्ति तथा बही ऋणों पर प्रथम पारी–पासु पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया गया है जिनको अन्य ऋणदाताओं/ट्रस्टी पर प्रभारित किया गया है तथा हर समय बकाया बॉण्डों के सकल अंकित मूल्य की राशि तथा उस पर देय ब्याज की राशि पर एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख के अनुसरण में निर्गमकर्ता और ट्रस्टी के बीच सहमति हो सकती है।

20.10 कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड श्रृंखला का निर्गमों सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से धन जुटाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने अपने ऋणों तथा ब्याज को चुकता करने में चूक नहीं की है।

21. ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर ऋणों (ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर) को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
(क)	**सावधि ऋण**			
(i)	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से			
	- विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी संख्या 21.1 और 21.3 देखें)	9,701.51	8,053.23	1,475.91
	- सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋण (टिप्पणी 21.2 एवं 21.3 देखें)	32,787.57	29,926.38	26,881.22
	- रुपया सावधि ऋण (टिप्पणी 21.4 देखें)	58,453.55	10,925.00	2,750.00
(ii)	अन्य पक्षों से			
	-रुपया सावधि ऋण – भारत सरकार (टिप्पणी 21.5 देखें)	12,500.00	–	–
(ख)	**अन्य ऋण**			
(i)	- सावधि जमा के विरुद्ध ऋण (टिप्पणी 21.6 देखें)	12,737.18	-	2,400.79
(ii)	- डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट (टिप्पणी 7.1 और 21.7 देखें)	620.00	-	-
(iii)	वित्तीय पट्टा की बाध्यताएं	0.11	0.11	0.13
(ग)	**उपर्युक्त पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज**	609.87	150.99	127.98
(घ)	**उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन–देन लागत**	(402.72)	(344.12)	(344.10)
	कुल ऋण(ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	**127,007.07**	**48,711.59**	**33,291.93**
(II)	भौगोलिक ऋण			
(i)	भारत में ऋण	89,111.58	14,768.40	5,178.02
(ii)	भारत के बाहर ऋण	37,895.49	33,943.19	28,113.91
	कुल भौगोलिक ऋण	**127,007.07**	**48,711.59**	**33,291.93**

21.1 बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
		31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
कंपनी के मामले में						
1	केएफडब्ल्यू-I	48.06	53.04	48.04	30.12.2035 तक की अर्धवार्षिक किश्तें	अर्धवार्षिक किश्तों में मोचनीय
2	एडीबी	82.80	87.36	96.21	15.10.2028 तक की अर्धवार्षिक किश्तें	
3	क्रेडिट नेशनल	50.24	61.08	59.98	30.06.2028 तक की अर्धवार्षिक किश्तें	
4	एसबीआई एफसीएनआर(बी)	1,728.88	1,629.38	-	20.03.2020	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
5	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी)-IV	691.55	-	-	28.06.2019	
6	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी)-III	691.55	-	-	12.06.2019	
7	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी)-II	691.55	-	-	03.06.2019	
8	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी)	691.55	651.75	-	26.04.2019	
9	बैंक ऑफ बडौदा एफसीएनआर(बी)-II	-	201.32	-	22.02.2019	
10	बैंक ऑफ बडौदा एफसीएनआर(बी)-I	-	507.10	-	15.02.2019	
	कुल (क)	**4676.17**	**3191.03**	**204.23**		
ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	जेआईसीए ऋण	131.40	252.32	407.49	20.09.2019	20 मार्च, 2021 तक छमाही किस्तों में पुनर्भुगतान के योग्य, अगली किश्त 20 सितंबर, 2019 को देय हो रही है तथा 20 मार्च, 2023 तक छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य 0.65% जेआईसीए–2 ऋण, अगली किश्त 20 सितंबर, 2019 को देय हो रही है
2	केएफडब्ल्यू-II ऋण	120.87	188.12	215.44	30.06.2019	3.88 मिलियन पाउंड की समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य, अगली किश्त 30 जून, 2019 को देय हो रही है
3	केएफडब्ल्यू-III ऋण	449.87	551.63	546.70	30.06.2019	5.26 मिलियन पाउंड की समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य, अगली किश्त 30 जून, 2019 को देय हो रही है
4	केएफडब्ल्यू ऋण	-	59.41	102.05	30.06.2018	3.68 मिलियन पाउंड की समान छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य, अगली किश्त 30 जून, 2019 को देय हो रही है
	एफसीएनआर (ख) ऋण					
6	135 मिलियन अमेरिकी डॉलर	933.81	-	-	04.09.2021	
7	100 मिलियन अमेरिकी डॉलर	968.40	-	-	11.01.2020	
8	100 मिलियन अमेरिकी डॉलर	691.71	-	-	19.12.2019	
9	100 मिलियन अमेरिकी डॉलर	691.71	-	-	09.12.2019	
10	150 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,037.57	-	-	31.08.2019	
11	235.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	1,534.18	-	12.02.2019	
12	100 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	650.44	-	-	
13	100 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	650.44	-	-	
14	150 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	975.66	-	-	
	कुल (ख)	**5,025.34**	**4,862.20**	**1,271.68**		
	कुल (क + ख)	**9,701.51**	**8,053.23**	**1,475.91**		

21.2 बकाया अप्रतिभूत सिंडिकेटिड विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं	विवरण	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
		31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
कंपनी के मामले में						
1	एसएलएन 27	1,024.32	-	-	01.02.2024	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2	एसएलएन 26	1,728.88	-	-	26.09.2023	
3	एसएलएन 22	1,728.88	1,629.37	-	28.02.2023	
4	एसएलएन 23	1,728.88	1,629.38	-	22.03.2023	
5	एसएलएन 21	2,074.65	1,955.25	-	12.12.2022	
6	एसएलएन 17	3,111.98	2,932.86	2,918.25	3 समान किश्तें (28.09.2020, 26.03.2021 और 24.09.2021)	तीन समान किश्तों में मोचनीय
7	एसएलएन 18	2,725.65	2,685.81	2,532.85	3 समान किश्तें (06.11.2020, 08.11.2021 और 04.11.2022)	तीन समान किश्तों में मोचनीय
8	एसएलएन 16	1,728.88	1,629.38	1,621.25	04.12.2019	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
	कुल (क)	**15,852.09**	**12,462.05**	**7,072.35**		
ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	75 मिलियन अमेरिकी डॉलर	518.78	-	-	29.03.2024	
2	250 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,729.28	-	-	27.03.2024	
3	जेपीवाई 10,327.12 येन	645.65	-	-	31.08.2023	
4	250 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,729.28	-	-	08.08.2023	
5	200 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,383.43	1,300.88	-	28.07.2022	
6	230 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,590.94	1,496.01	1,491.29	19.01.2022	
7	100 मिलियन अमेरिकी डॉलर	691.71	650.44	648.39	05.12.2021	
8	240 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,660.11	1,561.06	-	26.03.2021	
9	160 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,106.74	1,040.71	-	26.03.2021	
10	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,075.14	1,951.32	1,945.16	01.12.2020	
11	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,075.14	1,951.32	1,945.16	29.07.2020	
12	250 मिलियन अमेरिकी डॉलर	1,331.55	1,252.10	1,620.97	29.05.2019	
13	57.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर	397.73	374.00	-	29.05.2019	
14	120 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	780.53	778.06	21.03.2019	
15	250 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	1,626.10	1,620.97	05.02.2019	
16	285 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	1,853.76	1,847.90	02.12.2018	
17	250 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	1,626.10	1,620.97	18.09.2018	
18	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	-	2,593.54	26.03.2018	
19	400 मिलियन अमेरिकी डॉलर	-	-	2,593.54	27.12.2017	
20	19.029 बिलियन येन	-	-	1,102.92	10.04.2017	
	कुल (ख)	**16,935.48**	**17,464.33**	**19,808.87**		
	कुल (क + ख)	**32,787.57**	**29,926.38**	**26,881.22**		

21.3 उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 21.1 और 21.2 में उल्लिखित विदेशी मुद्रा ऋण 3 माह/6 माह में 62 बीपीएस से 195 बीपीएस यूएसडी/जेपीवाई लिबोर की ब्याज दर पर जुटाया गया है (लंदन इंटर बैंक द्वारा प्रस्तावित दर)।

21.4 बकाया रुपया सावधि ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

(i) प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण

क्र. सं	विवरण	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
कंपनी के मामले में							
1	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	8.75%	1,500.00	-	-	25.02.2025	मूलधन को चुकता करने पर 2 वर्ष अधिस्थगन अवधि है तथा संवितरण की तारीख से 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि पूर्ण होने के बाद ऋण को ₹ 375 करोड़ प्रत्येक की 04 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 25 फरवरी, 2022 से होगी और यह 25 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा।
2	कॉर्पोरेशन बैंक	8.70%	1,000.00	-	-	15.03.2024	ऋण को ₹ 200 करोड़ रुपए प्रत्येक की 5 वार्षिक किश्तों में चुकता करना है जिसकी शुरूआत 15 मार्च, 2020 से होगी और यह 15 मार्च, 2024 को समाप्त होगा।
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8.75%	750.00	-	-	11.03.2024	ऋण अधिस्थगन : प्रथम संवितरण की तारीख से 2 वर्ष (8 तिमाही) मूलधन को 12 सुगठित तिमाही किश्तों अर्थात 9वीं से 12वीं तिमाही तक ₹ 18.75 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तों, 13वीं से 16वीं तिमाही तक ₹ 56.25 करोड़ प्रत्येक की 4 किश्तों और इसके बाद 17वीं से 20वीं तिमाही तक ₹ 112.50 करोड़ प्रत्येक की चार किश्तों में चुकता किया जाएगा।
4	बैंक ऑफ इंडिया	8.70%	1,000.00	-	-	02.03.2024	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
5	केनरा बैंक	8.70%	1,000.00	-	-	20.02.2024	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
6	यूको बैंक	8.70%	200.00	-	-	02.03.2022	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
	कुल (क)		**5450.00**	**0.00**	**0.00**		
	ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	7.35%	200.00	400.00	750.00	01.10.2019	₹ 200 करोड़ समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य ऋण, अगली किश्त 1 अक्तूबर, 2019 को देय है।
	कुल (ख)		**200.00**	**400.00**	**750.00**		
	कुल प्रतिभूत रुपया सावधि ऋण (क+ख)		**5650.00**	**400.00**	**750.00**		

(ii) **अप्रतिभूत रुपया सावधि**

क्र. सं	विवरण		मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
कंपनी के मामले में							
1	बैंक ऑफ इंडिया	8.70%	2,000.00	-	-	21.01.2024	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2	केनरा बैंक	8.70%	1,000.00	-	-	28.12.2023	
3	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	8.65%	1,000.00	-	-	24.12.2023	
4	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	8.45%	750.00	-	-	05.10.2023	
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8.45%	6,000.00	-	-	27.09.2023	
6	विजया बैंक	7.90%	-	1,000.00	-	13.03.2023	
7	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	8.38%	800.00	-	-	14.09.2021	
8	यूको बैंक	8.25%	1,000.00	-	-	23.08.2021	
9	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.75%	700.00	-	-	04.03.2021	

क्र. सं	विवरण	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
10	एचडीएफसी बैंक लि.	8.40%	750.00	750.00	-	30.09.2020	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
11	केनरा बैंक	8.35%	1,500.00	-	-	13.09.2020	
12	बैंक ऑफ इंडिया	8.30%	1,000.00	-	-	06.08.2020	
13	आंध्रा बैंक	8.25%	1,979.00	-	-	29.06.2020	
14	विजया बैंक	8.45%	2,000.00	-	-	19.06.2020	
15	पंजाब नेशनल बैंक	8.15%	2,000.00	-	-	05.06.2020	
16	पंजाब नेशनल बैंक	8.15%	2,000.00	-	-	24.05.2020	
17	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	7.99%	775.00	-	-	30.09.2019	
18	आंध्रा बैंक	7.90%	-	277.07	-	30.09.2019	
19	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	7.70%	-	775.00	-	30.09.2019	
20	आंध्रा बैंक	7.90%	-	1,722.93	-	29.09.2019	
21	विजया बैंक	7.90%	-	1,000.00	-	05.09.2019	
22	इलाहाबाद बैंक	8.25%	2,000.00	-	-	08.08.2019	
23	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.35%	2,000.00	-	-	30.07.2019	
24	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.35%	999.55	-	-	22.07.2019	
25	इलाहाबाद बैंक	7.85%	-	2,000.00	-	28.05.2019	
26	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7.85%	-	2,000.00	-	30.04.2019	
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8.25%	3,000.00	-	-	19.04.2019	
28	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7.85%	-	1,000.00	-	19.04.2019	
29	आईसीआईसीआई बैंक	7.90%	-	-	1,500.00	30.04.2018	
30	जम्मू एंड कश्मीर	8.10%	-	-	500.00	30.04.2018	
	कुल (क)		**33253.55**	**10525.00**	**2000.00**		
	ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में						
1	केनरा बैंक	8.15% से 9.20%	500.00	-	-	5-मार्च-24	5 मार्च, 2024 को पुनर्भुगतान योग्य ऋण
2	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया		1,000.00	-	-	13-सितंबर-22	4 छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य ऋण, पहली किश्त 13 सितंबर, 2022 को देय है
3	इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)		1,000.00	-	-	4-जून-22	4 जून, 2022 को पुनर्भुगतान योग्य
4	बैंक ऑफ इंडिया		2,000.00	-	-	5-मई-22	8 तिमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य ऋण, पहली किश्त 05 मई, 2022 को देय है
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		7,300.00	-	-	15-अक्तूबर-21	3 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य 500 करोड़ तथा पहली किश्त 15 अक्तूबर, 2021 को देय है, 5 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य 2300 करोड़ और पहली किस्त 5 सितंबर, 2020 को देय है
6	पंजाब नेशनल बैंक		3,500.00	-	-	14-सितंबर-21	3 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य 2014 करोड़ तथा पहली किश्त 14 सितंबर, 2021 को देय है, 3 वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य 1,500 करोड़ और पहली किश्त 20 फरवरी, 2022 को देय है
7	कॉर्पोरेशन बैंक		1,000.00	-	-	6-सितंबर-21	6 छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य ऋण, पहली किश्त 06 सितंबर, 2021 को देय है
8	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स		750.00	-	-	5-सितंबर-21	8 छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य ऋण, पहली किश्त 05 सितंबर, 2021 को देय है

क्र. सं	विवरण	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
9	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		500.00	-	-	31-जुलाई-21	6 छमाही किश्तों में पुनर्भुगतान योग्य ऋण, पहली किश्त 31 जुलाई, 2021 को देय है
10	एचडीएफसी बैंक		2,000.00	-	-	29-अप्रैल-20	29 अप्रैल, 2020 को पुनर्भुगतान योग्य 500 करोड़, 29 सितंबर, 2023 को पुनर्भुगतान योग्य 300 करोड़, 11 अक्तूबर, 2023 को पुनर्भुगतान योग्य 350 करोड़, 6 नवंबर, 2023 को पुनर्भुगतान योग्य 350 करोड़, 15 जनवरी, 2024 को पुनर्भुगतान योग्य 500 करोड़
	कुल (ख)		**19550.00**	**-**	**-**		
	कुल अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण (क + ख)		**52803.55**	**10525.00**	**2000.00**		
	कुल रुपया सावधि ऋण (अप्रतिभूत एवं प्रतिभूत)		**58453.55**	**10925.00**	**2750.00**		

21.5 अप्रतिभूत रुपया सावधि ऋण–भारत सरकार बकाया का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं	विवरण	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
कंपनी के मामले में							
1	नेशनल स्माल सेविंग फंड स्कीम (एनएसएसएफ)	8.11%	7,500.00	-	-	27-दिसंबर-28	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
	कुल (क)		**7500.00**	**-**	**-**		
ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में							
1	नेशनल स्माल सेविंग फंड स्कीम (एनएसएसएफ)	8.15% से 9.20%	5,000.00	-	-	13-दिसंबर-28	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
	कुल (क)		**5,000.00**	**-**	**-**		
	कुल (क + ख)		**12500.00**	**-**	**-**		

21.6 **बकाया सावधि जमा के विरूद्ध ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं	बैंक का नाम	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
		31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
1	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक	382.00	-	-	03.04.2019	
2	जम्मू एंड कश्मीर	-	-	100.00	03.04.2017	
3	पंजाब नेशनल बैंक	1,525.44	-	-	03.04.2019	
4	साउथ इंडियन बैंक	317.92	-	-	02.04.2019	
5	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,805.00	-	-	03.04.2019	
6	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	-	177.15	03.04.2017	
7	इंडियन बैंक	1,995.00	-	-	02.04.2019	
8	विजया बैंक	1,890.00	-	-	02.04.2019	
9	विजया बैंक	-	-	1,800.00	03.04.2017	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
10	पंजाब नेशनल बैंक	344.13	-	-	02.04.2019	
11	पंजाब नेशनल बैंक	26.43	-	-	02.04.2019	
12	पंजाब नेशनल बैंक	1,291.94	-	-	03.04.2019	
13	केनरा बैंक	1,704.13	-	-	02.04.2019	
14	यूको बैंक	500.00	-	-	02.04.2019	
15	एचडीएफसी बैंक	955.19	-	-	02.04.2019	
16	इलाहाबाद बैंक	-	-	323.64	03.04.2017	
	सावधि जमा के विरूद्ध कुल ऋण	**12,737.18**	**-**	**2,400.79**		

21.7 कंपनी के मामले में, बकाया अप्रतिभूत डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट का ब्योरा निम्नानुसार है :

क्र. सं	बैंक का नाम	कूपन रेट (प्रतिवर्ष)	मूल राशि (₹ करोड़ में) बकाया			मोचन की तारीख	मोचन का ब्योरा
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017		
1	बैंक ऑफ इंडिया	8.20 %	250.00	-	-	8 अप्रैल, 19	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
2	पंजाब नेशनल बैंक	8.15 %	370.00	-	-	8 अप्रैल, 19	परिपक्वता के अंत में एकबारगी पुनर्भुगतान
	कुल डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/सीसी/लाइन ऑफ क्रेडिट		**620.00**	**-**	**-**		

21.8 निदेशकों द्वारा एक भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

21.9 उपर्युक्त अवधियों के दौरान ऋणों एवं ब्याज के पुनर्भुगतान करने में कोई चूक नहीं हुई है।

21.10 प्रतिभूति का विवरण निम्नानुसार है :

(i) कंपनी के मामले में, प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में गिरवी प्राप्य राशि के वहन मूल्य के लिए टिप्पणी संख्या 10 देखें। प्रतिभूत रुपया सावधि ऋणों को कंपनी के प्राप्य प्रतिफल पर ऋणदाता बैंक के पक्ष में प्रथम पारी–पासु द्वारा प्रतिभूत किया जाता है जो इस प्रतिभूति दस्तावेज के अंतर्गत/अनुपालन में ऋणदाता बैंक और/या अन्यों को कंपनी द्वारा देय/चुकौती योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा सभी अन्य धनराशियों सहित सावधि ऋण के भुगतान/पुनर्भुगतान तक सीमित है, ऐसे प्राप्य प्रतिफल को छोड़कर जिन्हें कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड था) के पक्ष में पहले प्रभारित किया जा चुका है।

(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के सावधि ऋण को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज़ लिमिटेड के पक्ष में संयुक्त हाइपोथिकेशन करार दिनांक 24 सितंबर, 2010 के आधार पर हमारी कंपनी की वर्तमान एवं भावी दोनों प्राप्य राशियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित किया गया है, विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड था) के पास हाइपोथिकेशन रखी गई कुछ विशिष्ट प्राप्य राशियों को छोड़कर।

22. सबॉर्डिनेटिड देयताएं

कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर सबॉर्डिनेटिड देयताओं को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
		परिशोधित लागत	परिशोधित लागत	परिशोधित लागत
(क)	**सबॉर्डिनेटिड देयताएं**			
	सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	13,862.70	6,300.00	6,300.00
	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	272.26	261.97	261.97
	उपर्युक्त पर अपरिशोधित लेन–देन लागत	(6.50)	(1.85)	(2.12)
	कुल सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**14,128.46**	**6,560.12**	**6,559.85**
(ख)	**भौगोलिक सबॉर्डिनेटिड देयताएं**			
(i)	भारत में सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	14,128.46	6,560.12	6,559.85
(ii)	भारत के बाहर सबॉर्डिनेटिड बॉण्ड	–	–	–
	कुल भौगोलिक सबॉर्डिनेटिड देयताएं	**14,128.46**	**6,560.12**	**6,559.85**

22.1 सबॉर्डिनेटिड बॉण्डों का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट	बकाया राशि		
			31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017
1	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	9.70%	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	9.65%	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	8.19%	800.00	800.00	800.00
4	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	9.10%	2,411.50	-	-
5	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	8.98%	1,000.00	-	-
6	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	9.25%	2,000.00	-	-
7	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	8.97%	2,151.20	-	-
8	सबॉर्डिनेटिड टियर II ऋण बॉण्ड	8.06%	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	कुल		**13,862.70**	**6,300.00**	**6,300.00**

23. अन्य वित्तीय देयताएं

ग्रुप ने इंड एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुसरण में परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 के स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 के स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 के स्थिति के अनुसार
(i)	आरईसी लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए देयता (टिप्पणी 23.6 देखें)	–	14,500.00	14,500.00
(ii)	भारत सरकार द्वारा चुकता किए गए बॉण्डों के लिए देय (टिप्पणी 18.1 देखें)	23,034.27	9,045.38	5,038.21
(iii)	सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम*	188.11	157.18	160.73
(iv)	अदावित लाभांश (टिप्पणी 23.2 देखें)			
	-अदावित लाभांश	7.31	6.12	4.18
(v)	अदावित बॉण्ड तथा उन पर प्रोद्भूत ब्याज (टिप्पणी 23.2 देखें)			
	-अदावित बॉण्ड	40.67	50.96	52.06
	-बॉण्डों पर अदावित ब्याज	29.86	28.37	29.36
(vi)	अन्य			
	-बॉण्डों पर प्रतिदेय आवेदन शुल्क तथा उन पर प्रोद्भूत ब्याज सब्सिडी/ अनुदान के रूप में संवितरण के लिए ब्याज सब्सिडी	0.82	0.84	0.88
	-निधि तथा भारत सरकार की अन्य निधियां (टिप्पणी 23.3 देखें)	872.99	579.06	129.03
	-अंतरिम लाभांश	–	–	1,320.04
	-वित्तपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय	31.78	2.84	13.63
	-अन्य देयताएं	368.47	236.66	797.88
	कुल अन्य वित्तीय देयताएं	**24,574.28**	**24,607.41**	**22,046.00**

*नकदी में देय

23.1 भारत सरकार द्वारा चुकता किए गए बॉण्डों (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्डों) का ब्योरा : (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड श्रृंखला	कूपन रेट	मोचन की तारीख	बकाया राशि		
				31.03.2019	31.03.2018	01.04.2017
1	भारत सरकार-VIII श्रृंखला	8.30%	25.03.2029	4,000.00	-	-
2	भारत सरकार-VII श्रृंखला	8.60%	08.03.2029	1,200.00	-	-
3	भारत सरकार-VI श्रृंखला	8.80%	22.01.2029	2,027.00	-	-
4	भारत सरकार-V श्रृंखला	8.54%	15.11.2028	3,600.00	-	-
5	भारत सरकार-IV श्रृंखला	8.70%	28.09.2028	3,000.00	-	-
6	भारत सरकार-III श्रृंखला	8.06%	27.03.2028	753.00	753.00	-
7	भारत सरकार-II श्रृंखला	8.01%	24.03.2028	1,410.00	1,410.00	-
8	भारत सरकार-I श्रृंखला	8.09%	21.03.2028	1,837.00	1,837.00	-
9	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 156–भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	7.10%	11.01.2027	200.00	200.00	200.00
10	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 158–भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	7.18%	20.01.2027	1,335.00	1,335.00	1,335.00
11	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 160–भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	7.60%	20.02.2027	1,465.00	1,465.00	1,465.00
12	पीएफसी बॉण्ड श्रृंखला 164–भारत सरकार के पूर्णतः चुकता बॉण्ड	7.75%	22.03.2027	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13	उपर्युक्त पर प्रोद्भूत ब्याज			207.27	45.38	38.21
	भारत सरकार के चुकता किए गए कुल बॉण्ड (अप्रतिभूत कर योग्य बॉण्ड)			**23,034.27**	**9,045.38**	**5,038.21**

23.2 अदत्त लाभांशों, अदावित बॉण्डों तथा उन पर ब्याज में ऐसी राशियां शामिल हैं जिनका लिखतों के धारकों/निवेशकों द्वारा दावा नहीं किया गया है या विधिक औपचारिकताओं आदि के लंबित होने के कारण रोकी गई हैं। उपर्युक्त में से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए पात्र राशि अंतरित की गई है।

23.3 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी निधि :

पीएफसी के संबंध में

(i) कंपनी ने भुगतान की वास्तविक अनुसूची, अस्थगन अवधि तथा पुनर्भुगतान की अवधि पर ध्यान दिए बगैर भारत सरकार के दिनांक 23 सितंबर, 1997 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 32024/17/97–पीएफसी और दिनांक 07 मार्च, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001–पीएफसी के अनुसरण में सांकेतिक ब्याज दरों पर परिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त की गई तथा ऋणकर्ता को हस्तांतरित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि को ब्याज सब्सिडी निधि लेखा के रूप में प्रतिधारित किया जाता है। दावा के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचारित सांकेतिक दर तथा अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का सुनिश्चय संबंधित योजनाओं की समाप्ति बाद ही किया जा सकता है। तथापि, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए अनुमानों के आधार पर (कुछ धारणाओं के आधार पर जो प्रत्येक ऋण/परियोजना की प्रक्षेपित अवधि में समान बनी रहेंगी), कंपनी ने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एजी एंड एसपी योजनाओं के अंतर्गत 9वीं और 10वीं योजना के लिए क्रमशः शून्य तथा ₹ 16.04 करोड़ की निवल अधिक राशि का अनुमान लगाया (31 मार्च, 2018 को ₹ 9.64 करोड़ तथा ₹ 103.09 करोड़; 1 अप्रैल, 2017 को ₹ 8.67 करोड़ तथा ₹ 93.56 करोड़) और कोई न्यूनता नहीं है। यह निवल अतिरिक्त राशि समग्र आधार पर, न कि अलग–अलग आधार पर परिकलित की गई और यदि अनुमानित अवधि में इन धारणाओं में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि परिशोधन अवधि, चुकौती अवधि, ऋण पुनर्गठन, पूर्व भुगतान, ब्याज दर का पुनर्निर्धारण आदि में कोई परिवर्तन होता है तो इस राशि में परिवर्तन हो सकता है। यदि ब्याज सब्सिडी निधि में कोई अधिकता/कमी होगी तो वह संबंधित योजना के पूरी हो जाने पर लौटाई जाएगी या समायोजित/प्रभारित की जाएगी।

(ii) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाने वाली देयता के रूप में प्रदर्शित ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के अंतर्गत शेष में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	**112.51**	**103.19**
जोड़ें : अवधि के दौरान प्राप्त	–	–
: अवधि के दौरान जमा किया गया	3.45	9.32
: परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण ऋणकर्ता द्वारा रिफंड	–	–
घटाएं : विद्युत मंत्रालय को रिफंड की गई सब्सिडी :		
(क) 9वीं व 10वीं योजना के विरुद्ध अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	100.00	–
(ख) परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण	–	–
अंतिम शेष	**15.96**	**112.51**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ऋणकर्ताओं को हस्तांतरित की ब्याज सब्सिडी ₹ 1.95 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 3.01 करोड़)

सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल के संबंध में

कंपनी ब्याज सब्सिडी निधि लेखा का अनुरक्षण कर रही है और कंपनी को भारत सरकार द्वारा पात्र योजनाओं की भुगतान की वास्तविक अनुसूची, अधिस्थगन वर्ष तथा पुनर्भुगतान की अवधि पर ध्यान दिए बगैर भारत सरकार के दिनांक 23 सितंबर, 1997 के अर्धशासकीय पत्र संख्या 32024/17/97–पीएफसी और कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07 मार्च, 2003 के अनुसरण में सांकेतिक ब्याज दरों पर परिकलित निवल वर्तमान मूल्य पर एजीएंडएसपी सब्सिडी (पात्र ऋणकर्ता को संवितरित करने के लिए) प्रदान की गई। सांकेतिक दर तथा आहरण एवं वास्तविक संवितरण के समय विचार किए गए वर्ष के बीच अंतर के प्रभाव का आकलन संबंधित योजनाओं की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.63 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.53 करोड़, 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.86 करोड़) की राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को दर्शाती है, जो त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजीएंडएसपी) के अंतर्गत भविष्य में उनकी ब्याज देयता के विरुद्ध ऋणकर्ताओं को हस्तांतरित की जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :– (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का प्रारंभिक शेष	**0.53**	**0.86**
जोड़ें : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.11	0.02
घटाएं : ऋणकर्ता को हस्तांतरित की गई ब्याज सब्सिडी	0.01	0.35
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	**0.63**	**0.53**

23.4 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों को अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए वितरित न की गई निधियों (तत्कालीन आरजीजीवीवाई योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों सहित) तथा उन पर अर्जित ब्याज को 'अन्य वित्तीय देयताएं' शीर्ष के अंतर्गत 'असंवितरित सब्सिडी/अनुदान' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

वर्ष के दौरान ₹ 25.03 करोड़ के अर्जित ब्याज (पिछले वर्ष ₹ 18.15 करोड़) को डीडीयूजीजेवाई सब्सिडी लेखा में लिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 23.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10.33 करोड़) की राशि विद्युत मंत्रालय को वापस की गई है।

सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज में मूवमेंट का वर्णन नीचे किया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	**24.41**	**2.18**
जोड़ें : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	93.70	33.77
घटाएं : वर्ष के दौरान सरकार को रिफंड की गई राशि	75.53	11.32
घटाएं : एजीएंडएसपी अनुदान के कारण अर्जित ब्याज में से संवितरण	0.01	0.22
अंतिम शेष	**42.57**	**24.41**

23.5 डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार की वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान सहायक कंपनी आरईसीएल ने निजी नियोजन आधार पर समूल्य पर ₹ 10 लाख के डिबेंचर की प्रकृति में अप्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्डों के माध्यम से ₹ 13.827 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.000 करोड़) की सकल राशि जुटाई है। विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 जुलाई, 2018 और 19 जुलाई, 2018 के पत्र के अनुसार, विद्युत मंत्रालय की मांग में उपयुक्त बजट प्रावधान करके भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त बॉण्डों के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान किया जाएगा। तद्नुसार, ब्याज के साथ ऐसे बॉण्डों की राशि को भी भारत सरकार से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है।

23.6 इंड एएस 103 'व्यवसाय संयोजन' के परिशिष्ट ग के अनुपालन में, 01 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र ऐसे तैयार किए गए हैं जैसे कि आरईसीएल में नियंत्रक शेयर के अधिग्रहण के संदर्भ में व्यवसाय संयोजन पिछली अवधि की शुरूआत अर्थात 01 अप्रैल, 2017 से हुई हो। तद्नुसार, आरईसीएल के अधिग्रहण के लिए 28 मार्च, 2019 को देय कुल नकदी राशि को 01 अप्रैल, 2017 तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वित्तीय देयता के रूप में माना गया है।

24. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 के स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 के स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 के स्थिति के अनुसार
(i)	कार्मिक हितलाभों के लिए			
	- उपदान	0.75	1.50	1.22
	- छुट्टी नकदीकरण	60.78	51.17	81.20
	- कार्मिकों का आर्थिक पुनर्वास	5.38	5.01	5.08
	- बोनस / प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	83.25	33.75	26.97
	- कार्मिक कल्याण व्यय के लिए प्रावधान	16.83	120.47	110.30
	- प्रस्तावित वेतन संशोधन	13.11	109.83	25.42
(ii)	क्षतिग्रस्तता हानि छूट–चुकौती आश्वासन पत्र (टिप्पणी 24.2 देखें)	186.71	195.55	29.58
	कुल प्रावधान	**366.81**	**517.28**	**279.77**

24.1 चुकौती आश्वासन पत्र पर क्षतिग्रस्तता का मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र.सख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
(i)	प्रारंभिक शेष	195.55	29.58
(ii)	वर्ष के दौरान मूवमेंट	(8.84)	165.97
(iii)	अंतिम शेष	186.71	195.55

24.2 चुकौती आश्वासन पत्र ऋणकर्ता के लिए प्रतिबद्धता के रूप में है, इसलिए इस पर क्षतिग्रस्तता छूट को प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

25. अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 के स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 के स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 के स्थिति के अनुसार
(i)	अपरिशोधित शुल्क–अवितरित ऋण परिसंपत्तियां	122.12	102.55	77.66
(ii)	फुटकर देयताएं (ब्याज पूंजीकरण)	21.99	45.99	-
(iii)	देय सांविधिक राशि			
	- देय कॉर्पोरेट अंतरिम लाभांश कर	-	-	67.18
	- अन्य	49.64	77.00	61.38
(iv)	सरकारी योजनाओं के लिए सरकार से प्राप्त अग्रिम	16.20	4.53	2.51
	कुल अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	**209.95**	**230.07**	**208.73**

26. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(क)	**अधिकृत पूंजी**						
	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹ 10 का सममूल्य)	110,000,000,000	11,000.00	110,000,000,000	11,000.00	110,000,000,000	11,000.00
	अधिमानी शेयर पूंजी (प्रति शेयर ₹ 10 का सममूल्य)	2,000,000,000	200.00	2,000,000,000	200.00	2,000,000,000	200.00
(ख)	**निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त पूंजी इक्विटी शेयर पूंजी** (प्रति शेयर ₹ 10 का सममूल्य)	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08
(ग)	**इक्विटी शेयर पूंजी का मिलान**						
	प्रारंभिक बकाया इक्विटी शेयर	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	–	0.00	–	0.00	–	0.00
	अंतिम इक्विटी शेयर पूंजी	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08	2,640,081,408	2,640.08

26.1 पीएफसीजीईएल (कंपनी पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पीएफसी के साथ समामेलन के अनुपालन में, समामेलन की योजना के अनुसार समामेलन की प्रभावी तारीख अर्थात 1 अप्रैल, 2017 से कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी तथा अधिकृत अधिमानी शेयर पूंजी में क्रमशः ₹ 1000 करोड़ और ₹ 200 करोड़ की वृद्धि हुई।

26.2 इक्विटी शेयरों से संबद्ध अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

कंपनी ने प्रति शेयर ₹ 10 के सममूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और वे शेयरधारकों की बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन होता है।

26.3 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	भारत के राष्ट्रपति	1,558,889,417	59.05%	1,740,216,107	65.92%	1,751,631,394	66.35%
(ii)	भारतीय जीवन बीमा निगम	156,320,146	5.92%	157,476,305	5.96%	228,252,101	8.65%
(iii)	यूएसबी प्रिंसीपल कैपिटल एशिया लिमिटेड	142,238,384	5.39%	48,260,435	1.83%	-	0.00%
(iv)	एचडीएफसी ट्रस्टी	198,898,595	7.53%	85,121,960	3.22%	25,479,486	0.97%

26.4 अवधि एवं राशि सहित शेयर की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प और संविदा/प्रतिबद्धता के अंतर्गत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर : शून्य

26.5 पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं तथा किसी शेयर का पुनः क्रय नहीं किया है।

26.6 सुदूर ऐसी तारीख से आरंभ करते अवरोही क्रम में परिवर्तन की शीघ्रातिशीघ्र तारीख के साथ जारी किए गए इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय किसी प्रतिभूति की अवधियां : शून्य

26.7 अदत्त मांग राशि (निदेशकों एवं अधिकारियों द्वारा अदत्त मांग राशि के सकल मूल्य को दर्शाते हुए) : शून्य

26.8 जब्त शेयर (मूलतः प्रदत्त राशि) : शून्य

26.9 पूंजी का प्रबंधन : (टिप्पणी 40.1 देखें)

26.10 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार ने नए निधि प्रस्ताव के सिलसिले में कंपनी में धारित 1,93,72,120 और 16,19,54,570 इक्विटी शेयर क्रमशः भारत 22 ईटीएफ की परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) और सीपीएसई ईटीएफ में अंतरित किया है।

27. अन्य इक्विटी*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 के स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 के स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 के स्थिति के अनुसार
(i)	पूंजीगत रिजर्व–सामान्य नियंत्रण (टिप्पणी 27.1 (i) देखें)	(13,461.00)	(13,461.00)	(13,461.00)
(ii)	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (कृपया टिप्पणी 27.1 (ii))	2,708.07	2,317.16	1,921.03
(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम (टिप्पणी संख्या 27.1(iii))	3,953.74	3,953.74	3,953.74
(iv)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (टिप्पणी संख्या 27.1 (iv))	(1,172.29)	(401.83)	(180.86)
(v)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व (टिप्पणी संख्या 27.1 (v))	2,020.82	23.36	16.99
(vi)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व (टिप्पणी 27.1 (vi) देखें)	5,337.53	4,840.09	4,291.24
(vii)	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1996–97 तक, सृजित विशेष आरक्षित	599.85	599.85	599.85
(viii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1997–98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व (टिप्पणी 27.1 (vii) देखें)	25,465.49	23,190.91	20,762.91
(ix)	ब्याज विभेदक रिजर्व (केएफडब्ल्यू ऋण (टिप्पणी संख्या 27.1 (viii))	60.00	57.90	56.41
(x)	डिबेंचर रिजर्व (टिप्पणी 27.1 (ix) देखें)	10,191.77	9,191.77	7,928.60
(xi)	प्रतिधारित अर्जन (कृपया टिप्पणी 27.1 (x) देखें)	9,029.56	6,887.10	8,573.33
(xii)	अन्य ब्याज आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व (टिप्पणी 27.1 (xi) देखें)	(204.45)	(6.82)	320.25
(xiii)	अन्य ब्याज आय के माध्यम से नकदी प्रवाह बॉण्ड में बचाव लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिजर्व (टिप्पणी 27.1 (xii) देखें)	(50.14)	–	–
(xiv)	संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों में अन्य व्यापक आय का शेयर	2.22	2.22	–
	कुल अन्य इक्विटी*	**44,481.17**	**37,194.45**	**34,782.49**

*अवधि के दौरान मूवमेंट के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण देखें।

27.1 रिजर्व की प्रकृति एवं प्रयोजन

(i) आरईसी लिमिटेड के अधिग्रहण के फलस्वरूप, ₹ 1039.50 करोड़ की आरईसी लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में हमारे शेयर तथा भुगतान किए गए ₹ 14500.50 करोड़ के प्रतिफल (₹ 0.50 करोड़ का मौजूदा निवेश सहित) के बीच अंतर को 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार पूंजी रिजर्व–सामान्य नियंत्रण के रूप में मान्य किया गया है।

(ii) **डिबेंचर मोचन रिजर्व (डीआरआर)**

कंपनी के मामलों में, डिबेंचर मोचन रिजर्व सार्वजनिक निर्गम के लिए 50% की दर से (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 18 अप्रैल, 2002 के परिपत्र सं. 6/3/2001 – सीएल–V) और परवर्ती सार्वजनिक निर्गम के लिए 25% की दर से (कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 की आवश्यकता के अनुसार) बॉण्ड या डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम के लिए लाभों से आबंटन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें 11 फरवरी, 2013 से पूर्व प्रोस्पेक्टस दाखिल किया गया है। कंपनी इस रिजर्व से राशि प्रतिधारित अर्जन में उस समय अंतरित करती है जब बॉण्ड/डिबेंचर छुड़ाए जाते हैं।

ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी अधिनियम 2013 जिसे कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली 2014 द्वारा और स्पष्ट किया गया है, की धारा 71 (4) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ऐसे डिबेंचर की परिपक्वता अवधि के दौरान वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर मोचन रिजर्व (डीडीआर) का सृजन करती है और निजी तौर पर नियोजित डिबेंचर के मामले में किसी डीडीआर की आवश्यकता नहीं होती है। डीडीआर में क्रेडिट की गई राशि का उपयोग डिबेंचरों के मोचन के अतिरिक्त नहीं किया जा सकता है। डिबेंचरों के मोचन पर, डीडीआर से प्रतिधारित अर्जन में राशि अंतरित की जा सकती है।

(iii) प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूति प्रीमियम शेयरों के निर्गम पर हुए व्यय की शेयर पूंजी के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम की राशि दर्शाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस राशि का उपयोग किया जाता है।

(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा दीर्घ अवधि के विदेशी मुद्रा ऋणों (31 मार्च, 2018 को मौजूद) पर अपरिशोधित विदेशी मुद्रा परिवर्तन अभिलाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी(1) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व लाभ एवं हानि लेखा में किए गए खुलासे के अनुसार वर्ष के लिए कर पश्चात तथा किसी लाभांश की घोषणा के पूर्व निवल लाभ के 20% की दर से प्रतिधारित अर्जन से अंतरण दर्शाता है।

(vi) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viia) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viia)(ग) के अंतर्गत आयकर कटौती प्राप्त करने के लिए सृजित किया गया है।

(vii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

यह विशेष रिजर्व वर्ष में दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर पूर्व लाभ के 20% की दर से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आयकर कटौती प्राप्त करने के लिए सृजित किया गया है।

(viii) ब्याज विभेद आरक्षित निधि–केएफडब्ल्यू ऋण

यह रिजर्व ऋण करार के अनुसार केएफडब्ल्यू ऋण पर देय ब्याज और प्रदत्त ब्याज के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। केएफडब्ल्यू से विदेशी मुद्रा के ऋण की शर्तों के अनुसरण में ऋण शेष के पुनः कथन पर विनिमय अभिलाभ/हानि को इस रिजर्व से समायोजित किया जाता है। केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिजर्व में किसी असमायोजित शेष का प्रयोग केएफडब्ल्यू से परामर्श के बाद कंपनी द्वारा अग्रेतर ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। कंपनी को केएफडब्ल्यू ऋण की पूर्ण अदायगी के बाद रिजर्व में असमायोजित अधिशेष का पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ix) सामान्य रिजर्व

इक्विटी के अन्य घटक से अंतरण द्वारा सामान्य रिजर्व का सृजन किया जाता है तथा विनियोजन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जाता है।

(x) प्रतिधारित अर्जन

प्रतिधारित अर्जन लाभांश वितरण एवं अन्य रिजर्व में एवं से अंतरण को घटाकर कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित अर्जन में सीधे मान्य किए गए लाभों तथा अन्य व्यापक आय की मदों का प्रतिनिधित्व करता है।

(xi) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों के लिए रिजर्व

कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतों में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तनों को मान्य करने का चुनाव किया। यह रिजर्व अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापे गए इक्विटी लिखतों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न संचयी अभिलाभों एवं हानियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब परिसंपत्ति को विमान्य किया जाता है, तब रिजर्व में राशि को बाद में प्रतिधारित अर्जन में, न कि लाभ एवं हानि के विवरण में अंतरित किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांशों को लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की आंशिक लागत की वसूली का प्रतिनिधित्व न करे।

(xii) नकदी प्रवाह हेजिंग में बचाव लिखतों पर अभिलाभ एवं हानि के प्रभावी अंश के लिए रिजर्व

नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व नकदी प्रवाह हेजिंग के लिए किए गए बचाव लिखतों के निर्दिष्ट अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन पर उत्पन्न अभिलाभों या हानियों के संचयी प्रभावी अंश का प्रतिनिधित्व करता है। बचाव लिखतों जो नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व शीर्ष के अंतर्गत मान्य एवं संचित किए जाते हैं, के निर्दिष्ट अंश के उचित मूल्य में परिवर्तन पर उत्पन्न संचयी अभिलाभ या हानि को केवल उस समय लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा जब हेज़्ड लेन–देन लाभ या हानि को प्रभावित करेगा या गैर वित्तीय हेज़्ड मद में आधार समायोजन के रूप में शामिल किया जाएगा।

28 गैर–नियंत्रक हित

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	**वर्ष के शुरू में शेष**	**15,435.22**	**14,592.93**
(ii)	वर्ष के लिए निवल लाभ का शेयर	2,719.41	2,108.00
(iii)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	(5.97)	(1.97)
(iv)	अन्य व्यापक आय/(व्यय) का शेयर	(22.73)	4.65
(v)	**कुल व्यापक आय का शेयर**	**2,690.71**	**2,110.68**
(vi)	गैर–नियंत्रक अधिकार को प्रदत्त लाभांश (लाभांश कर सहित)	(1,192.61)	(940.05)
(vii)	गैर–नियंत्रक अधिकार के लिए प्रदत्त लाभांश वितरण कर	(248.91)	(190.95)
(viii)	अन्य	(321.39)	(137.39)
	वर्ष के अंतिम में शेष	**16,363.02**	**15,435.22**

29 ब्याजगत आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	
		परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत प्रतिभूतियों पर ब्याज आय
(i)	ऋणों पर ब्याज	53,329.07		47,481.13	
	घटाएं : ऋणकर्ताओं को समय पर भुगतान के लिए रिबेट	(491.90)		(406.03)	
(ii)	निवेश से ब्याजगत आय		255.85		365.05
(iii)	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	263.52		147.66	
(iv)	अन्य ब्याजगत आय	79.16	–	89.41	–
	कुल ब्याजगत आय	**53,179.85**	**255.85**	**47,312.17**	**365.05**

30 शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	ऋणों पर पुनर्भुगतान प्रीमियम	246.56	285.51
(ii)	ऋणों पर शुल्क आधारित आय	24.59	63.29
(iii)	भारत सरकार की योजनाओं के कारण शुल्क (टिप्पणी 30.1 और 30.2 देखें)	102.96	218.18
	कुल शुल्क एवं कमीशन आय	**374.11**	**566.98**

30.1 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर–एपीडीआरपी) :

(i) कंपनी आर–एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन एवं संबद्ध सेवा के लिए नोडल एजेंसी है।

पात्र ऋणकर्ताओं को ऋण देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आर–एपीडीआरपी के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि एक दर एक व्यवस्था है जिससे कंपनी को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। संवितरित परंतु लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित न की गई राशि ऋणकर्ताओं से प्राप्त होने पर भारत सरकार को ब्याज के साथ देय होगी।

आर–एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं से वसूली योग्य तथा भारत सरकार को देय राशि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 16.507.55 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,645.44 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 12.749.20 करोड़) है।

(ii) कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से आर–एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन एवं संबद्ध सेवा के लिए आर–एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करती है। शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए संचयी दावा ₹ 850 करोड़ की कैप के अधीन आर–एपीडीआरपी के भाग क और ख के अंतर्गत संभावित परियोजना परिव्यय का 1.7% है।

कंपनी द्वारा प्राप्त/प्राप्य नोडल एजेंसी शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति की कुल राशि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 329.82 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 301.94 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 280.72 करोड़) है।

30.2 एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) :

कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में आईपीडीएस योजना के प्रचालन एवं कार्यान्वयन के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। आईपीडीएस योजना में नोडल एजेंसी की भूमिका का वर्णन है जिसमें अन्य बातों के साथ पात्र विद्युत संस्थाओं को भारत सरकार का अनुदान प्रदान करना शामिल है जिसे आईपीडीएस योजना में वर्णित कुछ शर्तों के अधीन वापस लिया जा सकता है/समय से पहले बंद किया जा सकता है।

31 मार्च, 2019 तक पात्र विद्युत संस्थाओं को प्रदान किए गए भारत सरकार के अनुदान की राशि ₹ 8,083.17 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 5,329.82 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,561.01 करोड़) है।

कंपनी मॉनीटरिंग समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत या अवॉर्ड लागत, जो भी कम हो, के कुल 0.50% (जो योजना के अनुसार चरणों में प्रोद्भूत होगा) नोडल एजेंसी शुल्क के लिए पात्र है।

31 उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल हानि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	डरिवेटिव्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	(263.54)	(766.56)
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल हानि	**(263.54)**	**(766.56)**
	उचित मूल्य में परिवर्तन :		
(i)	- प्राप्त	(772.90)	(767.65)
(ii)	- अप्राप्त	509.36	1.09
	उचित मूल्य में परिवर्तन पर कुल निवल हानि	**(263.54)**	**(766.56)**

31.1 कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, इस अनुसूची में उचित मूल्य के परिवर्तन प्रोद्भूत ब्याजगत आय/व्यय के कारण उत्पन्न परिवर्तन से भिन्न हैं।

32 अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	सेवाओं की बिक्री	225.67	286.77
(ii)	अन्य	1.83	0.73
	कुल अन्य प्रचालन आय	**227.50**	**287.50**

33 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं	12.05	3.70
(ii)	विविध आय	30.84	17.89
	कुल अन्य आय	**42.89**	**21.59**

34 वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	
		परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं पर
(i)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**				
	- बॉण्ड	28,810.47		27,723.36	
	- वाणिज्यिक पत्र	894.69		623.22	
(Ii)	**ऋणों पर ब्याज**				
	- ऋण एवं अन्य	4,298.75		1,368.62	
(iii)	**सबॉर्डिनेटिड देयताओं पर ब्याज**	568.12		557.79	
(iv)	**अन्य ब्याज व्यय**				
	- ब्याज सब्सिडी निधि पर ब्याज	3.46		9.32	
	- आवेदन शुल्क पर ब्याज–बॉण्ड	0.08		0.03	
	- सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिमों पर अदा किया गया ब्याज	6.18		5.93	
	- स्वैप प्रीमियम (निवल)		43.93		–
	- अन्य	6.65		6.88	
	घटाएं : पूंजीकृत वित्त लागत	(11.37)		(6.32)	
	कुल वित्तीय लागत	**34,577.03**	**43.93**	**30,288.83**	**–**

35 शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	एजेंसी शुल्क	1.52	2.04
(ii)	गारंटी, सूचीबद्धता एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	15.45	17.52
(iii)	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	8.08	10.91
(iv)	अन्य वित्त प्रभार	19.42	2.69
	कुल शुल्क एवं कमीशन व्यय	**44.47**	**33.16**

36 वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
		परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर
(i)	ऋण एवं चुकौती आश्वासन पत्र	(656.95)	4,695.33
(ii)	निवेश	0.01	0.04
(iii)	अन्य वित्तीय लिखतों पर	31.21	(2.14)
	वित्तीय लिखतों पर कुल क्षतिग्रस्तता	**(625.73)**	**4,693.23**

36.1 वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता के ब्योरे के लिए टिप्पणी 40.2.1 देखें।

37 निर्मित माल एवं प्रगतिशील कार्य की सूची में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
	प्रारंभिक स्टॉक		
(i)	प्रगतिशील कार्य	–	0.04
(ii)	**अंतिम स्टॉक**	–	–
	प्रगतिशील कार्य		
(iii)	**स्टॉक में परिवर्तन**	–	0.04
	कुल	**–**	**0.04**

38 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	वेतन एवं मजदूरी	273.58	281.20
(ii)	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	31.87	39.26
(iii)	कार्मिक कल्याण व्यय	52.47	46.61
(iv)	कार्मिकों के आवासीय आवास के लिए किराया	4.74	7.09
	कुल कार्मिक हितलाभ व्यय	**362.66**	**374.16**

38.1 विभिन्न कार्मिक हितलाभों के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में इंड एएस 19 'कार्मिक हितलाभ' के अनुसार प्रकटीकरण टिप्पणी 42 में प्रदान किए गए हैं।

38.2 कार्मिकों के आवासीय आवास के लिए किराया परिसरों के लिए पट्टा व्यवस्था पर किराए (वसूली को घटाकर) के कारण है, जो कार्मिकों के आवासीय प्रयोग के लिए लिए जाते हैं और आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर इनको नवीकृत एवं निरस्त किया जा सकता है।

39 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागत (टिप्पणी 39.1 देखें)	45.68	31.47
(ii)	मरम्मत एवं अनुरक्षण	12.87	15.02
(iii)	संचार लागतें	5.60	5.22
(iv)	मुद्रण और लेखन सामग्री	5.85	5.60
(v)	विज्ञापन एवं प्रचार	95.56	18.00
(vi)	निदेशक शुल्क, भत्ता एवं व्यय	0.36	0.24
(vii)	लेखापरीक्षक शुल्क एवं व्यय (टिप्पणी 39.2 देखें)	2.84	2.20
(viii)	विधिक एवं व्यवसायिक प्रभार	29.27	17.57
(ix)	बीमा	0.31	0.34
(x)	यात्रा एवं वाहन	34.11	32.10
(xi)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विमान्यता पर निवल हानि/(लाभ)	1.22	0.98
(xii)	अन्य व्यय	91.10	56.66
	कुल अन्य व्यय	**324.77**	**185.40**

39.1 लीज होल्ड भूमि के विपूंजीकरण के अनुपालन में, शुरू में प्रदत्त पूर्वदत्त पट्टा प्रीमियम को पट्टा की शेष अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। किराया, कर एवं ऊर्जा लागत में पूर्वदत्त पट्टा प्रीमियम का ऐसा परिशोधन शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकारी प्रयोग के लिए पट्टे पर लिए गए परिसरों का किराया शामिल है और आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर इनको नवीकृत एवं निरस्त किया जा सकता है। टिप्पणी 53.3 (ग) देखें

39.2 लेखापरीक्षक शुल्क एवं व्यय निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
(i)	लेखापरीक्षा शुल्क	1.06	0.85
(ii)	कराधान मामले*	0.38	0.20
(iii)	कंपनी कानून के मामले	0.45	0.26
(iv)	अन्य सेवाएं	0.77	0.75
(v)	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.08	0.04
(vi)	लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में वसूली के अयोग्य कर क्रेडिट	0.10	0.10
	कुल	**2.84**	**2.20**

* ग्रुप की सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के मामले में, पिछले वर्षों से संबंधित लेखापरीक्षा शुल्क के ₹ 0.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.02 करोड़) शामिल हैं।

40 वित्तीय लिखत

40.1 पूंजी प्रबंधन

अतिशय उपयोग से बचते हुए ग्रुप एक पूंजी आधार का अनुरक्षण करता है जो ग्रुप की जोखिम प्रोफाइल, विनियामक एवं कारोबारी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए मात्रा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से पर्याप्त है। ग्रुप घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से निधियां प्राप्त करती है जिससे अन्य बातों के साथ निवेशक आधार में विविधता तथा पूंजी की इष्टतम लागत का मार्ग प्रशस्त होता है। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 20, 21 और 22 तथा इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण देखें।

जैसा कि आरबीआई के मास्टर निदेशों में निहित है–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी–व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 (इसके बाद इसे ''आरबीआई मास्टर निदेश'' कहा गया है) के अनुसार, कंपनी को टियर–I और टियर–II पूंजी से युक्त एक पूंजी अनुपात का अनुवर्तन करना है जो तुलन–पत्र में उसकी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा तुलन–पत्र से भिन्न मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें से टियर–I पूंजी 10% से कम नहीं होगी। कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड एनडीएसआई के रूप में आरबीआई के यहां पंजीकृत हैं। दोनों कंपनियां जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी के निर्धारित स्तरों के अनुरक्षण की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती हैं। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड अन्य बातों के साथ निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर के निर्गम, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों के बायबैक आदि के संबंध में ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का पूंजी पुनर्गठन'' पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों से भी मार्ग–दर्शन प्राप्त करती हैं।

कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के लिए पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार
सीआरएआर – टियर I पूंजी	12.40%
सीआरएआर – टियर II पूंजी	4.38%
कुल सीआरएआर	16.78%

जुटाए गए सबॉर्डिनेटिड ऋण/स्थायी ऋण का ब्योरा निम्नानुसार है :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2018–19
टियर-II पूंजी के रूप में जुटाए गए सबॉर्डिनेटिड ऋण की राशि	7,562.70	–
स्थायी ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि	–	–

लाभांश वितरण नीति

ग्रुप की कंपनियों की सुनिश्चित लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति अनेक कारकों पर ध्यान देती है जिसमें समय–समय पर यथालागू दिशा–निर्देशों के अधीन सरकारी दिशा–निर्देश, भावी पूंजी व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति तथा लाभांश पर कर सहित लागू कर शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी को कर पश्चात लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5%, जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना है।

फिर भी, कंपनी से अधिनियम के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा है, जिसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है, जब तक कि कम लाभांश को निवल मूल्य, कैपेक्स/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताओं, सहायक कंपनियों/कंपनी की सहयोगी कंपनियों में अतिरिक्त निवेश आदि जैसे पैरामीटरों पर विचार करने के बाद समायोजित नहीं किया जाता है।

40.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

ग्रुप को अनेक जोखिमों का खतरा है जो उस परिवेश में अंतर्निहित हैं जिसमें यह प्रचालन करता है। ग्रुप मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में है। प्रधान जोखिम जो समूह के व्यवसाय मॉडल में अंतर्निहित है तथा वित्तीय लिखतों के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं, में क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम तथा बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम) शामिल हैं।

निम्नलिखित सारणी मोटे तौर पर ऐसे जोखिमों के स्रोतों का वर्णन करती है जिनका ग्रुप को खतरा है तथा इसमें जोखिमों के प्रबंधन के तरीके तथा वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रभाव का भी उल्लेख है :

जोखिम	निम्न से उत्पन्न एक्सपोजर	माप	जोखिम प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	ऋण, वित्तीय परिसंपत्तियां, निवेश, व्यापार की प्राप्य राशि तथा नकदी समतुल्य	काल प्रभाव विश्लेषण	विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया, क्रेडिट लिमिट, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण तथा सरकारी गारंटी सहित कोलेटरल
चलनिधि जोखिम	ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, सबॉर्डिनेटिड देयताएं तथा अन्य वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों तथा ऋण की सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – विदेशी मुद्रा जोखिम	मान्य वित्तीय देयताएं जो भारतीय रुपए (आईएनआर) में वर्णित नहीं हैं	संवेदनशीलता विश्लेषण	मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, सबॉर्डिनेटिड देयताएं तथा परिवर्तनशील दरों पर ऋण	ब्याज दर अंतर विश्लेषण	ब्याज दर की विविध शर्तों के साथ ऋण व्यवस्थाओं का अनुसरण, डेरिवेटिव संविदा जैसे कि ब्याज दर स्वैप आदि।
बाजार जोखिम – इक्विटी मूल्य जोखिम	उद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	कार्यनीतिक निवेशों पर फोकस के साथ पोर्टफोलियो का विविधीकरण

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए ग्रुप की कंपनियों में एक तंत्र स्थापित किया है ताकि सुनिश्चित हो कि इन जोखिमों की ध्यान से मॉनीटरिंग की जाती है और दक्षता के साथ प्रबंधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए ग्रुप की कंपनियां विविध पोर्टफोलियो के अनुरक्षण के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण करती हैं। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अर्थात उपर्युक्त में से प्रत्येक जोखिम के मापन एवं प्रबंधन के लिए ग्रुप के उद्देश्यों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं का वर्णन परवर्ती उपखंडों में किया गया है।

40.2.1 क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम ऐसा जोखिम है जो अपनी संविदात्मक बाध्यताओं पर कोई ऋणकर्ता या प्रतिपक्ष चूक करेगा जिससे कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। ग्रुप के लिए क्रेडिट जोखिम उत्पन्न करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों का ब्योरा इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
कम क्रेडिट जोखिम			
नकदी और नकदी समतुल्य	725.03	825.04	4,544.99
नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक शेष	15,606.41	2,024.27	3,684.05
ऋण (बकाया मूलधन)	5,32,107.25	4,41,118.81	3,75,558.45
व्यापार की प्राप्य राशियां	182.96	157.94	146.85
निवेश	4,603.77	5,492.51	6,903.19
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	23,761.47	9,662.57	5,466.63
साधारण क्रेडिट जोखिम			
ऋण (बकाया मूलधन)	13,880.61	33,365.49	54,975.45
व्यापार की प्राप्य राशियां	3.37	0.04	3.07
अधिक क्रेडिट जोखिम			
ऋण (बकाया मूलधन)	49,888.75	43,995.22	17,158.98
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	40.45	17.53	23.1
व्यापार की प्राप्य राशियां	28.16	29.23	28.21

ग्रुप को प्राथमिक रूप से ऋण देने के अपने प्रचालनों के माध्यम से क्रेडिट जोखिम का खतरा है। नकदी एवं नकदी समतुल्य पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि इनको अनुसूचित वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों तथा पूरे देश में निजी क्षेत्र के उच्च वर्गीकृत बैंकों में रखा जाता है। अपने निवेशों के लिए ग्रुप ऐसे समकक्षों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में निवेश करके क्रेडिट जोखिम के अपने खतरे का प्रबंधन करती है जो उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले हैं तथा आवधिक मॉनीटरिंग करते हैं और आवश्यक होने पर अपेक्षित कदम उठाते हैं। व्यापार की प्राप्त राशियों तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ऋणकर्त्ता के क्रेडिट के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करके क्रेडिट जोखिम का उपशमन किया जाता है और ऐसी राशियों की वसूलनीयता की निरंतर मॉनीटरिंग करके प्रबंधन किया जाता है। ग्रुप के ऋण देने के प्रचालनों के माध्यम से ग्रुप के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन का विस्तार से वर्णन नीचे किया गया है :

क. ऋण देने के प्रचालनों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण

पीएफसी के संबंध में

कंपनी ने क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए प्रमुख नीतियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित की हैं जिसमें क्रेडिट नीतियां तैयार करना, क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के लिए कंपनी की अभिलाषा का मार्ग–दर्शन करना, क्रेडिट जोखिम की समीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना तथा निष्पादन एवं पोर्टफोलियो के प्रबंधन की मॉनीटरिंग करना शामिल है। कंपनी की सभी प्रक्रियाएं एवं प्रणालियां आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में दो प्रमुख क्षेत्र अर्थात परियोजना मूल्यांकन एवं परियोजना मॉनीटरिंग शामिल हैं। कंपनी द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति के अनुसरण में कंपनी ऋणकर्ताओं का चयन करती है, जो अन्य बातों के साथ ऋणकर्ता/परियोजना के वर्गीकरण के लिए विचार किए जाने वाले कारकों को परिभाषित करती है। कंपनी की ग्राहक चयन प्रक्रिया परियोजना को प्रमोट करने वाली संस्था की लाभप्रदता सहित परियोजना की लाभप्रदता का मूल्यांकन करती है। ब्याज दर तथा अधिकतम अनुमत एक्सपोजर अन्य बातों के साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक वर्गीकरण पर आधारित है।

(क) परियोजना मूल्यांकन

किसी परियोजना को वित्तपोषित करने से पूर्व क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी सुव्यवस्थित, संस्थानिक परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है।

(i) निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दो–चरण मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। शुरू में विस्तृत मूल्यांकन के लिए चुनने हेतु परियोजना की प्रथम दृष्टया तत्परता का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है।

प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनी गई परियोजनाओं के लिए विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है।

परियोजना की लाभप्रदता के मूल्यांकन के साथ कंपनी इक्विटी का योगदान करने तथा परियोजना को पूर्ण करने के लिए उसके प्रोमोटर के सामर्थ्य का भी मूल्यांकन करती है। कंपनी उत्पादन परियोजनाओं के लिए एकीकृत रेटिंग विधि का अनुसरण करती है जहां परियोजना एवं एंटिटी रेटिंग को वेटेज प्रदान किए जाते हैं।

मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर कंपनी परियोजना के लिए आर्दश ऋण – इक्विटी अनुपात निर्धारित करती है और प्रोमोटरों से आनुपातिक इक्विटी का निवेश करने की अपेक्षा करती है। अग्रिम इक्विटी निवेश की उपयुक्त मात्रा क्रेडिट जोखिम के उपयोगी उपशमन के रूप में काम करती है।

(ii) राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन

राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को विस्तृत मूल्यांकन के लिए यह निर्धारित करने के लिए चुना जाता है कि क्या यह तकनीकी – आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ तथा राज्य की एकीकृत विद्युत विकास एवं विस्तार योजनाओं के अनुकूल है।

कंपनी प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य–निष्पादन को शामिल करते हुए विशिष्ट पैरामीटरों के विरूद्ध विद्युत संस्था के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण संस्था को विभिन्न जोखिम रेटिंग ग्रेड में वर्गीकृत करती है। एकीकृत विद्युत संस्था सहित राज्य विद्युत वितरण संस्था के संबंध में कंपनी की वर्गीकरण नीति कंपनी की रेटिंग संरचना के अंतर्गत रेटिंग/ग्रेडिंग के साथ ऐसी रेटिंग/ग्रेडिंग को संरेखित करके विद्युत मंत्रालय की एकीकृत रेटिंग अपनाने का प्रावधान करती है।

क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, प्रतिभूति की आवश्यकताओं तथा राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को प्रदान किए गए ऋणों के मूल्य के निर्धारण के लिए इन श्रेणियों/वर्गीकरणों का प्रयोग किया जाता है। कंपनी ने एकल ऋणकर्त्ता के लिए एक्सपोजर तथा राज्य के अंदर एक्सपोजर की मॉनीटरिंग के लिए भी तंत्र स्थापित किया है।

विस्तृत परियोजना मूल्यांकन में विभिन्न पहलुओं जैसे कि परियोजना इनपुट, सांविधिक एवं गैर–सांविधिक स्वीकृतियों, संविदाओं, परियोजना लिंकेज, वित्तीय मॉडल/प्रक्षेपण, प्रतिफलों की गणना, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि को शामिल करते हुए तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन शामिल होता है।

उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण के बाद, परियोजना एवं एंटिटी की समग्र लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है और पूर्व प्रतिबद्धता, पूर्व संवितरण आदि के रूप में विभिन्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं ताकि निधियों (ऋण एवं इक्विटी दोनों), सभी भौतिक इनपुट, सभी संविदाओं की उपयुक्तता, परियोजना से संबंधित करारों/संविदाओं/सांविधिक एवं गैर–सांविधिक स्वीकृतियों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन आदि का सुनिश्चय हो सके और सामान्य तौर पर परियोजना की ऋण ग्राह्यता एवं ऋण के समय से चुकौती के लिए ऋणकर्ता के रूप में कंपनी के ब्याज के संरक्षण का सुनिश्चय हो सके।

(ख) प्रतिभूति एवं प्रसंविदाएं

कंपनी परियोजना के निर्माण तथा सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख) पश्चात अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के जोखिमों के उपशमन के लिए प्रतिभूति उपायों/प्रसंविदाओं का पैकेज निर्धारित करती है। जोखिम के दायरे को ध्यान में रखते हुए, कंपनी उपायों का कोई संयोजन अपनाती है जैसे कि परियोजना की परिसंपत्तियों पर प्रभार, परियोजना की परिसंपत्तियों पर प्रभार के अतिरिक्त कोलेटरल, एस्क्रो कवर प्राप्त करके या ट्रस्ट एवं रिटेंशन करार (टीआरए) तंत्र के अंतर्गत ऋण देकर भुगतान सुरक्षा तंत्र, प्रोमोटर की निजी एवं कॉर्पोरेट गारंटी आदि।

(ग) संवितरण–पश्चात परियोजना मॉनीटरिंग

कंपनी में एक व्यापक परियोजना मॉनीटरिंग तंत्र है जो परियोजना कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करता है और खोज–खबर लेता है तथा जोखिमों की पहचान करता है जहां समय एवं लागत आधिक्य तथा संवितरण में परिणामी स्लिपेज को न्यूनतम करने के लिए दखल देने की आवश्यकता होती है।

निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए प्रगति मॉनीटरिंग रिपोर्टों, स्थल के दौरों, ऋणकर्ताओं के साथ चर्चा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/रिपोर्टों आदि के माध्यम से समय–समय पर ऋणकर्त्ताओं से प्राप्त परियोजनाओं के बारे में प्रगति के ब्योरों के आधार पर मॉनीटरिंग की जाती है।

निजी क्षेत्र के लिए जहां कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था है, कंपनी ऋणदाता के इंजीनियर (एलई) और ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए), तैनात करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो विभिन्न ऋणदाता तथा कंसोर्शियम के सदस्यों की ओर से काम करती हैं। ऋणकर्ता का इंजीनियर स्थल का आवधिक दौरा करता है और ऋणदाता के साथ चर्चा तथा संगत दस्तावेजों

के निरीक्षण/ समीक्षा के बाद परियोजना की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऋणदाता का वित्तीय सलाहकार आवधिक आधार पर परियोजना में निधियों के उपयोग तथा निधि प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था नहीं है, एलई और एलएफ, की सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, कुछ परियोजनाओं की समेकित आवधिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें महत्वपूर्ण प्रेक्षण/मुद्दे शामिल होते हैं जैसे कि सरोकार के क्षेत्र, विलंब के कारण, परियोजना को प्रभावित करने वाले मुद्दे, कार्यान्वयन आदि तथा नियमित आधार पर कंपनी द्वारा समीक्षा की जाती है।

कंपनी ऋणकर्ताओं की देरी और/या चूक तथा उनकी वसूलनीयता की लगातार मॉनीटरिंग करती है। ऋणकर्ता के लेखा में चूक होने पर कंपनी चूक को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम शुरू करती है जिसमें आरबीआई को विशेष वर्णित लेखा (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपॉजिटरी को रिपोर्टिंग (सीआरआईएलसी), सभी अतिदेय की वसूली द्वारा लेखा को नियमित करना, देयों की वसूली के लिए गारंटियों/प्रतिभूतियों का उपयोग करना, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, ऋण लेखा का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इनसोल्वेंसी तंत्र जैसे कि ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), एसएआरएफएइएसआई, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) (आइबीसी – 2016) आदि के समक्ष कानूनी कार्रवाई के लिए मामलों का संदर्भित करना तथा आरबीआई रूपरेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य कदम शामिल हैं, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

ऋणकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट जोखिम का उपशमन भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य राशियों, सूची या किसी अन्य परिसंपत्ति, सरकारी गारंटियों आदि के हाइपोथिकेशन तथा अपेक्षित होने पर कोलेटरल के रूप में ऋणों के लिए पर्याप्त प्रतिभूति व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। कंपनी सुपरिभाषित इक्विटी मूलयांकन दिशा–निर्देशों के माध्यम से प्रोमोटर्स की क्रेडिट के लिए उपयुक्तता की ध्यान से मॉनीटरिंग करती है, जो क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने तथा ऋणकर्त्ता की क्रेडिट लिमिट को परिभाषित करने के लिए सुव्यवस्थित संस्थानिक एवं परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण के समनुरूप किया गया है जिससे पहले से परिकलित राशियों का क्रेडिट जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली, जोखिमों की पहचान एवं उपयुक्त संरचना तथा संवितरण से पूर्व शर्तों के रूप में क्रेडिट जोखिम के उपशमन के उपाय शामिल हैं।

क्रेडिट जोखिम कंपनी के व्यवसाय का एकल सबसे बड़ा जोखिम है और इसलिए कंपनी ने इसका प्रबंधन करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं एवं नियंत्रणों का विकास किया है। विभिन्न स्तरों पर क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन किया जाता है जिसमें मूल्यांकन, संवितरण तथा संवितरण पश्चात मॉनीटरिंग चरण शामिल हैं। इस जोखिम के उपशमन के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु व्यवस्थित संस्थानिक एवं परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रणाली, जोखिमों की पहचान तथा उपयुक्त संरचना एवं क्रेडिट जोखिम उपशमन के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नियमित आधार पर परियोजना के जोखिमों की समीक्षा की जाती है तथा परियोजना जोखिम वर्गीकरण रूपरेखा के अनुसार जोखिम के विभिन्न पैरामीटरों तथा परियोजना के एक्सपोजर के आधार पर अधिक/साधारण/कम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

(i) कंपनी की ''एकीकृत रेटिंग दिशा–निर्देश'' तथा ''व्यापक जोखिम प्रबंध नीति'' है जिसमें क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम की ग्रेडिंग, कोलेटरल की आवश्यकता रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की मॉनीटरिंग आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विधिक जोखिम के प्रभावी प्रलेखन एवं उपशमन के सुनिश्चय के लिए स्वतंत्र ऋणदाता के लीगल काउंसल नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा परियोजनाओं के लिए, जहां कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था है, कंपनी ऋणदाता इंजीनियर, वित्तीय सलाहकार और बीमा सलाहकार तैनात करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो विभिन्न ऋणदाताओं तथा कंसोर्शियम के सदस्यों की ओर से काम करती हैं। ऋणदाता का इंजीनियर स्थल का आवधिक दौरा करता है और ऋणकर्ता के साथ चर्चा तथा संगत दस्तावेजों के निरीक्षण/समीक्षा के बाद परियोजना की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऋणदाता का वित्तीय सलाहकार आवधिक आधार पर परियोजना में निधियों के उपयोग तथा निधि प्रवाह का विवरण प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में कंपनी प्रमुख वित्तीय संस्था नहीं है, एलई और एलएफ, की सेवाओं से संबंधित कार्यों का समन्वय प्रमुख ऋणदाता के साथ किया जा रहा है।

आरईसी द्वारा वित्तपोषित की जा रही प्रत्येक नई परियोजना के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति की जा रही है जिसे बीजकों की समीक्षा तथा निधियों का उपयोग सहित परियोजना निष्पादन की विभिन्न गतिविधियों की ध्यान से मॉनीटरिंग के लिए परियोजना स्थल पर तैनात किया जाएगा। पीएमए मूल उपकरण विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता, संयुक्त कार्य ठेकेदार के बिलों का सत्यापन करेगा और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश प्रदान करेगा।

(iii) क्रेडिट की सुविधाओं के अनुमोदन एवं नवीकरण के लिए कंपनी में एक प्राधिकार संरचना है। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर सीएमडी/कार्यपालक समिति/ऋण समिति/निदेशक मंडल के स्तर पर व्यवसाय प्रस्ताव के आकार के अनुपात में परिशोधन की सीमाएं स्थापित की गई हैं।

(iv) उपयुक्त ब्याज दर और प्रतिभूति पैकेज प्रभारित करके कंपनी ने चूक की जोखिम की मात्रा के अनुसरण में अपने एक्सपोजर को वर्गीकृत करने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना का विकास किया है।

(v) जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को ऋण पोर्टफोलियो की क्रेडिट गुणवत्ता पर नियमित रिपोर्टें प्रदान की जाती हैं, जिसके लिए उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है।

(vi) क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ कौशल उपलब्ध कराने के साथ व्यवसाय यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा–निर्देशों, नीति तथा मौजूदा पद्धतियों की समीक्षा के लिए समय–समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) संबंधित व्यवसाय यूनिट द्वारा ऋणकर्ताओं को सुविधाओं की प्रतिबद्धता करने से पूर्व निर्दिष्ट सीमा के विरुद्ध व्यक्तिगत एवं ग्रुप के क्रेडिट एक्सपोजर का मूल्यांकन किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की संस्वीकृति भी समान समीक्षा प्रक्रिया के अधीन होती है।

(viii) कंपनी ऋणकर्ताओं एवं अन्य समकक्षों के विलंब और/या चूक तथा उनकी वसूलनीयता की लगातार मॉनीटरिंग करती है। ऋणकर्त्ता के लेखा में चूक होने पर कंपनी चूक को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम शुरू करती है जिसमें आरबीआई को विशेष वर्णित लेखा (एसएमए) की रिपोर्टिंग, बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय रिपॉजिटरी को रिपोर्टिंग (सीआरआईएलसी), सभी अतिदेय की वसूली द्वारा लेखा को नियमित करना, देयों की वसूली के लिए गारंटियों/प्रतिभूतियों का उपयोग करना, ऋण करार के अनुसार ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना, ऋण लेखा का पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ समाधान योजना तैयार करना, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी, समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी), अन्य एंटिटियों/निवेशकों को एक्सपोजर की बिक्री और अन्य वसूली तंत्र शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

ख. क्रेडिट जोखिम विश्लेषण

(i) क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर

तुलन–पत्र में मान्य ऋणों के लिए क्रेडिट जोखिम का सकल एक्सपोजर उनकी वहन राशि के बराबर होता है। ऋणों से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम के संबंध में ग्रुप के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 10 'ऋण' देखें।

जारी की गई वित्तीय गारंटी के लिए क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर ऐसी अधिकतम राशि है जिसे कंपनी को भुगतान करना होगा यदि गारंटियां आहूत की जाती हैं। अप्रतिसंहार्य ऋण प्रतिबद्धताओं के लिए क्रेडिट जोखिम का अधिकतम एक्सपोजर प्रतिबद्धता की सुविधाओं की पूर्ण राशि है। गारंटी तथा बकाया संवितरण प्रतिबद्धताओं के एक्सपोजर के लिए टिप्पणी 47 देखें।

(ii) क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम

क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम किसी एकल एक्सपोजर या एक्सपोजर के समूह से संबद्ध जोखिम है जिसमें कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है।

निम्नलिखित सारणी जोखिम की समान विशेषताओं के आधार पर कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के समग्र ऋण पोर्टफोलियो के जोखिम संकेंद्रण के विश्लेषण का वर्णन करती है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	बकाया मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण राज्य क्षेत्र को ऋण (अर्थात राज्य और/या केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन संस्थाएं)	5,08,774.12	700.95	4,34,124.49	1,914.02	3,71,848.83	4,968.09
निजी क्षेत्र को ऋण	87,102.49	26,978.02	84,355.03	26,413.23	75,843.78	18,853.59
कुल	**5,95,876.61**	**27,678.97**	**5,18,479.52**	**28,327.25**	**4,47,692.61**	**23,821.68**

कंपनी यह मानती है कि मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में चूक/हानि की कम घटना तथा कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र को ऋण देने की तुलना में राज्य क्षेत्र को ऋण देने में क्रेडिट जोखिम कम है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकारी हित मौजूद होने से देय राशि की वसूली न होने का जोखिम कम होता है।

क्रेडिट संकेंद्रण के लागू मानदंडों के अनुसरण में विभिन्न परियोजनाओं एवं ऋणकर्ताओं के संबंध में कंपनी के जोखिम की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है।

ग. ऋणों के संकेंद्रण/एक्सपोजर से संबंधित ब्योरा :

पीएफसी के संबंध में

1. अग्रिमों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,88,278.21	1,62,412.85	1,53,506.95
कंपनी के कुल अग्रिमों (बकाया मूलधन) की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	59.83%	58.21%	62.51%

2. एक्सपोजर का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को कुल ऋण जोखिम	2,61,087.34	2,37,469.89	2,40,892.19
ऋणकर्त्ताओं/ग्राहकों पर कंपनी के कुल ऋण जोखिम में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को ऋण जोखिम का प्रतिशत	53.87%	53.90%	56.23%

इसके अतिरिक्त, कंपनी का विविधतापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो है जिसमें विविध भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन (नवीकरणीय एवं गैर–नवीकरणीय), पारेषण एवं वितरण विद्युत परियोजनाओं को ऋण शामिल है।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

3. अग्रिमों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,58,931.60	1,36,285.52	1,11,916.90
कंपनी के कुल अग्रिमों (बकाया मूलधन) की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	56.52%	56.92%	55.42%

4. एक्सपोजर का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को कुल ऋण जोखिम	2,54,896.66	2,36,006.27	1,97,327.07
ऋणकर्त्ताओं/ग्राहकों पर कंपनी के कुल ऋण जोखिम में 20 सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों को ऋण जोखिम का प्रतिशत	59.46%	59.25%	60.34%

घ. **क्षतिग्रस्तता का मूल्यांकन**

कंपनी लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) मॉडल का प्रयोग करके हानि छूट को मान्य करती है। इंड एएस 109 शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के आधार पर क्षतिग्रस्तता के मापन के लिए तीन चरण मॉडल रेखांकित करता है।

- वित्तीय लिखत जो शुरूआती मान्यता पर क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त नहीं है, को 'चरण-I' में वर्गीकृत किया जाता है।
- यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआइसीआर) की पहचान की जाती है, तो वित्तीय लिखत को 'चरण-II' में हस्तांतरित किया जाता है।
- यदि वित्तीय लिखत क्रेडिट की दृष्टि से क्षतिग्रस्त होता है, तो उसे 'चरण-III' की श्रेणी में हस्तांतरित किया जाता है।

पीएफसी के मामले में,

(i) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (चरण-II)

वित्तीय लिखत के शेष जीवनकाल में होने वाली चूक के जोखिम में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में सारवान रूप से वृद्धि हुई है। शुरूआती मान्यता के बाद चूक के जोखिम में सारवान रूप से वृद्धि होने का निर्धारण करने में कंपनी पैरामीटर के रूप में 30 दिन से अधिक के अतिदेय पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य मापनीय इनपुट पर भी विचार करती है।

(ii) क्षतिग्रस्त क्रेडिट

कंपनी किसी वित्तीय लिखत को चूक के अधीन परिभाषित करती है, जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट की परिभाषा से पूर्णतः संरेखित है, जब ऋण लेखा संविदात्मक भुगतान पर 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय होता है।

(iii) अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) का मापन

12 माह या आजीवन आधार पर ईसीएल का मापन किया जाता है जो इस बात पर निर्भर होता है कि क्या शुरूआती मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ईसीएल चूक की लाभप्रदता (पीडी), निश्चित चूक हानि (एलजीडी) और चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) का उत्पाद है। ये पैरामीटर ऐतिहासिक डाटा का प्रयोग करके आंतरिक रूप से विकसित मॉडलों से प्राप्त किए गए हैं तथा वर्तमान डाटा के साथ समायोजित किए जाते हैं।

▶ चूक की संभावना (पीडी)

पीडी किसी निश्चित समय सीमा में चूक की संभावना का अनुमान है। इसका अनुमान किसी समय पर लगाया जाता है। 12 माह के पीडी का मूल्यांकन करने के लिए अगले 12 माह में चूक करने की ऋण की संभावना का सुनिश्चय किया जाता है और इसी तरह आजीवन पीडी का मूल्यांकन करने के लिए चूक करने वाले ऋण के शेष जीवनकाल में उसकी लाभप्रदता का सुनिश्चय किया जाता है।
चरण-I लेखा के लिए 12 माह के पीडी का प्रयोग किया जाता है।
चरण-II के क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले लेखा के लिए आजीवन पीडी का प्रयोग किया जाता है।
चरण-III के क्षतिग्रस्त क्रेडिट लेखा के लिए 100% पीडी लिया जाता है।

▶ निश्चित चूक हानि (एलजीडी) : यह हानि का कारक है जिसे कंपनी अनुभव कर सकती है यदि चूक होती है।

▶ चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) : यह बकाया एक्सपोजर है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है। ईएडी में ऋण के संबंध में बकाया मूलधन तथा प्रोद्भूत ब्याज शामिल होता है।

कंपनी ने क्षतिग्रस्त क्रेडिट ऋण (चरण-III) पर ईसीएल के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड की नियुक्ति की है। सभी अन्य ऋणों के लिए, समान जोखिम की विशेषताओं जैसे कि राज्य क्षेत्र को अल्प अवधि के ऋण, राज्य क्षेत्र को अन्य ऋण, निजी क्षेत्र को ताप विद्युत उत्पादन के लिए ऋण, निजी क्षेत्र को सौर विद्युत उत्पादन के लिए ऋण आदि के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों को समूहबद्ध करके सामूहिक आधार पर ईसीएल की गणना की जाती है।

▶ ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं

- कंपनी आधार तारीख के रूप में शुरूआती मान्यता की तारीख पर विचार करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।
- चूंकि कंपनी को अपने किसी ऋणकर्ता को किसी संस्वीकृत परंतु अनाहरित लिमिट को निरस्त करने का अधिकार है, इसलिए रिपोर्टिंग की तारीख को ईएडी को बकाया अधिशेष के रूप में माना जाता है।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

इंड एएस 109 के अनुसार ईसीएल के मूल्यांकन एवं गणना की विधि का विकास करने के लिए आरईसी लिमिटेड ने आईआरआर एडवाइजरी सर्विसिज़ प्राइवेट लिमिटेड नामक एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति की है। क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार/हास का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख वित्तीय एवं प्रचालनात्मक पैरामीटरों के आधार पर क्रेडिट जोखिम के मापन के लिए एक व्यापक मॉडल विकसित किया गया है। क्रेडिट जोखिम मॉडल चूक के मामले में अपेक्षित हानि तथा रेटिंग भी प्रदान करता है। आरईसीएल ने मॉडल में निम्नलिखित पैरामीटरों पर विचार किया है :

- मात्रात्मक कारक
  - ऋण / ईबीआईटीडीए (20% वेटेज)
  - प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल (30% वेटेज)
  - ब्याजगत कवरेज (20% वेटेज)
  - नकदी ब्याजगत कवरेज (30% वेटेज)

- गुणात्मक कारक
  - तिमाहीवार प्रचालनात्मक पैरामीटर जैसे कि पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर गैप, और एलएएफ
  - चूक की वास्तविक तारीख, ऋण पुनर्गठन का ब्योरा
  - निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए परियोजना को शुरू करने में लागत एवं समय आधिक्य
  - मूल कंपनी से सहायता
  - टर्नओवर कैप
  - लेखा का संचालन

- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर)

  आरईसीएल यह मानता है कि वित्तीय लिखत के क्रेडिट जोखिम में उस समय काफी वृद्धि होती है जब निम्नलिखित मात्रात्मक या गुणात्मक मानदंडों में से एक या अधिक मानदंड पूरे होते हैं।

  मात्रात्मक मानदंड

  कंपनी ने यह माना है कि शुरुआत से क्रेडिट रेटिंग में 2 स्तरीय डाउनग्रेड को क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में माना जाएगा।

  गुणात्मक मानदंड

  निर्माणाधीन परियोजनाओं को शुरू करने में काफी विलंब के मामले में यह माना जाता है कि जोखिम में काफी वृद्धि होती है और ऋण को चरण 2 में हस्तांतरित किया जाता है।

  पश्चगति सीमक (बैकस्टॉप)

  किसी वित्तीय लिखत पर आरईसीएल द्वारा पश्चगति सीमक (बैकस्टॉप) का प्रयोग किया जाता है, यदि भुगतान ₹ 1 करोड़ से अधिक या बराबर होता है और ऋणकर्ता अपने संविदात्मक भुगतानों पर 30 दिन से अधिक के लिए अतिदेय है। तथापि, ऐतिहासिक डाटा के आधार पर नोटिस किया गया है कि 30 दिन से अधिक के लिए अतिदेय ऐसी राशियां राज्य विद्युत संस्थाओं के लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का द्योतक नहीं हैं। इसलिए आरईसीएल ने केवल निजी संस्थाओं के लिए इस मानदंड का प्रयोग किया है।

- कम क्रेडिट जोखिम छूट

  इंड–एएस यह मानने के लिए एक अभीष्ट सरलीकरण प्रदान करता है कि किसी वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम आरंभिक मान्यता के बाद सारवान रूप से नहीं बढ़ा है (और इस प्रकार चरण 1 में बना रहता है) यदि यह माना जाता है कि रिपोर्टिंग की तारीख को वित्तीय परिसंपत्ति का क्रेडिट जोखिम कम है।

  क्रेडिट जोखिम को उस समय 'कम' माना जाता है जब वित्तीय लिखत में चूक का कम जोखिम होता है, निकट भविष्य में ऋणकर्ता के पास संविदात्मक नकदी प्रवाह की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए मजबूत क्षमता है और दीर्घ अवधि में आर्थिक एवं व्यवसाय की स्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन से संविदात्मक नकदी प्रवाह की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में ऋणकर्ता का सामर्थ्य कम हो सकता है परंतु अनिवार्य रूप से नहीं होगा।

  आरईसीएल एएए से ए की बाहरी क्रेडिट रेटिंग वाली ऋण परिसंपत्तियों को कम क्रेडिट जोखिम वाली परिसंपत्ति मानता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी राज्य विद्युत संस्था के लिए कम क्रेडिट जोखिम छूट ली है क्योंकि यह मानती है कि मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में चूक / हानि की कम घटना तथा कुछ ऋणों में सरकारी गारंटी की उपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र को ऋण देने की तुलना में राज्य क्षेत्र को ऋण देने में क्रेडिट जोखिम कम है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं में सरकारी हित मौजूद होने से देय राशि की वसूली न होने का जोखिम कम होता है।

- चूक तथा क्रेडिट क्षतिग्रस्तता परिसंपत्तियों की परिभाषा

  आरईसीएल किसी वित्तीय लिखत को चूक के अधीन परिभाषित करती है, जो क्षतिग्रस्तता क्रेडिट की परिभाषा से पूर्णतः संरेखित है, जब ऋण लेखा संविदात्मक भुगतान पर 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय होता है।

- ईसीएल का मापन – इनपुट का स्पष्टीकरण, मान्यताएं तथा अनुमान की तकनीकें

  अपेक्षित क्रेडिट क्षति चूक की संभावना (पीडी), चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) तथा निश्चित चूक क्षति (एलजीडी) की देन है जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

- पीडी अगले 12 माह में या लिखत के शेष काल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता के चूक करने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है।

- ईएडी ऐसी राशियों पर आधारित है जो अगले 12 माह में या लिखत के शेष काल में चूक के समय कंपनी प्राप्त करने की उम्मीद करती है।

- एलजीडी चूक होने की स्थिति में कंपनी की क्षति की अपेक्षा दर्शाता है। एलजीडी को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और इस तथ्य से प्रभावित नहीं होता है कि वित्तीय परिसंपत्ति चरण 1 या चरण 2 या चरण 3 की परिसंपत्ति है। तथापि, ऋणकर्ता के प्रकार, कोलेटरल या अन्य क्रेडिट सहायता की उपलब्धता के आधार पर इसमें अंतर होता है।

▶ चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

आरईसीएल ने विभिन्न क्रेडिट एजेंसियों (क्रिसिल, केयर और इंडिया रेटिंग्स) के परिवर्तन मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है और वार्षिक औसत परिवर्तन मैट्रिक्स तैयार करने के लिए इन रेटिंग एजेंसियों के परिवर्तन मैट्रिक्स के औसत को लिया है। ऋण की अवधि/परिपक्वता प्रोफाइल अर्थात आजीवन पीडी के अनुसार विभिन्न रेटिंग ग्रेडों की चूक की आजीवन संभावना पर पहुंचने के लिए इस औसत वार्षिक परिवर्तन मैट्रिक्स का बहिर्वेशन किया गया।

▶ निश्चित चूक हानि (एलजीडी) गणना मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान तथा उद्योग बेंच मार्किंग के आधार पर आरईसीएल ने एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में जिन कारकों की समीक्षा की गई उनमें प्रति यूनिट परियोजना लागत, वर्तमान पीएलएफ, मूल कंपनी/राज्य सहायता, पीपीए स्टेटस, एफएसए, स्टेटस के माध्यम से ईंधन लागत अंतरण, मौजूदा चूक के वर्ष आदि शामिल हैं। बाहरी अनुसंधान के आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कंपनी ने प्रचालन की लाभप्रदता के लिए व्यवहार्य परिदृश्य का अनुमान लगाने हेतु परियोजना लागत एवं पीएलएफ स्तर की बेंचमार्किंग की है और तद्नुसार वसूलनीयता की गणना की जाती है। इसी तरह कंपनी यह मानती है कि यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियां तथा पारेषण कंपनियां वितरण कंपनियों से संग्रहण की समस्याओं का सामना करती हैं जिससे कार्यकारी पूंजी चक्र लंबा हो जाता है परंतु दीर्घ अवधि के आधार पर वे संधारणीय हैं। राज्य विद्युत संस्था के लिए आरईसीएल ने राज्य सहायता को शामिल किया है और यह माना है कि जैसा कि उदय योजना के दौरान अतीत में देखा गया है, राज्य विद्युत संस्थाओं की ऋण बाध्यताओं का पुनर्भुगतान करने के लिए राज्य सरकारें आगे आती हैं, इस प्रकार एलजीडी की गणना करने के लिए राज्य क्रेडिट रेटिंग तथा समरूपी पीडी पर विचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त जहां चरण 3 के ऋण लेखा के लिए आरईसीएल तथा पीएफसी (ग्रुप की कंपनियां) कंसोर्शियम में हैं, आरईसीएल निम्नलिखित आधार पर एलजीडी पर विचार करता है :

क) ऐसे मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, प्रमुख ऋणदाता द्वारा परिकलित एलजीडी प्रतिशत अपनाया जाता है।

ख) ऐसे मामलों में न तो आरईसी और न ही पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, आरईसी तथा पीएफसी द्वारा तैयार किए गए एलजीडी के उच्चतर प्रतिशत अपनाया जाता है।

▶ ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं

(i) आरईसीएल आधार तारीख के रूप में शुरूआती मान्यता की तारीख पर विचार करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि का निर्धारण किया जाता है।

(ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग की गणना करने के लिए परियोजना को शुरू करने में लागत एवं समय आधिक्य पर विचार किया जाता है।

(iii) अंतिम रेटिंग आबंटित करने के लिए टर्नओवर कैप तथा मूल कंपनी से सहायता पर विचार किया जाता है।

(iv) चूंकि कंपनी को अपने किसी ऋणकर्ता को किसी संस्वीकृत परंतु अनाहरित लिमिट को निरस्त करने का अधिकार है, इसलिए रिपोर्टिंग की तारीख को ईएडी को बकाया अधिशेष के रूप में माना जाता है।

▶ ईसीएल मॉडल में अग्रदर्शी सूचना शामिल की जाती है।

जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का मूल्यांकन तथा ईसीएल की गणना दोनों अग्रदर्शी सूचना में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त क्रेडिट रेटिंग मॉडल भी विभिन्न वित्तीय अनुपातों तथा परियोजना समाप्ति के विस्तार को ध्यान में रखकर ऋणकर्ता को आबंटित की जाने वाली क्रेडिट रेटिंग के निर्धारण में अग्रदर्शी सूचना पर विचार करते हैं। इस प्रकार बेस केस सिनारियो आरईसीएल के लिए ईसीएल की गणना के लिए सबसे उपयुक्त आधार को दर्शाता है। अग्रदर्शी सूचना तथा आर्थिक स्थिति के विश्लेषण के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपटर्न/डाउनटर्न सिनारियो लागू नहीं है या ईसीएल की गणना के लिए प्रयुक्त इनपुट में कोई विचार करने की आवश्यकता है।

- **क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर**

विभिन्न क्रेडिट रेटिंग वाले ऋणकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार है :

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

बाहरी रेटिंग की रेंज	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एएए	-	-	-	-
एए	3,239.02	-	-	3,239.02
ए	56,158.84	-	-	56,158.84
बीबीबी	40,834.51	-	-	40,834.51
बीबी	57,967.67	519.32	-	58,486.99
बी	47,683.74	1,030.31	-	48,714.05
सी	46,119.65	2,862.99	-	48,982.64
डी	-	-	20,348.44	20,348.44
सरकारी ऋण	4,445.19	-	-	4,445.19
सकल वहन राशि	**2,56,448.62**	**4,412.62**	**20,348.44**	**2,81,209.68**
हानि छूट	525.26	1,273.72	9,698.95	11,497.93
वहन राशि	**2,55,923.36**	**3,138.90**	**10,649.49**	**2,69,711.75**

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़ में)

बाहरी रेटिंग की रेंज	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एएए	-	-	-	-
एए	3,198.11	-	-	3,198.11
ए	51,693.57	-	-	51,693.57
बीबीबी	17,974.14	-	-	17,974.14
बीबी	53,056.43	10,594.28	-	63,650.71
बी	30,981.40	-	-	30,981.40
सी	46,596.39	4,672.25	-	51,268.64
डी	-	-	17,128.42	17,128.42
सरकारी ऋण	3,567.83	-	-	3,567.83
सकल वहन राशि	**2,07,067.88**	**15,266.53**	**17,128.42**	**2,39,462.83**
हानि छूट	1,090.78	1,694.30	8,490.53	11,275.61
वहन राशि	**2,05,977.10**	**13,572.23**	**8,637.89**	**2,28,187.22**

1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़ में)

बाहरी रेटिंग की रेंज	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एएए	-	-	-	-
एए	3,371.83	-	-	3,371.83
ए	32,324.46	-	-	32,324.46
बीबीबी	21,635.16	-	-	21,635.16
बीबी	51,057.87	-	-	51,057.87
बी	34,743.10	-	-	34,743.10
सी	37,949.19	12,849.73	-	50,798.92
डी	-	-	4,872.69	4,872.69
सरकारी ऋण	3,298.00	-	-	3,298.00
सकल वहन राशि	**1,84,379.61**	**12,849.73**	**4,872.69**	**2,02,102.03**
हानि छूट	1,324.86	5,011.36	2,648.95	8,985.17
वहन राशि	**1,83,054.75**	**7,838.37**	**2,223.74**	**1,93,116.86**

▶ **कोलेटरल तथा अन्य क्रेडिट परिवर्धन**

आरईसीएल क्रेडिट जोखिम के उपशमन के लिए कई प्रकार की नीतियों एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है। इनमें से सबसे आम संवितरित निधियों के लिए कोलेटरल स्वीकार करना है। कोलेटरल की विशिष्ट श्रेणियों की स्वीकार्यता या क्रेडिट जोखिम उपशमन पर कंपनी की आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों एवं अग्रिमों के लिए कोलेटरल के मुख्य प्रकार निम्नानुसार हैं :

- अचल संपत्तियों का मॉर्टगेज
- चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन
- परियोजना संविदा दस्तावेजों का आबंटन
- लिखतों को गिरवी रखना जिसके माध्यम से परियोजना में प्रोमोटर का अंशदान शामिल किया जाता है
- प्रोमोटर की शेयरहोल्डिंग का गिरवी रखना
- प्रोमोटर्स की कॉर्पोरेट एवं निजी गारंटी

▶ **बट्टा खाता नीति**

आरईसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों को उस समय पूर्णतः या अंशतः बट्टे खाते में डालता है जब वसूली के सभी व्यवहार्य उपाय विफल हो जाते हैं और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वसूली की कोई तर्कसंगत उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई तर्कसंगत उम्मीद न होने के संकेतकों में प्रवर्तन की गतिविधि की समाप्ति शामिल है या जहां कंपनी की वसूली विधि कोलेटरल पर रोक लगा रही है और कोलेटरल का मूल्य इतना है कि पूर्ण वसूली की कोई तर्कसंगत उम्मीद नहीं है।

ड़. कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में चरणवार एक्सपोजर तथा क्षतिग्रस्त हानि छूट का ब्योरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
(ऋण प्रतिबद्धताओं सहित)	बकाया मूलधन	संचयी क्षतिग्रस्तता हानि छूट	%	बकाया मूलधन	संचयी क्षतिग्रस्तता हानि छूट	%	बकाया मूलधन	संचयी क्षतिग्रस्तता हानि छूट	%
क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण (चूक की घटना उत्पन्न हुई है) (चरण-III)	49,888.75	24,719.96	49.55	43,995.22	22,731.75	51.67	17,158.98	7,541.54	43.95
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले ऋण (चरण-II)	13,880.61	1,576.79	11.36	33,365.49	2,364.59	7.09	54,975.18	10,411.42	18.94
अन्य ऋण (चरण-I)	5,32,107.25	1,382.22	0.26	4,41,118.81	3,230.91	0.73	3,75,558.45	5,868.72	1.56
कुल	**5,95,876.61**	**27,678.97**		**5,18,479.52**	**28,327.25**		**4,47,692.61**	**23,821.68**	
संवितरण की बकाया प्रतिबद्धताएं (चुकौती आश्वासन पत्र) जो आक–स्मिक देयताओं का भाग हैं	1,019.06	186.71		1,694.60	195.39		1,640.56	5.61	

च. निम्नलिखित सारणियों में वार्षिक अवधि की शुरूआत एवं अंत के बीच ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन तथा समतुल्य ईसीएल छूट का वर्णन किया गया है :

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2018-19	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट
प्रारंभिक शेष	4,41,118.81	3,230.91	33,365.49	2,364.59	43,995.22	22,731.76	5,18,479.52	28,327.26
चरण-I में हस्तांतरित	19,767.81	937.39	(18,950.91)	(297.35)	(816.90)	(640.04)	-	-
चरण-II में हस्तांतरित	(8,077.82)	(15.21)	9,303.60	382.95	(1,225.78)	(367.73)	-	-
चरण-III में हस्तांतरित	(2,763.00)	(625.75)	(5,821.75)	(776.24)	8,584.75	1,401.99	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन/ईसीएल में परिवर्तन	9,110.28	(2,211.67)	(991.23)	25.65	(448.09)	1,606.20	7,670.96	(579.82)
उत्पन्न की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	99,210.54	138.90	253.82	22.59	-	-	99,464.36	1,61.49
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(26,259.36)	(72.36)	(3,278.41)	(145.40)	(200.47)	(12.21)	(29,738.24)	(229.97)
अंतिम शेष	**5,32,107.25**	**1,382.22**	**13,880.61**	**1,576.79**	**49,888.75**	**24,719.96**	**5,95,876.61**	**27,678.97**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2017-18	चरण I		चरण II		चरण III		कुल	
	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट	मूलधन	क्षतिग्रस्तता छूट
प्रारंभिक शेष	3,75,558.45	5,868.72	54,975.18	10,411.42	17,158.98	7,541.54	4,47,692.61	23,821.68
चरण-I में हस्तांतरित	15,409.01	1,021.77	(14,469.27)	(691.74)	(939.74)	(330.03)	-	-
चरण-II में हस्तांतरित	(11,546.87)	(72.11)	11,546.87	72.11	-	-	-	-
चरण-III में हस्तांतरित	(7,414.64)	(1,468.97)	(18,847.46)	(7,721.05)	26,262.09	9,190.03	-	-
वर्ष के दौरान मूलधन / ईसीएल में परिवर्तन	1,233.29	(2,484.08)	1,991.59	314.59	812.03	6,219.31	4,036.91	4,049.82
उत्पन्न की गई नई वित्तीय परिसंपत्तियां	90,228.39	542.69	381.39	53.75	1,038.92	305.99	91,648.70	902.43
विमान्य वित्तीय परिसंपत्तियां	(22,348.83)	(177.11)	(2,212.80)	(74.49)	(337.06)	(195.08)	(24,898.69)	(446.68)
अंतिम शेष	**4,41,118.81**	**3,230.91**	**33,365.49**	**2,364.59**	**43,995.22**	**22,731.75**	**5,18,479.52**	**28,327.25**

छ. चरण 3 के ऋणों पर हानि छूट के मूवमेंट को दर्शाने वाली सारणी नीचे दी गई है :

पीएफसी के संबंध में :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	सकल ऋणों के अनुपात में सकल चरण-III ऋण (%)	9.39%	9.63%
(ii)	निवल ऋणों के अनुपात में सकल चरण-III ऋण (%)	4.85%	4.82%
		वित्तीय वर्ष 2018-19	**वित्तीय वर्ष 2017-18**
(iii)	चरण-III के ऋणों का मूवमेंट (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	26,866.80	12,286.29
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,793.33	15,493.47
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	(1,119.82)	(912.96)
	(घ) अंतिम शेष	29,540.30	26,866.80
(iv)	चरण-III के निवल ऋणों का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	12,625.58	7,393.70
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,851.39	7,571.59
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	(957.67)	(2,339.71)
	(घ) अंतिम शेष	14,687.10	12,625.58
(v)	चरण-III के ऋणों के लिए क्षतिग्रस्तता छूट का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	14,241.22	4,892.59
	(ख) वर्ष के दौरान प्रदान की गई क्षतिग्रस्तता छूट	1,823.55	9,811.42
	(ग) अधिक क्षतिग्रस्तता छूट का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	(1,043.76)	(462.79)
	(घ) अंतिम शेष	15,021.01	14,241.22

सहायक कंपनी, आरसीएल के संबंध में

चरण III के ऋणों पर हानि छूट के मूवमेंट को दर्शाने वाली सारणी :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	सकल ऋणों के अनुपात में सकल चरण-III ऋण (%)	7.24%	7.15%
(ii)	निवल ऋणों के अनुपात में सकल चरण-III ऋण (%)	3.95%	3.79%
		वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
(iii)	चरण-III के ऋणों का मूवमेंट (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	17,128.43	4,872.69
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,628.40	12,570.84
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	(1,408.39)	(315.10)
	(घ) अंतिम शेष	**20,348.44**	**17,128.43**
(iv)	चरण-III के निवल ऋणों का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	8,637.90	2,223.74
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,051.83	6,685.70
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	(1,040.24)	(271.54)
	(घ) अंतिम शेष	**10,649.49**	**8,637.90**
(v)	चरण-III के ऋणों के लिए क्षतिग्रस्तता छूट का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	8,490.53	2,648.95
	(ख) वर्ष के दौरान प्रदान की गई क्षतिग्रस्तता छूट	1,576.57	5,885.14
	(ग) अधिक क्षतिग्रस्तता छूट का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	(368.15)	(43.56)
	(घ) अंतिम शेष	**9,698.95**	**8,490.53**

ज. चरण-III के ऋणों का संकेंद्रण

पीएफसी के मामले में,

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
चरण-III के शीर्ष चार लेखाओं का बकाया मूलधन	13,847.63	13,928.25	8,530.34

सहायक कंपनी आरईसीएल के मामले में

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
चरण-III के शीर्ष चार लेखाओं का बकाया मूलधन	8,502.74	8,558.91	3,444.72

40.2.2 चलनिधि जोखिम प्रबंधन

चलनिधि जोखिम ऐसा जोखिम है जहां कंपनी के पास अपनी बाध्यताओं के देय होने पर उनको वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। यह जोखिम नकदी प्रवाह जो सभी वित्तीय प्रचालनों में अंतर्निहित होते हैं तथा कंपनी विशिष्ट एवं बाजारव्यापी घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, के समय में असंतुलन से उत्पन्न होता है।

पीएफसी के मामले में,

चलनिधि जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा पर किसी आंच के बगैर या अस्वीकार्य क्षति वहन किए बगैर देयताओं के परिपक्व होने पर उनको कवर करने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह अनुरक्षित करने के लिए कंपनी प्रयास करती है और वित्त पोषण के विभिन्न लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाकर विविध निधि आधार अनुरक्षित करने का भी प्रयास करती है। निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर कंपनी की चलनिधि की पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है :

- चलनिधि की वर्तमान स्थिति;
- वित्तपोषण की अनुमानित भावी आवश्यकताएं;
- अर्जन की वर्तमान एवं भावी क्षमताएं और
- निधियों के उपलब्ध स्रोत।

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी दैनिक चलनिधि का प्रबंधन करती है कि देय होने पर वित्तीय बाध्यताओं को वहन करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त चलनिधि हो। दीर्घावधि की तरलता का प्रबंधन दीर्घावधि निधि की स्थिति तथा बाजार के कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार है और उल्लंघन, यदि कोई हो, के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करना होता है। कंपनी ने अपने ऋणों को चुकता करने में कभी चूक नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, चलनिधि की समग्र मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में कंपनी में एक परिसंपत्ति चलनिधि समिति (एएलसीओ) है। एएलसीओ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता या नकदी प्रवाह में असंतुलन का विश्लेषण करके चलनिधि जोखिम की जांच पड़ताल करता है। आरबीआई द्वारा निर्धारित चलनिधि विवरण के रूप में असंतुलन का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें संचयी सरप्लस या निधियों की कमी का ब्योरा परिपक्वता सीढ़ी के अनुसरण में बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के विरूद्ध नकदी प्रवाहों का वितरण करके तैयार किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी गैर बट्टा आधार पर संविदात्मक मूलधन की शेष परिपक्वता के अनुसार वित्तीय देयताओं की मदों के परिपक्वता पैटर्न का विश्लेषण करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार								
रुपया ऋण	21,785.18	4,915.00	7,495.20	10,292.05	19,088.10	76,608.05	32,730.60	87,160.38
विदेशी मुद्रा ऋण	696.50	-	2,080.35	-	3,468.40	4,971.67	9,235.95	8,373.99
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार								
रुपया ऋण	1,275.80	2,805.00	7,345.70	12,457.70	13,056.65	69,867.71	37,178.05	67,628.47
विदेशी मुद्रा ऋण	4.67	-	5.93	-	2,348.39	5,174.02	8,024.53	2,702.55
01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार								
रुपया ऋण	5,890.79	3,820.00	1,036.40	7,101.00	9,131.58	58,350.85	48,153.21	60,930.73
विदेशी मुद्रा ऋण	4.64	-	5.08	1,167.30	9.73	1,660.15	4,645.72	951.26

डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
फारवर्ड			
1 वर्ष तक	97.02	0.04	0.00
1 से 5 वर्ष	148.70	198.04	68.41
उप जोड़ (क)	**245.72**	**198.08**	**68.41**
ऑप्शन/स्वैप			
1 वर्ष तक	27.31	59.67	85.86
1 से 5 वर्ष	388.85	225.98	198.75
5 वर्ष से अधिक 3.11	74.70	69.85	
उप जोड़ (ख)	**419.27**	**360.35**	**354.46**
कुल (क+ख)	**664.99**	**558.43**	**422.87**

उपर्युक्त सारणी समकक्ष पक्षकारों से प्राप्त एमटीएम के आधार पर कंपनी की डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं के लिए कंपनी के चलनिधि विश्लेषण का ब्योरा प्रदान करती है। परिपक्वता बकेट संबंधित डेरिवेटिव लिखत के शेष टेनर के अनुसार है।

चलनिधि की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी बैंकों से नकदी क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट तथा कार्यकारी पूंजी मांग ऋण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की घरेलू क्रेडिट रेटिंग सर्वोच्च अर्थात एएए है जिससे अल्प अवधि के अंदर घरेलू बाजार से निधियां जुटाना संभव होता है।

कंपनी को निम्नलिखित अनाहरित ऋण सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
सीसी/ओडी/एलओसी/डब्ल्यूसीडीएल लिमिट	6,950.00	13,200.00	11,060.00

सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

आरईसीएल रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से अपने चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करता है जिसमें प्रक्षेपित संवितरण तथा परिपक्व बाध्यताओं के आधार पर भविष्य में संसाधन जुटाना शामिल है। कंपनी ने प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंध प्रणाली स्थापित की है तथा एक परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ) का गठन भी किया है जो चलनिधि अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

भविष्यवाणी एवं वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर मॉनीटरिंग द्वारा आरईसीएल पर्याप्त बैंक शेष, अल्प अवधि के निवेशों जो नकदी में तुरंत परिवर्तनीय होते हैं, तथा पर्याप्त ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधाओं को अनुरक्षित करता है।

भावी डिस्काउंट रहित नकदी प्रवाहों का परिपक्वता पैटर्न

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मदों (जो मूलधन एवं ब्याज के लिए भावी डिस्काउंट रहित नकदी प्रवाहों का प्रतिनिधित्व करती हैं) के लिए नकदी प्रवाह निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक
रुपया ऋण								
ऋण प्रतिभूतियां								
- मूलधन	3,256.39	525.21	2,294.33	9,272.90	20,218.27	65,194.54	25,107.93	49,187.62
- ब्याज	484.75	912.75	1,840.88	2,754.00	6,877.86	19,633.29	11,001.43	13,288.00
अन्य ऋण								
- मूलधन	-	350.00	500.00	850.00	200.01	4,257.52	13,405.02	5,187.59
- ब्याज	133.77	129.71	355.81	388.00	975.00	3,673.00	2,176.00	2,055.00
सबॉर्डिनेटिड देयताएं								
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20
- ब्याज	-	201.50	-	-	189.26	782.00	782.00	945.00
विदेशी मुद्रा ऋण								
ऋण प्रतिभूतियां								
- मूलधन	-	-	-	-	-	2,766.85	4,841.99	5,187.85
- ब्याज	-	126.06	42.33	108.00	279.00	1,052.00	1,281.00	807.00
अन्य ऋण								
- मूलधन	-	1,729.28	71.11	1,058.63	2,444.00	10,423.28	6,234.49	-
- ब्याज	43.40	54.77	42.07	229.00	290.00	734.00	278.00	-
डेरिवेटिव देयताएं :								
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	0.59	6.26	10.19	110.01	3.11
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	0.40	-	-
वायदा संविदाएं	10.27	-	-	-	-	-	-	-
अन्य –								
सीगल ऑप्शन	-	-	-	0.37	18.20	-	-	-

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक
रुपया ऋण								
ऋण प्रतिभूतियां								
- मूलधन	312.36	427.89	940.89	9,610.60	16,323.17	61,056.11	32,653.85	44,689.59
- ब्याज	415.74	777.17	1,636.05	2,475.00	7,218.16	19,907.58	11,268.40	12,649.00
अन्य ऋण								
- मूलधन	-	-	-	-	200.00	200.00	-	-
- ब्याज	-	-	-	-	29.00	15.00	-	-
सबॉर्डिनेटिड देयताएं								
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
- ब्याज	-	201.50	-	-	-	403.00	403.00	201.00
विदेशी मुद्रा ऋण								
ऋण प्रतिभूतियां								
- मूलधन	-	-	-	-	-	2,601.76	-	4,878.30
- ब्याज	-	-	39.80	102.00	142.00	568.00	407.00	962.00
अन्य ऋण								
- मूलधन	-	-	103.49	1,698.16	8,225.52	8,508.57	3,663.49	127.44
- ब्याज	33.87	42.91	63.03	151.00	270.00	541.00	101.00	2.00
डेरिवेटिव देयताएं :	-	-	-					
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	2.18	9.70	0.11	-	73.08
मुद्रा स्वैप	-	-	-	5.35	3.08	63.07	-	-
वायदा संविदाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य –	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉल स्प्रेड	-	-	-	1.37	37.98	43.05	78.77	-
सीगल ऑप्शन	-	-	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक
रुपया ऋण								
ऋण प्रतिभूतियां								
- मूलधन	402.64	365.98	326.16	9,853.96	5,278.77	46,206.46	33,434.77	47,247.66
- ब्याज	399.38	752.39	1,383.18	2,760.00	6,195.15	19,114.43	12,396.19	15,291.00
अन्य ऋण								
- मूलधन	-	-	-	-	350.00	400.00	-	-
- ब्याज	-	-	-	-	53.46	45.00	-	-
सबॉर्डिनेटिड देयताएं								
- मूलधन	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
- ब्याज	-	201.50	-	-	-	403.00	403.00	403.00
विदेशी मुद्रा ऋण								
ऋण प्रतिभूतियां								
- मूलधन	1,102.92	-	88.89	101.98	156.76	13,135.37	6,290.56	204.19
- ब्याज	13.21	33.35	45.40	136.00	196.00	579.00	129.00	5.00
डेरिवेटिव देयताएं :								
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	0.82	-	64.40
मुद्रा स्वैप	79.25	-	2.11	4.51	-	29.66	42.22	5.45
वायदा संविदाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य –	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉल स्प्रेड	-	-	-	-	-	55.46	70.59	-

प्रयोग की शीघ्रातिशीघ्र तारीख को ध्यान में रखते हुए पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्डों को दर्शाया गया है। डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं का चलनिधि विश्लेषण डेरिवेटिव संविदाओं के उचित मूल्यों पर आधारित है तथा संबंधित डेरिवेटिव लिखत के शेष टेनर के आधार पर परिपक्वता बकेट तैयार किया गया है।

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित सारवान नकदी प्रवाहों का वित्तपोषण ऋणों से डिस्काउंट रहित नकदी प्रवाहों (मूलधन एवं ब्याज) के माध्यम से निम्नानुसार किया जाएगा :

(₹ करोड़ में)

विवरण	30/31 दिनों तक	1 माह से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार								
- मूलधन	1,654.88	1,316.82	3,073.31	7,365.12	13,781.11	55,904.77	50,995.33	1,35,620.42
- ब्याज	866.67	684.94	5,324.18	6,853.48	12,557.11	43,097.02	31,940.32	53,720.12
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार								
- मूलधन	1,230.83	1,492.35	3,293.35	8,191.72	12,150.11	48,496.92	41,862.39	1,11,456.20
- ब्याज	531.59	532.53	4,795.14	6,201.87	10,813.02	37,162.38	27,418.33	53,753.31
1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार								
- मूलधन	1,001.24	893.61	2,277.07	5,717.85	9,745.28	38,401.16	35,944.37	98,986.89
- ब्याज	329.97	372.01	4,903.23	6,344.17	10,568.49	37,093.49	28,347.84	48,660.08

वित्तपोषण की व्यवस्थाएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की ऋण की निम्नलिखित अनाहरित सुविधाओं तक पहुंच :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
एक साल के अंदर अवधि समाप्त होना (नकदी क्रेडिट एवं अन्य सुविधाएं) - चल दर	11,440.00	10,340.00	5,710.00
एक साल के बाद अवधि समाप्त होना (लोन/ऋण) - चल दर	1,577.11	–	–

पीएफसीसीएल के संबंध में

चलनिधि के प्रबंधन में अपनाए गए दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देयताओं के देय होने पर अस्वीकार्य हानियों वहन किए बगैर उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि हो। ऐसा करते समय प्रबंधन सामान्य तनावग्रस्त दोनों परिस्थितियों पर विचार करता है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष की पूरी अवधि के दौरान धनात्मक नकदी शेष के साथ सजग चलनिधि रणनीति अपनाई। गतिविधियों के प्रचालन से नकदी प्रवाह रोजमर्रा के आधार पर वित्तीय देयताओं को वहन करने के लिए निधियां प्राप्त होती हैं।

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए आवर्ती भविष्यवाणी की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करती है कि प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत आधार पर पर्याप्त नकदी रहे। कार्यकारी पूंजी प्रबंधन तथा अन्य प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित राशि से अधिक सृजित किसी अल्पावधि अतिरिक्त नकदी को नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में प्रतिधारित किया जाता है (अपेक्षित मात्रा तक) और देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि का सुनिश्चय करते हुए ब्याज देने वाले सावधि जमा में किसी अतिरिक्त नकदी का निवेश किया जाता है।

40.2.3 बाजार जोखिम प्रबंधन

क. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम ऐसा जोखिम है जहां विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण व्यावहारिक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में वर्णित वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

कंपनी तथा इसकी सहायक, कंपनी आरईसीएल को मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों पर विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है। इन कंपनियों के विदेशी मुद्रा में वर्णित ऋणों की वहन राशि निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में	संबंधित मुद्रा में करोड़	₹ करोड़ में
अमरीकी डॉलर ऋण*	844.20	58,388.34	679.30	44,215.31	377.98	24,508.95
- हेज़्ड	577.00	39,907.94	411.00	26,751.84	281.00	18,219.96
- अनहेज़्ड	267.20	18,480.40	268.30	17,463.47	96.98	6,288.99
यूरो ऋण	8.62	669.04	11.32	913.33	14.04	972.23
- हेज़्ड	4.80	373.00	7.37	594.02	9.94	687.97
- अनहेज़्ड	3.82	296.04	3.96	219.31	4.11	284.26
जेपीवाई ऋण#	7,250.77	4,527.02	4,776.82	2,938.12	6,972.75	4,043.26
- हेज़्ड	2,059.05	1,286.33	221.44	136.27	2398.52	1,390.18
- अनहेज़्ड	5,191.71	3,240.69	4,555.38	2,801.85	4,574.24	2,653.08
कुल		**63,790.71**		**48,066.76**		**29,524.44**

*सितंबर, 2023 में परिपक्व होने वाली तथा 4.12% की औसत दर पर मूलधन केवल स्वैप (पीओएस) के माध्यम से हेज़्ड 25 करोड़ अमरीकी डॉलर (₹ 1728.88 करोड़) की राशि को वित्तीय वर्ष 2018–19 में नकदी प्रवाह हेज के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (पिछले वर्ष शून्य)। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार पीओएस का उचित मूल्य ₹ 100.01 करोड़ है। 'कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 से इंड एएस 109 के अनुसार हेज लेखांकन का प्रयोग करना शुरू किया है।

#इसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के ₹ 587.82 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 293.29 करोड़ और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 291.83 करोड़) के लिए यूएसडी/आईएनआर एक्सपोजर को शामिल करते हुए फॉरवर्ड के माध्यम से आंशिक रूप से हेज़्ड जेपीवाई ऋण शामिल है।

वर्ष के अंत में प्रचलित एफईडीएआई के स्पॉट रेट पर कंपनी की विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है :

विनिमय दर	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
अमेरिकी डॉलर/रुपया	69.1550	65.1750	64.8500
यूरो/रुपया	77.6725	80.8075	69.2925
जापानी येन/रुपया	0.624175	0.615050	0.580025

सहायक कंपनी आरईसीएल के मामले में, रिपोर्टिंग की प्रत्येक अवधि के अंत में एफबीआईएल (फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की प्रचलित संदत्त दरों या जहां किसी मुद्रा के लिए एफबीआईएल की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है, ब्लूमबर्ग पर उसी उद्धृत तारीख के लिए अंत दर पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों को परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग की तारीख के अनुसार संबंधित दरें निम्नानुसार हैं :

विनिमय दर	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
अमेरिकी डॉलर/रुपया	69.1713	65.0441	64.8386
यूरो/रुपया	77.7024	80.6222	69.2476
जापानी येन/रुपया	0.6252	0.6154	0.5796

*एफबीआईएल की संदर्भ दरों का प्रयोग करने से पूर्व आरबीआई की संदर्भ दरों का प्रयोग किया जाता था। आरबीआई ने 10 जुलाई, 2018 से एफबीआईएल को यूएसडी/आईएनआर के लिए संदर्भ दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना एवं प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

<u>विदेशी मुद्रा जोखिम मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन</u>

पीएफसी के संबंध में

कंपनी ने विदेशी मुद्रा के ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन एवं बचाव करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) नीति लागू की है जो संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए संरचना एवं संगठन निर्धारित करती है।

कंपनी विनिमय दर के जोखिम से संरक्षण के लिए विभिन्न डेरिवेटिव लेन–देन अर्थात मूलधन केवल स्वैप, ऑप्शन और फॉरवर्ड संविदाएं करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं मॉनीटरिंग के लिए प्रणाली लागू की गई है जिसमें कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों से बनी जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) विदेशी मुद्रा विनिमय दर की मॉनीटरिंग करती है। ये डेरिवेटिव लेन–देन हेजिंग के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए। नीति प्रबंधन को सूचित करने के लिए मुद्रा जोखिम की पहचान करने, मापने एवं मॉनीटरिंग करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां एवं नियंत्रण विहित करती है। मुद्रा जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में हेजिंग अनुपात, अनहेज़्ड एक्सपोजर, मार्क–टू मार्केट पोजिशन, बैंकों के साथ एक्सपोजर लिमिट आदि जैसे पैरामीटरों की निरंतर निगरानी की जाती है।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

आरईसीएल की बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ विदेशी मुद्रा के ऋणों से संबद्ध जोखिमों का प्रबंध करना है। विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में हेजिंग अनुपात, अनहेज़्ड एक्सपोजर, मार्क–टू मार्केट पोजिशन, बैंकों के साथ एक्सपोजर लिमिट आदि जैसे पैरामीटरों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है। यह नीति मार्गदर्शक पैरामीटर प्रदान करती है जिसके अंतर्गत कंपनी मुद्रा जोखिम एवं ब्याज जोखिम जिसका इसे ऋण प्रतिभूतियों सहित विदेशी मुद्रा ऋण के कारण खतरा है, के प्रबंधन के लिए निर्णय ले सकती है। इस नीति का उद्देश्य अपने विदेशी मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कंपनी को एक रूपरेखा प्रदान करना है।

इस समय सीएमडी की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता जोखिम प्रबंधन समिति (एएलसीओ) काम कर रही है जिसके सदस्यों में निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), वित्त से कार्यपालक निदेशक तथा महाप्रबंधक शामिल हैं। एएलसीओ विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर एवं ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी विभिन्न लिखतों जैसे कि विदेशी मुद्रा वायदा संविदाए मुद्रा विकल्प, मूलधन केवल स्वैप तथा वायदा दर करार के माध्यम से विनिमय दर को शामिल करने के लिए विभिन्न डेरिवेटिव लेन–देन करती है। ये डेरिवेटिव लेन–देन हेजिंग के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए।

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल के विदेशी मुद्रा के बकाया ऋणों पर आइएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय दर में 5% परिवर्तन के लिए कुल इक्विटी पर प्रभाव (+ अभिलाभ/(–) हानि) दर्शाती है :

(₹ करोड़ में)

विदेशी मुद्रा देयताएं	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि
	विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण					
अमेरिकी डॉलर	1,577.43	(1,577.43)	1,141.34	(1,141.34)	365.41	(365.41)
यूरो	6.19	(6.19)	15.97	(15.97)	14.21	(14.21)
जेपीवाई	192.22	(192.22)	140.09	(140.09)	132.65	(132.65)

डेरिवेटिव लिखत द्वारा विदेशी मुद्रा के ऋणों को प्रदान किए गए संरक्षण की सीमा तक विनिमय दर में अंतर के प्रभाव को उसके कार्यकाल में डेरिवेटिव के समतुल्य के प्रभाव द्वारा प्रतितुलित (ऑफसेट) किया जाएगा।

(ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जहां ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

पीएफसी के संबंध में

प्रतिफल को अभीष्ठ करते हुए बाजार जोखिम एक्सपोजर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। ब्याज दरों में परिवर्तन की दिशा तथा परिसंपत्तियों या देयताओं के तेजी से पुनः मूल्य निर्धारण के आधार पर प्रभाव लाभप्रद या प्रतिकूल हो सकता है।

परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) अंतराल विश्लेषण के माध्यम से अर्थात दर संवेदी परिसंपत्तियों तथा दर संवेदी देयताओं के बीच असंतुलन का विश्लेषण करके ब्याज दर जोखिम की जांच–पड़ताल करती है। अंतराल विश्लेषण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं के बीच अंतर मापा जाता है जो परिपक्वता की तारीख या पुनः मूल्य निर्धारण की तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर वितरित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कंपनी बाजार में प्रचलित स्थितियों, ऋण की लागत, लब्धि, विस्तार, प्रतियोगी दर आदि के आधार पर आवधिक आधार पर अपने ब्याज दरों की समीक्षा करती है। कंपनी द्वारा अपनी ब्याज दर एवं क्रेडिट नीतियों के माध्यम से परिसंपत्ति मिश्रण का प्रबंधन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ रीसेट की अवधियां, पुनर्भुगतान की अवधियां आदि शामिल होती हैं। लागत, बाजार की अपेक्षा; टाइमिंग; बाजार परिदृश्य, एएलएम अंतराल स्थिति आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखकर देयताओं का प्रबंधन किया जाता है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम पर अर्जन (ईएआर) ब्याज जोखिम प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण फोकल बिंदु है। ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए ब्याज दरों के मूवमेंट के प्रभाव को अंतराल विवरण से प्राप्त जोखिम पर अर्जन पर मापा गया है। स्थिर तुलन–पत्र मानते हुए एक वर्ष की अवधि में ब्याज दरों में 25 बेसिस वृद्धि/कमी को ध्यान में रखकर प्रभाव तैयार किया गया है। विश्लेषण दर्शाता है कि यदि दरों में 25 बीपीएस की वृद्धि/कमी होती है, तो ईएआर पर प्रभाव (+/–) ₹ 70 करोड़ होगा।

टिप्पणी : 25 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या कटौती ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के बारे में प्रबंधन के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है।

यह विश्लेषण मानता है कि दर संवेदी परिसंपत्ति और दर संवेदी देयताओं का एक समय ही पुनः मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण दर संवेदी परिसंपत्तियों एवं दर संवेदी देयताओं की शीघ्रातिशीघ्र/प्रथम पुनः मूल्य निर्धारण तारीख पर विचार करता है।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

आरईसीएल विभिन्न डेरिवेटिव संविदाएं जैसे कि ब्याज दर स्वैप संविदाएं और वायदा ब्याज दर संविदाएं करके ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करता है। हेज की सबसे अधिक लागत प्रभावी रणनीतियों का प्रयोग सुनिश्चित करते हुए ब्याज दर समीक्षा तथा निश्चित जोखिम अपेक्षा से संरेखित करने के लिए हेज की गतिविधियों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार हेज़्ड/अनहेज़्ड श्रेणी के अंतर्गत विभाजन के साथ परिवर्तनशील दर वाली देयताओं पर ब्याज दर जोखिम के संबंध में कंपनी के समग्र एक्सपोजर को दर्शाती है :

मुद्रा	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार		
	परिवर्तनशील ब्याज दर एक्सपोज़र	एफवीटीपीएल के माध्यम से हेज़्ड डेरिवेटिव	अनहेज़्ड एक्सपोज़र	परिवर्तनशील ब्याज दर एक्सपोज़र	एफवीटीपीएल के माध्यम से हेज़्ड डेरिवेटिव	अनहेज़्ड एक्सपोज़र	परिवर्तनशील ब्याज दर एक्सपोज़र	एफवीटीपीएल के माध्यम से हेज़्ड डेरिवेटिव	अनहेज़्ड एक्सपोज़र
आईएनआर ऋण राशियां	19,550.00	-	19,550.00	-	-	-	-	-	-
अमरिकी डॉलर	298.00	200.50	97.50	327.09	233.50	93.59	288.50	208.50	80.00
आईएनआर समतुल्य	**20,613.05**	**13,868.85**	**6,744.20**	**21,275.07**	**15,187.80**	**6,087.27**	**18,765.22**	**13,561.69**	**5,203.53**
जापानी येन	1,032.71	1,032.71	-	-	-	-	1,902.90	-	1,902.90
आईएनआर समतुल्य	**645.65**	**645.65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,102.92**	**-**	**1,102.92**
कुल आईएनआर समतुल्य	**40,808.70**	**14,514.50**	**26,294.20**	**21,275.07**	**15,187.80**	**6,087.27**	**19,868.14**	**13,561.69**	**6,306.45**

आरईसीएल के ऋणों पर अर्धनियत दर अर्थात 3/10 वर्ष में रिसेट के लिए ऋणकर्ता को विकल्प प्रदान करने के साथ ब्याज की नियत दर प्रभारित की जाती है। कंपनी बाजार में प्रचलित स्थितियों, ऋण की लागत, लब्धि, स्प्रेड, प्रतियोगियों की दरों, संस्वीकृतियों एवं संवितरणों आदि के आधार पर आवधिक आधार पर ऋण की अपनी दरों की समीक्षा करती है। भुगतान पूर्व जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में ऋणकर्ताओं से पूर्व भुगतान प्रीमियम प्रभारित करती है। ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल विवरण का विश्लेषण करके और नियत एवं परिवर्तनशील ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सृजन का मूल्यांकन करके ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

कंपनी को निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम का खतरा है जो अर्ध नियत दरों पर हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
रुपया ऋण	2,79,021.68	2,33,801.39	1,98,339.83

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी अनहेज़्ड एक्सपोजर पर कंपनी की परिवर्तनशील दरों वाली परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर ब्याज दर में 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या ह्रास के लिए पीएलएंडएल (अभिलाभ/(हानि)) पर प्रभाव को दर्शाती है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि
परिवर्तनशील दर वाली ऋण देयताएं	(85.53)	85.53	(19.80)	19.80	(20.62)	20.62
परिवर्तनशील/अर्ध-नियत दर वाली ऋण परिसंपत्तियां	907.60	(907.60)	760.51	(760.51)	648.49	(648.49)

*अन्य परिवर्तनशील अचल राशि धारक

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया बनी रहती है। 50 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि या कटौती ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के बारे में प्रबंधन के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है।

(ग) मूल्य जोखिम

सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में

कंपनी को उद्धृत इक्विटी शेयरों तथा उद्यम पूंजी निधियों में निवेश से उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम का खतरा है। कंपनी के इक्विटी निवेश रणनीतिक प्रयोजनों के लिए, न कि ट्रेडिंग के प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी ग्रुप के बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5% वृद्धि या ह्रास के लिए ओसीआई (अभिलाभ/(हानि)) पर प्रभाव को दर्शाती है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) पर प्रभाव	32.35	(32.35)	35.93	(35.93)	35.40	(35.40)

40.3 हेज लेखांकन

पीएफसी के संबंध में, एफवीटीपीएल पर डेरिवेटिव का मापन किया जाता है, जब तक कि हेज लेखांकन संबंध के अंतर्गत नामित न हो। कंपनी ने नकदी प्रवाह हेज के अंतर्गत कुछ डेरिवेटिव संविदाएं (मूलधन केवल स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप) निर्दिष्ट की हैं।

हेज प्रभावकारिता

महत्वपूर्ण शर्त मिलान विधि (जहां हेज लिखत एवं हेज मद की प्रधान शर्तें समान होती हैं) द्वारा कंपनी सुनिश्चित करती है कि हेज अत्यधिक प्रभावी हों, अर्थात हेज अनुपात लगभग 100% हो तथा रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को इसका पुनः मूल्यांकन किया जाता है।

नकदी प्रवाह हेज रिजर्व का मिलान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण*	वित्तीय वर्ष 2018-19	
		पीओएस	आईआरएस
1	शुरूआत में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व	-	-
2	ओसीआई में स्वीकृति हेज अभिलाभ/हानियां	(98.97)	(64.73)
3	पीएंडएल में स्वीकृति हेज प्रभावकारिता	-	-
4	ओसीआई से पीएंडएल में पुनः वर्गीकृत राशि#	(86.63)	0.02
5	अंत में नकदी प्रवाह हेज रिजर्व	(12.33)	(64.75)

*पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 से इंड एएस 109 के अनुसार हेज लेखांकन का प्रयोग करना शुरू किया है।

निवल परिवर्तन/लेन–देन विनिमय लाभ/हानि' नामक लाइन मद में प्रतिबिंबित

40.4 उचित मूल्य का मापन

ग्रुपों की कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को रिपोर्टिंग की प्रत्येक अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निम्नलिखित सारणी सूचना प्रदान करती है कि कैसे इन वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य निर्धारित किए जाते हैं (विशेष रूप से प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक एवं इनपुट)।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति/वित्तीय देयता	उचित मूल्य पर			उचित मूल्य का अनुक्रम	मूल्यांकन की तकनीक (तकनीकें) और प्रमुख इनपुट
		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	01 अप्रैल, 2017		
1	सूचीबद्ध इक्विटी लिखत	1,664.04	1,943.29	1,962.63	लेवल 1	उद्धृत बाजार मूल्य
2	कंपनी की बहियों में ऋणकर्ता कंपनियों के असूचीबद्ध इक्विटी लिखत	0.00	0.00	193.05#	लेवल 3	कंपनी ऋणकर्ता कंपनियों द्वारा देय राशि के गैर–भुगतान पर हेज का आह्वान करके इन लिखतों का अधिग्रहण करती है। इस समय, ये ऋणकर्ता क्रेडिट क्षतिग्रस्त हैं। इन लिखतों के विरूद्ध किसी राशि की वसूली की किसी संभावना के अभाव में इनका कंपनी द्वारा एक रुपए पर मूल्यांकन किया गया है। #1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार ऋणकर्ताओं में से एक को श्रेणी 1 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया तथा मूल्यांकक से इक्विटी लिखत का उचित मूल्यांकन प्राप्त किया गया।
3	आरईसीएल की बहियों में ऋणकर्ता कंपनियों के असूचीबद्ध इक्विटी लिखत	0.00	0.00	109.25	लेवल 3	आरईसीएल ने युनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) तथा लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड के अनुद्धृत इक्विटी लिखतों में निवेश किया है जिनको लेवल तीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा कंपनी विशिष्ट कारणों से कंपनी द्वारा शून्य मूल्य पर

क्र. सं.	वित्तीय परिसंपत्ति / वित्तीय देयता	उचित मूल्य पर			उचित मूल्य का अनुक्रम	मूल्यांकन की तकनीक (तकनीकें) और प्रमुख इनपुट
		31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	01 अप्रैल, 2017		
						अग्रेनीत किया गया है। यूसीएक्स 2014 में बंद हो गया जिससे सतत सरोकार के रूप में मौजूद होना समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण के परिवर्तन पर लैंको तीस्ता जल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड में निवेश प्राप्त किया था। चूंकि कंपनी ऋण पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट क्षति को मान्य कर चुकी है, इसलिए इक्विटी मूल्य को शून्य के रूप में माना गया है।
4	केएसके के ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' फंड की यूनिटें	12.36	12.52	12.60	लेवल 2	एसआईबी फंड द्वारा निर्दिष्ट निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी)
5	बॉण्डों में निवेश	2,366.71	2,310.46	3,328.52	लेवल 3	ग्रुप ने बॉण्ड लिखतों में निवेश किया है। ये बॉण्ड एनएसई / बीएसई पर सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्डों में ट्रेडिंग की किसी गतिविधि के अभाव में ऐसे हेज के लिए उद्धृत मूल्य का सुनिश्चय करना संभव नहीं है। छोटे किस्म के बॉण्डों के लिए बाजार ब्याज दर के अभाव में ग्रुप ने वर्तमान बाजार दर के रूप में कूपन दर पर विचार किया है और तदनुसार बट्टा नकदी प्रवाह विधि का प्रयोग करके उचित मूल्य की गणना की गई है। डिस्काउंट रेट में किसी वृद्धि से उचित मूल्य में कटौती होगी और विलोमतः।
6	डेरिवेटिव परिसंपत्ति डेरिवेटिव देयता	2,370.56 664.99	919.47 558.43	927.94 422.87	लेवल 2	कंपनी के मामले में, इन संविदाओं का उचित मूल्य समकक्ष पक्षों से प्राप्त किया जाता है, जो मूल्यांकन विधि का प्रयोग करके इसका निर्धारण करते हैं जिसमें ऐसे इनपुट का प्रयोग किया जाता है जो संविदाओं के लिए पालनीय होते हैं, जैसे कि ब्याज दर एवं लब्धि कर्व, अस्पष्ट अस्थिरताएं आदि। सहायक कंपनी आरईसीएल के मामले में, वायदा विनिमय दर, संविदा की परिपक्वता के अनुरूप ब्याज दर प्रच्छन्न अस्थिरता आदि सहित पालनीय इनपुट का प्रयोग करके स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा उचित मूल्य का निर्धारण किया गया है।

40.4.1 इस अवधि में लेवल–1 और लेवल–2 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ।

40.4.2 लेवल–3 के इनपुट के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य वाले वित्तीय लिखतों का मिलान :

निम्नलिखित सारणियां उचित मूल्य पर मापी गई ग्रुप की लेवल–3 की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रारंभिक एवं अंत राशियों का मिलान दर्शाती हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणकर्ता कंपनियों के असूचीबद्ध इक्विटी निवेश	बॉण्ड लिखतों में निवेश
वित्तीय वर्ष 2017-18		
प्रारंभिक शेष	**302.30**	**3,328.52**
निवल ब्याज आय	-	365.10
निपटान	-	(1,383.16)
ओसीआई में मान्य / लेवल 3 से अंतरित निवल हानि	(302.30)	-
अंतिम शेष	**-**	**2,310.46**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ	**-**	**10.46**
बजट अनुमान 2018-19		
प्रारंभिक शेष	**-**	**2,310.46**
निवल ब्याज आय	-	255.85
निपटान	-	(199.60)
अंतिम शेष	**-**	**2,366.71**
अवधि के अंत में धारित शेष पर अप्राप्त अभिलाभ	**-**	**66.71**

40.4.3 परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य :

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति/देयता	उचित मूल्य का अनुक्रम	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य	परिशोधित लागत	उचित मूल्य
ऋण	3	5,73,965.92	5,71,316.29	4,94,889.25	4,94,759.59	4,29,022.52	4,33,911.09
अन्य वित्तीय परिसंतियां	2	23,801.92	23,809.59	9,680.10	9,684.92	5,489.73	5,491.28
ऋण प्रतिभूतियां*	1 / 2	3,98,351.51	3,96,343.93	3,85,879.85	3,89,999.24	3,43,094.96	3,52,371.45
अन्य ऋण प्रतिभूतियां से भिन्न ऋण	2	1,14,269.54	1,14,708.46	48,711.42	48,833.10	30,891.17	30,942.66
सबॉर्डिनेटिड देयताएं	2	14,128.76	14,155.14	6,560.36	6,716.11	6,560.21	6,811.89

*लेवल–1 के उचित मूल्य अनुक्रम के साथ सूचीबद्ध लिखत शामिल हैं।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य बट्टा नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसरण में निर्धारित किया गया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिस्काउंट रेट है जो ऐसे मामलों को छोड़कर जहां उद्धृत बाजार मूल्य उपलब्ध हैं, समकक्ष पक्षों के क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है। तथापि, सहायक कंपनी आरईसीएल के मामले में पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण, समान विशेषताओं पर सजातीय समूहों में ऋण की यथासंभव समूहबद्धता का प्रयोग करके ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों की गणना की जाती है। इसके बाद आरईसीएल बट्टायुक्त नकदी प्रवाह माडलों का प्रयोग करके संपूर्ण पोर्टफोलियो के उचित मूल्य की गणना करता है तथा बहिर्वेशन करता है, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर के अनुमानों को समाविष्ट करते हैं। जहां ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक क्षतिग्रस्त माडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

लिबोर से संबद्ध विदेशी मुद्रा ऋण तथा बहुपक्षी एजेंसियों के ऋणों का मूल्यांकन सममूल्य पर किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से काफी करीब होती है। विदेशी मुद्रा ऋण में एमटीएन के निर्गम शामिल होते हैं जिनका मूल्यांकन रॉयटर के अनुसार अंतिम कीमत पर किया जाता है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के समीप पहुंचने के लिए उनकी वहन राशि पर विचार किया जाता है।

41 संबंधित पक्षकारों के प्रकटन

41.1 संबंधित पक्षकारों का नाम तथा संबंध का विवरणः

परिसंपत्ति/देयता			
1	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	2	सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
3	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	4	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड
5	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	6	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	8	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
9	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड
11	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	12	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड
13	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड
15	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)	16	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
17	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से) (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)	18	साउथ–सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से) (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)
19	मोहिंदरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से) (कंपनी रजिस्ट्रार के रिकॉर्डों से कंपनी का नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है)	20	बीकानेर–खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (22 फरवरी, 2019 को निगमित) (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
21	शोंगटोंग करचम–वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)	22	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (25 फरवरी, 2019 को निगमित) (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
23	बिजावर–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)	24	फतेहगढ़-II ट्रांस्को लिमिटेड (26 फरवरी, 2019 को निगमित) (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
25	वापी II –नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से)	26	लाकड़िया–वड़ोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (15 मार्च, 2019 को निगमित) (पीएफसीसीएल के माध्यम से)
27	डब्ल्यूआरएसएस XXI(ए) ट्रांस्को लिमिटेड (26 मार्च, 2019 को निगमित) (आरइसीएल के माध्यम से)	28	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
29	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से) (आरईसीटीपीसीएल, घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा एटीएल के बीच निष्पादित शेयर क्रय करार में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों पर 19 जून 2016 को मैसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) को हस्तांतरित किया गया)	30	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)

31	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	32	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
33	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	34	जवाहरपुर–फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड (20 अगस्त 2018 को निगमित तथा आरईसीटीपीसीएल, जवाहरपुर–फिरोजपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड और पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर क्रय करार में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों पर 21 दिसंबर 2018 को पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित) (आरईसीएल के माध्यम से)
35	भिंड–गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (18 सितंबर, 2018 को निगमित) (आरइसीएल के माध्यम से)	36	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड (29 नवंबर, 2018 को निगमित) (आरइसीएल के माध्यम से)
37	जम खम्बालिया ट्रांस्को लिमिटेड (11 मार्च, 2019 को निगमित) (आरइसीएल के माध्यम से)	38	खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड - (12 मार्च, 2019 को निगमित) (आरईसीएल के माध्यम से)
39	अजमेर ट्रांस्को लिमिटेड (19 मार्च, 2019 को निगमित) (आरइसीएल के माध्यम से)	40	लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड - (19 मार्च, 2019 को निगमित) (आरईसीएल के माध्यम से)
संयुक्त उद्यम :			
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	2	क्रीघटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
3	ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	4	एडीना एक्विजीशन लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
5	एनेको एनर्जी सर्विसेज (साउथ) लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	6	एडीना लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
7	इपीएएल होल्डिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	8	एडीना आस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
9	एडीना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	10	स्टैनबेक लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
11	एडीना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	12	एडीना पावर लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)
13	अरमौरा होल्डिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)	14	एडीना मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड (ईईएसएल के माध्यम से)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :		पदनाम
कंपनी के मामले में,		
1	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री एन बी गुप्ता	निदेशक (वित्त)
3	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30 अप्रैल, 2019 को अधिवर्षिता प्राप्त की थी)	निदेशक (परियोजना)
4	श्री डी रवि (31 मई, 2018 तक)	निदेशक (वाणिज्यिक)
5	श्री पी.के. सिंह (10 अगस्त, 2018)	निदेशक (वाणिज्यिक)
6	श्री अरुण कुमार वर्मा	सरकारी नामिती निदेशक
7	श्री सीताराम पारीक	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
8	श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
9	श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव
सहायक कंपनी आरईसीएल के संबंध में		
1	डॉ पी.वी. रमेश (05 मार्च, 2019 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (6 मार्च, 2019 से) और निदेशक (वित्त)
3	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)
4	श्री अरुण कुमार वर्मा	सरकारी नामिती निदेशक
5	श्री अरावमुदन कृष्ण कुमार	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
6	श्रीमती आशा स्वरुप	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
7	डॉ. भागवत किशनराव (17 जुलाई, 2018 से)	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
8	प्रोफेसर टी.टी.राम मोहन	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
9	श्री जे. एस. अमिताभ	जीएम और कंपनी सचिव

सहायक कंपनी पीएफसीसीएल के संबंध में			
1	श्री राजीव शर्मा (1 अक्तूबर, 2016 से)	अध्यक्ष	
2	श्री डी रवि (31 मई, 2018 तक)	निदेशक	
3	श्री सी गंगोपाध्याय (25 जनवरी, 2015 से)	निदेशक	
4	श्री पी के सिंह (17 सितंबर, 2018 से)	निदेशक	
5	श्री एन बी गुप्ता (24 अगस्त, 2017 से)	निदेशक	
6	श्री सुबीर मूलचंदानी (9 अक्तूबर, 2018 तक)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
7	श्री योगेश जुनेजा (10 अक्तूबर, 2018 से)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	
8	श्री मनीष कुमार अग्रवाल	कंपनी सचिव	
सहायक कंपनी पीईसीएपी के संबंध में,			
1	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (30 अप्रैल, 2019 को अधिवर्षिता प्राप्त की थी)	निदेशक	
2	श्री आलोक सूद	निदेशक	
3	श्री गौरीशंकर पात्रा	निदेशक	
कंपनी के नियंत्रण के अधीन ट्रस्ट/फंड			
1	पीएफसी कार्मिक भविष्य निधि ट्रस्ट	2	पीएफसी कार्मिक ग्रेच्युटी ट्रस्ट
3	पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007	4	पीएफसी लिमिटेड अधिवार्षिता मेडिकल फंड
आरईसीएल के ट्रस्ट/फंड/सोसाइटी			
1	आरईसी सेवानिवृत्त कार्मिक चिकित्सा न्यास	2	आरईसी कार्मिक अधिवर्षिता न्यास
3	आरईसी उपदान निधि	4	आरईसी लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि न्यास
5	आरईसी फाउंडेशन		

41.2 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन निम्नानुसार है :

ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में अंतर समूह संबंधित पक्षकार लेन–देन तथा सहायक कंपनियों के साथ बकाया शेषों का उन्मूलन किया जाता है। अतः समूह संबंधित पक्षकार लेन–देन में इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान
संयुक्त उद्यम		
ईईएसएल में इक्विटी निवेश	99.00	-
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	4.01	12.92
अन्य	0.24	4.24
सहयोगी कंपनियां		
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम	3.71	42.21
सहयोगी कंपनियों को अग्रिम पर ब्याज आय	26.68	17.87
सहयोगी कंपनियों से प्राप्त अग्रिम	30.62	7.12
सहयोगी कंपनियों से अग्रिम पर ब्याज व्यय	6.14	5.93
अन्य	10.31	26.32
ग्रुप के ट्रस्ट/फंड/फाउंडेशन		
वर्ष के दौरान किए गए अंशदान	107.61	18.89
ग्रुप के बॉण्डों का सबस्क्रिप्शन	30.50	-
वित्त लागत–भुगतान किया गया ब्याज	0.27	0.27
सीएसआर व्यय	98.83	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
अल्पावधि कार्मिक हितलाभ	7.74	4.57
नियोजन पश्चात हितलाभ	0.67	0.46
अन्य दीर्घावधि लाभ	0.24	0.61
ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान/वसूली	(0.09)	(0.02)
निदेशक बैठक शुल्क	0.36	0.24
अन्य	0.02	0.01

41.3 संबंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
ऋणों एवं अग्रिमों के लिए वसूली योग्य राशि (ब्याज सहित)			
सहयोगी कंपनियां	209.07	179.93	120.34
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	0.98	1.08	1.03
संयुक्त उद्यम	0.23	-	-
ऋणों एवं अग्रिमों के लिए देय राशि (ब्याज सहित)			
सहयोगी कंपनियां	188.20	157.19	160.73
अन्य			
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1.23	0.38	0.39
नियोजन पश्चात हितलाभ योजनाएं	39.35	6.44	17.23

41.4 समान सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थाओं (सरकार से संबद्ध संस्थाओं) के संबंध में प्रकटन

कंपनी केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है। सरकार से संबद्ध संस्थाओं जिनके साथ ग्रुप ने लेन–देन किया है, उनकी सूची :

कोल इंडिया लिमिटेड	रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एनएचपीसी लिमिटेड	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड
भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
नेयवेली यूपी पावर लिमिटेड	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड
एमएसटीसी लिमिटेड	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

सरकार से संबद्ध संस्थाओं के साथ सकल लेन–देन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान
प्राप्त लाभांश	42.94	54.83
ऋणों का संवितरण	8,011.46	11,924.28

ग्रुप ने सरकार से संबद्ध संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋणों पर ₹ 6,217.62 करोड़ का ब्याज (पिछले वर्ष ₹ 5,940.60 करोड़) तथा मूलधन का पुनर्भुगतान भी प्राप्त किया है।

सरकार से संबद्ध संस्थाओं के साथ उपर्युक्त लेन–देन में ऐसे लेन–देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेन–देन जैसे कि टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा तथा डिपॉजिट आदि भी किया है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इनका खुलासा नहीं किया गया है। सभी लेन–देन को बाजार की शर्तों पर अग्रनीत किया जाता है।

41.5 संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन की निबंधन एवं शर्तें

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन ऐसी शर्तों से समतुल्य शर्तों पर किया जाता है जो निकटस्थ लेन–देन में प्रचलित होती हैं।

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा स्टाफ ऋण संबंधित कंपनियों के सेवा नियमों के अनुरूप हैं।

(iii) प्रारंभिक व्यय को वहन करने के लिए कंपनी अपनी सहयोगी कंपनियों को अग्रिम देती है जिनको एसपीवी के रूप में निगमित किया गया है। कंपनी की नीति के अनुसार सावधि ऋणों पर लागू दर से ऐसे अग्रिमों पर ब्याज दर लगाई जाती है।

(iv) वर्ष के अंत में सहयोगी कंपनियों के बकाया शेष अप्रतिभूत हैं।

42 कार्मिक हितलाभ

42.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क) पेंशन

ग्रुप की कंपनियां कार्मिकों के लिए अपनी पेंशन बाध्यता के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में अंशदान करती हैं जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करती है।

ख) भविष्य निधि

ग्रुप की कंपनियां निर्धारित दरों पर एक अलग न्यास को भविष्य निधि के लिए नियत अंशदान का भुगतान करती हैं, जो निधियों का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। न्यास को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम दर का सुनिश्चय करना है। तथापि, प्रतिफल की निर्धारित दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी कमी की कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए कोई अग्रेतर प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

ग्रुप ने निश्चित अंशदान योजनाओं के लिए ₹ 25.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 23.36 करोड़) के व्यय को मान्य किया है।

42.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं :

क) उपदान

ग्रुप की कंपनियों की एक स्पष्ट उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास करता है। यथा संशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कार्मिक जिसने 5 वर्ष या अधिक अवधि तक लगातार सेवा की है, अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, दिव्यांगता या मृत्यु पर अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ के अधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन पर उपदान के लिए हकदार है। इसके लिए देयता को बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	68.91	78.16	73.57
योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	69.90	72.73	57.43
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	(0.99)	5.43	16.14

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता		योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
प्रारंभिक शेष	**78.16**	**73.57**	**72.73**	**57.43**	**5.43**	**16.14**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	4.41	3.73	-	-	4.41	3.73
पिछली सेवा लागत	-	10.87	-	-	-	10.87
ब्याजगत लागत/आय	6.03	5.54	5.60	4.60	0.43	0.94
लाभ या हानि में मान्य कुल राशि	**10.44**	**20.14**	**5.60**	**4.60**	**4.84**	**15.54**
ओसीआई में शामिल						
पुनः मापन हानि/(अभिलाभ)						
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(0.25)	(0.49)	-	-	(0.25)	(0.49)
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(3.50)	(9.66)	-	-	(3.50)	(9.66)
जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	(2.70)	(0.77)	-	-	(2.70)	(0.77)
ब्याज आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	0.42	0.27	(0.42)	(0.27)
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**(6.45)**	**(10.92)**	**0.42**	**0.27**	**(6.87)**	**(11.19)**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	2.84	13.63	(2.84)	(13.63)
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	1.55	1.43	(1.55)	(1.43)
संदत्त हितलाभ	(13.24)	(4.63)	(13.24)	(4.63)	-	-
अंतिम शेष	**68.91**	**78.16**	**69.90**	**72.73**	**(0.99)**	**5.43**

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कार्मिकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रुप की कंपनियों की एक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) है। कंपनियों के लिए अलग ट्रस्टों द्वारा इस योजना का प्रबंधन किया जाता है और पीआरएमएस के लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य किया जाता है।

ट्रस्ट को कंपनी के सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त कॉरपस सुनिश्चित करना होता है। तथापि, कंपनी द्वारा किसी कमी की प्रतिपूर्ति की जानी होती है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए किसी अन्य प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित हितलाभ बाध्यता	164.91	133.00	118.97
योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	126.50	22.20	18.15
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	38.41	110.80	100.82

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता		योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
प्रारंभिक शेष	**133.00**	**118.97**	**22.20**	**18.15**	**110.80**	**100.82**
लाभ या हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	3.40	2.98	-	-	3.40	2.98
ब्याजगत लागत/आय	10.18	8.92	3.00	1.45	7.18	7.47
लाभ या हानि में मान्य कुल राशि	**13.58**	**11.90**	**3.00**	**1.45**	**10.58**	**10.45**
ओसीआई में शामिल						
पुनः मापन हानि/(अभिलाभ)						
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(5.87)	3.95	-	-	(5.87)	3.95
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	33.83	8.53	-	-	33.83	8.53
जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	1.64	(0.33)	-	-	1.64	(0.33)
ब्याजगत आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	0.09	0.24	(0.09)	(0.24)
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**29.60**	**12.15**	**0.09**	**0.24**	**29.51**	**11.91**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	96.78	0.03	(96.78)	(0.03)
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-	6.53	4.04	(6.53)	(4.04)
संदत्त हितलाभ	(11.27)	(10.02)	(2.10)	(1.71)	(9.17)	(8.31)
अंतिम शेष	**164.91**	**133.00**	**126.50**	**22.20**	**38.41**	**110.80**

(ग) आर्थिक पुनर्वास योजना

किसी कार्मिक की स्थाई दिव्यांगता/मृत्यु के मामले में मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए ग्रुप की कंपनियों की एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना गैर वित्तपोषित है तथा बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर देयता का निर्धारण किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5.38	5.01	5.08

परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ बाध्यता	
	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**5.01**	**5.08**
लाभ या हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.52	0.53
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याजगत लागत/आय	0.39	0.40
लाभ या हानि में मान्य कुल राशि	**0.91**	**0.93**
ओसीआई में शामिल		
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	(0.02)	(0.04)
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक हानि (अभिलाभ)	0.37	(0.01)
जनांकिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	(0.05)
ब्याजगत आय को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
ओसीआई में मान्य कुल राशि	**0.35**	**(0.10)**
प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-
नियोक्ताओं द्वारा अंशदान	-	-
संदत्त हितलाभ	(0.89)	(0.90)
अंतिम शेष	**5.38**	**5.01**

घ. जोखिम एक्सपोजर

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के माध्यम से ग्रुप की कंपनियों को अनेक जोखिमों का खतरा है जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

i. परिसंपत्ति की अस्थिरता

अधिकांश योजनागत परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च ग्रेड की अन्य नियत आय प्रतिभूतियों तथा म्युचुअल फंड में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तन तथा अन्य बाजार एवं स्थूल आर्थिक कारकों के कारण अस्थिरता के अधीन है।

ii. डिस्काउंट रेट में परिवर्तन

डिस्काउंट रेट का प्रयोग करके परिभाषित हितलाभ की योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार लब्धियों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। डिस्काउंट रेट में कटौती से योजनागत देयताओं के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि होगी, हालांकि यह योजनागत निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से प्रतितुलित (ऑफसेट) होगा।

iii. दीर्घायुता जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के नियोजन के दौरान तथा उनके नियोजन के पश्चात भी मृत्यु के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में निश्चित हितलाभ योजनाओं की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। योजना के प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

iv. वेतन जोखिम

योजना के प्रतिभागियों के भावी वेतन के संदर्भ में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की देयता के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है। इस प्रकार, योजना के प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

ङ. योजना की परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का मूल्य इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
नकदी और नकदी समतुल्य	1.67	0.99	0.94
राज्य/केंद्र सरकार की ऋण प्रतिभूतियां	28.67	24.22	20.93
कॉर्पोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	119.95	19.12	16.68
अन्य	44.94	49.58	36.19
कुल	**195.23**	**93.91**	**74.74**

– 31 मार्च, 2019 को ₹ 4.80 करोड़ (31 मार्च, 2018 को ₹ 3.60 करोड़ और 01 अप्रैल, 2017 को ₹ 3.60 करोड़) की राशि योजनागत परिसंपत्तियों के मूल्य में शामिल की गई है (ग्रुप के अपने वित्तीय लिखतों (कॉर्पोरेट बॉण्ड) के संबंध में)।

– योजना की परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल ₹ 9.02 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 6.51 करोड़)।

च. बीमांकिकी की महत्वपूर्ण मान्यताएं

योजनागत परिसंपत्तियों के सर्वाधिक अद्यतन बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य ट्रांस मूल्य परामर्शदाताओं द्वारा 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तैयार किया गया। प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके परिभाषित हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य तथा संबंधित मौजूदा सेवाओं तथा पिछली सेवाओं की लागत मापी गई।

कंपनी के मामले में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रधान मान्यताएं इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
डिस्काउंट दर	7.81%	7.87%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम के अनुसार (2012–14) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2006–08) अंतिम	आईएएलएम के अनुसार (2006–08) अंतिम

सहायक कंपनी आरईसीएल के मामले में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रधान मान्यताएं इस प्रकार हैं :

विवरण	उपदान		पीआरएमएस		ईआरएस	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
प्रयुक्त विधि				पीयूसीएम		
योजना की परिसंपत्तियों पर डिस्काउंट रेट एवं अपेक्षित प्रतिफल	7.71%	7.60%	7.71%	7.60%	7.71%	7.60%
भावी वेतन वृद्धि/चिकित्सा व्यय में वृद्धि	6.00%	6.50%	6.00%	6.50%	6.00%	6.50%
कार्मिकों का अपेक्षित औसत शेष कार्यकाल (वर्ष)	13.12	12.82	13.12	12.82	13.12	12.82

छ) **संवेदनशीलता विश्लेषण**

अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए संगत बीमांकिक मान्यताओं में से एक में रिपोर्टिंग तारीख को तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तनों से परिभाषित हितलाभ बाध्यता नीचे दर्शायी गई राशि के अनुसार प्रभावित होगी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास
डिस्काउंट दर (0.50% मूवमेंट)						
- उपदान	(0.99)	1.05	(0.92)	0.98	(0.82)	0.92
- पीआरएमएस	(2.67)	3.00	(2.11)	2.38	(1.66)	1.86
- ईआरएस	(0.06)	0.07	(0.06)	0.07	(0.06)	0.07
वेतन वृद्धि दर (0.50% मूवमेंट)						
- उपदान	0.25	(0.20)	0.21	(0.15)	0.16	(0.14)
- पीआरएमएस	2.87	(2.64)	2.27	(2.09)	1.78	(1.64)
- ईआरएस	0.06	(0.05)	0.06	(0.05)	0.06	(0.05)

सहायक कंपनी, आरईसीएल के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास	वृद्धि	ह्रास
डिस्काउंट दर (0.50% मूवमेंट)						
- उपदान	(0.89)	1.10	(1.12)	1.19	(1.16)	1.23
- पीआरएमएस	(0.77)	0.84	(0.43)	0.46	(4.83)	5.07
- ईआरएस	(0.13)	0.15	(0.12)	0.13	(0.12)	0.14
वेतन वृद्धि दर (0.50% मूवमेंट)						
- उपदान	0.15	(0.12)	0.46	(0.50)	0.62	(0.69)
- पीआरएमएस	-	-	-	-	-	-
- ईआरएस	0.14	(0.12)	0.12	(0.11)	0.13	(0.11)
चिकित्सा व्यय वृद्धि दर (0.50% मूवमेंट)						
- पीआरएमएस	6.31	(5.92)	-	-	-	-
चिकित्सा लागत (0.50% मूवमेंट)						
- पीआरएमएस	12.98	(12.98)	-	-	-	-

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित हितलाभ बाध्यता में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि इस बात की संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग रहकर होंगे क्योंकि कुछ मान्यताएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं।

ग्रुप इस बात की सक्रियता से मॉनीटरिंग करता है कि कैसे निवेशों की अवधि तथा अपेक्षित लब्धि कार्मिक हितलाभ बाध्यताओं से उत्पन्न अपेक्षित नकदी बर्हिप्रवाहों से मैच कर रहा है। निवेशों में इतनी विविधता है कि किसी एकल निवेश में विफलता से परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर सारवान प्रभाव नहीं होगा। अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए ग्रुप द्वारा पिछली अवधियों में प्रयुक्त प्रक्रिया से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ज. **भावी वर्षों में परिभाषित हितलाभ योजनाओं का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

	1 वर्ष तक	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार				
उपदान	13.61	31.09	57.13	101.83
पीआरएमएस	11.12	59.41	112.27	182.80
ईआरएस	1.01	2.94	3.34	7.29
कुल	**25.74**	**93.44**	**172.74**	**291.92**
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार				
उपदान	13.80	38.75	56.52	109.07
पीआरएमएस	6.62	33.98	108.67	149.27
ईआरएस	0.19	2.51	4.07	6.77
कुल	**20.61**	**75.24**	**169.26**	**265.11**
01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार				
उपदान	8.81	32.17	41.59	82.57
पीआरएमएस	5.60	29.85	95.40	130.85
ईआरएस	0.16	2.39	3.48	6.03
कुल	**14.57**	**64.41**	**140.47**	**219.45**

उपर्युक्त सारणी अपेक्षित नकदी प्रवाहों के आधार पर तैयार की गई है।

झ. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सेवा निवृत्ति पश्चात हितलाभ योजनाओं में अपेक्षित अंशदान ₹ 47.40 करोड़ है।

ञ. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के लिए परिभाषित हितलाभ योजना बाध्यता की भारित औसत अवधि 16.98 वर्ष (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 18.36 वर्ष, 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार 19.01 वर्ष) और सहायक कंपनी आरईसीएल के लिए 12.76 वर्ष (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 12.82 वर्ष, 01 अप्रैल 2017 स्थिति के अनुसार 13.08 वर्ष) है।

42.3 अन्य दीर्घावधि कार्मिक हितलाभ

(क) अवकाश

ग्रुप की कंपनियां कार्मिक के खाते में अर्जित छुट्टी हितलाभ तथा अर्ध वेतन छुट्टी हितलाभ प्रदान करती हैं, जो क्रमशः 15 दिन और 10 दिन की दर से छमाही आधार पर प्रोद्भूत होता है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों की अर्जित छुट्टी संचित की जा सकती हैं। अर्ध वेतन छुट्टी के संचय की कोई सीमा नहीं है। 10 वर्ष की सेवा के बाद अलग होने पर या अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी तथा अर्धवेतन छुट्टी का एक साथ अधिकतम 300 दिनों के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। तथापि, सेवा से अलग होने पर अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। आरईसीपीसीडीएल के मामले में, कार्मिक केवल एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद छुट्टी नकदीकरण के लिए हकदार हैं और अलग होने के समय पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए ₹ 17.54 करोड़ के प्रावधान (पिछले वर्ष ₹ 18.11 करोड़) वर्ष के अंत में किया गया है तथा लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

(ख) अन्य कार्मिक हितलाभ

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर व्यवस्थापन भत्ता तथा दीर्घ सेवा अवॉर्ड के लिए इस वर्ष हेतु ₹ 3.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.46 करोड़) का प्रावधान किया गया है। और लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में डेबिट किया गया है।

42.4 प्रतिनियुक्ति/सेकंडमेंट आधार पर कंपनी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन वाली सहायक कंपनियों में काम करने वाले कार्मिकों के संबंध में कार्मिक हितलाभों (अर्थात उपदान) पीआरएमएस, सेवांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य कार्मिक हितलाभ) को कार्मिक लागत के नियत % के आधार पर आबंटित किया जा रहा है।

43 इंड एस 12 ''आयकर'' के अनुसार प्रकटन

43.1 लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में मान्य किया गया आयकर :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
निम्नलिखित के संबंध में वर्तमान कर व्ययः		
वर्तमान वर्ष	4,182.75	4,656.89
पिछले वर्षों का समायोजन	(12.75)	9.94
कुल वर्तमान कर व्यय	**4,170.00**	**4,666.83**
आस्थगित कर व्यय	**1,051.76**	**(1,684.08)**
कुल आयकर व्यय	**5,221.76**	**2,982.75**

43.2 कर व्यय तथा लेखांकन लाभ का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
कर पूर्व लाभ	**17862.03**	**11,779.44**
कंपनी की 34.944% की घरेलू कर दर का प्रयोग करके कर (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 34.608%)	**6,241.71**	**4,076.63**
निम्नलिखित का कर प्रभाव :		
गैर कटौती योग्य कर व्यय	62.84	61.53
कर से छूट प्राप्त आय	(66.94)	(61.06)
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती	(1,013.90)	(1,094.47)
अन्य	13.12	(7.76)
पिछले वर्ष की कर देयता	(12.75)	33.84
कर की दर में परिवर्तन	(2.32)	(25.96)
लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में कुल कर व्यय	**5,221.76**	**2,982.75**

43.3 शिक्षा उपकर 3% से बढ़कर 4% हो जाने के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कर दर 34.608% से बढ़कर 34.944% हो गई है।

43.4 कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानियां/अग्रेनीत अप्रयुक्त कर क्रेडिट

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	समाप्ति की तारीख	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	समाप्ति की तारीख
कटौती योग्य अस्थायी अंतर/अप्रयुक्त कर हानि/अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिसके लिए कोई आस्थगितकर परिसंपत्ति मान्य नहीं की गई है	1.25 2.54	31.03.2024 31.03.2025	1.25 2.54	31.03.2024 31.03.2025

43.5 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों (आरबीडीडी) के लिए रिजर्व से अधिक संचित क्षतिग्रस्तता हानि छूट की राशि पर कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल ने आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य की है। पारगमन की तारीख को तथा तुलनीय परिणामों में उपयुक्त समायोजन भी किया गया है।

43.6 आस्थगित कर शेष में मूवमेंट :

वित्तीय वर्ष 2018–19

(₹ करोड़ में)

	विवरण	01 अप्रैल, 2018 को निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	31 मार्च, 2019 को निवल शेष
(क)	**आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)**				
(i)	आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान के आधार पर कटौती योग्य व्यय के लिए प्रावधान	29.50	10.03	1.69	41.22
(ii)	वित्तीय परिसंपत्तियों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता छूट	7,835.96	(442.00)	-	7393.96
(iii)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	(2.25)	0.80	-	(1.45)
(iv)	डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	10.91	(18.32)	26.93	19.52
(ख)	**आस्थगित कर देयताएं (-)**				
(i)	पट्टा आय	(66.64)	-	-	(66.64)
(ii)	अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(165.76)	(372.69)	-	(538.45)
(iii)	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं	(99.77)	(271.74)	-	(371.51)
(iv)	अन्य	(148.40)	42.17	(0.68)	(106.91)
	निवल आस्थगित कर देयताएं (-)/ परिसंपत्तियां (+)	**7,393.55**	**(1,051.76)**	**27.94**	**6369.74**

वित्तीय वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

	विवरण	01 अप्रैल, 2017 को निवल शेष	लाभ या हानि में मान्य	ओसीआई में मान्य	31 मार्च, 2018 को निवल शेष
(क)	**आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)**				
(i)	आयकर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान के आधार पर कटौती योग्य व्यय के लिए प्रावधान	38.27	(10.55)	1.78	29.50
(ii)	वित्तीय परिसंपत्तियों पर आरबीडीडी से अधिक क्षतिग्रस्तता छूट	6,383.19	1,452.77	-	7,835.96
(iii)	मूल्यहास एवं परिशोधन	(3.83)	1.58	-	(2.25)
(iv)	डेरिवेटिव का उचित मूल्य (निवल)	(168.56)	179.47	-	10.91
(ख)	**आस्थगित कर देयताएं (-)**				
(i)	पट्टा आय	(66.00)	(0.64)	-	(66.64)
(ii)	अपरिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(30.24)	(135.52)	-	(165.76)
(iii)	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं	(96.76)	(3.01)	-	(99.77)
(iv)	अन्य	(348.26)	199.96	(0.10)	(148.40)
	निवल आस्थगित कर देयताएं (-)/ परिसंपत्तियां (+)	**5,707.82**	**1,684.08**	**1.68**	**7,393.55**

44 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
एफवीटीओसीआई पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेशों पर लाभांश		
- वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	67.56	85.60
- वर्ष के दौरान विमान्य किए गए निवेशों पर	0.80	-
उप जोड़	68.36	85.60
म्यूचुअल फंड पर लाभांश	8.27	6.53
कुल	**76.63**	**92.13**

45 निवल परिवर्तन/लेन–देन विनिमय हानि (+)/अभिलाभ (-)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
एलटीएफसीएमआई के परिर्वतन के कारण निवल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि (+)/लाभ(-)	1,041.42	232.47

46 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

46.1 वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर ग्रुप द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित सकल राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2017–18
खर्च करने के लिए अपेक्षित सकल राशि	684.42	561.62
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	206.32	170.21
खर्च न की गई राशि	478.10	391.41

46.2 वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर खर्च की गई राशि :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19			वित्तीय वर्ष 2017-18		
		प्रदत्त या निपटान	अभी भुगतान किया जाना है	कुल	प्रदत्त या निपटान	अभी भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपर्युक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
(iiक)	स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/ पेयजल	9.95	0.06	10.01	62.13	0.06	62.19
(iiख)	शिक्षा/व्यावसायिक कौशल विकास	17.07	-	17.07	27.35	-	27.35
(iiग)	पर्यावरणीय संधारणीयता (सोलर एप्लीकेशन/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	116.72	-	116.72	73.02	0.81	73.83
(iiघ)	खेल	0.06	-	0.06	0.24	-	0.24
(iiङ.)	अन्य	52.67	-	52.67	2.53	-	2.53
(iiच)	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक उपरिव्यय जो सीएसआर पर खर्च करने के लिए अपेक्षित कुल राशि के 5% तक सीमित है	9.85	-	9.85	4.94	-	4.94
	कुल	**206.32**	**0.06**	**206.38**	**170.21**	**0.87**	**171.08**

47 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
आकस्मिक देयताएं				
(i)	गारंटियां#	121.49	153.75	190.38
(ii)	कंपनी के विरुद्ध दावे जिनको ऋण के रूप में नहीं माना गया	0.08	0.08	2.37
(iii)	संस्वीकृत ऋणों के विरुद्ध चुकौती आश्वासन पत्र के रूप में ऋणकर्ताओं को संवितरण की बकाया प्रतिबद्धताएं	1,019.06	1,708.11	1,813.92
(iv)	(क) पिछले वर्षों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा की गई अतिरिक्त मांगें जिनका विरोध किया जा रहा है।*	153.26	146.03	83.51
	(ख) इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा कंपनी को प्रदान की गई राहत के विरुद्ध अपील की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	233.42	202.46	205.57
(v)	(क) पिछले वर्षों के संबंध में सेवाकर विभाग द्वारा की गई सेवा का मांग या कारण बताओ नोटिस जिनका विरोध किया जा रहा है।	1.4	1.4	23.87
	(ख) इसके अतिरिक्त सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीई एंड एसटी) के उस आदेश के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील भी दाखिल की है जिन्होंने सेवा कर की मांग को निरस्त कर दिया था। इसका भी विरोध किया जा रहा है।	21.53	1.11	1.11
(vi)	बैंक गारंटी	29.86	32.58	35.32
प्रतिबद्धताएं				
(i)	ऐसी संविदाओं की अनुमानित राशि जो पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी है तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है@	795.45	879.45	274.93
(ii)	अन्य प्रतिबद्धताएं–सीएसआर की खर्च न की गई राशि	478.10	391.41	244.19
	कुल	**2,853.65**	**3,516.38**	**2,875.17**

ऋणकर्ता कंपनी के पक्ष में कंपनी द्वारा प्रदान की गई डिफॉल्ट भुगतान गारंटी। गारंटी के विरूद्ध प्रदत्त/देय राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

*कंपनी के संबंध में उक्त मांगों में से, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 59.90 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 5.01 करोड़ और 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 40.53 करोड़) की राशि अन्य कर निर्धारण वर्षों के रिफंड के विरूद्ध जमा/समायोजित की जा चुकी है।

@इसमें आरईसीएल की ₹ 362.23 करोड़ (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 403.75 करोड़, 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 272.33 करोड़) की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए तथा ₹ 2.82 करोड़ (31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 1.93 करोड़, 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 2.60 करोड़) की अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदा शामिल है।

48 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के अंत में अदत्त मूलधन	2.65	1.83	0.30
उस पर देय ब्याज जो वर्ष के अंत में अदत्त है	0.39	0.14	0.06
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज	-	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय एवं संदेय ब्याज परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज शामिल किए बगैर।	-	-	-
वर्ष के अंत में प्रोद्भूत तथा अदत्त ब्याज	0.39	0.14	0.06
उत्तरवर्ती वर्षों में भी ऐसी तारीख तक जब उपर्युक्त के अनुसार लघु उद्यम को देय ब्याज का वस्तुतः भुगतान किया जाता है, देय और संदेय बना रहने वाला ब्याज	-	-	-

49 इंड एस 33 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार प्रकटन

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	9,920.86	6,688.69
डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बुनियादी)	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (तनुकृत)	2,64,00,81,408	2,64,00,81,408
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक (बुनियादी) (₹)	37.58	25.34
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक (तनुकृत) (₹)	37.58	25.34

50 ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के कंपनी के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19			वित्तीय वर्ष 2017-18		
	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)	शेयर पूंजी का %	प्रति इक्विटी शेयर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)
प्रथम अंतरिम लाभांश	–	–	–	60%	6.00	1,584.05
द्वितीय अंतरिम लाभांश	–	–	–	18%	1.80	475.21
अंतिम लाभांश	–	–	–	–	–	–
कुल लाभांश	–	–	–	**78%**	**7.80**	**2,059.26**

51 ग्रुप की अपूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का ब्योरा जिनमें सारवान गैर–नियंत्रक हित है

सहायक कंपनी का नाम	धारित स्वामित्व हित का अनुपात			गैर नियंत्रक हितों को आबंटित टीसीआई (₹ करोड़ में)		संचयी गैर नियंत्रक हित (₹ करोड़ में)		
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
आरईसी लि.	47.37%	47.37%	47.37%	2,690.71	2,110.68	16,362.91	15,435.18	14,592.93

52 ग्रुप की सहायक कंपनियों जिनके सारवान गैर–नियंत्रक हित हैं, के लिए वित्तीय सूचना का सारांश (अंतर ग्रुप उन्मूलन से पूर्व) :

(₹ करोड़ में)

आरईसीएल	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियां	1,39,799.84	1,13,181.07	95,737.81
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	1,563.25	1,617.72	1,241.85
वित्तीय देयताएं	1,24,903.10	99,206.56	82,261.92
गैर–वित्तीय देयताएं	97.06	157.05	124.81
कंपनी के स्वामियों को आरोप्य इक्विटी	18,183.42	17,152.44	16,216.50
गैर–नियंत्रण हित	16,362.92	15,435.17	14,592.93

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
कुल राजस्व	25,431.33	22,666.39
कुल व्यय	17,350.84	16,719.54
वर्ष के लिए लाभ	5,741.38	4,450.52
कंपनी के स्वामियों को आरोप्य लाभ	3,021.97	2,342.52
गैर नियंत्रण अधिकारों पर आरोप्य लाभ	2,719.41	2,108.00
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य अन्य व्यापक आय	(31.89)	2.98
गैर नियंत्रण हितों पर आरोप्य अन्य व्यापक आय	(28.70)	2.69
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(60.59)	5.67
कंपनी के स्वामियों पर आरोप्य कुल व्यापक आय	2,990.08	2,345.51
गैर नियंत्रण हितों पर आरोप्य कुल व्यापक आय	2,690.71	2,110.68
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	5,680.79	4,456.19
अन्य नियंत्रण हितों को संदत्त लाभांश	1,192.66	940.10
प्रचालन की गतिविधियों से निवल नकदी अंत:प्रवाह (बहिर्प्रवाह)	(35,865.80)	(32,509.81)
वित्त पोषण की गतिविधियों से निवल नकदी अंत:प्रवाह (बहिर्प्रवाह)	456.77	45.88
निवेश की गतिविधियों से निवल नकदी अंत:प्रवाह (बहिर्प्रवाह)	35,542.59	28,243.85
निवल नकदी प्रवाह (बहिर्प्रवाह)	133.56	(4,220.08)

53 पहली बार इंड एएस अपनाने के लिए समाधान

31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल इक्विटी का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार
समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार पिछले जीएएपी के अंतर्गत यथासूचित कुल इक्विटी (शेयरधारक निधि)		**40,201.74**	**36,844.91**
व्यवसाय संयोजन के कारण समायोजन	1	34,832.80	32,631.06
निम्नलिखित से संबंधित समायोजन			
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)/आय	(क)	(157.09)	275.66
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)	(ख)	373.79	531.35
डेरिवेटिव (पहले एएस 11 के माध्यम से अभिशासित वायदा संविदाएं)	(छ)	58.56	438.40
क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(ड.)	(14,835.42)	(12,102.55)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी लिखत	(घ)	134.24	427.59
संयुक्त उद्यमों की इक्विटी विधि से लेखांकन का प्रभाव	(झ)	0.86	(11.50)
सहायक कंपनी के अधिग्रहण पर पूंजी रिजर्व		(13,461.00)	(13,461.00)
अन्य		367.41	444.46
उपर्युक्त पर आस्थगित कर प्रभाव (डीटीए/डीटीएल)	(च)	(69.66)	(373.99)
कर योग्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अधिक संचित क्षतिग्रस्तता छूट की राशि पर डीटीए	43.5	7,823.52	6,371.11
कुल समायोजन		**15,068.01**	**15,170.55**
इंड एएस के अंतर्गत यथासूचित कुल इक्विटी (शेयरधारक निधि)		**55,269.75**	**52,015.50**

53.2 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल समेकित आय का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार वर्ष के लिए पिछले जीएएपी के अंतर्गत यथासूचित लाभ		5,844.11
व्यवसाय संयोजन के कारण समायोजन	1	4,689.46
निम्नलिखित से संबंधित समायोजन		
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)/आय	(क)	(432.75)
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)	(ख)	(157.55)
डेरिवेटिव (पहले एएस 11 के माध्यम से अभिशासित वायदा संविदाएं)	(छ)	(123.33)
वित्तीय लिखतों पर क्षतिग्रस्तता	(ड.)	(2,703.45)
संयुक्त उद्यमों की इक्विटी विधि से लेखांकन का प्रभाव	(झ)	2.94
अन्य		(90.31)
उपर्युक्त पर आस्थगित कर प्रभाव (डीटीए/डीटीएल)	(च)	315.17
कर योग्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से अधिक संचित क्षतिग्रस्तता छूट की राशि पर डीटीए	43.5	1,452.41
कुल समायोजन		**2,952.59**
इंड एएस के अनुसार निवल कर पश्चात लाभ		**8,796.70**
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	(ज)	3.36
इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य पर निवल अभिलाभ/(हानि)	(घ)	(322.32)
अन्य		2.87
इंड एएस के अनुसार कुल व्यापक (आयकर घटाकर)		**8,480.60**

53.3 पहली बार अपनाने पर टिप्पणियां

पारगमन की तारीख के अनुसार कंपनी के सूचित समेकित वित्तीय विवरणों का इंड एएस अपनाने पर प्रमुख प्रभाव का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

(क) ऋण और ब्याजगत आय

पारगमन की तारीख को संविदात्मक नकदी प्रवाह तथा एसपीपीआई (मूलधन एवं ब्याज का अनन्य भुगतान) एकत्र करने के लिए धारित व्यवसाय मॉडल टेस्ट की पुष्टि करने वाले ग्रुप के ऋणों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा गया है। इन ऋणों को पिछले जीएएपी के अंतर्गत लागत पर मापा गया था।

ईआईआर विधि के पूर्वव्यापी प्रयोग के इस समायोजन से पारगमन की तारीख के अनुसार ऋणों के मूल्य में तदनुरूपी कटौती के साथ कुल इक्विटी में ₹ 275.66 करोड़ की वृद्धि हुई है। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (टीसीआई) पर प्रभाव (₹ 432.75) करोड़ और कुल इक्विटी पर प्रभाव (₹ 157.09) करोड़ है।

(ख) वित्तीय देयताएं तथा ब्याजगत व्यय

डेरिवेटिव को छोड़कर सभी वित्तीय देयताओं को बाद में ईआईआर विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा गया है। समायोजन से पारगमन की तारीख को वित्तीय देयताओं के मूल्य में तदनुरूपी कटौती के साथ कुल इक्विटी में ₹ 531.35 करोड़ तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 373.79 करोड़ की वृद्धि हुई। पारगमन की तारीख के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए टीसीआई पर प्रभाव (₹ 157.55) करोड़ है।

(ग) लीजहोल्ड भूमि का पुनः वर्गीकरण

पीएफसी के मामले में, पिछले जीएएपी के अंतर्गत लीज होल्ड भूमि के लिए अग्रिम प्रीमियम भुगतान को ''अचल परिसंपत्ति'' में मान्य किया गया (इंड एएस के अंतर्गत इसके संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) कहा गया है)। इंड एएस के अंतर्गत, पट्टा जहां स्वामित्व से जुड़े जोखिम एवं इनाम कंपनी को अंतरित नहीं किए जाते हैं, को प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा शेष पट्टा अवधि में परिशोधित किया गया है। परिणामतः लीज होल्ड भूमि को ''अचल परिसंपत्तियां / पीपीई'' से गैर वित्तीय परिसंपत्तियों में पूर्वदत्त व्यय में पुनः वर्गीकृत किया गया है और लीज होल्ड की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।

इसकी वजह से 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल इक्विटी में ₹ 9.79 करोड़ और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.34 करोड़ का ह्रास हुआ है।

(घ) निवेश

इंड एएस के अंतर्गत ग्रुप की कंपनियों ने सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगी कंपनियों में निवेश से भिन्न इक्विटी निवेश को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर नामित किया है। पारगमन की तारीख के अनुसार वहन राशि एवं उचित मूल्य के बीच अंतर को पारगमन की तारीख को ओसीआई रिजर्व में और बाद में अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया है।

इसकी वजह से पारगमन की तारीख के अनुसार इक्विटी लिखतों में निवेश के मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि के साथ कुल इक्विटी में ₹ 427.59 करोड़ तथा 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 134.24 करोड़ की वृद्धि हुई है।

(ड.) क्षतिग्रस्तता हानि छूट

पिछले जीएएपी के अंतर्गत ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों / निदेशों के अनुसार अनुरक्षित किया गया था। तथापि, इंड एएस रूपरेखा के अंतर्गत अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) दृष्टिकोण का प्रयोग करके ऋणों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट प्रदान की गई है। इसकी वजह से पारगमन की तारीख के अनुसार कुल इक्विटी में ₹ 12,102.55 करोड़ और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 14,835.42 करोड़ का ह्रास हुआ है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए टीसीआई पर प्रभाव ₹ (2,703.45) करोड़ है।

(च) आस्थगित कर

पिछले जीएएपी के अंतर्गत आय विवरण दृष्टिकोण का प्रयोग करके आस्थगित कर का लेखांकन किया गया था। तथापि, इंड एएस के अंतर्गत तुलन–पत्र दृष्टिकोण का प्रयोग करके आस्थगित कर के लेखांकन की आवश्यकता है, जिसमें समेकित तुलन पत्र में परिसंपत्ति / देयता की वहन राशि तथा उसके कर आधार में अंतर पर आधारित अस्थाई अंतरों की पहचान करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों में इन अंतरों को उपयुक्त ढंग से मान्य किया गया है। इंड एएस को अपनाने के कारण इन समायोजनों तथा परिणामी प्रभाव की वजह से 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल इक्विटी में ₹ 373.99 करोड़ और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 69.66 करोड़ का ह्रास हुआ है।

(छ) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

पीएफसी के मामले में, पिछले जीएएपी के अंतर्गत वायदा संविदा की प्रकृति के डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को एएस 11 'विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अंतर का प्रभाव' में लेखांकित किया गया था जिसमें संविदा की अवधि के दौरान प्रीमियम या डिस्काउंट घटक को परिशोधित किया गया था। तथापि, इंड एएस के अंतर्गत सभी डेरिवेटिव संविदाओं को इंड एएस 109 'वित्तीय लिखत' के अनुसरण में रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को उचित मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।

सहायक कंपनी आरईसीएल के मामले में, भारतीय जीएएपी के अंतर्गत कंपनी ने बाजार में अंक पर ब्याज दर स्वैप डेरिवेटिव को मापा तथा क्रॉस करेंसी स्वैप को लिखत के शेष जीवनकाल में परिशोधित पुनर्विवरण पर अभिलाभ/हानि के साथ एफसीएमटाईटीडी लेखा के माध्यम से रिपोर्टिंग की तारीख को विनिमय दर पर मापा गया। इंड एएस 109 के अनुसार, सभी डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर मापा जाता है और हेज़ के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त डेरिवेटिव पर अभिलाभ/हानि को छोड़कर किसी अभिलाभ/हानि को लाभ या हानि में मान्य किया जाता है।

परिणामतः पारगमन की तारीख को कुल इक्विटी में ₹ 438.40 करोड़ और 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 58.56 करोड़ की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए टीसीआई पर प्रभाव ₹ (123.33) करोड़ है।

(ज) परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

पिछले जीएएपी तथा इंड एएस दोनों के अंतर्गत ग्रुप ने बीमांकिक आधार पर अपनी रोजगार पश्चात परिभाषित हितलाभ योजना से संबंधित लागतों को मान्य किया। पिछले जीएएपी के अंतर्गत, बीमांकिक अभिलाभ एवं हानि सहित संपूर्ण लागत लाभ या हानि में प्रभारित की गई। इंड एएस के अंतर्गत अभिलाभ/हानि के पुनः मापन को अन्य व्यापक आय में मान्य किया गया है।

परिणामतः वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय में तदनुरूपी वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में ₹ 3.36 करोड़ की वृद्धि हुई है (कर को घटाकर)।

(झ) इक्विटी विधि का प्रयोग करने के लिए लेखांकित संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम के गैर–संवितरित रिजर्व के शेयर को ईईएसएल के वित्तीय विवरणों में पिछले जीएएपी के अंतर्गत अंतिम रूप दिए गए नंबर के अनुसार लेखांकित किया गया है। तथापि, चूंकि ईईएसएल ने भी इंड एएस अपना लिया है इसलिए इंड एएस समायोजन के प्रभाव को समेकित वित्तीय विवरणों में ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त उद्यम के समेकन की विधि आनुपातिक समेकन विधि से बदलकर इंड एएस 28 के अनुसार लेखांकन की इक्विटी विधि हो गई है।

53.4 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों के विवरण पर इंड एएस अपनाने का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	पिछला जीएएपी	व्यवसाय संयोजन के कारण समायोजन	इंड एएस में पारगमन पर समायोजन	इंड एएस
प्रचालन की गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(27,296.12)	(31,283.32)	1,431.88	(57,147.56)
निवेश की गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	610.51	294.04	504.58	1,409.13
वित्तपोषण की गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	24,151.59	28,272.46	(405.56)	52,018.49
वर्ष के दौरान नकदी एवं नकदी समतुल्य में वृद्धि/(ह्रास)	**(2,534.02)**	**(2,716.82)**	**1,530.89**	**(3,719.95)**
वर्ष के शुरू में नकदी एवं नकदी समतुल्य	3,224.34	4,488.04	(3,167.39)	4,544.99
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**690.32**	**1,771.22**	**(1,636.50)**	**825.04**

इंड एएस में पारगमन का प्रभाव मुख्य रूप से 'नकदी एवं नकदी समतुल्य' के स्थान पर 'अन्य बैंक शेष' के रूप में निर्धारित बैंक शेषों के वर्गीकरण के कारण है।

54 कंपनी की सहायक कंपनी आरईसी के संबंध में कार्यान्वित की जा रही अन्य सरकारी योजनाएं इस प्रकार हैं :

54.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

देश में सभी घरों को बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य नामक योजना शुरू की है। इस योजना में 31 मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विद्युत विहीन परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को आखिरी चरण तक संपर्क एवं विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य योजना का पूंजी परिव्यय ₹ 16,320 करोड़ है जिसमें कार्यान्वयन की संपूर्ण अवधि के दौरान ₹ 12,320 करोड़ की सकल बजटीय सहायता शामिल है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया है।

राज्यों/विद्युत संस्थाओं एवं अन्य स्टेकधारकों के सक्रिय समर्थन एवं सहयोग से सौभाग्य योजना की शुरुआत से लेकर 31 मार्च, 2019 तक संचयी रूप में 2.62 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 2.22 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण किया गया। तद्नुसार, सभी राज्यों (18734 विद्युत विहीन परिवारों के साथ छत्तीसगढ़ को छोड़कर) ने घोषणा की है कि परिवार विद्युतीकरण की परिपूर्णता प्राप्त कर ली गई है।

54.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और निर्धारित माइलस्टोन की प्राप्ति पर 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सबके लिए 24 घंटे बिजली' की प्राप्ति को सुगम बनाती है :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर–कृषि उपभोक्ताओं के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए कृषि और गैर कृषि फीडर को अलग करना;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ता के लिए मीटर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं वर्धन;

(iii) माइक्रो–ग्रिड तथा ऑफ–ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 12वीं और 13वीं योजनाओं के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक का डीडीयूजीजेवाई में विलय किया गया।

उपर्युक्त योजना के घटक (I) और (II) का अनुमानित परिव्यय ₹ 43,033 करोड़ होगा जिसमें कार्यान्वयन की संपूर्ण अवधि के दौरान भारत सरकार से ₹ 33,453 करोड़ की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं और 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई योजना को एक अलग ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में शामिल कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पूरे देश में राज्य विद्युत संस्था/वितरण कंपनियों द्वारा सरकारी कार्यक्रमों (डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य) के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय से ₹ 20,593 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है।

54.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) जो ब्याज सब्सिडी योजना है, वित्तीय वर्ष 2012–13 से क्रियाशील हुई है। यह योजना वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना वितरण क्षेत्र में विभिन्न पूंजी कार्यों के लिए सार्वजनिक एवं निजी वितरण विद्युत कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों पर सुधार के उपायों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। एनईएफ 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों में ₹ 8466 करोड़ तक कुल ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा (इसमें ऋणकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य आनुषंगिक व्यय शामिल हैं)। आरईसीएल को पूरे देश में एनईएफ योजना के प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

54.4 जम्मू एवं कश्मीर प्रधानमंत्री विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू एवं कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग ने नामांकन के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पीएमडीपी के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार वितरण कार्य के निष्पादन के लिए संपन्न किए जाने वाले सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रापण, आपूर्ति, उत्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

54.5 ऊर्जा मित्र तथा 11 केवी के फीडर मॉनीटरिंग

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा मित्र तथा 11 केवी के फीडर मॉनीटरिंग नामक दो योजनाएं शुरू की हैं। ऊर्जा मित्र एक पहल है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत आउटेज/कटौती/ब्रेकडाउन/शटडाउन (नियोजित एवं अनियोजित दोनों) के बारे में सूचना प्रदान करना है। फीडर मॉनीटरिंग योजना 66, 33/11 केवी के उप केंद्रों से 11 केवी के सभी आउटगोइंग ग्रामीण फीडरों के विभिन्न आवश्यक पैरामीटरों की डाटा लागिंग के माध्यम से 11 केवी के ग्रामीण फीडर की स्वचालित मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करने तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, एलर्ट, मीटर डाटा विश्लेषण, सूचना प्रसार एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए रियल टाइम आधार पर सार्वजनिक पोर्टल सहित विभिन्न स्टेकधारकों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है। आरईसीटीपीसीएल को दोनों योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

55 कंपनी इंड एएस के अनुसार या आरबीआई के प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट क्षति (ईसीएल) के उच्च स्तर पर चरण-I एवं चरण-II की ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट का सृजन कर रही थी। अब कंपनी ने अनन्य रूप से इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिग्रस्तता हानि छूट को संरेखित किया है जिससे 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संचयी क्षतिग्रस्तता हानि छूट में कटौती हुई है तथा कर पश्चात लाभ में परिणामी वृद्धि ₹ 268.61 करोड़ है।

56 राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन के बाद प्रलेखन की स्थिति

56.1 तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 02.06.2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। तथापि, औपचारिक गजट अधिसूचना के माध्यम से संबंधित विस्तृत यूटिलिटी को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अभी तक अंतरण नहीं हुआ है।

विद्युत संस्था में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण का विधिवत रूप से उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा गजट अधिसूचना के माध्यम से अंतिम अंतरण योजना के अधिसूचित हो जाने पर नए/नाम परिवर्तित संस्था के साथ सभी बकाया ऋणों के संबंध में कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल द्वारा प्रलेखन की औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान के लिए मांग को यूटिलिटी के अनुसार अलग किया जा रहा है और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में यूटिलिटी द्वारा संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

56.2 इसके अतिरिक्त सहायक कंपनी आरईसीएल के मामले में,

56.2.1 जहां तत्कालीन एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को विभाजन से पूर्व ऋण संस्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखन नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नवगठित यूटिलिटीज के नाम में पुनः संस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और तद्नुसार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पास प्रभार पंजीकृत किए गए हैं।

56.2.2 जहां विभाजन से पूर्व तत्कालीन एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम में ऋण संस्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और आहरण किए गए हैं, इन योजनाओं में परिवर्तित/नवगठित यूटिलिटीज के नाम से वचन पत्र प्राप्त किया गया है और नई/नाम परिवर्तित यूटिलिटी के नाम में ऋणकर्ता के नाम को परिवर्तित करके नवगठित यूटिलिटी को संवितरण किए गए हैं।

56.2.3 जहां विभाजन से पूर्व तत्कालीन एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल के नाम में ऋण संस्वीकृत किया गया है तथा सरकारी गारंटी के साथ प्रलेखन की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और आहरण किए गए हैं, इन योजनाओं के लिए गजट अधिसूचना पर अग्रेतर प्रलेखन किया जाएगा।

56.2.4 संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुछ तत्कालीन राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) जिनके विरुद्ध ऋण बकाया थे या जिनकी ओर से गारंटियां ली गईं, को पुनर्गठित किया गया तथा अतीत में नई संस्थाओं का गठन किया गया। परिणामतः तत्कालीन एसईबी की देयताएं नई संस्थाओं को हस्तांतरित हो गई हैं। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) के मामले में कंपनी, नई संस्था तथा राज्य सरकार के बीच अभी तक अंतरण करार निष्पादित नहीं किए गए हैं।

56.2.5 तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन एवं सुधार) अंतरण योजना 2010 के अनंतिम प्रावधानों के आधार पर तत्कालीन तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के मामले में करार निष्पादित किए गए हैं। तथापि, तमिलनाडु की यूटिलिटीज के साथ चर्चा के आधार पर अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस संबंध में अग्रेतर अंतरण करार निष्पादित किए जाएंगे।

57 विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देश दिनांक 30 मार्च, 2016 के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत की अल्पावधि आवश्यकताओं को सुगम बनाने के लिए कंपनी की सहायक कंपनी पीएफसीसीएल को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक बोलीदाता को प्रति मेगावाट ₹ 500 का अपेक्षित शुल्क तथा अधिकतम क्षमता जिसके लिए बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने का इच्छुक है, के लिए लागू कर पीएफसीसीएल के पास जमा करना है। गतिविधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक बोलीदाता को आबंटित मात्रा के लिए पीएफसीसीएल को केवल सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को शुल्कों का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि बोलीदाता को लौटाई जाएगी।

58 नीचे प्रस्तुत प्रकटन संख्या 59 से 67 एनबीएफसी पर लागू आरबीआई के मास्टर निदेशों से प्रवाहित हो रहे हैं। चूंकि पीएफसी और इसकी सहायक कंपनी आरईसीएल ग्रुप में एनबीएफसी हैं, निम्नलिखित प्रकटन में केवल इन दो कंपनियों के संबंध में सूचना निहित है।

59 अन्य एक्सपोजर

59.1 आरबीआई के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में आरबीआई ने कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। आईएफसी के रूप में, निजी क्षेत्र में ऋण देने के लिए कुल अनुमत एक्सपोजर एकल ऋणकर्ता के मामले में स्वामित्व वाली निधियों का 25% और ऋणकर्ताओं के एकल समूह के मामले में 40% है तथा ऋण देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ एक्सपोजर स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के क्रमशः 30% और 50% तक हो सकता है।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं के संबंध में आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 तक आरबीआई के क्रेडिट/निवेश के मानदंडों के आरबीआई के संकेंद्रण की प्रयोज्यता से कंपनी ने छूट प्रदान की है।

59.2 ग्रुप का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई एक्सपोजर नहीं है। (पिछले वर्ष–शून्य)

59.3 पूंजी बाजार में एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को राशि	31 मार्च, 2018 को राशि	1 अप्रैल, 2017 को राशि
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसके कॉरपस का निवेश अनन्य रूप से कॉर्पोरेट ऋण (पूर्णतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में निवेश सहित) में में निवेश न किया गया हो;	16,956.94	2,759.53	2,752.63
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड्स की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	–	–	–
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	–	–	–
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों की कोलेटरल प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों से अग्रिम राशि पूरी तरह कवर नहीं होती है (ऐसे ऋणों को छोड़कर जिनमें प्रतिभूति निर्माण प्रक्रियाधीन हो);	–	–	–
(v)	शेयर दलालों को दिए गए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां;	–	–	–
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण जो शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर का योगदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	2,629.16	2,651.65	2,395.88
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को दिए गए ब्रिज लोन;	–	–	–
(viii)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों) से संबंधित सभी एक्पोज़र;	12.33	12.41	12.45
	पूंजी बाजार से संबंधित कुल जोखिम	**19,598.43**	**5,423.59**	**5,160.96**

59.4 मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का ब्योरा :

कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

59.5 कंपनी द्वारा पार की गई एकल ऋणकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह ऋणकर्ता सीमा (जीबीएल) का ब्योरा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान एकल ऋणकर्ता/ग्रुप ऋणकर्ता सीमा के विरुद्ध अपनी विवेकपूर्ण जोखिम सीमा को पार नहीं किया है।

60 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित परिसंपत्तियों एवं देयताओं की मदों का परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिपक्वता पैटर्न :

पीएफसी के संबंध में

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2019 को बकेट	जमा/निवेश	अग्रिम	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	देयताएं
30/31 दिनों तक	14,133.64	4,955.46	21,785.18	–	696.50
1 माह से अधिक और 2 माह तक	1,833.07	1,928.13	4,915.00	–	–
2 माह से अधिक और 3 माह तक	-	1,264.76	7,495.20	–	2,080.35
3 माह से अधिक और 6 माह तक	-	9,225.21	10,292.05	–	–
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	-	16,559.51	19,088.10	–	3,468.40
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	-	50,663.28	76,608.05	–	4,971.67
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	49,879.10	32,730.60	–	9,235.95
5 वर्ष से अधिक	-	165,146.63	87,160.38	23.84	8,373.99

टिप्पणी :– उपर्युक्त सारणी में, परिपक्वता की तारीख को ध्यान में रखे बगैर चरण-III की परिसंपत्तियों से संबंधित प्रावधान को घटाकर 5 वर्षों के बकेट में मूलधन के नकदी प्रवाहों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रयोग की शीघ्रातिशीघ्र तारीख को ध्यान में रखते हुए पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्डों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक पत्र एवं जीरो कूपन बॉण्डों को परिपक्वता मूल्य पर दर्शाया गया है।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2019 को बकेट	निवेश	ऋण परिसंपत्तियां	घरेलू ऋण	विदेशी मुद्रा मदें	
				परिसंपत्तियां	ऋण राशियां
30/31 दिनों तक	56.56	1,850.88	3,908.90	–	27.10
1 माह से अधिक और 2 माह तक	-	1,316.82	1,140.25	–	1,848.36
2 माह से अधिक और 3 माह तक	-	3,401.32	4,145.36	–	99.06
3 माह से अधिक और 6 माह तक	-	7,627.17	11,942.27	–	1,110.68
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	48.30	13,781.11	22,553.98	–	2,444.00
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	1,500.00	55,904.77	69,456.88	–	12,890.45
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	-	50,995.33	41,012.10	–	11,019.19
5 वर्ष से अधिक	678.27	1,35,573.52	56,158.89	–	4,511.39

61 विनियामक द्वारा लगाया गया दंड

पीएफसी के मामले में,

एनएसई और बीएसई ने अपने दिनांक 31 जनवरी, 2019 के पत्र के माध्यम से विनियम 17(1) अर्थात निदेशक मंडल की संरचना और 19(1) अर्थात सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में गैर अनुपालन के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है।

एनएसई और बीएसई को अपने जवाब में कंपनी ने बताया है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण तथा संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 86 के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में शेष स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को गति देने के लिए कंपनी ने विद्युत मंत्रालय के साथ मामले को उठाया है।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के मामले में

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी विनियामक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

62 क्रेडिट रेटिंग

पीएफसी के संबंध में

62.1 वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और रेटिंग का माइग्रेशन :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

वर्ष के दौरान कोई रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ है।

62.2 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी को आबंटित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी–	स्टेबल
2.	स्टैंडर्ड एंड पूअर (एस एण्ड पी)	बीबीबी–	निगेटिव
3.	मूडीज	बीएए3	स्टेबल

पिछले वर्ष की तुलना में केवल एसएंडपी ने आउटलुक को स्टेबल से बदलकर निगेटिव किया है। परंतु अप्रैल, 2019 में, आउटलुक को पुनः अपग्रेड करके स्टेबल कर दिया गया है।

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और रेटिंग का माइग्रेशन :

62.3 घरेलू क्रेडिट रेटिंग

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि रेटिंग	अल्पावधि रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+
4.	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च	इंड एएए	इंड ए1+

62.4 अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी–	स्टेबल
2.	मूडीज	बीएए3	स्टेबल

वर्ष के दौरान रेटिंग का कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है।

63 प्रावधान, आकस्मिकताएं तथा क्षतिग्रस्तता हानि छूट

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
क्षतिग्रस्तता हानि छूट	(627.99)	4,691.54
वर्तमान आयकर के लिए किया गया प्रावधान	4,160.95	4,649.04

64 वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा अपने ऋणकर्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई है (पिछले वर्ष शून्य)।

65 विनियामकों से प्राप्त पंजीकरणों का ब्योरा :

पीएफसी के संबंध में

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विनियामक	विवरण	पंजीकरण का ब्योरा
1.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान नंबर	L65910DL1986GOI024862
2.	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	B- 14.00004
3.	लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई नंबर	3358003Q6D9LIJJZ1614

सहायक कंपनी, आरईसीएल के संबंध में

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विनियामक	विवरण	पंजीकरण का ब्योरा
1.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	कॉर्पोरेट पहचान नंबर	L40101DL1969GOI005095
2.	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000011
3.	ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटीफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)	एलईआई कोड	335800B4YRYWAMIJZ374

66 (क) विदेश में संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों के लिए प्रवासी परिसंपत्तियां : शून्य

(ख) कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई तुलन–पत्र के बाहर एसपीवी नहीं है।

67 तुलन–पत्र की अतिरिक्त अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार राशि		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राशि		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार राशि	
देयता पक्ष			बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
(1)	कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण एवं अग्रिम जिसमें उस पर प्रोद्भूत किंतु भुगतान न किया गया ब्याज शामिल है :							
	(क)	बॉण्ड : प्रतिभूत	63,896.72	0.00	81,912.18	0.00	82,983.44	0.00
		: अप्रतिभूत	332,176.68	0.00	300,732.46	0.00	266,858.93	0.00
	(ख)	(i) रुपया सावधि ऋण	71,426.57	0.00	10,956.35	0.00	2,777.22	0.00
		(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	42,625.94	0.00	38,099.37	0.00	28,458.04	0.00
	(ग)	वाणिज्यिक पत्र	17,690.92	0.00	10,174.74	0.00	–	0.00
	(घ)	अल्पावधि के ऋण	13,357.29	0.00	–	0.00	2,400.79	0.00
	(ड.)	वित्त पट्टा बाध्यताएं	–	0.00	–	0.00	–	0.00

परिसंपत्तियां पक्ष				31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
(2)	राशि प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्योरा (उनसे भिन्न जो नीचे (3) में शामिल हैं) (प्रावधानों को घटाकर) :					
	(क)	प्रतिभूत		404,072.84	376,746.27	335,008.18
	(ख)	अप्रतिभूत		180,451.16	131,257.39	104,550.18
	(ग)	घटाएं : क्षतिग्रस्तता हानि छूट		(16,057.16)	(16,939.76)	(14,835.73)
	(घ)	ऋण एवं अग्रिम (प्रावधानों को घटाकर)		298,659.67	262,084.86	230,708.71
(3)	पट्टा परिसंपत्तियों एवं किराए पर लिए गए स्टॉक और एएफसी गतिविधियों के लिए गिनी जाने वाली अन्य परिसंपत्तियों का ब्योरा (प्रावधानों को घटाकर) :					
	(i)	विविध ऋणकर्ताओं के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां :				
		(a)	वित्तीय पट्टा	99.89	111.89	222.99
(4)	निवेशों का ब्योरा (प्रावधानों को घटाकर)					
	वर्तमान निवेश					
	1.	उद्धृत				
		(i)	शेयर			
			(क) इक्विटी	935.09	1,126.04	1,258.03
	2.	अनुद्धृत				
		(i)	शेयर			
			(क) इक्विटी	–	–	193.05
	दीर्घावधि निवेश					
	1.	उद्धृत				
		(i)	शेयर			
			(क) इक्विटी	728.95	817.25	704.60
		(ii)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	2,366.71	2,310.46	3,328.52
	2.	अनुद्धृत				
		(i)	शेयर			
			(क) इक्विटी	425.88	319.88	432.57
		(ii)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	32.11	739.99	710.16
		(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	47.16	141.48	235.80
		(iii)	एसआईबी फंड की यूनिटें	12.36	12.52	12.60

(5) उपर्युक्त (2) और (3) में यथा वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणकर्ता समूहवार वर्गीकरण :

श्रेणी			प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)			प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)			प्रावधानों की निवल राशि (1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार)		
			प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1.	संबंधित पक्षकार										
	(क)	सहायक कंपनियां एवं सहयोगी कंपनियां	–	196.22	196.22	–	169.95	169.95	–	115.04	115.04
	(ख)	सामान्य ग्रुप की कंपनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(ख)	अन्य संबंधित पक्षकार	0.52	0.46	0.98	0.52	0.56	1.08	0.52	0.51	1.03
2.	संबंधित पक्षकारों से भिन्न		404,172.21	180,254.48	584,426.69	376,857.64	131,086.88	507,944.52	335,230.65	104,434.63	439,665.28
	कुल		404,172.73	180,451.16	584,623.89	376,858.16	131,257.39	508,115.55	335,231.17	104,550.18	439,781.35

(6) शेयरों और प्रतिभूतियां (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घावधि) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण

श्रेणी			(31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)		(31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)		(1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार)	
			बाजार / ब्योरा+ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	बाजार / ब्योरा+ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	बाजार / ब्योरा+ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)
1.	संबंधित पक्षकार							
	(क)	सहायक कंपनियां	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	(ख)	सामान्य ग्रुप की कंपनियां	295.99	246.25	200.05	147.25	176.57	147.25
2.	संबंधित पक्षकारों से भिन्न		2018.88	2,018.88	2545.22	2,545.22	3899.00	3,899.00
	कुल		2,314.87	2,265.13	2,745.27	2,692.47	4,075.57	4,046.25

(7) अन्य सूचना

विवरण			राशि (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)	राशि (01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार)
(i)	सकल गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां				
	(क)	संबंधित पक्षकारों से भिन्न	49,888.75	43,995.23	17,158.98
(ii)	निवल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां				
	(क)	संबंधित पक्षकारों से भिन्न	25,168.79	21,263.48	9,617.45
(iii)	ऋण के बदले में अधिग्रहित परिसंपत्तियां (निवेश – का सकल मूल्य)		–	–	–

$नकारात्मक ब्योरा मूल्य के मामले में, शून्य मूल्य पर विचार किया गया है

नियमित सिंहावलोकन | निदेशक रिपोर्ट | वित्तीय विवरण

68 परिसंपत्ति एवं देयता के अंतर्गत प्रत्येक लाइन मद के लिए 12 माह के अंदर और इसके बाद प्राप्त/निपटान होने वाली राशि

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		12 माह के अंदर	12 माह से अधिक	12 माह के अंदर	12 माह से अधिक	12 माह के अंदर	12 माह से अधिक
	परिसंपत्तियां						
1	**वित्तीय परिसंपत्तियां**						
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	725.03	0.00	825.04	0.00	4,544.99	0.00
(ख)	नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल से भिन्न बैंक अधिशेष	15,606.41	0.00	2,024.27	0.00	3,682.00	2.05
(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	430.84	1,939.72	163.76	755.71	17.92	910.02
(घ)	व्यापार की प्राप्य राशियां	172.13	0.00	145.77	0.00	135.71	0.00
(ङ.)	ऋण	73,948.42	4,99,712.86	65,668.98	4,29,220.65	62,357.10	3,66,666.17
(च)	निवेश	1,037.32	3,566.45	1,601.42	3,891.09	1,896.67	5,006.52
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	683.27	23,078.20	354.38	9,308.19	158.77	5,307.86
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**92,603.42**	**5,28,297.23**	**70,783.62**	**4,43,175.64**	**72,793.16**	**3,77,892.62**
2	**सबॉर्डिनेटिड वित्तीय परिसंपत्तियां**						
(क)	माल सूची	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
(ख)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	5.59	920.31	1.97	540.34	2.76	394.67
(ग)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10.25	6,359.49	3.78	7,389.77	0.01	5,707.81
(घ)	निवेश संपत्ति	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
(ङ.)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.00	186.45	0.00	155.24	0.00	151.57
(च)	पूंजी कार्य प्रगति पर	0.00	196.94	0.00	127.23	0.00	61.41
(छ)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	0.00	1.59	0.00	1.46	0.00	1.46
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	0.00	9.18	0.00	6.19	0.00	1.38
(i)	अन्य सबॉर्डिनेटिड वित्तीय परिसंपत्तियां	294.61	98.85	236.77	101.76	984.74	102.37
	कुल सबॉर्डिनेटिड वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**310.45**	**7,772.82**	**242.52**	**8,322.00**	**987.55**	**6,420.68**
3	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	**9.56**	**0.00**	**7.68**	**0.00**	**3.08**	**0.00**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**92,923.43**	**5,36,070.05**	**71,033.82**	**4,51,497.64**	**73,783.79**	**3,84,313.30**
	देयताएं						
1	**वित्तीय देयताएं**						
(क)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	124.33	540.66	59.71	498.72	85.86	337.01
(ख)	व्यापार की संदेय राशियां	74.91	0.00	66.70	0.00	46.19	0.00
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	85,954.05	3,12,397.95	76,252.99	3,09,626.66	54,335.17	2,88,760.13
(घ)	उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	36,201.52	90,805.55	12,698.06	36,013.53	4,347.83	28,944.10
(ङ.)	सबॉर्डिनेटिड देयताएं	272.26	13,856.20	261.97	6,298.15	261.97	6,297.88
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	1,693.64	22,880.64	15,449.78	9,157.63	2,395.45	19,650.55
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	**1,24,320.71**	**4,40,481.00**	**1,04,789.21**	**3,61,594.69**	**61,472.47**	**3,43,989.66**
2	**सबॉर्डिनेटिड वित्तीय देयताएं**						
(क)	मौजूदा कर देयताएं (निवल)	0.00	130.70	0.51	129.97	0.55	130.43
(ख)	प्रावधान	259.59	107.22	153.39	363.89	88.87	190.90
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ)	अन्य सबॉर्डिनेटिड वित्तीय देयताएं	112.99	96.96	115.25	114.82	137.41	71.32
	कुल सबॉर्डिनेटिड वित्तीय देयताएं (2)	**372.58**	**334.88**	**269.15**	**608.68**	**226.83**	**392.65**
3	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से सीधे संबद्ध देयताएं	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल देयताएं (1+2+3)	**1,24,693.37**	**4,40,815.88**	**1,05,058.36**	**3,62,203.37**	**61,699.30**	**3,44,382.32**

69 इंड एएस 108 – प्रचालन सेगमेंट की अपेक्षा के अनुसार व्यवसाय/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के प्रचालनों में केवल एक व्यवसाय सेगमेंट शामिल है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण तथा विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण एवं पारेषण में शामिल विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को ऋण देना। इंड एएस 108 'प्रचालन सेगमेंट' में यथापरिभाषित ''प्रबंधन दृष्टिकोण'' के आधार पर मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता एक व्यवसाय सेगमेंट के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

(क) ग्रुप का कोई भौगोलिक सेगमेंट नहीं है क्योंकि ग्रुप का प्रचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किया जाता है।

(ख) प्रमुख सेवाओं से राजस्व

अपनी प्रमुख सेवाओं के प्रचालन से ग्रुप के राजस्व का विश्लेषण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2017-18
ब्याजगत आय		
- ऋणों से	52,837.17	47,075.10
- अन्य	598.53	602.12
शुल्क एवं कमीशन आय	374.11	566.98
अन्य प्रचालनगत आय	227.50	287.50

(ग) प्रमुख ऋणकर्ताओं के बारे में सूचना

वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2017–18 दोनों के लिए एक भी एकल ऋणकर्ता ने कंपनी के राजस्व में 10% या अधिक का योगदान नहीं किया।

70 सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में उपलब्ध सूचना की सीमा तक समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किए गए हैं।

71 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार समेकित संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

71.1 निवल परिसंपत्तियां में शेयर अर्थात कुल परिसंपत्तियां माइनस कुल देयताएं

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी						
पीएफसी लिमिटेड	68.19%	43,287.99	66.87%	36,956.15	68.10%	35,425.08
सहायक कंपनियां–भारतीय						
आरईसी लिमिटेड	54.42%	34,546.34	58.96%	32,587.61	59.23%	30,809.43
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.15%	95.11	0.36%	201.26	0.49%	253.34
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
संयुक्त उद्यम – भारतीय						
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.76%	480.65	0.62%	345.26	0.68%	352.14
सहयोगी कंपनियां–भारतीय						
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.05
समायोजनों या उन्मूलनों का प्रभाव	(23.51)%	(14,926.66)	(26.82)%	(14,821.35)	(28.50)%	(14,825.32)
कुल	**100.00%**	**63,484.23**	**100.00%**	**55,269.73**	**100.00%**	**52,015.47**

71.2 लाभ और हानि में शेयर

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
	समेकित लाभ और हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ और हानि के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	55.01%	6,952.92	49.87%	4,386.77
सहायक कंपनियां–भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	45.60%	5763.72	50.24%	4419.89
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.18%	22.43	0.34%	29.67
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)	0.00%	0.00	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.39%	48.67	0.24%	21.51
समायोजनों या उन्मूलनों का प्रभाव	(1.17)%	(147.47)	(0.70)%	(61.15)
कुल	**100.00%**	**12,640.27**	**100.00%**	**8,796.69**

71.3 अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	77.30%	(206.97)	102.42%	(323.74)
सहायक कंपनिया – भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	22.63%	(60.59)	(1.79)%	5.67
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.00%	0.00	0.00%	0.00
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)	0.00%	0.00	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.00%	(0.01)	(0.90)%	2.86
समायोजनों या उन्मूलनों का प्रभाव	0.06%	(0.18)	0.28%	(0.88)
कुल	**100.00%**	**(267.75)**	**100.00%**	**(316.09)**

71.3 कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	
	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कंपनी				
पीएफसी लिमिटेड	54.52%	6,745.95	47.91%	4,063.03
सहायक कंपनियां–भारतीय				
आरईसी लिमिटेड	45.91%	5680.79	52.55%	4456.19
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	0.18%	22.43	0.35%	29.67
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)	0.00%	0.00	0.00%	0.00
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)	0.39%	48.54	0.29%	24.37
समायोजनों या उन्मूलनों का प्रभाव	(1.01)%	(125.19)	(1.09)%	(92.66)
कुल	**100.00%**	**12,372.52**	**100.00%**	**8,480.60**

72 आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए के निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(एन. बी. गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन. 00530741

हस्ता/–
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन. 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N

हस्ता/–
(सीए एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 मई, 2019

फॉर्म एओसी 1

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी
अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

भाग "क" : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क.	सहायक कंपनियां	आरईसी लिमिटेड	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीएपी)	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
1	समाप्त वर्ष के लिए सूचना[1]	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019
2	अधिग्रहण/निगमन की तारीख	28.03.2019	25.03.2008	11.10.2011	28.03.2019	28.03.2019
3	शेयर पूंजी	1,974.92	0.05	0.00	0.05	0.05
4	आरक्षित एवं अधिशेष	32,328.02	95.06	0.00	155.68	118.39
5	कुल परिसंपत्तियां	2,97,717.30	130.18	0.05	555.03	286.30
6	कुल देयताएं	2,63,414.36	35.07	0.05	399.30	167.86
7	निवेश	2,397.62	0.04	0.00	15.81	89.08
8	टर्नओवर[2]	25,309.72	57.57	0.00	159.78	40.45
9	कराधान पूर्व लाभ	8,100.50	32.27	0.00	41.01	32.21
10	कराधान के लिए प्रावधान	2,336.78	9.84	0.00	14.67	7.61
11	कर पश्चात लाभ	5,763.72	22.43	0.00	26.34	24.60
12	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	–	–
13	शेयरधारिता का %	52.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

टिप्पणी :

1. सभी सहायक कंपनियों की रिपोर्टिंग अवधि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के समान है।
2. टर्नओवर को प्रचालनों से आय समझा जाता है।
3. पीईसीएपी स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया में है।
4. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।

भाग ''ख'' : सहयोगी कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

ख.	संयुक्त उद्यमों / सहयोगी कंपनियों के नाम	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों / सहयोगी कंपनियां के शेयर				इस बारे में विवरण कि कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	संयुक्त उद्यम को समेकित न करने का कारण	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयर धारण पर आरोप्य निवल मूल्य	वर्ष के लिए लाभ / हानि	
		नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन–पत्र तारीख	शेयरों की संख्या	संयुक्त उद्यमों / सहयोगी कंपनियों में निवेश की राशि	ग्रुप की होल्डिंग की मात्रा %				समेकन में विचारित	समेकन में विचारित नहीं
	संयुक्त उद्यम									
1	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल)[5]	31.03.2018	39,20,00,000	392.00	58.06%	प्रोमोटर' होने / शेयरहोल्डिंग करार के कारण	लागू नहीं	481.36		–
	सहयोगी कंपनियां									
1	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%	भारत सरकार से अधिदेश के अनुसार एसपीवी का प्रबंध किया जाता है तथा इन एसपीवी की संगत गतिविधियों को एकपक्षीय रूप से निर्देशित करने के लिए कंपनी के पास व्यावहारिक सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कंपनी के पास उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100% होने के बावजूद इन एसपीवी में निवेश को सहयोगी के रूप में माना गया है जिनके पास महत्वपूर्ण प्रभाव है।	लागू नहीं	0.05	–	–
2	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
3	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
4	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	(0.08)	–	–
5	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.08	–	–
6	सखीगोपाल इंटीग्रेटिड पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
7	घोगरपल्ली इंटीग्रेटिड पावर कंपनी लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
8	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
9	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
10	चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
11	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
12	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
13	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
15	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	0.05	–	–
16	डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड[4]	31.03.2019	50,000	0.05	100%	शेयरों की 100% धारिता तथा प्रबंधन में भागीदारी	टिप्पणी सं. 6 देखें	–	–	0.49
17	उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%			(0.18)	–	(0.23)
18	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%			(1.70)	–	(1.75)
19	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%			(1.50)	–	(1.55)
20	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%			(1.66)	–	(1.71)
21	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%			(1.46)	–	(1.51)
22	भिंड–गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%			(0.71)	–	(0.76)
23	बिजावर – विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	10,000	0.01	100%	100% नियंत्रण	लागू नहीं	0.01	–	–
24	वापी II – नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	–	–
25	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	10,000	0.01	100%		टिप्पणी सं. 6 देखें	0.01	–	–
26	फतेहगढ़-II ट्रांस्को लिमिटेड	लागू नहीं	10,000	0.01	100%			0.01	–	–
27	बीकानेर–खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लागू नहीं	10,000	0.01	100%			0.01	–	–
28	बल्लभगढ़–जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	–	–	–
29	मोहिंदरगढ़–भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	–	–	–
30	साउथ – सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	–	–	–
31	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	31.03.2019	50,000	0.05	100%		लागू नहीं	–	–	–
32	शोंगटोंग करचम – वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2019	10,000	0.01	100%		लागू नहीं	0.01	–	–

टिप्पणी :

1. पीएफसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और आरईसीएल द्वारा ईईएसएल को संयुक्त रूप से प्रोमोट किया गया है।
2. सभी एसपीवी प्रचालन पूर्व चरण में हैं तथा अभी तक प्रचालन शुरू नहीं हुआ है।
3. घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा ओबरा–सी बदायूं ट्रांसमिशन लिमिटेड को वर्ष के दौरान हस्तांतरित किया गया है।
4. डिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड बंद होने की प्रक्रिया में है।
5. 31 मार्च, 2019 को प्रबंधन द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों के अनुसार राशि
6. सहयोगी कंपनियों को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत पर मूल्यांकित किया गया है। तद्नुसार समेकित वित्तीय विवरणों में लाभ/(हानि) पर विचार नहीं किया गया है।
7. 1 जनवरी, 2019 के बाद 8 सहयोगी कंपनियों अर्थात अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड, जम खम्बालिया ट्रांस्को लिमिटेड, खेतड़ी ट्रांस्को लिमिटेड, डब्ल्यूआरएसएस 21 (ए) ट्रांस्को लिमिटेड, लाकड़िया बनासकांठा ट्रांस्को लिमिटेड, भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड, बीकानेर–खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड और फतेहगढ़-II ट्रांस्को लिमिटेड का निगमन किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में इन कंपनियों के पहले वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए तैयार किए जाएंगे।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(एन. बी. गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन. 00530741

हस्ता/–
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन. 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 01411N

हस्ता/–
(सीए एम. के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 014956

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या – 000458N

हस्ता/–
(सीए भूपिंदर सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 092867

स्थान : मुंबई
तारीख : 29 मई, 2019

ikoj Qkbul dkikj'ku fyfeVM

¼Hkkjr ljdkj dk miØe½

पंजीकृत कार्यालय : ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23456000, फैक्स : 011-23412545, वेबसाइट : www.pfcindia.com
सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

/pfclindia ij ge l tM